शासन - पथ निदर्शन

[शासन-सम्बन्धी विषयो पर भाषण संग्रह]

●

पुरुषोत्तमदास टण्डन

आत्माराम एण्ड संस
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता
काश्मीरी गेट, दिल्ली - ६

विषय-सूची

प्रकाशकीय

प्रयाग और दिल्ली के कुछ मित्रो द्वारा यह इच्छा प्रकट की गई कि राजर्षि श्री टण्डन जी के मार्ग-दर्शक भाषणो का एक सग्रह निकाला जाय। विचार उपयोगी प्रतीत हुआ और सग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव बाबू जी ने स्वीकार कर लिया। फलत आज यह पुस्तक हम भेट करने मे समर्थ हो रहे है।

इस पुस्तक मे दिए गए सब भाषण प्रामाणिक 'रिकार्ड' से लिए गए है। अस्वस्थ होते हुए भी बाबू जी ने इनके देखने और सम्पादन करने का कार्य कर दिया है।

हिन्दी मे भाषणों के प्रकाशन का कार्य बहुत ही कम हुआ है। राष्ट्र-भारती के भण्डार मे इन भाषणो की अपनी उपयोगिता होगी। प्रशासको, समाज-सेवको और राजनीति के विद्यार्थियों को इनसे स्वतन्त्र भारत की समस्याओ का अध्ययन करने मे सहायता मिलेगी। साथ-ही-साथ वे समाधान भी प्राप्त होंगे जो अपने पुराने अनुभवों से वह दे सकते थे। हमारा विश्वास है कि शासन के सम्बन्ध मे आगे के विचारक नवीन भारत के निर्माण मे इन पर ध्यान देगे।

आमुख

शासन-सम्बन्धी विषयो पर मेरे कुछ भाषणो का यह सग्रह है। इस सग्रह के आरम्भ मे संविधान सभा मे दिए हुए दो भाषण हैं जिनमे से पहला संविधान सभा के पहले प्रस्ताव पर सन् १९४६ मे और दूसरा राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर सन् १९४९ मे हुआ था। शेष ससद् की लोक-सभा मे सन् १९५२ और सन् १९५७ के बीच दिए गए थे। सविधान सभा मे राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर १९४९ मे दिया हुआ भाषण अग्रेजी भाषा मे था। इस सग्रह मे उसका अनुवाद दिया गया है। इस सग्रह का अन्तिम भाषण भी, जो २८ मार्च सन् ५७ का है, अग्रेजी में था। उसका भी अनुवाद दिया गया है। शेष सब भाषण हिन्दी मे हुए थे। वे प्राय उसी रूप मे हैं जैसे वे ससद् के सरकारी प्रतिवेदनो मे प्रकाशित हुए हैं। इने-गिने स्थानों मे भाषा अथवा स्पष्टता की दृष्टि से शब्दो मे बहुत कम अन्तर किया गया है। पढ़ने वालो की सुविधा के लिए भाषणो मे एक एक मुख्य शीर्षक तथा प्रत्येक भाषण मे कुछ छोटे शीर्षक इस सग्रह का सम्पादन करने मे दिए गए हैं।

इन भाषणो मे शासन-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयो पर विचार प्रगट किये गये हैं। उनमे से एक विचार की ओर मैंने एक से अधिक स्थान पर ध्यान आर्काषित किया है। वह है ग्राम-निर्माण के सम्बन्ध मे वाटिका-गृह की योजना। इस योजना को मै ग्रामोन्नति की आधार-शिला मानता हूँ।

देश के उत्थान के निमित्त प्रथम पचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, दूसरी चल रही है और तीसरी तैयार हो रही है। ग्रामो की स्थिति मे विशेष उन्नति हुई हो यह नही कहा जा सकता। मेरा सुझाव यह है कि ग्रामो के रहन-सहन मे मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने यह विचार रखा है कि गाँव के प्रत्येक घर के लिए लगभग आध एकड भूमि दी जाय। इस प्रकार एक घर दूसरे घर से बिलकुल अलग रहेगा। इस आध एकड भूमि मे निवास-घर के चारो ओर वाटिका लगायी जाय। इस प्रकार स्वस्थ ग्राम बनेगा और छूत के रोगो से तथा आग लगने के भय से उसकी रक्षा होगी। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि इस भूमि के भीतर ही कुटुम्ब का मलमूत्र दाबा जाय। एक या डेढ फुट भूमि के नीचे रह कर वह भूमि को उर्वरा करेगा। ग्राम मे यदि प्रत्येक घर के साथ इस प्रकार वाटिका रहे तो स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो होगा ही, काम करने की सुविधाओ मे वृद्धि होगी। आध एकड भूमि छोटे बडे सबके पास साधारणत चाहिए। खेती की भूमि इससे

अलग रहेगी। यह भी सम्भव है कि किसान अपनी खेती की भूमि के भीतर ही अपना निवास बनाये। यह अच्छी योजना होगी परन्तु देश मे केरल को छोडकर प्राय चलन यही है कि खेती अलग रहती है और निवास-गृह अलग रहता है। इस स्थिति मे निवास-घर के लिये, चाहे वह खेतिहर का हो चाहे मजूर का, चाहे व्यापारी का, उससे लगी हुई लगभग आध एकड भूमि मुझे ग्राम-व्यवस्था की दृष्टि से समाज के लिए अत्यन्त लाभकारी जान पडती है। समाजवादी सगठन मे इस प्रकार की ग्राम-योजना मुझे नितात आवश्यक लगती है। यह प्रशासकों के काम करने का विषय है। मुझे दुख इस बात का है कि प्रशासन मे मौलिक आधारो की नीव पर समाज-रचना का कार्य नही हो रहा है। उस ओर प्रशासकगण ध्यान दे यह मेरी कामना है।

प्रयाग, माघ कृ० १३, २०१५ / ५ २ १९५९

—पुरुषोत्तमदास टण्डन

शासन-पथ निदर्शन

१

भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र

भारतीय विधान परिषद्* की १३ दिसम्बर सन् १९४६ ई० की बैठक मे श्री जवाहर लाल नेहरू ने नीचे दिये हुए घोषणा-पत्र की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा था।

"यह विधान-परिषद् भारत को एक पूर्ण स्वतन्त्र जनतन्त्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाय;

जिसमे उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश-भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी है और जो आगे स्वतंत्र भारत मे सम्मिलित होना चाहते हों; और :

जिसमे उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा (चौहद्दी) चाहे क़ायम रहे या विधान सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा और रहेगा और वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे और रहेगे जो संघ को नहीं सौपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौपे जायेंगे अथवा जो संघ मे स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और :

जिसमें सर्वतंत्र स्वतन्त्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता द्वारा प्राप्त होगी; और :

---

* जो सभा भारत का संविधान बनाने के लिये बुलायी गयी थी और जिसने अपना कार्य ९ दिसम्बर १९४६ को आरम्भ किया उसका हिन्दी नाम पहले भारतीय विधान परिषद् पडा। उसके कार्य तथा वाद-विवाद के सरकारी विवरणो मे भी यही नाम छपता था। १७ मई १९४९ तक के सरकारी हिन्दी विवरणो मे यही नाम मिलता है। १८ मई के विवरण मे 'भारतीय संविधान सभा' का शीर्षक आया है और तब से वही नाम हिन्दी मे प्रचलित है। अंग्रेजी मे इसे आरम्भ से अन्त तक 'Constituent Assembly of India' कहा गया था।

जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति और सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास और धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम धन्धे की, संघ बनाने और काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और :

जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिये, पिछड़े और कबाइली प्रदेशों के लिये तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिये पर्याप्त संरक्षण-विधि रहेगी; तथा :

जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और :

यह प्राचीन देश संसार मे अपना योग्य और सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित साधन करने मे अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।"

श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण के बाद सभापति जी ने श्री पुरुषोत्तमदास टंडन को प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये बुलाया!

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा—

सभापति महोदय! प० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूरी तरह से मै समर्थन करता हूँ।"

ऐतिहासिक अवसर

विधान-परिषद् की आज की बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है। शताब्दियों के बाद हमारे देश मे ऐसी सभा समवेत हुई है। यह सभा हमे अपने वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है, जब हम स्वतन्त्र थे और बडी प्रतिनिधि सभाएँ बैठती थी जहाँ बडे-बडे विद्वान देश के महत्वपूर्ण विषयो पर विचार-विमर्श किया करते थे। यह हमें अशोककालीन सभाओ की याद दिलाती है। उन दिनो का एक धुधला चित्र आज हमारी आँखो के सामने है। यह सभा हमे अमेरिका, फ्रास और रूस प्रभृति अन्य देशो की परिषदो की याद दिलाती है। अन्य स्वतन्त्र देशो के विधान-निर्माण के लिए जो परिषदे बैठी थी उनके साथ-साथ हमारी यह परिषद् भी सदा याद रखी जायगी। हम यहाँ एक ऐसा शासन विधान बनाने बैठे है, जिससे संसार को यह मालूम हो जाय कि भारत का यह पक्का विचार है कि वह ससार के साथ मिलकर ससम्मान रहेगा, उससे अलग नही। भारत सब देशों को सहयोग देगा और उनकी मुसीबतो मे उन्हे सहायता देगा। वह उन सब

प्रयत्नो मे साथ देगा जिनसे ससार का भला हो। हमे विश्वास है कि हम आज यहाँ जो कुछ भी कर रहे है वह ऐतिहासिक होगा और उसकी गणना भी उन ऐतिहासिक घटनाओ मे होगी, जिनसे ससार की समुन्नति मे सहायता मिली है।

ब्रिटेन की नीति—उसका विरोध

गत डेढ सौ वर्षो से हिन्दुस्तान ब्रिटेन के अधीन रहा है। हम उन बातो की चर्चा नही करना चाहते, जिनके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ से ही लगातार आवाज उठाई है। इन डेढ सौ वर्षो के अन्दर हिन्दुस्तान को जो भी चोटे दी गई है, हम यहाँ उनकी चर्चा नही करेगे। उन चोटो ने हमे न केवल अपनी आजादी से ही वचित किया अपितु हममे एक आपसी भेद-भाव पैदा कर दिया। आज हम उन सब बातो की चर्चा न करेगे। पर हम अपने नेताओ के त्याग और सघर्ष को नही भूल सकते। प्रारम्भ मे हमारे नेताओं ने प्रस्ताव पास कर और उन्हे सव्याख्या सरकार के पास भेज कर स्वतन्त्रता की माँग की। हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला हमारे साथ ज्यादती की और सब जगह अग्रेजो का पक्ष लिया। हमने शासको से हर तरह अपील की कि हमारे साथ न्याय का बर्ताव हो। हमारे नेताओ ने उनके ऊँचे आदर्शो की ओर महामना बर्क और मिल के बताये आदर्शो की ओर हुकूमत का ध्यान खीचा। हमारे नेता ब्रिटिश आदर्शो से प्रभावित थे और उन्हे पूरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके साथ न्याय करेगा और उन्हे स्वतन्त्रता देगा। वह समय अब बीत गया। अनुभवो ने सिखाया कि स्वतन्त्रता अपील या प्रार्थना से नही मिल सकती, उसे पाने के लिये हमे अब साहसी पग उठाना आवश्यक है। हमारे इतिहास के पन्ने बताते है कि उसके बाद नये-नये आन्दोलन चलाये गये और ब्रिटेन का खुला विरोध किया गया। १९०५-६ के आन्दोलन ने देश को उन्नति की सीढी पर कुछ और आगे बढा दिया। उस समय हमारे वीर बगाली नेताओ और युवको ने ऐसे-ऐसे साहस के काम किये जो हमारे इतिहास मे स्वर्णाक्षरो मे लिखे जायेगे। हम आगे बढे। राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गाधी राजनीति के मैदान मे पहुँचे और उन्होने हमारे युद्ध का ढग ही बदल दिया। उन्होने हमे एक नया पाठ पढाया और हमने एक नये सिलसिले से लडाई शुरू की। ब्रिटिश कानूनों की न केवल अवहेलना ही की गई, किन्तु सरे-आम वह तोडे जाने लगे और हमने तनिक भी परवाह न की कि इसका क्या कठोर परिणाम भुगतना होगा। हमारे हजारो देशवासियो ने कानून तोडे और जेल गये। उन वीरो की तस्वीरे जिन्होने सग्राम मे जीवन बलिदान किया या वर्षो जेलो मे सड़ते रहे, आज हमारी आँखो के

सामने है। वास्तव मे अभी हाल का आन्दोलन, सन् १९४२ का आन्दोलन, ही इस सभा का जन्मदाता है। ब्रिटेन द्वारा इस सभा के बुलाये जाने में इस आन्दोलन का दृढ हाथ है। हमारी आगे की उन्नति के लिए इसने एक नई राह निकाल दी। ब्रिटिश हुकूमत अब भारत मे टिक नही सकती, इस वास्तविकता को देख कर ब्रिटिश गवर्नमेट की आँखे खुल गई और ससार चकित हो गया। दूसरे देशो ने खुल कर तो हमारा साथ नही दिया पर हमे यह स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी शक्ति का जो प्रमाण दिया उसके कारण वे हमे अपने लक्ष्य पर पहुँचने मे सहायक हुए। उन बडी शक्तियो ने, जो आज दुनिया को एक करने मे लगी है, हमे अवश्य सहायता दी। ससार ने यह समझ लिया है कि दुनिया के एक सुदूर कोने मे भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका व्यापक असर अत्याचारी के देश पर और उसके पडौसी देशो पर पडता है। गत दो महायुद्धो ने यह बात प्रमाणित कर दी है। आज संसार के बडे-बडे नेता उपाय ढूढने मे लगे है कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बर्बादी से कैसे बचाया जाय। वे ससार को स्वर्ग बनाना चाहते है, जहाँ न नये युद्ध होगे, न मनुष्य का रक्त बहाया जायगा, जहाँ अमीर और गरीब का भेद भाव न रह जायगा, जहाँ हर एक को भोजन और अन्न मिलेगा, जहाँ हर आदमी को यह स्वत्व हासिल होगा कि वह अपने आदर्शो के अनुसार जीवन यापन करे, जहाँ प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा, जहाँ आदर्श उच्च और उच्चतर होगे और जहाँ निवासियो के बीच एक आत्मिक सम्बध होगा।

भारत का अतीत—'वसुधैव कुटुम्बकम्'

बुद्धिमान लोग ऐसी विधि बनाने का यत्न कर रहे है, जिससे ससार उस दलदल से बाहर निकल सके जिसमे वह आज फस गया है, जिससे सारे देशो को बराबरी का अधिकार मिल सके। समय तेजी से बदल रहा है और दुनिया की शक्तियाँ इन नए विचारो को अमली रूप देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है। हम लोग भी जब इसी दुनिया मे रहते है, उनसे बच नही सकते। इन नई शक्तियो का हम भी हृदय से स्वागत करते है। ये ही शक्तियाँ हमारी बड़ी-बडी आशाओ का आधार रही है। भारत के बारे मे यह विशेष रीति से कहा जा सकता है कि उसके निवासियो ने "वसुधैव कुटुम्बकम्" का ऊँचा आदर्श सदा अपनाया है और ससार को एक देश समझा है। हमारे देश के महापुरुषो ने ससार के मनुष्यो मे कोई भेद-भाव नही माना। बहुत से विदेशी हमारे देश मे आये और हमने प्रसन्नता से उन्हे अपने गले लगाया। हमने यह नीति कभी भी अपनायी नही

जिसे कुछ मुल्को ने आज भारतवासियो के विरुद्ध अपना रखा है । हमारा इतिहास बतलाता है कि हमने बाहरी देशो से आये हुए आदमियों का सदा स्वागत किया, जो भी सहायता आवश्यक थी, हमने उन्हे दी और यहाँ बसने मे उनकी हर तरह मदद की । इगलैड के निवासी ही यहाँ पहले कैसे आये ? उन्हे यहाँ शरण दी गई । भारत मे झगडे और लडाइयाँ भी हुई पर इतिहास साक्षी है कि हमने हमेशा मानव-अधिकारो की रक्षा की । भाई-भाई के बीच मे भेद पैदा करना हम उचित नही समझते और न उनके राजनैतिक अधिकारो मे ही भेद-भाव रखते है । इसमे सन्देह नही कि हम में कमजोरियाँ थी और आज भी है । हम उनकी उपेक्षा नही कर सकते परन्तु हमारा अतीत इतिहास हमे आगे बढने के लिए प्रेरित करता है । हमे अपनी मंज़िल पर पहुँचना है, जहाँ हम समानता के आदर्शो को न केवल अपने देशवासियो के सामने वरन् दुनिया के सामने रख सके । इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा ध्यान अपने अतीत इतिहास की ओर, बीती हुई घटनाओ की ओर जाता है, हमारे सघर्ष और बलिदान की ओर जाता है, उस सहायता की ओर जाता है जो हमे दूसरे देशो से मिली है और जिसने आज हमे यहाँ समवेत किया है । इन सब से हमे बल प्राप्त करना है । हम एक ऐसा सविधान बनाने के लिए यहाँ समवेत हुए है जिससे देश को सुख-शाति मिल सके । अपनी मातृ-भूमि के प्रत्येक निवासी को समान अवसर देना हमारा लक्ष्य है ।

समानता का सिद्धान्त

जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है उसकी तह मे समानता का ही सिद्धान्त है । देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशो को स्वायत्त-शासन या शासन मे स्वतन्त्रता मिली हुई है । और हिन्दुस्तान समूचा सर्वोपरि राजसत्ता या पूरे अधिकार रखता है । उन विषयो मे, जिनमे हम एकता चाहते है, हम सब सम्मिलित रहेगे । प्रस्ताव मे सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमे भारत एक स्वतन्त्र मुल्क माना गया है । हमारा देश सम्मिलित रूप से एक है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगो को आजादी हासिल है कि वे अपने लिए जैसी हुकूमत चाहे रखे । देश का वर्तमान प्रातो मे विभाजन बदल सकता है । हम सब सम्प्रदायो के साथ न्याय करेगे और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलो मे उन्हे पूरी छूट देगे ।

स्थगित रखने का संशोधन

प्रस्ताव पर इस आशय का एक सशोधन पेश किया गया है कि प्रस्ताव तब तक मुल्तबी रखा जाय जब तक मुसलिम लीग विधान-परिषद् मे

सम्मिलित नही होती। हमे यह न भूलना चाहिये कि हर एक काम के लिये समय हुआ करता है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते है तो फिर कब यह हमारे सामने आयेगा ? हम इस बारे मे निश्चित नही है कि मुसलिम लीग कब विधान-परिषद् मे शामिल होगी। हम आज यहाँ जब एकत्र हुए है तो क्या बिना कुछ किये धरे ही यहाँ से उठ जायँ ? क्या हमे कम से कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिये आज एक लक्ष्य नही निश्चित कर लेना चाहिये ? हम केवल एक विधि-निर्माण कमेटी ही बना कर उठ जायँ ? हमारे बन्धु हमे यह राय देते है कि हम प्रस्ताव पर विचार अभी आगे के लिये स्थगित कर दे। अगर वे यही चाहते थे कि मुसलिम लीग की गैर हाजिरी मे हम यहाँ कुछ न करे तो यहाँ आये किस लिये है ?

मुसलिम लीग

हम अवश्य चाहते है कि मुसलिम लीग हमे सहयोग दे। पर क्या हम आज उनकी वर्तमान अभिलाषाओ और उद्देश्यो की पूर्ति मे कुछ भी हाथ बटा सकते है ? हम भरसक कोशिश करेगे कि मुसलिम लीग को किसी तरह हानि न पहुँचे। प्रस्ताव मे इस बात का ध्यान रखा गया है। हममे से बहुत ऐसे है जो इस बात के विरुद्ध है कि प्रान्तो को अवशिष्ट अधिकार दिये जायँ। व्यक्तिगत रूप से मै स्वय मुल्क की भलाई के लिये, हिन्दू-मुसलिम तनातनी के कारण प्रान्तो मे उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, प्रान्तो को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने का विरोध करता हूँ। बगाल तथा और प्रान्तो मे क्या हुआ ? जो हुआ है, उसे हम भली भाँति जानते है। अवशिष्ट अधिकार और राजनीतिक अधिकार (Political Rights) जिनसे देश की उन्नति और एकता में मदद मिल सकती है, केन्द्रीय या सघ सरकार के पास ही होने चाहिये। पर यह प्रस्ताव अवशिष्ट अधिकार प्रान्तो को दे देता है, ताकि मुसलिम लीग यह न कहे कि उसकी गैर-हाजिरी मे हमने मनमाने ढग से काम किया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश मत्रि-मडल द्वारा प्रकाशित स्टेट पेपर ने भी जो इस परिषद् का आधार है अवशिष्ट अधिकारो (Residuary Powers) को प्रान्तो को देने की बात कही है। हमने इस व्यवस्था को इस आशा से स्वीकार कर लिया कि इससे मुसलिम लीग हमारे साथ मिल जुल कर काम कर सकेगी। मुसलिम-लीग हमे सहयोग दे, इस बात के लिये जहाँ तक साध्य था हम आगे बढे। बल्कि मै तो यह कहूँगा कि इसके लिये हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ गये। क्योकि मुसलिम लीग का लक्ष्य हमारे लक्ष्यो से बिलकुल प्रतिकूल है। और इससे हमारे भविष्य में कठिनाइयाँ पैदा होगी। लीग की सहयोग प्राप्ति के लिये हमने अपने आदर्शो के प्रतिकूल भी बहुत सी बाते मजूर

कर ली है। अब हमे यह बन्द कर देना चाहिये और मुसलिम लीग के साथ समझौते के लिये अपने बुनियादी उसूलो को नही भूल जाना चाहिये। मै प्रस्ताव को स्थगित रखने के विरुद्ध हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव के महत्व को यह सभा समझती है। दूसरे देशो की विधान परिषदों ने अपने लक्ष्यो को सामने रख कर ही अपना काम आरम्भ किया था। यदि आप प्रस्ताव को स्थगित रखते है तो दुनिया क्या सोचेगी ? जब वे प्रस्ताव को जानेंगे तो समझेंगे कि भारत स्वतत्र होने जा रहा है। ब्रिटेन के विरुद्ध सन् १९४२ की "भारत छोडो" की लड़ाई अब हम जीतने जा रहे है। यह प्रस्ताव स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग मे बड़ा सहायक होगा। इसको मुल्तवी रखना बुद्धिमानी का काम न होगा।

अन्य संशोधन

प्रस्ताव पर और दूसरे सशोधन भी है। प्रस्ताव मे यह बात स्पष्ट कही गयी है कि समस्त सत्ता जनता के हाथ मे होगी। कुछ लोगो का सुझाव है कि "जनता" की जगह "काम करने वाली जनता" रख दिया जाय। मै इसके विरुद्ध हूँ। जनता शब्द से मतलब है तमाम निवासियो का। मै स्वय किसानो का एक सेवक हूँ। उनके साथ काम करना ही मेरे लिये एक बडा गौरव है। जनता शब्द बोधगम्य है और इसमे सभी लोग शामिल है। अत मेरी राय मे उसके पहले कोई विशेषण न रखा जाना चाहिए। ऐसे भी सशोधन लाये गए है जिनमे अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। यह सब साधारण बाते है। जमाना बदल चुका है और प्रान्तीय सरकारो ने ऐसी बातो के लिये कानून बना लिये है। इस समय बडी-बडी समस्याओ पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। ये सब सशोधन बहुत जरूरी नही है और इन्हे उपस्थित न करना चाहिये।

हिन्दू-मुसलिम भेद की सृष्टि अंग्रेजों ने की

जैसा मै कह चुका हूँ, बहुत सी विपत्तियाँ झेलने के बाद हमे सविधान बनाने का यह अवसर मिला है। सन् १९३५ मे हमे कुछ रियायते मिली थीं पर हमने अपनी लडाई सन् १९४२ तक जारी रखी। इन सघर्षो के फलस्वरूप आज हम यहाँ सविधान बनाने के लिए एकत्र हुए है। हमारे प्रयासों का क्या फल होगा हम नही जानते। हमारे पथ मे अब भी बहुतेरी बाधाये है। लदन से हमारे मित्र अब भी राय भेजा करते है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हमें परामर्श देते है कि हमे यह व्यवस्था (Formula) मंजूर कर लेनी चाहिये कि बहुमत को अपना विधान बनाना चाहिए और अल्पमत को हक है कि वह बहुमत द्वारा लगायी रुकावटो से विशेष संरक्षण मागे।

मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि यद्यपि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हमे मदद देने की बात कहते है पर उनका अभिप्राय है हमारी राह मे रुकावटे डालना। ब्रिटेन के साथ हमारे लम्बे सम्बन्धो का इतिहास बतलाता है कि हिन्दू-मुसलिम भेद-भाव की सृष्टि अग्रेजो ने की। हिन्दू-मुसलिम मन-मुटाव की समस्या जिसका राग अग्रेज अलापते है, वह तो उन्ही की पैदा की हुई है। उनके हिन्दुस्तान मे पधारने के पहिले यहाँ इस मनमुटाव का नामोनिशा भी न था। दोनो की सभ्यता एक थी और दोनो ही मित्रवत् रहते थे। क्या कलेजे पर हाथ रखकर अग्रेज कह सकते है कि वर्तमान भारतीय परिस्थिति को उन्होने नही पैदा किया है और उन्होने इसे बढावा नही दिया है। जो लोग ब्रिटेन के बहकावे मे आकर आज हमारा विरोध कर रहे है, वे हमारे ही भाई है। अवश्य ही हम उनका सहयोग चाहते है। परन्तु उनको अपने साथ लेने के लिए हम उन बुनियादी उमूलो को कुर्बान नही कर सकते जिन्हे आज तक हम अपनाये रहे और जिनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। सर स्टैफोर्ड हमे गृहयुद्ध से सावधान करते है और सीख देते है कि गृहयुद्ध बचाने के लिए हमे आपस मे मिल जाना चाहिए। कोई भी देशभक्त यह न चाहेगा कि गृहयुद्ध हो और भाई भाई का खून बहाये। आजादी की लडाई लडने के लिए कॉग्रेस ने देश के भिन्न-भिन्न वर्गो को मिलाने की सदा कोशिश की है। हमारे नेता साम्प्रदायिक झगडो मे कभी नही पडे। कॉग्रेस ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक सगठन है जिसमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध सभी सगठित हो सकते है। राजनैतिक क्षेत्र मे धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद-भाव कॉग्रेस नही मानती। यह कहना कि अमुक अमुक प्रात या वर्ग धर्म की बिना पर देश से अलग कर दिये जाये, धर्म की बात नही है बल्कि कोरी राजनीति है, ऐसी राजनीति देश की एकता को नष्ट कर देती है। हम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अन्य ब्रिटिश नेताओ से पूछते है—यदि आज से १०० वर्ष पहले या २५ वर्ष ही पहले आपके देश के भिन्न-भिन्न वर्गो को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो आज आप कैसी हुकूमत रखते? हम अमेरिका से भी पूछते है कि यदि आपके मुल्क मे भिन्न-भिन्न ईसाई सम्प्रदायो को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो क्या आपके यहाँ उसी प्रकार की गवर्नमेट होती जो आज है? क्या फिर आपके मुल्क मे निरन्तर गृहयुद्ध न हुआ होता? हमारे देश मे गृहयुद्ध की सम्भावना तो ब्रिटिश हुकूमत ने पैदा की है। ब्रिटिश गवर्नमेट अपनी पुरानी चाल चल रही है।

ब्रिटिश मत्रि-मंडल की मनोवृत्ति

ब्रिटिश मत्रि-मडल में इसी मनोवृत्ति का आभास मिलता है। उनके द्वारा दिया हुआ भाष्य भी इसी बात पर जोर देता है कि भारतीय सघ के भिन्न-भिन्न वर्गो को अधिकार है कि वे अपने लिए जैसा सविधान चाहे बनावे। जैसा वे पहिले कहते थे, आज भी कहते हैं कि प्रातो को अधिकार है कि वह चाहे तो किसी समूह (ग्रुप) मे शामिल रहें या उससे बाहर हो जाएँ। पर साथ ही अपने वक्तव्य मे वे एक ऐसी शर्त्त भी रख देते है, जो इस सम्भावना को—प्रात अपने अधिकारों को काम मे लावे—पहले से ही असम्भव कर देती है। आप एक प्रात से यह तो कहते है कि उसे हक है कि चाहे तो किसी वर्ग में शामिल हो या नही। पर साथ ही यह भी कहते है कि ग्रुप के सभी लोग विधान बनाने के लिये सम्मिलित होगे। पश्चिमोत्तर सूबा प्रात, सिध और बलूचिस्तान को पंजाब के साथ बधना होगा और आसाम को बगाल के साथ बधना होगा। इन प्रातो का सविधान ग्रुप बी और ग्रुप सी बनायेंगे। पजाब, सिध और बलूचिस्तान वाला गुट पश्चिमोत्तर सीमाप्रात के लिये विधान बनायेगा और बगाल आसाम के लिए, क्या यह ईमानदारी की बात है ? एक तरफ तो आप कहते है कि प्रात को हक है कि वह ग्रुप मे रहे या अलग हो जाय। पर आप विधान ऐसा बना देते हैं जो प्रात के गुट से बाहर निकल जाने की सम्भावना को ही खारिज कर देता है। मत्रि-मडल के वक्तव्य मे यह साफ कहा गया था कि गुट मे शामिल होना प्रातो की मर्जी पर है। वक्तव्य के अत मे गुटो से बाहर निकलने की स्वतत्रता दे दी गई। वक्तव्य के प्रथम भाग का अर्थ यह है कि गुटबदी के समय प्रात को आजादी है कि वह उसमें शामिल हो या नही। हमने तो यही अर्थ समझा और इसी लिए कॉग्रेस ने उसे स्वीकार किया। पर अब यह कहा जाता है कि गुट बनते समय भी प्रात को यह आजादी नही है कि वह गुट मे शामिल न हो और न उसे यही अधिकार है कि वह अपना विधान स्वय बनाये। विधान तो समूचे गुट के प्रतिनिधि मिलकर बनायेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हिन्दुस्तान का विभाजन मजूर कर ले और पश्चिमोत्तर सीमाप्रात और आसाम को उन लोगो के हवाले कर दें जो खुल्लमखुल्ला यह कहते है कि वे भारत को दो भागों मे विभक्त करने पर तुले है। गृहयुद्ध यदि अनिवार्य ही हो गया है तो हो, पर गृहयुद्ध की धमकी से हम गलत काम करने पर लाचार नही किये जा सकते। बहुत सम्भव है कि भारत के एक कोने मे गृहयुद्ध हो और हमे अग्रेजो से भी लड़ना हो। वे गृहयुद्ध की धमकी देते है, चाहते हैं कि हम आपस मे लडते रहे ताकि वे हम पर हुकूमत कर सकें—मुझे यह सब कहने मे दु:ख होता है।

ब्रिटिश जनता के लिये मेरे मन मे बडा आदर है। वे राजनैतिक मैदान में बहुत उन्नति कर चुके है और बुद्धिमान एव स्वातत्र्य-प्रिय है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे मन मे उनके लिये लेशमात्र भी घृणा नही है। मुझे इस बात पर बडी प्रसन्नता थी कि इग्लैड मे एक नया जमाना आया है, वहाँ की हुकूमत मजदूर दल के हाथ मे आ गई है और यह दल पुरानी नीति बदल देगा। गत सौ वर्षो से ब्रिटिश हुकूमत की नीति दूसरे मुल्को के साथ स्वार्थ और चातुरी की रही है। अपने देशवासियो के लाभ के लिये दूसरे राष्ट्रो को दबाना या खसोटना वे बुद्धिमत्ता की बात समझते रहे है। टोरियो और कट्टरवादियो की हार और नई हुकूमत के आ जाने से यह आशा थी कि ब्रिटेन की नीति बिलकुल बदल जायगी। और उनकी वैदेशिक नीति सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर स्थित होगी। पर मुझे यह देख कर बडा दुःख होता है कि उनके हाल के कुछ वक्तव्यो का यही लक्ष्य रहा है कि भारत-वासियो मे मनमुटाव पैदा हो।

विधान परिषद् स्वतन्त्र मार्ग अपना सकती है

मै यह मानता हूँ कि कॉग्रेस केबिनेट-मिशन मत्रि-मडल की योजना को मजूर करके ही, विधान परिषद् मे सम्मिलित हुई है। पर मै यह बता देना चाहता हू कि विधान-परिषद् समवेत होने के बाद अपना बिलकुल भिन्न मार्ग पकड सकती है। राजा लूई के आमत्रण पर फ्रास मे परिषद् समवेत हुई। जब प्रतिनिधियो ने देखा कि वे जो करना चाहते है, नही कर सकते तब उन्होने अपनी स्वतत्र कार्यवाही प्रारम्भ की। अपनी आर्थिक माग स्वीकार कराने के लिये राजा ने उन्हे आमत्रित किया था पर उनका इरादा समझ कर उसने परिषद् को भंग करना चाहा पर परिषद् ने विघटित होने से इनकार कर दिया। हमारी परिषद् ब्रिटिश हुकूमत के आमत्रण पर समवेत हुई है पर हम स्वतत्र है कि अपने इच्छानुसार कार्य सचालन करे। हममे से कुछ इसके विरुद्ध थे कि कॉग्रेस परिषद् मे शामिल हो। वे ब्रिटिश कूटनीति से डरते थे पर काग्रेस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मेरी विनम्र राय भी यही थी कि हमे इसमे शरीक होना चाहिये। मुझे अपने साथियों की शक्ति और दृढता में विश्वास था। यह अवसर खोने का नही था। यदि ब्रिटेन की अड़गेबाजी के कारण हम सफल न हुए तो कम से कम दुनिया को तो हम यह बता सकेगे कि हम कैसा सविधान चाहते है। हमारे सभापति ने अपने भाषण मे बहुत सी सिद्धात की बाते कही है। उनके मुख से यह सुनकर कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लगाये गये प्रतिबधो के हम पाबन्द न होगे, हमारा हौसला बढ़ गया है।

इस सभा मे ब्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नही

कर सकते कि भारत वर्गो मे विभक्त कर दिया जाय और प्रान्तो का विधान बनाने का अधिकार उन्हे दे दिया जाय जो भारत को विभक्त करने पर तुले हुए है। मैं यह सब कहना नही चाहता था पर यह कह देना मुझे अपना फर्ज मालूम पड़ता है कि मुसलिम लीग की ओर से दावे पेश करने मे ब्रिटिश हुकूमत अपनी सच्चाई की कमी जाहिर करती है।

मुसलिम लीग की आड़ में ब्रिटिश गवर्नमेंट तीर चला रही है

किसी ने यह ठीक कहा है कि लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोर्चा है। पडित नेहरू ने अभी उस दिन कॉग्रेस मे कहा था कि दर्मियानी गवर्नमेंट मे शामिल होने वाले लीगी-सदस्य सम्राट् की पार्टी की तरह आचरण कर रहे है। तथ्य यह है कि लीग को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से धोखा दिया जा रहा हैं। वे हमारे देशवासी है, हमारे भाई है और उनके साथ समझौता करने के लिये हम हमेशा तैयार है। आज ब्रिटिश हुकूतम लीग को मोर्चा बना कर उसके पीछे से हम पर तीर चला रही है। हम ब्रिटिश वार को खूब समझते है और हमे अपनी रक्षा करनी है। जो विधान हम बनायेंगे उसमे यह कोशिश करेंगे कि हम उन तीरो से बच सके। ऐसा करने मे यदि हमे ब्रिटिश हुकूमत और उसके हिमायतियो से लड़ना पडे तो हम उसके लिये तैयार है। हमे पक्का विश्वास है कि हम सब बाधाओ पर विजय पायेंगे। यह हमारे लिये परीक्षा का काल है। ज्यो-ज्यो सफलता सन्निकट आती जाती है तरह-तरह की कठिनाइयाँ पैदा होती जाती है। जब योगी योग के ऊँचे स्तर पर पहुँचता है तो प्रेतात्माये उसे परेशान करती है। वे उसे धमकाती है और धोखा देने की कोशिश करती है। हम सफलता के निकट पहुँच गये है और भिन्न-भिन्न दुष्प्रवृत्तियाँ हमे अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिये आज सर उठा रही है। हमारा कर्तव्य है कि उनके जाल मे न पड़े और न उनसे भयभीत हों।

भारत के विभाजन का विरोध

सविधान बनाने में यह स्मरण रखना चाहिये कि हम चाहे जो योजना बनाये, भारत को विभक्त करने का प्रस्ताव कभी स्वीकार न करेंगे। भारत एक रहना चाहिये। इस तरह अपनी प्राचीन सभ्यता की रक्षा करते हुए हम आगे बढ सकेंगे और विश्व की शान्ति-स्थापना में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे।

२

हिन्दी—राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भारतीय संविधान सभा मे सितम्बर १९४९ को दिये गये अंग्रेजी भाषण का अनुवाद।

अध्यक्ष महोदय! मै उन सब विस्तृत विषयो पर नही बोलना चाहता जिन पर मेरे पूर्व वक्ताओ ने अपने मत प्रकट किए है। मैंने श्री गोपालस्वामी आयगर द्वारा प्रस्तावित सशोधनो पर कुछ सशोधन उपस्थित किए है। मुझे जो कुछ भी कहना है, उसमे मै अपने प्रस्तावो के उद्देश्य को ही यथासम्भव ध्यान मे रखूँगा।

श्री आयंगर की तीन कल्पनाएँ

श्री गोपालस्वामी आयगर के भाषण मे उनके प्रस्तावो की आत्मा झलकती है। उनके अनुसार अग्रेजी भाषा के बल पर ही हमे स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई है और अग्रेजी का प्रशासन सम्बन्धी कार्यो के लिए उपयोग, उनके शब्दो में, आने वाले अनेक वर्षो तक बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि उनके प्रस्ताव के अनुसार १५ वर्ष तक भारतीय सघ की भाषा अग्रेजी रहनी चाहिए वास्तव मे १५ वर्षो से भी अधिक समय तक वह अग्रेजी को बनाए रखने के पक्ष मे है। उनका दूसरा मुख्य विचार यह है कि कोई भी प्रान्तीय भाषा, जिसमे हिन्दी भी सम्मिलित है, इतनी विकसित नही है कि वह ऐसी भाषा की आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके, जिसे शासन के विविध अगो का भार वहन करना हो, विशेषकर विधि सम्बन्धी आस्थाओ एव गहन विचारो के क्षेत्र मे। उनकी समस्त योजना के प्रस्ताव इन्ही दो मुख्य धारणाओ पर निर्धारित है और उनसे ही रजित है।

उनके प्रस्तावो मे एक तीसरी विचित्र कल्पना यह है कि समय की गति के साथ भारत मे अग्रेजी भाषा का चाहे जो कुछ भविष्य हो, किन्तु अग्रेजी भाषा से जिन गणित अको को हमने सीखा है और जो उनके प्रस्ताव मे भारतीय अको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के नाम से पुकारे गए है, वे अवश्य ही बने रहे और नागरी लिपि के अविच्छिन्न अग बन जायँ और वे हमारी देवनागरी लिपि के सस्कृत अको का स्थान ग्रहण करे—जहाँ कही भी और जब कभी भी भारतीय सघ के कार्यो मे देवनागरी लिपि का प्रयोग हो।

मै विनम्रतापूर्वक इस सभा के माननीय सदस्यो से अनुरोध करूँगा कि वे इन तीनो विषयो को यह स्मरण रखते हुए अधिक गहराई तक देखे

कि आज हम लोग जो कुछ कर रहे है उसका सम्बन्ध केवल हमसे ही नही है और न उन विभिन्न प्रान्त निवासी अल्पसख्यक स्त्री-पुरुषों से ही है, जिनकी अग्रेजी ढग से शिक्षा हुई है और जिनका अग्रेजी भाषा से ही पोषण तथा विकास हुआ है, वरन् हमारे इन निर्णयो का प्रभाव उन करोडो पुरुषो और स्त्रियो पर पडेगा, जिनका अग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क नही रहा है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क होना असम्भव है, और जिन्हे उनकी वर्तमान दशा से ऊपर उठाकर लोकतन्त्र तथा प्रशासन का प्रशिक्षण देना है। श्रीमन् ! हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आज हम यहाँ जो कुछ निर्णय करते है उनका प्रभाव केवल वर्तमान पीढी के लोगो पर ही नही पडेगा वरन् उनसे आने वाली पीढियो के भाग्य का भी रूपाकण होगा।

वर्त्तमान अतीत से बद्ध

प्रधान मन्त्री जी ने अपने ढंग से हम लोगो को चेतावनी दी है कि हम पीछे की ओर न देखे और ऐसा कोई भी पग न उठावे जो हमे पीछे ले जाय। मै सदैव इस विचार से पूर्णतया सहमत रहा हूँ और मैने स्वय भी अनेक अवसरो पर कहा है कि हमने विगतकाल मे जो कुछ प्राप्त किया है उसी पर सन्तुष्ट नही रह सकते और न हम प्राचीन ढाँचो मे अपने को पूर्णतया ढाल ही सकते है। मैने लोगो के सम्मुख यह आदर्श रखे है—

समयभेदेन धर्मभेद ।
अवस्थाभेदेन धर्मभेदः ॥

समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे धर्म और कर्तव्यो मे परिवर्तन होता है। यह प्राचीन सूक्तियाँ है। हमे यह स्मरण रखना है कि हमारे जीवन-क्रम की साधारण प्रणालियाँ एक समय तक रहती है और फिर चली जाती है। ससार गतिशील है। आज की प्रणालियाँ कल नई प्रणालियो, रीतियो और विचारधाराओ को स्थान दे देती है। प्राचीन के पादमूल के पीछे एक नवीन सौदर्य चलता रहता है। यदि हम चाहे तो भी जीवन के इस महान मूलभूत तत्त्व से अपना पीछा नही छुडा सकते।

श्रीमन् ! साथ ही साथ जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा है, हमे यह स्मरण रखना है कि हमारी जड अतीत मे है और उससे हम अपना सम्बन्ध-विच्छेद नही कर सकते। एक प्रकार से हम अतीत के सग एक सुदृढ किन्तु अदृश्य आकाशिक शृंखला से बधे हुए है, जो समय के साथ निरन्तर बढती चली जाती है, किन्तु न तो टूटती है और न तोड़ी ही जा सकती है। अत हम जो कुछ भी करने का प्रयत्न करे हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हम अपनी भवितव्यता की ओर आगे बढते जायं वैसे वैसे अतीत से हमको बाधने वाली वह लबी और दृढ शृंखला दुर्बल न होने

पाये, वरन् होना तो यह चाहिए कि वह प्रत्येक पग पर और भी दृढ होती जाय । मेरा निवेदन है कि हमारा तात्विक राजनीतिक सिद्धांत यह होना चाहिए कि हमारा जीवन भूतकालिक न हो वरन् वह उस वर्तमान मे हो, जो हमे अतीत से बाधे रखता है ।

मै उन सब गुणो अथवा अच्छाइयो को ग्रहण करने के पक्ष मे हूँ, जो पश्चिम हमे सिखा सकता है । परन्तु मै यहाँ समुपस्थित सभी सज्जनो से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे इस बात को स्मरण रखे कि पश्चिम मे चमकने वाली सभी वस्तुएँ सुवर्ण नही है । केवल पश्चिमी होने के कारण कोई वस्तु सर्वथा गुणप्रद नही हो जायगी । हमारे देश ने भी ऐसी उच्चकोटि की विचारशील सस्कृति को जन्म दिया है जो समय की गति के साथ, सभवत सम्पूर्ण मानवजाति के भाग्य निर्माण पर अधिकाधिक प्रभाव डालेगी ।

१५ वर्षो के लिये अंग्रेजी

मै चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगण उपर्युक्त सिद्धातो को दृष्टि मे रखते हुए उस प्रस्ताव पर विचार करे, जिसे हमारे मित्र श्री गोपालस्वामी आयगर ने स्वीकृति के लिए उपस्थित किया है । मै इसे पढ कर सुनाऊँगा नही । मै मान लेता हूँ कि आप सब इसकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण धारा से परिचित है । यह प्रस्ताव अग्रेजी भाषा के कम से कम १५ वर्षो तक बने रहने की कल्पना करता है—न केवल बने रहने की वरन् सघ के प्रत्येक कार्य मे अग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को बनाए रखने की भी । मेरी मान्यता थी कि यद्यपि यह आवश्यक होगा कि आने वाले कुछ समय तक अग्रेजी शासकीय कार्यो मे चलती रहेगी तथापि वह अवधि इतनी लम्बी नही होगी । मैने सोचा था कि इससे बहुत थोडे समय मे ही हम जनता के निकट पहुँच सकेगे और जनता द्वारा समझी जाने वाली भाषा मे कार्य कर सकेंगे । मै यह बात भूल नही जाता कि हमारे दक्षिण के भाइयो के लिए जो यहाँ उपस्थित है हिन्दी, जिसे शासकीय भाषा बनाने का प्रस्ताव है, सीखने मे अत्यन्त सरल न होगी । फिर भी मेरा निवेदन है कि दक्षिणवालो के लिए हिन्दी सर्वथा अपरिचित नही है । उन राष्ट्रपिता के आदेशों पर, जिनका नाम-स्मरण सदैव हमारे हृदय की सूक्ष्मतत्री को स्पर्श करता है, दक्षिण भारत में १९१८ ई० मे हिन्दी का कार्य आरम्भ किया गया था । इस अवधि मे वहाँ के कई लाख पुरुषो और स्त्रियो ने हिन्दी सीख ली है । जैसा यहाँ उपस्थित मेरे मित्र श्री मोटूरि सत्यनारायण अच्छी तरह बतला सकते है प्रतिवर्ष लगभग ५५ से ६० हजार तक परीक्षार्थी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (जिसका नाम अभी हाल मे हिन्दुस्तानी प्रचार सभा कर दिया गया है) की हिन्दी परीक्षाओ मे बैठते है ।

एक माननीय सदस्य—वे केवल लिख पढ सकते है। किन्तु अपना अभिप्राय व्यक्त नही कर सकते।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—ऐसा सम्भव है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पता चलता है कि हिन्दी भाषा दक्षिण भारत के लिए कोई नई वस्तु न होगी। मेरी ऐसी धारणा थी कि हिन्दी को मद्रास की युवक पीढी के निकट लाने के लिए १५ वर्ष जैसी लबी•अवधि की आवश्यकता न होगी। किन्तु जैसा पन्त जी ने कहा है, यह बात हमारे दक्षिण के भाइयों के कहने की है कि उन्हे कितने समय की आवश्यकता है और मै इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस विषय मे हमे उनके हाथ नही बाधना चाहिए। हम उनको अपनी सेवाए अर्पित कर सकते है, परामर्श दे सकते है, किन्तु इस बात का फैसला हम उन पर ही छोडते है कि उन्हे कितना समय चाहिए और वह कितने समय मे अपनी जनता को संघ के प्रशासनिक कार्यो मे हिन्दी का व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते है। हमने इसी बात को ध्यान मे रखकर १५ वर्षो की अवधि स्वीकार की। पहले हमने ५ वर्ष, फिर बढाकर १० वर्ष और अन्त मे जब हमने देखा कि हमारे दक्षिण के भाई १५ वर्ष की अवधि चाहते है, तो हमने इसे स्वीकार कर लिया। किन्तु श्री आयगर के प्रस्ताव मे एक कठोर प्रतिबन्ध है। वह यह कि ५ वर्ष और उससे भी अधिक समय तक अग्रेजी के साथ के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग ही न हो, जब तक एक कमीशन सिपारिश नही करता और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नही होती। यह मुझे कठोर उपबन्ध लगता है। यह कुछ कोमल हो सकता था। यह क्यो आवश्यक है कि हिन्दी को उन शासकीय कार्यो से पूर्णतया पृथक् रखा जाय, जिनमे हिन्दी का प्रयोग हमारे दक्षिण के मित्रो को किसी प्रकार की असुविधा पहुँचाये बिना ही किया जा सकता है? वर्तमान उपधारा के अनुसार भारतीय संघ का कोई मन्त्री किसी भी सरकारी विषय पर किसी को हिन्दी में पत्र नही लिख सकता, जब तक कि उस पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद न हो। स्पष्ट है कि ऐसी दशा मे तो हिन्दी के प्रयोग की कोई आशा नही है। अत स्थिति यह है कि ५ वर्ष या उससे अधिक समय तक, जब तक कमीशन सिपारिश नही करता और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नही होती, अग्रेजी से अनुवाद करने के सिवा कोई कार्य हिन्दी मे नही हो सकता। आप कोई पुस्तक अग्रेजी मे प्रकाशित कर सकते है और उसका हिन्दी मे भी अनुवाद कर सकते है। बस, केवल इतना ही कार्य ५ वर्ष या उससे भी आगे तक हो सकता है। यह कठोर शर्त है। किन्तु फिर भी मै इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ कि अग्रेजी के साथ के अतिरिक्त कोई काम ५ वर्षो तक हिन्दी मे न हो।

आयोग की नियुक्ति, प्रस्तावित सशोधन

किन्तु मै आपसे कहूँगा कि ५ वर्ष के बाद क्या होगा—इस बात पर विचार करे। श्री आयगर के प्रस्ताव के अनुसार ५ वर्ष की समाप्ति पर एक कमीशन की नियुक्ति होगी, जो भाषा के प्रश्न पर विचार करेगा। निश्चय ही इसका तात्पर्य ५ वर्ष की इस अवधि को २ वर्ष तक और बढाना होगा, क्योकि कमीशन की नियुक्ति के बाद उसकी बैठके होगी और सभवत. वह समूचे देश का पर्यटन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसके बाद एक ससदीय समिति बैठेगी, जो इस कमीशन के सुझावो पर विचार करेगी और फिर अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगी। मेरा निवेदन है कि कमीशन की नियुक्ति ५ वर्ष की समाप्ति के "पहले" ही की जाय। मै कोई समय निर्धारित नही करता, मेरा तो सशोधन केवल यह है कि "५ वर्ष की समाप्ति पर" के स्थान मे "५ वर्ष की समाप्ति के पहले" कर दिया जाय, जिससे रिपोर्ट समय पर तैयार रहे और सरकार ऐसी स्थिति मे हो कि वह आदेश दे सके कि ५ वर्ष की समाप्ति के बाद हिन्दी-व्यवहार मे जो परिवर्तन आवश्यक जान पडे उनको लागू किया जा सके। यह छोटा सा सशोधन मैने प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि वह स्वीकार कर लिया जायगा। इसका तात्पर्य केवल यह है कि ५ वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही कमीशन की नियुक्ति हो जायगी। किन्तु मैने अपने सशोधन मे यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी सिपारिशे स्वीकृत होगी, उन्हे ५ वर्ष की समाप्ति के बाद ही लागू किया जायगा। मै इस पर सतोष करूँगा कि ५ वर्ष के भीतर हिन्दी मे केवल वही काम होगा जो अग्रेजी का अनुवाद हो।

इसी प्रकार कुछ अन्य उपवाक्यो मे मैने कुछ सशोधन प्रस्तावित किए है। जैसा अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है इन सशोधनो के विषय में यह मान लिया गया है कि वे पेश किए जा चुके है। अत मै उन्हे पढूँगा नही, केवल उनका साधारण प्रयोजन बताऊगा। एक ससदीय समिति का सुझाव दिया गया है और यह कहा गया है कि वह कमीशन की सिपारिशो पर रिपोर्ट देगी। मैने एक छोटा उपवाक्य जोड दिया है कि यह समिति अपनी भी सिपारिशे दे सकती है, "ऐसी सिपारिशे, जिन्हे वह उपयुक्त समझे।" यह थोडे से शब्द मैने उस उपवाक्य मे जोड़ दिए है, जिसका सम्बन्ध समिति की नियुक्ति और कमीशन की सिपारिशो पर उस समिति की रिपोर्ट से है। मेरी माग केवल यह है कि यह संसदीय समिति भी, यदि उचित समझे तो, सिपारिशे करे और फिर सरकार समिति तथा कमीशन दोनों की सिपारिशो पर निर्णय करे।

२०१-ख मे मैने यह सशोधन प्रस्तावित किए है।

अन्य संशोधन

अब मै प्रादेशिक भाषाओ सम्बन्धी अध्याय २, श्री आयगर के प्रारूप की ३०१-ग धारा को लेता हूँ। इसमे कहा गया है कि—

" कोई भी राज्य विधि द्वारा राज्य मे व्यवहृत किसी भी भाषा को अथवा हिन्दी भाषा को राज्य के कुछ या समस्त शासकीय कार्यो में प्रयुक्त किए जाने की स्वीकृति दे सकता है।"

मै इससे सहमत हू। मै उस उपबन्ध पर आपत्ति करता हूँ जिसमे कहा गया है—

"जब तक राज्य की विधान सभा कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था नही करती तब तक अग्रेजी भाषा राज्य के उन शासकीय कार्यो मे प्रयुक्त होती रहेगी जिनमें उनका प्रयोग सविधान के आरम्भ होने के समय हो रहा था।"

मेरी समझ मे नही आता है कि राज्यो मे अग्रेजी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है कि सविधान के आरम्भ होने के समय उनमे कही कही अग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा हो, किन्तु इसमे वे परिवर्तन करना चाहते हो। मै जानता हूँ कि आपने यह व्यवस्था की है कि वे कानून द्वारा परिवर्तन कर सकते है, किन्तु हो सकता है कि वे अग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओ का भी प्रयोग करते हो। अत. मै इस उपबन्ध के स्थान पर यह वाक्य रखना चाहता हूँ—

"जब तक कि राज्य की विधान सभा कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था नही करती तब तक वह भाषा या भाषाएँ जो राज्य के शासकीय कार्यो मे सविधान के आरम्भ होने के समय प्रयुक्त हो रही थी, उसी प्रकार प्रयुक्त होती रहेगी।"

मेरे अपने ही राज्य मे शासकीय कार्यो मे हम लोग हिन्दी का व्यवहार कर रहे है। बिहार और मध्य प्रदेश में भी, मै समझता हूँ, उसी का प्रयोग हो रहा है। तब फिर हमारे लिए यह क्यो आवश्यक हो कि हम एक नया कानून बनाकर फिर से हिन्दी को स्वीकार करे। आजकल हम हिन्दी का व्यवहार सरकार के आदेश से कर रहे है, और इसलिए मेरे सुझाए हुए शब्द अधिक उपयुक्त होगे।

फिर धारा ३०१–ई मे कहा गया है कि "जब राष्ट्रपति को इस बात का सन्तोष हो जाय कि राज्य की जनता का एक बडा अश किसी अन्य भाषा का प्रयोग चाहता है तो वह आदेश दे सकते है कि उस भाषा को भी राजकीय मान्यता दी जाय।" मै इससे सहमत हूँ, परन्तु मुझे उचित लगता है कि इस सम्बन्ध मे कॉग्रेस कार्य समिति के निर्देश का अनुसरण किया जाय

और जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात नियत कर दिया जाय, जिसकी माँग पर किसी भाषा को राजकीय मान्यता दी जा सके। मेरे विचार में कार्य समिति ने २० प्रतिशत निर्धारित किया है, जिसे हम भी स्वीकार कर सकते है। अन्यथा केन्द्रीय सरकार के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जायगा कि वह किसे स्वीकृत करे और किसे अस्वीकृत। इस प्रकार से कुछ उलझन भी हो सकती है और कुछ प्रान्तो मे कटुता भी बढ सकती है। यदि अनुपात स्थिर कर लिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार का मार्ग स्पष्ट होगा।

और फिर अध्याय ३ मे—"सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयो की भाषा" के सम्बन्ध मे उपस्थित प्रस्ताव—श्री आयगर मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करेंगे—स्पष्टतः प्रतिगामी है। आपने हिन्दी को राजकीय भाषा स्वीकार किया है। मै मानता हूँ कि आप चाहते है कि हिन्दी शनै शनै. अग्रेजी का स्थान ग्रहण करे। किन्तु यह तभी सभव है जब आप हिन्दी को कम से कम हिन्दी भाषी राज्यो मे अग्रेजी का स्थान लेने का अवसर देगे। मै जानता हूँ अहिन्दी प्रान्तो को हिन्दी के प्रयोग में कठिनाइयाँ है, किन्तु हिन्दी प्रान्तो को तो हिन्दी के व्यवहार में कोई कठिनाई नही है। आप कठिनाइयो को और भी बढा चढा कर न रखे। यह कहा गया है कि हिन्दी मे उपयुक्त मुहावरे, वाक्याश तथा पारिभाषिक शब्दावली अप्राप्य है। अस्तु, यह बात आप उन पर छोड दीजिए जो हिन्दी मे कार्य करेंगे। मेरे अपने ही प्रदेश मे विधेयको तथा अधिनियमो की मूल भाषा हिन्दी ही होती है। स्पष्ट ही हमारे दक्षिण के भाइयो के लिए हमारे इस कार्य से कोई कठिनाई नही होती। आप हमे अपना सब कार्य अग्रेजी भाषा मे करने के लिए क्यो विवश करे, जब हम पहले से ही उसे हिन्दी मे कर रहे है।

फिर आप का कहना है कि जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयो का सम्बन्ध है, उनका कार्य भी १५ वर्षो तक अग्रेजी भाषा मे ही होना चाहिए। मै इससे सहमत हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य १५ वर्षो तक अग्रेजी मे हो, किन्तु मेरा निवेदन है कि यह आवश्यक नही है कि उस काल मे सब उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) भी अपना कार्य अग्रेजी मे करे। उच्च न्यायालय दो श्रेणियो मे विभक्त हो सकते है। राज्यो में कुछ ऐसे उच्च न्यायालय है, जिनमे कुछ नये भी है, जहाँ कार्य हिन्दी मे हो रहा है और परम्परा से होता आया है। उदाहरणार्थ ग्वालियर अथवा इन्दौर को ले लीजिए। मुझे मालूम है कि वहाँ अग्रेजी का भी प्रयोग हुआ है, बाहर से आए हुए कुछ न्यायाधीशो ने अपना काम अग्रेजी मे किया और उसकी उन्हे अनुमति भी दे दी गई, किन्तु फिर भी बहुत सा कार्य साथ-साथ हिन्दी मे होता रहा है। क्या आप उसे रोक देगे? इसी

प्रकार एक उच्च न्यायालय राजस्थान मे है और कुछ अन्य राज्यों मे भी है। क्या आप इन उच्च न्यायालयो को हिन्दी मे कार्य करने से रोक देंगे ? उपस्थित प्रस्ताव के अनुसार इन उच्च न्यायालयो का समस्त हिन्दी कार्य असम्भव हो जायगा। मेरा निवेदन है कि इसमे अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए ।

साथ ही एक अन्य कोटि ऐसे उच्च न्यायालयो की है, जो अपना काम अग्रेजी मे करते रहे है, किन्तु जो १५ वर्ष से कही पहले ही हिन्दी को अपना सकते है। मेरे अपने प्रदेश के या बिहार अथवा मध्य प्रदेश के ही उच्च न्यायालयो को ले लीजिए। मेरे मन मे यह बात स्पष्ट है कि हमारा उच्च न्यायालय पाँच वर्षो के पश्चात् पूर्णतया हिन्दी मे कार्य करना आरम्भ कर सकता है। धीरे-धीरे आगामी ५ वर्षो मे समस्त कार्य पद्धति निश्चित की जा सकती है और हिन्दी की आवश्यकताओ के अनुरूप बनाई जा सकती है। पारिभाषिक शब्दावली कोई अडचन नही उपस्थित करेगी। उसका निर्माण तो हो ही रहा है। बहुत कुछ शब्दावली तो है ही और फिर आवश्यक शब्दावली का निर्माण कोई बहुत कठिन कार्य नही है। हिन्दी कोई नयी भाषा नही है। जब आयरलैड ने अपना सविधान बनाया तो उसने आयरिश भाषा को अपनाया था, जिसमे न तो अधिक साहित्य था और न पर्याप्त शब्दावली ही थी। किन्तु फिर भी आयरलैड ने उसे ही अपनाया। हमारी भाषा हिन्दी तो अत्यन्त शक्तिशाली भाषा है। श्री आयगर ने कहा है कि इस भाषा मे आवश्यक पारिभाषिक शब्दावली का नितान्त अभाव है। मै उनकी इस उक्ति पर क्या कहूँ ? उन्होने स्वय ही कहा है कि वे इस भाषा से परिचित नही है और फिर भी वे इसके सम्बन्ध मे अपना निर्णय दे रहे है ! मेरा निवेदन है कि यह न्याय नही है। मै तो कहता हूँ कि हिन्दी सस्कृत के साधनो सहित, जिस विषय मे इस सदन मे इतना कहा जा चुका है, जिसका मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूँ—हिन्दी संस्कृत की सहायता से पारिभाषिक शब्दावली की समस्त कठिनाइयो का सरलता से सामना कर सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ५ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही हम उच्च न्यायालय का काम हिन्दी मे चला सकते है। किन्तु मेरा तो कहना है कि ५ वर्ष का यह समय तो पर्याप्त है ही। हमे इसकी आवश्यकता नही है कि पन्द्रह वर्षो की अवधि तक हमारा कार्य अग्रेज़ी मे ही चले। फिर इतनी लबी अवधि तक हमारे लिए यह अनिवार्य क्यो किया जाय कि हम अग्रेजी मे काम करते रहे ? हमें विकास करने का यथेष्ट अवसर दीजिए और पन्द्रह वर्ष के बाद सभी प्रमुख कार्य, जैसे भारतीय सघ का कार्य, करना सरल हो जायगा, क्योकि हिन्दी प्रदेश ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देंगे, तथा वे

उस पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर लेगे जो समस्त देश के लिए सहायक होगी।

मौलाना हसरत मोहानी (युक्तप्रांत-मुस्लिम)—हिन्दी प्रान्तो से आपका क्या आशय है ?

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै उन प्रान्तों की ओर सकेत कर रहा हूँ जिन्होने हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए युक्तप्रान्त ने औपचारिक रूप मे हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है, इसी प्रकार बिहार ने भी किया है

मौलाना हसरत मोहानी—क्या युक्तप्रान्त उर्दू प्रान्त है या हिन्दुस्तानी प्रान्त ?

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—यह आपका विचार हो सकता है। मै हिन्दी, हिन्दुस्तानी अथवा उर्दू के झमेले मे नही पडना चाहता। मेरा तो इतना ही कहना है कि युक्तप्रान्त मे हिन्दी राजकीय भाषा मान ली गई है और इसी भाषा मे सभी सरकारी अधिनियम और विधिकार्य आजकल स्वीकार किए जा रहे है। निस्सदेह बहुत काम अब भी अंग्रेजी मे हो रहा है, किन्तु क्रमश वह भी हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा होने लगेगा।

अंकों का प्रश्न

यह मेरे सुझाए गए कुछ साधारण परिवर्तन है। अब मै ३०१-क सम्बधी अपने मुख्य सशोधन पर आता हूँ, जो अको के विषय मे है। श्रीमन् ! मुझे ज्ञात है कि अको सम्बधी विवाद से कुछ कटुता उत्पन्न हुई है। मै उस कटुता को कदापि बढाना नही चाहता, मै यथासम्भव उसका निवारण करूँगा। मुझे ज्ञात है कि मेरे मद्रास के मित्र हिन्दी अको को बदलना चाहते हैं।

माननीय सदस्यगण—बगाल भी।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै यदि अशुद्ध कहूँ तो आप उसे सुधार सकते है, परन्तु मैने अपने बगाली मित्रो से ऐसा कभी नही सुना।

माननीय सदस्यगण—बम्बई भी। वास्तव मे सब अहिंदी भाषी लोग यही चाहते है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मेरा निवेदन यह है कि कम से कम कहा जाय तो यह ठीक नही है कि सभी अहिंदी भाषी क्षेत्र यह परिवर्तन चाहते है। मै शंकरराव देव और डा० अम्बेडकर से, जो यहाँ उपस्थित है, पूछता हूँ कि क्या महाराष्ट्र के लोग इसे स्वीकार करेंगे ?

श्री शंकरराव देव—मै कहता हूँ कि जो मेरा मत है वही महाराष्ट्रियो का भी मत होगा।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—महाराष्ट्र के विषय मे मै अपनी जानकारी से निवेदन करता हूँ कि लिपि समान होने के कारण यदि वहाँ जनमत सग्रह हो तो महाराष्ट्र के लोग तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अको को स्वीकार नही करेगे।

माननीय सदस्यगण—यदि भारत मे इस विषय को लेकर जनमत सग्रह हो तो हिन्दी चली जायगी।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै माननीय सदस्यो से यह प्रार्थना करूँगा कि वे एक-एक करके मुझे टोके और एक ही समय मे अनेक लोग न बोले। मुझे श्री शकरराव देव और डा० अम्बेडकर का कथन सुनकर प्रसन्नता होगी।

माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी—इस विषय पर जनमत सग्रह क्यो न किया जाय ?

श्री एच० जे० खाण्डेकर—(मध्य प्रदेश तथा बरार: साधारण) मै भी महाराष्ट्रीय हूँ, और मै कह सकता हूँ कि वे अन्तराष्ट्रीय अको को स्वीकार नही करेगे।

डा० पी० एस० देशमुख—(मध्य प्रदेश तथा बरार : साधारण) मै भी महाराष्ट्रीय हूँ और मै कहता हूँ कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अंको को स्वीकार नही करेगे।

अध्यक्ष—यह आवश्यक नही है कि किसी प्रस्ताव विशेष पर सदस्य-गण अपना व्यक्तिगत मत प्रकट करे।

माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी—माननीय सदस्य मत पूछ रहे है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैने अपना विचार उपस्थित किया, आप उससे सहमत हो या न हो। मैने डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी से अपना मत प्रकट करने को नही कहा है। मैने तो यह कहा था और यही बात अब भी मै यहाँ कहता हूँ कि यदि यह विषय महाराष्ट्र के लोगो के सम्मुख रखा जाय तो वे इसे स्वीकार नही करेगे। मेरा भी उस प्रान्त से सम्पर्क है। और मेरे मित्र श्री मुनशी चाहे कुछ भी कहे, मै तो यही कहता हूँ कि यदि यह प्रश्न गुजरातियो के सम्मुख रखा जाय तो वे भी इसे स्वीकार नही करेगे। **(कई माननीय सदस्यों द्वारा अन्तर्बाधा)** क्या यह आवश्यक है कि इतने अधिक लोग एक ही साथ बोले ? यदि एक व्यक्ति बाधा डाले तो मै उसे सुन सकता हूँ किन्तु जब चार-पाँच व्यक्ति एक ही साथ बोल पडते है तो मै किसी को भी नही सुन पाता।

मैने श्री शकरराव देव की बात सुनी। वे कहते है कि यदि सम्पूर्ण

सविधान जनता के सम्मुख रखा जाय तो वे उसे स्वीकार नही करेंगे।

श्री शंकरराव देव—उनमें से अधिकाश।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—यदि ऐसा है तो इसका अधिकांश रद्दी की टोकरी मे फेक देने योग्य है। यदि सविधान का कोई भी भाग देश की जनता को स्वीकार नही होगा तो उसको यहाँ स्वीकृत नही होना चाहिए। मै अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि मै समूचे देश मे इस विषय पर जनमत गणना को सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। यदि प्रान्त हिन्दी को स्वीकार नही करते तो मै वहा के लोगो पर हिन्दी को कभी नही लादूँगा। फिर तो मै तत्काल कहूँगा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा नही होना चाहिए। हिन्दी को किसी प्रान्त पर क्यो थोपा जाय ? यह तो प्रान्तो को निर्णय करना है कि वे हिन्दी को स्वीकार करते है या नही। वे चाहे तो अग्रेजी को ही चालू रख सकते है अथवा वे एसपेरैण्टो ऐसी किसी कृत्रिम भाषा को अपना सकते है। यदि उनका ऐसा विचार है तो मै उसे स्वीकार करूँगा। किन्तु जनता की इच्छा को जानने का कोई मार्ग तो निकालना ही चाहिए। विद्यार्थियो की एक संस्था द्वारा हाल मे एक परीक्षण मत-सग्रह हुआ है। हम लोगो ने उसके विषय मे पढा है। समस्त देश मे जनता के विचारो को संगृहीत करने का कोई दूसरा उपाय भी अपनाया जा सकता है। ऐसा मद्रास मे भी हो। यहाँ मेरे मित्र चाहे कुछ भी कहे मुझे तो आशा है कि मद्रास की बहुसख्यक जनता हिन्दी चाहेगी।

कई माननीय सदस्य—नही, नही।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—किन्तु यदि कोई जनमत ग्रहण सभव न हो तो मै उन सब से प्रार्थना करूँगा जिनके हाथ मे आज सत्ता है कि वे अपने हृदय की क्षीण वाणी को सुने और कोई ऐसी छोटी भी बात स्वीकार न करे जो उन्हे लगता है कि जनता स्वीकार न करेगी।

मौलाना हसरत मोहानी—मै युक्तप्रान्त मे जनमत सग्रह की माग करता हूँ कि वहाँ हिन्दी हो वा हिन्दुस्तानी। वहाँ एक भी व्यक्ति सस्कृत-निष्ठ हिन्दी नही बोलता।

अध्यक्ष—क्या मुझे यह बताना आवश्यक है कि इस सविधान सभा पर देश के सविधान बनाने का कर्त्तव्य सौपा गया है। इस सभा के सविधान में जनमत सग्रह कराने का कोई उपबन्ध नही है, अत सम्पूर्ण सविधान या किसी भी अश पर जनमत गणना का कोई प्रश्न नही है। अतः इस प्रश्न पर कोई विवाद नही होना चाहिए, क्योंकि वह व्यर्थ होगा।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै उन व्यक्तियों से जिनके हाथ में आज सत्ता है इस विषय पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मेरा यह प्रस्ताव नही है कि इस विषय पर अब प्रत्यक्ष जनमत लिया जाय।

जनमत संग्रह है क्या ? उसका सीधा तात्पर्य है जनता की इच्छा । यदि यह जनता पर छोड़ दिया गया होता तो वे क्या कहते ? · ·

अध्यक्ष—जहाँ तक इस सविधान सभा का सम्बन्ध है, वह जनता की इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है ।

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर (बम्बई, साधारण)—श्रीमन् ! माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे है वह इस सभा के सदस्यो पर आक्षेप है ।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—यदि प्रत्येक बार, जब भी हम जनता की इच्छा की ओर निर्देश करे, उस पर यह आपत्ति की जाय कि यह इस सदन के सदस्यो पर आक्षेप है तो आगे बढना असभव हो जायगा । कभी-कभी सदन के विचार जनता के विचार से भिन्न हो सकते है । जहाँ तक अको का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि आप उस पर मनन करे । सभवत आपने अपने मत स्थिर कर लिए है । फिर भी मै आपसे कहता हूँ कि आप मेरी बात सुने । अको के प्रश्न पर उत्तेजित न हो ।

माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी—यह हमारे लिए चेतावनी है ।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—आपने अपने विचार स्थिर कर लिए है, और आप अपने विरोधियो की हसी उडाना चाहते हैं । यह आपको शोभा नही देता । मै इस प्रश्न पर गभीर हूँ । मै जानता हूँ कि श्री आयगर इस प्रश्न पर गभीर है । यह विषय हमारी जनता के भविष्य से सम्बन्ध रखता है ।

हम लोग कई वर्षो से राष्ट्रभाषा की बात करते आये है । सदन के समक्ष यह कोई नया विषय नही है । यह उन्नीसवी शताब्दी की बात है कि राष्ट्रभाषा सम्बन्धी भावना ने बंगाल मे रूप धारण किया, युक्तप्रान्त या बिहार मे नही । मै आपको उद्धरण दे सकता हूँ किन्तु मै सदन का समय नही लेना चाहता । बकिमचन्द्र चटर्जी का मूल लेख मेरे पास है । इस विषय पर मेरे पास केशवचन्द्र सेन का मूल कथन है । सन् १९०८ ई० मे "बदेमातरम्" मे—जिसके सम्पादक श्री अरविन्द घोष थे—जो कुछ छपा था, उसका मूल मेरे पास है · · · · ।

पं० लक्ष्मीकान्त मैत्र (पश्चिमी बंगाल, साधारण)—उस सबके लिए हमे पर्याप्त पुरस्कार मिल चुका है ।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—इस विचार को वहाँ रूप मिला और फिर तिलक ने उसका समर्थन किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने इसे उठा लिया । मेरा अभिप्राय यह है कि यह आन्दोलन वर्षो से चला आ रहा है और लोगो ने कुछ निश्चित विचारधारा के अनुसार हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के निमित्त कार्य किया है । यह बात लगभग मान ली गई है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और विभिन्न प्रान्तों में इसी धारणा

पर कार्य होता रहा है। कुछ ही क्षण पहले मैने मद्रास मे होने वाले कार्यो का उल्लेख किया है। मै यह भी निवेदन कर दूँ कि बगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उडीसा मे यह कार्य वर्षो से चल रहा है। आजकल वर्धा से हिन्दी मे परीक्षाएँ संचालित होती है और लगभग १,४०,००० युवक और युवतियाँ, जो हिन्दी भाषी प्रान्तो के नही है, वरन् जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रो के है, प्रतिवर्ष उनमें बैठते है। इससे पता चलता है कि यह नवीन विचार नही है और इस विचार के आधार पर देश मे कार्य होता रहा है। क्या मै यह पूछ सकता हूँ कि यह अको सम्बन्धी विचार देश मे कब से उत्पन्न हुआ है ? यदि हिन्दी भाषा को लोगो ने अनेक वर्षो से प्रायः स्वीकार न कर लिया होता तो किसी भी सदस्य का साहस न होता कि उस भाषा की स्वीकृति के सम्बन्ध मे कोई प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता। उसी आधार पर सविधान के प्रारूप के भाषा सम्बन्धी खण्ड की रचना की गई। किन्तु लोगो मे इन अको के सम्बन्ध मे कितने समय से वाद-विवाद उठा ? केवल दो तीन सप्ताहो से।

माननीय श्री के० सन्तानम् (मद्रास, जनरल)—मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न दक्षिण मे हमारे सम्मुख कम से कम १५ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार सभा के सम्बन्ध मे उठा था और हम लोगो ने निर्णय किया था कि दक्षिण मे हिन्दी का प्रचार अतर्राष्ट्रीय अको के साथ होना चाहिए।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै श्री सन्तानम् के कथन को ठीक मानता हूँ। मुझे इसका कभी ज्ञान ही नही था। परन्तु न तो श्री सन्तानम् ने और न मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा ने ही कभी यह प्रश्न देश के सम्मुख उपस्थित किया।

श्री एम० सत्यनारायण (मद्रास, जनरल)—आप स्वय १५ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार सभा मे थे।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—जब हिन्दी प्रचार सभा से मेरा सम्बन्ध था तब नागरी अको का प्रयोग होता था। मै यह सूचना अपने मित्र श्री सत्यनारायण को दे दूँ, जिनका उस सभा से सम्पर्क मेरे बहुत बाद मे आरम्भ हुआ। जब मेरा उस सभा से सम्बन्ध था, जब उस सभा का मार्ग-निर्देशन इलाहाबाद से होता था, तब सभी कार्य हिन्दी अको द्वारा किया जाता था। सभवत. अग्रेजी अको को वे बाद मे लाए और आज भी मै इन्हे स्मरण दिला दूँ कि इनकी प्रकाशित कम से कम कुछ हिन्दी पुस्तको मे नागरी अक है। मैने उनमे से कम से कम एक तो देखी है।

श्री एम० सत्यनारायण—यह सन् १९२७ की बात है।

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर—हिन्दी, पजाबी, उर्दू की क्या

स्थिति होगी जिनमे आजकल इन अको का प्रयोग हो रहा है ?

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन--जब आपने भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया है तब उसके अको को भी स्वीकार कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर विचार कीजिए कि क्या हिन्दी पर अग्रेजी अक लादने का यह उपयुक्त समय है, जबकि देश इस विषय में किन्ही विचारों से तैयार नही है। मैने अनेक बार कहा है कि मै हिन्दी को किसी प्रात पर लादूँगा नही, परन्तु आप विधान द्वारा इस लिपि को समस्त राजकीय कार्यो के लिए उन सब पर प्राय लादे जा रहे है, जो नागरी लिपि द्वारा अपना कार्य करते है। मै आपसे कहता हूँ कि आप अपना हाथ वही रोक ले। प्रधान मत्री ने बारम्बार कहा है कि भाषाएँ स्वय विकसित होती है और उनका जन्म एक दिन मे नही होता। यह उन्होने अनेक बार कहा है। (**एक कण्ठध्वनि**---वे ठीक है।) वे ठीक कहते है। भाषाएँ विकसित होती है। परन्तु अक भी विकसित होते है। (**अंतर्बाधा**) अक भी स्वय विकसित होते है और विकसित हुए है। (**अतर्बाधा**) अक लिपि के साथ ही विकसित हुए है। लिपि भी उसी भाषा के समान ही विकसित होती है, जिसमे उसका प्रयोग होता है। लिपि का जन्म एक दिन मे नही होता। उसका सर्वांगीण विकास हुआ है--स्वर, व्यजन और अको के साथ। वह एक कलापूर्ण सम्पूर्ण वस्तु है। आप इस सम्पूर्णता के मुख पर कोई चिप्पी नही लगा सकते। आज आप कहते है कि नागरी अको को निकाल दो। आप यह भी कह सकते है—यद्यपि आज आप यह नहीं कह रहे है—स्वरो को निकाल दो, अग्रेजी स्वरो का प्रयोग करो और केवल हिन्दी व्यजनो को ही रहने दो। मै कहता हूँ कि आप अप्राकृतिक कुरूपता उत्पन्न करेंगे।

माननीय श्री एन० गोपाल स्वामी आयंगर--यह तो हास्य-चित्र है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन--मेरे मित्र कहते है कि यह तो हास्य-चित्र है। स्वरो को हटाने की अनर्गलता को वह देख रहे है। जहाँ तक हम लोगो का सम्बध है, हमे अको के हटाने मे भी अनर्गलता दिखलाई पडती है। इससे किसी को कोई लाभ नही होता। आप हमसे ऐसी वस्तु छीन रहे है जिससे आप धनी नही होते, किन्तु हम निश्चय ही निर्धन हो जाते है।

हमारे अक हमारी प्राचीन सम्पत्ति है। यह भी कभी कहा गया है कि अग्रेजी के यह अंक हमारे अक है और यह प्रश्न किया गया है कि हम उन्हे फिर क्यों न अपना ले ? मानो हमारे अक खो गए थे और हम उन्हे फिर से प्राप्त करने जा रहे है ! ऐसी कोई बात नही है। इन अकों का ज्ञान निश्चय ही हमारे देश से अरब द्वारा यूरोप पहुँचा। हम सब को इसका गर्व है। अन्य कई बातो मे भी यूरोप हमारा ऋणी है। परन्तु इसका

यह आशय नहीं कि जो वस्तु हमारे बीच विकसित हुई है, उसका हम परित्याग कर दे और उन वस्तुओ को, जो मूलरूप से यहाँ से गई है, उनके परिवर्तित स्वरूप मे पुन ग्रहण कर ले । अपनी आवश्यकताओ के अनुसार उन्होने उनके स्वरूप मे परिवर्तन किए है और हमने भी अपने रूपो मे अपनी बौद्धिक प्रणाली के अनुकूल परिवर्तन किये है । परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार सर्वत्र परिवर्तन होते है । हमारे देश मे भी परिवर्तन हुए हैं । जैसा कि मैने कहा हमारे अको का भी विकास हुआ है । वैदिककाल मे वे एक विशेष प्रकार से लिखे जाते थे । फिर परिवर्तन हुए और लगभग १६ शताब्दियो से वे वर्तमान रूप मे लिखे जा रहे है । क्या हम इन रूपो को छोड दे जो इतने लम्बे समय से प्रयोग में आ रहे है ? मै कहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद कोई तर्क नही है और यह न्याय नही है कि इस प्रकार हम अपने लोगो से सहसा उनके अको को छोडने के लिए कहे ।

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर—आजकल हम लोग दक्षिण मे उनका प्रयोग कर रहे है ।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै श्री दिवाकर से यह प्रार्थना करूँगा कि वे धैर्य रखे । उन्हे फिर बाद मे बोलने का अवसर मिल सकता है ।

देवनागरी की पूर्णता

देवनागरी लिपि के सम्बन्ध मे, जिसमे अक भी सम्मिलित है, यह अधिकृत रूप से कहा गया है कि हमारी प्रणाली ससार की वर्तमान सभी प्रणालियो मे सबसे अधिक पूर्ण है । मै आपको एक दो उद्धरण सुनाऊँगा, यद्यपि मेरे पास कई है । यह एक, प्रोफेसर मोनियर विलियम्स का, उपस्थित करता हूँ—

"और अब कुछ शब्द देवनागरी अथवा हिन्दू-प्रणाली के सम्बन्ध मे कहता हूँ । इसमे यद्यपि दो महत्वपूर्ण वर्णों की कमी है, जो रोमन लिपि मै Z (जेड) और F (एफ) द्वारा प्रगट किए जाते है, · · · · ·(जिस अभाव की पूर्ति, जैसा कि आपको विदित है, बिदुओं द्वारा की गई है ।)

· ······· ·तथापि वह कुल मिलाकर सबसे अधिक पूर्ण तथा समस्त ज्ञात वर्णमालाओ मे सुडौल है । हिन्दुओ का विश्वास है कि यह सीधे देवताओ से मिली है । अतः उसका नाम देवनागरी है । और वास्तव मे पुनीत सस्कृत की सुडौलता के साथ अद्भुत समन्वय इसे मानवीय आविष्कार के स्तर से ऊँचा उठा देता है ।"

स्वर्गीय सर आइजक पिटमैन ने, जो 'ध्वनि-शास्त्र' के बडे आग्ल-आविष्कारक थे, कहा है :

"यदि संसार मे कोई भी वर्णमाला सर्वाधिक पूर्ण है, तो यह हिन्दी की है।"

मै अन्य उद्धरणों को नही पढूँगा।

कुछ मित्रो का सुझाव था कि रोमन लिपि अपनायी जाय। उनके लिए यह उचित है कि वह उन उद्धरणो पर विचार करे जो मैने अभी पढे है। मेरा विचार है कि सम्भवतः, जब हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, यूरोपीय जातियाँ स्वत हमारी वर्णमाला के विशेष गुण को जानने की ओर आकर्षित होगी। हमारी भाषा को रोमन लिपि देने का प्रश्न १९वी शताब्दी मे भी उठाया गया था। इगलैड के कुछ विद्वान यहाँ के लोगो को रोमन लिपि के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। इस पर लम्बा विवाद चला था और अन्त मे ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया कि रोमन लिपि का प्रयोग इस देश मे लाभकारी न हो सकेगा और नागरी लिपि सबसे अधिक उपयुक्त है। अब हमारी भाषा को रोमन रूप देने के विचार करने के दिन चले गए। मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर अधिक बल न दिया जायगा।

संस्कृत—एक भाषा

संस्कृत के स्वीकार किये जाने के सम्बध मे भी, श्रीमन्! कुछ कहा गया है। मै सस्कृत-प्रेमियो के सम्मुख अपना शीश झुकाता हूँ। मै भी उनमें से एक हूँ। मेरी सस्कृत से अनुरक्ति है। मेरा विचार है कि इस देश मे जन्म लेने वाले प्रत्येक भारतवासी को सस्कृत सीखनी चाहिये। सस्कृत में हमारी पुरातन परम्परागत सम्पत्ति सुरक्षित है। किन्तु आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है—यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्नता होगी और मै उसके पक्ष मे मत दूँगा—किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि यह व्यावहारिक प्रस्थापना नही है कि सस्कृत को राजकीय भाषा स्वीकृत किया जाय।

श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र—पन्द्रह वर्ष के पश्चात् यह बिल्कुल ठीक हो जायगी यद्यपि आज नही है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै नही समझता कि आज हमारे लिए अपने संविधान मे यह कहना सभव होगा कि हिन्दी के स्थान पर संस्कृत को रखना चाहिए। मै समझता हूँ कि सबसे व्यावहारिक विचार हिन्दी को राजकीय कार्यो की भाषा स्वीकार करना है।

श्री महावीर त्यागी—श्रीमन्! अको के सम्बध मे आपका क्या संशोधन है?

मध्य मार्ग

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—अतएव मेरा निवेदन है कि इस सर्वागपूर्ण देवनागरी लिपि मे, जो अनादिकाल से चली आ रही है, हमे हिन्दी को राजकीय भाषा बनाना चाहिए। यह उचित नही है कि एकाएक, जबकि जनता को इस विषय का ज्ञान नही है, और न यह विषय ही पर्याप्त समय तक उसके सामने रहा है, सविधान सभा यह निर्णय करदे कि उस लिपि से नागरी अक पृथक् कर दिये जायें और उनके स्थान पर तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अक अथवा अग्रेजी अक रख दिए जायें। दक्षिण भारत के सदस्य अग्रेजी अंको के प्रयोग के प्रति कुछ भावुक है, क्योकि वे उन्हे अपनी भाषाओ मे प्रयुक्त करते है। मै शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ। मै यथासभव कोई झगडा नही करना चाहता।

मेरे मित्र डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने मुझसे एक प्रकार की व्यक्तिगत अपील की है। मै इसके लिए उनका आभारी हूँ। मेरी भी इच्छा है कि हमारा भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो सके। इसी अभिप्राय से, यद्यपि मेरी प्रबल भावना है कि देवनागरी अको के विषय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय तथापि अपने दक्षिण के मित्रो की इच्छा पूर्ति के लिए एक सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। मुझे आशा है कि आपके लिए उसे स्वीकार करना सभव होगा। मै कहता हूँ, पन्द्रह वर्षो तक देवनागरी लिपि के भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो प्रकार के अको को मान्यता दे दी जाय और फिर राष्ट्रपति, अथवा सरकार, समय-समय पर निर्णय करे कि किस कार्य मे एक प्रकार के अको का प्रयोग हो और किस कार्य मे दूसरे प्रकार के अको का प्रयोग हो। सरकारी कार्य कई वर्षो तक अग्रेजी मे होगा। कुछ मित्रों ने, विशेषकर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने, सुझाया है कि साख्यिकी, हिसाब की बहियो तथा बैको के कार्यो के लिय अन्तर्राष्ट्रीय अको के प्रयोग की अनुमति दी जाय। मैने देखा कि वे इस सम्बध मे बहुत उत्सुक थे। अतएव मैने एक उपवाक्य मे यह रखा है कि जहाँ तक इन विषयों का सम्बन्ध है, इनमे १५ वर्ष की पूरी अवधि तक केवल अग्रेजी भाषा का प्रयोग हो। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय अंको को रखने का मुख्य प्रयोजन अग्रेजी भाषा के प्रयोग से ही सिद्ध हो जायगा, जिसमें अग्रेजी अको का प्रयोग तो होगा ही। मै नही समझता कि कोई भी यह चाहता है कि साधारण हिन्दी पुस्तको के प्रकाशन में अग्रेजी अंको का प्रयोग हो। पर यह भी मैने सरकार पर छोड़ दिया है। यदि सरकार किसी कार्य विशेष के लिए अग्रेजी अको का प्रयोग करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। आवश्यकता पडने पर ही

वह केवल हिन्दी अंको का प्रयोग करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मध्य मार्ग को स्वीकार कर लीजिए और यह आग्रह मत कीजिए कि सदा सर्वदा के लिए देवनागरी अंको के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग होना चाहिए। (**अन्तर्बाधा**) मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस प्रस्ताव को यहाँ स्वीकार न कीजिए, क्योकि ऐसा करके आप हिन्दी के व्यवहार करने वालो के प्रति बहुत कठोरता करेंगे। उनके मन इस प्रकार के परिवर्तन के लिए तनिक भी तैयार नही हैं। (**अन्तर्बाधा**) देवनागरी को राष्ट्रलिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने के अनन्तर हम सब लोगो के लिए सम्भव होगा कि सम्मेलनो मे भाग लेकर निश्चय करे कि देवनागरी लिपि मे किन परिवर्तनो की आवश्यकता है। हमारी पद्धति पूर्ण है, किन्तु कुछ अक्षरो के रूपो मे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कुछ नए अक्षर भी जोडने पड़ेगे। मेरा निवेदन है कि हम सबके लिए वर्तमान नागरी लिपि को स्वीकार कर लेने के बाद यह सम्भव होगा और विशेषकर भारत सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लिपि और अंको मे वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनों पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलावे। प्रधान मन्त्री जी ने यह कहा कि छापे की सामग्री, कम्पोज करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अक अधिक उपयुक्त है। उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए मेरा कथन है कि उनको प्रेस के कामो के बारे की जानकारी नही है। छापे के काम करने वालो मे से जिन लोगो के सम्पर्क मे मै आया हूँ, उनका कहना है कि उनके लिए हिन्दी या अतर्राष्ट्रीय अको के प्रयोग मे कोई अन्तर नही पडता। कम्पोज करने का सबसे अच्छा काम मोनोटाइप या लीनोटाइप यत्रो पर होता है। मेरा तो निवेदन है कि हमारे अक अधिक कलापूर्ण है और हमारे अक्षरो के स्वरूप के अनुरूप है। मै आपसे इस मध्यम मार्ग को उसी भावना से स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूँ जिससे प्रेरित होकर मैने यह प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा हैं। मै आपसे और अधिक कटुता बचाने का अनुरोध करता हूँ। अन्यथा यह बात यही पर समाप्त नही हो सकती क्या आप समझते है कि इस बात पर आन्दोलन नही होगा? यह बात उन लोगो के हृदयो मे अवश्य खटकेगी जो इन अको का प्रयोग करते आए है। और उनसे प्रेम करते है—चाहे वे हिन्दी भाषी हो या मराठी भाषी हो या गुजराती भाषी हो। हम आपको तमिल या तेलुगू लिपियो मे तनिक भी हस्तक्षेप नही कर रहे है, किन्तु आप यहाँ हमारी नागरी लिपि मे हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री एल० कृष्णस्वामी भारती (मद्रास, साधारण)—यह तो केवल राजकीय प्रयोजनो के लिए ही है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मै जानता हूँ कि यह केवल

भारत सरकार के शासकीय प्रयोजनो के लिए है। किन्तु यदि एक बार भारत सरकार यह आरम्भ कर देती है तब यह निश्चय ही निचले स्तरो मे उतरेगी क्योकि सरकार समस्त कार्यवाहियो का केन्द्र है। इसी कारण से हम इस पर आपत्ति करते है। यदि आप कृपया मेरी बात सुनेगे तो अत्यन्त विनम्रता से मै आपसे प्रार्थना करूँगा कि मैने जो मध्यम मार्ग आपके सम्मुख उपस्थित किया है, उसे आप स्वीकार करे और मेरे सशोधनो को मान ले।

३

खाद्य स्थिति

१८ नवम्बर १९५२ को लोकसभा मे तात्कालिक खाद्य मन्त्री श्री रफी अहमद किदवई के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कि खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय! मै इस प्रश्न पर उसी रास्ते से बहस नही करूँगा जिस रास्ते को हमारे अधिक सदस्यो ने अपनाया है। उस रास्ते पर भी मै चलने का प्रयत्न करता, परन्तु उसमे इतना समय लग जायगा कि मै जो मुख्य मौलिक बात निवेदन करना चाहता हूँ उसके ऊपर बल नही आ सकेगा। इसलिये मै एक दो प्रश्नो की ओर ही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

बूढ़ी दादी की गृहस्थी

हमारे प्रधान मन्त्री ने आज एक कुछ मजेदार बात कही। उन्होने अग्रेजी मे बोलते हुए कहा कि हम देश भर के लिये 'हाउस कीपिग' (गृहस्थी सचालन) कर रहे है। बात सुनने मे बडी अच्छी लगी। देश भर के लिये हाउस कीपिग करना अच्छा आदर्श है। बूढी दादी कहती है कि हमारा तो बडा भारी कुटुम्ब है, हम सब कुटुम्ब को रोटी देंगी, सब कुटुम्ब की रसोई की चिन्ता करेंगी। देश भर की हाउस कीपिग ऐसी ही बात है। कुटुम्ब भर की, इस देश भर के कुटुम्ब के चूल्हो की चिन्ता यदि यह गवर्नमेट कर सकती तब तो बहुत ही सुन्दर व्यवस्था होती। परन्तु वास्तविकता यह है कि वह सब चूल्हो की चिन्ता नही कर सकती है। और वह इस बात का दायित्व, इस बात की जिम्मेदारी, भी नही लेती कि हम हर पुरुष को और हर स्त्री को रोटी पहुँचायेगी। आज तक उसने कभी दायित्व नही लिया। वह प्रयत्न करेगी यह कहा, परन्तु हमारे देश मे कोई आदमी भूखा नही रहने पायेगा इसका कोई दायित्व गवर्नमेट ने नही लिया। यह आप भूलिये नही। यह मौलिक बात है। जब लोग इस तरह का चित्र खीचते है कि लोग इधर भूखो मर रहे है, उधर मर रहे है, उसके यह मानी नही हो सकते कि नियन्त्रण या विनियन्त्रण की नीति के कारण ऐसा है। उस स्थिति के दूसरे कारण है। अगर यह गवर्नमेट यह ज़िम्मेदारी लेने के लिये तैयार होती कि हम हर एक की चिन्ता करेंगे, किसी को बेकार नही रहने देगे, तब तो उन दलीलो में वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध होता, नही तो वह असगत है, उनका उस प्रश्न से कोई

सम्बन्ध नही है जो इस समय विचाराधीन है ।

मूल्य-नियन्त्रण से अनैतिकता

मै इस कट्रोल या डीकट्रोल के प्रश्न को या कहाँ तक नियत्रण हो, किस अश तक अनियत्रण रहे—इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि हमारी योजना हमारे समाज के स्तर को ऊँचा करती है या उस को नीचा करती है । मेरे सामने यह मुख्य प्रश्न होता है । हमे एक रोटी की जगह सवा रोटी मिलती है, इसको मै जीवन के लिये गौण मानता हूँ । यह सही है कि हम रोटी खाते है और रोटी की बदौलत जीते है । लेकिन रोटी, रोटी, सुबह से शाम तक रोटी, यह क्या है ? हम मनुष्य है या पशु है कि कुत्ते की तरह जहाँ भी रोटी मिली दुम हिलाने लगे । हमारे और भी काम है । हमे देखना है कि गवर्नमेट जो काम करती है उससे हमारा नैतिक तल गिरने तो नही पाता है । मै इसका विरोधी नही हूँ कि गवर्नमेंट बूढी दादी बन कर सब के चूल्हो की चिता करे । आप इसे उठाइये, अगर आप मे शक्ति है । लेकिन आप बूढी दादी तो बने और साथ ही साथ आप ऐसे गुमाश्तो को रखे जो आप की मंशा पूरी करने के बजाय समाज के स्तर को अधिक नीचा करे इससे देश गिरता है । मैने जो देखा है, वह मै अपने अनुभव की बात कहता हूँ । आप की जो पुरानी नियन्त्रण की नीति थी उसमे आप ने मूल्यो को बाधा था । अमुक वस्तु आपके निश्चित मूल्य से अधिक पर न बिके, यह आप की नीति थी । उसका क्या परिणाम हुआ ? चारो ओर बेईमानी, न केवल बेचने वालो की तरफ से—वह तो उसके आदी है लेकिन खरीदने वालो की तरफ से भी होने लगी ।

मै अपने अनुभव की एक मिसाल देता हूँ । मै एक सस्था का अध्यक्ष हूँ । उस सस्था के पास कुछ भूमि है, उस भूमि मे कुछ चना बोया गया । वह भूमि पजाब मे पानीपत के पास है । हमारे प्रबन्धक ने आकर मुझ से कहा कि हमारे पास चना हुआ है, उसे हमे बेचना है । चारो ओर हमारा चना १७ रुपये मन मागा जा रहा है और चना १७ रुपये मन बिक रहा है । पजाब के बडे-बडे खेतिहर लोग है, उन मे एक एम० एल० ए० भी है, वह सब १७ रुपये मन चना बेच रहे है । वह बता कर कि हम से भी खेत के ऊपर १७ रुपये मन मागा जा रहा है, मेरे प्रबन्धक ने पूछा कि क्या मै उसको इस भाव पर बेच दू । उस समय गवर्नमेट का निर्ख १२ रुपये मन का था । दिल्ली, पजाब और उत्तर प्रदेश मे शायद दो चार आने का फर्क रहा हो । मैने उससे कहा कि अगर तुम १७ रु० मन बेचोगे तो वह तो गवर्नमेट के नियम के विरुद्ध होगा । तुम हम को भी ब्लैक मार्केटयर बना दोगे, तब उसने कहा कि फिर पाँच रुपये प्रति मन घाटा

उठा कर आप खेती तो नही कर सकते। मैने उससे कहा कि खेती हो या न हो, लेकिन हमारी सस्था एक अनैतिक काम करे मै इसकी इजाजत नही दे सकता। मैने कहा कि तुम गरीबों को १२ रुपये मन के हिसाब से ही अपना चना बेचो। उसने १२ रुपये मन के हिसाब से बहुत से गरीबो को चना दिया। हा ! इससे हमारी सस्था को घाटा जरूर हुआ। वह दूसरी बात है। वह फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि इस तरह से तो काम नही चलेगा, आप हमको भैंस खरीद दीजिए, तो हम उसको १२ रुपया मन का चना खिला सकेंगे और हम अपना दूध बिक्री के वास्ते दिल्ली भेज देंगे। उसने मुझे बतलाया कि इस तरह कुछ बचत हो जायगी और मैंने उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया। यह मै आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो स्वयं अपने ऊपर बीती बात है। चारो तरफ तो १७ रुपये चने का भाव है, खेत के ऊपर १७ रुपये का भाव है और खेतिहर खेत पर १७ रुपये के हिसाब से चना बेच रहे है परन्तु दिल्ली मे केन्द्रीय गवर्नमेंट यह आशा करती है कि चना १२ रुपये मन पर बिकेगा ! यह क्या कोई अक्ल की बात है ? मेरी तो इस बारे मे कुछ मिनिस्टरों से भी बात हुई। एक ने कहा कि हम भी उसी भाव खरीदते है जिस भाव पर बाजार मे चना बिक रहा है। बाजार भाव उस समय यहॉ पर २०-२१ रुपये मन का था।

मै एक दूसरी सस्था को जानता हूँ। वहॉ छात्रो को चना खिलाना पडता था, वहॉ के प्रबन्धक २०-२१ रुपये मन चना लेते थे, क्योकि राशन में केवल ६ छटाक था और छ छटाक में वहॉ के तगड़े लड़को का गुजारा नही होता था। लड़के लगभग ८-९ छटाक खाते है, पूरा भोजन देने को संस्था के प्रबन्धक चना बाजार भाव पर खरीदते थे। कुछ दिनो बाद मैने उनसे कहा कि यह चना आप कैसे खरीदते है, यह तो अनुचित और नियम विरुद्ध है। वह इस प्रश्न मे कुछ घुसे तब मालूम हुआ कि वह बाजार में चना खरीदते है परन्तु किताबो मे मटर लिखी जाती है। व्यापारी अपनी इस तरह बचत करते थे, क्योकि मटर के ऊपर आपका कोई दाम नियत नहीं था। यह बात मैंने आपको मिसाल के तौर पर बतलाई।

ऐसे ही गुड के बारे मे हालत थी। गुड़ का भाव गवर्नमेंट ने उस समय १९ रुपये मन निश्चित किया था। आज तो उसका भाव बहुत गिर गया है। मै उस समय की बात बतलाना चाहता हूँ जब गुड का भाव १९ रुपया मन निश्चित था। एक रोज़ मुझे लखनऊ मे खांसी आ रही थी, मै चीनी नही खाया करता और न ही चाय का सेवन करता हूँ। मेरे आदमी ने कहा कि आपके लिए तुलसी और

अदरक की चाय बनाई जाय, उसमे गुड पडता है। नौकर बाजार से चार आने का पाव गुड ले आया, मुझे जब गुड का भाव मालूम हुआ तो मैने अपने नौकर से कहा कि तुमने चार आने पाव के भाव से गुड खरीद कर मुझ को ब्लैक मार्केटयर बना दिया, क्योकि इस तरह तो गुड का भाव चालीस रुपये मन का पडा।

श्री किदवई : आपने बेचा नही, खाया।

श्री टण्डन : मगर खाने वाला भी तो ब्लैक मार्केटयर हो जाता है। मैने उस समय के जो मिनिस्टर थे उनको यह बात बतलाई और कहा कि हालत यह है, यह मेरा पाप है और आप मेरे ऊपर मुकदमा चलाये। नौकर की भूल के कारण मै इस पाप मे लिप्त हो गया। मै यह बात इस-लिये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के कट्रोल और नियन्त्रण से समाज गिरता है और उसका भली नह होता। गवर्नमेट जब किसी वस्तु पर कोई सीलिग प्राइस (अधिकतम दाम) लगाती है तो उसको इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि वह प्राइस (दाम) ऐसी हो जो चल सके। मुझे ख़ुशी है कि बाद को हमारे मिनिस्टर ने वह सीलिग प्राइस उडा दी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज का अधिकतम मूल्य निश्चित करते है तो आपमे इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि बैठ कर यह समझे कि किस भाव मे यह चीज वाकई बिक सकती है। आप को इतना तो समझना चाहिये था कि बनिया जो छोटी दुकान लेकर बैठा है, वह हाथरस की मडी के भाव से तो नही बेच सकता। आपने तो १९ रुपये का गुड का भाव नियत कर दिया। सम्भव है कि हाथरस मे आपको १९ रुपये के हिसाब से मिल जाता, लेकिन वह बनिया जो सडक के किनारे पर बैठकर बेचता है, वह तो हाथरस की मडी के भाव से नही बेच सकता। नतीजा यह होता है कि वह कुछ बढे हुए भाव पर बेचता है और उसकी दुकान से जितने आदमी खरीदते है वह सब ब्लैक मार्केटयर बन जाते है क्योकि उसकी दुकान से खरीदने मे १९ रुपये के भाव से ज्यादा देना पडता है। मै कहता हूँ कि आपकी यह नीति देश को बर्बाद करने वाली है, यह कोई नीति नही है और जो लोग इस नीति का समर्थन करते है, उनको सोचना चाहिए और देश को सम्भालना चाहिए। कोई भी कट्रोल अथवा नियत्रण जिसका आप अच्छी तरह से पालन नही कर सकते, नही रखना चाहिए। मेरी समझ मे १००, २००, १०००, २००० या लाख दो लाख आदमियो का भूखा मर जाना अच्छा है इसकी अपेक्षा कि आप चोरी करके लाये और खाये खिलाये। यह देश का पतन है। जो मन्त्रिगण नियन्त्रण के पक्ष मे है, उनसे मै कहना चाहता हूँ कि अगर आप बूढी दादी का इन्तजाम करते है तो उसके लिये आपके हाथो मे शक्ति होनी चाहिए।

लेकिन आपके तो हाथ काप रहे है और आपके आदमी बराबर बेईमानी करते रहते है। इस कट्रोल की बदौलत आपके एक एक राशनिग इंस्पेक्टर को बेईमानी और रिश्वत लेने का अवसर मिलता है। मै इलाहाबाद की एक छोटी सी मडी का हाल जानता हूँ। हमारे एक बडे विश्वसनीय काग्रेसी कार्यकर्ता ने मुझे कई बार बताया कि हमारे जिले की एक छोटी सी मडी मे एक इस्पेक्टर रोज लगभग १०० रुपया ऊपर से पैदा कर लेता है। उसकी माहवारी तनख्वाह मुश्किल से सवा सौ या डेढ सौ रुपया रही होगी। वह आठ आने प्रति बोरे के हिसाब से, जो मडी में आता है, व्यापारियो से वसूल करता है। बोरे लाने वाले तो आखिर हमारे व्यापारी भाई होते है, जो कही भी पैसा देने को तैयार रहते है, जहाँ पर उनको पैसा मिलने का रास्ता दिखाई पडे। लेकिन साथ ही आपके जो आदमी है, जिनको आप इस कट्रोल व्यवस्था को चलाने के लिये नौकर रखते है, राशनिग इन्सपेक्टर्स, प्रोक्योरमेट इसपेक्टर्स वह भी बेईमानी करते है और नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल जाता है। मै आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और यह सब बतलाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो कुछ भी करे, यह सदा ध्यान मे रखे कि उससे समाज पर क्या असर पडता है और आपका वह कदम समाज के नैतिक स्तर को किधर ले जा रहा है।

सप्लाई विभाग में रिश्वत

यह ठीक है कि बेईमानी ससार भर मे है, बेईमानी हमारे देश में भी है। पुलिस का विभाग सबसे अधिक रिश्वत लेने मे मशहूर था, हम यह भी जानते थे कि अदालतो मे मुसरिम और डिग्री नवीस खुला हुआ पैसा लिया करते है और हमारे वकीलो को इसका खूब अनुभव है, लेकिन जब से यह सप्लाई विभाग खुला है, मेरा तो अपना यह अनुमान है कि रिश्वत-खोरी मे इसने सबको मात कर दिया है।

बहुत आप पक्ष करते है कट्रोल का ! कट्रोल का मै हर सूरत मे विरोध नही करता। लेकिन आप समझे कि जो आप चाहते है उसको पूरा करा सके। अगर आप अधिक सख्ती से दाम बाधेगे तो आपका बाधा हुआ दाम चलेगा नही। मै मिनिस्टरो से पूछना चाहता हूँ कि अपने हृदय पर हाथ रख क्या वह कह सकते है कि उनके घरों मे, जिस समय गवर्नमेट का मूल्य चने के लिए १२ रुपये मन था वह १८ रुपये और १९ रुपये मन नही आया ? वह पूछे अपने घर मे जा कर, अपने हाउस कीपर से पूछे, अपने यहाँ की औरतो से पूछे।

श्री सी डी देशमुख—मै तो चना खाता नही।

श्री टंडन—आप जरा अपनी पत्नी से भी पूछिये, आप नही खाते तो क्या हुआ।

श्री अलगूराय शास्त्री (जिला आजमगढ़-पूर्व तथा बलिया जिला-पश्चिम)—बेसन के पकोडे खाते है या नही ?

श्री टंडन—आपके नौकर है, रिश्तेदार है, वह खाते है या नही ? हा ! मै असम्भव नही मानता, मै मानता हूँ कि बहुत ध्यान अगर आप रखे तो यह गलत चीज नही होने पायेगी और आप सफल होगे। परन्तु इतना ध्यान कौन देता है ? जो महत्व के धधो मे लगा हुआ है, वह देखे कि नौकर क्या भाव सामान लाता है यह साधारण रीति से होता नही। वास्तविकता यह है कि घर घर मे महगा खरीदने वाले पडे हुए है। हम केवल व्यापारियो को दोष देते है, लेकिन जिन लोगो को खाने का शौक है—जिन्हे खाने के विषय मे उदासीनता है उनकी बात और है—लेकिन जो लोग खाने पीने के शौकीन है, जो चाहते है कि उनको दस चीजे खाने को मिले, आपको मालूम है कि प्राय उन सबके यहाँ गलत तरीके से सौदा आता है। मै तो यह निवेदन करता हूँ कि आप व्यापारियो को बहुत अवसर न दे बेईमानी करने का और जो माल के खरीदने वाले है उनकी भी सभाल कीजिये। आप उनको लाचार न करे। सब मनुष्य इतनी सख्ती के साथ अपने जीवन बिताने के आदी नही है कि वह हर समय इस बात का ध्यान रखे कि निश्चित मूल्य से अधिक पर कोई वस्तु मोल न ली जाय। बस मै इस एक दृष्टिकोण पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

नीति परिवर्तन का स्वागत

आपकी नीति चाहे जो कुछ भी हो, आप कंट्रोल रखना चाहते हो या नही, लेकिन आज की नीति मे मुझ को यह बात अच्छी लगी कि हमारे देश मे जो बेईमानी करने का दस्तूर पड गया था उस मे इस नीति से कुछ कमी हुई है। यह फायदा तो मै देख सकता हूँ। हो सकता है कि कही कुछ चीजे महगी हो गई हो, जैसा कि मेरे कुछ भाई कहते है लेकिन यह लाभ मै प्रत्यक्ष देखता हूँ कि आज अगर हमे किसी चीज की जरूरत हो तो हम कुछ ज्यादा पैसा दे कर खरीद सकते है—बिना किसी सरकारी नियम को तोडे हुए। फेयर प्राइस दुकानो से बजाय जबर्दस्त राशनिग करने के काम चल जाना चाहिए। जो ग़रीब है उनके लिए आप शहरो मे बराबर इन्तजाम रखेगे। लेकिन हम सब भूलते है कि जिन लोगों को हम राशन के द्वारा मदद देते है उनकी तादाद कुल जनता को देखते हुए कितनी कम है। देहातो मे तो आप पहुँच ही नही पाते। उनकी तादाद बहुत बड़ी है जो लोग देहातो मे रहते है। जैसा प्रधान मन्त्री ने कहा था एक तरफ आप शहर के राशन

की चिन्ता करते है, दूसरी तरफ ऐसे लोग है जो खुद अनाज बो लेते है, यानी किसान। ठीक है, लेकिन जो तीसरी श्रेणी है जिसके पास जमीन नही है, किसानी नही करते और जो शहरो मे रह कर तनख्वाह नहीं पाते और मजदूरी नही करते उनकी तादाद बहुत बडी है। किसानो की अपेक्षा भी कही ज्यादा है। उनकी आप ने क्या चिन्ता की ? उनके पास तो आप पहुँच भी नही सकते, उनका इन्तजाम भी नही कर सकते!

मेरे कहने का सार है कि आप इस एक सिद्धात को न भूले चाहे कुछ भी हो। मरना जीना तो लगा ही रहता है, जिनकी आप रक्षा कर सके अवश्य करे, लेकिन यह ध्यान रखे कि आपकी कोई नीति इस तरह की न हो, जिससे समाज का स्तर नीचा हो और जिससे बेचने वालों में बेईमानी बढ़े या जिसमे यह प्रवृत्ति हो कि खरीदार बेईमानी करे। बस, यही मेरा सुझाव है।

४

अनुसूचित तथा आदिम जातियाँ

१३ दिसम्बर सन् १९५२ को अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के आयुक्त की रिपोर्ट के सम्बन्ध मे विचार प्रकट करते हुए

महोदय ! एक पुराने हरिजन सेवक के नाते और कुछ अपने हरिजन सहयोगियों की प्रेरणा से मै इस रिपोर्ट के विषय पर बोलने खडा हुआ हूँ, जिसे परिगणित जातियो और आदिवासियो के विशेष अफसर ने उपस्थित की है। स्वभावत यह रिपोर्ट एक प्रारम्भिक रिपोर्ट है, यह एक चलती हुई वस्तु है, बहुत गहराई न इसमे है और न हम इसकी आशा ही कर सकते है । मै इन विशेष कमिश्नर को, जितना परिश्रम उन्होने किया है और जिस रीति से उन्होने प्रश्न को रक्खा है, उसके लिये बधाई देता हूँ। परन्तु यह स्पष्ट है कि अभी हमे प्रतीक्षा करनी पडेगी और गहरी जाच की आवश्यकता पडेगी । इस विषय मे, मैने अभी हाल मे पढा है कि एक कमीशन की, जो सविधान के अन्तर्गत बनने वाला है, नियुक्ति शीघ्र होने वाली है । उससे अवश्य हम आशा करेंगे कि वह गहरी दृष्टि से अपने विचार उपस्थित करेगा ।

अछूतपन में सुधार

इस रिपोर्ट से इतना तो मुझे सतोष मिला कि जो मुख्य राज्य हमारे देश में है, जिनको भाग क के राज्य कहते है उनमें अछूतपन के विषय मे सुधार हुआ है । वह होना ही था । इसमें कोई सदेह नही है कि हमारे सविधान ने अछूतपन को समाप्त करके एक युग परिवर्तक काम किया है । सुधार तो होना ही था, मै तो और अधिक सुधार और परिवर्तन की आशा करता था । इसमे कोई सदेह नही कि आज हमारे हरिजन कहलाने वाले भाइयो की स्थिति मे सुधार हुआ है, उसको देख कर हमारा हृदय प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, परन्तु फिर भी आप जानते है और मै जानता हूँ कि कही-कही बहुत अनुचित घटनाये अब भी हो रही है । वे घटनाये साक्षी है इस बात की कि अभी हमारे देश ने अच्छी तरह से सविधान के सिद्धान्त को अपनाया नही है । हम आशा करते है कि कुछ दिनों बाद वह हमारे देश के अग मे घुस जायगा । परन्तु जान पड़ता है कि अभी उसमे समय लगेगा । उस समय को पास लाना हम सबो का कर्तव्य है ।

हरिजनों के लिए स्वच्छ घर

इस रिपोर्ट मे भिन्न-भिन्न प्रदेशो के लिये कुछ छोटे-छोटे सुझाव है। मुझे भी एक सुझाव देना है। मै देख रहा था कि इस ओर किसी का ध्यान गया या नही। नौकरी आदि की बात हमारे भाइयो ने की है। कुओ की चर्चा इस रिपोर्ट मे भी है। कुओ के बारे में बडी असुविधा है, यह मै जानता हूँ। जो बाते कही गयी है मुझे उनको दोहराना नही है। उनके बारे मे तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेट सहानुभूति के साथ उन बातो पर ध्यान देगी। शिक्षा के विषय मे अधिक सहायता की आवश्यकता है। जितनी भी सहायता हम दे सके दिल खोल कर दे।

मुझे जो सुझाव देना है वह हरिजनो के रहन-सहन के बारे मे है। बहुत कुछ अछूतपन रहन-सहन के कारण होता है। एक समय था जब मै स्वय हरिजनो के बीच काम करता था। तब मैं अपने कार्यकर्त्ताओं से कहा करता था कि वस्त्र की गन्दगी आधा अछूतपन उपस्थित करती है। साबुन अगर हर हरिजन के घर मे हो तो आधा अछूतपन तो वैसे ही दूर हो जाय। आज यह पुरानी बात हो चुकी है। यह बात आज से पच्चीस या छब्बीस वर्ष पहले की है। आज कार्यकर्त्ताओ से मै वही बात दुहराऊगा नही। आज मै गवर्नमेट को और कार्यकर्त्ताओं को भी दूसरा सुझाव दे रहा हूँ। नगरो और गावो मे जो रहन-सहन की व्यवस्था है वह बहुत गिरी हुई है, अब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अछूतपन को हटाने का एक यह मुख्य रास्ता है। इस रिपोर्ट मे मुझे इसकी चर्चा नही दिखाई दी। मै गावो मे देखता हूँ किस प्रकार से हरिजन रहते है। बस्तियो मे और नगरों मे देखता हूँ कि जहाँ गदी से गदी जगह है, जहाँ सर्वसाधारण के लिए शौचालय बने हुए है उनके पास हमारे उन हरिजनो को, जो भगी का काम करते है, बसाया जाता है। कौन नगर ऐसा है जहाँ पर यह नही हो रहा है ? इसकी जानकारी के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नही है, किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नही है, केवल काम करने की आवश्यकता है। गवर्नमेट को हमे मजबूर करना है कि वह इस स्थिति को सुधारे। मेरा सुझाव यह है कि तुरन्त ही, जब तक आप देश भर के घरों की स्थिति को ठीक कर पाये उसके भी पहले, हरिजनों की स्थिति को सभालिए। अर्थात् हर ग्राम मे हर हरिजन कुटुम्ब को निश्चित रूप से घर के लिए जगह दीजिये। मैं कह सकता हूँ कि हर गाव मे जमीन है। अगर कोई यह कहे कि जमीन नही है तो यह झूठी बात होगी। मै देश को गवर्नमेट के अफसरो से अधिक जानता हूँ। मै कह सकता हूँ कि आज प्राय कोई भी ऐसा गाव नही है जहाँ हरिजनो

के बसाने के लिये भूमि न मिल सके। आपको चार सौ, पाच सौ वर्ग गज भूमि हर कुटुम्ब के लिये देनी चाहिये । इस विषय मे मेरा यह विशेष कहना है कि हर घर के साथ इतनी भूमि हो जहा छोटी सी वाटिका लग सके । मै चाहता हूँ कि हरिजन कुटुम्ब अच्छी तरह से रहे । बराबरी के साथ रहे। इसके लिये यह जरूरी है कि आप हर गाव के भीतर उनको बसा दे । यह नही कि उनके लिये अलग बस्तिया हो। मै उनको अलग रखना नही चाहता । आप उनको बराबर मे जमीन दे जिसमे सुन्दर घर बन सके और अच्छी सफाई रहे । नगरो मे भी ऐसा ही हो सकता है । अगर नगर के बहुत भीतर भूमि न दे सके तो थोडा हट कर दीजिये । लेकिन साफ सुथरी इतनी जमीन दीजिये, जिसमे वह रह सके और छोटी वाटिका रख सकें ।

हमारे देश ने अवश्य ही इन हरिजनो के साथ न्याय नही किया है । गाधी जी किस तरह से इनके लिये आसू बहाया करते थे, यह वे लोग जानते है जो उनके पास रहते थे। जैसा इस रिपोर्ट मे दर्ज है, उन्होने कहा था कि मुझे मोक्ष नही चाहिये, मै तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ इसलिये कि मै हरिजनो मे आकर रहूँ, मै हरिजन होऊँ, मै ब्राह्मण नही बनना चाहता, ठाकुर नही बनना चाहता, मै केवल हरिजन बनना चाहता हूँ, हरिजन के घर मे मेरा जन्म हो। एक ओर उनकी यह आकाक्षा थी, दूसरी ओर उनका यह कहना था कि हिन्दू समाज ने, हिन्दू जाति ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। उसको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिये। यह सिद्धान्त उनके काम करने के थे ।

युग परिवर्त्तन—हमारा कर्त्तव्य

जैसा डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा सिद्धान्त रूप से हमारे यहाँ सब बराबर माने गये है लेकिन व्यवहार मे हरिजनो के साथ बुरा सलूक हुआ है, कम से कम इधर हज़ार दो हज़ार वर्ष मे। उसका हम लोगो को प्रायश्चित करना है। उनको ऊँचा उठाना है । हमारे समाज मे एक ओर जन्म से वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हुए है, उनका सिद्धान्त है 'जन्मना वर्ण.' अर्थात् जन्म से ही वर्ण होता है, जो जिस जाति मे पैदा होता है वही रहता है । जहाँ एक ओर यह सिद्धान्त रहा है वहाँ दूसरी ओर बहुत से संतों ने, महात्माओ ने, ऋषियो ने 'कर्मणा वर्ण' के सिद्धान्त को माना है । इस सिद्धान्त का अनुमोदन किया है कि कर्म से ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण बाप का बालक ब्राह्मण हो—यह आवश्यक नही है। हमारे यहाँ कबीर और रविदास की जो इज्जत है, जनता में और पढे लिखे लोगो मे, वह ऋषियों की इज्जत से कम नही है । दोनो सिद्धान्त हमारे यहाँ रहे है । आज आवश्यकता यह है कि इस दूसरे सिद्धान्त को, बराबरी के

सिद्धान्त को, हम ऊँचा करे। गीता मे भी यह वाक्य आता है कि सब बराबर है। इस सम्बन्ध मे पौराणिक कथाये भी है। एक कथा है महाभारत के सम्बन्ध मे, कि युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घटा नही बजता था। घटा इसलिये नही बजता था कि एक हरिजन भक्त नही आया था। उसके आने पर घटा बजा। इस प्रकार से हमारे यहाँ दोनो सिद्धान्त है। दोनो प्रकार की कथाये चली है। आज युग परिवर्तन का समय है। हमे एक नया युग उपस्थित करना है। हम सबो को मिल कर काम करना है। हमे जनता को उत्साह दिलाना है। गवर्नमेट इस विषय मे बहुत कुछ काम कर सकती है। हरिजनो के लिये वह रुपया दे सकती है। बजट मे जो रुपया रखा गया है उसको यदि दूना तिगुना कर दिया जाय तो मेरा विश्वास है कि कही भी कोई आपत्ति करने वाला नही होगा। उनके बच्चो को शिक्षा देने के लिये, उनको घर देने के लिये गाव-गाव मे, देश भर मे, आप ध्यान दे। इस प्रकार से चतुर्मुखी कार्य करके उनके जीवन को ऊँचा करना हमारा कर्तव्य है।

मै फिर रिपोर्ट लिखने वाले अफसर महोदय को बधाई देता हूँ। मै समझता हूँ कि इससे कई गुना कार्य वह कमीशन करेगा जो नियुक्त होने वाला है। तब गवर्नमेट को अधिक अवसर मिलेगा। लेकिन इस अवसर की प्रतीक्षा आप तीन वर्ष तक न करे। यह मै नही चाहता कि आपको एक बहाना मिल जाय कि कमीशन बना है, वह कमीशन डेढ, दो, ढाई वर्ष के बाद रिपोर्ट दे तब आप कार्य आरम्भ करे। इन तीन वर्षो मे आप कमीशन की रिपोर्ट आने की राह न देखे। आवश्यकता है कि हम तुरन्त काम आरम्भ करे। जो कार्य हमारे सामने है, उसके लिये किसी रिपोर्ट की जरूरत नही है, आप उसको तुरन्त अपने हाथ मे ले ले।

●

५

प्रथम पंचवर्षीय योजना

१८ दिसम्बर सन् १९५२ को लोकसभा मे स्वतन्त्र भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करते हुए

महोदय ! जो रिपोर्ट पचवर्षीय योजना के सम्बन्ध मे उपस्थित की गई है उस पर परिश्रम किया गया है और उसमे देशभक्ति और देश की चिन्ता अच्छी तरह से प्रकट हो रही है। परन्तु मेरे ऊपर यह प्रभाव पडा है कि देशभक्ति और बुद्धि की कमी न होते हुए भी जिस दिशा मे रिपोर्ट दी गई है उससे हमारे देश मे कोई नई सृष्टि, नई सुन्दर रचना, जिसको हम देखना चाहते है, नही आने वाली है।

नव ग्राम-निर्माण

मै यह आशा करता था और अब भी मै, अपने इन भाइयो को जिन्होने यह रिपोर्ट लिखी है, यह सुझाव देता हूँ कि वे गावो की तरफ अधिक ध्यान देगे, गावो की एक नई रचना करेगे। मैने पहले एक बार यह रखा था और इस समय यह सुझाव देता हूँ कि सबसे बडी आवश्यकता इस समय यह है कि नये गाव बसाये जाये, या पुराने गाव इस प्रकार से ठीक किये जाये, कि वहाँ आप से आप एक सौन्दर्य हमे दिखाई पडे। गाव मे मै कही भी जाता हूँ, विशेषकर उत्तरी भारत मे, तो मुझे बस्तिया गन्दी दिखाई पडती है। बडे मकान भी है, बहुत बडे-बडे मकान भी है—बिहार के जमीदारो के—और उत्तर प्रदेश के जमींदारो के—परन्तु चारों तरफ गाव गन्दे बसे हुए है। मै तो सबसे पहले इधर ध्यान देना चाहता हूँ। आप उद्योगो की तरफ ध्यान देते है तो दे। लेकिन जहाँ पहले और पीछे का क्रम आता है, वहाँ सबसे पहले मै इस प्रश्न को रखता हूँ कि आप गावो को अच्छा बनावे, सुन्दर बनावे। ये गाव जो आज बसे हुए है वे, ऐसा मालूम होता है, तीन-तीन सौ चार-चार सौ वर्ष पहले के बने हुए है, उस समय के बसे हुए है जब लोग डाकुओ से डरते थे, जब वे घुस-घुस कर पास मे रहना चाहते थे। उस समय बक्स जैसे मकान या बक्स जैसे मोहल्ले अच्छे समझे जाते थे। यह मुहावरा उत्तर प्रदेश मे प्रचलित है कि यह मोहल्ला क्या है बक्स है, यानी मकान घुसे-घुसे पास-पास बसे हुए है। इसका परिणाम यह है कि अगर एक घर मे बीमारी है तो वह आगे फैलती है। एक घर मे अगर आग लगे तो गाव का गाव जलता है। कही गलिया

ठीक नही है। जो छोटी-छोटी गलिया है उनमे बच्चे शौच करते है, गन्दगी चारो ओर दिखाई देती है। यह स्थिति है। इस स्थिति को तीव्रता के साथ ठीक करने की आवश्यकता है और अगर इस कार्य के लिए हमने दो चार अरब रुपया अलग कर दिया होता तो ठीक होता। आपने, अर्थात् इस रिपोर्ट को तैयार करने वालो ने, २० अरब और ६६ करोड रुपये के व्यय की योजना बनाई है। मेरा सुझाव है कि इस २० अरब, ६६ करोड रुपये मे से अगर आप दो चार अरब रुपया इस काम के लिए दे कि गाव की नई रचना हो तो उसका कही अधिक अपेक्षाकृत लाभ होगा। इधर आपने ध्यान ही नही दिया। मेरा सुझाव है कि अब भी उधर ध्यान दिया जाय।

वाटिका-गृह

मै सुझाव देता हू कि गाँव के प्रत्येक घर के लिए, जो नये गॉव बसते है उन मे प्रत्येक कुटुम्ब के लिये—पाच सात आदमियो के कुटुम्ब के लिये—आप आधा एकड़ भूमि दे। मेरा सुझाव है कि आधा एकड भूमि, लगभग २,४०० वर्ग गज भूमि, एक एक घर को आप दे। फिर आप देखे कि कैसी सुन्दर बस्ती बसती है। तब यह आप का क्षय रोग और मलेरिया का प्रश्न ही गावों मे नही रहेगा और यह चीजे फिर सुनाई नही देगी। दवाइयों पर रुपये खर्च करना बुद्धिमानी नही है। बुद्धिमानी यह है कि बस्तिया ऐसी बनाइये कि लोग स्वास्थ्य से रहे और बीमारी का प्रश्न ही न आये। सफाई आप से आप होगी। वहा सड़के हों, कुछ कतारे हो, इस तरह से गाव बसाइये। एक-एक घर के बीच मे आधा एकड जमीन हो। उस घर के चारों ओर वाटिका हो, वृक्ष हों, जिससे सौदर्य का रूप दिखाई पडे। सुन्दरता वृक्षो से आती है, हरियाली से आती है, यह तो सब का अनुभव है। हमारे कवि लोग भी जब गान करते है सुन्दरता का, बिना हरियाली के वर्णन के उनकी कविता पूरी नही हो पाती। मै स्वप्न देखता हूँ कि हमारे यहॉ इस तरह के घर हो जिनमे हर एक मे हरियाली और वाटिका हो। मैने इस तरह की चीज कुछ दक्षिण मे तो देखी। घूमते हुए मुझे त्रावनकोर-कोचीन मे कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिये। परन्तु उत्तरी भारत मे यह नही है। क्या बिहार, क्या बगाल, और क्या उत्तर प्रदेश, कही नही है। मै सुझाव देता हूॅ कि इस तरह से नई सृष्टि की जाय।

इस क्रम मे एक दूसरा गुण और है। आज मेरा कथन यह है कि हमारे देश मे वस्तुओ की बरबादी कई दिशाओ मे बहुत है। वेस्ट-फुलनेस केवल शासन में ही नही है। मै एक मिनट बाद उसकी बात करता हूॅ। परन्तु जिन उपयोगी चीजो की हम रक्षा कर सकते है वह रक्षा हम नही

कर रहे है। आपका ध्यान भी देश के मल-मूत्र की तरफ नही जाता, आपका रुपयो पैसो पर ध्यान जाता है, सोने चादी पर ध्यान जाता है, मगर देश के मल-मूत्र पर ध्यान नही जाता। आवश्यकता है कि देश के मल-मूत्र की हम रक्षा करे। उसमे बडी सम्पत्ति है। अगर हर एक घर मे आप आधा एकड भूमि देगे, जैसा मेरा सुझाव है, तो उस घर का मल-मूत्र वहाँ की मिट्टी मे जायगा। छ इच मिट्टी के नीचे मल-मूत्र सुवर्ण होता है।

मेरा यही सुझाव नगरो के लिए भी है। आज की तरह उनको न रखिये। आधा एकड़ आप वहाँ नही दे सकेगे। परन्तु यह सिद्धान्त स्मरण रखने के योग्य है कि प्रत्येक घर के साथ वाटिका हो। यह कहना कि भूमि कहाँ है बिल्कुल व्यर्थ की बात है।

भूमि है हर जगह पर, हर गाव के साथ। रास्ता निकालने की बात है। हर गाव के साथ भूमि मिल सकेगी।

अधिकतम मूल्य निर्धारण—बेईमानी का उत्पादन

बहुत ब्यौरो मे तो मै जा नही सकता, यह इतनी बडी रिपोर्ट है। परन्तु दूसरा मोटा सुझाव मेरा यह है कि आपने इस रिपोर्ट मे फिर कट्रोल की चर्चा की है और कट्रोल की चर्चा करते हुए **सीलिग प्राइसेज** (यह रिपोर्ट के शब्द है) रखने की बात की है। **सीलिग प्राइसेज** अर्थात् निश्चित अधिकतम मूल्य बाधने के क्रम का हमे खूब अनुभव हो चुका है और कौन ऐसा बचा होगा जिसको इसका अनुभव न हुआ हो। घर-घर में बेईमानी हुई है **सीलिग प्राइसेज** की वजह से। जाति की जाति और नगर के नगर बेईमान बनाये गये है। मैंने एक रोज उदाहरण दिया था कि खुले बाजार मे चना जिसकी सीलिग प्राइस गवर्नमेट की ओर से १२ रुपये मन है वह १६ और २० रुपये मन बिक रहा था। इसी तरह गुड का भी मै यहा पर उदाहरण दे चुका हूँ। और भी कितने ही उदाहरण मै आपको दे सकता हूँ कि आप ने एक वस्तु की सीलिग प्राइस रख दी, अर्थात् इससे अधिक भाव पर वह वस्तु न बिक पायेगी, परन्तु परिणाम उसका यह हुआ है कि उससे अधिक भाव पर वह खुले बाजार मे बिकी। आपकी आखों के सामने बिकी लेकिन आप मे साहस नही है कि आप उस अपराध करने वाले के विरुद्ध कोई मुकदमा चला सके। दो मिनिस्टर जो यहाँ इस समय बैठे हुए है, मै उन से पूछता हूँ कि उनको इस चीज का अनुभव है या नही। मै चाहता था कि इस वक्त फाइनेस मिनिस्टर (वित्त-मत्री) यहा पर मौजूद होते। मै जो बात कह रहा हूँ, वह ठीक है या नही, उसकी छान-बीन गवर्नमेट करे, उसकी नाक के नीचे सीलिग प्राइस से

ज्यादा ऊँचे दाम पर वस्तुए बिकती है, परन्तु अपराध करने वालों के विरुद्ध वह मुकदमा नही चला सकती । मैने इस चीज की तरफ एक मिनिस्टर का ध्यान खींचा था । उन्होने मुझे जवाब दिया कि हमे भी तो इसी बाजार भाव पर खरीदना पडता है । आखिर यह क्या तमाशा है, क्या शासन है ?

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम)—तमाशा है ।

श्री टंडन—आप जानते है कि जो कार्यवाही आप कर रहे है, उससे बेईमानी फैलती है, लेकिन फिर भी आप वही कार्यवाही करते है । आप को लोगो की रोटी और भौतिक चीजो का तो ख्याल है, लेकिन लोगो की आत्मा कहाँ जा रही है, गड्ढे मे गिर रही है, उधर बिल्कुल आप का ध्यान नही है । गाधीजी चले गये, आप आज गाधीजी से लाखो कोस दूर बहते चले जा रहे है । शासन-कर्त्ताओ के लिये गाधीजी का नाम लेना असत्य है । गाधीजी सत्य को सब से ऊपर रखते थे, क्या आप आज जो कुछ कर रहे है, वह सत्य की रक्षा करेगा ? मै चाहता हूँ कि योजना बनाने वाले यह देखे कि सीलिग प्राइस और सत्य दोनो अलग-अलग वस्तुए है, सीलिग प्राइस और सत्य का मेल नही हो सकता । अपने अनुभव के बाद सीलिंग प्राइस के क्रम को फिर रखना सिवाय अशुद्ध स्वप्न देखने के और कुछ नही है । मेरा सुझाव है कि अब तो आपको उसका स्वप्न नही देखना चाहिए और प्राप्त किये गये अनुभव से आपको लाभ उठाना चाहिये ।

कन्ट्रोल—शासन पर

कंट्रोल की बात आप करते है, कट्रोल होना चाहिए, इसे मै भी जानता हू, नियत्रण होना चाहिए । लेकिन केवल कीमत पर ही नही, मुख्य चीज तो यह होनी चाहिए कि जीवन पर एक कट्रोल और नियन्त्रण हो लेकिन आज जीवन पर वह कट्रोल कहाँ है ? कट्रोल अपने ऊपर और अपने शासन पर और अपने कार्यकर्ताओ पर होना चाहिये । पहला कट्रोल यह है । अगर आपका कट्रोल अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने आदमियों पर नही है, तो यह सारी योजना, जो कमीशन की आपने बनाई है वह ढह जायगी और ठहरेगी नही । मै इधर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आपको साफ-साफ बतला देना चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी कार्यकर्ताओं का ठीक मसाला तैयार नहीं करते और ऐसे आदमी नही ला सकते जो आपके भावो को ठीक तरह समझ कर उन पर अमल करे, तब फिर यह जितनी रिपोर्ट और योजना है, शेखचिल्ली की कहानी रह जायगी । शेखचिल्ली ने भी बड़ी एक योजना बनाई थी कि मेरे कुटुम्ब मे यह होगा और वह होगा । अपने मन मे बहुत लम्बा चौड़ा ढाँचा उसने बनाया था, लेकिन जो सिर से उसके हाडी

लुढकी तो सब ढाँचा ढह गया (हंसी) । मै यह हसी के लिए नही कहता, यह गहरी चीज है । अगर आप के आदमी ठीक नही चल सकेंगे तो आप की यह सारी रिपोर्ट ढह जायगी । आदमी अर्थात् मसाला आपके पास जैसा है वह आप जानते है और मै भी जानता हूँ । इसको यही छोड कर अब मै एक दूसरी बात पर आता हूँ ।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार

आप ने बीस अरब का खर्चा इसमे कूता है और आपको चिन्ता है कि वह रुपया किसी प्रकार आये । आप ने अनुमान किया है कि आप टैक्सो के द्वारा और जनता की बचत से बारह अरब रुपया प्राप्त कर लेगे । आप ने आपनी आमदनी से भी अधिक खर्चा कूता है । आपने डिफिसिट बजटिग की बात कही है । मै इतने बड़े डिफिसिट बजट के पक्ष मे नही हूँ । छोटी-मोटी डिफिसिट एक अलग चीज होती है । मै इस समय ब्यौरे मे नही जाता, लेकिन मै यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप रुपया बचाना चाहे तो बचाने की बहुत गुजायश है । आपके खर्च में बहुत रुपया बर्बाद हो रहा है । अभी उस रोज मैंने पढा था कि हमारे भाई नन्दा जी ने इजीनियरो से बात करते हुये कहा था कि आप लोग अपना नैतिक स्तर ऊचा करे । मुझको अपने भाई की वह बात अच्छी लगी थी, इसलिये अच्छी लगी थी कि यह इजीनियरिग विभाग बहुत अधिक रुपया व्यय करने वाला विभाग है । उसमे खूब रिश्वतखोरी चलती है और यह किसी से छिपा नही है । यह एक मशहूर बात है ।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली-उत्तर)—हमारे फीरोज भाई कहते है कि उधर हीराकुड मे बहुत है ।

श्री टण्डन—इस प्रकार का काम ज्यादा है और उसमे इंजीनियरों का ही हाथ होगा । श्री नन्दाजी बहुत करेंगे तो कही-कही चले जायेंगे, लेकिन क्या उनकी बात चल पायेगी ? मुझे तो सन्देह कि इस विषय मे गवर्नमेंट के अफसरो की सृष्टि इतनी जल्द बदलने वाली नही है । मै तो देख रहा हूँ कि आज सरकारी आदमियो मे ईमानदारी मुश्किल से मिल रही है । मै यह बात खूब नाप तोल कर कह रहा हूँ कि नौकरी मे अधिकतर आदमी जहाँ उनको अवसर मिलता है, बेईमानी करते है और रिश्वत लेने को तैयार रहते है और यह कोई छिपी बात नही है । जुडीशरी मे नीचे का जो अमला है, जजो के ऊपर मै आक्षेप नही कर रहा हूँ, नीचे के अमले मे रिश्वतखोरी खुली चलती है । सप्लाई विभाग का लगभग एक-एक इस्पैक्टर खुली तौर पर रुपया खाता है । इजीनियरिग विभाग मे जो ठेकेदार है उनके ऊँचे-ऊँचे

महल उठे हुए है। ये क्या उन्होने सही तरीके से रुपया पैदा करके बनाये है? इजीनियरिग विभाग के आदमियों का एक निश्चित कमीशन बंधा हुआ होता है। इजीनियर और ओवरसियर इस तरह नाजायज तौर से रुपया कमाते है। अगर आप बजाय प्राइस कट्रोल करने के रुपया बचाने के हेतु कट्रोल करते तो इस रिपोर्ट के सफल होने की अधिक आशा होती।

सरकारी रुपयों की चोरी—प्रमाण

मै अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूँ कि सरकारी विभागों में किस तरह से रुपया **लीकेज** होने के कारण बर्बाद हो रहा है। सिर्फ लीकेज से ही नही, उसमे तो एक छोटा सा सूराख होता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि रुपया वहॉ बडे पाइप के जरिये बहाया जाता है। मै जानता हूँ कि जल्दी उसका अनुभव लोगो को नही होता है। मै आपको अपने अनुभव की बात बतलाता हूँ। मै यह बात अपने मित्र वित्त विभाग के राज्य मत्री को बता चुका था। मै चाहता था कि आज श्री देशमुख जी यहा पर होते और वह इसको सुनते। अभी कल की ही तो बात है जब उन्होने औद्योगिक वित्त निगम के लिए कमेटी की स्थापना की घोषणा की थी, अर्थात् अग्रेजी मे जिसको इडस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन कहते है, उसके सम्बन्ध मे एक जाच कमेटी की नियुक्ति करने की उन्होने कल घोषणा की थी, क्योकि यहॉ पर यह आक्षेप किया गया था कि उसमे व्यापारियो ने रुपया उचित रीति से उधार नही लिया है। यह घोषणा करके उन्होने साहस का काम किया और मै उन्हे इसके लिए बधाई देता हूँ।

मै उनके सामने अब दूसरी बात रखने जा रहा हूॅ। पहली तो सन्देह की बात हो सकती थी, लेकिन जो मै अब बतलाऊँगा यह प्रमाण की बात है। मै वह बात आपके सामने रखने जा रहा हू जो अभी तक अखबारों मे आई नही है और जिसके बारे मे पार्लियामेट के मेम्बरो को भी नही मालूम है।

एक माननीय सदस्य—आपको तो मालूम है।

श्री टंडन—मुझ को तो मालूम है ही, और मै कह रहा हूॅ। मै तो कभी अनुमान नही कर सकता था कि किसी भी शासन मे मुझे यह अनुभव होगा। मुझ को तो अन्धेर नगरी की बात याद आने लगी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली)—चौपट राजा। (हसी)

श्री टंडन—आप हंसिये नही तो मेरे ऊपर बडी कृपा होगी। यह एक गम्भीर विषय है, मेरे लिये तो रोने का है हसने का नही। मै सन् १९४८ की बात कह रहा हूँ। मै यहॉ पर कास्टीटुएन्ट एसेम्बली का सदस्य था। कानपुर मे एक मेरे जाने हुए बडे अच्छे काग्रेस के कार्यकर्त्ता है।

उनके भाई यहाँ रहते है, दिल्ली मे। उन सज्जनो से मेरा अच्छा परिचय है। उनके एक भाई मेरे पास आये। उन्होने मुझ से अपनी कथा कही कि उन को अपना १६ हजार रुपया बकाया सेन्ट्रल रेवेन्यूज के एकाउण्टेण्ट जनरल के कार्यालय से मिलना था। वह बहुत रोज तक पडा रहा। यहाँ जो लडाई का बचा हुआ मलवा बिकता है उसका एक विभाग है जिसको **डिस्पोजल्स** विभाग कहते है, उसमे से वह साहब कुछ खरीदने वाले थे और उसके वास्ते उन्होने वह रुपया जमा किया था। जब काम खत्म हो गया तो उन्होने चाहा कि जमानत का रुपया मिले। वह मुश्किल से उन्हे मिला जिसमे लगभग दो वर्ष लगे।

एक क्लर्क ने आकर उनके हाथ मे एक चैक दिया और कहा कि यह आपका चैक है लीजिये। उस चैक के देने के बाद उस क्लर्क ने उनसे कहा कि यही चैक मै आपको फिर दे सकता हूँ। आपका जितना रुपया था वह तो आपको मिल गया, लेकिन अब मे इसके बाद फिर आपको १६ हजार का चैक देने को तैयार हूँ, और कई बार देने को तैयार हूँ, शर्त यह है कि आप आधा हम को दे।

उस व्यापारी ने आकर यह बात मुझ से कही। मै तो दग रह गया कि आखिर यह क्या बात है। उसने मुझसे कहा कि, "बाबू जी, क्या सरकारी काम इसी तरह से चलेगा ?" वह केवल इसीलिये मेरे पास आया कि आखिर इस गवर्नमेट मे हो क्या रहा है। सन् १९४८ की बात थी, नई-नई स्वतत्रता मिली थी और लोगो मे जोश था कि हम अपनी गवर्न-मेट की सेवा करे। मैने भी सोचा कि यह बात क्या है। इसी बीच मे उसके कानपुर वाले भाई भी आ गये, जो कानपुर के जाने हुये और प्रति-ष्ठित काग्रेसी है। उन्होने भी आकर इसी तरह की बात दोहराई कि उन को भी यह अनुभव है कि इस प्रकार की बात वह क्लर्क कह रहा है। उन्होने पूछा कि क्या मै इस चैक को ले लूँ, जो १६ हजार का वह देने को तैयार है। एक चैक तो मै ले चुका हूँ, अगर मै दुबारा ले लूँ तब बता सकता हूँ कि यह बात गलत है या सही है। कहिये तो मै प्रमाण के लिये ले लूँ। मैने उन्हे सलाह दी कि तुम उस क्लर्क से पूछो कि डिस्पोजल्स मे तो बहुत से चैक उसको देने पड़ते है, क्या किसी दूसरे का चैक भी, जो अदा हो चुका है, वह तुमको फिर दे सकता है। दो एक दिन बाद उन्होने मुझे आकर जवाब दिया कि वह दे सकता है, दूसरे का चैक भी दे सकता है। तब मैने उन मित्र से कहा कि दूसरा चैक तुम ले लो। चार पाच दिन के बाद एक चैक २८०० रुपये का ला कर उन्होने मेरे सामने धर दिया। वह चैक उनको ड्यू नही था। लेकिन वह चैक उनके पक्ष में था, जिसका रुपया उनको मिलना वाजिब नही था। उन्होने

उसको मेरे सामने धर दिया और मुझसे कहा कि, "बाबूजी, आप बताइये कि यही आपकी गवर्नमेंट है कि जितनी बार आदमी चाहे जा कर चेक ले आये।" मैने उन मित्र से कहा कि अभी तुम इसको भुनाना नही, ऐसे ही पडा रहने दो। मै सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैंने फाइनेन्स विभाग के एक अधिकारी को यह चेक दिखाया और मै उन व्यापारियो को ले गया, मै उन आदमियो के नाम भी बता सकता हूँ। अधिकारी ने उस चेक को देखा। वह भी परेशान हुए और थोडी बहुत उन्होने इधर-उधर जाच की। इसके बाद एक बहुत ऊचे अधिकारी, जो फाइनेन्स विभाग के थे, आडिट विभाग के शायद दूसरे नम्बर पर थे, बिल्कुल ऊपर के नही, वे मेरे पास आये। मैने उनसे बात की। मैने हिसाब रखने का क्रम समझना चाहा, क्योकि मै भी थोडा बहुत हिसाबिया हूँ, और जानता हूँ कि किस तरह से एकाउण्ट्स रखे जाते है। मुझको हिसाब का कुछ अनुभव है। मैने उनसे समझना चाहा कि यह सब कैसे सम्भव है, आपकी चेकिग का क्या तरीका है जो चेक इस तरह से किसी को भी दिया जा सके। मुझे ऐसा लगा वह खुद समझ नही पा रहे थे और न मुझे वह कुछ समझा सके। फिर मुझको यही चारा दिखाई पडा कि मै होम विभाग की शरण लूँ। मैने उन व्यापारियो को ले जा कर सरदार वल्लभभाई पटेल के सामने पेश किया। उन्होने वह चेक उनके सामने रखा। मैने उनसे कहा कि यह चेक जाली नही है, सही है, इसका रुपया मिल सकेगा। लेकिन यह एक ऐसा चेक है जिसके बारे मे पाने वाला कह रहा है कि रुपया मेरा नहीं है और यह चेक उसी को दिया गया है। यह तो एक ही चेक है, लेकिन इस तरह के हजारो चेक हो सकते है। आप रुपया इकट्ठा कर रहे है, लेकिन रुपया इस बडे सूराख से बह रहा है। मैने उनसे निवेदन किया कि एक आदमी को गिरफ्तार करने से कोई फायदा नही होगा। आपको यह समझना है कि यह कैसे हो रहा है, इस हिसाब का क्रम क्या है, जिसमे ऐसी बात हो सकती है। मगर वह बेचारे क्या करते। उनके सामने चारा ही क्या था। उनका तो होम डिपार्टमेंट था, उन्होने अपने सेक्रेटरी श्री शकर को आज्ञा दी कि इटेलिजेन्स ब्राच के सुपुर्द यह काम किया जाय। उन्होने जो कुछ भी लिखा हो मै नही जानता, उसके कुछ दिनो बाद मैने यह सुना कि पुलिस वालो ने उस क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। मै जानता नही, लेकिन मैने सुना कि पुलिस वालो ने उस आदमी को भी मागा था जिसने चेक पर दस्तखत किये थे। लेकिन फाइनेन्स विभाग ने या गवर्नमेंट के लोगो ने उसको गिरफ्तार नही होने दिया। और वह छोटा क्लर्क, जो सौ पचास रुपया का नौकर था, गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास पुलिस के एक अफसर आये और उन्होने कहा कि बताइये कि बात क्या है। यह

सन् १९४९ की बात है। मैने उनको अपना बयान लिखा दिया। वह जो दोनों व्यापारी थे, उन्होने भी अपने बयान दिये। उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चला उस छोटे क्लर्क के ऊपर। लेकिन जिसने चेक पर दस्तखत किये थे वह गिरफ्तार नही हुआ—आज तक नही हुआ। मेरे पास गवाही के लिये सम्मन आया। मै गवाही मे गया और गवाही मैने दी। मेरी लिखित गवाही मिसल पर है। मेरी यह गवाही सन् १९५१ मे हुई थी। मैने समझा था कि केस आगे चलेगा और बात आगे बढेगी। मुख्य बात तो जाच थी। अब मुझे उन व्यापारियो मे से एक के द्वारा, जिनके कहने से यह मामला चला था, पता चला है कि उनके पास फाइनेन्स विभाग से खत पहुँचा है कि वह मुकदमा वापस ले लिया गया है और दफ्तर की कार्यवाही, जिसको डिपार्टमेटल जाच कहते है, होगी। यह खत इसी अक्टूबर सन् १९५२ का है। मै नही जानता कि इस तरह के कितने लाखो और करोडो रुपये गये होगे। यह आदमी ईमानदार था, उसको दर्द था, वह मेरे पास दौडा आया। लेकिन जो बेईमानी करते है वे तो मेरे पास आने वाले नही है। न मालूम कितने लाखो और करोडो आपके रुपये इस सूराख से निकल गये, इसका आपको पता नही है और आज तक उसकी जाच नही हुई है।

उचित आयोजन

फाइनेन्स (वित्त) विभाग के मत्री यहाँ नही है। उन्होने कल एक कमेटी बनाई थी। मै चाहता हूँ कि उनको साहस हो कि वे एक ऐसे स्वतत्र कमीशन को बनावे, जिसमे आडिट और हिसाब जानने वाले आदमी हो। आपके आडिटर लोग पकड नही सके कि रुपया किस तरह से गया है। आडिटर जनरल है, डिप्टी आडिटर जनरल है, लेकिन उनको जानकारी नही थी कि क्या हो रहा है। यह शिकायत चार बरस की है और जान पडता है कि चार बरस मे उनकी यह समझ मे नही आया कि रुपया किस तरह से गया है। आप होशियार लोगो का कमीशन बनावे। यह चेक इम्पीरियल बैंक के नाम है। यह कमीशन यह देखे कि किस तरह के हिसाब रखने से रुपया जाता है।

यह इतनी बडी रिपोर्ट है। मै इसके एक ही अग पर बोल सकता था। मैने इतना समय ले लिया इस बात के दिखाने मे कि आपका रुपया किस तरह बह रहा है। आप बीस अरब की फिक्र मे है पर न मालूम इस तरह से आपका कितना रुपया गया है। मै सुझाव देता हूँ कि जब तक आपका दफ्तर, आपका इन्तजाम इस तरह का है, आप बड़ी-बडी प्लाने (योजनाएँ) न बनावे, आप छोटी योजनाएँ बनाये, अपने दफ्तर को सभाले और कुल शासक वर्ग को सभाले। इन बेईमानो को, जो आपके पास इकट्ठे है, ठीक करे तब योजना मे सफलता की आशा हो सकती है।

●

६

रेलवे विभाग का प्रबन्ध

५ जून सन् ५२ को रेलवे आय व्ययक के वाद विवाद में रेलवे बोर्ड शीर्षक अनुदान की माग पर लोक सभा मे बोलते हुये

सभापति महोदय ! मै इस रेलवे विभाग के विषय मे बडा व्याख्यान देने नही खडा हुआ हूँ। दो तीन बाते मुझ को सूझी है उनको इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विभाग के मन्त्री महोदय सोचे कि क्या वह उनकी ओर से कुछ काम कर सकते है।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

मेरा अनुभव यह है और मेरा विश्वास है कि वर्तमान मन्त्री महोदय का भी अनुभव होगा कि रेल विभाग मे, जो हमारे देश की सब से बडी व्यापारी सस्था है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। साधारण रीति से बडे बडे स्टेशनो पर तो नही किन्तु छोटे स्टेशनो पर टिकट बाबू टिकट के मूल्य से अधिक पैसा वसूल करते है और क्या बडे क्या छोटे स्टेशनो पर, क्या कलकत्ता और क्या इलाहाबाद और क्या दिल्ली मे पार्सल और लगेज (Luggage) और माल का प्रबन्ध जिनके हाथ मे है वे तो हजारो रुपये बनाया करते है। मै कहता हूँ कि यह हम लोगो का साधारण अनुभव है। मै तो व्यापारी नही, लेकिन व्यापारियो से हर एक आदमी को इसका पता लग सकता है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि एक मानी हुई गन्दगी, एक छिपी हुई गन्दगी इस गवर्नमेट के हर विभाग में सब जगह मौजूद है। मै चाहता हूँ कि सबसे बड़ी व्यापारी सस्था के रूप मे रेल विभाग यह यत्न करे कि हमारे देश के चतुर्मुखी व्यापार मे कुछ अधिक नैतिकता दिखायी पडे। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे व्यापार तथा उद्योग मे, क्या मिल मालिको मे, क्या कलकत्ता और बम्बई के बडे बडे व्यापारियों में, ऊँचे दर्जे की नैतिकता, शुद्धता बहुत कम दिखायी देती है। व्यापार का कुछ ऐसा रूप हो गया है कि जब किसी व्यापारी से बात करो तो वह कहता है कि अगर हमे व्यापार करना है तो बिना घूस दिये हुए हमारा काम चल ही नही सकता, या तो हम व्यापार छोड दे या हम घूस दे, बिना इसके काम नही चल सकता। मुझे एक सार्वजनिक सेवक होने के नाते व्यापारियो से बराबर सम्पर्क रहता है और इस प्रकार का उत्तर मुझको मिलता

है। मै सुझाव देता हूँ मन्त्री जी को कि उनके सामने बडा भारी अवसर है। यदि यह जो सबसे बडी व्यापारी सस्था हमारे देश की है, उसमे नैतिकता आये, उसमे से घूस खाना हट जाय तब हम दूसरे व्यापारियो से यह आशा कर सकते है कि उनके व्यापार का नैतिक स्तर ऊँचा हो। मै जानता हूँ कि यह काम बहुत आसान नही है। सब विभागो मे जहाँ जहाँ घूसखोरी चलती है, उसे हटाना आसान नही है, किन्तु फिर भी मेरी यह धारणा है कि यह असम्भव नही है। केवल इसमे लगने की आवश्यकता है। शक्ति के साथ, मुरौवत छोडकर हमे इस विभाग के प्रबन्ध को ऊँचा करना होगा। इस प्रतिज्ञा से, इस धारणा से, यदि मन्त्री महोदय लगे तो हमारे देश की कृतज्ञता के पात्र होगे।

वर्गहीन रेलवे

एक दूसरा सुझाव है। हमारी राष्ट्रीय काग्रेस ने अपने सामने यह ध्येय रखा है, और सभापति जी आप जानते है कि मै उसका एक छोटा सेवक हूँ, हम लोगो ने अपने सामने एक ध्येय रखा है कि समाज वर्गहीन हो। अग्रेजी भाषा मे, हमारे मन्तव्य मे, क्लासलेस (Classless) शब्द रखा गया है। हम क्लासलेस सोसाइटी (Classless Society) बनाना चाहते है। मेरा विश्वास है कि इसमे विरोधीदल और काग्रेसदल मे कोई मतभेद नही होगा। यह रेल विभाग हमारे देश का इतना बडा विभाग है कि इसके कामो का हमारे समाज के निर्माण पर बराबर असर पडता है। यदि हमारी गवर्नमेण्ट इस ओर झुकना आरम्भ करे कि हम समाज को वर्गहीन बनाये तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वह कम से कम रेल गाडियो को तो वर्गहीन कर दे, अर्थात् उसमे जो क्लास एक, क्लास दो, इन्टरमीडिएट और क्लास तीन—यह चार दर्जे है उन्हे हटाकर रेलगाडियो को क्लासलेस (Classless) बना दे। वर्गहीन समाज का जो हमारे सामने ध्येय है उसको पूरा करने की ओर हम सचमुच झुकना चाहते है तो यह एक व्यावहारिक सुझाव है। हा, यह एक दिन मे नही हो सकता, कोई भी बडा काम एक दिन मे नही होता, कुछ समय लेता है। सम्भव है कि बहुत से भाइयो को सुनने मे यह लगे कि अजीब बात कह दी, यह व्यावहारिक नही है। जो लोग ऐसा सोचते है उनको एक क्लासलेस सोसाइटी (Classless Society) का स्वप्न भी नही हो सकता। जो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करे, वर्गहीन समाज की बात करे, उसको इसका स्वागत करना होगा कि हमारी गवर्नमेंट यह काम आरम्भ करे। कम से कम रेलगाडियो मे एक दर्जा हो, केवल एक दर्जा। और जो दर्जे है वह हट जाये। हमारे एक भाई ने जो तीसरे दर्जे के बारे मे शिकायत की थी

वह बहुत कुछ तब हट जायगी जब हम सब तीसरे दर्जे मे चलेगे । तब स्वभावत उसके प्रबन्ध मे बहुत अन्तर हो जायगा ! यह मेरा मुख्य सुझाव है ।

दूसरे विषयो मे मुझे इस समय अधिक कहना नही है । मै बिलकुल व्यावहारिक रूप से मत्री महोदय के सामने रख रहा हू कि इन दोनों सुझावो पर वह गहरी दृष्टि से विचार करे और उन पर अमल करे ।

रेलवे पुनः संगठन

हॉ, चलते हुए मुझे उस विषय पर भी दो चार शब्द कहने है जिनकी चर्चा कई बार यहॉ हुई है । यह पुन सगठन के सम्बन्ध मे है । मुझको ऐसा भास रहा है कि इसमे कुछ प्रदेशीय भावनाओ ने बल पकडा है । मेरा निवेदन है कि जहॉ तक सम्भव हो हम ऐसे प्रश्नो को केवल प्रदेशीय भावनाओ से न देखे । मुझको सब बातो पर विचार करके यह लगा कि जो नया प्रबन्ध हुआ है, जिसका एक केन्द्र कलकत्ता मे रहेगा, एक बिहार और उत्तरप्रदेश के कार्यकर्त्ताओ का ध्यान रखकर गोरखपुर मे रखा गया और एक दिल्ली मे रखा गया—मुझको ऐसा लगता है कि यह प्रबन्ध इस प्रकार का नही है कि उसके विरुद्ध हम सब कडवी बाते कहे । सुझाव दिये जाय । लेकिन कोई ऐसी बात इसमे नही है कि जिसमे हम एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या और द्वेष का आक्षेप करे । मै और अधिक नही कहना चाहता।

इन तीनो बातो पर मेरे मन मे जो कुछ आया, उपाध्यक्ष महोदय, मैने आपसे निवेदन किया ।

श्री नन्दलाल शर्मा : मैं टडन जी से पूछना चाहता हूँ कि वह इस सदन की जानकारी के लिये बतलाये कि रेलवे में जो क्लासलैस नियम बना रहे है उसका आर्थिक सतुलन कैसे होगा । गरीबो के लिए और धनवानो के लिए किस तरह से इसमे प्रबन्ध होगा । इस पर वह प्रकाश डाले ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जवाब मिनिस्टर साहब देगे।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन : मुझे सवाल का जवाब देने का यहॉ अधिकार नही है। उपाध्यक्ष जी की अनुमति से मै इतना मेम्बर साहब से निवेदन करता हूँ कि वह अगर चाहे तो मुझसे इस विषय मे घर पर बात कर सकते है ।

७

अन्न का उत्पादन और वितरण

३० जून सन् ५२ को लोक सभा मे सामान्य आय व्ययक के वाद-विवाद मे खाद्य और कृषि के अनुदान को माग पर बोलते हुए :

उपाध्यक्ष महोदय ! मुझे हिन्दी मे ही कुछ कहना है और शायद यह वही हिन्दी हो जिसको हमारे दो बगाली दोस्तो ने "परन्तु हिन्दी" कहा है । मै ऐसा समझता था कि उनकी मादरी जबान उनको "परन्तु" गवारा कराती है । लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि "परन्तु" से वह घबराते है । मै चकित हुआ कि इन दो बगाली मित्रो के मुख से "परन्तु" पर कैसे आपत्ति हुई, क्योकि उनकी भाषा तो "परन्तु" से भरी हुई है । परन्तु अब मै अपने विषय पर कुछ कहूँगा ।

बड़ी योजनाओं में अपव्यय

भोजन की सामग्री का मसला दो तरह से देखा जा सकता है । पहिले तो हमारा ध्यान इस बात पर जाना है कि जितनी सामग्री हमारे देश मे है, जितनी हमारे देश मे उपज होती है, वह किस तरह से बढे । उस उपज का बढाना हमारा पहला कर्तव्य है । इस विषय के ऊपर कि वह कैसे बढाई जाय, गवर्नमेट का भी ध्यान है । यह बात स्पष्ट है कि यह जो बडी-बडी योजनाये है जिन पर करोडो रुपये लगने वाले है, यह सब इसी विचार से है । हा, उन योजनाओ मे जो पैसा खर्च होगा वह ठीक ही खर्च होगा, उस पैसे का सबसे अधिक उपयोग होगा—इसमे अवश्य मतभेद हो सकता है । मेरा कुछ अनुभव यह है कि गवर्नमेट की जो बडी बडी लम्बी चौडी योजनाये होती है, उनमे रुपया बरबाद बहुत हुआ करता है, विशेष कर यह जो इजीनियरिग का विभाग है, इसके द्वारा जो बडे-बडे काम उठाये जाते है वे ठेकेदारो द्वारा होते है, इनमे ठेकेदारो और सरकारी नौकरो के बीच मे रुपया खाया बहुत जाता है । यह कहते हुए मुझे खेद होता है । परन्तु है यही बात । जो मिनिस्टर लोग बैठे हुए है उनसे मै पूछता हूँ कि क्या उनमे साहस है, क्या उनमे यह हिम्मत है कि वह यह कह सके कि ऐसा नही है ।

बाबू रामनारायण सिह : नही है ।

श्री टंडन : आप मिनिस्टरों की पक्ति मे नही है । मेरा तो कहना अपने माननीय मत्रियों से है । अगर उन्होने जीवन मे घुस करके कुछ

जनता का और सरकारी कार्यकर्त्ताओ का अनुभव किया है तो उनको यह मानना होगा कि इस रुपये मे से बहुत अधिक बरबाद होता है। मै उन योजनाओ का विरोधी नही हूँ, लेकिन जब हमारे पास रुपये की कमी है, बचा हुआ रुपया है, तो उस रुपये से हम अधिक से अधिक काम कर सके, इस पर हमारा पहला ध्यान होना चाहिए। हमारे पैसे की अधिक से अधिक उपयोगिता हो यह हमारा पहला कर्तव्य है। इस लिये मुझको ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक उपयोगिता इस बात मे होगी कि हम छोटी छोटी योजनाये उठाये, किसान के पास जाये, और किसान को उसके काम मे सहूलियते दे। इस समय मेरे लिए व्योरो मे जाना सभव नही है। एक उदाहरण लेता हूँ।

नये क्रम के ग्राम

यह बात ठीक है कि किसान को पानी चाहिए। पानी के लिए नहरो का आना आवश्यक बताया जाता है। लेकिन नहरो मे तो करोडो रुपये लगेगे और समय लगेगा। मुझ को ऐसा लगता है कि अगर हम गॉव को नये ढग से बसाने की बात सोचे और उनको कुओ और तालाबों की अधिक से अधिक सुविधा दे तो उसमे इतना रुपया बरबाद नही होगा और हम को परिणाम भी जल्दी मिलेगा। एक नया भारत बसाना आप का और हम सब का कर्तव्य है। नयी सृष्टि, सुन्दर सृष्टि हम करे इसमे हम सब एकमत है। कैसे हो, यह विचार करने की बात है। आज जो गाव हमारे देश मे बसे है, वह अक्सर गन्दे है, घर वहॉ किसी काम के नही है और वहॉ उचित सुविधाए नही है। मै यह सुझाव देता हूँ—वैसे मैने निजी तौर पर पहले दिया भी है—कि हमे एक नये ढग से गाव बसाने चाहिये। मै जो सुझाव देता हूँ उसे पूरा करना बहुत सम्भव है। और उसमे जो रुपया लगाया जायगा उसका हमें तुरन्त परिणाम मिल सकता है। हम अपनी आखो के सामने उसका नतीजा देखा सकते है, हम सुन्दर गॉव बसते हुए देख सकते है। हम उपज जो बढाना चाहते है इसके लिए हमारा यह ध्यान होना चाहिए कि एक एक पुरुष और एक एक स्त्री जितना परिश्रम वे कर सकते है उनको परिश्रम करने का अवसर हम दे। आज घर के दो एक प्राणी खेती पर चले जाते है, स्त्रिया घर मे रहती है, उनका खेती के काम मे कही कही तो उपयोग होता है, लेकिन अधिक नही। मै जो अपने माननीय मंत्रियों को सुझाव देता हूँ इस मे जो बेज़मीन लोग है, जो भूमिहीन है, उनका भी मसला पूरी हद तक तो नही लेकिन कुछ हद तक तो हल होगा। मेरा सुझाव है कि हमारे जो गांव बसाये जाय उनमे हर घर मे रहने के लिए लगभग आधा एकड या एक

बीघा जमीन आप दे । यह एक नई सी बात सुन कर लोगो को शायद ताज्जुब हो। लेकिन मै कहता हूँ कि कोई वहाँ घर न बनाने पाये जब तक कि उस घर मे आधा एकड जमीन न हो।

श्री किदवई : कहते है कि नीलोखेरी मे ऐसा ही किया गया है।

श्री टंडन : आधे एकड से कम जमीन मे, जो एक बीघा के करीब होती है, कोई घर न बनने पाये। देखिये इसका क्या परिणाम होता है। आप को कोई सैनिटेशन का मसला नही उठाना पडेगा। बीच मे सडक होगी, आमने सामने घरो की पक्तिया होगी। हर एक के पास आधा एकड जमीन है, उसमे सुन्दर वृक्ष लगेगे। उसमे तरकारी हो सकेगी। उसमे कोई जुलाहा या कोई लुहार रहता है तो उसको अवसर होगा कि फैला कर अपना काम करे। वहाँ गाय भैस बाधने की जगह है, खाद जितनी होगी वह उस भूमि के अन्दर चली जायगी।

'नरबर' की हानि

उपाध्यक्ष जी, इस खाद की चर्चा करते हुए मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि हम बात तो करते है अधिक उपज करने की, लेकिन सबसे अधिक उपज करने की जो शक्ति खाद है उस खाद का नाश मेरे विचार मे हमारे देश के बराबर और कही नही है। हमारे इधर के एक सदस्य ने गोबर के विषय मे विचार रखा है। लेकिन मै चर्चा करता हूँ (यदि मै एक नया शब्द गढ दूँ) 'नरबर' की, अर्थात मनुष्य के मल-मूत्र की। यह मनुष्य का मल-मूत्र गोबर से कही अधिक शक्तिवान खाद है, उसकी आप क्या रक्षा करते है ? यह एक नया सा शब्द मैने बना दिया है। मनुष्य के मल 'नरबर' की आप इज्जत नही करते। किंतु यह बडी शक्तिवान चीज ह। इससे अधिक अच्छी खाद ससार मे नही है। आज इसको ससार समझ रहा है। यह जो फर्टीलाइजर है, सिन्दरी आदि मे उत्पन्न, उसके सम्बन्ध मे आज अमेरिका के लोग भी समझ रहे है कि उससे अधिक शक्ति तो आ जाती है लेकिन अततोगत्वा वह भूमि की शक्ति का नाश करने वाली वस्तु होती है।

डाक्टर लोग जानते है कि कुछ दवाये अग्रेजी भाषा मे (Aphrodisiac) कहलाती है जो इन्द्रियो को बल देने के लिए खाई जाती है, उनसे शक्ति नही बढती, परन्तु उनके प्रयोग से क्षणिक तौर पर इन्द्रियो को बल मिलता है। ऐसे ही यह फर्टीलाइजर्स क्षणिक तौर पर एक शक्ति दे देते है, परन्तु कुछ समय में यह भूमि को नपुसक बना देते है। इस लिए मै तो यह सुझाव देता हूँ कि यदि यह आधा एकड जमीन हर कुटुम्ब को हम देने की योजना करे तो उस कुटुम्ब का मल-मूत्र वही भूमि के भीतर

रह जायगा और उपज बढायेगा। आज उस मल-मूत्र के अधिकाश का नाश होता है और वह उपयोग मे नही आता। अस्तु अब मै इस विषय मे अधिक न कह कर इसको यही छोडता हूँ।

बड़े 'फ़ार्म' का मूढ़ाग्रह

एक बात जिसकी आज बहुत चर्चा होती है यह है कि बड़े बडे फार्म बनाये जाये। उपाध्यक्ष जी, हम लोग देहात के लोगो को मूढाग्रही (Superstitious) कहते है और उनके सुपरस्टीशनस (Superstitions) की हसी उडाते है, लेकिन पढे लिखे लोगो के सुपरस्टीशनस (Superstitions) अधिक निन्दनीय और हानिकारक होते है। उनमे आज एक यह सुपरस्टीशन अथवा मूढाग्रह और अन्धविश्वास फैला हुआ है कि बडे फार्मों मे अधिक पैदा होगा। एक भाई ने अभी बताया और मै भी आपसे कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नही है। आप गज लेकर भूमि नाप लीजिये, और खेती करके देख लीजिये, कोई आप बडा फार्म बनाकर उसमे से अधिक उपज निकालेगे बनिस्बत एक छोटे फार्म के, ऐसी कोई बात नही है, पैदावार तो इस पर निर्भर करती है कि आप भूमि मे आवश्यक जल कितना देते है और खाद कितनी देते है। जो खेतिहर इन बातो का ध्यान रखते है, वह अपनी भूमि मे बहुत अच्छी पैदावार करते है। आज जो हम को यह सुझाव दिया जा रहा है कि हम बडे-बड़े फार्म बनाये, यह अच्छी उपज के लिये कोई आवश्यक साधन नही है।

अन्न का वितरण—कट्रोल

अब मै दूसरी बात पर आता हूँ, क्योकि मै घडी की सुई को देख रहा हूँ कि वह तेजी से बढ रही है। मै आपसे अन्न वितरण के बारे मे भी कुछ कहना चाहता हूँ। उपज पहली चीज है जिसकी ओर हमे ध्यान देना है, और फिर उसका वितरण बटवारा कैसे हो, उसका हमे ठीक प्रबन्ध करना है। अन्न के बटवारे के बारे मे हमने कुछ विलायती तरीको को अपनाया है और कट्रोल के क्रय को अपने यहाँ जारी किया है। कट्रोल का क्रम ऐसा है जिसका एकदम तो हम बहिष्कार नही कर सकते। क्योकि कुछ न कुछ कट्रोल और नियमन हमे समाज मे करना ही पडता है, लेकिन हमे यह भी देखना चाहिये कि नियत्रण अथवा नियमन से हमे लाभ है अथवा हानि है। यह जो नियमन हमारे देश मे हुआ है, उससे क्या आपका लाभ हुआ है ? आपने वस्तुओ के सीलिग प्राइस अधिकतम मूल्य नियत किये, लेकिन मै पूछता हूँ कि कितने मिनिस्टर्स और दूसरे लोग है जो ईमानदारी से कह सकते है कि उन्होने इस नियन्त्रण का पालन किया है।

उनके घरो मे सीलिग प्राइस के बावजूद ज्यादा दाम पर चीजे मँगाई जाती रही है । मै मिसाल देता हूँ, चने को ही ले लीजिये १२ रुपये मन चने की सीलिग प्राइस गवर्नमेंट ने बाधी जो थोडे दिन पहले तक तो थी ही, और शायद आज भी वही १२ रुपये मन चने का दाम गवर्नमेंट की तरफ से बधा है ।

श्री किदवई : अब कोई सीलिग प्राइस नही है ।

श्री टंडन : आपने हाल मे हटा दी होगी । लेकिन एक महीने पहले तक की बात मै आपको बतलाता हूँ । चने की सीलिग प्राइस दिल्ली मे १२ रुपये मन थी । लेकिन लोग चना १९ रुपये, २१ और २२ रुपये के भाव से खरीदते थे । इस बारे मे एक मन्त्री महोदय से चर्चा आई, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नही । उन्होने बताया कि मै भी तो इसी भाव पर खरीदता हूँ, यह आप के सेटर के एक मत्री की बात कहता हूँ । मेरे एक मित्र लडको को पढाने की एक संस्था इस्टीट्यूशन के चलाने वाले है । वहाँ लगभग १५० लडके रहते है । उन्होने एक मन्त्री महोदय से कहा कि देखिए यह जो छ छटाक का राशन लडको को मिलता है उसमे उनका गुजारा नही होता और एक लडके के खाने का औसत करीब करीब ९ छटाक पडता है, राशन को सप्लीमेट या पूरा करने के लिए हमे चना खरीदना पडता है और वह हमे २२ रुपये और २१ रुपये के भाव से मिलता है जब कि उसकी सीलिग प्राइस गवर्नमेंट ने १२ रुपये बाँधी है । इसके लिए कोई रास्ता अथवा हल निकालिये, क्या हम चने की जगह मूग अथवा उडद की दाल लडको को देने के लिए खरीदे ? उसका वह मन्त्री महोदय जवाब देते है कि यह सब ऐसे ही चलता है, तुम क्यो घबडाते हो, हम भी तो इसी भाव पर खरीदते है । मेरा कहना यह है कि यह अनैतिकता समाज मे ऊपर से फैलाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई जा रही है ।

चु कुफ्र अज काबा बरखेजद कुजा मानद मुसलमानी !

मै नही कह सकता कि इस भाषा को मेरे "परन्तु हिन्दी" न समझने वाले भाई समझ सके होगे ! यह कुफ्र ! अनैतिकता, सरकारी आदमियो के घर मे चले, तब फिर जनता का क्या ठिकाना !

बाबू रामनारायण सिंह : बहुत ठीक ।

गवर्नमेंट ने अनैतिकता बढ़ाई

श्री टंडन : इस अनैतिकता को बढाने मे गवर्नमेंट का हाथ रहा है । मै अपने अनुभव से आपको कहता हूँ मेरा जनता से गहरा सम्पर्क रहा है, मै जन-पुरुष हूँ, मुझे यह दिखलाई पडा है कि इन पिछले चार, पाँच वर्षो मे और इस समाज मे अनैतिकता बहुत बढ गई है और आज हमारे

लिए यह कहना कि कौन पुरुष नैतिक रीति से जीवन व्यतीत करता है कठिन हो गया है। कितने आदमी ऐसे होगे जो इन नियन्त्रणो के रहते हुए अनैतिकता से बच पाये है। इन चार, पॉच वर्षो मे अनैतिकता जो फैली है उसमे ५० फी सदी अश गवर्नमेट के सप्लाई और फूड विभाग का रहा है। चाहे वह सेन्टर के हो, अथवा राज्यो के। उन सभी ने मिल कर इस अनैतिकता को फैलाया है।

पं० ठाकुर दास भार्गव : स्टेट्स खुद ब्लैक मार्केटिग करती रहती है।

सरकारी नौकरो मे बेईमानी

श्री टंडन : बेईमानी आफिशियल्स यानी सरकारी नौकरो मे बढी है। मुझे इलाहाबाद जिले की एक बात मालूम हुई। एक काग्रेस कार्यकर्त्ता ने जो बिल्कुल विश्वसनीय है, बताया कि एक इसपेक्टर की जिसकी तनख्वाह १०० या १२५ रुपये के लगभग है, एक छोटी सी मण्डी मे लगभग १०० रुपये रोजाना की आमदनी है। जितना माल उस मण्डी मे आता है उस पर आठ आने प्रति बोरा वह वसूल करता है।

इस कन्ट्रोल और नियन्त्रण का यह परिणाम हुआ कि चारो ओर नैतिक स्तर गिर गया है। मै अपने भाइयो से जो कन्ट्रोल के पक्ष मे हैं पूछता हूँ कि क्या इस अवस्था के ऊपर आप का ध्यान नही जाता ? हो सकता है कि कन्ट्रोल हटाने से कुछ थोडे से लोगो को असुविधाओ का सामना करना पडे। लेकिन उसके साथ ही आप इस अनैतिकता को जो फैली हुई है देखे। मै अपने भाई श्री रफी अहमद किदवई को इस पर बधाई देता हूँ कि उन्होने इस मसले के ऊपर ध्यान दिया है और मै आशा करता हूँ कि आगे को यह चीज खत्म हो जायगी। मैने तो एक जगह कहा था कि यह तो अनैतिकता की जड है और इसकी जितनी जल्दी समाप्ति हो सके की जाये। इसके हटने पर ही मै अपने देश मे भलाई की आशा करूगा कुछ लोग इसके पक्ष मे कहते है कि इससे एक्युटेबल डिस्ट्रीब्यूशन (Equitable distribution) होता है, लेकिन ऐसा है नही, आप मजदूरों से पूछिये जिनको ६ छटॉक खाने के लिए मिलता है, जो उनके लिए बिल्कुल ना काफी होता है। उनको अपना पेट भरने के लिए ब्लैक मार्केट से अनाज खरीदना पडता है। यहॉ आपकी दिल्ली मे अनाज ब्लैक मार्केट मे मिलता है, लखनऊ शहर के कुछ बाहर एक जगह है जहॉ मुझे मालूम है, लोग जाते है और वहॉ से अनाज खरीद कर शहर मे ले आते है, हर वक्त कोई जाच पडताल नही करता। यह बात बिल्कुल गलत है कि कट्रोल से अन्न का उचित बटवारा होता है। हमने इस देश मे कट्रोल का प्रयोग, एक्सपैरीमेट किया। वह प्रयोग यहॉ असफल साबित हुआ। अब इस कट्रोल के प्रयोग को समाप्त करने मे ही हमारी बुद्धिमानी है।

८

भाषावार राज्य

१२ जुलाई सन् ५२ को लोकसभा मे भाषावार राज्य सम्बन्धी अशासकीय संकल्प पर बोलते हुए

उपाध्यक्ष महोदय ! राजनीति मे भी मेरी यह मान्यता है कि जो वचन दिया जाय उसकी रक्षा की जाय। आज ही सवेरे मै एक समाचार पढ रहा था जिसमे अमरीका की कुछ चर्चा थी और लेखक ने यह टिप्पणी की थी कि चुनावं मे जो वचन दिये जाते है उनका प्राय यह मतलब नही होता कि उनके अनुसार काम किया जाय। यह पश्चिमी राजनीति का क्रम हो सकता है। मै जानता हूँ कि आजकल हम पश्चिम की नकल करने मे बहुत लगे है लेकिन फिर भी मेरा यह निवेदन है कि जहाँ तक नैतिकता का और वचन पालने का सम्बन्ध है हमे अपने इस प्राचीन क्रम पर रहना चाहिए कि "प्राण जाहि बरु वचन न जाही।"

काग्रेस वचनबद्ध

मै यह केवल वैयक्तिक कर्त्तव्य नही किन्तु दलो का कर्त्तव्य भी समझता हू। काग्रेस ने इस विषय मे वचन दिया है। मै एक काग्रेसी के रूप मे आज भी अगद के पैर की भाति उस पर डटा रहना चाहता हूँ। मेरा पैर आज उससे खिसकने वाला नही है। जो वचन हमने दिया है और कई वर्षो मे हमने अच्छी तरह से विचार करके जो नीति स्थिर की है कि हम भाषावार प्रदेश बनायेगे, उससे अणु मात्र भी, एक इच भर भी, हटना मुझको उचित नही लगता। मै तो अपने को एक काग्रेसी होने के नाते वचन से बधा पाता हूँ। इस कारण से जो माग कि आध्र प्रदेश की या कन्नड प्रदेश की रही है मेरी उसके साथ पूरी सहानुभूति है। मै स्वंय उनको वचन दे चुका हूँ। कन्नड प्रदेश के भाई मुझको जानते है। काग्रेस के सभापति की हैसियत से आध्र मे जाने का अवसर तो मुझे नही पडा था परन्तु मै कन्नड प्रदेश मे घूमा था। मैने वहाँ देखा कि कितनी दृढता के साथ वहाँ के भाइयो की यह इच्छा है कि वह प्रदेश अलग किया जाय और मैसूर के साथ उनका मेल हो।

मैने सभापति होने के नाते उनको पूरा आश्वासन इस बात का दिया था कि उनकी माग को काग्रेस ठीक समझती है। आज भी हमे वही रहना है और मेरा विश्वास है कि काग्रेस वही है। परन्तु यह प्रस्ताव जो आया

है उसको तो काग्रेस दल स्वीकार नही करेगा। जिन भाई ने यह प्रस्ताव दिया है जिस पर हमने इतनी चर्चा की है उनको एक मित्र के नाते एक सुझाव देना चाहता हूँ। जो कुछ उनकी माग है उसके साथ पूरी सहानुभूति रखने वाले के नाते उनसे यह कहूगा कि वह जो चाहते थे कि इस विषय पर सरकार का ध्यान खीचा जाय वह बात लगभग पूरी हो गई और इस विषय पर बहस हुई लेकिन वह इस विषय पर मत लिये जाने का यत्न न करे। बहस होने के बाद प्रस्ताव को वापिस ले ले। जहाँ तक काग्रेस दल का सम्बन्ध है, वह पुराने वचन से बधा हुआ है, वह भाग नही सकता। लेकिन इस समय वह इस प्रस्ताव का पक्ष नही करेगा, यह आपको मालूम है। इसलिए मै आपको यह सलाह दूँगा कि आप इस समय उससे नही न कराये।

गवर्नमेंट विलम्ब न करे

मै गवर्नमेट को भी सलाह देता हूँ कि इस मामले मे अधिक देर नही होनी चाहिए। मेरा तो विश्वास भी है कि वह इस विषय पर विचार कर रही है किन्तु मै उसके अन्दर की बात जानता नही, मै उसको यह सलाह देना चाहता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके, वह इस प्रश्न को उठावे। मुझको ऐसा लगता है कि इसमे बहुत अधिक कठिनाइया नही है। कुछ होगी, कुछ न कुछ कठिनाइया तो सब प्रश्नो के साथ होती है। उनका वह सामना करे और उनको वह हल करे।

मेरे पास बैठे हुए भाई श्री गोविन्ददास ने इस बात की चर्चा की कि मराठी भाषा प्रान्त को बनाने मे, सम्भव है, मध्यप्रदेश को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लेने की आवश्यकता पड़े और कुछ सदस्यो की ओर से नही की आवाज आई। इस प्रकार की कुछ बाते कभी-कभी होती रहती है, लेकिन मै श्री गोविन्ददास को आश्वासन देता हूँ कि हम अपने उत्तर प्रदेश मे कभी इस बात के इच्छुक नही रहे है कि हमारा प्रदेश बढता चला जाय। उनको मै इतना बतला सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश मे कुछ ऐसी बात है, कुछ उसमे ऐसा तिलिस्म है जिसके कारण लोग स्वय ही उसमे आना चाहते है। उदाहरणार्थ थोडा समय हुआ एक प्रश्न उठा था कि विन्ध्यप्रदेश, जो एक छोटा सा प्रदेश है, समाप्त हो जाय और उसकी पृथक स्थिति न रहे। मुझे यह पता है कि विन्ध्यप्रदेश के लोगो की इच्छा थी कि हम अलग रहे लेकिन अगर हम समाप्त होते है तो हमारा अधिक अश उत्तर प्रदेश के साथ जाय। इस इच्छा की कभी भी आप जाच कर सकते है। वहाँ के जो मुखिया लोग थे बुन्देलखड रीवा आदि के उनकी यह इच्छा थी कि यदि किसी दूसरे प्रदेश मे उन्हे जाना है तो उत्तर प्रदेश

मे जायें। अगर वह मध्यप्रदेश के साथ जाते है तो हम उनको आश्वासन देते है कि हमारे उत्तर प्रदेश वालों की तरफ से उनको रोकने के लिए कोई यत्न नही होगा।

श्री आर० एस० तिवारी : मैने कहा था कि विन्ध्यप्रदेश ही एक बडा प्रदेश बनाया जाय।

सांस्कृतिक एकता की इच्छा

श्री टंडन : हमारे भाई श्री राजबहादुर जो आज गवर्नमेंट के एक अग है इस समय दिखाई नही देते उनको यह मालूम है कि जब राजस्थान के बनाने का विषय आया और अलवर और भरतपुर के राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश मे जाने का सवाल पेश हुआ तब अलवर और भरतपुर इन दोनो स्थानो के मुखिया लोगो की यह इच्छा थी कि वे उत्तर प्रदेश के साथ जायँ। इन दोनो की निश्चित इच्छा की बात मुझे मालूम है। अलवर उस समय मुझे काग्रेस के काम के सिलसिले मे जाना पडा था और वहाँ के भाई और भरतपुर के भाइयो ने मुझ से सलाह मागी और अपनी स्थिति बताई कि उनके व्यापारी लोग राजस्थान के साथ नही जाना चाहते और उत्तर प्रदेश के साथ आना चाहते है क्योकि उत्तर प्रदेश से उनका पुराना सम्बन्ध है। मैने यह बात उस समय फंलाई नही लेकिन अब बता सकता हूँ कि मैने उनको यह सलाह दी और बहुत बलपूर्वक सलाह दी कि आप उत्तर प्रदेश मे जाने का यत्न न करे, वरन् आप राजस्थान मे जायँ। मेरा उनको ऐसी सलाह देना अर्थपूर्ण था। मै चाहता था कि जिन लोगो मे सास्कृतिक दृष्टि है और जिन्होने उत्तर प्रदेश के सम्पर्क मे आकर कुछ भारतीय सस्कृति के अगो मे प्रगति की है, वे राजस्थान के साथ जायँ और उस प्रदेश को सास्कृतिक सहायता दे।

मेरी अत्यधिक इच्छा यह है कि हमारी एक केन्द्रीय सस्कृति, भारतीय सस्कृति, का फैलाव हो। मेरी यह दृष्टि नही है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसको कुछ और बढा ले। यदि इसमे से दो जिले दूसरे प्रदेश मे जाते है तो मै इसमे बाधक होने वाला नही हूँ। मै इसका पोषक हूँ कि भारत की जो अपनी सस्कृति है जिसको मै भारतीय सस्कृति कहा करता हूँ वह चारो ओर फैले वह दृढ हो और भारत की एकता की भावना दिन पर दिन हमारे देश मे बढे। यह मुख्य बात है।

यदि मै यह समझता कि इन भाषावार प्रदेशो के कारण इस कार्य में कुछ आघात पहुँचेगा, एकता की भावना को कुछ चोट पहुँचेगी तो मै भाषावार प्रदेश का पक्ष कदापि न लेता। लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आज छोटी बातो मे कई प्रदेशो को जो कठिनाइयाँ हो रही है वे हट

जायँगी और उनके लिए रास्ता आसान हो जायगा। मै अनुभव करता हूँ कि मध्यप्रदेश मे मराठी और हिन्दी का प्रश्न खडा हुआ है, मै अनुभव करता हूँ कि मद्रास प्रदेश मे प्रतिदिन भाषा सम्बन्धी कठिनाइयाँ होती है, आप चाहते है कि अग्रेजी भाषा हटे, हिन्दी फैले, लेकिन हिन्दी द्वारा काम करने मे उन्हे कठिनाई है। तामिल मे बोले तो उनके लिये कठिनाई है क्योकि बहुत से लोग उसको नही समझेगे, तेलगू बोली जाय तो दूसरे लोग नही समझेगे, इसी प्रकार कन्नड और मलयालम मे कठिनाई होती है। परिणाम यह होता है कि अग्रेजी चली आती है। इसी प्रकार और स्थानो मे कठिनाई है। बम्बई वालो ने कहा कि जो उनकी भाषाये है वे जिलो के स्तर पर चले और ऊपर के स्तर पर हिन्दी चले। यह स्वाभाविक ही था। मै चाहता हूँ कि जहाँ तक हो हम यह सुविधा दे कि जनता अपनी अपनी विधान सभाओ मे अपनी भाषा मे बोल सके। हमको अपने उत्तर प्रदेश मे तनिक भी कठिनाई नही है। फारसी लिपि हम पर अग्रेजो की कृपा से लाद दी गई थी, कुछ पहले से भी थी। हम उससे छुटकारा पा गये। हम ईश्वर को धन्यवाद देते है कि वहाँ हिन्दू, मुसलमान सब मिलकर हिन्दी भाषा मे और एक भारतीय लिपि अर्थात् नागरी लिपि मे अपना कार्य कर रहे है। मै चाहता हूँ कि जो लाभ हमको है वही लाभ हमारी भाषा की जो बहने है वह उठाये और दूसरे प्रदेशो के रहने वाले भाई भी स्वाधीन होकर उसी ढग से एक भाषा मे अपना काम कर सके।

मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगो के साथ है जो इस काम मे शीघ्रता कराना चाहते है। लेकिन आज इस प्रस्ताव के स्वीकार न करने के पक्ष मे हमारे दल का निश्चय है। मै भी उसके साथ हूँ। किन्तु मै अपने माननीय मन्त्री जी को और गवर्नमेट को यह सुझाव देता हूँ कि जहाँ तक हो सके इस मामले मे देरी न करे। उससे हमारे देश को हानि पहुँचेगी ऐसा कोई भय न करे। इससे लाभ ही होगा और लोगो की भावनाएँ हमारे साथ आयेगी। जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेट इस कार्य को उठा ले यही मेरा कहना है।

६

रेलवे विभाग में सुधार

२५ फ़रवरी सन् १९५३ को उस वर्ष के रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के प्रसंग में बोलते हुये

उपाध्यक्ष महोदय ! जो अनुमान पत्र मत्री महोदय ने इस भवन के सामने उपस्थित किया है उसमे मुझे कुछ सन्तुलन, नापतौल दिखाई पडी और स्वभावतः मुझे वह अच्छा लगा। इसका यह अर्थ नही है कि उसमे जो आवश्यकताएँ है, वह सभी पूरी हो गई है। उसमे कमियाँ है और कुछ ऐसी कमियाँ है जो सभवत मत्री महोदय के अधिकार के बाहर है किन्तु हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनका ध्यान उन कमियो की ओर दिलाते जायें। साथ ही इसमे कोई सन्देह नही कि पिछले कुछ वर्षो मे रेल यात्रा मे अधिक सुविधाएँ दी गई है, रेल का प्रबन्ध कुछ अच्छा हुआ है और इसके लिये जो हमारे पुराने स्वर्गीय मत्री गोपालस्वामी आयगर थे, वह बहुत कुछ हमारी कृतज्ञता के अधिकारी थे। आज वह हमारे बीच मे नही हैं। हम सबो को इसका खेद है और मै भी इस अवसर पर स्वर्गीय आतमा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ।

तीसरे दर्जे में भीड़

रेल यात्रा मे जो सुविधाएँ हुई हैं, जो उन्नति हुई है, उनमे से मुझे दो एक तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है जैसे गाडियो का ठीक समय पर चलना। निश्चय ही इस विषय मे पहले की अपेक्षा उन्नति हुई है। भीडो के सम्बन्ध मे जो कुप्रबन्ध पहले देखने मे आता था उसमे भी कुछ अच्छापन है। हम देखा करते थे कि किस प्रकार से गाडियो मे लोग लटके हुए चलते थे, आज वह तमाशा बहुत अधिक देखने को नही मिलता, कभी-कभी दिखाई देता है। परन्तु साथ ही इसमे कोई सन्देह नही कि तीसरे दर्जे मे भीड रोकने की व्यवस्था अभी समुचित नही हुई है। यह त्रुटि है। सम्भव है यह बात मत्री महोदय के हाथ से बाहर हो क्योकि गाडियो की सख्या कम है। परन्तु इसमे सन्देह नही कि एक-एक डिब्बे मे जितनी सख्या बैठने के लिये लिखी रहती है उससे साधारण रीति से ड्यौढे और कभी-कभी दूने व्यक्ति घुसे रहते है। मैने स्वय एक दो बार गिना है। यह दशा शोचनीय है और मेरा तो यह कहना है कि इस

ओर बहुत ही शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्गहीन रेलवे

मैंने पिछले वर्ष एक सुझाव दिया था कि रेलवे वर्गहीन बनाई जाय। उसमे से दर्जे हटा दिये जायँ। मुझे कुछ थोडा सा सतोष है कि मत्री महोदय ने इधर दो चार पैर आगे रखे है। किन्तु उनकी चाल बहुत डर डर कर बढ रही है। सम्भव है वह दूसरी शक्तियो के कारण तेज नही चल पाते। उन्होने कुछ आगे बढने का यत्न किया और, जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने जनता नाम की गाडियाँ कुछ अधिक की है। कुछ शाखाओ से उन्होने पहले दर्जे हटा दिये है। मेरा सुझाव यह है कि इसमे बहुत तीव्रता हो सकती है, इसमे घाटे का कोई प्रश्न नही है, शायद इसमे सरकार को कुछ फायदा ही होगा, हम मेम्बरो को सरकार जो किराया देती है वह ऐसा करने से बहुत कम हो जायगा।

डा० रामसुभग सिंह (शाहाबाद-दक्षिण) : एयर-कडीशड गाड़ियॉ तो है।

श्री टंडन : एयर-कडीशड गाडियाँ आपको गवर्नमेंट देने वाली नही है।

श्री एन०सी० चटर्जी अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

जब वह फर्स्ट क्लास को हटायेगे तो स्वभावत सेकेंड क्लास को फर्स्ट क्लास का नाम देकर किराया घटायेगे, ऐसी मै आशा करता हूँ। उनका खर्च तो घटेगा ही। परन्तु यह बहुत बडी बात नही है। मै तो इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि हम भविष्य मे जो समाज की रूपरेखा बनाना चाहते है उसमे रेल वाले सहायक बनें। मेरा सुझाव है कि इस समय भी वह बात कुछ इस तरह से हो सकती है। शायद बिल्कुल अन्तर हटा देना मत्री महोदय को कठिन मालूम पड़े। मै सुझाव देता हूँ कि वह दो वर्ग रखने की व्यवस्था करे, एक साधारण वर्ग रक्खे और एक अधिक सुविधा वाला ऊपरी वर्ग। अभी दो रक्खे फिर जब समय आये तब एक ही वर्ग रक्खे। अभी वह और दर्जो को हटाने की ओर नही बढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शक्तियॉ उनको रोक रही है। सम्भव है कि वह कैबिनेट के कारण ऐसा न कर सकते हों। अस्तु, मुझे इस विषय मे कुछ अधिक नही कहना है। यही चेतावनी देनी है कि जहॉ तक सम्भव हो वह इस ओर यत्नवान हो।

एटा में रेल

मै उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे एक बहुत पुराने जनपद का जो मुख्य स्थान है, ज़िले का हेडक्वार्टर है, वहाँ अभी तक रेल

आदि हैं, वह पुराने पुराने अधिकारी है और यह नीचे से आते है। उनकी आदतें नीचे से पडी रहती है। जैसे जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार डिप्टी कलक्टर हुआ करते थे तो डिप्टी कलक्टरों में भी भ्रष्टाचार होता ही था। मेरा सुझाव है कि आप इन बहुत ऊंचो जगहों पर रेलवे विभाग के नीचे के आदमियो को न ले। बाहर के ऊचे आदमियों को रखे। सार्वजनिक कामो मे जिनकी साख हो और जो समझे हुए और जाने हुए हो, उनको रखे।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग—पश्चिम) : लेकिन पार्टी का आदमी न हो ।

श्री टंडन : इस प्रकार की नीति मे पार्टी का प्रश्न ही नही उठता। ऐसा कोई प्रश्न आना ही नही चाहिये। मै आप से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा विश्वास है कि अगर मत्री महोदय इस तरह पर सोचगे तो देश में उनको ऐसे ऊचे नैतिक लोग मिल जायॅगे जिनको पैसा मोल नही ले सकता और जिनके लिए विश्वास किया जा सकता है कि उनको पैसा मोल नही ले सकेगा। ऐसे आदमियो को आप रखे और जो सुधार के काम आप चलाना चाहते है उनको चलाने का यत्न करे। जो पुराने लोग बैठे है उनमें से ऐसा कोई आदमी नही है जो यह न जानता हो कि माल बाबू क्या करता है और स्टेशन मास्टर क्या करता है। य लोग आपकी तरकीबों को चलाने मे बाधक होगे। आपने यह जो कमेटी बनाई है उसके लिये मै आप को बधाई देता हूँ। जो यह रेलवे के अफसर मुझसे मिलने आये थे उनसे जब मैंने इस कमेटी की चर्चा की तो उन्होने कहा कि यह कमेटी कुछ करने वाली नही है। वह मुझको अच्छे आदमी लगे। सज्जन आदमी थे और यह मेरी निजी बातचीत थी। स्वभावत मै यहाँ नामों की तो चर्चा नही कर सकता। मै यह सुझाव देता हूँ कि आप इस प्रकार से बहुत ऊचे पदों पर नीचे से आदमियो को लाना रोके और तब देखे कि किस प्रकार से सुधार होता है।

रेलवे में हिन्दी

मुझे एक आध बात और कहनी है। अभी हाल में अलीगढ मे उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ था, १७, १८ तारीख को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उसका उद्घाटन किया था। उस अधिवेशन मे हिन्दी के दृष्टिकोण से कुछ प्रस्ताव रेलवे के बारे में रखे गये थे। मै उनकी ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मै उन प्रस्तावो को पढ़ूँगा नही। उनमें कहा गया था कि कई ऐसी बाते है जहाॅ हिन्दी आसानी के साथ चलाई जा सकती है लेकिन उसके चलाने पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है। जैसे

रेलवे के जो डब्बे हैं उनके ऊपर सूचना की बातें आप आसानी से नागरी अक्षरो मे लिखवा सकते है। इसमें बहुत भाषा का प्रश्न नही है। प्लैटफार्मों पर आपने बहुत जगह बदलाव किया है। उस पर मै आपको बधाई देता हूँ परन्तु अब भी बहुत सी जगहो मे आसानी से नागरी को बढाया जा सकता है। आप प्लैटफार्मों पर हिन्दी भाषा और नागरी अक्षर और अकों को और भी बढावे और शुद्धता की तरफ भी ध्यान रखे, यह मेरा सुझाव है।

मै आपको एक सुझाव और देना चाहता हूँ। मैने देखा है कि यह जो कालपत्रक आप छापते है, जिसको अगरेजी मे टाइम टेबल कहा जाता है, उनका उतना प्रचार नही किया जाता जितना अग्रेजी टाइम टेबलो का है। यह जो नागरी मे कालपत्रक छापे गये है, उनके मिलने मे कठिनाई होती है। शायद वे कम छापे गये है। मुझे स्वय उसे प्राप्त करने मे कठिनाई हुई। दूसरी बात यह है कि आपने इनको नागरी मे तो छपवाया है परन्तु जहाँ अक है वह अग्रेजी के है। आपने उनमें अक अग्रेजी के या, जो भाषा सविधान मे प्रयुक्त हुई है उसके अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय अंक छापे है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीयता की कोई अपेक्षा नही है। मेरा सुझाव है कि आप इनमें नागरी अको का उपयोग करे। आप यह हिन्दी कालपत्रक जो छापते है वह किसके लिये ? जो अंग्रेजीदा लोग है उनके लिये तो आप अग्रेजी मे चलाते है लेकिन यह जो हिन्दी में छपते है यह तो साधारण जनता के लिये है। और जनता की सुविधा इसमे होगी कि आप अग्रेजी अको या अन्तर्राष्ट्रीय अको को न छाप कर नागरी अकों को छापे।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : जनता तो पढना ही नही जानती। आठ परसेट लिटरेसी (साक्षरता) है।

श्री टंडन : यदि जनता पढना नही जानती तो क्या अग्रेजी का अक वह ज्यादा समझेगी ? जरा विचार करिये। ऐसी बडी जनता है जो अग्रेजी नही जानती लेकिन हिन्दी जानती है। हिन्दी भी छोड दीजिये, बगला जानने वाली जनता है जो अग्रेजी अक नही जानती किन्तु नागरी अंक जानती है। आपने क्या बात कही है! यह कितनी गैर-जिम्मेदारी की बात है। जनता बहुत पढी नही है लेकिन जनता मे ऐसे बहुत है जो अपनी भाषा जानते है, हिन्दी जानते है, बगला जानते है, बगाली अक जानते है, अग्रेजी नही जानते, किन्तु नागरी जानते है, नागरी अक पढते हैं। उनकी सख्या आप ऐसे आदमियों से सौ गुना अधिक है, मेरा मतलब वैयक्तिक नही है, मेरा मतलब अंग्रेजी जानने वालो से है। उस जनता के लिये जो इस कालपत्रक को देख सकती है, और उससे लाभ उठा सकती है, उसके लिये मेरा यह कथन है कि नागरी अको का प्रयोग होना चाहिये।

सम्भव है कि हमारे मत्री जी यह आपत्ति उठावे कि यहाँ तो हम सविधान से बधे है। सविधान ने यह कहा है कि जो प्रकाशन यूनियन की तरफ से हो उसमे अन्तर्राष्ट्रीय अको का प्रयोग किया जाय। सम्भव है यह आपत्ति मत्री जी न उठावे तो उनके सचिवगण उठावे, क्योकि मै जानता हूँ कि आज गवर्नमेट आफ इडिया का जो सचिवालय है, वह हिन्दी का पक्षपाती नही है। सम्भव है कि वहाँ से यह आपत्ति उठाई जाय। मेरा उत्तर यह है कि आप सविधान में ही देखेगे कि जहाँ पर उसमे यह रखा गया कि साधारण रीति से अन्तर्राष्ट्रीय अको का प्रयोग होगा, वहाँ यह भी है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि जहाँ मुनासिब समझे वहाँ वे नागरी अको का प्रयोग करे। आप अगर चाहे तो जब तक १५ वर्ष तक अंग्रेजी है, अंग्रेजी अकों का प्रयोग कर ले। लेकिन अगर आप चाहे तो आप नागरी के अकों का प्रयोग कर सकते है। अगर आप ऐसा प्रबन्ध करेगे तो मै समझता हूँ कि आपकी कैबिनट को इसमे कोई आपत्ति नही होगी क्योकि यह तो केवल सुविधा की बात है कि नागरी अक छपवाये जायँ। मै आपको सुझाव देता हूँ कि जो आपके ६ जोन या विभाग है उनमे आप दक्षिणी भाग को छोड दे, मै उसके लिये नही कहता क्योकि जब सविधान सभा मे यह प्रश्न उठा था तब हमारे दक्षिणी भाइयो ने कहा था कि हमारे यहाँ यही अक चलते है, विशेषकर तामिल भाइयो ने कहा था कि हमारे यहाँ यही अक चलते हैं। अगर तामिल के भाई या अन्य दक्षिणी भाई चाहते है तो आप सदर्न रेलवे में, दक्षिणी रेलवे मे, अंग्रेजी में ही टाइम टेबल छापे। मुझे आपत्ति नही है। लेकिन जो शेष पाँच जोन है उन सब मे हिन्दी भाषा और नागरी अक आने चाहियें, क्योकि उनमे एक ओर तो महाराष्ट्र और गुजरात है और दूसरी ओर बगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पजाब है। इस तरह आप देखेगे कि पाँचो विभागों में आप आसानी से नागरी अक चला सकेंगे और मेरा कथन है कि इससे सबको सुविधा होगी।

एक कलङ्क

मैं अधिक समय नही लेना चाहता। मेरा निवेदन है कि यह एक आवश्यक विषय है। आज मै सविधान को दुरुस्त करने नही बैठा हूँ। मेरी आशा अवश्य है कि यह जो अन्तर्राष्ट्रीय अक के नाम से हमारे देश के सविधान पर कलंक है, वह अवश्य हटेगा। इन अन्तर्राष्ट्रीय अको को मै आज कलंक मानता हूँ। हमारे लिये लज्जा का विषय है कि हमारी भाषा मे, नागरी में, हमारे अपने सुन्दर अक न रखे जाकर यह अन्तर्राष्ट्रीय अक रखे गये है। इस कलंक से सविधान को भविष्य मे ठीक करना होगा। मेरी

आशा है कि आने वाली संतान हम लोगों से अधिक बुद्धिमान होगी और अधिक शक्तिवान होगी । वह इस कलक को संविधान से निकालेगी । परन्तु आज मेरी आप से यह माग नही है। मै जानता हूँ कि आपके हाथ बधे हुए है, सविधान ने आपके हाथ बाँधे हुए है। मेरे सुझाव के अनुसार आज के सविधान मे भी सम्भव है कि नागरी के अको को राष्ट्रपति जी की आज्ञा से आप चलावे और इस प्रकार से हिन्दी को दिन दिन आप आगे बढाने का यत्न करे। बस मुझे अधिक नही कहना है ।

१०

कुशल प्रशासन

११ मार्च सन् १९५३ को उस वर्ष के सामान्य आय-व्ययक पर अपने विचार प्रकट करते हुए

अध्यक्ष महोदय ! मेरे बोलने के सम्बन्ध मे थोड़ी सी चहक उठ गयी। मुझे वह अच्छी लगी, इसलिए कि एक अवसर मुझे मिला कि मै आपका और इस भवन का ध्यान एक कार्यक्रम के सम्बन्ध में यानी पार्लियामेंटरी प्रोसीड्योर के सम्बन्ध मे दिला दूँ।

संसदीय क्रम

साधारण रीति से कुल जगह विधान सभाओ और ससदों का यह नियम है कि कोई आदमी जब तक वह खड़ा नही होता बुलाया नही जाता। मैने बाहर जाकर आपके पास स्लिप भेजी, मै ढूँढ रहा था कि मुझे कोई आदमी मिले जिसके जरिए वह स्लिप भेजूँ। जब मैने व्हिप महोदय को ढूँढ निकाला तो उनके हाथ मे मैंने वह पर्चा आपकी सेवा में उपस्थित करने के लिए दे दिया। उसी समय एक सज्जन मुझसे खड़े खडे बाते करने लगे, व्हिप महोदय ने कहा कि आप तुरन्त अन्दर जायँ। मै तुरन्त अन्दर आया, तो मालूम हुआ कि मेरा नाम पुकार लिया गया। आज मुझे इस बात के कहने का अवसर मिला कि यहाँ जो यह पर्ची देने का क्रम चल रहा है, वह ठीक नही है। अगर यह बात न उठी होती, तो शायद मै इस तरफ आपका ध्यान न खीचता। मै बजट पर बोलना चाहता था, लेकिन इस समय उचित है कि मै इस सम्बन्ध में कुछ जरूर कह दूँ। मुझको इन सभाओ का काम कैसे होना चाहिए इसका कुछ अनुभव है और अपने उस अनुभव के भरोसे पर मेरा निवेदन है, बहुत नम्र निवेदन है, कि यहाँ जो क्रम है कि लोग बैठे हुए है खडे भी नही होते और स्लिप मात्र दे कर बैठे रहते है, उनका नाम बुलाया जाता है, यह तरीका संसद के उपयुक्त नही है।

उचित रास्ता यह है कि जिसको बोलना हो वह खडा हो, पर्चे या सूची का असर केवल यह होना चाहिए कि आप समझ ले कि अमुक दल के लोग अमुक को बुलवाना चाहते है। परन्तु जो खडा होता है उसका फिर से नाम पुकारा जाता है, यह साधारण विधान सभाओ का और ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स का, जिससे हमने बहुत शिक्षा पाई है, तरीका है। बस, मै इस विषय मे और अधिक नही कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मै जानता हूँ कि यह आपके हाथ मे नही है मगर मै आपके द्वारा इस भवन के जो

मुख्य स्पीकर है उन तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ कि आज के क्रम को मै बिल्कुल गलत समझता हूँ। यह उस प्रकार का है जैसे किसी स्कूल के दर्जे मे लडके बुलाये जाये और कहा जाय कि अब वह बोले और अब अमुक बोले। यह क्या है ? यह उचित नही है। उचित तो यह है कि दोनो पक्ष के लोग अपने अपने स्थानो पर खडे हो और जिसको आप के जी मे आये उसको बोलने के लिए कहे। यह साधारण क्रम है और इसी क्रम के अनुसार यहाँ पर काम होना चाहिए। अब मै इस पर और अधिक न कह कर बजट पर आना चाहता हूँ।

ब्याज की दर

यह जो अनुमानपत्र, बजट, आपने उपस्थित किया है, उस पर मुझे कुछ थोडे से अपने विचार प्रकट करने है। जैसा कि स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मत्री) ने स्वीकार किया है, यह अनुमानपत्र पचवर्षीय योजना की छाया मे बनाया गया है। इस बजट पर उस योजना का पूरा प्रभाव हो यह स्वाभाविक है, ऋण लेने की बात इसमे आई है और बडे बलपूर्वक आयी है। हमारा देश अपनी योजना की पूर्ति के लिए कर्जा लेगा। जो कुछ कर्जे लिए गये है वे भी सामने रक्खे गये है। मुझे उस विषय पर अधिक दूर तक जाना नही है, मगर ऐसा मुझको लगा कि बाहर से कर्जा लेने में ब्याज बहुत बढा दिया गया है, आपने चार रुपये चौदह आने तक की दरे खोली है, इस ब्याज की दर पर बाहर से आपको रुपया आया है, मुझे वह बहुत ज्यादा लगता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी सरकारी लोन (ऋण) जो इस समय देश मे प्रचलित है, इस दर पर नही है। पुराने समय की बात मै नही कह रहा हूँ, बहुत पहले हमने इतना ब्याज दिया है, परन्तु इस समय जहाँ तक मुझको याद पडता है देश में प्रचलित सूद की जो दर है वह कम है और यह चार रुपया चौदह आने का ब्याज जो आज लोन लेने के लिए दिया जा रहा है अब तक की ब्याज की दरो से बढ कर है। यह कहाँ तक उचित है कि बाहर से तो ऋण प्राप्त करने के लिए आप इतना ब्याज देने को राजी हो जायँ लेकिन यहाँ देने मे इतनी सख्ती करें ? वित्त मत्री स्वय इस विषय मे चतुर है। इस बढी हुई ब्याज की दर को मजूर करने मे कुछ कारण तो है ही। मै भी अनुमान करता हूँ कि इसके लिए कुछ कारण हो सकते है। हो सकता है कि वह ऐसा समझते हों कि हमें रुपया बाहर से लाना चाहिए, क्योकि अगर हम यहाँ से रुपया घसीट लेगे तो दूसरे व्यापारियो को कठिनता होगी, या वह समझते हो कि अगर यहाँ साढे चार या पौने पाँच देगे तो सिक्यूरिटीज के भाव गिर जायगे। वह तो गिर ही जायगे परन्तु

गिराव चढाव तो लगा ही रहता है । जब हम ब्याज नये ऋण पर कम देगे तो पुराने ऋणों का भाव चढ जायगा और जब कुछ ज्यादा भाव पर नया लोन निकालेगे तो पुरानो का भाव गिर जायगा, यह बराबर चला आया है। लेकिन इस समय हम बाहर तो बहुत ब्याज दें और अपने यहाँ सख्ती करे, इसका एक परिणाम यह हुआ कि जो जो आपने लोन निकाले उनमे कुछ बहुत सफलता नही मिली। मेरा अपना अनुमान है कि हम यहाँ का ब्याज बढा देते तो बहुत अधिक रुपया आ सकता था। पर अनुमान पत्र में जो ब्याज की बात आई है पौने पाँच रुपये और चार रुपये चौदह आने की, उस में कुल साढे पच्चीस करोड रुपये आपको बाहर से मिले है। क़रीब ५१ लाख डालर। मेरा तो अनुमान है कि यदि यहाँ के ब्याज की दर बढा दी जाती तो यहाँ भी इतना रुपया आ जाता। लेकिन मुझे इस ब्याज के प्रश्न पर बहुत अधिक नही कहना है। मेरा विशेष निवेदन दो तीन और विषयों मे है।

भष्टाचार का रोकना

पचवर्षीय योजना पर वित्तमत्री जी ने ठीक ही बल दिया। उन का कहना है—

"आयोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम की पूर्ति न केवल नीति-निर्धारण तथा धनोपलब्धि पर निर्भर है अपितु कुशल प्रशासन तथा जन सहयोग पर भी है।"

यह दो शब्द "**पब्लिक कोआपरेशन**" और "**एफिशेण्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन**" ही कुजी है इस योजना की सफलता की। **पब्लिक कोआपरेशन** अर्थात् सार्वजनिक सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप, जैसा अभी कुछ भाइयो ने भी कहा, जनता से अधिक सम्पर्क फैलायें, जनता का स्नेह खीचे और जनता मे भरोसा पैदा करे। एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन अर्थात् अच्छा प्रशासन उस विश्वास को आकर्षित करेगा। मेरे ऊपर असर यह है कि एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। जो बात कि ऐडमिनिस्ट्रेशन मे सब जगह चाहिये, मेरी बौछार किसी एक के ऊपर नही है, वह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्रीय विभागों मे रुपये की बचत के लिए खर्च में जितनी रोक थाम चाहिए उसकी भी कमी है। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था उस विभाग का जिसका काम है कि वह दूसरों की जाच करे, यानी जो आडिट एड एकाउन्टस का विभाग है। उस एकाउन्टस विभाग मे किस प्रकार से जाली चेक एक कार्यकर्त्ता ने बनायी और उसने यह कहा कि चाहे जितने रुपये का चेक हम से लो, मैं दे दूँगा, हिन्दुस्तान के किसी भाग मे इम्पीरियल बैक के ऊपर; कैसे उसकी हिम्मत पड़ी? मुझको

तो आश्चर्य हुआ। त्यागी जी ने मुझे फाइल दिखलाई। मै उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रधान मत्री जी ने उस दिन एलान किया था कि वह फाइल दिखलायेगे। मैने उसे देखा। फाइल देखने के बाद मुझे कुछ नयी बाते अवश्य मालूम हो गई। लेकिन मेरे ऊपर यह असर नही पडा कि मुकदमा उठा लेने की जो आज्ञा दी गई थी वह सही थी। इतना मुझे पता लगा कि उस आज्ञा मे वित्त मंत्री जी का हाथ नही था, त्यागी जी का हाथ नही था, सेन्ट्रल रेवेन्यू वालो ने उसे नही दिया था। परन्तु आज्ञा दी गई, और जैसा मैने उस दिन कहा यह बड़ी अजीब आज्ञा थी। ऐसे जालसाज़ी के मुकदमे में आज्ञा दी जाय कि मुकदमा उठा लो, बिना उस आदमी का बयान लिये हुए यह मुझे बड़ा अद्भुत लगा। उस आदमी का बयान होता तो बातें खुलती कि क्या हुआ, कौन उसमें शरीक है, और वह स्वयं कैसे उसमे शामिल हुआ। कहा गया कि वह बेचारा बीमार पडा है, त्यागी जी ने बयान दिया था कि नही मालूम वह जिन्दा भी है या मर गया है। मै त्यागी जी से निवेदन करूँगा कि उसके घर से पुछवा ले कि उसके स्वास्थ्य का क्या हाल है। मैने सुना है कि वह बहुत तगडा है। यह जो उन्होंने समझा कि वह खाट पर पडा हुआ मरने वाला है, और हमारे गवर्नमेट के विभाग को करुणा आ गई, वह ठीक नही था। वह करुणा शासन के योग्य नही थी। जब भीष्म पितामह शरशैया पर पडे थे तब शासको को एक सलाह उन्होने दी थी, कहा था कि जो दुष्टो के ऊपर दया करता है और जो दीनो की रक्षा नही करता यह दोनो नर्क में जाते है। यह एक जीवित उदाहरण था जो मैने सरकार के सामने लाकर धरा था। ऐसा तो हर एक को मौका भी नही मिल सकता। मै आप से कहता हूँ कि केन्द्रीय गवर्नमेट की छाया मे भ्रष्टाचार बहुत बढा हुआ है। जो राज्यो की गवर्नमेटें है वहाँ भी खूब फैला है, मगर केन्द्रीय शासन से जिन लोगो का सम्बन्ध है, उनमे बहुत अधिक फैला है। चेतावनी की आवश्यकता है। मै वित्त मत्री से और क्या कह सकता हूँ। वह तो सब जगह पहुँच नही पाते। लेकिन कडाई की जरूरत है। सोचने की जरूरत है। त्यागी जी ने बडी चतुरता से सोचकर रास्ता बनाया कि जो छिपे हुए इनकम टैक्स है उनको निकाले। मैं उनको बधाई देता हूँ। वह यह सोचे कि यह भ्रष्टाचार जो लोगों के भीतर घुसा हुआ है उससे वह कैसे अपनी रक्षा करे।

सुन्दर ग्राम—योजना का आधार हो

जो बात इस योजना के सम्बन्ध मे उस दिन जैदी जी ने कही थी वह मुझको अच्छी लगी थी, हमारा सम्पर्क जनता से इस प्रकार से होना चाहिये कि हम उनकी आवश्यकता को देख कर अपनी योजना बनावे,

बजाय इसके कि थोड़े से आदमियो ने यह तय किया कि हम ऊपर से कुछ योजनाये जनता पर लादे। उससे अच्छा यह होता कि हम जनता के सहयोग से योजना बनाये। मेरा खुद यह ध्यान रहा है कि हमारी योजना के मुख्य कामो मे हमे गॉवो की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह जो बड़ी-बडी योजनायें है वह अन्त में आकर शायद कुछ लाभ करेगी परन्तु चाहिये यह था कि हम आरम्भ में ही जनता के उत्साह को बढाते, गॉवो के अन्दर जा कर उनके लिए रास्ता निकालते, उनके लिए उद्योग सोचते। कितनी बेकारी चारो तरफ फैली है। लोगो की यह बेकारी बढती जाती है। लोग गॉव को छोड़-छोड़ कर शहरो मे आ रहे है। इसको रोकने की आवश्यकता है। पहली योजना यह होनी चाहिए थी। गॉवो को ऐसा बना कर आप बड़ी बड़ी करोडों रुपये की स्कीमे बाद मे सोचते। पहले गाँवो में जाकर कुछ आदर्श गॉव बसा देते। हर राज्य के अन्दर, और हो सके तो हर जिले के अन्दर दो-दो चार-चार ऐसे गाँव बसा दे। सुन्दर गॉव। आज के गाँव गन्दे है। घर ऐसे हो कि उसके साथ बगीचा हो। मैने एक विचार पहले दिया था, फिर इसको रखता हूँ। हर घर वाटिका-गृह हो, देखिये तो कि इस से कितनी सुन्दरता फैल सकती है। ऐसे घर न बनने देवे जिनमें आधा एकड भूमि न हो। आधे एकड भूमि के साथ हर घर बनाइए, देखिये कितना सौन्दर्य फैलता है और देखिये कि किस तरह से लोग इसकी तरफ खिचते है। हमारे घर गन्दे है, गाँवो मे जा कर ठहरिये तो थोडी देर मे भागने की आवश्यकता मालूम होती है। गॉवों को सुन्दर बनाइए। स्वास्थ्य की समस्या को हल कीजिये। आज दवा लिये हुए लोग पुकारते फिरते है कि टीका लगवा लो। व्यर्थ की बात है। उससे कोई स्वास्थ्य सुधरने वाला है? यह तो चौपट करने वाला है। यह रास्ता नही है। गाँवो को स्वच्छ बनाइए, यही स्वास्थ्य रक्षा का मार्ग है।

देश का विभाजन एक भूल

अब मै थोडे से शब्द उस विषय पर कहना चाहता हूँ जो हमारे भाई डा० महमूद ने छेडा था। बडा अजीब विषय उन्होने छेडा। जब विभाजन हो रहा था, हमारे भाइयो को मालूम है कि मेरी कठोर ध्वनि उसके विरुद्ध उठी थी। मैने विभाजन का घोर विरोध किया था। मै जानता था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसके पक्ष मे राय दी थी। गाधी जी से मेरी बाते हुई। गांधी जी ने मुझ से कहा कि वे इसको ठीक नही समझते, वह इसके विरुद्ध हैं। मैने निवेदन किया कि बापू जी मैं आपके साथ हूँ। उन्होने तय किया कि वह उसका विरोध करेगे। परन्तु मै तो

दिल्ली से चला गया था। फिर जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमे वह प्रश्न आया तो उन्होने कहा कि मै क्या करूँ मै नई वर्किंग कमेटी कहाँ से लाऊँ। यह कह कर उन्होने इसको छोड़ दिया। परन्तु उस विषय को मुझे यहाँ नही लेना है। पाकिस्तान बन गया। मै इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत बडी भूल हुई—काग्रेस की, जिसमे मै भी शामिल था, यद्यपि मैंने कठोर विरोध किया था और मैने कहा था कि गाधी जी भूल कर रहे है और मेरा हृदय आज भी कह रहा है कि गाधी जी ने भूल की, कुल वर्किंग कमेटी ने भूल की। परन्तु अब वह हो गया। आज उसको छेडना व्यर्थ है। डाक्टर महमूद ने उस विषय को छेडा और कहा कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान कुछ विषयो में मिल जायें। मै उसका स्वागत करूँगा, इस समय मै इतना ही कह सकता हूँ। उन्होने यह विषय छेड दिया तो मै यह कहना हूँ कि मुसलमानो को इस विभाजन से फ़ायदा नही हुआ, अगर वह साथ रहते तो अच्छा था। लेकिन मै इस विषय को यही छोडता हूँ। मै इसका स्वागत करता हूँ और मै समझता हूँ कि गवर्नमेट भी इसका स्वागत करेगी कि अगर सम्भव हो सके तो डिफेंस के मामले मे और कुछ और मामलो मे हम मिल कर काम करे।

उचित शिक्षा क्रम

इसके अतिरिक्त मुझे कुछ शिक्षा के विषय मे कहना है। आज की शिक्षा के विषय मे कई बार डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद यह मत प्रकट कर चुके है कि इसे बदलना चाहिए। कई मत्रियो ने भी यह विचार प्रकट किया है कि यह शिक्षा उचित नही है इसे बदलना चाहिए। मै देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है। आवश्यकता यह है कि जो लडके हजारो की तादाद में हर साल निकलते है वह इस लायक बनाये जायें कि वह अपनी जीविका प्राप्त कर सके। ऐसा न हो कि वह गाँव छोड़कर शहरो मे आने का प्रयत्न कर। इस विषय में मुझे केवल इतना ही कहना है।

हिन्दी-योजना

एक विषय और है, वह है हिन्दी का विषय, जो मुझे प्रिय है। मै जानता हूँ कि कुछ मिनिस्टरो का उस तरफ ध्यान है। मेरा एक सुझाव है। शिक्षा विभाग ने एक हिन्दी समिति बनायी है। मेरा सुझाव है कि एक ऐसी योजना बना दीजिये, त्रिवर्षीय या पचवर्षीय, कि वह समिति हर साल इतने ग्रन्थ निकाला करेगी। मै चाहता हूँ कि यह समिति कम से कम पचास ग्रन्थ हर साल छापे।

श्री त्यागी : किस सिलसिले के ग्रन्थ ?

श्री टंडन : उन विषयों के जिनकी आवश्यकता आज हमारे देश में है। यह ग्रन्थ भिन्न भिन्न विषयो पर होने चाहिये, जैसे अर्थशास्त्र पर, राजनीति पर, वैज्ञानिक विषयो पर, रसायनशास्त्र पर, और रसायन शास्त्र के भिन्न भिन्न अगों पर, पदार्थ विज्ञान के भिन्न भिन्न अंगों पर, इलेक्ट्रीसिटी पर, साउण्ड पर, लाइट पर। इन विषयो पर ऊँचे ऊँचे ग्रन्थ होने चाहिये। अगर आज आप इलेक्ट्रीसिटी पर कोई ऊचा ग्रन्थ निकालें तो उसकी बहुत आवश्यकता है। ऐस्ट्रानामी पर, गणित पर, गणित के एक एक विभाग पर ग्रन्थ निकालिए। इन विषयो पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के परिश्रम से कुछ ग्रन्थ निकले है। लेकिन किसी भी सस्था के पास अधिक रुपया नहीं है। उसके पास रुपये की कमी है। आपके पास रुपये की कमी नही है, आप एक करोड रुपया ग्रन्थ छापने के लिए अलग रख दीजिये, यह कोई बडी रकम नही है। यहाँ तो अरबो का खेल है। पेनी वाइज़ और **पाउण्ड फूलिश** नही बनिये। यह आपको बहुत बड़ा ब्याज देगा। आप यह काम उस समिति के सुपुर्द कीजिये और उस समिति में पार्लियामेण्ट के सदस्यों को रखिये, केवल सरकारी नौकरो को नही। कुछ ऐसे लोगों को रखिये जो जाने हुए विद्वान् है, जिनमे यह ज्ञान है कि किन किन विषयो पर ग्रन्थों की आवश्यकता है। और इन ग्रन्थो को तेजी से लिखवाइये। जिस अच्छे लेखक का पता चले उसको रखिये। मैने सुना है कि आप के यहाँ एक डिक्शनरी बनायी गई है। मैने सुना है कि यह एक छोटा-सा कोश है और उस पर हजारो रुपया खर्च हो गया है। हिदी साहित्य सम्मेलन ने भी बहुत से कोश बनाये है पर हमारा इतना रुपया खर्च नही हुआ। हमारे भी लगभग ३० हज़ार रुपये खर्च हुए मगर गवर्नमेण्ट का सा खर्च नही हुआ। हमने कोई १४ या १५ कोश छपवाये है। मगर आपका इसमे खर्च बहुत हुआ है, पूरी देखभाल नही है। मेरा सुझाव है कि इस ओर अधिक ध्यान दे।

सरकारी विभागों में हिन्दी

दूसरे मेरा उन मत्रियों से, जो यहाँ बैठे हुए है, यह निवेदन है कि वह हिन्दी को अपने विभागो मे चलाने का यत्न करे। मै यह नही कहता कि सविधान के विरुद्ध ऐसा किया जाय। मै वैधानिक हूँ। मै सविधान के विरुद्ध आप से कुछ नही कहूँगा। मेरा कथन है कि वित्त मत्री जी का भाषण हमारे सामने है। क्या यह भाषण हिन्दी मे भी नही छप सकता था? माननीय लालबहादुर जी ने अपना भाषण हिन्दी मे भी छपवा दिया था। मेरा निवेदन है कि आप अग्रेजी मे रखिये किन्तु जो आपका सरकारी साहित्य निकले वह अगर हिन्दी में भी आये तो इसमें भी हिन्दी

बढेगी। मै मानता हूँ कि इसमे कुछ ज्यादा रुपया खर्च होगा। मेरा तात्पर्य इन थोडे से पन्नो से ही नही है। यह जो आप बडे बडे पोथे छपवाते है, यह जो चार वाल्यूम मे आपने **बजट डिमांड** छपवाये है, इनको अग्रेजी के साथ साथ हिंदी मे भी छपवा सकते थे।

श्री त्यागी : बहुत देर लगती।

श्री टण्डन : यह ठीक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेण्ट ने कई वर्षो से यह करके दिखा दिया है ? कई वर्षो से अग्रेजी मे और हिन्दी मे भी बजट छपे है, और मेरा अनुमान है कि आज भी हिन्दी और अग्रेजी दोनो मे वहाँ बजट छपता है।

श्री सी० डी० देशमुख : विधान के अनुसार तो वह रोमन में होना चाहिए।

श्री टण्डन : जी नही। आप थोडी देर के लिए भूल गए। आपको याद नही है। विधान नही, सविधान के अनुसार वह नागरी में छपेगा, नागरी अक्षरो में, परन्तु आप विलायती अको का प्रयोग कर सकते है। उसमे यह है कि नागरी अक्षर होगे, हिन्दी भाषा होगी, परन्तु आप अग्रेजी अको का प्रयोग कर सकते है। इसके लिए भी सविधान मे यह शर्त है कि आप राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर जिसके अर्थ आप खुद है, अर्थात् गवर्नमेण्ट से आज्ञा लेकर नागरी अको का भी प्रयोग कर सकते है। मै आपको सुझाव देता हूँ कि आप इसको हिन्दी भाषा, नागरी अक्षरों और नागरी अकों मे छापे। नागरी मे अग्रेजी अको की कोई जरूरत नही है। क्योकि जो हिन्दी नही जानते है उनके लिए तो आप अग्रेजी मे छापते ही है। आप उस समय सविधान सभा मे नही थे। शायद इसलिए आपको यह याद नही है।

श्री त्यागी : मै तो आपके साथ ही लडा हूँ।

श्री टण्डन : यह जो अको का मामला है यह तो एकाउटेण्ट जनरल के आफिस की वजह से उठा था। उस समय यह ख्याल था कि अगर नागरी अक आ गए तो उनके दफ्तर मे मुश्किल पडेगी। लेकिन जो चीज अग्रेजी मे छपती है अगर उसको हिन्दी मे भी छापा जाय तो इस तरह का झगडा नही पड़ सकता। यह थोडे से खर्च की बात है। उस दिन मैने रेलवे विभाग को इस विषय मे सुझाव दिया था। आज मै और सारे विभागों को यह सुझाव देना चाहता हूँ। मै बराबर देखता हूँ कि हर विभाग का जो भी साहित्य हमारे पढने के लिए छपता है वह अंग्रेजी मे छपता है। इसको आप १५ वर्ष तक अग्रेजी मे छापे लेकिन कृपया हिन्दी मे भी छापे। आप देखेगे कि इससे हिन्दी का प्रचार बढेगा। यह मेरा आप को सुझाव है। इस तरह आप अपनी ओर से हिन्दी को चलाने मे सहायक होगे।

११

मुस्लिम वक्फ़ों के प्रबन्ध में सुधार

१३ मार्च १९५३ को अशासकीय मुस्लिम वकफ़ विधेयक पर बोलते हुए

अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल पर अधिकार के साथ तो कुछ कह नही सकता। लेकिन जो बाते मैने अभी सुनी, उनके आधार पर मुझे कोई ऐसी बात नही लगता कि हम इस बिल के सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति, के पास जाने मे बाधक हो। यह ठीक है और मै भी इसका स्वागत करूंगा कि एक ऐसा बिल आये कि जो देश भर के सब दानो के लिए लागू हो, लेकिन मै अपने दोस्त डाक्टर महमूद से सहमत हूँ, उनसे इत्तिफाक करता हूँ कि मुमकिन है कि इस तरह का बिल आने मे बहुत वर्ष लगे। मुझको अपने सूबे का यह तजुर्बा है कि वहाँ इस बात की जब कोशिशे हुई कि धर्मादे और मठो आदि के पास जो रकमे है, जो सम्पत्ति है, उसका ठीक ठीक उपयोग किया जाय तब हमारे रास्ते मे बहुत कठिनाई आई। अगर हमारे मुसलमान भाइयो ने अपने अन्दर वकफो का ठीक इन्तजाम कराने के लिए एक रास्ता सोचा है, तो महज इस वजह से नही कि वह मुसलमान है और उसमे सब शामिल नही है। हम उसमे कोई रुकावट डाले यह बात मुझको बिल्कुल गलत मालूम होती है। आखिर मजहबी रास्ते पर काम पुराने चले आते है, वह बहुत जल्दी तो नही बदल जायँगे। हिन्दुओ के लिए भी तो आप व्याह, शादी के मुताल्लिक एक अलग कानून ला रहे है। वह हिन्दू नाम से आ रहा है, कुछ हिन्दू शादियो के लिए एक बिल की जरूरत पड़ जाती है। वैसे मै पसन्द करूगा कि जहाँ तक हो सके अलग अलग मजहबो के ऊपर हमारे कानून न बने, लेकिन वह चीज एक वारगी तो हो नही जायगी। मुस्लिम वकफ बहुत पुराने समय से चले आ रहे है। यह भी मुझको अन्दाजा हो रहा है कि मुतवल्ली लोग इनका ठीक इन्तजाम नही कर रहे है और उनका विरोध इस बिल के बारे में ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे महतो ने अपने जाती फायदे के लिए हमारा विरोध किया था। इस बिल के पास होने से यह लाभ होगा कि वह पैसा जो अब तक मुतवल्लियो के द्वारा जाया होता रहा है वह दूसरे ग़रीब भाइयो के काम मे आयेगा। मुझे तो कोई ऐसी वजह नही मालम होती कि हम महज इस बिना पर कि यह मुस्लिम वक्फ के लिये है इसका विरोध करें। जब एक मिली-जुली चीज हमारे सामने

आयेगी तब हम उसका स्वागत करेंगे ।

अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने फरमाया था कि यह चीज उसमे कोई रुकावट नही डालेगी । मुझको भी कोई बुरी बात इसमें दिखाई नही पडती । हमारे एक भाई ने बतलाया कि बम्बई में कोई इस तरह की चीज है जो दोनो पर लागू होती है और शायद उस पर इसका असर अच्छा न पडे । अगर यह चीज होगी तो सेलेक्ट कमेटी मे इस पर गौर कर लिया जायगा । मगर हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी मे न जाने दें यह बात तो मुझको सही नही मालूम होती । मै इस बिल के माफिक हूं । मै इसको सहारा देना चाहता हूँ । यह बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाय और वहाँ पर इसमे जो परिवर्तन जरूरी समझे जायँ किये जायँ ।

निर्वाचन के नियम

**४ अगस्त १९५३ को लोकसभा मे जन-प्रति-
निधित्व (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए**

उपाध्यक्ष महोदय ! यह जो पैप्सू का चुनाव सामने है केवल उसी को ध्यान मे रख कर हमे परिवर्तन इस ऐक्ट मे करना है ऐसा तो मशा हमारे मंत्री महोदय का नही जान पडता है । वह इस प्रकार के भी परिवर्तन चाहते है जो अनुभव से आवश्यक हो गये है, और उन्होने जो कहा उससे यह जान पडता है कि इस परिवर्तन का लाभ वह नये पैप्सू सम्बन्धी चुनावो मे उठाना चाहते है। मुझको यह ठीक जान पडता है । साथ ही मुझको जो बात श्री ठाकुर दास जी भार्गव ने कही था वह भी ठीक जान पडती है कि जब हम इस ऐक्ट मे परिवर्तन करने की बात सोच रहे है तब यह अच्छा होगा कि हम अपने अनुभव से जो भी आवश्यक समझे उन परिवर्तनो को ला सके ।

चुनावों में नैतिकता का आधार

मुझे बहुत ब्यौरे मे इस समय जाना नही है । आपने अभी जो छोटा सा भाषण किया उसमे मैने एक सुझाव यह समझा कि यह अच्छा होगा कि हममे से कुछ अपने अनुभवों को मत्री महोदय के सामने रख दे जिस मे वह जहाँ आवश्यक परिवर्तन समझे अभी करके तब सिलेक्ट कमेटी मे जायँ । मुझको बहुत बडा अनुभव, ब्यौरो के सम्बन्ध में इन चुनावो का नही है । कुछ ऐसा हुआ कि जब जब मै चुना गया तब बहुत आसानी से आ गया । परन्तु अपने साथियो के सम्बन्ध मे मुझको कुछ अनुभव हुआ है । मेरा ध्यान सदा शासन के कामो मे अथवा वैयक्तिक जीवन के कामो मे नैतिकता के ऊपर रहा है । मेरा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमारा शासन नैतिकता मे सहायक है और उसकी प्रवृत्ति दैविक अथवा उसकी प्रवृत्ति आसुरिक है। चुनावो का जो आज क्रम है उसमे मुझको यह दिखाई पड रहा है कि शासन के प्रारम्भ होने के पहले ही जब हम इस इच्छा से सामने आते है कि चुने जायँ तभी नैतिकता के बरतने में महा कठिनता सामने आती है । मै चुनाव के सम्बन्ध मे आपके अनुभव का और जितने यहाँ बैठे है उन सबके अनुभव का उद्‌बोधन करना चाहता हूँ ।

मै बहुत नम्रता से अपील करता हूँ । मेरा निवेदन है कि हमको जो

जो अनुभव हुए है उन अनुभवो से लाभ उठाकर हम इस ऐक्ट को ऐसा बनाये कि जिससे देश मे अधिक नैतिकता उत्पन्न हो ।

मैने पहले ही कहा कि मुझको बहुत गहरा अनुभव नही है। हमारे इस ऐक्ट के जो नियम है उनमे से एक ही विषय पर मै कुछ कहना चाहता हूँ । वह विषय है 'इलैक्शन ऐक्सपैसेज' (चुनाव के व्यय) का । जो इलैक्शन ऐक्सपैसेज दाखिल होते है, केवल मै उनकी चर्चा कर रहा हूँ । जैसा मैने पहले ही कहा कि मै हर एक मैम्बर के अनुभव से लाभ उठाना चाहूँगा । जो मैम्बर मेरे साथी रहे है, चाहे वह काग्रेस दल के हो चाहे गैर काग्रेस दल के हो, उनके अनुभव का मेरे ऊपर यह असर है कि यह जो इलैक्शन ऐक्सपैसेज दाखिल होते है यह सही नही होते है । इनके सही रखने मे बडी कठिनता है।

[इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि अभी विवाद का विषय केवल यह है कि क्या प्रवर समिति को यह निदेश दिया जाय कि वह मूल अधिनियम के केवल उन उपबन्धो को न देखे जो इस विधेयक मे आये है परन्तु वह मूल अधिनियम की दूसरी धाराओ पर भी विचार कर सकती है ।

इस पर कुछ सदस्य बोले और विधि मत्री ने विधेयक के क्षेत्र पर अपनी सम्मति विस्तार के साथ प्रकट की ।]

निर्वाचनों के व्यय का व्यौरा देना आवश्यक न हो

श्री टंडन : सभापति महोदय, मै जो कुछ माननीय मत्री जी के बोलने के पहले कह रहा था उसी को समाप्त करूँगा । मै उनको यह सुझाव देता हूँ कि वह इस इलैक्शन ऐक्सपैसेज, चुनाव-व्यय, के विषय मे ध्यान दे । चुनाव अदालतो ने भी इधर ध्यान दिया है । उनका ध्यान इस ओर जाना ही पड़ता है, क्योकि प्राय इस प्रकार की आपत्तियाँ चुनाव मे की जाती है कि जो व्यौरा खर्चे का दाखिल हुआ है वह ठीक नही है । प्राय अधिक चुनावों मे इस प्रकार को आपत्तियाँ की जाती है । मेरा निवेदन है कि हमारे सदस्यगण अनुभव से जानते है कि कितनी कठिनता होती है ठीक ठीक हिसाब रखने मे । जब तक कि स्वय जो मताभिलाषी है, कैण्डिडेट है, वह अधिक चौकन्ना न हो एक एक व्यौरे के बारे मे, तब तक बहुत सम्भावना होती है कि उसमे भूल हो जाय । पीछे होता यह है कि अनुमान से और अन्दाज से तमाम इलैक्शन ऐक्सपैसेज, चुनाव व्यय, के व्यौरे भरे जाते है । स्वभावत जब अनुमान चलता है तब सत्य से हटना पडता है । मै यह भी जानता हूँ कि बहुत से लोग बताये हुए खर्चे से बहुत अधिक खर्च करते है और उसका पता पाना बहुत कठिन होता है । मैने

पहले ही निवेदन किया कि जिन लोगो को शासन का भार लेना है, या जो इस सभा मे या राज्यो की सभाओ मे आते है उनके ऊपर बड़ा दायित्व है, वे देश का नेतृत्व करते है। चुनावो मे जितने ही स्वच्छ रहेगे उतने ही वे अधिक आदर के पात्र होगे। मेरा यह सुझाव है कि यह जो चुनाव व्यय के दाखिल करने का नियम है उसके अनुसार वास्तव मे आज की स्थिति मे व्यय का कागज तो आ जाता है, लेकिन वास्तविक व्यय का पता उससे नही लगता। मुझे इस विषय मे दूसरे देशो से सीखना नही है। मेरा निवेदन यह है कि यह जो इलैक्शन ऐक्सपैसेज, चुनाव व्यय, दाखिल करने का नियम है यह बिलकुल उडा दिया जाए तब स्थिति कही अच्छी होगी। जिसका मन जो चाहे खर्च करे। हॉ यह अवश्य ऐक्ट अथवा नियमो मे रहे कि किन किन प्रयोजनो मे रुपया खर्च नही हो सकता। जैसे गाडी घोडा देना आदि। जिसके पास रुपया अधिक नही है वह इसका प्रबन्ध नही कर सकेगा। परन्तु इलैक्शन ऐक्सपेसेज के उपस्थित करने की प्रथा न रहे। आप एक सूची दे सकते है कि मताभिलाषीगण यह काम न करे और अगर नियम का भंग होता है तो उनके विरुद्ध मुकदमा चल सके और गवाही आ सके परन्तु इलैक्शन ऐक्सपैसेज मागने का क्रम उठा दिया जाय। मै जानता हूँ कि यह क्रातिकारी परिवर्तन होगा।

श्री अलगूराय शास्त्री (जिला आजमगढ़ पूर्व व बलिया जिला पश्चिम) : यह जरूर होना चाहिए।

श्री टंडन : सम्भव है हमारे मत्री महोदय हवाला देगे इग्लैण्ड का, और दूसरे देशो का, लेकिन पहले ही निवेदन किया कि मै अनुभवो को, अपने साथियो के अपने अनुभवो को अधिक महत्व देता हूँ, दूसरो के क्रम की अपेक्षा, दूसरी जगहो मे भी भूले हो रही है। अमेरिका मे चुनावो के बारे मे क्या होता है ? मैने भी इस सम्बन्ध मे कुछ पढा है। मैने सुना है कि वहाँ के चुनावो मे सत्य का आदर होता हो ऐसा नही है। इग्लैण्ड शायद अच्छा है। यह मेरा ध्यान है, परन्तु कुल बातो को समझ बूझकर मै यह चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेट और हमारे मत्री जिनके सामने आज परिवर्तन का विषय उपस्थित है, गहरी दृष्टि से सोचे कि इलैक्शन ऐक्सपैसेज, चुनाव व्यय, के सम्बन्ध का जो नियम है बिलकुल हटा दिया जाय। किसने क्या खर्च किया बीस हजार या एक लाख इसके जानने की आवश्यकता न रहे। यह तो रहे कि चुनावो मे अमुक काम कोई आदमी कर नही सकेगा। जो काम वर्जित है यदि उसके करने की शहादत आती है तो उसका चुनाव गलत समझा जाय, परन्तु हर आदमी अपने चुनाव का खर्चा दाखिल करे, यह नियम इस ऐक्ट के भीतर से हटा दिया जाय, यह मेरा निवेदन है। बस, इस समय मुझे यही कहना है।

१३

नूतन आंध्र-निर्माण

२७ अगस्त सन् १९५३ को नूतन आंध्र राज्य के निर्माण सम्बन्धी विधेयक पर बोलते हुए

उपाध्यक्ष महोदय! हम एक नये युग मे आज प्रवेश कर रहे है। मै इसीलिए खडा हुआ हूँ कि जो आंध्र प्रदेश बनने वाला है उसके सचालको को अपनी शुभकामना अर्पण करूँ।

शासन का विभाजन भाषा के आधार पर

हमारे मित्र श्री एथनी जी ने कुछ गहरी चेतावनी दी है। मै उनको बहुत ध्यान से सुनता था। उन्होने निश्चय ही एक साहस का काम किया है कि जब बहुत अधिक लोग इस विधेयक के पक्ष मे है तब उन्होने उसके बारे मे एक चेतावनी दी है। उनको भविष्य के लिये तरह तरह की कठिनाइयाँ दिखाई पड रही है। उनको यह भय है, यह अदेशा है कि इस प्रकार से देश का विभाजन देश के हित मे नही है और इससे अलग अलग टुकडे बनने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, और साथ ही उन्होने कहा कि साम्प्रदायिक प्रवृत्ति भी बढेगी। इसमे साम्प्रदायिकता की बात वह कहाँ से ले आये वह तो कुछ समझ में नही आया। लेकिन हाँ, यह अवश्य विचारने का प्रश्न है कि अलग अलग इस तरह से विभाजन करना कहाँ तक देशहित मे है और कहाँ तक उसमे पृथकता की प्रवृत्ति पैदा हो सकती हैं। यह एक बात विचार की अवश्य है। लेकिन जब हम कोई भी काम जीवन मे करते है तो उसकी नाप तोल करते है उसके लाभ हानि को देखते है। एक बडे देश का शासन कुछ न कुछ विभाजन ही द्वारा तो हो सकता है। लोग तो गाँव गाँव मे पचायत की माग करते है। हमे ता गाँव गाँव तक जाना पडता है। इतने बडे देश का शासन अधिकार को बाटने से ही चल सकता है और अधिकार जब बाटना है तब हम यह अपने अनुभव से देखते है कि अगर एक शासन के भीतर एक से अधिक भाषाएँ चले तो कितनी असुविधा होती है। इसकी कठिनाई को हमारे मध्य प्रदेश के भाई देख रहे हैं यद्यपि वहाँ केवल दो ही भाषाएँ है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मद्रास वाले किस तरह से अपना काम करते है क्योकि वहाँ चार चार भाषाएँ है। उसका परिणाम यह होता है

कि शासन और विधान के कामो में अपनी भाषा मे साधारणत कोई नही बोल सकता है। सबको यह भय रहता है कि हम जो कुछ अपनी भाषा मे बोलेगे उसको दूसरे नही समझ पायेगे और इस कारण से उन्हे झख मार कर एक पर-भाषा की, अग्रेजी भाषा की, शरण लेनी पडती है। यह एक बडी कठिनाई है। जब हमे शासन बटवारा करके ही करना है तो भाषा के आधार पर करे यह तो, मुझको ऐसा लगता है, उचित रीति है। मै यह मानता हूँ कि हमको और बातो का भी ध्यान रखना पडेगा, व्यय आदि का, लेकिन कुल मिलाकर एक उचित रीति यही है कि जहाँ पर शासन की एक इकाई एक भाषा बोलने वाली हमे मिल सके वहा हम उसे स्वीकार करे। आध्र की माग एक बहुत प्रबल और पुरानी माग रही है। मुझको तो आध्र-निर्माण की बात ठीक लगती है।

हिन्दी की हानि नहीं

उत्साह तो एथनी साहब ने बहुत दिखलाया। लेकिन मुझको ऐसा लगा कि यह उत्साह और साहस भी सर्वथा उचित नही था। मुझे अग्रेजी की वह कहावत याद आ गई कि एक प्रकार के ऐसे जीव होते है 'Who rush in where angels fear to tread'। मुझको ऐसा लगा। मुझको उनकी बात में कुछ तथ्य भी लगा, लेकिन बहुत अधिक जो उन्होने इसके विरोध में उत्साह दिखाया वह कुछ उचित नही दिखाई दिया। उन्होने सेठ गोविन्ददास जी को चेतावनी दी कि इसमे हिन्दी का हित नही है। वह जानते है कि गोविन्ददास जी मे एक दुर्बलता है, हिन्दी के पक्ष मे। उसको ध्यान मे रखकर उन्होने कहा कि इस तरह से हिन्दी का भला होने वाला नही है। वह जानते हैं कि वह दुर्बलता मेरी भी है। लेकिन वह दुर्बलता राष्ट्रीय कारणो से है। मैने सदा ही माना है कि हिन्दी ही हमारे देश को एक सूत्र मे बाध सकती है। मै जानता हूँ कि हमारे भाई अग्रेजी पक्षपाती है और ऐसे दस बीस और भी है जिनका ऐसा विचार है। लेकिन अग्रेजी से हमारा देश एक सूत्र मे बध सके, यह बिल्कुल गलत है, असम्भव है। उसको बाधने के लिये हमारे देश की ही भाषा रखनी होगी। आज उसका विवाद नही है, वह हमारा सविधान निश्चित कर चुका है। उसमे कोई अन्तर इस कारण से पड़ेगा कि अलग कुछ इकाइयाँ शासन की भाषावार बनेगी, ऐसा मेरा विचार नही है। मै यह उचित समझता हूँ कि यह प्रयोग किया जाय। यह एक एक्सपेरीमेंट है। हमको जीवन मे बहुत से प्रयोग करने पड़ते है। शासन मे भी प्रयोग करने पडते है। मै इस प्रयोग के, एक्सपेरीमेंट के, पक्ष मे हूँ। आज केवल आध्र बन रहा है। हमारी सद्भावनाएँ उनके साथ है। केन्द्रीय शासन की

सद्भावना भी उनके साथ है। उनकी वास्तविक सहायता, आर्थिक सहायता, भी कुछ दिनो होनी चाहिये।

साथ ही मै तो यह भी कहूँगा कि अन्य प्रदेशो के सम्बन्ध मे अधिक विलम्ब नही होना चाहिये। मै जानता हूँ कि हमारे कन्नड भाषी लोग कितने इच्छुक है, उत्सुक है। मैसूर उसके सम्बन्ध मे तैयार है। मुझे तो कोई कारण नही दिखाई पडता कि इसमे विलम्ब किया जाय। काग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से जब मै कन्नड मे घूमा और मैने वहाँ इतनी गहरी माग देखी तब मैने तो स्पष्ट उनसे कहा था कि मै उनके पक्ष मे हूँ। कन्नड भाइयो को तो मै आश्वासन दे चुका था कि मै इसके पक्ष मे हूँ कि कन्नड भाषी प्रदेश बनाया जाय, ऐसे राज्य की स्थापना हो। मेरे विचार मे उनकी माग के ऊपर भी, जैसे ही कुछ अवसर मिले, सुविधा मिले, केन्द्रीय शासन को ध्यान देना चाहिये। मैं और अधिक समय नही लेना चाहता। इसी प्रकार से अन्य भी प्रदेश जो भाषा के सूत्र के ऊपर बनना चाहते है, जैसे महाराष्ट्र, केरल, जिनकी मागे हैं और हम सुविधा के साथ जिनकी इकाई स्वीकार कर सकते है—मेरा अपना कथन है कि उसमे हमे अब बहुत विलम्ब नही करना चाहिये। कुछ समय तो स्वाभाविक रीति से लगेगा ही। परन्तु यह माग जो जनता की ओर से आती है उसके लिये यह कहना कि उसमे कुछ थोडे से लोगो का स्वार्थ है, थोडे से लोग पद चाहते है, यह उचित समालोचना नही है। मै तो इस भाषावार क्रम के पक्ष मे हूँ। जो विधेयक डाक्टर काटजू ने रखा है मै उसका समर्थन करता हूँ और अपने आध्र के भाइयो को अपना आशीर्वाद देता हूँ।

भाग 'ग' राज्यों में हिन्दी

१६ फरवरी १९५४ को भारतीय लोकसभा में भाग 'ग' राज्य शासन विधेयक पर हिन्दी के सम्बन्ध मे बोलते हुए

महोदय! मेरा इस विधेयक पर बोलने का कोई विचार नही था। परन्तु अभी मैने, जो विधेयक सामने है उसमे, हिन्दी सम्बन्धी धारा जो पढी तो मुझको जान पडा कि इसमे सशोधन की आवश्यकता है। यह तो मै मानता हूँ कि पन्द्रह वर्ष तक हमारे सविधान के अन्दर अग्रेजी को अवसर दिया गया है।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : उसमे से चार साल निकल गये।

हिन्दी को सहारा देना—केन्द्र का कर्त्तव्य

श्री टंडन : परन्तु यह बात भी स्पष्ट है और केन्द्रीय सरकार भी यह मानती आई है, कि उसका कर्त्तव्य है कि अपने शासन के कामो मे जहाँ तक सभव हो हिन्दी को सहारा दे।

सविधान की किसी धारा को तोडने का या उसका अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न मै नही उठाता। मै स्वय अपने को सविधान से, जब तक वह है, बधा हुआ मानता हूँ। मै उसके बदलवाने का प्रश्न उठा सकता हूँ, यत्नवान भी हूँगा। मैं सविधान मे हिन्दी के बारे मे जो अनुच्छेद है उन मे से कई एक को गलत मानता हूँ। परन्तु आज वह प्रश्न नही है, मै उससे उतना ही बधा हुआ हूँ जितने कि हमारे मंत्रिगण बधे है। इस कारण मै कोई अनर्गल प्रश्न नही उठाऊँगा कि जिसमें सविधान के विरुद्ध कोई बात कही जाय या करने को कही जाय। परन्तु मै यह चेतावनी देता हूँ कि अनावश्यक रीति से कोई धारा रखना जब उसकी आवश्यकता नही है, अग्रेजी के ऊपर बल और उसकी ओर बार बार झुकाव देना, यह नीति के और सविधान की मशा के भी विरुद्ध है। आपको हिन्दी को सहारा देना है सविधान के भीतर। मै मत्री महोदय से पूछता हूँ, जिन्होने बिल सामने रखा है, कि आज यह जो धारा उन्होने रखी सो क्यो? क्या कोई मामले ऐसे आये किसी सी-क्लास स्टेट से, जिसके कारण उनको यह रखनी पड़ी?

राज्य का अधिकार

संविधान स्पष्ट है इस बात मे कि हर राज्य को अधिकार है कि वह

अपनी भाषा मे काम करे। हमारे मत्री जी ने सिर हिलाया इसलिये मुझ को सविधान का अनुच्छेद पढना पडता है। (अनुच्छेद) ३४५ मे है ·

"अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धो के अधीन रहते हुये राज्य का विधान-मडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनो मे से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य मे प्रयुक्त होने वाली भाषाओं मे से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अगीकार कर सकेगा।"

उसके साथ 'प्राविजन' भी है। यह स्पष्ट है कि हर एक राज्य को अपने यहाँ अपनी भापा द्वारा काम करने का अधिकार है।

यह प्राविजन तो सिर्फ वहाँ के लिये है जहाँ पर कोई ला स्वीकृत नही हुआ। परन्तु स्पष्ट है कि हर एक राज्य को अधिकार है कि वह अपनी क्षेत्रीय भाषा के सम्बन्ध मे अपना निश्चय करे। इसके अनुसार कुछ प्रदेश तथा कुछ राज्य कर भी चुके है। मेरा अनुमान है कि बहुतों ने कर लिया है। मै अपने उत्तर प्रदेश की बात तो जानता हूँ जहाँ मै स्वय विधान-सभा का अध्यक्ष था। वहाँ मेरी अध्यक्षता मे ही इस प्रकार की विधि निश्चित हो चुकी थी, कानून मजूर हो चुका था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपने पहले ही से कर दिया था।

श्री टंडन : मेरी अध्यक्षता मे वह स्वीकार हुआ। इस प्रकार का अधिकार हर एक राज्य को है। सविधान मे यह भी स्पष्ट है कि जहाँ अपनी भाषा के बारे मे कोई कानून पास भी हो गया हो वहाँ भी अधिनियमो, आज्ञाओ, आदेशो आदि का अग्रेजी अनुवाद उस शासन को प्रकाशित करना होगा। जो अनुवाद प्रकाशित होगा अग्रेजी मे वह सविधान के शब्दो मे 'अथारिटेटिव टेक्स्ट' माना जायगा। आज आपको क्या आवश्यकता पडी कि सविधान के एक अनुच्छेद के अश को इस विधेयक मे आपने रक्खा ?

अग्रेजी पर बल देना अशुद्ध

अगर रखना ही है तो मेरा सुझाव है कि आप देखिये ३३ए की भाषा को। आपने इसमे 'प्राविजन' देकर कुछ सहारा तो क्षेत्रीय भाषा को दिया है लेकिन जो असली अनुच्छेद है, जो मुख्य वाक्य है, उसमे आपने कहा है कि हर एक बिल इत्यादि, आर्डर इत्यादि अग्रेजी भाषा मे होगा। यह तो अशुद्ध भी है। यह सही है कि इस अशुद्ध चीज को लिख कर "प्रोवाइडेड दैट" कह कर, एक अपवाद देकर उसे सभाला है। परन्तु प्रारम्भ आपने किया एक अशुद्ध बात से। वह बात अपने मे अशुद्ध है, अनर्गल है, सविधान के विरुद्ध है। एक ग़लत चीज को रख कर, विधान के अन्दर 'प्रोवाइडेड दैट' लिख कर·· ···

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : 'प्रोवाइडेड दैट' रीज़नल लैंग्वेज

के लिये है। हिन्दी के लिए नही।

श्री टंडन : मै आप से कहता हूँ कि यह चीज ठीक नही है क्योकि इस "प्रोवाइडेड दैट" मे जैसा मेरे भाई ने अभी कहा हिन्दी के लिये नही कहा है। अगर हिन्दी नही है तो वह धारा सविधान के अनुच्छेद ३४५ के विरुद्ध जाती है, क्योकि हर एक स्टेट को अधिकार है, ट्रावनकोर तक को अधिकार है कि वह अपने यहाँ हिन्दी रखे। मै आप से यह कहता हूँ कि इसका अर्थ यह है। वह हिन्दी रखेगा नही, परन्तु हिन्दी रखने का अधिकार ट्रावनकोर कोचीन को है। मैसूर को अधिकार है कि वह चाहे तो हिन्दी को अपने यहाँ की भाषा रख सकता है। आपने इस धारा से इसको रोक दिया है।

सुझाव •

मै आपको एक सुझाव देता हूँ कि आपको केवल यह देखना है कि क्या कोई, 'लैक्यूना' जैसा आपने कहा था, कोई कमी रह गई है। मेरा कहना है कि किसी कमी का प्रश्न नही उठता। सविधान सबके ऊपर है। और अगर कही पर आपको कोई कमी दिखलाई पडती है तो मेरा कथन यह है कि आप इस पहले वाक्य को हटा दे। जहाँ आपने कहा है

'धारा ३३ मे किसी बात के होते हुये भी, जब तक ससद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे,

(क) किसी राज्य की विधान-सभा मे पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयको या उन पर प्रस्तुत किये जाने वाले सशोधनों के प्राधिकृत पाठ,

(ख) किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमो के अधिकृत पाठ, तथा

(ग) किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किये गये सभी आदेशों, नियमो, विनियमो तथा उपविधियो के प्राधिकृत पाठ अग्रेजी भाषा मे होगे।"

मै कहता हूँ कि इसको आप हटा दे। हाँ, जो आपका प्राविजन इसमे है उसको मेन टेक्स्ट बनाइये, जिसको आपने "प्रोवाइडेड दैट" करके लिखा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा संशोधन इसी भाति है।

श्री टंडन : आप यह स्पष्ट कर दे कि बिल्स का, रेगुलेशन्स का, आर्डर्स का अथारिटेटिव टेक्स्ट अग्रेजी मे होगा।

यह सविधान कास्टीट्यूशन मे भी है। आप उसको इसमे धर दे। ३४५ के अन्दर जो अधिकार है उसको आप मानकर आगे चले। यदि

आप इस कानून मे भाषा सम्बन्धी धारा आवश्यक समझते है तो कुछ शब्दो मे आप ३४५ का हवाला दे कि हर राज्य को अधिकार है कि वह अपने यहाँ हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा रखे और आप यह भी हवाला दे दे कि 'अथारिटेटिव टेक्स्ट' अग्रेजी मे हो जैसा कि सविधान की धारा ३४८ मे कहा गया है। इसमे आपका कुछ बिगडता नही है। मै अपने माननीय मत्री महोदय से पूछता हूँ कि मेरे इस सुझाव के अन्दर क्या 'लेक्यूना' रह जायगा। यह मै जानना चाहूँगा। मेरा विचार है कि मेरे सुझाव के अनुसार काम ठीक होगा। अपने मसौदे मे आप अग्रेजी को चढा रहे है, सहारा दे रहे है। हर रियासत को मजबूर कर रहे है कि वह अग्रेजी मे काम करे। जिस रियासत मे दम है वह आपकी बात फेंक देगी। अगर मैं कही चीफ मिनिस्टर होऊ तो मैं तो उस 'प्रोवाइजो' के अन्दर हिन्दी को रखूंगा। बात स्पष्ट है। मगर मै जानता हूँ कि राज्यो के साधारण मिनिस्टर कमजोर होते है। वह यह समझेंगे कि आपने जो यह लिख दिया है कि, "शैल बी इन दी इगलिश लैंग्वेज" यह उनको दाब रहा है। वह "प्रोवाइजो" का पूरा लाभ नही उठायेंगे। जैसा कि अभी मालूम हुआ, कई जगह अग्रेजी चल रही है। आवश्यकता नही है चलने की। उत्तर प्रदेश मे अग्रेजी नही है। मैने अपने सामने सही रूप देकर स्पीकरी छोडी थी। वहाँ आज भी वही है। वहाँ अग्रेजी नही चल पाई है। कास्टीट्यूशन की मजबूरी की वजह से अग्रेजी मे बिलो, आदेशो आदि का अनुवाद अवश्य हो जाता है। परन्तु वहाँ का काम हिन्दी मे होता है। मत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह ऐसा रूप दे कि लोगो को यह बहकावा न हो, यह धारणा न हो कि जो कुछ वह काम करें वह अग्रेजी मे हो। "शैल बी इन दी इगलिश लैंग्वेज" यह न रखिये। जितना सविधान के अन्दर आवश्यक है उतना ही आप अग्रेजी का बचाव करे। मेरा यह नम्रता से सुझाव है।

●

१५

कुम्भ मेला

२२ फरवरी १९५४ को भारतीय लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण के प्रसग पर प्रयाग की कुम्भ दुर्घटना के सम्बन्ध में बोलते हुए

अध्यक्षा जी ! मै इस विषय के केवल एक अश पर बोलना चाहता हूँ। उसका सम्बन्ध कुम्भ मेले से है। वह प्रयाग का एक दृश्य था। मै प्रयाग का रहने वाला हूँ और जब यह दुर्घटना हुई उस समय मै मेले के भीतर था, यद्यपि उस दुर्घटना के स्थान से लगभग दो मील पर। मै वहाँ भारतीय सस्कृति सम्मेलन के अधिवेशन मे व्यस्त था, जिसका उद्घाटन एक दिन पहले, अर्थात् दो फरवरी को राष्ट्रपति जी ने किया था। वह अधिवेशन तीन और चार फरवरी को भी था। मुझे मेले में इस दुर्घटना की बहुत हल्की सी सूचना मिली थी। सच बात यह है कि इस दुर्घटना का गम्भीर चित्र मेरे सामने दूसरे दिन सवेरे आया। इस समय मै उस दुर्घटना के व्यौरो पर कुछ कहने वाला नही हूँ। आजकल वहाँ जाँच करने वाली समिति बैठी है। उसके सामने बयान आ रहे है, कई प्रकार के बयान आए है और बहुत विश्वसनीय भाइयों के बयान इस बात पर आए है कि मौतें कितनी हुई और किन कारणो से हुई। जो भूल प्रबन्ध की हुई उसके ऊपर मुझे कोई टीका टिप्पणी भी नही करनी है। उसका ठीक पता कमेटी की रिपोर्ट आने पर लगेगा और तभी टीका टिप्पणी का समय होगा। परन्तु यह तो स्पष्ट है कि कही न कही कुछ गहरी कमी और त्रुटि थी, नही तो इतनी कल्पना तो होनी ही चाहिए थी कि जब लोग ऊपर से जा रहे है तो ढाल के नीचे कोई जबरदस्ती बैठाला न जाय, जैसा कि स्पष्ट है कि लोग बैठाले गए। पुलिस ने मार मार कर बैठाला, गवाही मे भी है, यह बहुत स्पष्ट बात है। कल्पना की कमी और फिर पुलिस के आदमियो की कमी—कही न कही त्रुटि है। २०० फीट लम्बा एक गड्ढा ढाल के नीचे उसके पास बना रहे जिसमे कि कीचड हो, यह भी प्रबन्ध की कमी है। यह बाते स्पष्ट है। मगर मुझे कुछ दूसरी बातो पर कुछ कहना है।

मेला मनोभावना का प्रतीक

यह मेला एक प्रतीक है, हमारे देश की मनोभावना का। किस प्रकार से लोग वहाँ दौडते है ? उनके अन्दर भावना होती है कि हम

गगा जी मे दो डुबकी लगा कर स्वर्ग मे चित्रगुप्त जी के खाते मे जमा की ओर एक कलम लिखवा लेगे, एक क्रेडिट एट्री वहाँ पर हमारी हो जायगी ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पुराना खयाल छोड देना चाहिए ।

श्री टंडन : मै पुराने चित्रो को, विचित्र चित्रो को और चित्रगुप्त जी की जो काव्य-कल्पना है, उसको छोड देने मे कोई बहुत लाभ नही देखता ।

भारतीय वा पश्चिमी मूढ़ग्राह दोनों त्याज्य

मगर जो छोडने की बात है इस मेले के सम्बन्ध मे वह है यह मूढ-ग्राह कि दो डुबकी लगाने से हमारी मुक्ति हो जायगी, यह गहरा मूढग्राह है । यह सहारा देने की, प्रोत्साहन देने की बात नही है ।

आज दो रास्ते है जो हमारे लिये भयावह है, डर के रास्ते है । मै भारतीय सस्कृति का उपासक हूं परन्तु भारतीय सस्कृति को दो रास्तो से बचाना है । एक रास्ता वह है जिस पर हमारे पश्चिम की नकल करने वाले भाई चलते है । पश्चिमी ढग की चीजो को, रीति रिवाज को, उसकी भापा को अपनाकर पश्चिम की नकल करना या उसकी प्रतिलिपि बनना यह हमारे देश को शोभा नही देता । मै उसका रूप नई दिल्ली मे देखता हूँ । देश को नई दिल्ली का मानसिक रूप नही देना है क्योकि वह भी एक मूढग्राह है । यह मत समझिये कि मूढग्राह, सुपर्स्टिशन, बेपढे लिखे लोगो मे ही होता है । अग्रेजीदा लोगो मे मुझे बडा गहरा सुपर्स्टिशन दिखाई देता है, वह भरे हुए है मूढग्राह से । कपडे पहिनने में मूढग्राह है कि ऐसे कपडे पहिनेगे तो हमारी ज्यादा इज्जत होगी । खाने-पीने मे, रहन-सहन मे मुझे सुपर्स्टिशन दिखाई देता है । उस मूढग्राह से हमें देश को बचाना है । भारतीय सस्कृति की रक्षा हमे करनी है । इसका यह मत-लब नही कि हम अच्छी बातो को भी विचारपूर्वक न ले ।

हमारा देश बौद्धिक

मेरी मान्यता है कि हमारा देश बौद्धिक रहा है, मै इस पर बल देता हूँ । बहुत से अग्रेज इतिहासकारो ने कहा है कि हमारे यहां परिपाटी को पूजने वाले बहुत है । कजर्वेटिज्म बहुत है । इसमे आशिक सत्य है, लेकिन पूरा सत्य नही है । हमारा देश अपने आन्तरिक तल मे बौद्धिक रहा है, बुद्धि का पुजारी रहा है, बुद्धि के ऊपर उसने किसी किताब को नही रक्खा है । 'यो बुद्धे. परतस्तु स.' । बुद्धि के ऊपर केवल ईश्वर को माना है,

ईश्वर के बाद ससार मे बुद्धि तत्त्व ही है । मै बुद्धिवादी हूँ, बुद्धि के ऊपर सब पुस्तको को, ट्रैडिशन्स को, नापने तौलने के लिये तैयार हूँ। यही हमारे यहाँ का क्रम प्राचीनो का था । हाँ, दो, चार, पाच सौ वर्ष पहले एक अधेरी रात आई हमारे देश मे, उसमे हमने इन मूढग्राहों और परिपाटियो और ट्रैडिशस को पूरी तरह मे पकडा । परन्तु यदि हम विचार करें तो देखेगे कि हमारा देश अपने मार्गो को बदलने मे, परिपाटियों को सुधारने में पीछे नही रहा है । हमारे देश का ही एक वाक्य हैं, जैसा ससार मे और कही का मैने नही सुना । कथा है कि जब यास्क मुनि के शरीर छोडने का समय आया तब उनके चेलों ने उनसे पूछा, "महाराज, आप जाते हैं, अब वेदो का अर्थ कौन करेगा ?" ध्यान रखिये, वेदो का ! यास्क मुनि निरुक्त के कर्त्ता है । निरुक्त वह शास्त्र है जो वेदो के शब्दो को सामने रखता है और उनका अर्थ निकालता है । चेलो ने पूछा, "अब आप जा रहे है, वेदो का अर्थ कौन करेगा ? हम लोग किस ऋषि के पास जायँ ?" यास्क ने जवाब दिया, "तर्को वै ऋषिरुक्त ।" इसका क्या अर्थ है ? "तर्क, लाजिक, सिलाजिज्म, यही ऋषि है, वेदो का अर्थ करने के लिये ।" यह वाक्य था कि तर्क ही ऋषि है । तक का मतलब बुद्धि, क्योकि तर्क का सहारा तो बुद्धि के बिना बढता नही । बुद्धि को ही ऋषि बनाना यह वाक्य हमारे देश की पुरानी परिपाटी को बताता है । हमारा देश बुद्धिवादी रहा है परिपाटियो का दास नही । परिपाटियाँ अवश्य बनती है, किस देश मे नही है ? आज क्या अमरीका और इग्लैण्ड परिपाटियों से बधे नही है ? बहुत जगहो पर परिपाटियो की बहुत गुलामी रहती है। अगर बुद्धि भी साथ हो तो वे ठीक होती रहती है । हमारे यहाँ परिपाटियाँ चलनी है लेकिन बौद्धिकता पुराने समय से समाज पर प्रभाव डालती रही है ।

मेरा निवेदन यह है कि आज जहाँ एक ओर हमे पश्चिमी नकल से बचना है, वहाँ अपने देश की परिपाटियो का भी जो कि धर्म के नाम पर चलती है, विश्लेषण करना है । 'यह माघ मेला', किसी ने यहाँ पर कहा था, मै उनका आदर करता हूँ, 'श्रद्धा और भक्ति का सूचक है ।' मै प्रयाग का रहने वाला हूँ । गगा से मेरा गहरा प्रेम है लेकिन मेरा गंगा मे मूढग्राह नही है । गगा मे बडे बडे घडियाल रहते है, क्राकोडाइल रहते है ? क्या वह वहाँ बुद्धि से श्रद्धा से रहते है ? नही । मल्लाह दिन भर गगा मे रहता है । मेरे मन मे गगा की उपासना इसलिए है कि गगा के किनारे तपस्वियो ने तप किया था, गगा का जल पवित्र है। परन्तु इस भेडियाधसान को, कि एक छोटी सी जगह मे जहाँ सगम है वहाँ हजारो आदमी एक साथ स्नान करे, प्रोत्साहन देना उचित नही है । यह बुद्धि के

विरुद्ध है। मै इसको भारतीय सस्कृति का विरोधी समझता हूँ। जो लोग इस प्रकार की तबियत को प्रोत्साहन देते है वह सही नही करते है। वह भारतीय सस्कृति की रक्षा नही करते।

मै अधिक नही कहना चाहता। मेरा निवेदन यह है कि हमे इन दोनो भयावह रास्तो से बचना चाहिए, एक ओर पश्चिमीय नक़ल और दूसरी ओर अपने यहाँ की सब्र रीतियो को बिना समझे बूझे प्रोत्साहन देना। हमारी सस्कृति प्राचीन है लेकिन बौद्धिक है। जिस तरह का हमारा यह मेला है उस तरह के मेले मुसलमानो मे भी चलते है। वे भी अवश्य ही बुद्धि के विरुद्ध है, उनमे कोई अक्ल नही है। मुसलमानो के मेले चलते है, हिन्दुओ के मेले चलते है और वहाँ बहुत भीड-भाड होती है। उनमे चोर-डाकू आते है, लुगाडे भी आते है और श्रद्धावान बहुत थोड़े आते है। प्राचीन समय मे यह इसलिए होते थे कि वहाँ अच्छे लोग इकट्ठा होते थे, अच्छे विचार करते थे। आज भी विचार के लिए कुछ थोडी सी सभाये होती है। वह ठीक है, वहाँ लोग जायँ। परन्तु इस भावना को प्रोत्साहन न दिया जाय कि लोग दौडे दौडे दूर दूर से आवे और जल मे डुबकी मार कर चले जायँ चाहे उनकी भावना न बदले, और वे तप और सत्य का अश लेकर न जायँ। हमारी प्राचीन मर्यादा के अनुसार सत्य और तप भारतीय सस्कृति के मुख्य अश है। जहाँ तप और सत्य नहीं है वहाँ भारतीय सस्कृति नही है। शासन से मेरा कहना है कि आप इन दोनो रास्तो से देश को बचाइये। एक तरफ खाली पश्चिमीय नकल न कीजिये। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मेलो को, जैसा कि अब की बार रेल वालो ने किया, बहुत प्रोत्साहन न दे। रोकथाम कीजिये। मै जानता हूँ कि आपकी भी सीमाये है। जब लोग एक क्रम मानते है तो उसको आप रोक नही पाते।

श्री त्यागी : भीड ज्यादा होती है तो सुभीता देना पडता है।

श्री टंडन : ठीक है, प्रबन्ध करना पडता है, लेकिन भीड आवे इसके लिए न्यौता न दीजिये, निमत्रण न दीजिये। भीड का आह्वान न कीजिये। आप ऐसे अवसर पर लोगो को समझाइये कि भीड न करे और गंगा मे एकान्त स्थान पर नहाये।

श्री पी० एन० राजभोज : यह सब पुराण चल रहा है या क्या हो रहा है ?

धर्म का आधार युक्ति

श्री टंडन : यही कह रहा हूँ कि आप भारतीय सस्कृति को बिना समझे बूझे कीचड़ मे घसीटे मत। भारतीय सस्कृति मूढग्राहो या सुपर्स्टिशस का बंडल नहीं है। जो लोग भारतीय सस्कृति को नही समझते

वे उसको समय समय पर बुराई कर देते है। वे लोग भी उसको गलत समझते है जो उसको अधविश्वासों का बडल समझते है। भारतीय सस्कृति बौद्धिक है, बुद्धि के ऊपर निर्भर है। जहाँ बुद्धि नहो, जहाॅ युक्ति नही, वहाॅ भारतीय सस्कृति नही, वहाॅ धर्म नही। बृहस्पति स्मृति का एक वाक्य याद आ गया, उसे कह कर बैठता हूँ। कहा है—

'केवलम् शास्त्रमाश्रित्य, न कर्तव्यो वि निर्णय ।'

केवल किताबो का, जिनको शास्त्र कहते है, सहारा लेकर धर्म का निर्णय नही हुआ करता।

"युक्तिहीन विचारेतु धर्म हानि प्रजायते ॥"

जहाॅ बुद्धि नही है, युक्ति नही है ऐसे विचार से धर्म की हानि होती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

यह मै सब सदस्यो से कहना चाहता हूॅ, चाहे वे हिन्दू हो चाहे मुसल-मान हो चाहे ईसाई हो। जो धर्म युक्ति पर आधारित नही है वह धर्म कहलाने के योग्य नही है। भारतीय धर्म बौद्धिक है और युक्ति पर निर्भर है। इस कारण से मै शासन को सलाह देता हूँ कि इस प्रकार के मूढग्राहो को बिना समझे बूझे प्रोत्साहन दिया न करे।

१६

गुलाल और गर्द

२२ मार्च १९५४ को भारतीय लोकसभा मे उस वर्ष के सामान्य आय-व्ययक पर बोलते हुए

सभापति महोदय ! मै आज इस बहस के आखिरी दिन मे खडा हुआ हूँ। मुझको आशा थी कि शायद आज आखिरी दिन ये गवर्नमेंट की बेचे खाली न रहे और मैं कुछ अपनी बात मत्रियो को, उन मत्रियो को सुना सकूँगा जिनके विभागो के बारे मे मै कुछ कहना चाहता था। इन दिनो मे जब सब विभागो के सम्बन्ध मे बहस होती है, क्योकि जब बजट उपस्थित किया जाता है तो उसमे सभी विभागो के अनुमान होते है और उस समय हर विभाग का प्रश्न लाया जाता है, ऐसे दिनो मे मुनासिब यह है कि सब मत्रीगण यहाँ पर बैठे रहे और सुने और समझे कि उनके विभाग के बारे मे क्या कहा जा रहा है। अकेले वित्तमत्री का यहाँ पर उपस्थित होना पर्याप्त नही, क्योकि उनके सुपुर्द वे विभाग तो है नही जो उनका दिया हुआ रुपया व्यय करते है, वित्तमत्री तो रुपया बाटते है, खर्च उसको दूसरे करते है, मुनासिब होता अगर वे यहाँ पर उपस्थित होते।

गुलाल तथा गर्द युक्त बजट

अस्तु, अभी हम होली की ऋतु मे है और होली के बाद यहाँ इकट्ठे हुए है। गुलालो का आकाश हमने देखा है। कही कही गुलाल के साथ गर्द का गुब्बार भी देखा है। यह हमारा बजट भी होली के आकाश के समान गुलाल और गर्द से छाया हुआ है। हमारी पचवर्षीय योजना मे दोनो मिले हुए है। इन चद मिनटो मे मुझे सब व्यौरों मे नही जाना है, परन्तु जहाँ मै मानता हूँ कि पचवर्षीय योजना मे कुछ रगीनी है, दिलो को प्रसन्न करने वाली वस्तु है, वहाँ मुझे व्यर्थ का आडम्बर और गर्द का गुब्बार भी दिखाई देता है और मै पूछना चाहता हूँ कि जिन दीन और गरीब भाइयो से हमारा देश भरा पड़ा है, और जिनके बारे मे अभी मेरे मित्र श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने गाधी जी का एक उद्धरण पढा, उन दीनों गरीबों की झोपडियो मे इस योजना से क्या अब तक हुआ। इससे अगले दो वर्षों मे उनको क्या लाभ हो जायगा, इस बात मे मुझे बहुत गहरा सन्देह है। मुझे इस पचवर्षीय योजना से यह नही दिखाई देता कि हमारे गाँवों की दशा कुछ बहुत उन्नत होने वाली है, उसके लिए तो,

योजना का कुछ रूप रग अलग होना चाहिये ।

युगपरिवर्तक ग्राम-योजना

मैने दो एक बार कहा है कि गॉवो का एक नया निर्माण होना चाहिए । युग बदलने के लिए मैने वाटिका गृह योजना की बात रखी है जिसमें गॉव के हर कुटुम्ब के लिए घर हो और हर एक घर के साथ आधा एकड भूमि हो। ऐसा अगर हो जाय, तो आप देखेगे कि क्या सूरत बनती है । मुझको ऐसा याद पडता है कि एक बार वित्तमत्री ने कुछ शब्दो मे मेरी इस बात का स्वागत सा किया था । परन्तु मुझको तो मालूम नही कि आज तक यह जो रुपये खर्च हुए, कई सौ करोड जो अब तक खर्च हो चुके, इस रकम का कोई एक टुकडा किसी ऐसे एक गॉव के भी बसाने मे खर्च हुआ ।

मेरी यह कल्पना थी कि हर सूबे मे या हर जिले मे एक एक गॉव तो इस नमूने का बन जाता । मुझे नही मालूम होता है कि आज देश भर मे इस योजना पर एक भी गॉव बसाया गया हो । दो सौ चार सौ घर इस तरह के बसाये जाते, हर घर मे आधा एकड भूमि होती, बीच मे सड़के होती और यह यत्न होता कि वह स्वस्थ रह सके—मुझे इसके लाभ पर और अधिक नही कहना है । आशा थी कि कुछ होगा लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ है । मुझे यह मालूम होता है कि इस पचवर्षीय योजना मे शहरी ढग से रहने वाले लोगो का ध्यान है । देहाती लोगो के लिए यह योजना बहुत अधिक करने वाली नही है ।

मैगॉवो मे बढती हुई बेकारी देख रहा हूँ । यहाँ चर्चा होती है पढे-लिखो की बकारी की । ऐसा लगता है कि जो देहाती लोग है, गाँवों के मजदूर है उनकी तरफ ध्यान नही है । उस सबके लिए दूसरी तरह की योजना की आवश्यकता है ।

शिक्षा विभाग चेतनाहीन

मुझे थोडे से शब्द भाषा के सबध मे कहने है। मेरा निवेदन है कि भाषा के प्रश्न पर हमारे शिक्षा विभाग के भीतर सजगता नही है । ऐसा लगता है कि वह ऊघता हुआ विभाग है । चार वर्ष बीत गए, हिन्दी के सबन्ध मे उन्होने क्या किया ?

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) शत्रुता ।

श्री टंडन छोटे छोटे कुछ चार पाच शब्दकोश सामने आये है जिनमे बहुत रुपया बरबाद हुआ है । उस दिन मेरे मित्र सेठ गोविन्ददास जी ने पूछा हमारे शिक्षामन्त्री जी से कि जो काम सविधान सभा ने शब्दो के

बारे में कर दिया था अर्थात् सविधान का अनुवाद हिन्दी में हो चुका और हिदी शब्द स्वीकार हो चुके, क्या आप उन शब्दो को भी बदलने मे लगे है। उन्होने जवाब दिया कि हॉ, हम बदलने मे लगे है। सेठ जी ने पूछा कि क्या आप सविधान की यानी कास्टीट्यूशन की अवहेलना करेंगे, तो उन्होने कहा, 'हॉ'। अवहेलना का मतलब उन्होने नही समझा। स्पीकर साहब ने उनको मतलब समझाया तब उन्होने कहा, 'नही'। मुझे अपने शिक्षामत्री की इल्मियत मे सदेह नही, बहुत आलिम है। शिक्षा विभाग से हम यह आशा करते है कि वह हिदी को प्रगति दे। लेकिन ऐसा जान पडता है कि हमारे शिक्षामत्री जी को हिदी का ज्ञान बहुत कम है। मैने सुना है कि वह बगला बोल सकते है, बगला भाषा मे 'अवहेलना' बहुत साधारण प्रचलन का शब्द है, परन्तु उस शब्द की भी उनको जानकारी नही थी। मुझे इसके लिए शिकायत नही है। मै सचमुच हृदय से उनका आदर करता हूँ, यह मैं आपसे अपने हृदय की बात कहता हूँ, लेकिन आदर होते हुए भी यह मेरा निवेदन है कि यह जो हिदी के चलाने का काम है यह उनकी शक्ति के बाहर है।

हिन्दी का मंत्री अथवा आयोग

तब क्या किया जाय ? वह शिक्षामत्री है। जो काम अब तक हमने देखा उसमे तो उस विभाग मे कोई चेतना नही दिखाई देती। मेरा निवेदन है कि या तो इसके लिए एक स्थायी आयोग, कमीशन, बना दिया जाय जिसके कामो मे शिक्षा विभाग दखल न दे और जिसको हिदी का काम करने का पूरा अधिकार हो, या एक नयी मिनिस्ट्री बनायी जाय। जरूरत यह है कि बिल्कुल एक नयी मिनिस्ट्री बनायी जाय जो हिदी को चलाने के लिये·

एक माननीय सदस्य : गोविन्द दास।

श्री टंडन : मेरे दिमाग मे कोई खास आदमी नही है। मुझे खुशी होगी अगर आप आकर के काम करें। लेकिन कोई ऐसा आदमी बनाया जाय जो इस काम को लग कर करे और जिसमे चेतनता हो।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि नया मत्री आवश्यक है, तो पुराने को क्यो न हटा दिया जाए ?

श्री टंडन : मेरा निवेदन यह है कि यह विषय विचार करने का है। मै आगे बढता हूँ। समय थोड़ा है।

उर्दू का प्रश्न

राष्टपति के पास उर्दू का मसला आया है। मेरे सूबे के बारे में

माग आयी है कि वहाँ उर्दू एक क्षेत्रीय भाषा के रूप मे स्वीकार की जाय और एक उर्दू की यूनिवर्सिटी बनाई जाय जहाँ उर्दू मे शिक्षण हो। उर्दू के माने केवल उर्दू भाषा नही है बल्कि उर्दू और फारसी लिपि है। सवाल लिपि का है। यही असली सवाल है। आज फारसी और अरबी लिपि का सपना हमारे कुछ भाई देखते है और आये है राष्ट्रपति के पास कि इसको जारी किया जाय। मुझको ऐसा दिखाई पडता है कि यह दिमाग गलत है, इस दिमाग मे कुछ मुस्लिम लीग के दिमाग की बू है। आज भी वह अपने को पूरा भारतीय मानते हुए इस देश का जो चलन है उसमे अपने को प्रविष्ट नही करना चाहते है। हमारे सामने किसी अलग कल्चर का सवाल नही है। एक भाई ने लखनऊ मे कहा कि हमारा मुसलमानी कल्चर कुछ ईरानी है, हमको मौका होना चाहिए कि हम उसके अनुसार काम कर सके, उर्दू के द्वारा। क्या आज हमारे देश मे इस तरह के दिमाग की जरूरत है? यह साप्रदायिकता है। मै उर्दू का विरोधी नही हूँ। मै फारसी भी जानता हूँ। मुझे फारसी मे मजा आता है। उर्दू मे मुझे रुचि है लेकिन हमारे देश मे क्या आज इन भाषाओं पर जोर देने की आवश्यकता है, इस लिपि की आवश्यकता है? कैसा तमाशा हम पाकिस्तान मे देख रहे है। पाकिस्तान मे जो आज मुस्लिम लीग की हार हो रही है उसका बडा कारण यह है कि वह उर्दू जबान को बगालियो के ऊपर लादना चाहती है। बगाली उसको स्वीकार नही कर रहे है। वे भी मुसलमान है। उर्दू सब मुसलमानो को मान्य हो, ऐसी बात नही है। हमारे यहाँ के सभी रहने वाले जो मुसलमान है वे भी इस प्रश्न को उस रूप मे, मुसलमानी रूप मे न बढावे। मेरा निवेदन है कि यह जो अनेक मागे की गई हैं वे ज्यादातर गलत है। यह एक सही बात है कि अगर कोई उर्दू पढना चाहे तो उसके ऊपर कोई रुकावट नही होनी चाहिए। ठीक है, और मै जानता हूँ कि इस बात के लिए हमारे सूबे की गवर्नमेट ने पूरा मौका दिया है। लेकिन यह कि हमारी अलग उर्दू यूनिवर्सिटी बने, हम अरबी लिपि मे अर्जियाँ दे सके यह सब गलत मागे है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की मागो का साफ जवाब यही है कि वे मानने योग्य नही है।

रुपये की बरबादी

हमारी मिनिस्ट्री आज जो काम कर रही है उसके एक आध कामो के बारे मे भी मेरा कुछ निवेदन है। जो जोर देना चाहिए राष्ट्रभाषा पर वह मिनिस्ट्री नही दे रही है और जो काम कर भी रही है वह सही तरीके से नही कर रही है। अभी उनकी रिपोर्ट निकली है। उन्होने कहा है कि

हमारा इरादा एक कोश बनाने का है। वह चाहते है कि कनसाइस आक्सफोर्ड डिक्शनरी का अनुवाद हिन्दी मे हो जाय। रिपोर्ट मे कहा गया है कि ६०,००० रुपया इस काम के लिये हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को देना स्वीकार किया गया है। मै चाहता था कि शिक्षामत्री जी यहाँ होते और मै उनसे पूछता कि हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी ने अब तक हिन्दी का जो काम किया है क्या उसका कुछ पता है ? मुमकिन है कि पता हो। लेकिन फिर भी उसकी मदद करना उनको मजूर है। इसी कोश, डिक्शनरी, के काम को दूसरी सस्था ने, मशहूर सस्था ने, उठाया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस काम को कर रहा है। उसने बहुत सा काम आगे बढाया है। उसने शिक्षा विभाग से कहा कि हमारे कोश के लिए रुपया दीजिए। शिक्षा विभाग ने उनको इन्कार कर दिया। हिन्दुस्तान भर मे इस सस्था का नाम प्रसिद्ध है। इसने हिन्दी को चलाने का खास हिस्सा लिया है लेकिन उसको इन्कार कर दिया गया। यहाँ से उस सस्था के पास खत गया कि तुम इस डिक्शनरी के काम को मत उठाओ। शायद यह खत इसी मतलब से भेजा गया कि वह काम हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी ने लेना था। मेरा निवेदन है कि यह ६०,००० रुपये की बरबादी है। हमे मालूम है कि इसी सस्था की ओर से सविधान का हिन्दुस्तानी मे अनुवाद हुआ था।

हिन्दुस्तानी मे अनुवाद हुआ, परन्तु वह अनुवाद आज किस काम मे आ रहा है ? कौन उसको उठाकर देखता है ? हिन्दी वाले हिन्दी का संविधान देखते है, अग्रेजी वाले अग्रेजी का देखते है। हिन्दुस्तानी अनुवाद के ऊपर जो बहुत सा रुपया खर्च हुआ, वह किस काम आया ? यह कोश बनाने का जो काम है, अगर मेरी आवाज मत्री महोदय तक पहुँच सके तो नम्र निवेदन है कि इसमे इस तरह से आप रुपये को मत फेकिये।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : बहुत कम रुपया है।

श्री टंडन : जी हाँ ?

श्री एस० एस० मोरे : बरबाद करने के लिए।

श्री टंडन : रुपया तो कोश के काम मे आप लगाये, लेकिन यह काम उसको दीजिये जो कर सकता है, सम्मेलन है, नागरी प्रचारिणी सभा है काशी की—यह सस्थाएँ है जिन्होने इस काम को किया है और कर रही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे इस समय लगभग २२५ आदमी काम कर रहे है। वह सोसायटी जिसको आपने काम दिया है कोई ठोस सी चीज नही है। मै पूछूँगा कि क्या उस सोसायटी में दस आदमी भी काम करने वाले है ? आज आपके रुपये से वह आदमी रख ले तो दूसरी बात है। मुझे उस सस्था का विरोध नही करना है, पर यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारा रुपया ठीक काम मे लगना चाहिये।

अकादमियों का नया चलन

मुझे एक बात और कहनी है और मै बैठ जाऊँगा। कुछ इधर हमारे शिक्षा विभाग ने एक फैशन सा निकाला है अकादमियो के खोलने का। एक नाच सीखने के लिये अकादमी खुली है, नाच और सगीत अकादमी। एक साहित्य अकादमी खुली है, अकादमी क्या है ?

आचार्य कृपलानी : एक आदमी।

श्री टंडन : यह नया शब्द हम को शिक्षा विभाग ने दिया। तीसरी एक कला की अकादमी खुलने वाली है। हमारे भाई धीरे से कहते है कि यह शब्द पुराना है। जी ! हिन्दी मे यह शब्द नया है, अग्रेजी में पुराना है, उसका उच्चारण भी दूसरा है। हमारे यहाँ जो यह साहित्य और अकादमी, इन दो शब्दो का इस होली की ऋतु मे विवाह कराने का यत्न है, ऐसे विवाह कुछ ऐसे पुरोहित कराया करते है, जो सरस्वती पुत्र होते है। वे शब्दों का विवाह कराना जानते है। यह अनमेल शब्द मुझे उचित नही लगता। लेकिन शब्दो की बात छोडकर मेरा निवेदन यह है, गहरी दृष्टि से, सजीदगी से, कि इन चीजो के ऊपर रुपया बरबाद करना अच्छा नही। मै इनमे रुपयो की बरबादी देखता हूँ, मैं साहित्य का भी प्रेमी हूँ और शायद लोग न जानते हो कि सगीत का भी प्रेमी हूँ। परन्तु इस तरह से सगीत और नाच की अकादमी, यह मुझे बेतुकी लगती है। लखनऊ मे किसी समय ऐसी अकादमी, नाम उसका अकादमी नही था, वाजिद अली शाह ने भी खोल रखी थी।

आचार्य कृपलानी : प्रत्येक युग के वाजिद अली शाह होते न।

श्री टंडन : कैसरबाग आज भी उसकी याद दिलाता है। लेकिहै उनका जो मुख्य घर था उसमे आज हमारी गवर्नमेट ने अक्लमन्दी करके एक विज्ञान का घर खोल दिया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन यह है कि हमारे सामने बहुत गहरे काम है। हमारे माननीय प्रधान मत्री जी ने हमारा ध्यान खीचा है कि आज हमारे देश की स्थिति गभीर है। एक तरफ तो हमारी यह स्थिति रहे और दूसरी तरफ हम नाच और गाने के ऊपर विशेष ध्यान दें और रुपया लगाये, मुझे यह ठीक नही लगता। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे प्रयत्नो मे पैसा न लगे, अच्छे कामो मे लगे। शिक्षा विभाग के लिए आवश्यकता यह है कि वह राष्ट्रीयता की तरफ ध्यान दे और राष्ट्रभाषा को मदद दे।

अकादमी हिन्दी के लिये हितकर नहीं

यह साहित्य अकादमी जो बनी है, उसके विषय मे एक दूसरी बात भी

कहना चाहता हूँ। मुझ को तो ऐसा लगता है कि हिन्दी को कुछ खिसका देने का असर इसके भीतर है। चौदह भाषाओ का यह एक सगम है, मैं अकादमी से संगम शब्द अच्छा समझता हूँ, १४ भाषाओ का यह एक साहित्य सगम है। सब भाषाओं की हमे आवश्यकता है। हम उनको मदद दे, लेकिन यहाँ हम क्या मदद देगे। आवश्यकता यह थी कि अपने अपने राज्यो मे उनको मदद दी जाय, उनको हम कुछ अनुदान, ग्राट्स, दे। मगर यहाँ पर इस साहित्य सगम से उन भाषाओ का भला होगा, यह बात मेरी समझ मे नही आती। और उल्टी बात क्या रखी गयी कि १४ भाषाओ मे एक हिन्दी है। पाच हजार रुपये का इनाम हिन्दी के लेखक को दिया जायगा। उन्होने कहा है कि हम हर एक भाषा के लेखक को पाच पाच हजार रुपया इनाम देगे। पाच हजार रुपये का एक इनाम हिन्दी को मिल जायगा जो राष्ट्र-भाषा है, जिसके बोलने वालो की आबादी भी इतनी अधिक है। पाच हजार रुपया उर्दू वालो को भी मिल जायगा। और पाच हजार रुपया दूसरी भाषाओ को भी मिल जायगा। यह क्या चीज है? शायद उनकी मशा तो यह नही होगी, लेकिन जो इसका असर होगा वह यह है कि हिन्दी का स्थान जो राष्ट्रभाषा का है उसको शिक्षा विभाग नीचे उतारे। मै इसीलिये निवेदन करता हूँ कि आज आवश्यकता है कि एक स्वतन्त्र आयोग बने जो हिन्दी की रक्षा करे और हिन्दी को प्रगति दे, या एक नयी मिनिस्ट्री बने जो केवल इस हिन्दी के काम को करे और जो बाकी ११ वर्ष बचे है इनके अन्दर हिन्दी को अच्छी तरह चला दे।

●

१७

केन्द्रीय शिक्षा विभाग

२७ मार्च १९५४ को भारतीय लोकसभा मे उस वर्ष के शिक्षा मन्त्रालय के अनुदान पर बोलते हुए

सभापति महोदय! शिक्षा का विषय हमारे भविष्य का निश्चय करने वाला है। अपने देश की रक्षा अवश्य ही बहुत बडा विषय है, परन्तु रक्षा के लिए भी बुद्धि और विद्या की आवश्यकता होती है। इस लिए मेरा सदा यह विचार रहा है कि देश की रक्षा के साथ शिक्षा का क्रम क्या है, शिक्षा चलाने की रीति क्या है, किस तरह से हम अपने युवको को भावी कार्यक्रम के लिए तैयार कर रहे है, यह सब विषय आ जाते हैं। इसके ऊपर राष्ट्र का बहुत अधिक धन खर्च होना चाहिये।

भारतीय आदर्श के अनुकूल शिक्षा

पिछले कुछ वर्षो के भीतर विश्वविद्यालयो के दीक्षान्त भाषणो मे उनके कनवोकेशनो मे, कई शिक्षा विषय के जानकारो ने बार-बार यह कहा कि आज का शिक्षा क्रम उचित नही है, दूषित है, इसको बदलो। हमारे कई राज्यपालो ने, गवर्नरो ने अपने दीक्षान्त भाषणो मे इस पर बल दिया है। कहा तो कइयो ने, ऊँचे ऊँचे पदाधिकारियो ने, परन्तु देखने मे कोई परिवर्तन नही आया। परिवर्तन एक दिन मे नही होता, बहुत जल्दी नहीं होता, यह तो सब ही जानते है, परन्तु कुछ निश्चय उधर चलने का दिखाई देता, इसको हम आशा करते थे। अभी जान पडता है कि हमारे शिक्षा विभाग ने अपना निश्चय नही किया कि भावी शिक्षा का कार्यक्रम क्या हो। आज जो यूनिवर्सिटियाँ चल रही है वे बहुत पुराने समय मे बनाई गई थी। उनकी कल्पना अग्रेजो ने अपनी आवश्यकताओ के अनुसार और कुछ अपने इग्लैड के कार्यक्रमो के अनुसार की थी। इंग्लैड की कई यूनिवर्सिटियाँ बहुत ऊची है। परन्तु विचार करने की तो बात यह है कि क्या अब भी हम उस मार्ग पर ही चलेगे जिस पर पुराने अग्रेजो ने हमको चला दिया? मै निवेदन करता हूँ कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अपने देश की सस्कृति के अनुरूप और आवश्यकताओ के अनुरूप होनी चाहिए। इग्लेड की या यूरोप की शिक्षा प्रणाली मे जो कुछ अच्छी बाते मिले उनको हम ले, परन्तु हमे स्मरण रखना चाहिये कि हमारे देश के आदर्श कुछ दूसरे आदर्श है, सस्कृति मे

अन्तर है। हमारा देश कुछ नया देश तो नही है, हमारे यहाँ शिक्षा में बहुत प्रयोग पहले भी हो चुके है। जो प्रयोग अग्रेजो ने किये वह इन्होने अपने ढग से किये। हमारे पुराने लोगो ने भी किये थे। हमारे विचारने की बात है कि क्या जो अपने पुराने रास्ते थे, उनमे कोई अच्छा रास्ता था जिसको आज हम अपना सकते है। मुख्य बात शिक्षा के सम्बन्ध मे सोचने की यह है कि हम अपने युवको को क्या बनाना चाहते हैं। हम क्या केवल उनको पढा लिखा कर अपने देश के जो आवश्यक धन्धे हैं, उनमे ही लगाने का यत्न करना चाहते है या उनके भीतर कुछ नैतिक आदर्श पैदा करना चाहते है।

इसके विषय मे मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ का जो पुराना रास्ता था वह आज के रास्तो की अपेक्षा अच्छा था। विद्यार्थी का जीवन कोमल न हो, अपनी माग सवारने और हैट, बूट की चिन्ता मे उनका रुपया और समय न जाय, किन्तु उनके जीवन मे कठोरता हो, कर्रापन हो, ब्रह्मचर्य की अवस्था मे वे सिनेमाओ के शौकीन न हो, वे नाच गाने के आदी न हो, इसके लिए हमे ऐसा वायुमण्डल पैदा करना होगा जिसमे ब्रह्मचर्य की रक्षा हो। उचित यह है कि हम ब्रह्मचर्य के क्रम से अपने विद्यार्थियो को रखे, उनमें ब्रह्मचर्य की शक्ति और तेज पैदा हो, इसकी हम चिता करे, परन्तु आज तो वह चिता नही है। दिल्ली मे लडके पढ रहे है, सहस्रो है, लखनऊ मे लडके पढ रहे है सहस्रों है, शाम को वह कहाँ कहाँ जाते है, किसी को खबर नही। किन-किन सिनेमाओ मे और घरो मे घुसते है, क्या शौकीनी उनके दिमाग मे है, क्या कपडा पहनते है, किस तरह से रहते है, कोई गुरु इसको देखता नही। अभी हमारे भाई कृपलानी जी ने कुछ थोडा सा सकेत दिया कि लडको ने क्या क्या किया है।

श्री विभूति मिश्र (सारन—चम्पारन) : अध्यापको का भी यही हाल है।

श्री टंडन : तब शिक्षा विभाग पर और केवल शिक्षा विभाग पर ही नही बल्कि हर प्रदेश के शासन पर, केन्द्रीय शासन के केवल शिक्षामत्री पर नही बल्कि सब शासनो पर इसका दायित्व है, सब पर एक बडी जिम्मेदारी पडती है। अभी एक भाई ने कहा कि अध्यापको का भी यही हाल है। जब अध्यापक ऐसे हो तो फिर विद्यार्थी किसको देख कर अपने को ढाल सकेगे

डा० एन० बी० खरे : शासक कैसे होगे ?

आमूल परिवर्तन आवश्यक

श्री टंडन : समय मेरा थोडा है। पुराने समय मे गुरु अपने बच्चो से यह

आशा करता था—सत्यम् वद धर्मम् चर। बच्चों को यह सिखलाता था, वह इससे भी ऊपर चढता था और बच्चो के सामने स्वयं अपने को उदाहरण स्वरूप धरता था, वह स्वयं अपने चरित्र को उदाहरण के लिए रखता था, केवल मुंह से ही उन्हे यह सीख नही देता था कि ऐसे बनो, उनके सामने स्वय को आदर्श स्वरूप रखता था। अब आज अगर ऐसे अध्यापक हो जैसे मेरे भाई ने बताया, तो वह कैसे अपने को बच्चों के सामने रख सकते है? अगर कभी किसी गुरु मे कोई कमजोरी होती भी थी तो वह इस प्रकार चेतावनी देता था—'यान्यंस्माक सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि'। कैसा ऊचा वाक्य है, इच्छा होती है कि ससार भर के गुरु इस को रट लेते। 'सुचरितानि' मेरे मे जो गुण हैं उसी को ग्रहण करना, 'नो इतराणि' दूसरो को अर्थात् दूषणो को फेक देना, मत ग्रहण करना। आज यह अध्यापको मे शक्ति हो, इसकी आवश्यकता है। आज हमे अपने शिक्षा के क्रम को इस तरह से रखना है, एक आमूल चूल परिवर्तन करना है, जिसमे बच्चों के ऊपर अध्यापको का अच्छा प्रभाव पड़ सके। यह मुख्य बात है। उसका रास्ता ढूढना पडेगा। हमारे पुराने समय मे ऋषिकुल कहिये या गुरुकुल कहिये उसकी प्रथा थी। बच्चे गुरुओ के साथ रखे जाते थे और उस समय के गुरु पैसो की चिन्ता करने वाले नही होते थे, पैसे से अचिन्त थे, उन्हे पैसे की फिक्र नही रहा करती थी, शासन उनको अचिन्त करता था। साधारण उनकी आवश्यकताये होती थी। वह कोमलता से जीवन व्यतीत करने वाले नही होते थे, उनके जीवन मे एक कठोरता और तपस्या होती थी और उनके जीवन को देख कर बच्चे स्वयं अपने चरित्र को उनके अनुकूल बनाते थे। मेरा निवेदन है कि आज उसी प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ हो। मै प्रयाग का रहने वाला हूँ। भरद्वाज मुनि ने प्रयाग मे बहुत बडी यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज दो हजार, तीन हजार लडकों की सख्या एक सस्था मे बहुत मानी जाती है। भरद्वाज कुलपति कहलाये है और कुलपति की परिभाषा हमारे कोशो मे यह दी है कि जो गुरु दस सहस्र विद्यार्थियो के पढाने का इन्तजाम करे, उनके भोजन का इन्तज़ाम करे, उसको कुलपति कहते है। कुलपति की यह परिभाषा आपको कोश मे मिलेगी। चूकि घटी बज चुकी है, मै इतना ही निवेदन करूँगा कि इस सम्बन्ध मे गम्भीर विचार की आवश्यकता है, उन विचारको की आवश्यकता है जिनके जीवन मे स्वय तपस्या हो, जो अपनी तपस्या से विचार करके हमारे देश के सामने कुछ मौलिक वस्तु रख सके और उनके अनुसार स्वय आचरण करके दूसरो से आचरण करा सके। मेरा इतना निवेदन है। बस इस विषय को मै यही छोडता हूँ।

हिंदी का कार्य—हिंदी संस्थायें

मै कुछ शब्द शिक्षा के जो अनुदान है, ग्रान्ट्स है, उनके बारे मे कहना चाहता हूँ। मुझे भाषा के विषय मे कुछ शब्द कहने है। उस दिन हमारे शिक्षामन्त्री नही थे। पॉच दिनो की जो बहस यहाँ पर हुई थी, उसमे मैने भी भाग लिया था। मेरी इच्छा थी कि वह उस अवसर पर होते। आज वह उपस्थित है और मुझे अवसर मिला है कि मै थोडा सा दिल खोल कर उनके सामने रख दूं

डा. एन. बी. खरे : लेकिन वह सो रहे है।

श्री टंडन : ऐसी व्यर्थ बात मत कहिये। मन्त्री जी जानते हैं कि मै हिन्दी का पुराना सेवक हूँ। हिन्दी के विषय मे बहुत वर्षो से विचार करता रहा हूँ, किस प्रकार से उसका काम हो इस पर मैने ध्यान दिया है और मेरे जीवन का एक बहुत बडा अश हिन्दी की एक बडी सस्था साहित्य सम्मेलन के चलाने मे लगा है।

आज देश मे हिन्दी की सबसे बडी सस्था वह मानी जाती है। इसके आधीन लगभग १८०० केन्द्र इस देश मे है जहाँ इसकी और इसकी शाखा सस्था की परीक्षाये होती है। यह इसका एक काम है। इसकी परीक्षाओं मे कुल मिलाकर दो लाख से ऊपर परीक्षार्थी अर्थात् कैण्डिडेट हर साल बैठते है। इसकी सबसे ऊँची जो परीक्षा है जिसका नाम साहित्यरत्न है वह आपकी किसी यूनिवर्सिटी की एम० ए० की कक्षा से कम नही पडेगी। जितनी यूनिवर्सिटियाँ है उनको आप अनुदान देते है। किसी को २३ लाख, किसी को १२ लाख, किसी को १५ लाख, आप देते है या भिन्न-भिन्न राज्य देते है। आपके यहाँ से तीन को अनुदान दिया जाता है और जामिया मिलिया को भी पिछले कुछ वर्षो मे ३, ४ और ५ लाख रुपया हर साल किसी न किसी रूप मे दिया गया है। कभी २ कभी ३ और कभी ५ लाख दिया गया है। मगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्यरत्न परीक्षा मे इतने विद्यार्थी बैठते और पास होते है जितने कि कुल यूनिवर्सिटियो को मिला कर भी नही होते है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी, सब को मिला कर लीजिये कि एम० ए० की परीक्षा मे हिन्दी के कितने परीक्षार्थी बैठते है, और कितने पास होते है। इन सबको मिला कर जो सख्या हो उसकी चौगुनी सख्या मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन तैयार करता है। परन्तु मुझे ऐसा जान पडता है कि हमारे शिक्षा विभाग को हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर अधिक भरोसा नही है। वह इसकी तरफ से जैसे आशकित है। सच है, सम्मेलन हिन्दी के लिये

लडा था, सम्मेलन के लडने पर ही राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा, उसकी ओर के प्रतिनिधि बराबर लड़े कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो । मै जानता हूँ कि हमारे आज के शिक्षामत्री की राय थी कि हिन्दी न हो, हिदुस्तानी हो, उनका भाषण कास्टीटूएण्ट असेम्बली का मौजूद है ।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : हिन्दुस्तानी कोई भाषा नही है ।

श्री टण्डन : हमारे शिक्षामत्री की यह राय थी कि नागरी अक्षर और उर्दू अक्षर दोनो चलाये जाये । कांस्टीटूएण्ट असेम्बली मे यह सवाल बार-बार आया, उसके ऊपर राय ली गई और आप सबको मालूम है कि राय का क्या नतीजा हुआ । मुझको तो काग्रेस पार्टी के अन्दर जो वोटिग हुई थी वह भी याद है । परन्तु अब जब हिन्दी स्वीकार हो गई तब मै यह आशा करता हूँ, हृदय से कहता हूँ कि मै शिक्षामंत्री का आदर करता हूँ, कुछ बातो मे मेरा उनका मतभेद है, परन्तु मै हृदय से उनका आदर करता हूँ, आज से नही वर्षो से मै उनको जानता हूँ, मै यह आशा करता हूँ कि जब तय हो गया कि हिन्दी चले, हिन्दुस्तानी नही, उर्दू नही, तब हिन्दी के ऊपर बल होना चाहिये, और जिस सस्था ने इतना काम किया है, उस सस्था के द्वारा कामो को कराने का यत्न करना चाहिये । मगर बात यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन या और जो दो एक बडी सस्थायें देश मे हैं, जो हिन्दी का काम करती आई है, उनकी ओर से शिक्षा विभाग का मन फिरा हुआ है और उनकी अवहेलना होती है ।

नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, यह मुख्य सस्थाये है देश मे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जड लगाई मद्रास मे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की । मद्रास मे, कुल राष्ट्रभाषा का प्रचार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चलाया हुआ है । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सम्मेलन की लगाई हुई वस्तु है, सम्मेलन ने इसको आरम्भ किया, सम्मेलन की वह शाखा सन् १९२८ मे इसलिए स्वतन्त्र की गई कि वह हिन्दी का काम स्वतन्त्रता से आगे बढावे । आज सम्मेलन की एक शाखा वर्धा मे है, राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार सभा, जिसका आरम्भ गाधी जी और श्री जमनालाल बजाज ने किया । परन्तु जब गाधी जी की नीति मे हिन्दी और हिन्दुस्तानी का अन्तर पडा तब गाधी जी उससे अलग हो गये । हिन्दी ससार जानता है, दूसरे भी जानते है कि गाधी जी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नीति के बारे मे कुछ अन्तर हुआ और वह अन्तर हिन्दी और हिन्दुस्तानी का हमे कास्टीटूएण्ट असेम्बली मे दिखलाई पडा । प्रश्न यह है कि हम आज हिन्दी चलायेगे या हिन्दुस्तानी ? किन शब्दो को आप चलायेगे और किस प्रकार से काम करेगे ? मेरा यह

निवेदन है कि भाषा के विषय मे जो नीति शिक्षा विभाग ने अब तक बरती है वह मानो हिन्दी वालो को हटा कर हिन्दुस्तानी वालो को आगे करने की है। मै अतिशयोक्ति नही करता, मै मौलाना से कहता हूँ कि आप दिल पर हाथ रखे और सोचे कि कितने हिन्दी वालो को आपने इस काम के लिए अपनाया है। हिन्दी वाले छिपे नही है। नागरी प्रचारिणी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लोग हिन्दी संसार के सामने है।

मेरा यह कहना भी है शिक्षा विभाग से कि उसकी रिपोर्टो से यह तो मालूम होता है कि यह स्कीम बन रही है और यह विचार किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ठोस काम पिछले तीन वर्षो मे हुआ है। जो काम आज हुआ है, वह सामने है।

हिन्दी संविधान में शब्द-परिवर्तन

कुछ शब्दो के अनुवाद छोटी पुस्तिकाओ के रूप मे निकले है। परतु इसके बारे मे भी मेरा निवेदन है कि ठीक नीति नही बरती जाती। उस दिन मेरे मित्र गोविन्ददास जी ने पूछा था शिक्षामत्री से कि क्या जो शब्द निश्चित हो चुके है, सविधान मे तय हो चुके, उन पर क्या फिर विचार हो रहा है, क्या फिर आप उनको बदलेगे ? शिक्षामत्री ने कहा 'हाँ'।

मौलाना आजाद : आप गलत कह रहे है। मैने यह नही कहा।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद—दक्षिण) : पहले कहा था बाद मे दुरुस्त कर दिया था।

मौलाना आजाद : मैने सिर्फ यह कहा था कि एक बोर्ड बनाया गया है, इस काम के लिये। वह अगर चाहे तो यह भी कर सकता है। मौका उसको रहेगा। मगर इस बोर्ड के जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है उनमे यह कही नही है कि जिन लफ्जो का पहले फैसला हो चुका है उनको फिर नये सिरे से सोचे। लेकिन मैने कोई इस तरह की बात भी नही कही है बोर्ड से कि नही भाई तुम इनको छू नही सकते। अगर वह नये लफ्जो की जरूरत समझेगे तो अपना मशवरा पेश करेगे।

श्री टण्डन : तब फिर उस रोज जो जवाब आपने दिया था, मुझे ठीक याद नही है

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे सम्बोधित करे।

श्री टण्डन : मै आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षामत्री ने जो कहा था, मैंने उसको सुना नही था, मै मौजूद नही था, परन्तु जो आज आपने कहा कि 'मैने यह कहा था कि वह चाहे तो बदल सकते है' उसके माने क्या है ? मै यह कह रहा हूँ कि सविधान के अन्दर जो तय हो

चुका है, जिस हिन्दी सविधान पर डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद और संविधान सभा के सदस्यो के दस्तखत है .....

मौलाना आज़ाद : वह बदल नही सकते वह मशवरा दे सकते है, बदलने का उनको अख्तियार नही है।

श्री टण्डन : अब सवाल यह है कि बदलेगा कौन ? क्या पार्लियामेट के सामने वह आवेगा ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट उनके मशवरा को देख कर फिर आखिर मे फैसला करेगी ।

श्री टण्डन : इसके जितने नुक्ते थे, मैने समझ लिये । लेकिन असर जो चारो ओर शिक्षा विभाग ने डाला वह यही है कि सविधान के कुछ शब्दो को बदलने जा रहा है ।

सवाल यह है कि जब कास्टीट्यूशन के शब्द निश्चित हो चुके है तब क्या फिर विभाग द्वारा उनको बदला जा सकता है । हिन्दी मे कास्टीट्यूशन कुछ वर्षों में बना । एक कमेटी बनी जिसने शब्द तय किये और इस काम पर लाखो रुपया खर्च हुआ । उन शब्दो के अनुसार आपका सविधान आया। जब हम लोग हस्ताक्षर करने को गये तो एक तरफ अग्रेज़ी मे लिखे कास्टीट्यूशन पर हमने हस्ताक्षर किये और दूसरी तरफ हिन्दी मे लिखे कास्टीट्यूशन पर हस्ताक्षर किये । आज फिर कोई विभागीय कमेटी इस पर विचार करे कि वह शब्द रखे जायँ या न रखे जायँ, मैं कहता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है । शिक्षा विभाग का फिर से किसी बोर्ड को यह अधिकार देना कि तुम उन शब्दो पर फिर से सोचो, मैं कहता हूँ कि ...

मौलाना आज़ाद : मै फिर कहना चाहता हूँ कि उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स मे इसका एक लफ्ज़ भी नही है । लेकिन मैने उस दिन यह कहा था कि हमने उनको रोका नही है । अगर वह चाहे तो अपनी राय दे सकते है ।

सेठ गोविन्ददास (मंडला—जबलपुर-दक्षिण) . उनको रोकना चाहिये ।

मौलाना आज़ाद : मै अभी तक इस पोजीशन मे नही हूँ कि कह सकूँ कि उन्होने एक लफ्ज़ के मुताल्लिक भी मशवरा दिया है । मैने अभी चेयरमैन से पूछा है, लेकिन अभी तक यह मेरे इल्म मे नही है कि उन्होने एक लफ्ज के बारे मे भी मशवरा दिया है ।

श्री टण्डन : मै यह उसूल समझता था कि सविधान के इन शब्दो को छुआ न जाय। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो काम हो रहा है ...

आचार्य कृपालानी : इसमे क्या ऐतराज हो सकता है कि कास्टीट्यूशन की एक और दूसरी कापी बनायी जाय जिसमे प्रचलित शब्द रखे जायँ और जिस कापी मे हमने दस्तखत किये थे वह वैसे ही रहे ।

श्री टण्डन : कास्टीट्यूशन एक पवित्र चीज है और जिस पर हस्ताक्षर हो चुके है उसको बदलने का सवाल ही नही उठता ।

मेरा निवेदन यही है कि वह यत्न नही होना चाहिये कि शब्द बदले जायँ । हमारे पास काम बहुत है । मेरा मशा यह है कि शिक्षा विभाग को जो काम करना चाहिए उसमे बहुत देर हो रही है । हम जल्दी मे है और चाहते है कि जल्दी-जल्दी काम हो । जो काम हो चुका है उसको दुहराने मे तो बहुत समय लग जायगा । हमको तो सन्देह यह है कि १५ वर्ष के बाद कहीं और समय अग्रेजी के लिये मागने का यत्न न किया जाय ।

सरकारी हिन्दी शिक्षा समिति

मैं अब एक दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाता हूँ । शिक्षा विभाग की तरफ से हिन्दी शिक्षा समिति बनी है । मेरा निवेदन है कि इस हिन्दी शिक्षा समिति मे जो हिन्दी के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहियें वे नही है । एक आध है । मै कहता हूँ कि देश मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा दो मुख्य सस्थाये है जिन्होने हिन्दी के क्षेत्र मे वर्षो से काम किया है । क्या आप उनकी अवहेलना करके हिन्दी का काम करेंगे ? यह दोनों सस्थाये जिस भाषा को स्वीकार करेंगी वही भाषा देश मे मानी जायगी । हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा जिन शब्दो को चलायेगी वही शब्द देश मे चलेंगे । आपने इन सस्थाओ को छोड़ कर इधर से और उधर से कुछ लोग ले लिए है । मेरा यह निवेदन है कि यह हिन्दी का काम करने का रास्ता नही है । आपने एक शिक्षा समिति बनाई है । मेरे पास जो आपकी पिछले वर्ष की रिपोर्ट ५२–५३ की छपी है उसमे कहा गया है—

"शिक्षा समिति की तीन उपसमितिया बनाई गई है तथा उनमे से एक को (१) हिन्दी परीक्षण, दूसरी को (२) हिन्दी भाषा का आधार भूत व्याकरण और तीसरी को (३) हिन्दी प्रचार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।"

व्याकरण का काम भी इसमे से कोई समिति करेगी । पहले वर्ष की जो रिपोर्ट मेरे सामने आयी है उसमे दिया हुआ "हैज बीन सेट अप," हिन्दी परीक्षाये जो चल रही है उनकी जाच करने के लिए एक समिति बनायी गयी है । अग्रेजी मै इसको **प्रेजेंट परफ़ेक्ट टेंस** कहते है । इसका

अर्थ है कि वह काम समाप्त हो गया। अब की जो रिपोर्ट निकली है उसमे **प्रेजेंट परफेक्ट टेंस** नही है बल्कि **प्रेजेंट कन्टीन्यूअस टेंस** है। यानी "विभिन्न हिन्दी सस्थाओ द्वारा ली गई हिन्दी परीक्षाओ के स्तर की जाच करने के लिए एक समिति बनाई जा रही है।" यह रिपोर्ट निकली है इस साल। परन्तु मुझे मालूम होता है कि इस रिपोर्ट के लिखने और छपने के बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई है "हिन्दी के विकास और प्रचार के लिए कार्यक्रम"। मेरा यकीन है कि यह पिछले पाच छ दिनो के अन्दर लिखी गई है। इसका भीतरी प्रमाण इसमे है। इसमे लिखा है कि हिन्दी परीक्षाओ के स्तर की जाच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय हुआ है। और इसमे कमेटी वालो के नाम दिये हुए है। "समिति मे निम्नलिखित व्यक्ति होगे।" इससे मुझे मालूम होता है कि पारसाल यह तय हुआ था और उसमे था कि "ये उपसमितिया अपने प्रतिवेदन शिक्षा समिति को, फरवरी १९५३ मे होने वाली उसकी द्वितीय बैठक मे देगी"। फरवरी १९५३ मे उनको रिपोर्ट करना था। लेकिन मालूम होता है कि जब यह रिपोर्ट अभी लिखी गयी तब तक यह कमेटी बनी नही थी। तो फिर रिपोर्ट करने का सवाल ही नही उठता। मालूम होता है कि पिछले ७ या ८ दिनो मे यह कमेटी बनायी गयी है। अब उसमे जो नाम है वह मै पढता हूँ :

(१) श्री एम० सत्यनारायण,
(२) श्री अमृतलाल नानावती,
(३) श्री जी० पी० नैने,
(४) श्री एन० नगप्पा,
(५) श्री रजनीकान्त चक्रवर्ती,
(६) श्रीरामधारी सिह दिनकर,
(७) श्री जेठालाल जोशी,
(८) डा० आर्येन्द्र शर्मा,
(९) श्री विजयेन्द्र स्नातक,
(१०) श्री मगन भाई पी० देसाई,
(११) प्रो० एन० ए० नाडवी।

उनमे से बहुतो को तो मै जानता ही नही हूँ। कुछ को जानता हूँ। ज्यादा उनमे ऐसे है जिनका नाम मैने हिन्दी के सम्बन्ध में कभी नही सुना। कुछ इसमे ऐसे है जिनका नाम हिन्दुस्तानी के साथ बधा रहा है। जो लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विरोधी थे और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओ के विरुद्ध अपनी हिन्दुस्तानी की परीक्षाये चलाने की कोशिश करते थे उनके इसमे कुछ नाम है। मै यह उचित नही सम-

झता कि मै वैयक्तिक बात कहूँ। अस्तु। मै कहता हूँ कि इसमे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का और नागरी प्रचारिणी सभा का कोई आदमी नही है। मुनासिब था कि उनसे सलाह तो की जाती। सबसे बडा स्थान हिन्दी ससार मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का है जिसकी परीक्षाओ मे हर साल दो लाख से ऊपर परीक्षार्थी बैठते है। उसका एक आदमी नही और जो छोटी परीक्षाये लेने वाली संस्थाये है, उनको इसमे जगह दी गयी है और वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ऊपर बैठ कर उसकी परीक्षाओ के लिए जज का काम करेगी। इससे साफ पता चलता है कि हमारा शिक्षा विभाग उन लोगो को सहारा देना चाहता है जो उस तरफ नही जाना चाहते जिधर हिन्दी की मुख्य संस्थाओ की प्रवृत्ति है बल्कि उस प्रवृत्ति से हट कर काम करना चाहते है।

हिन्दी कोश

दूसरा उदाहरण मैंने उस दिन दिया था डिक्शनरी का। आपको डिक्शनरी बनवानी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अब तक कितने कोश बना दिये। नागरी प्रचारिणी सभा का शब्दसागर हिन्दी का सबसे ऊचा कोश है। नागरी प्रचारिणी सभा को यह काम सुपुर्द नही हुआ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन को नही हुआ। कोई सस्था है 'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी' इलाहाबाद मे जिसको अधिक लोग जानते भी नही है। उसका दफ्तर कहाँ है ? शायद किसी के रहने के घर मे कुछ काम होता हो। अब आपने उस संस्था को इस काम के लिए ६०,००० रुपये दिये है।

मै कहता हूँ कि यह बहुत ही नामुनासिब है। हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को डिक्शनरी का काम ! यह क्या है ? इसी सोसायटी ने सविधान का हिन्दुस्तानी मे तर्जुमा किया था। वह तर्जुमा किस काम का है, किस के काम आता है ?

डा० एस० एन० सिंह (सारन—मध्य पूर्व) : किसी के नही, रद्दी की टोकरी मे गया।

श्री टंडन : आपको मदद देना है तो किसी ऐसे को मदद दीजिए जो यह काम कर सके। हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी मे कितने मेम्बर है, कौन-कौन हैं ? कहाँ उसका अधिवेशन हुआ, कितने आदमी उस अधिवेशन मे आए ?

डा० राम सुभग सिंह : बगदाद में।

श्री टंडन : यह खुली बात है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन किस प्रकार की सस्था है। बराबर उसके खुले अधिवेशन होते रहे है, हजारो की संख्या मे आदमी आते हैं, उसका काम १७००–१८०० केन्द्रो मे है।

उसकी तो आप अवहेलना करें और नागरी प्रचारिणी सभा की अवहेलना करे और इस तरह से यह डिक्शनरी बनावे ! यह किस काम मे आयेगी और किस काम की होगी ?

मौलाना आज़ाद : क्या आपको यह याद नही आया कि नागरी प्रचारिणी सभा को इस काम के लिए रुपया मजूर किया गया ।

श्री टंडन : हॉ, मै जानता हूँ ।

मौलाना आज़ाद : उसको भूल गए आप ।

श्री टंडन : नही भूल नही गया । आपने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी मदद दी है । वह मदद क्या है इस पर मै अभी आता हूँ । आपने मदद दी है, मगर यहाँ यह डिक्शनरी के काम का सवाल है कि आप इस काम को हिन्दी साहित्य सम्मेलन से करायें या नागरी प्रचारिणी सभा से करायें या इस हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी से करायें । आपने जो मदद दी वह तो शब्दसागर के लिए थी । यह दूसरा काम है । आपके विभाग ने कहा है कि अंग्रेजी से हिन्दी मे आक्सफ़ोर्ड कन्साइज डिक्शनरी की तरह कोश बनाया जाय । उसके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे काम हुआ है । कोई आठ या दस अक्षर के शब्द बन भी चुके, उन्होने आपके विभाग से रुपया मागा उस पर वह हजारों रुपये खर्च कर रहा है । वह काम कर लेगा, अगर आप एक पैसा भी नही दे तो भी वह कर लेगा, क्योकि उसका तो अपना भी स्रोत है । वह इस काम मे लगा है । उसने शिक्षा विभाग को लिखा कि हमको डिक्शनरी बनाने के लिए रुपये दीजिये । विभाग ने कहा कि डिक्शनरी का काम मत उठाओ । मेरा अन्दाज है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही फैसला कर लिया था कि हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को ६० हजार रुपया देंगे । सम्मेलन को विभाग ने लिख दिया कि तुम इस डिक्शनरी के काम को मत उठाओ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन तो विभाग का दास नही है, वह काम कर रहा है । वह लगभग तीन साल से वैज्ञानिक कोश का काम भी कर रहा है । आपके छोटे छोटे कामो पर मैने सुना है कि लाखो रुपये खर्च हुए । मैने रिपोर्ट मे पढा है कि आपने १६ या २० हजार शब्द सायटिफिक बनाए है । मेरा निवेदन है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तीन वैज्ञानिक कोश छप चुके है । पिछले चार पाच वर्षो मे लगभग तीस हजार वैज्ञानिक शब्द उनके यहाँ बन चुके है, उनका तो इरादा था कि तीन चार लाख शब्दो तक का निर्माण हो, आप दस बीस हजार शब्दो की बात कर रहे है । श्री महापडित राहुल साकृत्यायन की देख रेख मे यह सब काम हुआ था । सम्मेलन के काम मे हिन्दी के पडित सम्मिलित रहते है, जो हिन्दी से परिचित है । और शिक्षा विभाग ने जो यह कोश का काम दिया है

उसमें न जाने किन लोगो से काम होगा ।

जो सच्चा काम हिन्दी का करने वाले है, उनको आप पकड़िये । जो हिन्दी का विरोध करके हिन्दुस्तानी नाम से काम कर रहे है, उनको सहारा न दीजिये । हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को आपने सहारा दिया । वर्धा मे भी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को आपने सहायता दी । उसको रुपया दिया है । जो वहाँ पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, बहुत पुरानी जो सस्था है और जो हिन्दी भाषा का काम कर रही है, उसको आपने एक पैसा नही दिया ।

डा० एन० बी० खरे : बहुत पोल खुली है ।

सहायता पाने वाली सस्थाएँ

श्री टंडन : अब जो आपने मदद दी है उस पर भी थोडा सा कहना चाहता हूँ । जो रिपोर्ट आपकी आई उसमे सस्कृति या कल्चर के सम्बन्ध में आपने लिखा है : "सास्कृतिक कार्य करने वाली सस्थाएँ ।"

जिनको आपने सहायता दी है वह कौन कौन है । शुरू मे आपने लिखा है .

"निम्नलिखित सस्थाओ को अभी तक साहाय्य अनुदान दिये गये हैं :—

शिबली ऐकेडमी, आजमगढ ६०,००० रुपए ।"

इस शिबली ऐकेडमी ने कल्चर का क्या काम किया है, मै नही जानता । मै यह जानता हूँ कि उन्होने उर्दू मे बहुत सी किताबे लिखाई है, आज नही, बहुत पहले की बात है । पुरानी सस्था है और उस सस्था के चलाने वाले मेरे एक दोस्त रहे है, वह काग्रेस के साथ भी थे । उर्दू मे कई अच्छी किताबे यह सस्था तैयार कर चुकी है यह मै मानता हूँ । मगर आज उसके बारे मे यह कहना कि कोई खास कल्चर का काम कर रही है, यह मेरा निवेदन है ठीक नही है । आजकल हमारे देश मे कल्चर के माने क्या है, भारतीय सस्कृति । मै कल्चर के माने समझता हूँ भारतीय सस्कृति, इस्लामी तमद्दुन नही, जो जिन्ना का लफ्ज था, जिसने हमारे देश के टुकडे कराए, हमारे देश का विभाजन कराया और पाकिस्तान बनाया । इस्लामी तमद्दुन और हिन्दू तमद्दुन, इन दोनो से हमे अलग चलना है । हमारे देश मे शब्द चला हुआ है, भारतीय सस्कृति । भारतीय सस्कृति, यह शब्द हमारे यहाँ कल्चर के लिए है यह आजमगढ के लोग क्या भारतीय सस्कृति का काम कर रहे है जो आपने उनको ६० हजार रुपये की मदद दी ?

अब दूसरी सस्था कौन है जिसको आपने मदद दी ? अजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू (भारत), अलीगढ ३६,००० रुपए ।

मैं इसका विरोधी नही हूँ कि उर्दू सस्थाएँ हो, लेकिन कोई अनुपात हो, कोई सेंस आफ प्रपोर्शन हो। आपने इसको, बिल्कुल एक नयी सस्था को यह मदद दी। पुरानी अजुमन तरक्की-ए-उर्दू थी जो मौलाना अबदुल हक के साथ पाकिस्तान चली गई। उसका यहॉ दिल्ली मे केन्द्र था। मौलाना अबदुल हक़ के साथ कुल वह चीज चली गयी। उसके बजाय एक नयी छोटी सी चोज चली है और उसको आपने ३६ हजार रुपये दिये। यह वही सस्था है जो उत्तर प्रदेश मे चारो तरफ दस्तखत कराती है कि उर्दू उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय भाषा बनायी जाय। यह जो उर्दू के विषय में नयी बात चली है, जहॉ तक मुझे मालूम है इस सस्था का उसमे हाथ है। खैर मै उस पर उस दिन कह चुका, इस वक्त ज्यादा नही कहना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ। इस तरह आज फिर वही तफरका डालना है, फिर वही साम्प्रदायिकता पैदा करनी है और इसकी आड़ मे फिर वही मुस्लिम लीगी दिमाग है जिसकी वजह से इस्लामी तमद्दुन पर जोर दिया गया था। आज हमे एक मिली जुली कल्चर की चीज, मिली जुली सस्कृति बनाना है। उस सस्कृति को हिन्दू मुसलमानो का मिलकर मजूर करना उचित है। उर्दू पढने लिखने के मै खिलाफ नही हूँ। मै उर्दू का प्रेमी हूँ, मै फारसी का प्रेमी हूँ, अब भी मुझे फुरसत मिलती है तो फारसी के कवि हाफिज को लेकर कभी बैठ जाता हूँ। मुझे इसका शौक है। मगर फारसी का शौक होना और चोज है और हमारे देश मे क्या भाषा चले, यह दूसरी बात है। हमारे देश मे एक ही सस्कृति, भारतीय संस्कृति, चल सकती है। उस सस्कृति का आधार हमारे देश की भाषा, हमारे देश की लिपि है। आज कोशिश करना कि देश मे अरबी और फारसी का रस्मुलखत हम चलाये, मेरा ख्याल है कि यह नामुनासिब बात है। अपने निजी काम के लिये हम बरते, लेकिन पब्लिक तरीके से खुल्लमखुल्ला काम मे लाना, यह और बात है।

अब तीसरे नम्बर पर है—

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा ३०,००० रुपये।

अखिल भारतीय ललित कला तथा शिल्प समिति—यह अलग बात है।

अब आगे है।

"अनुदानो के लिये, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, रामकृष्ण मिशन, सास्कृतिक सस्था और भारतीय विद्या भवन के मामले विचाराधीन है।"

आप हसिये मत। यह उस वक्त की बात है जब रिपोर्ट लिखी गयी थी। उस वक्त वह सब जेरे गौर था। जो रिपोर्ट अब मेरे पास आई है उसमे लिखा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को रुपया दिया गया। हर

साल दिया जाता है। छ सात साल से दिया जाता है। ४० हजार रुपया दिया गया है, वह बराबर दिया गया और आज कोई नई चीज यह नही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भी मदद इसमे आई है। अब आप इसको देख ले कि यह रुपया किस हिसाब से दिया गया और यह साठ हजार रुपया हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को किस हिसाब से दिया गया।

मौलाना आजाद : सालाना नही लम्पसम है।

श्री टंडन : २५ हजार रुपया सन् १९५१ मे दिया गया। उसका क्या हुआ, कहाँ है, उसका क्या बना, अब तक हमे नही मालूम है।

मैने सुना है कि उसके भवन के लिये कुछ रुपया देने का प्रस्ताव है। यह हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को या ऐसी हिन्दुस्तानी सोसायटी को रुपया देना क्या आज उचित है ? हिन्दी सोसायटीज को रुपया दीजिये। जो हिन्दुस्तानी का काम करने वाली सस्थाएँ है उनको आज आपका इस तरह की सहायता देना··

मौलाना आजाद : डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद उसके चेयरमैन है और उनके कहने से यह रकम दी गयी है।

हिन्दी ग्रन्थ-निर्माण

श्री टंडन : इस वक्त मेरा कहना यह है कि आपको हिन्दी की सस्थाओ की सिर्फ मदद ही नही करनी है। बल्कि हिन्दी की बडी बडी सस्थाओं को अपने साथ लेकर, जैसे मैने पहले कहा था, आपको पचास साठ लाख रुपया लगाकर हिन्दी के ग्रन्थो को दो, तीन वर्ष के अदर तैयार करना चाहिए। आप यह कर सकते है, शिक्षा विभाग कर सकता है। एक एक किताब के ऊपर आठ दस हजार रुपया खर्च करे। तब आप देखेगे कि कितनी किताबे निकल आती है। मैने एक सस्था की ओर से अभी एक किताब फिजीकल केमिस्टिरी के ऊपर लिखवाई है। बी० ए० के कोर्स की किताब है, किताब छपकर आ गयी है और मै उसको शिक्षा विभाग के पास भिजवा दूँगा। आप गौर करे, एक किताब पर सात, आठ हजार रुपया खर्च किया जाय। जितने विषय है विज्ञान के उनके सम्बन्ध मे बहुत जल्दी आप दो साल के अन्दर ७०-८० अच्छी किताबें निकाल सकते है, यह चीज गैर मुमकिन नही है, लेकिन वह काम नही हो रहा है। स्कीम्स कुछ बन रही है, कुछ ऊँघते हुए से स्कीम्स बना रहे है और यह उम्मीद की जा रही है कि हिन्दी का काम चले। बस मै और अधिक न कहूँगा। मेरा यह नम्र निवेदन है कि ज्यादा तेजी के साथ काम होना चाहिये।

हिन्दी का स्वाधीन मण्डल या मन्त्रालय

मैंने उस दिन भी सुझाव दिया था और आज भी देता हूँ कि आप के शिक्षा विभाग की तरफ से यह उचित होगा अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण की हिन्दी प्रचार सभा जो दक्षिण मे हिन्दी का काम कर रही है, इन तीनो सस्थाओ से सलाह करके आप एक ऐसे लोगो का बोर्ड बनाये जो हिन्दी का काम कर सके, जो हिन्दी अच्छी तरह से जानते हो और उसकी गतिविधि से वाकिफ हो। आप उनको पूरा काम सुपुर्द करे, वह एक ऐटानोमस बाडी हो, स्वतन्त्र सस्था हो और तब आप देखियेगा कि कितनी अच्छी तरह से यह काम होता है। अगर यह असम्भव हो तो मैने जैसे पहले कहा था यह शासन के सोचने की बात है कि एक अलग हिन्दी के लिये आप मिनिस्ट्री बनावे और वहाँ ऐसे लोगों का रक्खे जो हिन्दी के काम मे दत्तचित होकर जुट जायेंगे और अपने साहस और परिश्रम से इसको इतना बढ़ा देगे कि फिर हमको दस, ग्यारह वर्ष के बाद यह सोचना न पडे कि हमारे समाज के कार्य का कोई अश है जिसमे हिन्दी न चल सके। इस काम की आवश्यकता है। यही मेरा निवेदन है।

१६

जनता को आत्म दर्शन नहीं

२१ अप्रैल १९५४ को भारतीय लोक सभा में वित्त विधेयक पर बोलते हुए

उपाध्यक्ष महोदय ! चारो ओर हमारे देश मे एक प्रकार का असंतोष वर्तमान स्थिति से दिखाई देता है। हमारी गवर्नमेण्ट जनता को सुख पहुँचाने के लिए बहुत सी दिशाओं मे यत्न करती है, परन्तु फिर भी यह सच है कि चारो ओर एक प्रकार का असन्तोष है, हृदयो मे पीड़ा है। जो आशाये हमारी स्वतन्त्र गवर्नमेण्ट से की जाती थी, वह पूरी नही हो रही है। सम्भव है वह आशाये अधिक रही हो, परन्तु यह सच है कि आज वह पूरी नही हो रही हैं। मुझको इस असतोष मे मुख्य कारण यह जान पडता है कि जनता जो बहुत वर्षो से दबी हुई थी, उसने अपने स्वरूप का दर्शन नही किया था, बहुत वर्षो के दबाब मे उसने अपनी आत्मा को खो सा दिया था, उसको आशा थी कि स्वतन्त्रता के आते ही हमे उस आत्मा का दर्शन होगा, हमारे देश की आत्मा पर जो खोल चढे हुए थे वह हटेंगे और हमे अपना स्वरूप दिखाई पडेगा। आज हम जो भी यत्न कर रहे है, उसमे इसका हमे ध्यान रखना चाहिये कि हम जनता को उसके आत्मा का स्वरूप दिखा सके। वह आज वास्तव मे नही हो रहा है। हम कही भी काम करे उचित यह है कि हम जनता की इस भावना को ध्यान मे रखे।

गॉव के अन्दर जनता है। गाँवो के अन्दर बेकारी है। उसको दूर करने का रास्ता ऐसा होना चाहिये जो जनता के स्वरूप के अनुकूल हो। हम काम तो करते है परन्तु इस नीति से करते है कि हम जनता से बहुत दूर रहते हैं। गाँवो की स्थिति मे इधर पिछले चार वर्षो मे बहुत कुछ बदलाव नही आया है, नये गॉव का स्वरूप हमे देखना चाहिये। हम गाँवो को ठीक करना चाहते है, औषधियॉ देना चाहते है, स्वास्थ्य के ऊपर हमारी निगाह है, परन्तु इन सब कामो मे भी हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप नही है। आयुर्वेद की बात होती है, तो हमारी मन्त्रिणी जी की ओर से उसकी खिल्ली उडायी जाती है। उनका अधिक विश्वास है इन बाहरी औषधियो पर, आयुर्वेद पर नही। आज हम बहुत सी बातो मे इसका ध्यान नही रखते कि हम जनता के पास जा रहे है या जनता से दूर हट रहे है।

बेकारी को दूर करने का मार्ग

बेकारी बढी हुई है। हम बहुत बडी बडी योजनाये सोच रहे है, परतु जनता को उसके गॉव मे क्या चाहिये इससे हम अभी हटे हुये है। मेरा निवेदन है, थोडे से समय मे मै अन्दर तो घुस नही सकता इस बेकारी के प्रश्न के, परन्तु मोटी रीति से मेरा यह कहना है कि हमारे शासन को यह नीति माननी चाहिये कि बेकारी को दूर करने का एक ही रास्ता है संसार भर मे, कोई दूसरा रास्ता नही है, कोई रायल रोड, कोई मुख्य मार्ग दूसरा नही है, सिवा इसके कि देश इन वस्तुओं का परित्याग करे जो दूसरे देशो से आती है, उन वस्तुओं को काम में लाये जो वह बनाता है, और जो अपनी आवश्यकताये है उनको इस तरह से सीमित करे कि वह उन्ही वस्तुओ के भीतर रहे। यही एक मार्ग है, दूसरा मार्ग नही है। आज हम देखते है कि बाहर से कितनी वस्तुएँ आती है, हम दूसरे देशों को रोजगार देते है। मै मिसाल क्या दूं? एक एक चीज को देखिये। मोटर कार एक मद है। अरबो रुपया हमारा बाहर जाता है। यह बात सच है कि हमे अपनो आदतो को बदलना पडेगा, अपने रहन-सहन को बदलना पडेगा, अगर हम बेकारी दूर करना चाहते है तो हमें देहातो मे हर चीज बनवानी होगी और अपनी आदत को बदल कर हमे उन चीजो का उपयोग करना होगा। आज इसकी जरूरत है। मुझको याद हैं कि अग्रेजी ढग मे बात करते हुए मैने कभी कहा था कि "केवल उन्ही वस्तुओ का उपयोग करो जिनका तुम उत्पादन करते हो तथा जिन वस्तुओ का तुम उपयोग करते हो उनका उत्पादन करो।"

[**पडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यदि हम इस मंत्र को सीख ले तो हमारी बेकारी दूर हो जायगी।

घरों के बनाने में सहायता

मै उन भाई से, जिन्होने कल कहा था कि हमे घरो की समस्या को हल करना चाहिये और १०० करोड रुपया घरो के लिए देना चाहिये सहमत हूँ। आज कितने दरिद्र है, हमारे देश मे चारो तरफ गरीब भरे पडे है, जिनके पास घर नही है। मैने पहले भी कभी निवेदन किया था कि हर एक कुटुम्ब को आधा एकड भूमि देनी चाहिये। आधा एकड भूमि के साथ उन लोगो को, जिनके पास पैसा नही है, घर बनाने के लिए हमे सहायता देनी है। मै बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि इस प्रश्न को हमे उठाना चाहिये। गाँव गॉव मे हर कुटुम्ब के लिये घर बनाने की हमे चिन्ता करनी है। वहॉ के लोग अपना परिश्रम लगावे और गवर्नमेण्ट इसमे उनको

सहायता दे ।

स्वास्थ्य औषधियों पर निर्भर नहीं

स्वास्थ्य विभाग के विषय मे भी मेरा यह निवेदन है कि हमारे देहात यदि अच्छे और स्वस्थ रीति से बने तो यह जो बहुत सी औषधियाँ है, जिन्हे हम अप्राकृतिक रीति से चला रहे है, उनकी हमे आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मेरा इन औषधियो मे अधिक विश्वास नही है । मै तो यह निवेदन करता हूँ कि हमारा इस प्रकार का रहन सहन ही होना चाहिए कि हमे बहुत औषधियो की आवश्यकता न पडे ।

चेचक का टीका हानिकर

स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश मे आखिर यह चेचक के टीके का सवाल क्यो नही उठाया जाता । हम बहुत सी चीजो मे अंग्रेजो की नकल करते है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इग्लैड मे १८५३ मे जबरदस्ती चेचक का टीका लगाना शुरू हुआ, इसके विरुद्ध वहाँ पर बहुत वर्षो तक आन्दोलन रहा है । लोगो ने देखा कि टीके के कारण रोग बहुत बढ रहे है और अन्त मे उस आन्दोलन के सामने इग्लैड को झुकना पडा । सन् १८९८ मे वहाँ पर जबरदस्ती चेचक का टीका लगाना बन्द कर दिया गया । कुछ लोगो का कहना है कि अब वहाँ का स्वास्थ्य सुधरा है और उसके सुधरने का मुख्य कारण यह है कि चेचक का टोका लगाना बन्द हो गया है । हम यहाँ पर आज भी जबरदस्ती लोगो को वैक्सिनेट करते है और चेचक के टीके लगाते है । इग्लैड में वैक्सिनेशन ऐच्छिक (आप्शनल) है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नही करता है और बहुत से लोग है जो टीका नही लगाते है । आखिर क्यो ? हमारी स्वास्थ्य मन्त्रिणी जी यहाँ नही है । मैने पहले भी एक बार कहा था कि इन सरकारी बैचो को खाली नही रहना चाहिये । इस सम्बन्ध मे मै तो आपसे पूछता हूँ कि क्या यह सच है कि वहाँ पर वैक्सिनेशन आप्शनल है ? मेरा निवेदन यह है कि इंग्लैड मे वैक्सिनेशन अर्थात् चेचक का टीका लगाना लाजिमी नही है और वहाँ की बहुत बडी जनता टीका नही लगाती है । आप इसका उत्तर दें ।

श्री सी० डी० देशमुख सम्भव है कि यह सच हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि इग्लैड से अब चेचक रोग का लोप हो चुका है । अब तो उसको केवल यह चिन्ता है कि इग्लैड मे कोई ऐसा व्यक्ति न आने पावे जिसके पास टीका लगवाने का प्रमाण पत्र न हो ।

श्री टंडन : लेकिन साथ ही मैं तो यह कह रहा हूँ कि इग्लैंड ने अपने मुल्क के लिये यह नही अच्छा समझा। अजीब बात है जो आप कह रहे है कि वह दूसरो से कहे कि वे वैक्सिनेशन करा कर आये, लेकिन अपने मुल्क में उन्होने विधि के बल से टीका लगाने का क्रम उड़ा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि वह वैक्सिनेशन को कोई अमृत नही मानते उसको वह विष समझते है, उसे बुरा समझते है। जो बुरी चीज है उसे आपके लिये छोड दिया, आप ले लीजिये अगर आपको सन्तोष हो। लेकिन यह साफ बात है कि उन्होने अपने देश से इसको उडा दिया। उन्होने समझा कि इसमे स्वास्थ्य का नुकसान है और इसलिये उडा दिया। मेरे पास एक राय है जिसको मै सामने रखता हूँ। मेरे सामने एक कागज है जिसमे प्रोफेसर ए० आर० वैलेस का मत है कि "कानून के जोर से टीका लगाने के लिए विवश करने वाली विधियो का निरसन किसी भी दल की विचारधारा अथवा राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा कही अधिक तात्कालिक तथा गूढ महत्व का विषय है।"

यह प्रोफेसर ए० आर० वैलेस, ओ० एम०, एल० एल० डी०, डी० सी० एल०, एफ० आर० एस० का कथन है। वहाँ पर इस प्रकार का नियम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारे मुल्क मे क्यो न यह चीज की जाय कि जिसको लगाना हो वही लगाये ? आप कम से कम यह अवसर तो दीजिये कि जिसको इस पर विश्वास न हो वह न लगाये। आप उसको तग तो न करे।

सरकारी स्वास्थ्य योजना

मै देखता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य मत्रिणी जी ने एक नई स्कीम चलाई है सरकारी नौकरो के लिये। मेरे पास कुछ सरकारी नौकर आये और उन्होने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस स्कीम मे कह दिया गया है कि सरकारी नौकरो को जबरदस्ती रुपया देना पडेगा। कहा गया है कि तुम्हारी तनख्वाह से हम रुपया काटेगे और तुम्हारे इलाज की हम चिन्ता करेगे। बहुत से सरकारी नौकर है जो ऐलोपैथिक इलाज नही कराना चाहते है, उन्होने पूछा कि इलाज हमारे मन के माफिक होगा या ऐलोपैथिक होगा। जो सरकारी नौकर मेरे पास आये उन्होने मुझे बताया कि उन लोगो को ऐलोपैथिक इलाज के लिये रुपया देना पडेगा। यह क्यो ? आपने योजना बनाई है। अपनी योजना के सम्बन्ध मे हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके सातवे पन्ने पर सेन्ट्रल ऐक्टिविटीज के नीचे लिखा है कि "इसके लिए सरकारी नौकरो को एक वर्गीकृत क्रम के अनुसार मासिक अशदान देना पडेगा।" हर एक सरकारी नौकर की तन-

ख्वाह, जो कि दिल्ली मे है, काट ली जायगी । बहुत से लोग है जो ऐलोपैथिक इलाज नही कराना चाहते है । आप क्यो जबरदस्ती करते है ? मेरा सुझाव है कि आप आप्शन दे । जो आपकी योजना से लाभ उठाना चाहता है उसकी तनख्वाह काटे, जो लाभ नही उठाना चाहता है उसकी तनख्वाह न काटे ।

शिक्षामंत्री का कथन

इसके बाद मै कुछ शब्द शिक्षा विभाग के सम्बन्ध मे भी कहना चाहता हूँ । मै चन्द मिनट मे कह सकूँगा । शिक्षामत्री ने उस रोज अपना असर डालने के लिए बहुत कुछ कहा । लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होने न्याय से काम नही लिया । जो बाते मैने नही कही थी वह उन्होने अपनी तरफ से मेरे मुँह मे रख दी । उन्होने बिलकुल गलत बयानी से काम लिया । मैने उम्र भर अलग हिन्दू मुसलमान के हित की चर्चा नही की । मेरे सामने केवल सस्कृति का सवाल रहता है । लेकिन यह हिन्दू है, यह मुसलमान है लानत है उस पर जो इस तरह सोचता हो । मेरे लिए सब इन्सान बराबर है । मैने अपना हमेशा यह उसूल रखा है

'न हिन्दुअम न मुसलमा न काफिरम न यहूदी'

मौलाना साहब ने अपना जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जिन्दगी के पन्ने खुले हुए है । यहाँ पर बहुत लोग है जिनकी जिन्दगी के पन्ने खुले हुए है—कुछ मानी मे । न मालूम उन लोगो ने स्वतन्त्रता के लिये कितनी कितनी सजाये पायी है, कितनी कितनी तकलीफे उठायी है, मगर उनका जिक्र वे नही करते । जो लोग करनी करते है वे

'कहि न जनावहि आप',

अपनी बात अपने मुँह से नही कहते ।

'सनाये खेश रा गुतफ्न न जेवद मर्दरा सायब'

अपनी कारीगरी को अपने मुँह से बयान करना बहुत अच्छी बात नही होती है । यहाँ बहुत लोग है जो बड़े कारीगर है, जिन्होने कष्ट सहे है ।

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का कोश

लेकिन मसला तो यह था कि शिक्षा विभाग मे क्या हो रहा है । उन्होने मदद दी एक इस्टीट्यूशन को । इसकी कुछ चर्चा मैने यहाँ पर की थी । यह एक इंस्टीट्यूशन है जिसने एक शब्दकोश बनाया है । मेरा यही कहना था कि अगर आप हिन्दी का काम कराना चाहते है तो उन लोगों से कराइये जो इस काम को जानते है । मेरे सामने इसी इस्टी-ट्यूशन की लिखी हुई एक किताब है । यह है वर्धा की 'हिन्दुस्तानी प्रचार

सभा'। जब मैने इसका जिक्र किया तो मैने यह नही कहा था कि आप इसको यह क्यो देते है। मैने कहा था कि जहाँ एक तरफ आप इसको मदद देते है वहाँ वर्धा मे एक और सस्था है 'राष्ट्र भाषा प्रचार सभा' जो कि बहुत पुरानी सस्था है, उसको आप नही देते है। उसका आपने एक बवंडर बनाया और कहा कि इसके चेयरमैन फला है और यह गाँधी जी के नाम से चलती है और इसलिये उसको रुपया देने की बात कही और फ़रमाया कि गो कि इसका नाम हिन्दुस्तानी प्रचार सभा है लेकिन यह काम हिन्दी का करती है। यह उन्होने गलत बयानी की। उनकी बात को काटा है किसने ? यह चीज अखबार मे आयी है। आप देखे कि श्री प्यारे लाल जी ने उनकी स्पीच वगैरह की तारीफ की है और जो उन्होने 'पुर फरेब' लफ्ज का इस्तेमाल किया उसकी भी तारीफ की है। लेकिन उन्होने कहा कि यह बात गलत है कि वह हिन्दी का काम करती है। यह बात मौलाना ने बिल्कुल गलत कही। यह प्यारे लाल साहब का बयान रखा है।

बिचबिन्दी खोली

अब आप उन लफ्जो को देखिये जो इस सस्था ने बनाये हैं। 'बुलेटिन' के लिए उन्होने बनाया है 'बतौती'। 'कैबिनेट' के लिए उन्होने लिखा है 'खोली'। 'प्रीमियर' के लिए उन्होने 'पहलुआ' लफ्ज़ बनाया है। यह किताब मेरे सामने है। आप इसे देखे। 'सेंटर' के लिए उन्होने लफ्ज रखा है 'बिचबिन्दी', यह क्या लफ्ज है! जहाँ हम कहेगे 'केन्द्र' वहाँ वह कहेगे 'बिच-बिन्दी'। हम कहते है 'केन्द्रीय मन्त्रिमडल'। आप जानते हैं कि 'केबिनेट' के लिए 'मंत्रिमडल' शब्द प्रचलित है। लेकिन वह उसके लिए कहेगे 'बिचबिन्दी खोली'। और लफ्ज सुनिये, 'सेंट्रलाइजेशन' का तर्जुमा है 'बिचि-याना'। इस तरह के लफ्जो को कौन समझेगा ? उन्होने 'कसालीडेशन' का तर्जुमा किया है 'ठोसियाना'। आप देखें कि वह किस तरह के शब्द बना रहे है। 'मिनिस्टर' के लिए देश भर मे 'मंत्री' शब्द प्रचलित है। लेकिन उसको पसन्द है 'वजीर'। 'वजीर' लफ्ज भी लोग समझते हैं। लेकिन 'मत्री' जो कि एक प्रचलित शब्द है वह उनको पसन्द नही है। बस इस बात को मै यही छोडता हूँ। कथन मेरा यह है कि वह संस्कृत से घबराते है। हमारे संविधान मे कहा गया है कि सस्कृत के आधार पर शब्द बनाये जाये जिससे सब प्रान्तो मे समझे जा सके। पर यह सस्कृत से घबराते है, और आपने देखा कि किस तरह के लफ्ज वह बनाते है।

वैज्ञानिक शब्दों का राष्ट्रीयकरण

एक बात शिक्षामत्री ने इटरनेशनल साइटिफिक टर्म्स के बारे मे कही। उन्होने कहा था कि सब जगह इटरनेशनल टर्म्स काम मे आते है। मै कहता हूँ कि उसकी सीमाये है। मेरे सामने कुछ देशो के खत है। एक भाई ने इन पत्रो को मगाया है। एक पत्र थाइलैड एम्बैसी का है। उसमे लिखा है कि "टेकनिकल तथा वैज्ञानिक शब्द जो हमारे यहाँ काम मे आते है वह या तो 'थाई' भाषा के है या सस्कृत तथा पाली भाषा की सहायता से बने है तथा वे टेकनिकल तथा वैज्ञानिक अध्ययन के लिये पर्याप्त पाये गये है।"

दूसरा पत्र फिनिश लिगेशन का है। उसमे लिखा है "फिनलैण्ड का रवैय्या नये शब्द तथा टर्म्स गढने का है जो आधार रूप से फिनिश हो तथा जिन पर कोई विदेशी प्रभाव न हो।"

सभापति महोदय : अभी दो आदमियो को और बोलना है इसके पहले कि मै फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए कहूँ।

श्री टंडन : मै आपकी आज्ञा का दास हूँ। अगर आप कहे तो मै बैठ जाऊँगा।

सभापति महोदय : अगर आप कोई नया मजमून शुरू करेंगे तो उसमे देरी होगी। आप इस मजमून को खत्म कर दीजिये, नया मजमून शुरू न कीजिये।

श्री टंडन : शिक्षा विभाग के बारे मे मै कह रहा था। इसी तरह से ईरान को लीजिये। ईरान एम्बैसी ने जवाब दिया है, "लगभग ३० वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथा टेकनिकल टर्म्स के राष्ट्रीयकरण का कार्य आरम्भ हुआ था। अब हालाकि हम इस सम्बन्ध मे स्वावलम्बी हो चुके है फिर भी हम किसी हद तक विदेशी भाषाओ पर निर्भर है।"

मेरा कहना यह है कि जो हम लोग उस रोज कह रहे थे कि शब्दो के गढने मे आप देश का ध्यान रखे वह बात गलत नही है।

संविधान के शब्द

एक बात मैने उस रोज और कही थी जिसका शिक्षामंत्री ने जवाब दिया था। मैने कहा था कि सविधान मे कुछ शब्द जो स्वीकार हो चुके है उनके भी हटाने का प्रयत्न दिखाई पडता है। उन्होने कहा कि ऐसी कोई चीज नही है। उन्होने जो कमेटी बनायी है उसके बारे मे उन्होने कहा था कि उसको अख्तियार है कि कोई शब्द बनाये या न बनाये। उस कमेटी ने जो शब्द बनाये है उनमे से कुछ मेरे सामने है। मै दो तीन

शब्द यहाँ पर देना चाहता हूँ जिनको आप देखे। जो हिन्दी का सविधान बना है और जिस पर श्री राजेन्द्र बाबू के और हम लोगों के हस्ताक्षर है उसमे 'कमीशन' के लिए 'आयोग' शब्द आया है लेकिन जो कोश शिक्षा विभाग ने बनवा कर भेजा है उसमे कमीशन के लिये 'कमीशन' शब्द ही रखा है। तो वह इस प्रकार से सविधान मे आये हुए कुछ शब्दो को बदलना चाहते है। 'कम्पन्मेशन' के लिए जो सविधान का अनुवाद हुआ है उसमे 'प्रतिकर' शब्द आया है। इस सविधान के अनुवाद पर बहुत रुपया खर्च किया गया है। लेकिन अब हमारे सामने जो टेकनिकल टर्म्स आये है उनमे 'कम्पेन्सेशन' के लिए 'मुआवजा' शब्द आया है। 'मुआवजा' कोई ऐसा शब्द नही है जो इधर न समझा जाय, लेकिन जो दक्षिण के भाई है वह सब नही समझेगे। सवाल यह है कि संविधान के लफ्जो को इस तरह से बदलना क्या मुनासिब है जब वह मजूर हो चुके थे ?

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया पश्चिम) : अनुचित है।

श्री टंडन : इसी तरह आप देखे कि "ग्राण्ट" के लिए लफ्ज 'अनुदान' आया है। सविधान ने उस लफ्ज पर अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज 'इमदाद' उसके लिये रखा है। अनुदान हटाकर लफ्ज इमदाद रखा है। 'ग्राण्ट इन एड' के लिये यहाॅ पर 'इमदाद' है, जब कि हमारे सविधान मे 'सहायक अनुदान' है। 'ला' के लिये देखें, सविधान मे जो लफ्ज मजूर हुआ है, वह 'विधि' है, लेकिन यहाँ पर 'ला' के लिये 'कानून' लफ्ज बनाया जा रहा है। 'सिविल ला' के लिये 'दीवानी कानून' रखा गया है।

श्री अलगू राय शास्त्री · बडा जुल्म हो रहा है।

श्री टंडन : जो बात मैने कही थी वह सही थी, उन्होने उसका रूप रग बदला है।

संस्कृति धरती से उत्पन्न

शिबली ऐकेडेमी को ग्राण्ट देने की बात मैने इसलिए छेडी क्योकि उसमे कल्चर की बात लायी गयी थी और इसलिए मैने उसके बारे मे निवेदन किया था। चूँकि कल्चर का बडा भारी सवाल है, इसलिये मैं आपकी इजाजत से कुछ लफ्ज उसके बाबत कहना चाहता हूँ। मैने उम्मीद की थी कि उसके सम्बन्ध मे कोई फर्क नही होगा लेकिन मुझे थोडा अफसोस हुआ जब मैने 'इस्लामी तमद्दुन' और 'हिन्दू तमद्दुन' की बात सुनी। मै तो समझता हूँ कि 'इस्लामी तमद्दुन' और 'हिन्दू तमद्दुन'

कोई चीज नही है। मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ जब मौलाना हिफ-जुर्रहमान यहाँ पर खडे हुए और उन्होने फरमाया कि यहाँ पर 'इस्लामी तमद्दुन' भी रहेगा और 'हिन्दू तमद्दुन' भी रहेगा और उसका एक मज-मुआ बनेगा। मै उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मजमुआ बनेगा तो दोनो कहाँ रहेगे ? और क्या मजहब की राह पर आप तमद्दुन बनायेगे ? शिया तमद्दुन, सुन्नी तमद्दुन, वैष्णव तमद्दुन, जैन तमद्दुन, आखिर कितने तमद्दुन आप रखेगे ? तमद्दुन का धर्म से सम्बन्ध नही है। मै यह कहना चाहता हूँ कि धर्म अलग है और तमद्दुन अलग है। तमद्दुन का सम्बन्ध जमीन से होता है। हम ईरानी तमद्दुन समझ सकते है, अरबी तमद्दुन समझ सकते हैं, उसी तरह मै भारतीय सस्कृति और भारतीय तमद्दुन समझता हूँ और उसी की चर्चा करता हूँ लेकिन कोई अगर इस्लामी तमद्दुन और हिन्दू तमद्दुन की बात कहता है तो वह गलत है और उसी गलती की वजह से हम देखते है कि यह सब टटा खडा हुआ, यह पाकिस्तान ही इस बिना पर बना। बहुत जगह पर जिन्ना साहब और उनके अनुयायियो की स्पीचे दिखला सकता हूँ जिसमे उन्होने यह कहा है कि मुस्लिम तमद्दुन अलग है और इसलिये हम दोनो साथ नही रह सकते, हमारा मुल्क अलग होना चाहिये। यही तमद्दुन की मुख्य जड़ थी जिसके कारण हमारे देश का बटवारा हुआ और पाकिस्तान की स्थापना हुई और इसी के साथ उन्होने उर्दू भाषा के प्रश्न को भी समेट लिया। मेरा निवेदन यह है कि धर्मो के ऊपर तमद्दुन नही होगा। हमारी सस्कृति हमारी भूमि से निकलेगी, उसमे मजहब का भेद नही होगा। चीन मे भी मुसलमान हैं, तो क्या उनका रहन-सहन, पहराव और लिखना-पढना चीनियो से भिन्न है ? वे बिल्कुल दूसरे चीनियो की तरह अपना जीवन व्यतीत करते है। हमारे देश मे जितने मुसलमान भाई बसते हैं, वे सब हमारे भाई है, छाती से छाती मिला-कर इस देश मे रहे, लेकिन अगर वह अलग मजहब ओर तमद्दुन की बिना पर यहाँ रहना चाहे तो झगड़ा होगा और लडाई होगी और उसका नतीजा क्या होगा ! एक दूसरी नीति और एक दूसरे तरह की चीज आयेगी जैसा कि हमने एक नमूना जिन्ना साहब की शख्सियत मे देखा। आज हमे उसकी जरूरत नही है। मजहब पर तमद्दुन नही होगा, हमारा रास्ता मेल जोल का होगा और इसीलिये हमे एक ही तमद्दुन और एक भारतीय सस्कृति पर कायम रहना है। हमारी उस भारतीय सस्कृति के बारे मे बोलते हुए हमारे प्रधानमत्री ने कहा था कि उसके कुछ अलग अलग रग है। हमारी जमीन मे कुछ अलग अलग रग है। तामिल प्रदेश मे कुछ, महाराष्ट्र में कुछ और विन्ध्य प्रदेश मे दूसरा रग है और

जिसके लिये उन्होने वेराइगेटेड लफ्ज कहा था, परन्तु मूल मे हमारी सस्कृति एक है और वह भारतीय सस्कृति है, चाहे उसमे मुसलमान हों चाहे हिन्दू हो ।

तगदिली किसकी ?

शिक्षामत्री ने उर्दू के सम्बन्ध मे भी एक अजीब बात कही । उन्होने कहा कि हमारे देश मे साढे चार करोड मुसलमान बसते है तो क्या उनके नाम के ऊपर अगर हमने उर्दू के लिये कुछ दे दिया तो गलती की । मै नही समझता कि साडे चार करोड से उर्दू का क्या ताल्लुक है । उर्दू तो बहुत थोडे जानने वाले है । हम कोई उर्दू के दुश्मन नही है मगर उन्होने बात कुछ पलट के कही । 'उर्दू' को आप मदद दीजिये, मै उसका विरोध नही करता । मैने तो यह कहा था कि ग्राण्ट, अनुदान, देते समय कुछ अनुपात होना चाहिये । आपको यह देखना होगा कि आप लोग हिन्दी का काम किस से ले रहे है । मैने कहा था हिन्दी का काम आप को कराना है तो मुख्य करके हिन्दी की सस्थाओ के ज़रिये से करवाइये । मैने जामिया मिलिया, जो उर्दू को चलाने वाली सस्था है, उसके ऊपर कोई एतराज़ नही किया, इसी तरह अलीगढयूनिवर्सिटी काम करती है, मैने उसके ऊपर कोई एतराज नही किया, मेरी मशा कोई उर्दू के ऊपर एतराज करने की नही थी । मैने तो यह दिखाया था कि कल्चर के नाम पर आपने किसको अनुदान दिया । आप अजुमने तरक्की उर्दू को कल्चर के नाम पर मदद दिया करें, तो मेरे नजदीक वह चीज़ ठीक नही है और आप ऐसा करके, बहुत गलत काम कर रहे है । शिक्षामत्री ने बहुत से ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किये, मै लौट कर उनको नही कहना चाहता । मेरे दिमाग मे वे इस समय हैं भी नही लेकिन मुझे इस समय एक बात याद आ रही और वह यह है कि गाधी जी के बारे मे मैने पढा था कि जब नागपुर मे गाँधी जी ने हिन्दी का पक्ष लिया था तो उर्दू तहरीक को चलाने वाले मौलाना अब्दुल हक साहब, जो अजुमन तरक्की का काम करने वाले थे, उन्होने गाधी जी के बारे मे उस समय कहा था कि, 'उनके चेहरे से रया का नकाब उतर गया', रया के अर्थ है फरेब । यह लफ्ज मौलाना साहब ने मेरे लिये इस्तेमाल किया था । जो चीज अब्दुल हक साहब ने महात्मा गाधी जैसी बडी शख्सियत के लिये कही, आज वही चीज मौलाना साहब ने मेरे जैसे छोटे आदमी के लिये कहना मुनासिब समझा । तगदिली की बात कह देना बडा आसान है । यह तगदिली किसकी है, यह समझने की बात है । मै पूछना चाहता हूँ कि आप आज फारसी लिपि को क्यो पकड़े हुए है ? फारसी की लिपि इस देश की नही है । आप उसको पकड़े क्यो है । क्या यह तगदिली नही

है ? हमारे देश मे जो नागरी लिपि चल रही है उसके लिये मेरा निवेदन है कि वह हमारी सस्कृति और तमद्दून का जुज है और उसी को फैलाना चाहिये और ग्रहण करना चाहिये । क्या यह कहना तगदिली है ? मै यह कहता हूँ कि आप फारसी लिपि को जो पकडे रखना चाहते है यह तगदिली नही तो क्या है ? क्या यह फराखदिली है ? मै इस पर क्या कहूँ, अधिक नही कहना चाहता । उन्होने उस रोज बहुत गलत बयानी से काम लिया । मै तो हिन्दू, मुसलमान को एक करना चाहता हूँ, एक सस्कृति उनकी हो, एक तमद्दुन मे वे रहे और इसलिये मेरा बार-बार यह निवेदन है कि देश के सब लोगो को एक लिपि नागरी लिपि मे बाधना उचित है । वह क्या कोई आपके मजहब के खिलाफ जाता है ? चीन में जो मुसलमान है वह चीनी लिपि मे अपना सब काम काज करते है, और कुरान शरीफ का भी अध्ययन वह चीनी भाषा मे ही करते है, अरबी लिपि मे वह अपना काम नही चलाते । मे चाहता हूँ कि हम सब मिल कर इस सवाल को हल करे ।

हिन्दी जानने वालों से काम लीजिए

इस मिनस्ट्री की तरफ से सचमुच उन लोगो के जरिये से काम कराने की कोशिश होनी चाहिये जो हिन्दी जानते हो । कल एक भाई ने थोडी सी उस सम्बन्ध मे चर्चा की थी । हमारे शिक्षामंत्री जी किनसे काम लेते है ? मालूम ऐसा होता है कि जो हिन्दी बिल्कुल नही जानता वही सबसे अच्छा हिन्दी का काम कर सकता है । उनके जो सचिव है वह हिन्दी जानने वाले नही है, उनके जो ज्वाइट सेक्रेटरी है वह हिन्दी जानने वाले नही है और उनके वहाँ का डिप्टी सेक्रेटरी हिन्दी जानने वाला नही है, क्या इस तरीके से यह हिन्दी का काम पूरा होगा ? मौलाना साहब खुद जितनी हिन्दी जानते है, वह जाहिर है । मैने देखा कि मौलाना साहब को उनकी स्पीच जो शोधन करने के लिये जाती है वह फारसी लिपि मे भेजी जाती है, जबकि हमारे सविधान मे साफ उल्लेख है कि नागरी लिपि का प्रयोग होगा, मगर उनके लिये खास तौर पर और कुछ दूसरे लोगो के लिये भी खास तौर पर फारसी लिपि मे उनकी स्पीचे भेजी जाती है । मेरे पास जब मेरी स्पीच शोधन के लिये आई तो मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उसमें मौलाना साहब का जितना हिस्सा था वह फारसी लिपि मे लिखा हुआ था । मै नही जानता कि यह कहाँ तक कास्टीट्यूशन के मुआफिक है, लेकिन वाक़या यह है कि वह इतने रोज से हमारे शिक्षामत्री है, लेकिन वह अभी तक नागरी लिपि नही सीख सके है । इमलिये मेरा कहना है कि हिन्दी का काम ऐसे लोगों के जरिये से होगा जो खुद हिन्दी अच्छी

तरह जानते है। मौलाना साहब ने मेरे लिये कहा था कि मैने कोई कस्ट्र-क्टिव सुझाव नही दिया। मैने उस समय कहा था और इस समय भी कहता हूँ कि आप ऊँची किताबे लिखवाइये, और आठ, दस हजार रुपया एक एक किताब पर खर्च कीजिये। मैने दूसरा सुझाव यह दिया था कि आप इसके लिये एक आयोग बना दीजिये जो इस काम को करे और आज इस अवसर पर फिर मै उसी बात को दुहराता हूँ।

१६

विस्थापितों को प्रतिकर

१८ मई १९५४ को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वासन) विधेयक पर बोलते हुए

सभापति महोदय ! सबसे पहले मै गवर्नमेट को बधाई देता हूँ कि उन्होने इस विधेयक को सामने रखा है। यह प्रश्न बहुत वर्षो से लटक रहा है । अन्त मे इतने वर्षो बाद बहुत घूमघाम कर गवर्नमेट इस परिणाम पर आई कि अब हम पाकिस्तान का मुँह न देखे और उन भाइयो की सहायता के लिये जो पाकिस्तान से आये हुए है कुछ करे। अब उन्होने यह फैसला किया है और इस पर वह बधाई के पात्र है ।

प्रतिकर का अन्तर गवर्नमेंट पूरा करे

मै इस विषय मे दो एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि जो इस विधेयक की धारा १३ मे **कम्पेनसेशन-पूल** की बात कही गई है, उसमे गवर्नमेट ने यह स्वीकार किया है कि वह भी उसमे कुछ धन अपनी ओर से मिलायेगी, यह बात धारा १३ (सी) मे कही गई है । कितना मिलायेगी यह तो नही बताया गया है लेकिन इस विधेयक के साथ १६ पृष्ठ पर एक नोट है। उससे मालूम होता है कि मोटे तौर पर १८५ करोड रुपयो की जायदाद इस समय गवर्नमेट के पास बाँटने के लिये है । प्रश्न यह है कि इसमे गवर्नमेट और कितना मिलायेगी। जो प्रतिकर हमे देना है वह तो बहुत अधिक है। अगर इस धन मे थोडा ही मिलाया गया तो बहुत थोडा ही पल्ले पडेगा उन भाइयो के जो पाकिस्तान से आये है। आपने जो विधेयक का अभिप्राय दिया है उसमे यानी **स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स** मे कहा गया है कि इसमें वह रुपया जो पाकिस्तान से मिलेगा जोडा जायगा। यह तो कल्पना की बात है और बहुत आशा नही है कि हमे शीघ्र कुछ मिलने वाला है। जो जायदाद हमारे आदमी पाकिस्तान मे छोडकर आये है और जो जायदाद यहाँ से गये हुए लोगों की हमारे पास है उनके अन्तर, difference, की चर्चा है और यह कहा गया है कि आप उसको पाकिस्तान से लेने का यत्न करेगे, आप यत्न करे, परन्तु मेरा सुझाव है कि उस अन्तर को गवर्नमेट अपने पास से मिलाये। आप उतनी ही रकम इसमे मिला दे जो अन्तर के कूतने पर आती है, जिसकी चर्चा स्टेटमेट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स मे की गयी है,

और फिर स्वय पाकिस्तान से वसूल करके अपने हिसाब मे रख ले। यह **सेलेक्ट कमेटी** के विचार करने की बात है। मै चाहता हूँ कि इस बात पर गवर्नमेट विचार करे। हाँ, रुपया शायद बहुत अधिक होगा और गवर्नमेट कह सकती है कि इतना रुपया वह अपने पास से कहाँ से देगी। यह ठीक है। हम को अपनी गवर्नमेट का भी ध्यान रखना है। इस सबध मे मेरा सुझाव है, कई वर्ष पहले भी मैने सुझाव दिया था, और आज भी मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक विशेष टैक्स लगाना चाहिये। कुछ भी उसका नाम हो, लेकिन एक विशेष टैक्स लगाना चाहिये और उस टैक्स मे मेरा अपना विचार है कि अच्छी रकम मिलेगी। मुझको आशा है कि टैक्स को हम प्रेमपूर्वक देगे। जो पैसा इस टैक्स मे आये उससे पाकिस्तान से आये लोगो को हम सहायता दे। जिन्होने कोई मुसीबते नही उठाई है और जो यहाँ के रहने वाले है उनसे इतनी ही सहायता हम चाहते है कि कुछ पैसा वह दे। जो भाई वहाँ से भाग कर आये है, उन्होने जो मुसीबते उठाई है वह बहुत हृदय विदारक है और यहाँ पर आज उनकी चर्चा करने की जरूरत नही है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति में विस्थापितों द्वारा बलिदान

सच बात यह है कि हमारी स्वतत्रता का मूल्य सब से अधिक उन भाइयो ने दिया है जो पाकिस्तान से भाग कर यहाँ आये है। उन्होने केवल धन ही नही खोया, अपने भाइयो और घर वालो को खोया, अपना घर खोया, जितनी कडी मुसीबते उन्होने उठाई है हम लोगो को तो उसका कोई अश भी नही उठाना पडा। तब आज अगर हम से उनकी सहायता के लिये टैक्स द्वारा कुछ रुपया माँगा जाय, कुछ अरब रुपये क्यो न हो, तो मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों को उधर के लोगो के लिये प्रसन्नता के साथ देना चाहिये। गवर्नमेट इस विषय मे कुछ आगे बढे, साहस से कदम उठाये। अगर इतना साहस गवर्नमेट नही करती तो मै यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेट अपने को इतिहास के पन्नो मे निन्दनीय कहलायेगी। जिन लोगो ने स्वतत्रता के लिये सबसे ज्यादा कष्ट उठाया है, उनकी मुसीबतो को मैने देखा है, आज भी देख रहा हूँ, आज भी ये बेचारे टुकडे टुकडे के लिये घूमते है। मुझको कुछ थोडा अनुभव है, मै यह भी जानता हूँ कि गवर्नमेट ने सहायता की है, लेकिन वह सहायता उन लोगो की मुसीबतो को देखते हुए बहुत थोडी रही है। मैने घुस कर उन भाइयो की हालत को थोडा देखा है। किस तरह से यह रह रहे है ? मुझको याद है, मैने अहमदाबाद मे देखा है, आज भी वह दृश्य मेरे सामने है। शायद ४० फीट के लगभग चौडे और ५० या ६० फीट के लगभग लम्बे गोदाम मे मैने २२

कुटुम्बो को रहते देखा जिनके सब प्राणी मिला कर ८० या ९० होते थे। यह देख कर कि वह किस तरह से रह रहे है, मेरी आँखो मे आँसू आ गये।

यह एक जगह की बात नही। इस तरह के उदाहरण मुझको कई जगह पर देखने को मिले और मुझे विश्वास है कि मत्री जी को मुझसे ज्यादा इस विषय मे अनुभव होगा। क्योकि वह तो बहुत परिश्रम के साथ दौडे धूपे है। मुसीबतो के बारे मे तो किसी को सन्देह नही है। प्रश्न यह है कि गवर्नमेट कहाँ से पैसा लाये कि सहायता करे। यही वास्तविक प्रश्न है। पाकिस्तान से मिलेगा आज यह हम नही जानते। पाकिस्तान की अपनी रकम को हमे छोडना नही है, वह जब मिले हम उसको ले। लेकिन जब तक वह रकम नही मिलती है गवर्नमेंट अपने पास से उतनी रकम मिलाये। जब वह रकम पाकिस्तान से वसूल हो जाय तो उसको अपने पास रख ले। इसके लिए मै सुझाव दूँगा कि या तो गवर्नमेट टैक्स लगावे या उधार ले। गवर्नमेट के पास दो ही रास्ते हैं। मै कहता हूँ कि इसके लिए एक खास लोन उठाया जा सकता है। उसमें से रुपया दिया जाय। पाकिस्तान से मिलेगा तो उसको सरकार अपने पास रखेगी। यह दो ही रास्ते है। जो रकम वहाँ हम छोड़ आये है और जो रकम हमे यहाँ मिलेगी उसका जो अन्तर है उसके लगभग वह टैक्स या लोन हो। मै यह नही कहता कि जो बडे बडे लखपति और करोड़पति हैं गवर्नमेट उनको पूरा पूरा मुआवजा दे लेकिन हाँ इतना मुआवजा तो दे कि वे अपने काम मे, अपने रोजगार मे लग सके। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोडे है। अधिकतर छोटी छोटी स्थिति के लोग है और कुछ सार्वजनिक सस्थाये है।

संस्थाओं की हानि-पूर्त्ति

सार्वजनिक संस्थाओ की वहाँ बहुत बडी बड़ी रकमे छूटी हैं। मेरा यह सुझाव है कि उनको तो पूरी तरह से मुआवजा देना चाहिये क्योकि वे सार्वजनिक संस्थायें बराबर दूसरो का काम करती है। इस विधेयक मे एक दफा है जिसमे ट्रस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लिखा है कि आप उनके लिये **वेलफेयर कारपोरेशन** बनायेंगे। धारा १६ मे यह शब्द है :

"For the purpose of rendering assistance to trust-entitled to compensation."

ट्रस्ट की परिभाषा इस बिल मे मै देख रहा था। लेकिन मुझको नहीं मिली। ट्रस्ट की परिभाषा इसमे नही दी गयी है। सिलेक्ट कमेटी को मै सुझाव देता हूँ कि वह इसकी परिभाषा दे और इस परिभाषा के भीतर उन सस्थाओ को लावे जो जनता की सेवा करती रही है चाहे वे ट्रस्ट ऐक्ट

में न आती हो। ट्रस्ट ऐक्ट तो एक खास कानून है और उसमें ट्रस्ट एक खास कानूनी शब्द है। मै चाहता हूँ कि वह सब सस्थाये जो दूसरो के लिए काम करती रही है और जिनका धन पाकिस्तान में रह गया है वह सब ट्रस्ट की परिभाषा मे आये। जिन सस्थाओ की रजिस्ट्री ऐक्ट २१ सन १८६० के अन्तर्गत हुई है या दूसरी रीति से जो सस्थाये किसी भी रूप मे कुछ **एजूकेशनल** या **मैडीकल फैसिलिटीज़** देने वाली है उनकी रक्षा के अभिप्राय से यह वेलफेयर पूल बनेगा। मेरा सुझाव है कि खाली इन्ही दो प्रकार की सस्थाओ मे गवर्नमेंट की सहायता परिमित नहीं होनी चाहिए बल्कि जो भी सस्थाये जनता की सेवा करती थी और उनके पास पैसा था और उनका पैसा वहाँ छिन गया और आज वह सस्थाये गरीब हो गई है उन सब सस्थाओं को आपको पूरा रुपया देना चाहिए। व्यक्तियों के लिए मै नही कहता लेकिन अगर आप संस्थाओ का पूरा रुपया न दें तो वह बहुत अनुचित होगा। आप पूरी तरह से उनकी सहायता करे और इस सहायता के लिए मैने जो सुझाव दिए है उनके अनुसार कार्य करे। या तो एक विशेष प्रकार का लोन आप सामने रखे या टैक्स लगावे। मेरा तो विश्वास है कि यह टैक्स लोग प्रसन्नता से देगे। यह टैक्स इस अनुमान से हो कि किसकी क्या हैसियत है। उस पर आप ब्यौरे मे विचार कर सकते है। मेरा सुझाव है कि इन दो रास्तो से आप पूल मे पर्याप्त धन रखें और जो सस्थायें है उनके पैसे मे काट कपट तनिक भी न करे। जितनी सस्थाये है उनको पूरा रुपया दिया जाय। यह मेरा सुझाव है।

२०

तिब्बत पर चीन का अधिकार

१८ मई १९५४ को विदेश नीति पर बोलते हुए

उपाध्यक्ष महोदय ! मुझे इस विवाद के सम्बन्ध मे अधिक कहना नही है। एक बात मुझको कुछ खटकती रही है। उस अपनी खटक को दूर करने के लिए विदेश मन्त्रालय के सामने अपनी बात रख देना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि हमारे प्रधान मत्री जी इस समय यहाँ नही है।

साधारण रीति से उनकी जो ससार के सम्बन्ध मे नीति है, विशेषकर ससार के दो आपस में विरोध करने वाले समूहो से अलग रहने की, उसका मै समर्थन करता हूँ। मेरे विचार मे उस नीति के सम्बन्ध मे हमारे प्रधान मत्री ने बुद्धिमानी से काम किया है। परन्तु मुझे जो बात खटकी है वह हाल की चीन के साथ की हुई सन्धि है। तिब्बत के सम्बन्ध मे चीन से इस प्रकार की सन्धि करना मुझको खटकता है। मुझको ऐसा लगता है कि हमने औचित्य से उतर कर कुछ काम किया है।

तिब्बत की स्वतन्त्रता

तिब्बत लगभग १९१४ से स्वतन्त्र रहा है। यह सच है कि बहुत पुराने समय से चीन ने उसके ऊपर एक अपना धुधला सा अधिकार माना है परन्तु उसका कुछ बहुत अधिक मूल्य नही था। यह सच है कि तिब्बत के पास बहुत सेनाये नही रही है। वह ससार के उन विचित्र देशो मे है, शायद सबसे विचित्र देश, जिसने अधिक सेनाओ मे विश्वास नही किया है। कुछ थोडी बहुत तादाद तो रखी है परन्तु उन्होने अधिकतर अपने पड़ोसियों की शुभकामनाओ पर विश्वास किया है।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : उसी का यह नतीजा है।

श्री टंडन : परन्तु चीन ने इधर सन् ५० और ५१ मे अपनी सेनाये तिब्बत मे भेज कर तिब्बत को मजबूर किया कि वह चीन का आधिपत्य बहुत सी बातो में माने। मुझे याद है जब मै कालिज मे पढता था और एक युवक था, तब १९०४ मे कर्नल यगहजबेड तिब्बत के भीतर गये थे। हम लोगो को वह अच्छा नही लगा था। हम समझते थे कि तिब्बत को परेशान करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह एक चाल है। परन्तु यह तो सच है कि कर्नल यगहजबेड सेना सहित गये, उन्होने तिब्बत से शर्तें की, और तिब्बत के साथ उन्होने एक इकरारनामा किया, चीन के साथ नही। उस समय तिब्बत के साथ उनकी लिखा-पढ़ी हुई। यह सच

है कि उसके कुछ वर्षो बाद उसी विषय मे उनकी चीन के साथ भी लिखा-पढ़ी हुई और एक इकरारनामा हुआ। यह तो मालूम होता है कि चीन बहुत वर्षो से तिब्बत के अपने सम्बन्ध को इस तरह समझता रहा है कि हमारी कुछ वहाँ हुकूमत सी है, जिसे अग्रेजी मे 'सुजरेटी' कहते है। तिब्बत वाले दूसरी तरफ यह समझते रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं और सन् १९१४-१५ मे यह बात स्पष्ट हो गयी। उस समय तिब्बत की ओर से कह दिया गया कि हम चीन के मातहत नही है और हम स्वतत्र है। यह बात सामने आ गयी थी। विशेषकर जिस समय पहला ससार युद्ध छिडा हुआ था उस समय यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि तिब्बत चीन की हुकूमत नहीं मानता और तिब्बत वाले अपने को स्वतत्र कहते है। यो कहने को तो चीन वालो ने नेपाल तक को अपनी हुकूमत के अन्दर माना है। उनका तो यह भी दावा रहा है कि तिब्बत और नेपाल उनके पुराने मातहत है। जिस प्रकार बहुत दिन पहले नेपाल ने उस मातहती के दावे पर ठोकर मार दी उसी तरह तिब्बत ने भी ठोकर मार दी। नेपाल ने अपनी फौजे तिब्बत मे भेजकर उसके बहुत से भाग पर कब्जा भी कर लिया था। परन्तु पीछे वह हट आया। जिस प्रकार से नेपाल ने ठोकर मारी उसी प्रकार तिब्बत ने भी ठोकर मारी। फर्क इतना था कि गोरखा बन्दूक चला सकता है, लड़ सकता है और मर सकता है और तिब्बत वाले फकीर है।

चीन का उपनिवेशवाद

मुझे जो बात अपने सम्बन्ध मे खटकती है वह यह कि हमारा जो कुछ अब तक तिब्बत से सम्बन्ध रहा है उसमे यह भी है कि हमारे वहाँ कुछ छोटे मोटे व्यापार सम्बन्धी अधिकार रहे है। हमारे कुछ आदमी वहाँ रहते थे और हमारे तारघर भी थे।

अब हमने अधिकार दे दिया, जहाँ तक कि हम अधिकार दे सकते हैं, कि चीन तिब्बत को अपने मातहत समझे। मेरा यह तो मतलब नही और मै यह नही कहता कि तिब्बत के स्वातत्र्य के लिए हम फौजे भेज कर लड़ते, यद्यपि पडौसी के स्वातत्र्य के लिए कभी लडना भी पडता है, आज मै यह नही कह रहा हूँ कि आपको इस समय कोई लड़ाई उनसे लेनी थी, लेकिन जो बात खटकती है वह यह कि जिस अन्याय के साथ चीन ने तिब्बत के ऊपर हमला किया और उनकी स्वतत्रता को हड़प किया, जिसमे और **कालोनियलिज्म** मे कोई फर्क नही है, उसको हमने लिखा-पढी मे मान लिया। पश्चिम के देशो ने विदेशो मे **कालोनी** बनाने की जो नीति रखी थी, और वह पुरानी नीति आज भी है, उस नीति के विरोध मे हमारे प्रधान मत्री ने बहुत जगह और बार बार कहा है उसका

उन्होने विरोध किया है। ठीक, हमारा देश इसके लिए उनका आदर करता है और संसार का वह भाग जो कालोनी नही रखता, वह भी उनका आदर करता है। परन्तु यहाँ चीन ने क्या किया है ? एक गरीब देश जिसके पास सेना नही है, जो किसी को सताता नही है, चीन से कुछ माँगता नही है, चीन के ऊपर हमला नही करता, एक अलग टुकडे मे छोटा सा देश जिसकी कोई बहुत आमदनी भी नही है, जिसकी कोई बडी जनसंख्या भी नही है, जिसके पास सेना नहीं है और केवल नाममात्र के कुछ सिपाही है, ऐसे देश से ससार के किसी भी देश को भय नही था और न हो सकता था, परन्तु चीन ने उसको हडप लिया।

तिब्बत को चीन के अधीन मानना अनैतिक

हिन्दुस्तान ने उस हडप करने की क्रिया को मान लिया, स्वीकार कर लिया, मुझको यह चीज खटकती है। क्या यह ठीक किया ? बहुत सी अन्दर की बाते मै नही जानता। सन् ५०-५१ मे जो पत्र-व्यवहार हमारी गवर्नमेंट ने चीन से किया उसमे उन्होने आपत्ति की कि तुमने फौज अपनी क्यो भेजी, हमारी सरकार ने इस प्रश्न को उठाया, चीन का जो जवाब आया उस जवाब में मुझे शील की कमी लगी और वह एक भद्दी तरह का जवाब लगा। दो पत्र यहाँ से गये और दो पत्र वहाँ से आये, वे पत्र छपे हुए है उनको मैने देखा उसमे उन्होने बहुत अभिमान के साथ हमसे कहा है कि आपको इसमे कोई गरज़ नही है, आप दूसरे के बहकावे मे आकर एतराज कर रहे है। उल्टे खुद हमारे विदेश विभाग के ऊपर एक चपत मारी कि आप तो दूसरे के बहकावे मे आकर हमको ऐसा लिख रहे है और तिब्बत जो उभरा है वह भी दूसरे देशो के भड़काने से उभर रहा है। आखिर यह जवाब उनका क्या था ? मुझे तो एक गुडापन मालूम हुआ। अपनी सेना के भरोसे जो काम उन्होने किया उसके ऊपर हम चुप हो गये। बहुत से संसार मे गुडे हैं जिनका अस्तित्व हमको स्वीकार करना पड़ता है, सब राज्य ससार के भलमनसी से नही चलते। गुडापन बहुत से राज्यो के भीतर भी रहता है। जैसे नागरिको मे गुडों के रहते भी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है वैसे ही हर प्रकार के राज्यो की स्थिति भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। हर जगह आदमी लड़ नही सकता, सो तो मैं मानता हूँ और इसीलिये मै लडने की बात नही कहता, परन्तु आगे के लिए तिब्बत के भविष्य के लिए हमने चीन को उनका मालिक स्वीकार किया, यह चीज मुझे खटकती है और मै चाहूँगा कि इस विषय को हमारे विदेश मंत्रालय के मत्री जी कुछ और अधिक स्पष्ट करे। मुझे तो वह बात खटकी और एक नैतिक स्तर से हटी हुई मालूम पडी इसीलिये मैने अपनी इस खटक को सामने रख दिया। ●

२१

खाद्य में मिलावट

२३ अगस्त १९५४ को भारतीय लोकसभा मे खाद्य अपमिश्रण विधेयक पर बोलते हुए

अध्यक्ष महोदय ! इस सरकार का ध्यान मिलावट के बडे प्रश्न की ओर गया यह स्वागत करने की बात है। आज यह मानी हुई बात है कि जो वस्तुये हमारे भोजन की है या औषधियो की है उनमे बहुत गहरी मिलावट हो रही है। कर्रा होने को आवश्यकता है। मुलायमियत से काम बहुत नही चलेगा क्योकि इसमे बडे गहरे गहरे मक्कार, जो अपने आर्थिक स्वार्थ के लिये दूसरो को कुछ भी हानि पहुँचा सकते है, लगे हुये हैं।

मुझे बहुत ब्यौरे मे जाना नही है। बहुत से भाइयो ने चर्चा की और लोग जानते है कि किस प्रकार से खाने पीने की वस्तुओ मे और औषधियो के मामले मे आज जाल और फरेब हो रहा है।

घी में साँप की चर्बी

इसमे बहुत धनी लोग भी शामिल है। एक समय की बात है, शायद मेरे भाई श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला को याद हो बहुत वर्ष हुए कलकत्ते मे घी का काम करने वाले लोगों के घरो में बडे साँपो की चर्बी पाई गई थी। कलकत्ते के पास उडीसा है, उडीसा मे बडे बडे अजगर होते है, उन अजगरो के चमड़े की जूतियाँ पहनी जाती है। इन अजगरों की चर्बी को इकट्ठा करके बहुत से व्यापारियो ने घी मे मिलाया था और वे पकडे गये। उनकी बिरादरी, मैने सुना, बहुत प्रतिष्ठित थी, वैश्य कुल के प्रतिष्ठित समाज के लोग इस काम मे शामिल थे। मैने सुना कि उनके ऊपर बिरादरी का कुछ दण्ड हुआ। उधर तो रोकथाम हुई, परन्तु आज दूसरे प्रकार की मिलावट करने की समस्या हमारे सामने है। आज घी मे अजगर की चर्बी मिलाने की शायद बहुत जरूरत नही रह गयी इसलिये कि मिलावट के लिये दूसरी चीजे समाने आ गयी है। वनस्पति पदार्थ इसमे मुख्य है। केन्द्रीय सरकार ने उस वनस्पति पदार्थ को एक ठीक और उचित चीज़ माना है। दूसरी तरफ श्री झुनझुनवाला ससद् के एक सदस्य जो डाक्टर है उनकी यह सम्मति रख रहे है कि वह हानिकारक है और उसके कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे है।

हमारी सरकार ने बडे बड़े व्यापारियो के कथन को और उनके पक्ष

में दिए हुये कुछ वैज्ञानिकों के कथन को मान लिया है। मैं जानता हूँ कि दो एक वैज्ञानिको ने यह मान लिया है और यह कह दिया है कि इसके प्रयोग से कोई हानि नही है। इधर वह वैज्ञानिक है, उन्होने चिकित्सा के काम मे कभी कोई अनुभव भी नही किया है। यहाँ एक चिकित्सक का कथन आपके सामने है और मेरा अनुमान है कि यदि चिकित्सको को अच्छी तरह से इस विषय मे कहने दिया जाय तो आपको यह अनुभव होगा कि यह चीज ठीक नही है। परन्तु चिकित्सको को छोड दीजिये, पैसे मे इतना बल है कि वह चिकित्सको की राय को पलट देता है और वैज्ञानिको की राय को भी पलट देता है। मेरा तो यह सुझाव है कि हमारी मंत्रिणी जी ये जो व्यापारी लोग है, पैसा पैदा करने वाले लोग है इनके नैतिक स्तर का पुराना अनुभव करके इस प्रश्न को देखे और समझे कि आखिर इस व्यापार मे उसी बिरादरी के लोग लगे है जो घी मे अजगर की चर्बी मिला सकती थी। बिरादरी से मेरा मतलब पैसा पैदा करने वाली बिरादरी से है; वह बिरादरी जो पैसा पैदा करने मे नैतिकता को कोई जगह नही देती। वह बिरादरी सभी जगह है, येनकेन प्रकारेण किसी भाति पैसा आ जाय यही उनका ध्येय रहता है। वही बिरादरी आज इस प्रकार की वनस्पति मिलो को चला रही है, वनस्पति बनाने अथवा घी के साथ वनस्पति मिलाने मे उसको क्या बड़ा पाप दिखाई देगा ? दस बीस हजार रुपया देकर इसकी राय ले लेना या उसकी राय ले लेना यह कोई कठिन बात इस समय नही है।

वनस्पति घी में रंग मिले

मै मत्रिणी जी से कहना चाहता हूँ कि आज जो आप देश मे मिलावट को रोकना चाहती है, आपकी इस मनोवृत्ति का स्वागत है, परन्तु आप ऐसा करने के लिये साहस भी तो दिखाये। वह शक्ति अगर आप मे हो तो इसे बन्द कीजिये आपकी गवर्नमेट के लिये यह तो बहुत छोटी चीज है। आपने कानून बनाया, परन्तु अगर आप मे साहस हो तो आप इस मिलावट की वस्तु के बनने को रोकिये। मै उसके लिये आपको गहरी बधाई दूँगा। क्या इसके लिये कुछ और जानकारी की आवश्यकता है कि मिलावट चारों ओर हो रही है और वनस्पति पदार्थ घी में मिलाया जा रहा है, अच्छा घी मिलना ही आज एक समस्या बन गई है। असली घी जनता को सुलभ करने के लिये यह प्रश्न आज से नही करीब पन्द्रह वर्ष से सरकार के सामने रहा है कि कोई ऐसा रग निकाला जाये जो वनस्पति मे मिलाया जाय ताकि दोनो मे भेद हो सके·····

सभापति महोदय : गत २६ वर्षों से।

श्री टंडन : जी। केन्द्रीय शासन सम्बन्धी मेरा अनुभव कम है, आपका अनुभव पुराना है। आपका कथन ठीक है कि यह प्रश्न इतने वर्षो से सरकार के सामने पेश है, इधर थोडा सा जो मेरा अनुभव हुआ उसमे मैने देखा कि इस प्रश्न के ऊपर सरकार टाल-मटोल करती है।

सन् १९५१ मे इस प्रश्न को मैने उठाया। काग्रेस की कार्य समिति के भीतर मैने यह प्रश्न उठाया और तब मुझको यह आश्वासन दिलाया गया कि बहुत शीघ्र इसके लिए यह प्रबन्ध हो जायगा कि वनस्पति मे मिलाने के लिए कोई रग निकल आये और बहुत शीघ्रता के साथ यह चीज़ सामने आ जायगी। प्रश्न टल गया, इस विषय के जो मत्री थे, वे बुलाये गये और उनसे बातचीत हुई और उन्होने भी कहा कि बहुत शीघ्रता से यह चीज की जायगी। काग्रेस वर्किग कमेटी ने अपना इस विषय मे उस समय जो मत प्रकट किया था वह कार्य समिति की सन् ५१ की कार्यवाहियो मे रक्खा हुआ है। कार्य समिति के बाद फिर वह विषय आल इडिया कांग्रेस कमेटी मे उठाया गया। इस भवन के मेरे काग्रेस सहयोगीगण ध्यान दे कि यह विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने जब गया तब उसने अपनी राय दी कि बहुत शीघ्र वनस्पति में रंग मिलना चाहिए जिससे घी मे मिलावट न हो सके परन्तु यदि यह बहुत जल्दी नही हो सके तो उन्होने इस बात पर बहुत बल दिया कि वनस्पति पदार्थ का बनना बन्द किया जाय।

वनस्पति घी का बनना बन्द हो

इसके ऊपर आल इडिया काग्रेस कमेटी ने बल दिया कि जो पदार्थ वनस्पति घी कहलाता है या जिसको अग्रेज़ी में **वेजिटेबल प्रोडक्ट** कहते है उसका बनना बन्द किया जाय। मुझको याद है, काग्रेस के भीतर जो मत्री थे, हमारे प्रधान मत्री तथा दूसरे मत्रिगण ने उस समय इसका विरोध किया था। परन्तु आल इडिया काग्रेस कमेटी के सदस्यो ने उसको स्वीकार किया और अधिक मत से उसको पास किया। यह आप लोगों को याद होगा। हम लोगो ने समझा था कि जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, जो कि मुख्य अधिकारिणी है कांग्रेस नीति की, एक बात तय की है तो अब तो यह गवर्नमेट मानेगी ही। यह सन् १९५१ की बात है। आज सन् १९५४ है। लगभग तीन वर्ष हो गये, न तो वह रग ही आज तक आया है और न उन व्यापारियो के माथे पर इस सन्देह में कि शायद वनस्पति बन्द होगा कोई शिकन आई है।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग—पश्चिम) : और न आयेगी।

श्री टंडन : कहीं कोई चर्चा इस पदार्थ के बन्द करने की नही है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : शिकन मिनिस्टरों के चेहरे पर आ गई है ।

श्री टंडन : हमारे यहाँ बराबर विज्ञान की शालाये खुलती चली जा रही है वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये । हमारे देश मे रासायनिक प्रयोग बहुत हुए है और बराबर बढ रहे है, गहरे विषयो पर । परन्तु आश्चर्य होता है कि इस छोटी सी बात के लिए कि कोई रंग मिल सके कोई प्रयोग सफल नही हुआ । कलकत्ते मे हमारे गाधी जी के भक्तो में से एक है, उन्होने एक रग सामने रखा भी और जान पड़ता था कि वह कुछ काम करेगा । सम्भव है कि उसमे कुछ त्रुटि रही हो, परन्तु वह सरकार के देखने की बात थी । फिर भी उस रग को गवर्नमेट ने नही चलाया । उन साहब ने · · ·

सभापति महोदय : श्री सतीश चन्द्र दास ।

श्री टंडन : श्री सतीश बाबू ने तो रग सामने रखा । लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है गवर्नमेट ने, यह कह कर कि यह ठहरता नही है, उस को स्वीकार नही किया । यदि आपके पास कोई अच्छी वस्तु नही क्योकि चारो ओर जो आपके इतने वैज्ञानिक है वह कोई रग नही निकाल सके तो आप कम से कम इसका प्रयोग तो करके देखते ताकि सब की समझ मे आता कि आप मे सचाई है । नही तो ऐसा मालूम होता है, मेरे हृदय पर यह भावना है, कि यह बात टाली जाती है और उसके बारे मे आप मे सत्यपक्ष की भावना नही है, यह भावना नही है कि हम इस मिलावट के क्रम को बन्द करे ।

श्री गिडवानी (थाना) : सत्य भावना न होने का कारण ?

श्री टंडन : उसमे मुझे जाना नही है । कारण सम्भवत यह है, मंत्रियो के दिल मे एक बात धसी हुई है कि यह चीज शुद्ध है, इससे कुछ हानि होने वाली नही है । मै इस भावना को स्वीकार नही करूँगा जिसकी ओर माननीय सदस्य का शायद सकेत है कि उसमे कोई बडे बडे कैपिटलिस्टो का पैसा काम कर रहा है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : वह भी हो सकता है ।

श्री टण्डन : प्रभाव तो काम कर सकता है परन्तु यह मेरी भावना है कि उनके मन मे ऐसा विश्वास है कि इससे हानि नही है और इसलिये उन्होने इसको महत्व नही दिया है । मै इसको अनुचित मानता हूँ । यह चीज ठीक नही है । इसके लिये थोडे साहस की आवश्यकता है । मै जानता हूँ कि बड़े बडे व्यापारी लोग इस काम के विरोध मे है कि उनके व्यापार में कुछ भी रोकथाम हो । इस व्यापार से स्वास्थ्य पर क्या असर पडता है यह उनके लिए गौण बात है । उनके लिये पैसा ही मुख्य है, स्वास्थ्य गौण है ।

जो कार्य है उसमें विष उत्पन्न होता है, इसको आप न होने दे। इतना करना कोई कठिन बात नही है। कुछ भाई कहते है कि वनस्पति मे घी की शक्ल आती है तो इसमे क्या हर्ज है? यह घी की शक्ल देना भी तो एक छल है। इस कपट जाल को आप रोके। और इस प्रकार से देश का नैतिक उत्थान करके देश के स्वास्थ्य की रक्षा करे।

२२

हरिजनों में परिवर्तन

३० अगस्त १९५४ को भारतीय लोकसभा मे अस्पृश्यता विधेयक पर बोलते हुए

सभापति जी ! इस विधेयक का मै हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसमें अस्पृश्यता को दूर करने के लिये बहुत से रास्ते बताये गये हैं। हमारे सहयोगियो ने अभी उस दिन और आज कई रास्ते सुझाये है। विशेषकर इस बात पर बल दिया है कि इस अधिनियम के स्वीकृत होने के बाद इसकी स्वीकार हुई बातो पर दैनिक जीवन मे काम करने पर ध्यान दिया जाय। यह बात मुख्य है। सुनने में तो यह बात साधारण है, परन्तु इसकी आवश्यकता है।

हरिजनों के लिए स्वच्छ घर

हरिजनो को देहातों मे जो असुविधाये है वह हम में से बहुत लोग जानते है। नगरों मे उनको जो असुविधायें है, घर की, कुओ की, वे हमारे सामने आती ही रहती है। मै तो चाहता हूँ कि नगरो में और देहातो में भी हरिजनो के घरो पर विशेष ध्यान दिया जाय। उनको घर बनाने की सुविधा दी जाय। मैने पहले किसी दूसरे सबध मे इस बात पर बल दिया है कि हमारे समाज का रूप, विशेषकर देहाती समाज का रूप बदलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के हमारे गदे गाँव है वह आज बदलने की आवश्यकता है। सवर्णो के गाँवो मे भी लोगो के घर गदे और एक दूसरे से सटे हुए बने है। यह हमारे गाँव तो बिल्कुल समाप्त कर देने के योग्य है। हम हर घर को अलग अलग रखे। मैने सुना है कि जहाँ आज इस विषय पर ध्यान दिया गया है वहाँ दीवार से दीवार मिलाकर घर नही बनाये जाते है। अभी हमारे एक मित्र रूस से होकर आये है। उन्होने बताया की वहाँ ग्रामो मे घर सटे हुए नही बनाये जाते है। यह बात हमे अच्छी लगी। वहाँ गाँव इस तरह के है ही नही जैसे हमारे देश मे है। वहाँ हर घर के साथ भूमि लगी हुई है। इसका कुछ नमूना हम अपने यहाँ उस राज्य मे देखते है जिसे तिरुवाकुर कोचीन कहते है। उसका नमूना तिरुवाकुर से लेकर कन्याकुमारी तक चला गया है। वह एक लम्बा फैला हुआ बाग सा दिखाई देता है। हरियाली और सौन्दर्य बराबर गाँवो के साथ मिले हुए दिखायी देते है।

डा० काटजू : ऐसा ही बंगाल में भी है।

श्री टंडन : मुझको यह निवेदन करना है कि हमारे गाँव वाटिका गाँव के रूप मे बने। हो सकता है कि ऐसा करने मे कुछ देर लगे। लेकिन कम से कम हरिजनो के लिए छोटे छोटे भूमि के टुकड़े दिए जाये। आज यह हो सकता है। कठिन कुछ नही है, अगर यह हमारे होम मिनिस्टर के दिमाग में आ जाय।

डा० काटजू : मुझ से इसका क्या वास्ता है ?

श्री टंडन : यह बिल आप लाये है इसलिए मेरा निवेदन हैं कि केवल इस बिल को पास करके आप सतोष न कर ले, कुछ दौड धूप करे, कुछ इस बात के लिए चिन्ता करे। गवर्नमेंट कुछ नमूने के गाँव बना दे। बतावे कि हमने दो सौ हरिजनो को कैसी सुन्दर बस्ती बना दी है। एक एक घर मे आप भूमि दे। मै तो कहता हूँ कि लगभग आधा एकड भूमि दें, लेकिन अगर आप आधा एकड़ नहो दे सकते है तो चौथाई एकड़ दें उनको घर बनाने मे आप कुछ मदद करे। ज्यादा नही दे सकते है तो थोडा बहुत रुपया दे, बाकी वह खुद मेहनत कर लेगे। लेकिन सौ दो सौ इस तरह के हरिजनो के घर आप बना दे। इससे कोई यह समस्या हल नही हो जायगी लेकिन इससे दूसरो को प्रेरणा होगी और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार एक तो मेरा यह सुझाव है कि आप इनके लिए अच्छे घर बनावे। इस से तीन चौथाई अछूतपन दूर हो जायगा।

गन्दे काम के लिये जाति न बने

दूसरा सुझाव भी है। यों तो बहुत सी छोटी छोटी बाते है पर मैं उनमे नही जाना चाहता। और लोगो ने उनको कहा है और वह इस विधेयक मे भी है, जैसे कुओ से पानी भरने का मौका देना आदि। इन सब का आज भी लोगों को गॉवो मे दुख है। जहॉ अलग अलग कुएँ नहीं है वहॉ यह कष्ट है। आज कुछ सुविधाये बढ गयी है। लेकिन एक बडी समस्या है जो मनुष्य की प्रकृति से सम्बन्ध रखती है। वह यह है कि हमारे देश मे जो गन्दे से गन्दे काम हैं वे आपने एक जाति के सुपुर्द कर रखे है। जितना गन्दा काम है पशु मारने का डोम के सुपुर्द है और मल-मूत्र साफ करने का कुल काम भगी के सुपुर्द है। यह एक जाति है जो इस गन्दे काम को करती है। अगर अभी एक भगी चारों तरफ से बम्पुलिस साफ करके आपके पास आ बैठता है तो तुरन्त आपके मन मे एक हिचक होगी। यह स्वाभाविक बात है। आपने इस काम को करने वालो की एक जाति बना दी है। मेरा निवेदन है कि यह जो आपका सामाजिक ढॉचा है इसको बदलने की आवश्यकता है। इसके ऊपर तो गहरे ध्यान देने की

जरूरत है। इस विषय में इस बिल से कुछ नही बनने वाला है। जीवन का ऐसा क्रम होना चाहिए कि आपको इतने लोगों को हरिजन बनाने की आवश्यकता न पडे। आज तो आपने इनको काम से हरिजन बना रखा है। जहाँ म्युनिसिपैलिटी है वहाँ आप देखिये। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को देखिये, नयी दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को देखिये, इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी, लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को देखिये। अगर यह किया जाय कि हरिजनों मे जो भगी जाति है वह अपना काम बन्द कर दे तो आपकी सभ्यता निर्मूल हो जायगी।

गन्देपन को सहन न कीजिए

आपका तो नगर का नगर गंदा पड़ा रह जायगा। आपकी सभ्यता यह जितना बाहर आप बनाये हुए है रगा चुगापन यह सब समाप्त हो जायगा अगर आज भगी यह तय कर ले कि हम तो पाखाना उठाने का काम नही करेगे। मै भगियो को सलाह देता हूँ, यहाँ जो हमारे भाई बैठे हुए हैं और जो अछूत या हरिजन कहलाते है, "हरिजन" पहले से अच्छा नाम है, मै उनको यह सलाह देता हूँ कि हरिजनत्व या अछूतपन का नाश तभी होगा जब भीतर से आपके हृदय मे निश्चय होगा, एक कठोर निश्चय होगा कि हम इस नीचपन को बर्दाश्त नही करेगे। इसकी आवश्यकता है। हम सवर्णों को तो सलाह देते ही हैं, मेरी आपको सलाह है कि आप स्वय अपने को ऊचा करें और गन्दी आदते छोड़े। शराब पीना वगैरह, बहुत ऐसी गन्दी आदतें बना रक्खी है जिनसे आप नीचे गिरते है। यह जो जूठा उच्छिष्ट भोजन बचता है; बडे बडे नगरों मे भोज होते है, न्यौते और दावतें होती है और खाने के बाद जो कुछ पत्तलो मे पड़ा हुआ रहता है, उसको भगी लोग बीन बीन कर ले जाते है। मै उनको उच्छिष्ट पदार्थ के ग्रहण करने से रोकता रहा हूँ लेकिन मै देखता हूँ कि हमारे हरिजन भाइयो की उसको खाने की आदत पडी हुई है। हमारे भाई क्या राजस्थान के क्या उत्तर प्रदेश के यह दृश्य देखा करते है, इसको बन्द करने की आवश्यकता है। हम सवर्णो को सलाह देते है कि उनको ऊँचा उठायें, लेकिन उन्हे आपस मे ही गहरा यत्न करना चाहिये कि वह उस उच्छिष्ट भोजन को, फेके हुए भोजन को नही छुएगे—यह प्रवृत्ति उनको नीचे गिराती है।

भंगी का काम समाप्त हो

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह चाहूँगा कि वह पाखाना उठाने का काम बन्द कर दे, यह पेशा खत्म हो। है कठिन बात, लेकिन यह होना

चाहिये और मेरे लिये तो यह समाज का आदर्श है, मैं चाहूँगा कि मेरा पाखाना कोई दूसरा आदमी न उठावे। मै खुद उसको उठाऊँगा, यह भावना हमारे सवर्ण भाइयो मे हो और हमारे हरिजन भाई तय कर ले कि हम इस पेशे को नही करेगे। सेवा भाव से करना और बात है लेकिन हम पेशा इस बात का नही करेगे कि हम दूसरो का पाखाना उठाये और दूसरे जो सवर्ण कहलाने वाले लोग है वह यह दावा करे कि हमारा पाखाना भगी आये तो साफ हो। हमारा घर वह साफ करे, और अगर इकार करते है तो उसको पकड पकड कर हम जेलखाने भेजे, यह क्रम बिल्कुल नामुनासिब है और बद होना चाहिये। इसके लिए साहस चाहिये। मै चाहता हूँ कि हरिजन खुद उठे और वह इस स्थिति के विरुद्ध बलवा करे कि एक जाति की जाति पाखाना साफ करने वालो की बना दी गई है। वह समाज का पाखाना साफ करने से इकार करे और कहे कि हम ऐसा नही करेगे, अपना अपना पाखाना साफ करो और अपने घरो को साफ करो। तब हमे घरो को आवश्यकता के अनुसार बनाना पड़ेगा और मेरा जो घर का आदर्श है तब वह आ जायगा। आज गदे घर, गदे गॉव भरे पडे है।

नए ढंग का समाज

बम्बई और कलकत्ते जैसे गंदे शहर देखता हूँ तो मुझे सख्त हैरत और घबराहट होती है और एक नफरत होती है। वहाँ जो मै दो-महले और आठ-आठ महले मकानो को देखता हूँ तो तबियत घबडा उठती है कि क्या यह आदमियो के रहने के घर है! वहाँ घर इसलिए बन पाते है कि या तो वहाँ आज पानी से पाखाना खीच खीच कर समुद्र मे फैकने का ढग चलाया गया है, पखाना जमीदोज करके नीचे नीचे खीच लिया जाता है, या भगी लोग आकर पाखाना साफ करते है। प्राय यह दोनो तरीके साथ साथ ही चलते है। आज बडे बडे नगरो मे यह हो रहा है। इसलिए गंदगी है और स्वास्थ्य की हानि है। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल एक नये ढग से समाज बनाना चाहिये, हमें हरिजनो की जरूरत नही है। हमारा मल मूत्र वही कच्ची भूमि मे चला जाय, भूमि मे मल मूत्र जाना प्राकृतिक है और स्वाभाविक है और उससे उत्तम खाद उत्पन्न होती है। हमने अपने रहने सहने का ढग गलत कर दिया है। अगर हरिजन लोग तैयार हो कि हम गदा काम नही करेगे तो उनका लाभ है, क्योंकि हरिजनत्व और छूआछूत तभी समाप्त होगा, और उनके द्वारा हमारे उच्च वर्णों को भी बुद्धि आयेगी और ज्यादा सफाई के साथ वे रह सकेंगे। अपने हाथ से जब वह स्वय अपना गदा काम करेगे तो बिल्कुल सारे

समाज की हालत बदल जायगी और घर बनाने की सूरत बदल जायगी और घर दूसरी तरह से बनेगा, बिना ऐसी भूमि के जहाँ मल मूत्र गाड़ा जा सके कोई घर तब नही बनेगा। इस समस्या का स्थायी हल मै केवल इस विधेयक के इन चंद पन्नो मे नही देखता। इन चार, पाँच पन्नो में अछूतपन के दूर करने का स्थायी रास्ता नही है। स्थायी रास्ता यह है कि जो सबसे छोटा और गदा काम है जिसके कारण मनुष्य अछूत बन जाता है यानी मल मूत्र साफ करना और पशुओं की लाश ढोना, यह सेवा की भावना से हो तो उचित है, लेकिन पैसे का लोभ देकर किसी एक जाति से यह काम कराना अनुचित है। इसमें समाज के परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमे गवर्नमेट बहुत कुछ कर सकती है। हरिजनो के दृढ होने की बात है, हम लोगो को अपना रहन-सहन बदलने की बात है और गवर्नमेट की ओर से मार्ग प्रदर्शन होने की बात है।

ओछा बनियापन अनुचित

२१ सितम्बर १९५४ को भारतीय लोक सभा में पुनर्वास विधेयक पर बोलते हुए

सभापति जी ! पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी बगाल से जो लोग आये है, जो लोग वहाँ से भाग आये है, उनके बारे मे जब भी किसी विचारवान पुरुष के हृदय मे ध्यान आता है तो उसका हृदय भर आता है। उनकी कठिनाइयाँ, उनकी मुसीबते, उन्होने जो कुछ सहा उसको याद कर आज भी दु ख होता है।

विभाजन--बुद्धिहीनता

पाकिस्तान का जन्म ही घृणा और दूसरो को दु ख पहुँचाने की इच्छा के बीच हुआ था। वहाँ से किस प्रकार से लोग भगाये गये, यह अब इतिहास का विषय है। मै जानता हूँ कि हमारे देश से जो लोग भाग गये उनको भी बहुत कष्ट दिया गया। सच बात तो यह है कि यह पाकिस्तान की पैदाइश ही मुसीबत देने वाली हुई। मैं तो आरम्भ से ही इस प्रकार देश के विभाजन के विरुद्ध था, परन्तु यह विभाजन हुआ। मै तो आज भी समझता हूँ, और जो समझता हूँ उसको छिपाता भी नही हूँ, कि यह कुछ बुद्धिमानी की बात नही हुई थी। परन्तु जो कुछ भी हमारे नेताओ ने किया, उसका कुल खमियाजा क्या केवल शरणार्थी लोगो को ही बर्दाश्त करना है ? जो कुछ हुआ, जो भूल हुई, या ईश्वर की लीला मे ठीक हुआ, जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ कि राजनीतिक कारणो से प्रेरित होकर हम लोगो ने यह उचित समझा कि देश का विभाजन मान ले। यह भी उचित समझा गया कि फौजो का भी विभाजन हो जाय। मुसलमान फौज वहाँ पहुँच जाय और हिन्दू फौज यहाँ चली आवे, यह भी हमने बुद्धिमानी बरती, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनो तरफ मारकाट हुई। करोडो, अरबों की सम्पत्ति हमारे भाई वहाँ छोड आये। मेरा निवेदन है कि इन सब बातो को भुला देना उचित नही है। आज जो बात हमारे सामने है वह रुपये पैसे की है। जो कष्ट उन लोगो ने सहे हैं उनका मूल्य पैसो मे नही दिया सकता है। हमारा कृतज्ञ देश जो भाई चले आये हैं, विस्थापित हुए हैं, उनको और उनकी मुसीबतो को याद रक्खेगा।

सरकार का ओछा बनियापन

परन्तु यह जो छोटी सी कथा आने, पाई की, रुपये पैसे की छिडी है उसमे सरकार की ओर से इतना छोटा और ओछा बनियापन मुझे अच्छा नही लगता। हमारे मत्री जी है तो बनिया, हिसाब किताब मे चतुर है, परन्तु हिसाब किताब की चतुराई सदा इसी में नही होती कि रुपये देने में काट-कपट की जाय। हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई नही है। उदारता के साथ हिसाब निबाहना ऊँची बनियाई है। आज कुछ उदारता की आवश्यकता है। गवर्नमेट के पास शक्ति भी है। अरबों रुपया वह देश के कामो पर खर्च कर रही है। यह भी तो गहरा देश का काम है। जो लोग आये हुए है वे आज मुसीबतो से छूट गये हैं, यह बात तो नही है, उनकी बुरी दशा आज, इस समय, भी है। अपनी आँखों से मैने उन भाइयो की दशा को देखा है। देखा है कि ५०, ६० फीट लम्बे और लगभग ३५ फीट चौडे कमरे के भीतर ८०, ९० प्राणी रोज़ रह रहे है।

यह दशा इनकी है। किसी तरह से इन्होने गुजारा किया। अब उनको जब मुआवजा देने का प्रश्न सामने है तो हम यह कहे कि बस जो यहाँ से भाग गये है उनकी जितनी सम्पत्ति है, और उसका अन्दाजा लगाया गया है कि वह एक सौ करोड के लगभग हैं, वह तुम्हे मिलेगी और गवर्नमेट ने जो कुछ रुपया, ८० करोड के लगभग, लगाया है वह मिलेगा, और कुछ नही मिलेगा। यह मुझको उचित नही लगता।

पाकिस्तान की ओर कोमलता

पाकिस्तान की चर्चा करना ही व्यर्थ है। वहाँ से कुछ आने का नही है। यह तो तभी हो सकता है जब उनकी नाक दबा कर आप निकाले। नाक दबाकर तो निकाला जा सकता है किन्तु आप नाक दबाने वाले नही हैं। यह आपकी प्रवृत्ति है।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : ताकत नही है।

श्री टंडन : ताकत की बात नही है। वह आपकी कोमलता है। आप पाकिस्तान की ओर बरताव करने मे कोमल रहे है। कोमलता बहुत जगहो पर ठीक होती है, परन्तु बहुत जगहो पर दुर्बलता का चिह्न होती है। भीष्म पितामह का एक वाक्य राजनीतिज्ञो को याद रखना चाहिये। जब वह शरशय्या पर पडे थे और राजा लोग भीड लगाकर उनके चारों ओर बैठे थे तब उन्होने बहुत से उपदेश दिये जो महाभारत के शांति पर्व मे वर्णित है। उनका वाक्य था कि जो शासन कर्ता अच्छे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और जो दुष्टो के साथ कठोर बरताव नहीं कर सकता वे दोनों नर्कगामी होते हैं। यह जिस प्रकार से पाकिस्तान बना और जो काम उन्होंने किया

२३

ओछा बनियापन अनुचित

२१ सितम्बर १९५४ को भारतीय लोक सभा में पुनर्वास विधेयक पर बोलते हुए

सभापति जी ! पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल से जो लोग आये है, जो लोग वहाँ से भाग आये है, उनके बारे मे जब भी किसी विचारवान पुरुष के हृदय मे ध्यान आता है तो उसका हृदय भर आता है। उनकी कठिनाइयाँ, उनकी मुसीबते, उन्होने जो कुछ सहा उसको याद कर आज भी दु ख होता है।

विभाजन—बुद्धिहीनता

पाकिस्तान का जन्म ही घृणा और दूसरो को दु ख पहुँचाने की इच्छा के बीच हुआ था। वहाँ से किस प्रकार से लोग भगाये गये, यह अब इतिहास का विषय है। मै जानता हूँ कि हमारे देश से जो लोग भाग गये उनको भी बहुत कष्ट दिया गया। सच बात तो यह है कि यह पाकिस्तान की पैदाइश ही मुसीबत देने वाली हुई। मै तो आरम्भ से ही इस प्रकार देश के विभाजन के विरुद्ध था, परन्तु यह विभाजन हुआ। मै तो आज भी समझता हूँ, और जो समझता हूँ उसको छिपाता भी नही हूँ, कि यह कुछ बुद्धिमानी की बात नही हुई थी। परन्तु जो कुछ भी हमारे नेताओ ने किया, उसका कुल खमियाजा क्या केवल शरणार्थी लोगो को ही बर्दाश्त करना है ? जो कुछ हुआ, जो भूल हुई, या ईश्वर की लीला मे ठीक हुआ, जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ कि राजनीतिक कारणो से प्रेरित होकर हम लोगो ने यह उचित समझा कि देश का विभाजन मान ले। यह भी उचित समझा गया कि फौजो का भी विभाजन हो जाय। मुसलमान फौज वहाँ पहुँच जाय और हिन्दू फौज यहाँ चली आवे, यह भी हमने बुद्धिमानी बरती, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनो तरफ मारकाट हुई। करोडो, अरबो की सम्पत्ति हमारे भाई वहाँ छोड आये। मेरा निवेदन है कि इन सब बातो को भुला देना उचित नही है। आज जो बात हमारे सामने है वह रुपये पैसे की है। जो कष्ट उन लोगो ने सहे है उनका मूल्य पैसो मे नही दिया सकता है। हमारा कृतज्ञ देश जो भाई चले आये हैं, विस्थापित हुए हैं, उनको और उनकी मुसीबतों को याद रक्खेगा।

सरकार का ओछा बनियापन

परन्तु यह जो छोटी सी कथा आने, पाई की, रुपये पैसे की छिडी है उसमे सरकार की ओर से इतना छोटा और ओछा बनियापन मुझे अच्छा नही लगता। हमारे मत्री जी है तो बनिया, हिसाब किताब मे चतुर है, परन्तु हिसाब किताब की चतुराई सदा इसी मे नही होती कि रुपये देने में काट-कपट की जाय। हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई नही है। उदारता के साथ हिसाब निबाहना ऊँची बनियाई है। आज कुछ उदारता की आवश्यकता है। गवर्नमेट के पास शक्ति भी है। अरबो रुपया वह देश के कामो पर खर्च कर रही है। यह भी तो गहरा देश का काम है। जो लोग आये हुए है वे आज मुसीबतो से छूट गये हैं, यह बात तो नही है, उनकी बुरी दशा आज, इस समय, भी है। अपनी आँखो से मैने उन भाइयो की दशा को देखा है। देखा है कि ५०, ६० फीट लम्बे और लगभग ३५ फीट चौडे कमरे के भीतर ८०, ९० प्राणी रोज़ रह रहे है।

यह दशा इनकी है। किसी तरह से इन्होने गुजारा किया। अब उनको जब मुआवजा देने का प्रश्न सामने है तो हम यह कहे कि बस जो यहाँ से भाग गये है उनकी जितनी सम्पत्ति है, और उसका अन्दाजा लगाया गया है कि वह एक सौ करोड के लगभग है, वह तुम्हे मिलेगी और गवर्नमेट ने जो कुछ रुपया, ८० करोड के लगभग, लगाया है वह मिलेगा, और कुछ नही मिलेगा। यह मुझको उचित नही लगता।

पाकिस्तान की ओर कोमलता

पाकिस्तान की चर्चा करना ही व्यर्थ है। वहाँ से कुछ आने का नही है। यह तो तभी हो सकता है जब उनकी नाक दबा कर आप निकालें। नाक दबाकर तो निकाला जा सकता है किन्तु आप नाक दबाने वाले नही हैं। यह आपकी प्रवृत्ति है।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : ताकत नही है।

श्री टंडन : ताक़त की बात नही है। वह आपकी कोमलता है। आप पाकिस्तान की ओर बरताव करने मे कोमल रहे है। कोमलता बहुत जगहो पर ठीक होती है, परन्तु बहुत जगहो पर दुर्बलता का चिह्न होती है। भीष्म पितामह का एक वाक्य राजनीतिज्ञो को याद रखना चाहिये। जब वह शरशय्या पर पड़े थे और राजा लोग भीड़ लगाकर उनके चारों ओर बैठे थे तब उन्होने बहुत से उपदेश दिये जो महाभारत के शांति पर्व मे वर्णित है। उनका वाक्य था कि जो शासन कर्ता अच्छे लोगों की रक्षा नही कर सकता और जो दुष्टो के साथ कठोर बरताव नही कर सकता वे दोनों नर्कगामी होते हैं। यह जिस प्रकार से पाकिस्तान बना और जो काम उन्होंने किया

उसको देखते हुए उनके प्रति इतनी कोमलता उचित नही है । इस कथन मे मैं यह सुझाव नही दे रहा हूँ कि उनके साथ लड़ाई करो ।

विस्थापितों के लिए सम्पत्ति-कर

हमारे यहाँ से जो मुसलमान गये उन्होने भी बड़ा कष्ट उठाया । इस में सदेह नही । मेरा हृदय व्यथा से भर जाता है जब मै उन कष्टो को सोचता हूँ जो उनको पजाब मे उठाने पडे । परन्तु जो पाकिस्तान से भाग भाग कर आज हमारे यहाँ आये है उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए । हमको उनके साथ दया का बर्ताव करना चाहिए । जो यहाँ से चले गये है उनके प्रति पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह उनके साथ दया का बर्ताव करे । परन्तु इस समय तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि जो भाग भाग कर यहाँ आये है उनकी हम रक्षा करें । आप कहते है कि हमने उनके लिए ८० करोड़ रुपया लगा दिया और अब आप कहते है कि बस अधिक नही । मै पूछता हूँ कि क्या यह ८० करोड उनकी मुसीबतो का, उनके कष्टो का मूल्य है ? मुझे तो यह देखकर लज्जा होती है ।

बरसो हुए आरम्भ मे जब यह सवाल उठा था तब मैने नम्रतापूर्वक एक सुझाव दिया था और मुझे आशा थी कि शायद वह सुझाव विचार के बाद मजूर कर लिया जायेगा । मैने निवेदन किया था कि हमारे देश मे जो भी सम्पत्ति है उसका एक छोटा सा अश ले लिया जाय । बहुत छोटो को हम छोड सकते थे लेकिन अधिकाश सपत्ति का एक अश ले लिया जाय यह मेरा सुझाव था । मै चाहता था कि वह धन इन विस्थापितों मे बॉट दिया जाय । अगर ऐसा किया जाता तो अच्छी सूरत दिखाई पडती परन्तु गवर्नमेट ने वह नही किया । अब वह ८० करोड के ऊपर सौदा करना चाहती है । अस्सी या ८५ करोड़ क्या चीज है ? अदाजा लगाया गया है कि ये विस्थापित वहाँ नगरो मे पॉच अरब ५० करोड़ की सपत्ति छोड़ कर आये है । मैने उस समय कुछ अदाजा किया था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव . यह अन्दाजा सिर्फ शहरी जायदाद का है ।

श्री टंडन : आपने कहा कि यह सिर्फ शहरी जायदाद का अन्दाजा है । मैंने उस समय कुछ अनुमान कुल जायदाद का किया था । मेरा अनुमान था कि ये लोग जो जायदाद छोड़ कर आये है वह २० अरब की है । आज अचल सम्पत्ति की बात है । जो चल सम्पत्ति थी, जो मनक़ूला जायदाद थी, वह भी सैकड़ों करोड़ो रुपये की थी । प्रवर समिति ने उनका मूल्य अचल सम्पत्ति से भी अधिक बताया है ।

सरदार हुक्मसिह : बीस अरब गवर्नमेट का अपना अन्दाज़ा था ।

श्री टंडन : उस समय हम लोग विचार के लिये जब बैठे थे तब हमने

अनुमान किया था कि ये लोग करीब बीस अरब की जायदाद छोड आये है। अब जब आप मुआवजा देने बैठे है तो क्या आप इस सबको भुला देंगे ? मेरा निवेदन है कि जिस कोष मे से आप मुआवजा देना चाहते है, जिसको आप कम्पेन्सेशन पूल कहते है, यह बहुत ही कम है। इसमे अच्छी मात्रा मे बढावा होना चाहिये। कुछ भाइयो ने सुझाव दिया है कि यह ढाई सौ करोड कर दिया जाय। इसमे क्या धरा हुआ है ? मै तो कहता हूँ कि गवर्नमेट चार सौ या पाँच सौ करोड रुपया दे।

मै यह गम्भीरता से कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को गहरी दृष्टि से सोचना चाहिये। आज भी इसके लिये देर नही है। इसके लिए वह विशेष टैक्स लगा सकती है। उस टैक्स को वह किसी और काम में न लगाये और कहे कि केवल इसी काम मे लगायेगी। मेरा हृदय कहता है कि हमारा देश उदारता के साथ उस टैक्स को दे देगा। इतना कमीनापन हमारा देश नही दिखायेगा कि जो पैसा हमारे विस्थापित भाइयो के लिए माँगा जाय उसको वह न दे और उसमे कमी करे। मेरा तो यह सुझाव है कि आज भी गवर्नमेट गहरी दृष्टि से सोचे। जल्दबाजी न करे।

इसका यह मतलब नही कि उनको प्रतिकर देने मे रोक करे। शायद यह कहा गया है कि हम तीन वर्ष मे अदा करेंगे। यह बहुत लम्बा समय है। देर हो चुकी है। आप उनको देना शुरू करे। इस प्रकार दे कि छोटों को जहाँ तक जल्दी हो सके देकर ख़तम कर दे। बडो को रोके। परन्तु जो आमदनो का रास्ता है उसको बिलकुल बन्द न कर दे। मै समझता हूँ कि गवर्नमेट बहुत बडी गलती करेगी अगर वह मई के प्रतिकर कोष मे देश से जाने वालो की सम्पत्ति **इवैक्वी प्रापर्टी** का आना बन्द करदे। मै समझता हूँ कि यह उन लोगो के साथ अन्याय होगा जो पजाब से भाग कर यहाँ आये हैं। इसका यह मतलब नही है कि जो मुसलमान हमारे देश में रहते है उनको पीडा पहुँचाई जाय। तनिक भी नही। उनको कष्ट हो तो उनकी सहायता दी जाय। मै तो सदा इस बात का पक्षपाती रहा हूँ। परन्तु मै नही चाहता कि इस प्रकार से उन लोगो को सहारा दिया जाय जो इस इरादे मे बैठे है कि अवसर मिलते ही अपनी जायदाद बेच-बेच कर पाकिस्तान भाग जायँ। कुछ लोग आज भी वहाँ रुपये भेजते हैं। उनका कुटुम्ब वहाँ है और उन्होने एक दो आदमी यहाँ छोड़ रखे है कि उनकी जायदाद देखते रहे। पाकिस्तान से तो हिंदू भगाये गये। यहाँ हम लोगो ने पाकिस्तान का दिखाया रास्ता नही पकडा। और हमने ऊँचे स्तर से काम किया और मुसलमानो की रक्षा की। यह सदा हमारे लिये गौरव की बात रहेगी। परन्तु इसका यह अर्थ नही कि जो इस इरादे मे बैठे हुए हैं कि हम अपनी जायदाद बेचकर पाकिस्तान जायें उनको हम सहारा दे।

श्री पी० एन० राजभोज : जो अछूत लोग वहाँ से आना चाहते हैं उनको आने नही दिया जाता ।

श्री टंडन : वह तो दूसरा विषय है ।

मेरा निवेदन यह है कि आप इस बात पर विचार करे कि जल्दी से जो आप का प्रतिकर कोष है उसको बद कर देना बुद्धिमानी नही है ।

एक दूसरी बात जो अभी चली कि जो लोग मकानो मे रह रहे हैं उनके मकानो का नीलाम किया जायगा उस पर भी कुछ निवेदन करुँगा । जो मकान किसी शरणार्थी को दिया गया है उसको नीलाम करके अधिक से अधिक रुपया लेना यह मेरा निवेदन है अनुचित होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मिनिस्ट्री यह नही चाहती कि जिनके मकान पाँच या दस हजार के है उनको निकाला जाय ।

श्री टंडन : मेरा कहना है कि जो लोग बसे हुये है, अथवा किन्हीं मकानो और दुकानो मे रह रहे है उन्ही रहने वालो को उस जगह का ठीक मूल्य का अदाजा लगाकर उस मूल्य पर देने का प्रयत्न सरकार की ओर से किया जाना चाहिये । सरकार की ओर से सौदेबाजी और बनियेपन की प्रवृत्ति दिखाना अवाछनीय होगा ।

अभी मेरे एक भाई यह कह रहे थे कि पाकिस्तान मे बहुत से ऐसे लोग है जो वहाँ से यहाँ पर आना चाहते है लेकिन वह आने नही पाते । मैं उनसे कहूँगा कि यह आज का विषय नही है । लेकिन उन्होने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के मुकाबले की कुछ बात कही; तो क्या जिस प्रकार से यहाँ पर मुसलमान और दूसरी दूसरी अल्पसख्यक जातियाँ रक्खी जा रही है, उसकी कोई समानता हम पाकिस्तान मे देखने जायेंगे ? समानता हमे पाकिस्तान से नही करनी है । पाकिस्तान तो दूसरे ही ढग से बना है और दूसरे ही ढग से सारी बाते सोचता है · · ·

श्री नन्द लाल शर्मा : टडन जी, मुझे क्षमा करे, उनको प्रतिकर की आवश्यकता होगी । अब जो यहाँ आये है उनको कहाँ से देगे, उनको कुछ नही मिल रहा है, उनके **क्लेम्स ऐटरटेन** नही हो रहे है ।

श्री टंडन : ठीक हैं, जो बाद मे आये है उनको प्रतिकर की आवश्यकता होगी, इसलिए उचित यह होगा कि उनके लिए मार्ग खुला रहे । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वह खुला रहे और मई से जो नई सम्पत्ति आने की मियाद को समाप्त करने का विचार है उसको समाप्त न किया जाय । यहाँ से जो लोग भाग भाग कर जाने वाले है, उनकी सम्पत्ति से ऐसा मालूम होता है प्रतिकर कोष अभी कुछ वृद्धि करेगा । यह मामला ऐसा नही है कि हम सोचे कि एक, दो वर्ष मे हम समाप्त कर देगे । मैंने तो पहले भी कहा था और आज भी मेरे हृदय मे यह बात

क़ायम है कि इसके लिए अब भी सरकार कोई विशेष टैक्स लगा सकती है और टैक्स लगा कर हम इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकते है। गवर्नमेंट विस्थापितो के सहायतार्थ काम तो करती है लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कुछ जगहो पर सरकार ने अपनी आँखो मे पट्टी भी बाँध ली कि उनकी मुसीबते दिखाई न पडे। हम लोग मुसीबते देख सकते थे लेकिन सरकारी आदमियो ने मुसीबते नही देखी। यह नही होना चाहिये। हमे घुस घुस कर पता लगाना चाहिये कि इन सब लोगो को ठीक स्थान मिल गया कि नही और सब लोग ठीक से अपने कारोबार मे लग गये है कि नही। यह देखना हमारा कर्त्तव्य है।

संस्थाओं को प्रतिकर दिया जाय

एक बात प्रवर समिति की रिपोर्ट मे है और इस विधेयक मे भी है कि जो बडे बडे ट्रस्ट है उनको हम इस **कम्पेन्सेशन पूल** (प्रतिकर कोष) मे से कुछ नही देगे। मै प्रवर समिति से इसमे सहमत नही हूँ। पजाब मे पाकिस्तान बनने से पूर्व बड़ी भारी भारी सस्थाये थी जो वहाँ पर काम करती थी। ऐसी सस्थाओ के करोडो रुपये छिन गये और वे सस्थाये यहाँ चली आई और अब आप उनके बारे मे यह कहते है कि हम एक डबल नही देगे

सरदार हुक्म सिंह : जनरल रेवेन्यूज़ से दिया जायगा।

श्री टंडन : जनरल रेवेन्यूज कहने से क्या होता है? कहाँ से दिया जायगा, उसके लिए कोई व्यवस्था भी है? यह भी एक अजीब बात है कि अगर मेरी कोई व्यक्तिगत जायदाद गई है तो मुझको तो **कम्पेन्सेशन पूल** से रुपया मिल सकता है मगर एक सस्था जो करोडो रुपया छोड आई है उसको इस पूल मे से कुछ नही मिलेगा, उसके लिए सस्था वाले खुशामद करते फिरे कि उनको भी कुछ दिया जाय, सरकार ने यह जो भेद किया है वह मेरी समझ मे नही आया, इसमे क्या तर्क या **लाजिक** है। यदि मै एक सस्था ले कर यहाँ आया और उस संस्था के लाखो रुपये वहाँ छिन गये, तो उसके लिए मुझे उस **कम्पेन्सेशन पूल** मे से एक डबल नही मिलेगा लेकिन जो मेरी निजी जायदाद पीछे छूट गई है उसका पैसा इस **पूल** से मिलेगा। यह तर्क मेरी समझ मे नही आता। मामूली तौर से होता यह है कि जो सार्वजनिक सस्थाये है उनकी पहले चिन्ता की जाती है। जो सार्वजनिक सस्थाये छोड कर आये है, चाहे वे सिक्ख हो, आर्यसमाजी हो या दूसरी संस्थाये हो उनकी चिन्ता हम न करे, यह मुझे न्यायोचित नही प्रतीत होता। अपनी रिपोर्ट मे ऐसी सस्थाओं के लिए प्रवर समिति ने गवर्नमेंट से खाली यह सिफारिश कर दी कि गवर्नमेंट अपने पास से उनको दे। उसके लिए आपने कोई कोष अथवा जायदाद नही बतलाई कि

उसमे से उनको सहायता दी जाय। आपने उनको केवल गवर्नमेंट के रहम पर छोड दिया कि तुम्हारा जिसको जी चाहे उसको दो। मै यह मानता हूँ कि आपने तो इस भावना से कहा कि वह जो प्रतिकर कोष है वह न घटने पाये। स्पष्ट है कि वह काफी नही है, लेकिन आपको कहना तो यह चाहिए था, जैसा मै कहता हूँ, कि सरकार को उस कोष को अधिक बढाना चाहिए। मै कहता हूँ कि इस-कोष को आप खूब बढाइये, इतना बढाइये कि उन ट्रस्ट्स को भी आप दे सके। ढूढ कर उन सस्थाओ का पता लगाइये जिन्होने नुकसान उठाया है और उनकी क्षति पूरी कीजिए। मै सुन यह रहा हूँ कि सरकारी आदमियो ने यह तय किया है कि केवल कुछ शिक्षण का काम करने वाली सस्थाओ और सास्कृतिक काम करने वाली सस्थाओ को मदद देगे। मै समझता हूँ इसमे भेद नीति होगी और यह नही किया जाना चाहिए। मेरा स्वय एक बडी सस्था से सबन्ध है। मै जानता हूँ कि क्या मुसीबत उस सस्था को हुई है। आज मै यहा पर इसलिए खडा नही हुआ हूँ कि उस सस्था के लिए सरकार से सहायता की माँग करूँ, परन्तु यह मै जानता हूँ कि लाखों रुपया उस सस्था का, मेरा अनुमान है कोई बीस लाख रुपये का, उस सस्था का नुकसान हुआ होगा। अब एक डबल भी उसको इस पूल मे से सहायता के रूप मे न मिले, यह क्या ठीक है ? वह सस्था सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करती है और वहाँ पर सार्वजनिक कार्य करती थी। उसकी जो आमदनी थी वह चली गई। हाँ, उसको थोडी भूमि मिली, लेकिन जो शहरी जायदाद थी उसका कुछ नही मिला। अब वह सस्था वाले दौडे, इधर-उधर खुशामद करे तो शायद कुछ और मिल जाय। ऐसी और सस्थाये होगी जो इस तरह की कठिन परिस्थिति मे रह रही होगी। अब भला बताइये वे सस्थाये कहाँ और किसके पास दौडती फिरे ? वर्षो आप उनको लटकाये रहे, यह क्या उचित है ? सस्थाओ का भी अधिकार होता है, अगर एक व्यक्ति के अधिकार हो सकते है तो सस्थाओ के भी अधिकार है और मै उनके अधिकार माँगता हूँ। इसके लिए आवश्यकता यह है कि जैसा मैंने पहले भी बताया आप इस पूल को अच्छी तरह बढाये और अगर गवर्नमेंट इसको अपने रुपये से नही बढा सकती तो इसके लिए अतिरिक्त टैक्स लगाइये और कोष को बढाइये। मेरा कहना है कि सरकार इस कोष को बढाना अपना कर्त्तव्य समझे, जिस प्रकार वह सेना के ऊपर खर्च करना अपना कर्त्तव्य समझती है, जिस प्रकार उद्योगो को बढावा देना अपना कर्त्तव्य समझती है, जिस प्रकार बेकारी को दूर करना अपना कर्त्तव्य समझती है, उसी प्रकार विस्थापितो को सहारा देना और उनकी कठिनाइयो को कम करना उसका कर्त्तव्य है।

●

२४

आर्थिक रूप—नैतिकता—ग्रामोद्योग

२१ दिसम्बर १९५४ को देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलते हुए

बेकारी बढ़ी

श्री टंडन : सभापति जी ! इधर हमारे सामने गवर्नमेंट की ओर से पर्याप्त साहित्य इस बात का रखा गया है कि जो पंच-वर्षीय योजना उन्होने चलाई, उसका क्या नतीजा वास्तविक कार्यरूप मे हुआ। गवर्नमेंट के विचार में जो उन्नति हुई है उसका चित्र उन्होने हमारे सामने खीचकर रखा है। परन्तु तो भी उनको यह स्वीकार करना पड़ा है कि हमारे देश मे बेकारी घटी नही, बढ गई है। एक ओर उन्नति का चित्र है, हमने यह किया, वह किया, उसको दोहराने की आवश्यकता नही, कल से हम उसकी कथा सुन रहे है। जो साहित्य उन्होने छापा है, जो अक दिये है उनमे वह चित्र खिचा हुआ है। परन्तु इस एक वाक्य मे कि बेकारी घटी नही परन्तु बढ गई है, वह कुल चित्र का चित्र एक कालिमा से पुत जाता है। क्या नतीजा इसका कि हमने विशाल भवन बनाये ?

आचार्य कृपालानी : उन महलात में भूखे भरे है।

श्री टंडन : विशाल नहरे खोदी है, परन्तु बेकारी बढ गई और बेकारी का अर्थ है भुखमरी। वह बढ गई है। यह एक बडा विचित्र दिग्दर्शन हमारे प्रयत्नो का है। मेरे विचार मे तो गवर्नमेंट को गहरी दृष्टि से सोचने की आवश्यकता थी। क्या यह सब कुछ जो हम कर रहे है, यह धूम-धाम जिसकी सूचना पत्रो मे हर रोज आती है, जिसके विज्ञापन आते है, पुस्तकों मे जो हमारे सामने बराबर यह चित्र आते है—क्या इन सब का यह नतीजा हुआ है कि बेकारी बढ गई है, और यदि यह सच है तो यह सब कुछ हम किस मतलब के लिए कर रहे है। आखिर मतलब तो यही है कि हमारे समाज का दुख दूर हो।

बार-बार मेरे सामने शब्द आते है 'समाजवादी समाज'। समाजवादी शब्द तो समझ मे आता है लेकिन 'समाजवादी समाज' यह समझ मे नही आता है। समाज उचित बने यह तो मै समझता हूँ, समाज नैतिक बने यह भी मै समझता हूँ, समाज से दरिद्रता उठे यह भी समझ मे आता है, मगर यह 'समाजवादी समाज' से मेरे मस्तिष्क मे कोई विशेष चित्र नही खड़ा होता है।

श्री वोगावत : (अहमदनगर दक्षिण) : उसे सर्वोदयवाद कहिये, हमे कोई आपत्ति नही है।

रामराज्य

श्री टंडन : उस समाज की तस्वीर मै अपने मस्तिष्क मे रखता हूँ जिसकी कल्पना गाधी जी ने एक शब्द रामराज्य मे की थी। मै तो उस शब्द से यह समझता था कि गाधी जी के सामने वह चित्र था जिसमे कोई बेतहाशा धनी न हो, कोई बहुत दीन न हो, जिसमे दरिद्रता न हो, मूर्खता न हो, पाप न हो, शराब न हो, व्यभिचार न हो। मेरे सामने तो यही राम-राज्य का चित्र था। गाधी जी के नाम से और रामराज्य के नाम से मुझे एक श्लोक याद आ गया है। रामचन्द्र जी ने अयोध्या की बात कहते हुए कहा था—

> न मे स्तेनो जनपदे न कदर्य. न मद्यप ।
> नानाहुताग्नि नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुत ।।

इसका अर्थ यह है कि मेरे राज्य मे कोई स्तेन या चोर नही रहता, न सूम ही कोई रहता है जो अच्छे कामो मे पैसा न दे, कोई मदिरा पान करने वाला नही रहता है, कोई ऐसा नही रहता है जिसके घर मे बराबर अग्नि न जलती हो। लोग जानते है कि प्राचीन समय मे बराबर २४ घटे अग्नि रखना घर मे अच्छा माना जाता था। कोई मूर्ख नही बसता है, कोई व्यभिचारी नही रहता है। और जब व्यभिचारी नही रहता तो व्यभिचारिणी कहाँ से आयेगी। न तो कोई व्यभिचारी है और न ही व्यभिचारिणी। इसी को गाधी जी रामराज्य कहा करते थे। इस श्लोक मे कोई अधिक चित्रण नही है परन्तु यह स्पष्ट है कि दरिद्रता, मूर्खता और चोरो इत्यादि का न होना आवश्यक है। मै इस सरकारी योजना की कथा सुन रहा हूँ, कभी वित्त मत्री को कहते हुए और कभी दूसरे मत्रियो को कहते हुए। लेकिन नैतिकता की कही भी चर्चा नही आई। 'समाजवादी समाज' का शब्द तो आया परन्तु उसका अर्थ आर्थिक है, उसका ध्यान आर्थिक है, उस समाज मे कही नैतिकता भी बसती है इसकी कोई कही चर्चा नही करता। मेरा निवेदन है कि यह हम यूरोप के देशो की नकल कर रहे है। हमने कुछ शब्द विलायत के लोगों से सीख लिये है और उनमें से एक शब्द 'समाजवादी समाज' भी है। यह एक इस प्रकार का शब्द है जो हमारे भाई इधर उधर एक दूसरे के ऊपर फेंका करते है। इन शब्दों का तब तक कोई अर्थ नही जब तक कोई समाज सास्कृतिक आधार पर न हो।

मेरे सामने अपने देश की जो तस्वीर है वह यह है कि हमारे यहाँ चारो

ओर समाज का आधार नैतिकता हो। वह व्यापार, उद्योग, वह रोटी और वह भूमि और महल किस काम के जहाँ मदिरा उछलती है, जहाँ अनैतिकता है, जहाँ व्यभिचार है ? मेरा निवेदन है कि हमारी गवर्नमेंट भावी समाज की तस्वीर सामने रखते समय केवल विदेशी शब्दो के जाल मे न फँसे। एक शब्द को सामने रखे जो गाधी जी ने हमे बताया था। वह शब्द है रामराज्य। बहुत से भाई शायद यह कहे कि यह तो पौराणिक शब्द हो गया है परन्तु सच बात यह है कि इस शब्द के भीतर ऊँचे अच्छे आदर्श है। यह शब्द प्रगतिवादी है। मेरे सामने यह सवाल कि यह सरकारी उद्योग का कार्य है या इसे कोई एक व्यक्ति करता है इतने महत्व का नही है जितना यह कि हम समाज को किस आधार पर बना रहे है और साथ ही यह कि समाज के व्यवसाय मे कोई बेकार तो नही रह जाता है।

रास्ता सही नहीं

गवर्नमेंट के साहित्य मे जो यह एक वाक्य है कि बेकारी घटी नही बल्कि बढी है, उसने मेरे हृदय मे उन सब कामो के बारे मे जो हो रहे है एक निराशा सी उत्पन्न कर दी है। मेरा निवेदन है कि अब भी आप गहरी दृष्टि से यह समझिये कि जिस रास्ते पर हम चल रहे है वह सही रास्ता नही है। अरबो रुपया हमने खर्च कर दिया है। परन्तु सफलता अभी तक हम प्राप्त नही कर पाये है। हमे तुरन्त ही इस रास्ते को बदलने की आवश्यकता है। ठीक रास्ता हम इन बडी बडी योजनाओ को लेकर नही तै कर सकेंगे। हमें देहातो मे सीधे दीन के पास जाना चाहिए और उसकी बेकारी दूर करनी चाहिये। आज गवर्नमेंट का यह कर्त्तव्य है, तुरन्त कर्त्तव्य है, दस बरस बाद नही। यह बेकारी हमारे सामने और हमारे शासन के सामने एक बडा प्रश्न धर रही है। उसका एक ही जवाब है, और वह यह कि हम जिम्मेदारी लेते है कि हम देश मे एक आदमी को भी बेकार नही रहने देगे। इसकी आवश्यकता है। कोई आवे, कशो बाशद, और कहे कि हम काम करेगे तो हम कहे कि लो हम काम देते है। मेरा निवेदन है कि यह हमारे शासन को करना चाहिए। यह जो हमारा रुपया चारो ओर लग रहा है यह उचित प्रकार से नही लग रहा है। अगर इस रुपये को देहातो मे बेकारी को सीधे हटाने में लगाया जाय तो बेकारी हटना सम्भव है, असम्भव नही है।

प्राइवेट और पब्लिक सेक्टरों की बात हुई। मेरा निवेदन है कि यह बडे बड़े व्यवसाय जहाँ मशीनो से काम होते है, सम्भव है हम उनको आज बिल्कुल रोक न सके, किन्तु उनकी सख्या और उनका क्षेत्र जहाँ तक सीमित हो, वहाँ तक हम देश को सुख पहुँचा सकेंगे।

उद्योगपति की अनैतिकता

मैने निवेदन किया कि समाज के जीवन का आधार नैतिकता हो। मेरा कुछ थोडा सा अनुभव है कि यह मिले और यह बडे बड़े कारखाने नैतिकता की ओर जाने वाले नही होते, बल्कि उल्टे इनका प्रभाव दूसरी ओर होता है। मुझको एक बडा पुराना अनुभव इस समय याद आता है। बहुत पुरानी बात है। मै युवक था। वकालत पास कर चुका था। १९०६ की बात है। हमारे पूज्य प्रात स्मरणीय पडित मदन मोहन मालवीय जी के मन मे यह बात आई कि इलाहाबाद मे कपडे की एक मिल खोली जाय। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसका थोडा पता लगाओ। मुझको उन्होने कई परिचय-पत्र दिये और बाहर भेजा। मै नागपुर की मिल देखने गया और फिर बम्बई अध्ययन करने के लिए गया। मै नागपुर कई दिन रहा। वहाँ से बम्बई गया और मिलो का भ्रमण किया। आज भी मेरे दिमाग पर एक अनुभव जमा हुआ है। मै एक मिल मे गया जिसके मालिक कुछ धर्मात्मा कहे जाते थे। प्रसिद्ध था कि वह धर्मप्रिय पुरुष है। इस समय नाम तो लेना नही है। उनकी मिल मे मै गया। मै घूमता फिरा। मै वहाँ पहुँचा जहाँ बहुत सी स्त्रियाँ छोटे छोटे काठ के टुकडो पर सूत चढा कर लाती थी। उनको वह एक टब मे फेंकती जाती थी। वह कत्तिने थी, सूत कातने वाली। वह सूत एक तराजू पर रखा जाता था, वह तोला जाता था और तोल कर उन कत्तिनो से कहा जाता था कि तुम्हारा सूत इतना हुआ। मैंने उस तराजू को जिसको अग्रेजी मे **स्प्रिग बैलेंस** कहते है देखा। मै उसके पास खडा हो गया और मैंने तोलने वाले से पूछा कि तुम किस तरह तोलते हो। उसने बताया कि हम ऐसे तोलते है, इस निशान पर काँटा आता है तो इतना होता है, इस निशान पर आता है तो इतना होता है। मै खडा देखता रहा। दो तीन स्त्रियाँ आई, उन्होंने सूत डाला, और उसने तोला और आवाज दी कि इतना हुआ। मुझको कुछ भ्रम हुआ कि कही मै कुछ गलती तो नही समझा। मैने उससे पूछा कि तुमने तो हमको ऐसा समझाया था कि यहाँ पर काँटा आता है तो इतनी तोल होती है, लेकिन जो तुमने आवाज लगाई वह कम की थी। कही ऐसा तो नही है कि हम गलत समझे हों। वह मुस्कराया और उसने कहा कि हम अभी बताते है, और वह एक आध आवाज और देकर मुझे अलग ले गया। उसने कहा कि आपने ठीक समझा है, लेकिन यह हमारे मालिको का हुक्म है कि जब तोलो तो हर तोल मे कुछ कम बताओ, नही तो इनकी मजदूरी इतनी बढ़ जायगी कि उससे हमको घाटा होगा। यह सुन कर मै दग रह गया। मै आशा नही करता था कि ऐसी मिल मे इस तरह से मिल मालिको की तरफ से खुली धोखेबाज़ी और चोरी होती होगी। यह तस्वीर मेरे दिमाग से कभी

हटी नही। मुझको बडा खेद हुआ कि एक ऐसे पुरुष के बारे मे जिनको मैंने धर्मात्मा समझ रखा था मुझको अपना विचार पलटना पडा। उनके यहाँ युवकों को इस प्रकार की आज्ञाएँ दी जाती है कि तुम हर तोल मे धोखा करो। यहाँ सरकार सेर और छटांक के स्टैंडर्ड बनाती है कि कोई धोखा न करे। इण्डियन पीनल कोड मे एक बार भी धोखा देने के लिए दण्ड है, और वहाँ यह धोखा एक योजना की तरह चल रहा था। मै जो कह रहा हूँ वह अपने अनुभव की और ऑख की देखी बात कह रहा हूँ। मै हर एक मिल मालिक के ऊपर कोई बौछार नही करता। लेकिन उसके बाद मेरे मन पर ऐसी छाप पड गई कि यह मिल का व्यवसाय धर्म से अलग होकर ही प्राय चलता है, अर्थात् कोई 'धर्मात्मा'—'धर्मात्मा' शब्द तो बहुत बडा है, परन्तु—कोई सचमुच अपने को जो सम्हाल कर रखना चाहता है, सचाई पर जिसका जीवन स्थिर है, उसके लिए यह राह चलनी कठिन है। तब ऐसी योजना और ऐसे **सिस्टम** को, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक, जो इस प्रकार से खुली रीति से अनैतिकता की ओर ले जाने वाला है, मै कहता हूँ कि आग लगा दो। यह **सिस्टम** हमारे देश मे चलने के योग्य नही है। जितनी जल्दी हो सके इसको हटाना चाहिये। यदि हम मालिक को सत्य के रास्ते पर रख सकें तो मजदूर भी उस रास्ते पर आयेंगे। जहाँ मालिक के दिल मे, जो काम लेने वाले है उनके दिल मे, आरम्भ से ही अनैतिकता हो तो वहाँ मजदूर क्या करेंगे? मेरे सामने तसवीर केवल रोटी और पैसे की नही है। मेरे सामने तसवीर नैतिक जीवन की है।

शासन ग्रामोन्मुखी हो

यह नैतिक जीवन यदि हम देहातियों को, मजदूरो को उनके घर पर रखे, गाँव मे रखे तो उनको अधिक दे सकेंगे इसकी अपेक्षा कि हम उनको मिलो मे लाकर दो दो और चार चार हजार की भीड़ मे रख कर उनसे काम ले। मेरे ऊपर यह असर है कि यह नैतिकता से दूर हटाने वाली चीज है। इसलिए मै इस बात का पक्षपाती हूँ और मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट गाँवो की तरफ जाय और यह यत्न करे कि मजदूर को उसके घर पर ही कुछ व्यवसाय मिले जो वह कर सकता हो। जो काम वह आज भी जानता है वह उसे करे और उस काम के किए हुए उत्पादन को हम जनता के व्यवहार मे लाये।

(सभापति से) अब कै मिनट मै समझूँ कि आप मुझे और दे रहे है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पहिले ही २० मिनट ले चुके है। यदि वह चाहें तो पाँच मिनट और ले सकते है।

श्री टंडन : बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि यहाँ से

बेकारी दूर हो और वह बेकारी दूर हो नैतिकता के साथ। वेश्या बना कर किसी को रोटी नही देनी है, चोर बना कर, झूठा बना कर रोटी नही देनी है। हमारा क्रम यह चाहिये कि जीवन शुद्ध हो। वेश्या का शब्द मेरे मुँह से निकला। यह बात याद आ गई कि हमारे देश मे तीस लाख से अधिक वेश्याये है। ये क्यो है और इस तरह अनैतिकता का जीवन क्यो बिता रही है? यह आर्थिक प्रश्न है, यह अनैतिक इसलिये हुई है कि उनकी आर्थिक सम्हाल नही हुई। मै चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस प्रश्न को देखे कि कोई औरत और कोई मर्द यदि कही पर काम माँगे तो उसके लिये वहाँ काम मौजूद हो? भले ही इसलिए चाहे हमे अन्य जगहो से रुपयो का बन्दोबस्त करना पडे, हमे उसको तुरन्त जुटा कर यह यत्न करना चाहिये कि जिन कामो मे हम हर एक को लगा सके, वही काम हमे मुख्यकर उठाना चाहिये।

मैने कुछ भाइयो से सुना, जो चीन से आये थे और हाल ही मे हमारे प्रधान मत्री जी भी चीन गये थे, उन्होने देखा, मै तो गया नही, लेकिन कुछ वहाँ का हाल सुना और मुझे यह सुन कर बडी प्रसन्नता हुई कि वहाँ पर उन्होने वेश्याओ का रोजगार उडा दिया है, वहाँ पर अब वेश्याये नही है। मैने सुना है कि वहाँ पर भिखमगे नही है। इससे जान पडता है कि उन्होने अपनी आर्थिक योजना ऐसी बनायी है जिसमे हर एक को वह काम देने को तैयार है

डा० सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : चीन मे बेरोजगारी ज्यादा है।

श्री टंडन : मै ज्यादा तो जानता नही। मैने सुना है कि वहाँ पर वेश्याये नही है और उन्होने वेश्याओ का रोजगार अपने यहाँ से हटा दिया है। यदि यह सही है तो जाहिर है कि उन्होने उनके लिये कोई और रोजगार दिया होगा। मै तो वहाँ गया नही, जो मैने सुना वही आपको बतला रहा हूँ। मेरे एक भाई ने अभी कहा कि चीन मे बेरोजगारी है। अगर वहाँ पर बेरोजगारी है तो उनको उसे हल करना पड़ेगा।

ग्रामोत्पादित वस्तुओं का उपयोग

मै अपने देश की बात कह रहा हूँ कि हमारे देश मे बेरोजगारी को दूर करने का रास्ता यह है कि हम गाँव मे जाकर इस बात की जिम्मेवारी ले कि जो काम करने आयेगा उसको हम वही पर काम देगे, मगर ऐसा तभी हो सकेगा जब हम यह तय कर ले, और यह सिद्धान्त जरा समझने की चीज है, कि हम उसी चीज का व्यवहार करेगे जो हमारे देश मे बनती है। जो चीजे हमारे देश मे बनती है हम, जहाँ तक सम्भव होगा, अपनी आवश्यकताये उन्ही मे सीमित रखेंगे और हमारी आवश्यकताये उन्ही वस्तुओ की होंगी जो

हमारे देश मे बनती है। यह काम थोडी तपस्या का है और इस चीज को ऊँचे स्तर पर जो लोग है उनको चलाना पडेगा। मै यह कोई नई बात आपसे नही कहता हूँ। मुझे याद है कि इगलैड मे जब **लेबर मिनिस्ट्री** थी तब वहाँ के एक मत्री ने भी इसी प्रकार कहा था। कुछ **अनएम्प्लायमेंट** बेकारी वहाँ पर थी, तब उन्होने कहा था कि इसको बन्द करने का एक ही रास्ता है कि हम अपने देश मे सब सामान बनाये जिनकी कि हमे जरूरत है और बाहर से हम सामान न मँगाये। आज हम अपने यहाँ देखते है कि कितना धडाधड सामान विलायत से चला आता है, मोटर गाड़ी से लेकर छोटी से छोटी चीज तक, यहाँ तक कि चेहरे पर लगाने का सफेद पाउडर तक भी विलायत से दौडा चला आता है। मेरा सुझाव है कि हम इस दिशा मे सख्ती करे और इस बात को देखे कि जो चीज हमे देहात मे मिलती है उसका व्यवहार बढाये। जैसे देहात मे कुम्हारी का काम होता है तो हम इस बात का यत्न करे कि कुम्हार को वहाँ पर काम मिले, हम उससे काम लेने के मार्ग निकाले। जब हम ऐसा करेगे तभी हमारा रास्ता स्पष्ट होगा।

खादी के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च किया है। खादी के सबध मे उन्होने अनुमान लगाया कि इस वर्ष दो करोड रुपये की लागत की बनाई जायगी। पहले कम बनती थी। आगे का अनुमान है कि चार करोड रुपये से भी ज्यादा की बनेगी और इस तरह से बढती जायगी। यह मेरे लिए एक सुखमय सदेश है। यदि खादी के ऊपर बल दिया जाय और अन्य ग्राम उद्योगो के ऊपर बल दिया जाय तो मेरा अपना विश्वास है कि यह बेकारी की समस्या बहुत कुछ दूर हो सकती है और साथ ही साथ हमारे जीवन मे कुछ अधिक नैतिकता आ सकेगी और जीवन अधिक सुखमय हो सकेगा।

मुख्य आवश्यकताएं

१९ मार्च १९५५ को भारतीय लोकसभा में वित्त विधेयक पर बोलते हुए

मंत्रिमण्डलवंचित मंच

सभापति जी! मैने बहुत देर मे विचार किया कि कुछ शब्द इस विवाद मे मै भी निवेदन करूं। मैने एक बार पहले भी इधर की मत्रियों से वचित बेचो की ओर ध्यान दिलाया था। मत्रिमडल वचित बेंचे शोभनीय नही लगती है।

श्री सी० डी० देशमुख : वचित मत्रिमच।

श्री टंडन : यह हमारी ससद् का दुर्भाग्य है कि मत्रिमडल यह आवश्यक नही समझता कि उसके विषये में जो बाते यहॉ कही जायॅ उनको वह सुने। केवल एक वित्त मत्री जी उपस्थित है। यह सच है कि वे शासन के एक मुख्य विभाग अर्थात् वित्त का सचालन करते है। परन्तु यहॉ सदस्यो को तो भिन्न भिन्न विभागों के विषय मे भी कुछ कहना होता है। मैने पिछले बजट सत्र मे भी कहा था कि जब सब विषयो पर बहस होती है तब सब ही मत्री उपस्थित हों, क्योकि यह तो सीमित नही है कि मै किस पर बोलूँगा और मेरे मित्र किस पर बोलेगे, मुझे छूट है कि मै किसी भी बात पर बोल सकूँ। परन्तु यहॉ जब भिन्न भिन्न विभागो के मत्री नही है तो स्वभावत, वह उन सब बातो को नही सुनेगे यद्यपि सम्भव है कि कभी उनके कान मे कुछ छोटी मोटी बाते पहुँच जायॅ। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सम्बन्ध मे पचशील की चर्चा सुनी है। बडा सुन्दर शब्द है। किसी किसी ने उसको पचशिला बना दिया है। वह भी एक अर्थ में सही है क्योकि पचशील ही पचशिला है। पचशील की बात याद कर मै अपने मत्रियो से कहना चाहता हूँ कि अपने व्यवहार के लिए एक शील तो रखे कि वे यहॉ उपस्थित रहे। एक शील यह चाहता है कि जिस समय ससद् मे सदस्यगण अपने विचार प्रकट करे उस समय मत्रिगण यहॉ पर उपस्थित रहे। मै तो चाहूँगा कि उनके साधारण व्यवहार का यह एक अग हो।

बजट हिन्दी और नागरी अंकों में

वित्त मत्री जी ने मॉगो के सम्बन्ध मे तीन बडे बडे पोथे दे दिये है। इस थोडे से समय में मै उन पर क्या कह सकूँगा। कुछ साधारण बाते

निवेदन करता हूँ। पहले मै वित्त मत्री को बधाई इस बात पर देता हूँ कि उन्होने इस वर्ष अपने इन पोथों के कुछ अश हिन्दी मे भी प्रकाशित किए है, उनका भाषण तथा कुछ और दो अन्य पत्र हिन्दी मे आये है। यह शुभ प्रारम्भ है। मै आशा करता हूँ कि अगले वर्ष सम्पूर्ण बजट हिन्दी मे—नागरी अक्षरो में और नागरी अको मे—उपस्थित किया जायगा।

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ नागरी अक है।

श्री टंडन : मैने कहा कि मै आशा करता हूँ कि अगले वर्ष सम्पूर्ण बजट हिन्दी भाषा और नागरी अंको में उपस्थित किया जायगा।

श्री देशमुख : मेरे कहने का मतलब यह था कि जो रोमन सख्या थी उसकी जगह हमने नागरी अको का उपयोग किया है और दूसरे अको के लिए अग्रेजी अंकों का उपयोग किया है।

श्री टंडन : मैने नागरी अको की इसलिए चर्चा की क्योकि सविधान मे अग्रेजी अकों के लिए कहा गया है। अब भी हमारे विधान मे यह कलंक उपस्थित है कि जो अंक हम प्रयुक्त करे वे अग्रेजी अंक हों। ये अग्रेजी अक हमारे देश के लिए कलक है। अपने मे वे अच्छे है। हम अग्रेजी भाषा पढ़े, मै उसका पक्षपाती हूँ, अग्रेजी भाषा के पढने मे मैने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगाया है, जीवन का बहुत बडा अश अग्रेजी के ऊँचे साहित्य का अध्ययन करने मे मैने लगाया है, मेरा उससे कोई बैर नही हो सकता परन्तु हमारे देश मे हमसे यह कहा जाय कि नागरी अक्षरो का तुम प्रयोग करो परन्तु नागरी अक्षरो के प्रयोग के साथ तुम अग्रेजी अको को मिलाओ, तो मेरा निवेदन है कि वह अनुचित बात है और उसको किसी न किसी समय हमे हटाना है। मेरा कहना वित्त मत्री से यही है कि उनको अधिकार है, आज भी जो हमारा सविधान है उसके द्वारा सरकार को अधिकार है, कि जिन अको का चाहे वह उपयोग कर सकती है। इसी कारण से मैने यह कहने का साहस किया कि अगले वर्ष वे पूरा बजट विवरण हिन्दी अक्षरो मे और नागरी अको मे प्रकाशित करायेगे।

पुस्तकों के कागज पर कर

उन्होने इस वर्ष कई प्रकार के कर लगाये है। मै व्यौरे मे नही जाना चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो कागज पर उन्होने कर लगाया है, यह अगर न लगाया होता तो अच्छा था, क्योकि उसमे उन्होंने अख़बारो को तो छोड दिया, परन्तु पुस्तको के ऊपर कर लगाया है। वास्तव मे अख़बार बद हो जाय तो देश की बहुत हानि नही है, परन्तु अच्छी पुस्तको का निकलना रुक जाय, जनता के लाभ के लिए यह उचित

नही है। मै चाहूँगा कि जहाँ तक सम्भव हो पुस्तको के, अच्छे साहित्य के, प्रचार की ओर उनका ध्यान जाय।

डाक-टिकट मे बढ़ौती

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि डाक के टिकटो का जो हिसाब रहा है, उसमे पिछले दो वर्षो से जो बढौती की गई है उसका परिणाम यह हुआ है कि सस्ता साहित्य जाना बन्द हो गया। मेरे पास कल या परसो गोरखपुर के कल्याण कार्यालय से दो पुस्तके आई है, भगवद्गीता हिन्दी मे और अंग्रेजी मे। उन पुस्तको का दाम जहाँ तक मुझे याद पडता है साढे छ आने है, परन्तु उनके ऊपर टिकट ग्यारह आने के लगे है। यह मै जानता हूँ कि वित्त मन्त्री के हाथ मे डाक विभाग नही है, परन्तु उनके द्वारा मै उस विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तो बहुत अधेर है।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा सामुदायिक उत्तरदायित्व है।

श्री टंडन : साढे छ आने की भगवद्गीता उसको अगर मै यहाँ मँगाता हूँ तो ग्यारह आने के टिकट उस पर लगाने पडेगे और वी० पी० से अगर आये तो तीन आने और पडेगे और मुझको १४ आने देने पडेगे। दो छोटी छोटी और इतने कम दाम वाली पुस्तको के मँगाने के लिये इतना डाक महसूल, यह कैसा शासन का क्रम है? मै इसकी ओर मत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कल्याण कार्यालय ने एक पत्र भी भेजा है जिसमे उन्होने बतलाया है कि डाक खर्च मे बढौती होने के कारण परिणाम यह हुआ है कि हमारी पुस्तके कम निकलती है और इन पुस्तको पर गवर्नमेंट को जितना हम पहले स्टाम्प के रूप मे दिया करते थे, उससे कम मिला, क्योकि हमारी पुस्तको का प्रचलन कम हुआ। इसलिए मै निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सम्भव हो तो इस पर आप विचार करे।

ग्राम शोषित है—ग्रामों की गृह-योजना

मुख्य बात जो मेरे मन मे आपके शासन के सम्बन्ध मे है वह यह है कि अब भी आपका ध्यान सर्वोदय अर्थात् सबका लाभ हो, जन समुदाय उन्नति करे, उस पर बहुत कम गया है और सरकार का ध्यान अंग्रेजी शासन-काल की तरह अब भी शहरो की तरफ है और गाँव की तरफ बहुत कम है। आपकी सिचाई योजनाये अवश्य कुछ जल पहुँचायेगी, परन्तु आज भी मुख्यत जितनी आपकी योजनाये है उनमे शहरी उन्नति का क्रम अधिक है। देहातों का लाभ अपेक्षाकृत बहुत ही थोडा है। मैने पिछले वर्ष ध्यान दिलाया था, इस बात पर कि आवश्यकता यह है कि देहातो मे नवमार्ग से ग्रामनिर्माण किया जाय। मैंने उसका नाम वाटिकागृह योजना दिया था जिसमे हर गृह के साथ एक छोटी वाटिका हो, हिन्दुस्तान के ग्रामो मे कोई ऐसा घर

न हो जिसके साथ थोडी सी वाटिका न हो। मेरे सामने यह रूपरेखा है कि देश के ग्रामो का कोई घर ऐसा न हो जिसके साथ कम से कम आध एकड भूमि न हो। आज के ग्राम दरिद्र है, घर देखने के और रहने के योग्य नही है, गदे और बीमारियो के स्थान है। बीमारी फैलती है तो आप बाटते है औषधियाँ। इनको आप न बाटे। यह औषधियाँ आपकी व्यर्थ है, आप इन पर करोडों रुपये व्यर्थ फूँकते है। वह रुपया आप लगाइये ग्रामो के सुधार मे। चाहे छोटे घर हो लेकिन उनको आप आध एकड भूमि आसानी से दे सकते है, इसमे कोई कठिनाई नही है। पिछले वर्ष जब मै बोल रहा था तो वित्त मत्री जी ने कहा था कि हाँ, मै यह योजना योजनाकारों के पास अर्थात् **प्लैनिंग कमीशन** के पास पहुँचा दूँगा। मै जानता हूँ कि उन्होने पहुँचा भी दिया। मै यह बात इसलिए जानता हूँ कि वहाँ से एक आदमी मुझसे पूछने आया था कि आपकी क्या योजना है। मैने उससे निवेदन कर दिया था, परन्तु आज आपके बजट की किसी बात से किसी रूप मे यह नही जान पडा कि आपने कही एक गाँव भी उस योजना के अनुसार बनवाया हो, या आपने इस देश मे यह यत्न किया हो कि हम एक गाँव ऐसा बनावे जिसमे बीस, पचीस, सौ या दो सौ कुटुम्बो को आध एकड भूमि वाटिका के लिए दी जाय। आध एकड भूमि कोई बड़ी बात नही है। हमारे देश मे लगभग सात करोड परिवार है।

एक माननीय सदस्य : शहर के लोगो को निकालकर।

श्री टंडन : हर परिवार के लिये अगर आध एकड़ भूमि दे तो साढे तीन करोड़ एकड भूमि हुई। इस प्रकार से साढे तीन करोड़ एकड भूमि देना बहुत आसान है। फिर यह तो जा कर अत मे पड़ेगी, इस समय आरम्भ करने के लिए थोड़ी भूमि मे यह काम किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार के ग्राम बने तो दवाओ की आवश्यकता नही होगी। छूत की बीमारी का नाम निशान नही रहेगा। वह आप से आप भाग जायगी। एक एक घर अलग अलग बने। आज के ग्राम-घर तो एक दूसरे से सटे हुए है। एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार से मिली हुई रहती है। यहाँ हम लोग किस ठाट-बाट से रहते है! मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी हमारी योजनाये है वे हमारे ग्रामो की ओर नही जा रही है, वे शहरो की ओर भाग रही है। शहरो ने अग्रेजी राज्य मे ग्रामो का शोषण किया। शोषण शहरो के लाभ के लिये किया गया और ग्राम शोषित रहे। आज आवश्यकता यह है कि आप ग्रामो का शोषण बन्द करे, आप उनके लिये पैसा लगावे। आज जो धनी मानी लोग है आप उनसे पैसा ले। अगर आप देश भर का भला चाहते है तो आप उसका नाम सर्वोदय दे या **सोशलिज़्म** दें, लेकिन आवश्यकता यह है कि जितना पैसा है,

उस पैसे मे से, उस सम्पत्ति मे से एक अश आप निकाल कर ग्रामो को दे। उनके मकान बनाने मे सहायता दे या उधार दे। उनमे से बहुत से आदमी अपने परिश्रम से अपने मकान बनायेगे। भले ही वह कच्चे मकान बनाये। जहाँ आवश्यकता हो कूप आदि तथा मकान बनाने के लिए आप सहायता दे। मै यह समझता हूँ कि यह ऐसी योजना है जिसकी आज आवश्यकता है।

हिन्दी आयोग

अब मै कुछ शब्द हिन्दी के बारे में कहता हूँ। सविधान ने यह कहा है कि सविधान के प्रारम्भ से जब पाँच वर्ष पूरे हो जायँ, उस समय तुरन्त एक हिन्दी कमीशन बनना चाहिए। मै कुछ समझ नही पाया कि वह अब तक क्यो नही बना। सविधान मे अग्रेजी के जो शब्द है वह यह है—

"The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution"

मै बीच के शब्दो को छोडता हूँ

"by order constitute a Commission which, shall consist of a Chairman, इत्यादि इत्यादि

अग्रेजी भाषा के शब्दो के स्पष्ट माने है। 'ऐट' और 'आफ्टर' मे बहुत अतर है। मुझे मालूम है कि आप आयोग बनायेगे, वह बनेगा अवश्य, लेकिन मुझको आश्चर्य यह लगता है कि आपने इतना समय क्यों लिया। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपकी प्रक्रिया ठीक नही है और आपने सविधान की अवहेलना की है। मै तो यह आशा करता था कि जिस दिन २६ जनवरी होगी, उसके दो एक दिन पहले से ही गजट मे समाचार आयेगा। सविधान के अनुसार २६ जनवरी को इसकी घोषणा होनी चाहिए थी कि कमीशन बन गया। लेकिन प्रेजिडेण्ट ने अर्थात् गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा नही की। इसमे मुझको स्पष्ट सविधान की अवहेलना लगती है। यह अवश्य है कि आप इस काम को करेंगे लेकिन, जितनी जल्दी हो सके, आपको इस त्रुटि की पूर्ति करनी चाहिए।

शिक्षा विभाग

हिन्दी के काम के विषय में मै शिक्षा विभाग की कुछ रिपोर्ट आदि देख रहा था। मैने आशा की थी कि मुझको शिक्षा विभाग की रिपोर्ट मे कुछ अधिक जानकारी मिलेगी। किसी मसखरे ने कहा है कि शब्दो की रचना इसलिए की गई है कि वह विचारो को छिपा ले। यह रिपोर्ट एक उदाहरण है इस कथन का। जो रिपोर्ट उनकी ओर से निकली है उसमे कोई विशेष पता नही मिलता। उसमे एक बात कही गयी है कि हमने एक लाख

और कुछ रुपया काशी नागरी प्रचारिणी सभा को हिन्दी कोश के लिए दिया। पारसाल मैने इस विषय मे बहुत व्यौरे के साथ कहा था कि उन्होने जो अनुदान अर्थात् **ग्रांट्स** दिये है वह क्या समझकर दिये है। आज मै जानना चाहता हूँ कि मेरी बात सही निकली या शिक्षा मत्री की बात सही निकली। मै कहता हूँ कि शिक्षा मत्री की बात बिल्कुल गलत निकली, उस समय भी उन्होने गलत बयानी की थी और इसका जो प्रमाण है उसको उन्होने छिपा दिया। प्रमाण यह है कि उन्होने ६० हजार रुपया **'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी'** को एक कोश के लिए दिया था। मै आपको स्मरण दिलाता हूँ, शायद आपको याद न रहा हो कि मैने कहा था कि यह **'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी'** इस योग्य नही है कि वह कोश बना दे और आपने अपना रुपया मुफ्त फेका है। यह काम देना चाहिये था नागरी प्रचारिणी सभा को या हिन्दी साहित्य सम्मेलन को। मैने कहा था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इसी तरह का कोश बना रहा है। आपको याद होगा कि **'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी'** के कुछ शब्दो के उदाहरण भी मैने दिये थे। वह शब्द यहाँ के विवाद मे आये थे और वित्त मत्री जी की वाणी मे भी आये थे। **'कैबिनेट'** का अनुवाद 'खोली' किया गया था और **'सेंटर'** का अनुवाद 'विचबिन्दी' किया गया था। उस पुस्तिका मे से मैने बहुत से शब्दो के उदाहरण दिये थे। मैने कहा था कि यह सस्था इस योग्य नही है कि ठीक कोश बनाये। उस सस्था को रुपये दिये गये, और उसने कोश का नमूना बना कर दिया। यह मै अन्दर की बात बता रहा हूँ, रिपोर्ट की बात नही क्योकि वह बात तो छिपाई गई। गवर्नमेट ने इस सोसायटी के कोश का नमूना देखने के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि जो काम हुआ है वह नितान्त असन्तोषजनक **'एनटायरली अनसैटिसफैक्टरी'** है। यह बात पबलिक के सामने नही आई है लेकिन मै जानता हूँ कि उस रिपोर्ट मे यह बात कही गई।

श्री अलगूराय शास्त्री : (जिला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया पश्चिम) : आज आ गई।

श्री टंडन : मै चाहता था कि अगर आज शिक्षा मत्री यहाँ होते तो मै उनसे यह बात पूछता। उस कमेटी मे अच्छे योग्य आदमी थे। सरकार के बाहर के भी लोग थे। अगर आपकी गवर्नमेट के ही आदमी रहते तो शायद ऐसा कहने की हिम्मत उनको न पडती। परन्तु उसमे डा० सुनीति कुमार चटर्जी थे, उनके उस कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है। उस पर बनारस युनिवर्सिटी के हिन्दी के जो प्रोफ़ेसर है उनके भी हस्ताक्षर है।

इस काम के लिए सोसायटी को तीस हजार रुपया दे दिया गया, और भी ३० हजार बाद मे दिया जाने को था। इस तरह से वह कोश बनाया जा रहा है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बिना आपकी सहायता के एक

कोश बनाया। उनके २४ पन्ने इस कमेटी के सामने आये। इसी रिपोर्ट मे कहा गया है कि यह उससे कही अच्छा है और मानने के योग्य है और सम्मेलन का प्रयत्न आदरणीय है। लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन को कोश बनाने के लिए एक पैसा अभी तक नही दिया गया और सोसायटी को बहुत सा पैसा दिया गया। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हिन्दी का काम होता है और किस प्रकार से पैसा व्यय होता है।

हिन्दी के काम मे प्रगति

मै और विषयो पर भी कुछ निवेदन करना चाहता था परन्तु मै जानता हूँ कि और भी लोग बोलने वाले है। मै अधिक समय नही लूँगा। मेरा निवेदन यही है कि अब हिन्दी के काम मे अधिक प्रगति हो। आप बहुत जल्दी एक कमीशन बनाये। और कमीशन बनाने मे यह ध्यान रखे कि कौन कौन लोग उसमे रहते है। उसमे आप इस प्रकार के लोगो को रखे जो न्याय कर सके, जो निडर होकर अपना काम कर सके, जिनको न शिक्षा मत्री का डर हो और न प्रधान मत्री का डर हो और न वित्त मत्री जी का डर हो, और जिनको हिन्दी का ज्ञान हो। आज तो एक बडा तमाशा है। शिक्षा विभाग मे ऐसे लोग हिन्दी का काम करते है जो स्वय हिन्दी नही जानते। जो इस विभाग के मुख्य सचिव है वे तीनो ऐसे है जो हिन्दी के ज्ञान से अपरिचित है। जो इस प्रकार हिन्दी से अपरिचित है वे कैसे हिन्दी का काम कर पायेगे? जिनका हिन्दी जगत मे सम्मान है, जिनको ससार मे लोग जानते है कि इन्हे हिन्दी भाषा आती है, इस प्रकार के आदमियो का आप कमीशन बनाये।

मैने सुना है कि हमारे भाई गोविन्ददास जी ने आज कुछ चर्चा की है करोडो के देने की। करोड तो दूर है। मैने तो निवेदन किया था कुछ लाख खर्च करने का। आप चर्चा हिन्दी के चलाने की करते है। मै तो तब समझता कि आप हिन्दी की प्रगति चाहते है यदि आप हिन्दी की कुछ ऐसी पुस्तके निकलवा देते जो ऊँचे दर्जो मे पढाई जा सकती। एक अच्छे ग्रन्थ पर १४ या १५ हजार रुपया खर्च आता है। मैने कहा था कि आप साल भर मे ऐसे चालीस पचास ग्रन्थ निकलवा दे तो चार पाँच साल मे आप हिन्दी के साहित्य को ऐसे ग्रन्थो से भर देगे जिनसे ऊँची कक्षाओं मे पढाने का काम चल सके, लेकिन इस दिशा में कुछ भी काम नही किया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो यह शिक्षा विभाग इसलिए बनाया गया है कि यह हिन्दी के काम मे रोड़ा अटकावे, उस काम को बढावे नही बल्कि घटावे। मै आपके कामो की गति देख रहा हूँ। हिन्दी इन २५ या ३० साल मे किधर गयी है यह मै अच्छी तरह जानता हूँ। इस देश मे बहुत थोड़े लोग ऐसे है जो मुझसे इस

विषय में अधिक जानते है। मेरे जीवन का बहुत बडा अश इस काम मे गया है। इसलिए यदि मै कुछ जानता हूँ तो इसमे कोई बहादुरी की बात नही है। मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को हिन्दी की जानकारी है उनको शिक्षा विभाग मे नही रखा गया है। मै कुछ समझ नही पाता। शिक्षा मत्री जी योग्य आदमी है परन्तु उनको हिन्दी का ज्ञान नही है। इस कारण होना तो यह चाहिए था कि वे उन लोगो को अपने सचिव मडल मे रखते जो उनकी इस हिन्दी न जानने की त्रुटि को पूरा करते। लेकिन इसके बजाय उन्होने अपने सचिव ऐसे रखे है जो उनकी कमी को और बढा रहे है बजाय इसके कि उसकी पूर्ति करते और हिन्दी के लिए अच्छा काम करते।

औद्योगीकरण से अनैतिकता

अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा वित्त मत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वह ग्रामो की ओर अपने शासन को अधिक बढाये। मेरे सामने यह मुख्य बात है। मै रात दिन **इंडस्ट्रियलाइजेशन** की बात सुनता हूँ। मै उससे हैरान हूँ। मुझे वह अच्छी नही लगती, बिल्कुल वाहियात है। देश **इंडस्ट्रियलाइजेशन** से नही बनेगा। देश **इंडस्ट्रियलाइजेशन** से बेईमान होगा। अभी सात आठ रोज हुए एक बड़े व्यापारी मेरे पास आये थे। वह आपके एक मंत्री की शिकायत कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी राय मे व्यापारी कितने प्रतिशत ईमानदार होते है, उन्होने कहा कि व्यापारियों मे एक ईमानदार नही है। मुझको यह सुनकर बडा धक्का लगा। मैं भी देश को कुछ जानता हूँ। मै जानता हूँ कि जो लोग अधिक धन एकत्र करते है प्रायः उनका रास्ता अनुचित होता है। आज आवश्यकता यह है कि देश मे जो अनैतिकता फैली हुई है उसको बन्द किया जाय। मैंने पिछले वर्ष जब आर्थिक स्थिति की चर्चा हो रही थी अपने भाषण मे यह कहा था कि यह उचित है कि हम देश की धन-वृद्धि करे परन्तु धन की वृद्धि मे सन्मार्ग का ध्यान रखे, अनुचित रास्ते न अख्तियार करे। उस पर मै कुछ ब्यौरे मे आ गया था। बाद मे मैंने सुना कि हमारे प्रधान मत्री ने मेरे उस भाषण की चर्चा कांग्रेस पार्टी में की। मै वहाँ उपस्थित नही था। उनके शब्द मेरे सामने आये थे। मैंने अपने भाषण मे कहा था कि हमको नैतिकता की आवश्यकता अधिक है, भलमसाहत की आवश्यकता अधिक है, केवल पैसे की उतनी आवश्यकता नही। हमारे प्रधान मत्री ने अपने भाषण मे कहा था कि 'टडन जी ने **मारल स्टैंडर्ड** की चर्चा की, वहाँ तो उद्योगो को बढाने का विषय था, वह बहक गये।' उन्होने मेरे कथन को बहकना कहा था। जो व्यापारी लोग है और जिनका मुख्य उद्देश्य येन केन प्रकारेण लक्ष्मी

की वृद्धि करना है वह तो नैतिकता की बात को बहकना कहते ही है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि गाधी जी का नाम (कभी कभी हम गाधी जी का नाम व्यर्थ ही अपनी त्रुटियो को छिपाने के लिए ले लेते है) कुछ अर्थ रखता है, और उनके नाम के भी पहले यदि हमारी सस्कृति का कुछ अर्थ है, जिसके कारण हमारे लोगो का आज तक नाम चला आ रहा है, तो वह यह है कि हमारे जीवन का मुख्य आदर्श नैतिकता है। लेकिन आज जितने काम है, क्या व्यापार, क्या सरकारी नौकरी, क्या **इंजिनियरिंग** और उसके साथ ठेकेदारी, क्या वकालत, सब जगह आज अनैतिकता बढी हुई है। मै कुछ अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये बडे-बडे महल शुद्ध कौडी के ऊपर नही बने है। "शुद्ध कौडी" की एक बहुत सुन्दर कथा है, लेकिन समय कम होने की वजह से मै उसे कहूँगा नही। हमारे प्रात-स्मरणीय मालवीय जी ने मुझे सुनाया था। मै उस कथा को कहूँगा नही, केवल यह निवेदन है कि यह महल शुद्ध कौड़ी पर नही उठे है, न बम्बई के, न कलकत्ते के और न दिल्ली के। मै उनको देखता हूँ तो हृदय रो उठता है। कारण कि जितने ऊँचे महल उठे है वह प्राय बेईमानी से ही उठे है। आज बेईमानी का वारापार नही है।

औसत आय—दरिद्रता

वित्तमत्री जी ने देश की औसत आमदनी बतायी है। उन्होने अपने भाषण मे लगभग यह कहा था कि वह पहले २५५ रुपये वार्षिक थी, अब वह बढकर २७० या २८० तक हो गयी है। यह अको की बात है। अभी हाल मे पत जी ने अपने भाषण मे कहा था कि वह २५५ है। मै इसको माने लेता हूँ। इन २५५ की औसत वालो में कितने ऐसे धनी है जिनकी आमदनी दो लाख, चार लाख, पाँच लाख या दस लाख के ऊपर है। उन्होने कहा था कि दस लाख के ऊपर वाले बहुत कम है। मै उनके शब्दो का ही हवाला दे रहा हूँ। पाँच लाख के ऊपर कुछ है, और दो लाख के ऊपर तो बहुत लोग है। दो लाख को भी छोड़ दीजिए। मै पूछता हूँ कि २५० रुपये की औसत आमदनी वाले कितने है? आप देखेंगे कि इस औसत से ज्यादा आमदनी वाले शहरो मे रहते है, गाँवो मे बहुत कम। २५० रुपये से ऊपर की आमदनी वाले आपको शहरो में बहुत मिलेंगे। मै भी उससे ऊपर हूँ और यहाँ और जितने और बैठे है वे सब ऊपर है और शहर के लोग प्राय. सब ऊपर है। इससे नीचे कौन है, ग्राम वाले। सरकारी ऑकड़ो मे बताया गया है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आमदनी २५५ रुपये वार्षिक है, लेकिन कितने ही धनी व्यक्तियो की आय इससे बहुत अधिक है। आप देखेंगे कि ९० प्रतिशत जनता की औसत आमदनी २५० रुपये से कम है और दस प्रतिशत

की आमदनी औसत से ऊपर तथा हजारों लाखो की है। आँकडो की बात आप करते है। औसत के ऊपर केवल दस प्रतिशत है और ९० प्रतिशत ऐसे है जो इस औसत के नीचे है अर्थात् जिनकी आमदनी २५० रुपये से भी कम है और जिनकी आय १०० रुपये, ९० रुपये या ८० रुपये ही होती है। अब यह सोचने की बात है कि जिनको केवल ८० रुपये साल मे मिलते है, वे अपना गुजारा कैसे करते होगे। मेरा निवेदन है कि ऐसी हालत मे हमारा कर्त्तव्य है कि हम गाँवों की ओर देखें न कि बडे महलो को। हम देहातियों के पास जायँ, उन दरिद्र लोगों के पास जायँ जिनकी आमदनी इतनी छोटी है, उनकी हम हैसियत बढाये। इन महल वालो को ऐसा अवसर न दे कि महल पर महल बनाते जायँ। ऐसा करने में कोई लाभ नही होगा वरन हर प्रकार की हानि ही होगी।

मै और अधिक नही कहूँगा। मै चाहूँगा कि मंत्रिमंडल भविष्य का जो स्वप्न देखे उसमे यह देखें कि बड़े बडे महल यहाँ पर नहीं खडे होंगे, ऐसे **इंडस्ट्रियलाइजेशन**, औद्योगीकरण, का स्वप्न न देखे जिसमे अरबों और करोडों रुपये की लागत लगा कर कारखाने बने हों; कारखाने कही कहीं आवश्यक हो सकते है और अपवाद के रूप मे रक्खे भी जा सकते है, परन्तु हम ऐसा स्वप्न देखें कि देहात में हम लोग जायँ, देहात हमारे वाटिका गृह की तरह हों, उनके बीच से बेकारी दूर हो और उनको कुछ न कुछ काम हम दें, जैसे भी हो ग्रामीणो के जीवन मे अधिक सुख लाये। हमारा उचित ध्येय यह है।*

---

*श्री टंडन के इस भाषण के अनन्तर वित्तमंत्री श्री देशमुखजी ने एक कागद पर एक श्लोक लिखकर टंडनजी के पास भेजा, जो इस प्रकार था—

मंत्रिभिर्वंचिता हन्त ! पर्यंका नैव शोभते।
अंकास्तथा हि वैदेशाः कलंका एव मन्यते॥

अर्थात् मंत्रियों से वंचित ये बेंचें (जिनकी ओर टंडन जी ने संकेत किया था), बिल्कुल शोभा नही दे रही है तथा इसी प्रकार ये विदेशी अंक भी हमें कलंक की तरह ही मालूम पड़ते है। (अपने भाषण में टंडनजी ने विदेशी अकों को हिन्दी में स्थान देने के लिए खेद प्रकट किया है।)

२६

हिन्दी आयोग—इन्द्रिय निग्रह

२० अप्रैल १९५५ को भारतीय लोकसभा में वित्त विधेयक पर बोलते हुए

सभापति जी मै इस विधेयक के अन्तिम विचार के समय कुछ बहुत आवश्यक सुझाव देने के लिये खडा हुआ हूँ, नही तो मेरा कोई विचार इसमे भाग लेने का नही था। मुझे खेद है कि मै जिन मत्री के विभाग के सम्बन्ध मे कुछ कहना चाहता हूँ वह यहाँ नही है। मेरा तात्पर्य गृह मत्री महोदय से है। मेरा निवेदन है कि वित्त विभाग के मत्री जो यहाँ उपस्थित है, वे मेरा सुझाव उन तक मेरे दूत होकर पहुँचा देगे। वे मेघदूत तो नही होगे क्योकि कुछ शृगार की बाते नही है परन्तु वे मेरे ऊपर कृपा करके मनुज दूत होकर मेरी बात पहुँचा देगे।

हिन्दी आयोग

मुझे एक विषय पर कहना है जो इस समय गृहमत्री के सामने होगा। वह है उस आयोग अर्थात् कमीशन की नियुक्ति जो हिन्दी के विषय मे जाँच करने वाला है। समाचारपत्रो मे आ रहा है कि उसके ऊपर वह विचार कर रहे है। अपने पिछले भाषण मे मैने कहा था कि गवर्नमेट ने सविधान यानी **कांस्टीट्यूशन** की अवहेलना की है, उन्होने सविधान के विरुद्ध काम किया है। उचित था कि २६ जनवरी को यह कमीशन नियुक्त हो जाता। संविधान की शब्दावली से यह अर्थ स्पष्ट है। अंग्रेजी भाषा मै भी कुछ जानता हूँ और गवर्नमेट के विभागीय मंत्री भी जानते है "At the expiration of five years" (पाँच वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने पर) का अर्थ स्पष्ट है। यह अवधि समाप्त हो गई परन्तु अभी तक वह कमीशन नियत नही हुआ है। मै चेतावनी देता हूँ कि इसके बनाने मे और देर न की जाय। मैने सुना है कि गृह विभाग उसके ऊपर विचार कर रहा है, यह ठीक है कि गृह विभाग का ही वह काम है, उसी को इस पर विचार करना चाहिये। मैने सुना था कि शिक्षा विभाग इसमे अपना हाथ रखना चाहता है, शिक्षा विभाग चाहता है कि वह भी इसमे आ जाय लेकिन मै निवेदन कर देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नही है। दो कमीशन इधर हाल मे नियुक्त हुए है, एक **बैकवर्ड क्लासेज कमीशन** और दूसरा **स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन**, अर्थात् पिछड़ी जातियो का आयोग और राज्य पुर्ननिर्माण आयोग, इन दोनों को गृह विभाग ने स्थापित किया था। इस वर्ष का जो

बजट है, उसमे उनका व्यय भी दिखलाया गया है। मै यह स्वाभाविक समझता हूँ कि यह कमीशन भी गृह विभाग की ओर से आये।

यह कमीशन कितने आदमियो का बनेगा, इसकी कोई चर्चा सविधान मे नही है। इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर विचार करने के लिये, लोक-सभा की और राज्य सभा की एक कमेटी बनेगी। सविधान मे लिखा है कि उस कमेटी मे कुल ३० आदमी होगे, २० यहाँ के और १० वहाँ के। परन्तु इस आयोग अथवा कमीशन मे कितने आदमी होगे, इसकी कोई चर्चा नही है। केवल इतना है कि इसमे सब भाषाओ का प्रतिनिधित्व रहेगा। वह ठीक है। मै यह कहना चाहता हूँ कि इस आयोग मे बहुत थोड़े से आदमी नही रह सकते। हमारा देश बहुत बडा है। मै यह चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक भाग का इसमे प्रतिनिधित्व हो, हर भाषा के और हर बडे प्रदेश से इसमे लोग आये। यह स्पष्ट है कि यह छोटा नही हो सकता। मेरा अनुमान है कि २५ व्यक्तियो से कम इसमे नही होने चाहिये। मै चाहूँगा कि आप इसको समझ ले कि यह आयोग २५ से कम का नही बनना चाहिये। जैसे वह कमेटी ३० मेम्बरो की होगी उसी तरह मै चाहता हूँ कि इस आयोग में भी २५ और ३० के भीतर लोग रहे। इस आयोग मे १४ या १५ की सख्या ठीक न होगी। मेरा निश्चित सुझाव है कि इसके सदस्यो की सख्या २५ से कम नही और ३० से अधिक नही होनी चाहिये। भारतीय सविधान में जो १४ भाषाये लिखी गई है, उनका प्रतिनिधित्व तो इसमें होगा ही परन्तु इस तरह से इसमे लोग लिये जायँ कि इसमे सब प्रदेशो के विशेषज्ञ आ जायें। हमारे देश मे कई छोटे छोटे राज्य भी है। इनके अलावा ९ बडे राज्य हैं जिनको कि "ए" श्रेणी का कहा गया है और ९ "बी" श्रेणी के राज्य है। उनका तो प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये, अर्थात् हर एक प्रदेश का कम से कम १-१ आदमी अवश्य रहे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। मै उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश की आबादी ६ करोड़ के ऊपर है। इसी तरह बिहार है और उस प्रदेश की आबादी भी ४ करोड के ऊपर है। इनको यदि उतना ही प्रतिनिधित्व मिले जितना आसाम को मिले तो यह ठीक नही होगा।

आसाम का प्रतिनिधित्व उसमे अवश्य चाहिये, परन्तु इन दो बडे सूबों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि इस आयोग मे २५ और ३० के बीच मे आदमी हो और जहाँ तक सम्भव हो इसमे हर बडे प्रदेश के आदमी आ सके। जहाँ तक बिलासपुर और अजमेर आदि छोटे प्रदेशो का सम्बन्ध है, इन सब के आने की कोई आवश्यकता नही है।

श्री बी० डी० शास्त्री (शहडोल-सीधी) : विन्ध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

श्री टंडन : विन्ध्य प्रदेश तो बड़ो मे है। मेरा मतलब तो अजमेर, बिलासपुर और कुर्ग जैसी छोटी रियासतो से था कि वहाँ के प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नही है। विन्ध्य प्रदेश तो "बी" श्रेणी मे आ गया, उसका तो प्रतिनिधित्व होना ही चाहिये ..

एक माननीय सदस्य : विन्ध्य प्रदेश **पार्ट 'सी' स्टेट** है।

श्री टंडन : विन्ध्य प्रदेश **पार्ट 'बी'** मे मौलिक संविधान के अनुसार था। हिमाचल प्रदेश **पार्ट सी** मे है। मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश का भी क्षेत्र बडा है, वहाँ से एक प्रतिनिधि इसमे लिया जा सकता है। दिल्ली भी **पार्ट 'सी'** मे है, लेकिन यहाँ से भी एक आदमी आ सकता है। परन्तु कुर्ग से अलग प्रतिनिधि आने की आवश्यकता नही है। मैसूर से आ जायगा। मेरा कहना यह है कि इस विषय पर विचार की आवश्यकता है। हर प्रदेश आयेगा। हिन्दी बहुत से प्रदेशो की भाषा है और यह हिन्दी कमीशन है, हर प्रदेश के आदमी इसमे आने चाहिये। स्पष्ट है कि हिन्दी वालो की सख्या आप से आप औरो की अपेक्षा अधिक होगी। कोई एक या दो की अधिकता की बात नही होगी। यह ठीक है कि इस आयोग मे सब भाषाओ का यानी उर्दू, सस्कृत, मलयालम और कन्नड आदि भाषाओ का प्रतिनिधित्व होगा, परन्तु मुख्य कर के यह काम हिन्दी वालो का है और इसलिये इसमे हिन्दी वालो की सख्या अधिक होगी। मैने उस दिन भी कहा था कि हिन्दी के लोगो में जो आदमी चुने जायॅ, वे ऐसे हो जो सचमुच हिन्दी जानने वालो का प्रतिनिधित्व कर सके, यह नही कि आप ऐसे आदमियो को चुन ले जो आपकी खुशामद करते हो। कुछ इस तरह के लोग होते है जिनको हम मीरासी कहा करते है, जिनका काम यह होता है कि कोई दूसरा गाता है और वह सारंगी बजाया करते है। ऐसे सारगी बजाने वाले मीरासियो को इस आयोग मे बिल्कुल नही आना चाहिये। आप ऐसे आदमियो को चुने जो स्वतन्त्रता के साथ विचार करके और ईमानदारी के साथ अपना मत व्यक्त कर सके, और जिनको वास्तव मे हिन्दी आती हो, ऐसे नही जिन्होने सुनी सुनाई कुछ जानकारी के बल पर कह दिया कि हम भी हिन्दी जानते है। मैने देखा है कि कभी कभी ऐसे लोग जिनको हिन्दी के नाम पर आता जाता कुछ नही है हिन्दी के ऊपर रायजनी करने के लिए खड़े हो जाते है। अभी हाल मे एक इसी तरह के साहब ने हिन्दी साहित्य के बारे मे राय दी है कि उसमे यह नही है और वह नही है। मेरा निवेदन है कि उनको कुछ आता जाता नही है। हिन्दी बड़ी पुरुषार्थी भाषा है और विशाल भाषा है, उसका साहित्य ऊँचा है और वह बडी शक्तिशालिनी है। उन साहब ने कहा है कि हिन्दी अभी राज्य के कामो को अदा नही कर सकती। मै तो कहूँगा कि जो ऐसा कहते है वह बिल्कुल जानते ही नही। आप जब चाहे तब परीक्षा

कर देख ले। हिंदी मे इतना पुरुषार्थ है, इतना सामर्थ्य है कि आपके जितने विभाग है सबके लिये आसानी के साथ वह शब्द देती चली जायगी।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य) : यू० पी० मे हो ही रहा है।

श्री टंडन : इस समय मेरा मुख्य काम यह है कि जो कमीशन नियुक्त होने वाला है, उसके बारे मे मंत्री जी को सचेत करूँ कि कही वह यह भूल न कर बैठे कि हर भाषा के एक-एक आदमी को लेकर, जैसे कि एक हिंदी का ले लिया, एक मलयालम का ले लिया, एक आसामी का ले लिया, कमीशन बना दे। जो बडे प्रदेश है जिनकी सख्या कम से कम १८ है, ९ ए श्रेणी के और ९ बी श्रेणी के, और जो सी श्रेणी के बडे प्रदेश है, जैसे हिमाचल है, दिल्ली है उन सब स्थानो से लगभग २५, ३० प्रतिनिधियो को लेकर इस कमीशन का निर्माण हो। इस सम्बन्ध मे मेरा इतना ही निवेदन है।

मै एक दूसरे विषय के सम्बन्ध मे कह कर समाप्त कर दूँगा क्योकि मै १५ मिनट के भीतर ही समाप्त कर देना चाहता हूँ।

शराब और सिगरेट

इधर शराब के विषय मे कुछ ध्यान दिया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के प्रधान जी ने कहा है कि मेरा पूरा उद्योग होगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा है कि एक साल मे ही, देश मे जो औपचारिक रूप से शराब चल रही है वह बद कर दी जाय। मै उनको इस साहस पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनमे यह शक्ति होगी कि वह हर प्रदेश की गवर्नमेंट से शराबबदी करा ले। शराब के चलन में बहुत सी रुकावटे अलग-अलग प्रदेशो मे हो भी चुकी है। बम्बई मे हो चुकी है, कुछ दूसरे स्थानो मे हो चुकी है। जिस समय मै कांग्रेस का प्रधान था उस समय मैने भी अपनी राय इस विषय मे दी थी। लेकिन एक और विषय है जिसके ऊपर अभी तक प्रायः मुँह नही खोला गया है। वह है सिगरेट और तम्बाकू का विषय। आज भी प्राय हमारा मुँह नही खुलता है। हमारे सिख भाई तो इससे ठीक ही चिढते है। शराब वह भी पी लेते है लेकिन तम्बाकू से बहुत चिढते है। मेरा निवेदन सिखों से है कि शराब भी छोडो, तम्बाकू तो उनके गुरुओ ने छुड़ा दी है, लेकिन वह शराब भी छोडे और तम्बाकू भी।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : दोनों छोडने के लिये न कहिये।

एक माननीय सदस्य : चाय भी।

श्री टंडन : मै जो निवेदन करता हूँ कृपा कर उसे सुनिये। अगर आप में शक्ति हो, इद्रिय निग्रह हो तो बहुत अच्छा है। हमारे देश मे यह बडा पुराना वाक्य है कि "यथा राजा तथा प्रजा"। कौटिल्य का वाक्य है—

"राज्यस्य मूल इद्रियनिग्रह"

समझ लीजिये जो शासन करना चाहता है, उसमे यह शक्ति होनी चाहिये कि वह अपनी इंद्रियो को सम्हाल कर रखे इद्रिय निग्रह करे। मै आप लोगो से, जोकि इधर (सरकारी पक्ष मे) बैठे हुए है, यह चाहता हूँ कि आप जरा रास्ता दिखाये। सुबह से शाम तक जो हमारे भाइयो के मुँह मे सिगरेट लगी रहती है यह बहुत शोभायमान नही है। आपका कर्तव्य कहता हूँ। मेरा किसी पर आक्षेप नही है.

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : बहुत कम लोग पीते है।

श्री टंडन : मै जानता हूँ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह नही पीते, वह नही पीते।

श्री त्यागी : मैने छोड दिया।

श्री टंडन : मत्रिमडल अनावश्यक रूप से मेरा समय नष्ट कर रहा है। मै चाहता हूँ कि ईश्वर उन्हे बुद्धि दे, वह हँसी करते है, लेकिन वह लोग देश का नुक़सान कर रहे है।

डा० पी० एस० देशमुख : मै यह कहता हूँ. .

श्री टंडन : जी नही। आप चुप रहिए। मै जानता हूँ कि मत्रियो मे से बहुत से गहरे सिगरेट पीने वाले है। आप यहाँ बाते मारते है। मै जब निवेदन करता हूँ तो मेरे सामने देश है, केवल आप नही है। आप तो यहाँ पर दो चार दिन के लिए है, फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जायँगे। जरूरत इस बात की है कि हमारे भाई जिनके हाथ मे शासन है वह रास्ता दिखाये देश को। आज हमारे बच्चे नष्ट हो रहे है। मैने अभी अखबार मे पढा, मेरी जेब मे अखबार की कतरन मौजूद है कि १९ अरब सिगरेट यहाँ पर पिछले वर्ष बिकी है और बाहर से ५४ करोड सिगरेट आई है। यह क्या है! मै जानता हूँ कि यह आदत आसानी से नही छूटती, मगर मै मत्रियो का यह कर्तव्य समझता हूँ कि यह जो सिगरेट बीड़ी पीने की आदत है, और बीडी का तो कोई ठिकाना ही नही है, ऊँचे दर्जे के लोग तो सिगरेट पीते है, उस आदत को सम्हालने की जरूरत है। इस आदत को सम्हालने मे हमारा मंत्रिमडल मार्ग प्रदर्शक हो सकता है, देश की नेतागीरी कर सकता है। उनको अच्छे नेता होना चाहिये। बहुत से मत्री जिनकी आदत है सिगरेट पीने की वह इसको साधारण बात समझते है। ऐसे भी लोग है जो शराब पीने को भी साधारण बात समझते है। मै समझता हूँ कि जो इस बात का दावा करते है कि मै देश का मार्ग प्रदर्शन करूँगा, मै देश को रास्ता दिखाऊँगा, उनके लिए अपने को साफ करना ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत दूसरो के। इसलिए मत्री थोडा जोर अपने ऊपर भी डाले। फेक दे सिगरेट, फेक दे शीशे का गिलास और तय कर ले कि हिम्मत के साथ देश मे शराबबदी करनी है, सिगरेट बदी करनी है। अपने ऊपर जरा सख्ती करे, और अगर

कुछ कमजोरी हो तो कम से कम सामने तो वह सिगरेट लेकर न आये, छिपा कर पी ले। बहुत से ऐसे है जो लगातार खुले आम पीते है, जिनको शृखलाबद्ध पीने वाले कहते है। मेरा निवेदन है कि आज इस बात की जरूरत है कि भारत सरकार देश मे शराब के साथ सिगरेट भी बन्द करे क्योकि इससे हमारे बच्चो की बहुत हानि हो रही है।

इतना कह कर मै समाप्त करता हूँ। अत मे मै फिर वित्त विभाग के मंत्री जी से जो यहाँ मौजूद है, कहना चाहता हूँ कि हिन्दी कमीशन के सम्बन्ध मे जो मेरा निवेदन है उसे वह गृह मत्री तक पहुँचा दे।

२७

विवाह-विच्छेद नहीं

४ मई १९५५ को भारतीय लोकसभा में हिन्दू तलाक बिल पर बोलते हुए

अध्यक्ष महोदय ! यह विषय, समाज की एक पुरानी प्रथा को बदलने का, बहुत गम्भीर विषय है। मै किसी चीज के बदले जाने का विरोधी नही हूँ। पाटस्कर जी ने जो उस दिन अपना भाषण दिया उसके ३/४ भाग से मै सहमत हूँ अर्थात् मै यह मानता हूँ कि समय के अनुसार प्रथाये बदलती है, धर्म बदलता है। समय भेदेन धर्म भेद.। अवस्था भेदेन धर्म भेद:। यह प्राचीन वाक्य है। समय के बदलने से धर्म बदलता है, अवस्था के बदलने से, स्थितियो के बदलने से, धर्म बदलता है। यह बिल्कुल सही है। मै इस बँधे हुए समय मे और अधिक इस विषय मे नही जा सकता।

बुद्धिवादी आदर्श

मै इस बात के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे प्राचीन लोग केवल पुराणपथी नही थे। सम्भव है पाटस्कर जी से इस विषय पर मेरा कुछ अन्तर हो। वे पुराणपंथी नही थे, वे बुद्धिवादी थे। प्राचीन समय से हमारे यहाँ बुद्धि की महिमा रही है। जब एक बडे ऋषि इस ससार को छोडने लगे तो उनके शिष्य उनके पास गये और पूछने लगे कि महाराज अब वेदो का अर्थ कौन करेगा, किस ऋषि के पास आप हमे भेजते है। इस पर उस ऋषि ने कहा

तर्कोवैऋषिरुक्त.

तर्क ही ऋषि है। तर्क के सामने शास्त्र अलग रह जाते है। शास्त्र की मर्यादा तभी तक है जब तक तर्क उनके साथ है। इसीलिए कहा है, स्मृति का एक पुराना वाक्य है—

केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्त्तव्यो विनिर्णय ।

केवल शास्त्र का आश्रय लेकर कर्त्तव्य का निर्णय नही हुआ करता।

युक्तहीनविचारेतु धर्महानि. प्रजायते ॥

जहाँ युक्ति नही है, **लाजिक** नही है, **रीजन** नही है, वहाँ धर्म की हानि होती है। प्राचीन काल मे भारतवर्ष मे हमारे ऋषि मुनि भी कोई एक शास्त्र को पकड़ कर नही बैठ गये थे बल्कि उन्होने समय और काल के अनुसार

धर्मशास्त्रो की रचनाएँ की और परिवर्तन किये और हमारा देश तो सदा से ही बुद्धिवादी और तर्कवादी रहा है।

नैको मुनिर्यस्य मतिर्नभिन्ना।

अर्थात् ऐसा कोई मुनि नही है जिसकी मति भिन्न न हो। सदा से हमारा देश तार्किक है और बुद्धिवादी है। इस बात के पक्ष मे मै एक नही अनेको प्रमाण दे सकता हूँ कि हमारा देश बुद्धिवादी रहा है। हमारे देश में मनु के बाद याज्ञवल्क्य आये और उसके बाद इतनी स्मृतियाँ बनी। सौ से ऊपर स्मृतियो का बनना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश एक तलैया नही है, हमारा धर्म तलैया नही है जिसके भीतर हम बँध गये हो। समय के अनुसार हमारे ऋषियो और मुनियो ने समाज को स्मृतियाँ तैयार करके दी, इस तरह इतने अश मे मै आप से सहमत हूँ।

पातिव्रत—मौलिक धर्म

पर साथ ही साथ यह भी स्मरण रखिये कि हमारे देश की कुछ मौलिक मर्यादाएँ है, उन मर्यादाओ को भी हमे समझना है, उनके मूल मे कुछ सार है। इनमे से एक मर्यादा है पातिव्रत धर्म की भावना। वह आदर्श और पवित्र भावना आज भी हमारी बहनो मे विद्यमान है। पातिव्रत धर्म का नाम मै नही जानता कि भारत को छोड कर और कही दुनियाँ मे भी हो। सम्भव है हमारी आधुनिक स्त्रियाँ इसे सुनकर कुछ हँस भी दे, परन्तु हमारे धर्म का एक अग पातिव्रत है जिसका अनुवाद अंग्रेजी मे नही हो सकता। हमारे एक पुराने बडे भाई स्वर्गीय श्री ऐंड्रूज ने एक बार कहा था कि मै ससार में चारो ओर घूमा और मैंने देखा कि "जिस तरह से स्त्रियो का हमारे देश मे पातिव्रत धर्म है (उन्होंने उसके लिए **चैस्टिटी** का शब्द प्रयुक्त किया था) वह आदर्श मैंने कही नही पाया।" हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने **डाइवोर्स** के पक्ष मे यह दलील दी कि अगर कहीं पर उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो वह कोई कारण **डाइवोर्स** को न रखने के लिए नही हो सकता। मै उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी इस दलील को दूसरी तरह से नही रक्खा जा सकता कि अगर विवाहित स्थिति मे कोई ऐसे लुच्चे आदमी है जो बुरी स्थिति पैदा करते है तो क्या उन चन्द अपवादो के कारण आप बिलकुल समाज की रूढियाँ बदल दें? यह मेरी बहन की दलील दूसरी तरह से भी सामने रखी जा सकती है। मैं इसको गम्भीर विषय समझता हूँ। आपने **सेक्रामेट** की चर्चा की। हमारे यहाँ उसको सस्कार कहते है।

श्री पाटस्कर : हमको मालूम है।

श्री टंडन : अगर आपको यह मालूम है तो फिर **सेक्रामेंट** की बात

क्यों करते है, उसको आप छोड दे और सस्कार को मानिये। **सेक्रामेंट के** माने है, **सेक्रेड** कार्य। यह तो हम सब जानते है कि विवाह हमारा एक सस्कार है और हमारे यहाँ उसकी बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ पति और स्त्री का जो सम्बन्ध है वह पवित्र सम्बन्ध माना गया है और, जैसा मैने कहा, पातिव्रत का बड़ा ऊँचा स्थान माना गया है। अरे ! क्या इस समय मै आपसे आदर्शो की बात करूँ? मै तो आपसे कहूँगा कि अगर आप इन आदर्शो की बातो की अवहेलना करते है, और केवल इस शरीर को और शरीर की आवश्यकताओ को ही देखते है, तब फिर आप We love but while we may (हम प्रेम करते है जब तक कि कर सकते है) उस आदर्श के अनुयायी भी हो सकते है। क्या वह भी कोई आदर्श है और अपनाने योग्य है? मै तो कहूँगा कि यह पशुवत आदर्श है कि We love but while we may, यह भावना हमारे आदर्श के आज से नही हमेशा से बिलकुल विपरीत रही है। हमारा तो आदर्श कुछ और ही रहा है। हमारे देश ने इस पशुवत प्रणाली को स्वीकार नही किया। विवाह सम्बन्ध क्या है और विवाह पद्धति की आवश्यकता क्या है ? हमारे देश के कुछ आदर्श है। हमारे देश की जो स्मृतियाँ है, उनमे हमारे आदर्श है। हमारा एक आदर्श यह है—

पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप।
पतिव्रता के रूप पर वारूँ कोटि सरूप॥

इसी आदर्श को आधार मान कर हमारे अधिनियम बनने चाहिए। पतिव्रता स्त्री भले ही मैली हो काली हो और कुरूप हो परन्तु हम करोडो सफेद चेहरो, मुलायम चेहरो और शृगारवान चेहरो को एक पतिव्रता स्त्री के चरणो पर वार सकते है। यह हमारे देश का आदर्श रहा है और इस आदर्श को आज हम भूल नही सकते। यह इसी देश का आदर्श था कि एक भारतीय रमणी जो जानती है कि मेरा भावी पति आज से बारह महीने बाद मरने वाला है, जिसके सम्बन्ध मे बताया गया है कि वह मरेगा, परन्तु जब एक बार वर लेती है तब वह इसी पर दृढ रहती है कि वही मेरा पति है और उसी-से मेरा विवाह होगा। यह कथा आपके ही देश की है, ससार के किसी दूसरे देश मे ऐसी कथा आपको सुनने को नही मिलेगी।

सीताजी की भावना

रामायण हमारे देश का एक पवित्र ग्रथ है जिस पर हम सब गर्व करते है। बाई ओर बैठे हुए मेरे भाई तो रामायण मे पटु है। मुझे इस अवसर पर रामायण की कुछ पक्तियाँ याद आ रही है। जब श्री रामचन्द्र को वन-वास हुआ और सीता जी उनके साथ वन मे जाने के लिए खड़ी हो गयी और

रामचन्द्र जी से आग्रह करने लगी कि मै भी आपके साथ वन मे जाऊँगी, तब रामचन्द्र जी सीता जी को समझाते हुए कहते है कि यह सुकुमार शरीर लेकर कैसे वन मे चल सकोगी और वहाँ की कठिनाइयो को झेल सकोगी और उनको वन गमन से रोकना चाहते है। उस समय सीता जी जो उत्तर मे कहती हैं वह समझने की बात है। वह आदर्श सदा हमारे देशवासियो की आँखों के सामने रहना चाहिए। सीता जी कहती है—

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे।
सरद विमल विधु वदन निहारे॥

रामचन्द्र जी से सीता जी कह रही है कि हे नाथ आपके साथ रह कर आपका शरद् पूर्णिमा के निर्मल चन्द्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होगे। रामचन्द्र जी जो यह कहते है कि तुम उस बीहड रास्ते पर नही चल सकोगी तो सीता जी उसके उत्तर मे इस तरह कहती है—

मोहि मग चलत न होइहि हारी।
छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥

क्षण क्षण आपके चरणकमलो को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने मे थकावट न होगी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी, मै पीछे पीछे चलूँगी, आपके चरण मेरे सामने होगे और मुझको थकावट नही आयेगी। फिर सीता जी कहती है—

प्राननाथ करुनायतन सुन्दर सुखद सुजान।
तुम्ह विनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान॥

प्राणनाथ अर्थात् आप मेरे प्राण के मालिक है। 'प्राणनाथ' हमारे यहाँ पति को संबोधन करने का प्रिय शब्द है। सीता जी कहती है कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुन्दर, हे सुखो के देने वाले, हे रघुकुलरूपी कुमुद के खिलाने वाले चन्द्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरक के समान है। हमारी स्त्री जाति का यह आदर्श रहा है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : परन्तु उनके सग क्या किया ?

श्री टंडन : उनके साथ जो बर्त्ताव हुआ क्या बहन जी को उसकी शिकायत है ? लेकिन मै साधारण रीति से जो स्थिति है उसकी बात कह रहा हूँ।

अपवाद का इलाज

मेरी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया **ऐबेरेशन्स** अपवाद होते है। लेकिन जो आदर्श है उन आदर्शो को समाज से नही हटाया जाता। उन आदर्शो को रक्खो। हाँ ! अपवादों का इलाज करो। इलाज है। आप

का **स्पेशल मैरेज ऐक्ट** बना हुआ है, अगर उसमे कोई कमी है तो उसको पूरी करो। मगर यह जो हमारा पातिव्रत है, उसको न छुओ। जो **स्पेशल मैरेज ऐक्ट** है उसमे आप अपने विवाह की रजिस्ट्री करा सकते है। अगर रजिस्ट्री कराने मे कोई बाधा है तो उसको दूर कीजिये। मै श्री पाटस्कर जी से कहता हूँ कि वह हिन्दू समाज के पातिव्रत के आदर्श की पवित्रता को न मिटाये। पातिव्रत की पवित्रता को रक्खे, विवाह की पवित्रता को न छुएँ। परन्तु साथ ही जो आवश्यकता हो उसको पूरी करे। क्या मै जानता नही कि हमारे देश मे भी ऐसे स्त्री और पुरुष है जो अलग हो जाते है, लेकिन उनके लिये कोई दूसरा रास्ता बना दीजिये। विवाह का जो क्रम है उसको न छूइये। विवाह में हमारे यहाँ सप्तपदी होती है। विवाह मे हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का सवाद होता है। हमारे यहाँ जो विवाह सस्कार की पद्धति है, उसके ९/१० भाग मे स्त्री और पुरुष का एक दूसरे से सवाद है, आपस मे उनकी बातचीत होती है। जो विवाह इस पवित्रता के साथ होते है, यदि उनमे कही कोई गड़बड़ी हो, किसी कारण से, तो उसके लिये रास्ता निकालिये, परन्तु विवाह की पवित्रता के ऊपर आप हमला न कीजिये।

स्मृति-निर्माण

आज आप एक स्मृति बना रहे है, मै इस विधेयक को स्मृति ही मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हमे स्मृति बनाने का अधिकार भी है।

श्री धुलेकर (जिला झाँसी दक्षिण) : स्मृति नही बना रहे है।

श्री टंडन : यह जो विधि है सब स्मृतियाँ ही है। मै उनको स्मृतियाँ ही मानता हूँ। पहले स्मृति बनाने का अधिकार ऋषियों को था, अब वह अधिकार जनता को और जनता के प्रतिनिधियो को है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि आप जिस पवित्र कार्य मे लगे है, दायित्व के कार्य मे लगे है, इसमे भूल न कीजिए। आपकी स्मृतियाँ जो आज बन रही है वह अशुद्ध न हो। यह कहने को न हो कि हम इतने लोगो ने बैठ कर एक घृणित बात की। आपकी बात समाज की पद्धति के बिल्कुल विरुद्ध है, हमारे मौलिक सिद्धान्तो के विरुद्ध है। हमारे देश के सिद्धान्त दूसरों से अलग है, हमारे देश का क्रम ही दूसरा है, यह वह देश है जहाँ पर माना गया है

"सुखस्य मूल धर्मं"

सुख का मूल धर्म है, इन भौतिक उपकरणों मे नही। इसका यह अर्थ नही कि भौतिक उपकरणों को सर्वथा छोड़ दिया जाय, लेकिन यहाँ यह रक्खा गया कि सुख का मूल धर्म है। इसी तरह से यह रक्खा गया—

"शासनस्य मूलं इन्द्रियनिग्रह."

शासन का मूल इन्द्रिय निग्रह है। आज आप इस प्रकार की बाते कर के यह विषाक्त भावना फैलाते है कि पति पत्नी का सम्बन्ध छूट सकता है। इसकी बात आप न करे। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसे हम पवित्र मानते है। मै आदर्शो की बात कर रहा हूँ और कहता हूँ कि इसकी पवित्रता पर बल दिया जाय, स्त्रियो और पुरुषो के अन्दर इस सम्बन्ध की पवित्रता की भावना हो। आपने **मानोगमी** एक पत्नी विवाह की धारा स्वीकार की जिसके माने है एक पत्नीव्रत। एक पत्नीव्रत हमारा पुराना आदर्श है, रामचन्द्र की प्रसिद्धि ही इसके कारण हुई। बहुत से लोग इस एक पत्नीव्रत के आदर्श से गिर गये हैं। आज आप एक नई स्मृति बना रहे है और उसमें एक पत्नी-व्रत का ऊँचा आदर्श रख रहे है तो यह **डाइवोर्स** विवाह-विच्छेद की बात कैसी ? पत्नीव्रत और पातिव्रत इन दोनो का जो मेल है उसमे **डाइवोर्स** विच्छेद न लाइये। जो स्त्री पुरुष इस प्रकार से **डाइवोर्स** लेकर के अपना मुँह काला करना चाहते है वह दूसरी तरफ जायँ दूसरे अधिनियम का सहारा ले। विवाह की पवित्रता को इस आज की स्मृति के द्वारा कैसे बढाया जाय आपको यह सोचना उचित है।

यह केवल मेरे और आपके बीच की बात नही है। आप इस जगह से निकलकर बाहर तो चलिये और देखिए कि कितने आदमी आपको इसके पक्षपाती मिलते है।

श्री जगजीवन राम : समाज कितने आदमियो से बनता है। समाज दो चार आदमियो को कहा जाता है या सारे समाज को समाज कहा जाता है ?

श्री टंडन : दो चार आदमी नही, मै दो चार जाति भी नही कहता, मै समाज की बात कह रहा हूँ। समाज में फैली हुई क्या प्रथा है। कुछ जातियाँ हैं, जहाँ पति पत्नी के अलग हो जाने की प्रथा चलती है, लेकिन वहाँ भी इसे अच्छा नहीं समझते। मै तो कहता हूँ कि हरिजनों मे भी बार बार विवाह कर अपने पति को जो पत्नी छोड़ती है उसको वह लोग अच्छा नही समझते।

श्री जगजीवन राम : क्या यहाँ बार बार छोडने की बात कही गई है ?

श्री टंडन : यह कह ही कौन सकता है ? आप कहेगे तो आपको कौन बुद्धिमान समझेगा ? आपको अधिकार भी नही है ऐसा कहने का।

एक माननीय सदस्य : क्या आप इसको अच्छा समझते है ?

श्री टंडन : प्रश्न है आदर्श का। आप आदर्श नही रखते है तो न रक्खे। परन्तु क्या आप एक पवित्र स्त्री से कह सकते हैं कि तू चल और चांडालिनी हो जा, तू स्वैरिणी हो जा ?

Shrimati Renu Chakravartty: What is all this ? This is very objectionable.

(**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह सब क्या है ? यह तो बहुत आपत्तिजनक है।)

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : कोई **आबजेक्शनेबुल** बात नही है।

श्री टंडन : मै आपसे कहता हूँ कि अगर आप चाहे तो यहाँ कानून बना सकते है।

Mr Deputy Speaker : The hon Member will kindly look at me and address the Chair

(**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य कृपया मेरी ओर देखे और अध्यक्ष को सबोधित करें।)

श्री टंडन : मै आप से कहता हूँ। जब इधर से कुछ साहबान बोलते है तो मुझे थोडा सा उधर भी झुकना पडता है।

मै आप से कहता हूँ कि यह दलील कि क्या हम लोगो से कह रहे है कि **डाइवोर्स** करो, बिल्कुल व्यर्थ है। मै कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ एक आदर्श रखते है। हमारे देश मे पुराने आदर्श के एक राजा ने कहा था—

"न स्वैरी स्वैरिणी कुत"

हमारे राज्य मे कोई स्वैरी नही है, हमारे राज्य मे कोई भी व्यभिचारिणी नही है। हमारा वास्तविक आदर्श यह है। **डाइवोर्स** वहाँ होता है जहाँ व्यभिचारी और व्यभिचारिणियाँ हो। हाँ कभी कभी बहुत थोडे मामलो मे आपसी लडाई भी हो जाती है। वह तो बात दूसरी है। मै कहना चाहता हूँ कि हमें ऊँचे आदर्श रखने है। कही कही ऐसा भी होता है, जैसा कि हमारी बहन ने कहा, **ऐबेरेशन्स** अपवाद होते है। उसके लिये मै रास्ता बता रहा हूँ। उसका रास्ता यह है, जैसा हिन्दू विधि के एक विशेषज्ञ ने बताया, कि उसके लिये मार्ग **स्पेशल मैरेज ऐक्ट** मे निकाल दिया जाय।

मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा किसी के प्रति आक्षेप नही है, हमारे एक मंत्री जी बोल उठे, उनके प्रति भी मेरा आक्षेप नही है, न हरिजनों की ओर ही सिर्फ संकेत करके मै कह रहा हूँ।

श्री जगजीवन राम : आप भूलते है, हिन्दू समाज मे भी बहुत सी जातियाँ ऐसी है जिनके अन्दर **डाइवोर्स** है। सिर्फ हरिजनो की बात कहना गलत है।

सम्पूर्ण हिन्दू समाज का प्रश्न

श्री टंडन : मै तो खुद कहता हूँ कि गलत है। हरिजनों का कोई प्रश्न नही है।

श्री जगजीवन राम : आपने नाम लिया, और किसी ने नही लिया।

श्री टंडन : आप बोलने के लिये खडे हुए कि हरिजनो····

श्री जगजीवन राम : मै यह कहने के लिये खड़ा हुआ कि हमे पूरा मुल्क देखना है, मै हरिजनो के बारे मे नही, हिन्दू समाज के लिये बोल रहा हूँ।

श्री टण्डन : और मै भी बोल रहा हूँ सबके लिये।

Mr Deputy Speaker · I would request hon Members to get up if they want to make an interruption, and make it with the permission of the Chair Otherwise, they may reserve their remarks at the end and ask some questions

श्री टंडन : यह अच्छा होगा कि हमारे मत्री जी जब उनके बोलने का समय आये तब अपनी बात कहे और तब तक वह चुप रहे।

आदर्श की बात

जहॉ तक समाज का सम्बन्ध है, उसमे हरिजन भी है, उसमें पिछडी जातियॉ भी है। मै इस बात को मानता हूँ कि जो माननीय मत्री ने यह कहा कि इसमे केवल हरिजनों की बात नही है वह ठीक है। बहुत से ऐसे लोग है जो **शेड्यूल्ड कास्ट्स** के नहीं है लेकिन उनके यहॉ भी पति और पत्नी अलग हो जाते है। जो एक वास्तविक बात है उसको कोई थोडे ही छिपा सकता है, परन्तु मै फिर कहता हूँ कि हरिजनो के यहॉ भी यह चीज़ अच्छी नही समझी जाती है। मै कहता हूँ कि आप देश मे अच्छी आदर्श-वादिता रक्खे, **डाइवोर्स** की बात हम यहॉ न लावें। जो गलत किस्म के पुरुष है, या गलत किस्म की स्त्रियॉ है, मै उनकी बात नही कहता। मै उन लोगो की बात नही कहता जिन लोगो ने पातिव्रत धर्म को या एक पत्नीव्रत धर्म को जीवन मे स्थान नही दिया। ऐसी बात जहॉ पर आती है, वहाँ पर हम उसके लिये रास्ता निकाल दे।

परन्तु यह जो हमारे देश का आदर्श है, वह आदर्श केवल उच्च जातियो का नही है। वह सबका है—हरिजनो का भी है। हमारे सन्तो का वही आदर्श रहा है। आप रैदास की वाणी पढ़िए, पातिव्रत-धर्म के विषय मे उनके विचार पढिए। मैंने अभी जो दोहा पढा है, वह कबीर का है, जो जुलाहे थे। हमारे देश के जो उच्च विचारक और महात्मागण हुए है, उन सबका यह आदर्श रहा है कि पति-पत्नी का जो सम्बन्ध है, वह अत्यन्त पवित्र है। यह कोई उच्च जातियों का प्रश्न नही है।

इसी नाते पाटस्कर साहब से मेरा निवेदन है कि वह इस बारे मे कोई रास्ता निकाले और इस धारा को हटा दे। इसमे जल्दी की कोई बात नही है। वह इस पर पुन विचार करे और कोई रास्ता निकालें। कुछ और समय ले ले, कुछ बिगड़ नहीं जायगा, और फिर वह ठीक रास्ते पर उचित अधिनियम लाये।

मुझे इतना ही कहना है। मै आपको धन्यवाद देता हूँ।

२८

विवादकर व्यवस्था

७ मई १९५५ को भारतीय लोकसभा में
हिंदू उत्तराधिकार विधेयक पर बोलते हुए

उपाध्यक्ष महोदय! इस विधेयक पर मुझे कुछ नयी बाते नही कहनी है। मै इसलिये खड़ा हुआ हूँ कि मै अपनी सम्मति इस सदन के सामने रख दूँ—चाहे वह सम्मति बहुत कुछ उसी प्रकार की हो जो मेरे दूसरे भाई प्रकट कर चुके है।

दामाद का हस्तक्षेप

मै इस विधेयक को पढकर कुछ चकित हूँ। मेरे भाई मत्री जी, जो इस विधेयक को इस भवन मे उपस्थित कर रहे है, इस बात को मानने वाले है कि हमे केवल शब्दो, पुरानी बातो और रस्मो की अपेक्षा बौद्धिक क्रम के ऊपर अधिक ध्यान देना है। मै उनकी इस बात को स्वीकार करता हूँ, यह मैने उस दिन भी निवेदन किया था। मै यह चाहता हूँ कि जो बात बुद्धि मे न आये, युक्ति मे न आये, उसको पकड़ने का यत्न हम न करे। यह उचित नही है कि उसको ही चलाए जायँ। परन्तु मुझे लगता है कि इस विधेयक में उन्होने कई चीजो मे पुरानी बातो को पकड़ा है, कई बातो मे उन्होने हस्तक्षेप करने का यत्न किया है, परन्तु साथ ही कोई उन्होने ऐसी नयी बात निकाली हो, जो आज की स्थिति और बुद्धि के अनुकूल हो, ऐसा मुझे नही लगा। मै कुछ समझ नही पाया कि क्या उनको इसका पता नही है कि हमारे देश मे किस प्रकार के लोग रहते है। जो यह कल्पना करते है कि, जिस प्रकार हमारे मुसलमान भाइयों मे होता है, लड़की को जायदाद मे कुछ हिस्सा दे देने से लड़के आदि उस हिस्से के बदले उसको रुपया दे देंगे वे देहातों की स्थिति को अधिक जानते नही है। जहाँ पर बहुत अधिक पैसा हो, बहुत रुपया छोड़ा गया हो, वहाँ पर यह बात सम्भव है, लेकिन साधारण रीति से हमारे यहाँ जनता रुपये वाली नही है। यह जितना भी आप कानून बनाते है, जो दाय बचता है उसके विभाजन का जितना भी आपका क़ानून है, वह लगभग पाँच या सात सैकड़े आदमियों के लिए है। जनता की अधिक संख्या हमारे यहाँ पैसे वाली नही है। हमारे यहाँ की औसत आमदनी २५५ रुपये प्रति साल निकाली गई है। जिस देश की साल मे इतनी कम आमदनी है, जिसमें करोड़पतियों और लखपतियो की

संख्या भी है जिनकी आमदनी दो-तीन या चार-पॉच लाख की है, उसके विषय मे हम अनुमान कर सकते है कि वहॉ पर करोड़ो आदमी ऐसे है, जिनकी आय बहुत ही कम है, २५५ रुपये भी नही है, केवल ४० या ५० रुपये साल की आमदनी है। आखिर देहात के लोगो के पास है क्या? क्या उनकी जायदाद है और क्या उनकी आय है! यह जितना विधेयक आप बना रहे है और जिस सम्पत्ति की यहॉ पर चर्चा हो रही है, उसका सम्बन्ध बहुत थोडे से गिने हुए शहरी आदमियों से है—अथवा कुछ ऊँचे-ऊँचे जमीदारो से है। यदि यह विधेयक उन्ही तक सीमित होता, तो मुझे बहुत चिता न होती। यह क़ानून वहॉ जायगा, जहाँ बहुत छोटे-छोटे कच्चे घर है और दो एक बीघे ज़मीन है। आपने व्यवस्था की है कि देहात मे भूमि का कुछ हिस्सा दामाद के घर मे भी पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है कि यह बात बहुत बुद्धि की नही है। आप यह क्या करने जा रहे है? क्या हमारे देश मे इस बारे मे बहुत पुराने समय से विचार नही किया गया था? क्या अब तक हमारी लड़कियो के साथ अन्याय ही होता रहा है? जब हमारी कुछ बहिनें यह बात कहती है, तो मुझे हँसी आती है और आश्चर्य होता है। क्या उनको यहॉ की स्थिति का ज्ञान नही है? क्या वे विलायत से आयी है?

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : दिमाग विलायत से आए है।

लड़की दूसरे घर का धन

श्री टंडन : पुत्री के विवाह के लिए हम अपने को बेच देते है। न जाने कितने भाई और पिता जन्म भर गुलामी करते है इसलिए कि लड़की के विवाह से उऋण हों। इतना लडकी के लिए करते है! लडकी हमारे यहाँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। उसके साथ अन्याय का प्रश्न ही क्या है? परन्तु इसमे भी कोई सन्देह नही है—और यह वास्तविकता है—कि लड़की दूसरे घर का धन है। चूंकि लडकी को दूसरे घर जाना ही है, इस लिए हमारे यहाँ कहावत है कि लडकी दूसरे घर का धन है। लडकी को कोई अपने घर बिठा नही लेता है। लड़की के लिए हमारे ऊपर यह एक बड़ा दायित्व होता है कि कही न कही से पैसा लाये, उसकी रक्षा करें और फिर उसका विवाह करे। जब लड़की का विवाह होता है, तो लखपति और करोड़पति उसको लाखो देते है और देहात का वह आदमी जिसके पास अधिक पैसा नही है, सौ दो सौ रुपये मे ही लड़की का विवाह कर देता है, परन्तु प्राय: लडकी को कुछ न कुछ देता ही है। इसके अपवाद अवश्य होते है, उनकी चर्चा मै नही करता। और अपवाद केवल यहॉ नही है, दूसरे देश में भी ऐसे लोग है, जो लड़की के बदले पैसा लेते है। यह केवल यहॉ की

बात नही है। मैंने यूरोप के एक देश की बात सुनी है। जार्जिया की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ सुन्दर लड़कियाँ होती है। दूसरे लोग वहाँ जाते है, लडकियाँ लेते है और उनके पिता को भेट करते है। बहुत जगह यह प्रथा है।

मै यह कहना चाहता हूँ कि लडके और लड़की का स्वरूप बिल्कुल एक नही होता है। **इकनामिक ईक्वैलिटी**—आर्थिक बराबरी—की बात एक बडी सस्ती बात है। क्या कोई देश सचमुच आर्थिक बराबरी स्थापित करने का दावा कर सकता है? यह कहिए कि अवसर दिया जाय, परन्तु आर्थिक बराबरी का नाम लेकर क्या कोई बहुत सच्ची बात करेगा? क्या यूरोप मे आर्थिक बराबरी है? आज भी यूरोप और अमेरिका मे स्त्रियाँ तडपती है, जब वे जवान होती है, कि हमारे लिए पति मिले, चारो ओर वे पति-आकाक्षिणी होती है—इस कारण से कि आर्थिक आवश्यकता उनकी होती है और हमारे यहाँ तो वह है ही। क्या इसमे कोई सन्देह है? आज भी स्त्रियो का आदर मान बराबर होता है, लेकिन कुटुम्ब का बोझ पुरुषों के ऊपर ही होता है, पिता पर होता है, लडको पर होता है—स्त्रियो के ऊपर कोई बोझ नही डाला करता है। इस स्थिति को हमे भूल नही जाना चाहिए। ऐसी दशा मे थोडे थोड़े से पैसों के लिए, जायदाद के लिए, ऐसा रूप देना कि कलह उत्पन्न हो, कोई बुद्धिमानी की बात नही है। इसीलिए मै मत्री महोदय को इस बिल के ऊपर बधाई नही दे सकता हूँ।

मुझे इसमे युक्ति और बुद्धि की और अपने देश की स्थिति की जानकारी की गहरी कमी लगती है। बम्बई, कलकत्ता आदि शहर जहाँ बड़े बडे धनी लोग रहते है, वे तो हमारे देश का रूप नही है। वहाँ हो सकता है कि यदि लड़कों को पिता की मृत्यु के बाद २-२ लाख या ४-४ लाख रुपये बटे, तो लड़की को भी लाख डेढ लाख मिलना चाहिए जो प्राय दे भी दिया जाता है। परन्तु जैसा हमारे और भाइयों ने कहा एक व्यापारी के लिए भी यह कठिन है कि उसके व्यापार का बटवारा हो और उसमें झगडा और टंटा उठ खड़े होने की सदा सम्भावना बनी रहेगी। देहाती आदमी के पास एक छोटी सी झोपडी है। जब उसकी लड़की का विवाह हो जाता है वह दूसरे के घर चली जाती है। उस ग्रामीण का दामाद अथवा दामाद का पिता अपने हिस्से का बंटवारा कराने के लिए लड़की के पिता के दरवाज़े पर लट्ठ लेकर आये, तो इस तरह तो झगड़ा और टटा खड़ा करना है।

एक माननीय सदस्य : उसका परिणाम कोर्ट मे जाना होगा।

श्री टंडन : वर्तमान रूप मे विधेयक को पास करना झगडे और टंटे को खड़ा करना है और हमारा देश मत्री महोदय को इस विधेयक के लिए बधाई नहीं दे सकता। उन्हे इस बिल को वापिस ले लेना और इस पर फिर विचार करना चाहिए। मै तो इस पक्ष मे हूँ कि **सेलेक्ट कमेटी**, प्रवर

समिति, मे यह जाने के योग्य नही है, इसके ऊपर उन्हे फिर से विचार करना चाहिए। उसको दूसरा रूप देकर वह सदन मे लाये।

परिवार का बोझ पुत्र पर

एक बात और है जिसके विषय मे उन्हे सोचना चाहिए। जिन्हे अपनी लडकी को कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति देनी होती है• कभी कभी वह वसीयत से देते है, परन्तु फिर भी प्राय. यही देखा जाता है कि लोग यह पसन्द करते है कि जायदाद उनके लड़को के बीच मे ही रहे और इस कारण उन्हे लडकी को जो देना होता है, वह अपने हाथ से उठा कर दे देते है। ऐसा करने मे एक कारण यह रहता है कि आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि उसका जो कुटुम्ब और परिवार है वह चले, और कुटुम्ब लडके से चलता है, लडकी की ओर कुटुम्ब के लिए नही देखा जाता है। एक पिता अपने कुटुम्ब के चलने के लिए अपने लड़के की ओर देखता है, लड़की की ओर नही देखता क्योकि लडकी शादी के बाद दूसरे घर मे चली जाती है और उस घर की हो जाती है। इसका यह अर्थ न समझ लिया जाय कि मै स्त्रियो को उनके अधिकार देने के पक्ष में नही हूँ, हमे उनको उचित मात्रा मे देना है और उनको हर प्रकार से समर्थ बनाना है। मैने पहले ही कहा कि मै युक्ति के साथ चलना चाहता हूँ और शास्त्रो और स्मृतियो मे जो सैकडो और हजारो वर्ष पहले उस काल के अनुसार लिखा गया था, उससे मै अपने को आँख बन्द करके बाँधने को तैयार नही हूँ।

पत्नी का अधिकार उचित

पुरानी बात तो यह थी कि पत्नी को कोई अधिकार नही था। वह बात आधुनिक काल मे उचित नही थी। अब थोडे दिन पहले एक अधिनियम पारित करके आपने पत्नियो को जो अधिकार दिया, उसका मै स्वागत करता हूँ और उसको रहना ही चाहिए। मै इस मत का बिलकुल पोषक हूँ कि पति की जायदाद मे पत्नी का गहरा अधिकार रहना चाहिए और मै तो कहूँगा कि पति के बाद अगर आप सारी जायदाद उसकी पत्नी को दे दें और लडके को न दे, तो मै उसका विरोध नही करूँगा और आप भले ही ऐसी व्यवस्था कर दे कि पति के बाद पत्नी सारी जायदाद की मालिक होगी और लडके के स्थान पर लडके की माता का सारा अधिकार होगा, कुल अधिकार आप माता को दे दीजिये, लडके को कौड़ी मत दीजिए, माता स्वय ही उसको देगी, आखिर वह उस लडके की माता जो ठहरी, माता होने के नाते वह अपने लडको को स्वयं देगी। आप स्त्री मात्र के प्रति इस तरह आदर दिखलाइये कि **पुरुष** के मरने के बाद सारी जायदाद की हकदार उसकी औरत हो, पत्नी

पूर्ण अधिकारिणी हो, उसका बंटवारा लड़के के साथ न हो, **साइमलटेनियस एयर** नही, मुख्य भाग उसका हो, मै तो इसका पक्षपाती हूँ। आपने इस विधेयक मे रक्खा है कि लडके के साथ उसको एक हिस्सा मिलेगा, मै कहता हूँ कि पत्नी को पूरा अधिकार दिया जाय।

लड़कियों का उत्तराधिकार

जहॉ तक लडकियों को पिता की जायदाद मे हिस्सा देने की बात है, मै कहूँगा कि यदि लड़की अविवाहित है तो अवश्य उसको हिस्सा मिलना चाहिए क्योकि सम्भव है आगे चलकर उसका विवाह आदि करने मे कोई झझट उठ खडा हो, इसलिए आप अविवाहित लडकी को उसके पिता की जायदाद मे अधिकार दीजिए, परन्तु जहॉ तक विवाहिता स्त्रियो को हिस्सा देने की बात है यह देखना पड़ता है कि जब लडकी की शादी हो जाती है तब वह दूसरे घर की हो जाती है। वह स्वतंत्र नही होती और उसके ऊपर उसका पति रहता है जो उसको रास्ता दिखलाता है और यह हो सकता है कि स्त्री को उसका पति प्रेरणा करे या ससुर प्रेरणा करे और दूसरे कुटुम्ब वाले उस स्त्री के पिता के कुटुम्ब मे आकर उनके घरेलू मामलो मे हस्तक्षेप करे और झगडा टटा उठ खड़ा हो। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करके झगड़ा बढा रहे है और इसलिए विवाहिता स्त्री को जो हिस्सा पिता की जायदाद मे देने की बात आपने रखी है, वह ठीक नही है। जिसे लडकी को कुछ देना होता है वह उठाकर अपने हाथ से अपने जीवनकाल मे दे जाता है।

माता पिता का उत्तराधिकार

अब दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने प्रथम श्रेणी मे, जिसको आपने अंग्रेजी मे **क्लास** १ लिखा है, जिन लोगों का बराबर का हिस्सा है, उनमे आपने माता पिता को रखना उचित नही समझा। बात यहॉ पर हो रही थी स्त्रियो के आदर की, तो क्या आपके सामने माता उतनी आदरणीय नही है जितनी कि लड़की या लड़की की लडकी ? जो दूसरे कुटुम्ब मे चली गई है उसका हिस्सा लडके के साथ है, परन्तु उसकी माता का आप आदर नही करते, यह बहुत अनुचित है। हमारे देश मे माता पिता का जो आदर है उसको देखते हुए मै यह कहना चाहता हूँ कि आप उनको पहली श्रेणी मे रक्खे, माता और पिता दोनो पहली श्रेणी मे रक्खे जायँ और उनका अपने लडके की जायदाद मे अधिकार हो।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : उनको लम्बा ढकेल दिया है।

श्री टंडन : उनको आपने पहली श्रेणी से हटा कर दूसरी श्रेणी मे कर

दिया है और इसके अर्थ यह हुए कि उन्हे कुछ नही मिल सकेगा, उनका नम्बर तो तब आयेगा जब प्रथम श्रेणी मे लेने वाला कोई न बचे। अब यह जो प्रथम श्रेणी में लडकी की लडकी को हिस्सा देने की बात है वह इस तरह होगी कि मान लीजिये मेरी लडकी का विवाह कलकत्ते मे हुआ और मेरी लडकी की जो लडकी है उसका विवाह आसाम मे हुआ, मेरे मरने के बाद उन सबका तो मेरी सम्पत्ति मे अधिकार होगा लेकिन मेरी जायदाद पर मेरे माता-पिता को कोई अधिकार नही होगा, यह क्या बुद्धिमानी है? मुझे तो यह बात बहुत विचित्र लगी और मुझको तो ऐसा लगता है कि हमारे पाटस्कर जी मानो इस विधेयक के बनाने वाले है ही नही, और यह किसी और की बनाई वस्तु उनके ऊपर ढकेल दी गई है और उसको उन्होंने हम लोगो के सामने रख दिया है। मुझे विश्वास नही होता कि यह पाटस्कर जी की बुद्धि का परिणाम है। मैं चाहता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वे इसको वापिस लें, मै तो अपने साथियो से यह कहूँगा कि वे **सेलेक्ट कमेटी** का जो यह प्रस्ताव है, उसके विरुद्ध वोट करें। मैं इसको **सेलेक्ट कमेटी** मे भेजना ही नहीं चाहता, यह एक बहुत ही रद्दी वस्तु है। सेलेक्ट कमेटी मे तो एक ठीक विधेयक जाना चाहिए जिसे सेलेक्ट कमेटी उसमे इधर उधर थोड़ी बहुत काट छांट करके भेज दे। इस प्रकार से यह विधेयक वर्तमान रूप मे प्रवर समिति के पास भेजे जाने के योग्य नही है। मै और अधिक नही कहना चाहता। मुझे आशा है कि हमारे भाई स्वतन्त्रता के साथ इस पर अपना मत व्यक्त करेंगे, इसके ऊपर सचेतक का कोई ह्विप नही है और यह ठीक भी है कि ऐसे विषयो पर सदस्यों को अपना स्वतन्त्र मत प्रकट करने और मतदान देने की छूट होनी ही चाहिए। सदस्य लोग जैसा उचित समझे करें। हम सब कहें कि यह विधेयक सयुक्त प्रवर समिति को न भेजा जाय और हम यह माँग करे कि श्री पाटस्कर जी इसको वापिस ले जायें और फिर विचार करके अधिक बुद्धिमानी की एक वस्तु हमारे सामने लायें।

२९

विस्थापितों की सहायता

१३ सितम्बर १९५५ को भारतीय लोक-सभा में विस्थापित समस्या पर बोलते हुए

स्वतंत्रता का मूल्य

सभापति जी ! यह विस्थापितो का प्रश्न सदा से मेरे हृदय पर गहरी चोट करता आया है। मैने अनुभव किया कि हम लोगो ने जो इस ओर भारतवर्ष के उन भागो मे थे जहाँ मारकाट नही हुई और जहाँ के लोग बिना घरबार वाले नही बनाये गये, हम लोगो ने स्वतत्रता बहुत आसानी से, आपेक्षित दृष्टि से, बहुत आसानी से पाई जब कि पुराने पंजाब और पूर्वी बगाल के रहने वाले भाइयो को स्वतत्रता के लिए जो मूल्य देना पडा वह कही ज्यादा गहरा था उसकी अपेक्षा जो हमने दिया। ऐसी सूरत मे हम लोगो का, जिनको कोई विशेष कष्ट नही हुआ, कर्तव्य था कि हम उन विस्थापितो के कष्ट मे हृदय खोलकर शामिल होते और मैने इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर एक समय सुझाव दिया था कि हम लोगो के ऊपर एक विशेष टैक्स विस्थापितो के कष्टो को दूर करने के लिए लगाया जाय। इधर हमारे बहुत धनी लोग भी है। उनके धन का अगर कुछ भाग इसमे ले लिया जाता तो एक अच्छी रकम खडी हो सकती थी और उसका उपयोग इन दुखी भाइयो के कष्ट को कुछ कम करने के लिए किया जा सकता था परन्तु मेरा वह सुझाव नही माना गया। सरकार ने अपनी साधारण आय मे से इनकी कुछ सहायता की, परन्तु वह सहायता बहुत ही कम रही है। इस विषय में पुनर्वास मत्री महोदय के ऊपर मेरा कोई आक्षेप नही हो सकता क्योंकि यह तो नीति की बात थी।

क्रियाशील सहानुभूति

प्रारम्भिक काल से जब से यह मुसीबत हमारे ऊपर सन् ४७ मे आई, उस काल से मेरे ऊपर यह असर है कि केन्द्रीय सरकार ने, इस विषय मे जो सहानुभूति, क्रियाशील सहानुभूति, दिखलानी चाहिए थी उसमे बहुत कमी की है। मेरा यह आक्षेप अपनी गवर्नमेंट पर अवश्य रहा है और आज भी है। हम लोगों ने अनुमान किया था कि जो हमारे भाई पाकिस्तान से आये थे, उनकी करीब १५, २० अरब रुपये की हानि हुई थी। आज उस

हानि के बदले में हमने उनको क्या दिया है? गवर्नमेंट ने अब तक सब मिला कर क्या दिया है? बहुत कम दिया है। मेरा तो आज भी सुझाव है, मै जानता हूँ कि हमारे मंत्री जी के हाथ मे यह नही है, परन्तु मैं फिर भी आज वही बात कह रहा हूँ, इसलिए कि मै आशा करता हूँ कि कम से कम मेरी बात वह अपनी **कैबिनेट** को सुना तो देगे, यह तो बतला देगे कि हमारी यह माँग है। हमारी माँग यह है कि इस समय भी, आखिरी समय भी जब अन्तिम बिदाई हमको देनी है, अपने भाइयो को प्रतिकर, मुआवजा देना है तो हम पहले से कुछ अधिक उदारता दिखलाये। पडित ठाकुर दास भार्गव ने पचास करोड की बात की थी। मै तो उसको सड़ी सी रकम समझता हूँ लेकिन आज आप उसे भी देने को तैयार नही है। मै इससे कही ज्यादा रकम चाहता हूँ कि उनको दी जाय। गवर्नमेंट ने अब तक जो रकम इसमे दी है उसमे और मिलाये। कम से कम गवर्नमेंट ४, ५ अरब रुपया तो और निकाले। आप बडी बडी योजनाओ पर काफी रुपया कही न कही से निकाल लेते है तो इसके लिए भी आप अवश्य कोई व्यवस्था कर सकते है। अगर आप उसके लिए विशेष टैक्स नही लगाना चाहते तो मत लगाइये, आप कही और से इसका प्रबन्ध करिये और इस कोष को बढाइये। यह जो १८५ करोड रुपये का आपने **कम्पेनसेशन पूल** बनाया है, यह बहुत ही कम है। मेरा मुख्य कहना यह है।

गरीबो को पूरा प्रतिकर

जिस तरह से कि जमीनो की बात हुई थी अर्थात् जो भाई उधर जमीने छोडकर आए है उनको जिस अनुपात से जिस **रेशियो** से आपने भूमि पजाब मे दी उससे भी आज जो रुपया आप दे रहे है वह कम है, हालाँकि आप जानते है कि जिन भाइयो को आज आप यह मुआवजा दे रहे है इस मुआवजे के देने मे उनके उन नुकसानो को, उन घाटो को आप नही देख रहे है जो चल सम्पत्ति द्वारा उनको हुई है। जितनी चल सम्पत्ति उनकी गई उसको आपने हिसाब मे नही लिया। आपने केवल मकान आदि को देखा और इसमे जो छोटे-छोटे लोग थे उनको भी आप बहुत कम करके मुआवजा दे रहे है। यहाँ पर यह सुझाव भी दिया गया है और मै इससे सहमत भी हूँ कि जो बहुत छोटे लोग है उनको आप कुछ हद तक अधिक दे। जो आपने उनके दावे स्वीकार किये है उन दावो की पूरी रकम कम से कम कुछ लोगो को देनी ही चाहिये।

यहाँ अभी थोड़ी देर हुई गृह मत्री पत जी आये थे लेकिन अब तो वह चले गये है। अगर वह होते तो मै जो बात अब कहने जा रहा हूँ वे उसको स्वीकार करते। उत्तर प्रदेश मे जब जमीदारी प्रथा समाप्त हुई तब यह बात ठीक थी कि जिनसे जमीदारियाँ ली गई उनको, उन जमीदारियो के बदले मे बहुत

कम रुपया दिया गया क्योंकि उनको पूरा रुपया देना मुमकिन नही था और नही दिया जा सकता था। परन्तु जो नीचे दर्जे के लोग थे उनमे से बहुतो को पूरा मुआवजा देने का यत्न हुआ और जैसे जैसे ऊपर गए वैसे वैसे मुआवजे की रकम कम होती गई। आपने तो पूरा मुआवजा देने की कही बात ही नही रखी। मेरा सुझाव है कि कुछ हद तक लगभग ५,००० रुपये तक के जिनके दावे है उनको पूरा मुआवजा देने का यत्न आप कीजिये। इसका नतीजा यह हो सकता है कि ऊपर जाकर उन लोगो के दावो मे जिनके दावे दो लाख से ऊपर है आपको कुछ कमी करनी पड़े। मै समझता हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़े तो यह बेहतर होगा कि आप इसको भी करे। मै यह नही कहता कि आप उनके दावे को घटा दे लेकिन अगर दोनो मे चुनना पडे तो जो लोग गरीब है उनको आप ज्यादा सहूलियत दे। जिनको दो लाख का मुआवजा देना है उसमे यदि कुछ कमी कर दी जाय और साथ ही साथ जो गरीब है उनको आप कुछ हद तक पूरा मुआवजा दे, यह ज्यादा अच्छा होगा।

अधिक धन दीजिए

जो मुख्य बात मै कहना चाहता हूँ वह यह है कि आप यह काम तभी कर सकते है जब आप कुछ पैसा और उसमे लगाएँ। पडित ठाकुर दास भार्गव जी ने अपने भाषण मे इस बात की चर्चा की है कि जो **ऐशोरेंस** आपके पूर्वगामी मत्री श्री अजित प्रसाद जैन ने इस भवन मे दिए थे उनको पूरा किया जाय। उन्होंने यह वायदा तो नही किया था कि वह गवर्नमेंट से रुपया दिला सकेंगे या दिला देंगे परन्तु उनके कुछ शब्द बहुत साहस के थे। उन्होंने कहा था कि मुझको अपने मे भरोसा है, यह शब्द उनके थे। साथ ही उन्होने हमदर्दी भी दिखलाई थी .

मिस्टर चेयरमैन (पंडित ठाकुरदास भार्गव) यह भी कहा था कि जब दूसरा **प्लान** तैयार होगा उस वक्त भी मै यह चीजे गवर्नमेंट के सामने रखूगा और साथ ही उन्होंने **रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट** के बारे मे कहा था।

दूसरों से लीजिए

श्री टंडन : उन्होने कहा था कि मैं फिर गवर्नमेंट के सामने उनकी बात को रखूँगा। मेरा विश्वास है कि उन्होने रखी होगी। अब चूँकि आप मत्री है, मुझे आशा है कि आप इस विषय मे यत्न करेंगे। मै जानता हूँ कि इसके लिए आपको अधिक पैसे की आवश्यकता पडेगी। यह काम एक करोड, दस करोड़ या पच्चीस करोड मे होने वाला नही है। आपको काफी रुपया चाहिये। मै यह अन्तिम निवेदन इस विषय पर करना चाहता हूँ, और

शायद आज ही ऐसा निवेदन करने का अवसर है, कि आप इन विस्थापितों के साथ अधिक न्याय कीजिये। आप उन लोगो से लीजिये जिन्होने बहुत आराम के साथ स्वराज्य पाया है और जो दुमहले, चौमहले दिल्ली, पंजाब और कलकत्ता मे खड़े कर रहे है। इन सब से आप पैसा निकाले। मामूली आदमी की जेब मे भी आप हाथ डाले, हम सब भी कुछ न कुछ दे सकते है। परन्तु इन दुखियाओं की ओर आप कुछ और कृपा की निगाह से देखिये। मै बराबर अनुभव करता हूँ कि किस प्रकार से यह दु.खी लोग दौडते फिरते रहे है, छोटे छोटे स्थानो पर जाते है। मेरा कार्यालय है, लोक सेवक मडल का। मै देखता हूँ कि उस कार्यालय मे आज मै और मेरे साथी अचितराम जी कुछ बहुत नही कर पाते परन्तु उनको यह विश्वास है कि कुछ सुनवाई होती है और इसीलिए वहाँ ये लोग दौडे चले आते है। ये लोग वहाँ आज से नही आ रहे है, जब से यह मुसीबत आई है तब से ही आते है। कुछ अनुभव हम लोगो को है कि कितनी कठिनाई इनको होती है। मकानों का ही प्रश्न है जो अब नीलाम हो रहे है। उसके मारे अपना दु ख सुनाने के लिए कितने ही लोग हमारे पास आते है।

बुरा दूसरों ने किया। मुझे उन बुराइयों मे नही जाना है—बस यह आपकी गवर्नमेंट से मुझे अन्त मे कहना है कि इसमे अधिक न्याय करने की बात सोची जाय और इन दुखियाओं का दु ख दूर करने के लिए जहाँ से भी हो आप पैसा इकट्ठा करे। मेरी समझ मे तो कम से कम यदि आप १०० करोड़ रुपया और लाये तो भी यह काम पूरा होने वाला नही है। जो पडित भार्गव जी ने ५० करोड की माँग की मै उसको कम समझता हूँ। १०० करोड रुपया, उस सब को छोड़ कर जो आपने आज तक दिया है, यदि आप और दे तो भी मै समझता हूँ कि यह कम ही होगा।

बस मेरा यह निवेदन है कि मेरी यह आवाज आप **कैबिनेट** तक पहुँचा दे, यही अन्त मे मुझे मत्री महोदय से प्रार्थना करनी है।

३०

गोआ की समस्या

१७ सितम्बर १९५५ को भारतीय लोक-
सभा में विदेश नीति पर बोलते हुए

सभापति जी ! आज के विदेशी विषयो के इस वादविवाद मे मै कुछ शब्द केवल गोआ के बारे मे निवेदन करने को खडा हुआ हूँ।

सुनहली रेखा

सबसे पहले मै अपनी श्रद्धाजलि उन वीरो को अर्पित करता हूँ जिन्होने गोआ के सत्याग्रह मे अपने प्राणो की आहुति दी है। उसके बाद मेरी श्रद्धा-जलि उन बहुत से साहसी पुरुषो और नारियो के लिए है जिन्होने अच्छी सख्या मे गोआ मे प्रवेश किया और चोटे खायी। इन चोटो मे बहुतो को गोलियाँ भी लगी। स्वभावत पोर्चुगाल के इस अत्याचार की नीति पर हमारे हृदय मे क्षोभ उत्पन्न होता है।

परन्तु साथ ही मुझे इस सत्याग्रह से एक प्रसन्नता हुई। भविष्य की एक सुनहली रेखा मुझको आकाश मे दिखाई पडी। अपने राष्ट्रपिता गाधी जी के नेतृत्व मे हमने देखा कितने युवक और अधिक अवस्था के लोग भी साहस से बढकर देश के लिए अपनी बलि चढाने को तैयार हुए। जब जब उन्होने कोई पग उठाया चारो ओर से उनकी पुकार पर सहस्रो नर नारी देश के लिए खडे हुए। कुछ ऐसा लगता था कि हमारे हृदय की वह लहर इधर ढीली सी हो चली थी। इस सत्याग्रह ने हमे दिखलाया कि हमारे जन समुदाय के भीतर इस समय भी साहस, वीरता और त्याग की वह भावना मौजूद है जो राष्ट्र का मुख्य आधार हुआ करती है। इस कारण मुझको इस सत्याग्रह आन्दोलन पर प्रसन्नता हुई और मैने उन युवको को जो सत्याग्रह के लिए गए थे, हृदय से आशीर्वाद दिया।

परन्तु आज विवाद का प्रश्न तो यह है कि सत्याग्रह जो बद कर दिया गया वह क्या ठीक हुआ। हमारे कई भाइयो ने इस प्रश्न को इस तरह देखा कि इसमे शासन के अधिकारियो के पैर ठडे हो गये। इस बात को उन्होने अग्रेज़ी भाषा मे कहा था। मुझे निष्पक्ष भाव से इस प्रश्न को देखते हुए ऐसा नही लगा। सत्याग्रह ने अपना काम किया। सत्याग्रह ने साहस की लहर फैलाई। सत्याग्रह ने ससार के सामने गोआ के प्रश्न को स्पष्ट रीति से रक्खा, यह सत्याग्रह का गहरा लाभ हुआ। उसका प्रभाव भी ससार के अन्य राष्ट्रो पर पडा, मुझे इसमे कोई सन्देह नही है।

सत्याग्रह—एक अनुष्ठान

परन्तु हमे यह कभी नही भूलना चाहिये कि सत्याग्रह एक अनुष्ठान होता है। मै आशा करता हूँ कि अनुष्ठान का अर्थ आप सब लोग समझते होगे . . .

Dr Lanka Sundaram (Visakhapatnam) : Please translate it into English

(**डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापत्तनम)** : इसे अग्रेजी मे अनुवादित कर दीजिए।)

श्री टंडन : अग्रेजी में मै उसका अनुवाद नही कर सकता। अनुष्ठान यज्ञ के समान होता है जो बारहो महीने नही चला करता। वह सामयिक होता है और विशेष कार्य के लिए किया जाता है। सत्याग्रह भी एक अनुष्ठान है, यज्ञ है, समय से किया जाता है और समय पर उसका परिणाम सामने आता है। किसी अभिप्राय से अनुष्ठान किया जाता है, परन्तु वह कोई स्थायी कार्य नही होता। सत्याग्रह यहाँ हुआ और उसका कुछ परिणाम हुआ। हाँ ! यह परिणाम नही हुआ कि गोआ आपको मिल गया हो। परन्तु उसका लाभ हुआ, इसमे कोई सन्देह नही। गोआ का प्रश्न आगे बढा और संसार के सामने आया। प्रश्न यह है कि क्या यह अनुष्ठान अभी जारी रह सकता था। कुछ थोडे दिन और भी जारी रखा जाना सम्भव था, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि ऐसे अनुष्ठान सदा नहीं चला करते, स्थायी नही होते। आपने गाधी जी के क्रम मे भी देखा था कि किस प्रकार से वह चलाते थे और फिर समय पर उस अनुष्ठान को खीच भी लेते थे। यहाँ प्रधान मत्री जी ने यह तो नही कहा कि उन्होंने उसको चलाया, जो कुछ उन्होंने कहा वह तो अपने हृदय की सही बात कही, अर्थात् उन्होंने इस अनुष्ठान को चलाने का दायित्व कभी अपने ऊपर नही लिया। परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यद्यपि उन्होने स्वय उसको नही चलाया, तो भी सहानुभूति उनके हृदय में सत्याग्रहियों के प्रति थी। आदर सत्कार और आशीर्वाद की भावना उनमे थी, यह भी स्पष्ट है। इसीलिए उनको आज यह सुनना पडा, जैसा कुछ भाइयों ने कहा, कि आपकी नीति मे परिवर्तन हो गया है।

नीति परिवर्तन

उन्होने स्वय यह कहा कि हमारी नीति में परिवर्तन नही हुआ है। विरोधी भाइयो की बात मैंने जो सुनी और प्रधान मत्री जी ने जो कुछ कहा, उसमें मुझे कुछ बीच की बात सही लगती है। सम्भवत जानबूझ कर प्रधान मंत्री ने नीति नही बदली हो परन्तु उनका पहले जो क्रम था वह आशीर्वादात्मक और सहानुभूतिपूर्ण था, उसमें अन्तर पड़ा जब सत्याग्रह

को उन्होने रोका इसमे तो कोई सन्देह नही है। उन्होने बताया कि उनके स्वय मस्तिष्क मे बहुत स्पष्टता नही थी। उन्होने कहा कि आरम्भ मे मै बहुत स्पष्ट नही था कि क्या कर्तव्य है।

वह यह समझते है कि उनकी नीति मे अन्तर नही हुआ। इधर लोगों ने यह समझा और यह आक्षेप किया कि उनकी नीति मे अन्तर हुआ। मै मान लेता हूँ आपकी-बात कि अन्तर हुआ है। तो क्या नीति मे अन्तर करने से सदा बुराई होती है ? जो बुद्धिमान पुरुष होता है उसको तो अपनी नीति को समयानुकूल बदलना पड़ता है। जो नीति पाँच दिन पहले थी वह आज भी उसी नीति पर चलता रहे जब सघर्ष छिड़ा है, यह आवश्यक नही है, यह तो आप सब स्वीकार करेगे। यदि उनके हृदय ने उस सत्याग्रह की नीति को उस समय स्वीकार भी किया हो चाहे बेजाने, जिसको अग्रेज़ी मे **सब-कांशस माइंड** कहते है उसके द्वारा, उन्होने तो यह कहा है कि कोई अन्तर नही किया है, परन्तु यदि उन्होने उस नीति को अपना मन स्पष्ट न होने के कारण कुछ दिन के लिए चलाया भी, तो फिर पीछे जब उन्होने देखा कि अब इसको हम बन्द करे, कुछ कारणो से, तो इसमे न कोई उनकी झूठी बात है और न नीति की बुराई ही है। इसमे न कोई उन्होंने अपराध किया है और न ही यह कोई अनीति है।

शासन ने दायित्व लिया

मै स्वयं यह समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट ने या शासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब हम यह दायित्व अपने ऊपर लेते है, हम अब गोआ पर सील लगाते है, यह उनका अग्रेजी का शब्द है। उन्होने हर दायित्व को अपने ऊपर लिया और कहा कि अब हम पुर्तगाल के साथ निबटेगे, आर्थिक रोकथाम लगाकर, अथवा उनके मन मे दूसरी बाते है जो उन्होने स्पष्ट नही कही, परन्तु उन्होने कहा कि शासन इस दायित्व को अपने ऊपर लेता है और द्वार को बन्द करता है, उनको आने नही देगे और जब उनको आने नही देगे तब फिर हम कैसे आपको जाने देगे ? अग्रेजी मे उन्होने जो लफ़्ज इस्तेमाल किया है वह यह है कि यह **एप्रोप्रियेट** नही है कि हम आपको जाने दे। मुझे तो यह बात नीतिपूर्ण और ठीक लगी है कि उन्होने द्वार बन्द करके सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अभी तक तो सत्याग्रहियो ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। अनुष्ठान उन्होने किया और उनका अनुष्ठान चलने दिया गया कुछ देर तक। अब यह कहा गया है कि अनुष्ठान को बन्द किया जाय और हम स्वय जिम्मेदारी लेकर सामने आते है और हम इसका निबटारा करेगे। मै नही समझता कि क्यो गवर्नमेंट को, जिसने बहुत बडा दायित्व अपने ऊपर लिया है, अवसर न दिया जाय। आपको चाहिये कि आप अनु-

ष्ठान को बन्द कर दीजिए। उन्होने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लेकर एक साहस का काम किया है और आप उन्हे अवसर दीजिये, देखिये वह क्या करते है। यह काम एक दो दिन मे तो हल हो नही सकता। आपको चाहिये कि आप उनको साल छ. महीने का समय दीजिये और देखिये वह क्या करते है। आप देखे कि उनकी कार्रवाइयो का क्या परिणाम निकलता है। उन्होने **इकनामिक सैकशन** लगाने की बात कही है। साधारण रीति से माल के आने जाने पर, जहाजों द्वारा माल के आने जाने पर रोक लगाने की बात कही है। इन सब कार्रवाइयो के बावजूद यदि आप देखे कि कोई नतीजा नही होता है, तब फिर समय आयेगा जब आप उनकी टीका-टिप्पणी कर सकेंगे और कह सकेंगे कि आप सफल नही हुए और अब हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। सत्याग्रह को उन्होने कुछ दिन तक जारी रहने दिया और फिर उसको रोक दिया, यह अपने मे कोई ऐसी बात नही है जिसके ऊपर हम उनको बुरा भला कहे।

सत्याग्रह की सफलता

मै स्वयं यह समझता हूँ कि आपके सत्याग्रह से अनुष्ठान का काम हो गया। यदि आप यह समझते थे कि इस सत्याग्रह से आप सालाजार के घुटने टिका देंगे तो इसकी मुझे कभी कोई आशा नही थी। आशीर्वाद मैने दिया था। मै यह आशा करता था कि सत्याग्रह का कुछ न कुछ असर ज़रूर होगा। सत्याग्रह ने भावना जगा दी और अपना काम उसने कर दिया। आपने देखा कि गाधी जी के नेतृत्व मे कैसे लडाइयाँ लड़ी गई। आप जानते है कि अग्रेजो के समय में भी कितने सत्याग्रह हुए। क्या एक ही सत्याग्रह के कारण अग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए ? यह नही हुआ। जब हम इस रास्ते पर चलते है तो भाव जगाते है, आपके हृदय मे एक तरह के, ससार के हृदय मे दूसरी तरह के और फिर कुल मिलाकर कुछ समय बाद एक वायुमण्डल ससार मे बनता है। उस वायुमण्डल का असर होता है और तब वह अपना प्रभाव दिखाता है। यह बात कुछ समय लेती है। आपने एक सत्याग्रह शुरू किया, उसका अनुष्ठान समाप्त हुआ। मै समझता हूँ कि शासन ने समय पर आकर बुद्धिमानी का काम किया है कि आपके अनुष्ठान को रोक दिया, नही तो शायद बहुत सम्भव था कि वह थोडे दिन बाद अपने आप ढीला होता। उन्होंने आपको सत्याग्रह रोकने का अवसर नही दिया, उन्होने सभी का आदर रखा और उस अनुष्ठान को रोककर स्वय अपने ऊपर उसका उद्देश्य ओढ लिया। आपको उन्होने बरीउजजिम्मा कर दिया और अपने ऊपर दायित्व ओढ लिया। मै इसको एक बुद्धिमानी की बात समझता हूँ। आप देखे छ महीने या साल भर। उनको काम करने का अवसर दे। यह राजनीतिक प्रश्न है, फिर आपके सामने आयेगा और आप जैसे भी चाहेंगे अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

●

३१

धर्म परिवर्तन मे कपट-भावना

३० सितम्बर १९५५ को भारतीय लोकसभा मे ईसाई मिशनरियो के धर्मप्रचार पर बोलते हुए

उपाध्यक्ष महोदय ! अभी जो भाषण हुए उनको सुन कर मेरे हृदय में यह भावना है कि जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया गया है, उसके पीछे बहुत अच्छे कारण है। इस पर हमारे उपमत्री जी जो यहाँ उपस्थित है, क्या करेगे, यह तो मै नही जानता, लेकिन उनसे, उनकी गवर्नमेट से तथा यहाँ के सदस्यो से मेरा तो यह कथन है कि जो कारण बताये गये है उन कारणो के अतिरिक्त हम सबों को भी अनुभव इन मिशनरी पादरियो का है। उन सब बातो को जानते हुए, उनका अनुभव करते हुए, यह उचित है कि हम इस प्रकार से अपने देश के लोगो को दूसरे देश के लोगो द्वारा दूसरे धर्मो मे जाने से बचाये।

यह ठीक है कि हमारे सविधान मे इस बात की छूट है कि जो पुरुष या नारी किसी दूसरे धर्म मे जाना चाहे वह जा सके, दूसरे धर्म के लोगो को अपने धर्म के प्रचार का भी अवसर हमारे यहाँ दिया गया है। साथ ही सविधान का यह भी अभिप्राय है कि जहाँ हमे यह दिखाई पडे कि इस धर्म परिवर्तन के पीछे छल कपट है उसे हम रोक सकते है। किसी गवर्नमेट को जिसमे नैतिकता का आदर है, जो डरपोक नही है, किसी दूसरे देश से डरती नही है, इस प्रकार की अनुचित बाते सहन नही करनी चाहिये। हमें इस विषय के भीतर घुस कर, जो ऐसे बुरे मार्ग है लोगो के धर्म परिवर्तन कराने के लिये, उनको रोकना है।

डा० एल्विन ने जो बाते कई वर्ष पहले अपने अनुभव से लिखी थी, उनको हम लोग पहले भी कुछ पढ चुके है और इधर भी हम सदस्यों को एक पुस्तिका बाटी गई है, जिसको देखने का मुझे अवसर मिला। वह बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है। डा० एल्विन का जो अपना अनुभव है इन मिशनरियों के बारे में, उससे यह प्रकट है कि यह लोग जो काम करते है, उनमे से कुछ अच्छे लोग भी है, सज्जन भी है, लेकिन उनमे बहुत लोग ऐसे है जो ईसाई बनाने के लिये छल कपट का सहारा लेते है।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि वह आदिवासी है, आदिवासियों मे ईसाई मिशनरी वह किस तरह से काम कर रहे है, यह उन्होने बताया। अपने को स्वामी बताना, जैसा उन्होने कहा कि ये स्वामी बन कर जाते है,

इसका क्या अर्थ है ? मैंने भी पहले देखा था कि एक दूसरी संस्था के लोग, साल्वेशन आर्मी के लोग, वह भी साधु का वेश रख कर जाते थे, जैसे हमारे यहाँ साधू सन्यासी हुआ करते है उसी प्रकार वह भी गाँव गाँव का दौरा करते थे। इसमे सन्देह नही कि वह यह सब काम सेवा के रूप मे करते है, ऐसी ऐसी जगहो पर पहुँचते है, जहाँ हमारे आदमियों का जाना कठिन होता है। वह शिक्षा भी देते है। हम लोगो ने सुना कि किस प्रकार से वह पैसा बाँटते है। लेकिन इस सबका असली तात्पर्य यह होता है कि वह किसी तरह से लोगो को ईसाई बना सके। डा० एल्विन ने अपने वक्तव्य में बहुत बल के साथ कहा है कि यहाँ यह ईसाई जो बाते कर रहे है वह दूसरे देशो मे बाहर के लोग नही कर पाते। उन्होने हालैण्ड की मिसाल दी और बताया कि यहाँ पर डच मिशनरी बहुत फैल रहे है और घुसे हुए काम कर रहे है, वे स्वयम् हालैण्ड में वह बाते नही कर सकते जो यहाँ करते है। यह छल कपट का रास्ता हमें बन्द करना है। डा० एल्विन ने अपना वक्तव्य शायद सन् १९४४ या ४५ मे लिखा था। मुझे ठीक याद नही है। उस समय उन्होने यह विश्वास प्रकट किया था कि जब इस देश की अपनी गवर्नमेंट आयेगी तब वह इन चीजों को रोकेगी और जो बाते आज हो रही है उनकी अनुमति कभी नही देगी। आज मुझे ऐसा लगता है कि इन पादरियों के काम मे हमारी स्वतन्त्रता के आने के बाद भी छल कपट बन्द नही हुआ और ईसाई होने वालो की सख्या बढ़ती जाती है।

ग़रीबी से नाजायज़ फ़ायदा

इसका यह कारण नही है कि जनता मे कोई धर्म परिवर्तन की लालसा बढ़ती जाती है। असल बात यह है कि ये मिशनरी इन लोगो की गरीबी का बहुत बडा फायदा उठा रहे है। हमारा देश गरीब है, आदिवासी भी ग़रीब हैं और हरिजन भी गरीब हैं। इन आदिवासियों और हरिजनो की गरीबी का ये लोग बेजा फायदा उठाते हैं। अभी जो भाई जेठालाल जी ने पढ़ा वह मैंने सुना। उन्होने बतलाया कि उत्तर प्रदेश मे जो चमारो की ५ लाख की बहुत बड़ी सख्या है उस पर इन मिशनरियो की निगाह लगी हुई है। वे समझते हैं कि ये हरिजन उनकी खुराक है। जेठालाल जी ने और भी समूहों के नाम गिनाये है जिन पर इनकी निगाह है और जिनके बारे मे इनकी मान्यता है कि ये गरीब लोग है, हिन्दू धर्म इनको अच्छी तरह अपनाता नही है, तो हम ही क्यों न इनको घसीट कर ले आये और ईसाई बनाये। मेरा कहना है कि हमें इस बात को रोकना है। हमने हिम्मत करके यह फैसला किया है कि हम अछूतपन बन्द करेगे और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश में अछूतपन बन्द हो गया। यह ठीक है कि वह नियम द्वारा बन्द किया गया

है, और अब भी कही कही देहातो मे कुछ बना हुआ है। इसका कारण यही है कि यह बहुत पुरानी प्रथा है, एक दम से नही जा सकती। लेकिन अब हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह के छल कपट से लोगो का धर्म परिवर्तन न होने दे। इसमे कोई सकुचित धार्मिक भावना की बात नही है, इसका बहुत गहरा राजनीतिक प्रभाव पडता है, यह नही भूलना चाहिये। डा० एल्विन ने स्वय इस बात पर बल दिया है कि जिनका इस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जाता है उन पर दूसरे प्रकार के राजनीतिक असर पडते है और देश मे नये नये प्रकार के अल्पसख्यक समूह बन जाते है जो भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारो की माँग करते है।

जो हमारे यहाँ ईसाई भाई है हम उनका आदर करते है और जो दूसरे धर्म वाले है उनका भी हम आदर करते है। हमारा देश तो इस विषय मे सदा से बड़ा उदार रहा है। यह खाली सनातन धर्मियो का ही देश नही है। यहाँ सब धर्मो के लोग है। हमारे यहाँ प्राचीन समय से लोग अलग अलग मतों के अनुसार चलते रहे है। परन्तु यह उनका स्वतत्र मत होता था, वे लोग स्वतत्रता के साथ इन मतो के अनुसार चलते थे। हमारा तो यह कथन रहा है—"नास्ति मुनिर्यस्य मतिर्न भिन्ना।" यह हमारी दुर्बलता का एक कारण भी हो सकता है, लेकिन यह हमारा बडप्पन भी बतलाता है कि इस बारे में हमने कोई रोकथाम नही की। मुनियो मे भी आपस मे मतभेद रहा है। स्मृतियों में भी भेद रहा है। इस प्रकार हमारे यहाँ परिवर्तन होते रहे है। लेकिन अपनी सख्या बढाने के लिए, धोखाधड़ी से लोगो का धर्म परिवर्तन किया जाय और उनको हमारे देश की संस्कृति से अलग कर दिया जाय, यह बहुत ही भयावह है और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। यह केवल सामाजिक प्रश्न नही है। इसलिए हमको यह उचित लगता है कि इस ओर हमारी सरकार ध्यान दे। यदि इस **बिल** मे हमारे मत्रियो को कुछ बदलने की आवश्यकता प्रतीत हो तो वे इसमे सशोधन कर सकते है। मुझको तो यह बिल बहुत सीधा सादा लगता है। अगर सरकार जरूरत समझे तो कुछ परिवर्तन कर ले।

पूर्व सूचना आवश्यक

इस **बिल** मे यह कहा गया है कि यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो पहले वहाँ के अधिकारी को इसकी सूचना दे दे। अगर वह सचमुच धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए इस **बिल** मे कोई रोक नही है। हाँ ! जो लोग छिपकर काम करने वाले है उनको यह बात पसन्द नही आयेगी। नही तो इसमें तो यह सीधी सी बात है कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहे वह पहले से उसकी सूचना दे दे, और जो आदमी धर्म परिवर्तन कराने मे हिस्सा

लेना चाहता है, चाहे वह पादरी हो या कोई दूसरा हो, जो इस काम मे मदद देना चाहता है कोई किताब पढाकर या कोई रस्म करा के, उसको भी पहले ऐसा कराने की अनुमति लेनी होगी। उसको इस बात के लिए आज्ञा लेनी होगी कि वह धर्म परिवर्तन कराने मे भाग ले सके। मुझे ऐसा नही लगता कि इस **बिल** मे कोई आपत्तिजनक बात है।

ये पादरी लोग सब पैसे वाले है। विलायत से, अमरीका से और दूसरे देशो से इनके पास पैसा आता है। ये लोग इस पैसे का यह उपयोग करते है कि हमारे गरीब भाइयो को बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा लेते है। ये लोग इन गरीब लोगो को कुछ धन का फायदा करा देते है या पैसा दे देते है और इनका धर्म परिवर्तन करा लेते है। डा० एल्विन ने भी यह लिखा है कि ये लोग उनको कर्ज देते है और थोडी थोडी सुविधा देकर धीरे धीरे इनको ईसाई बना लेते है। हमको यह बरदाश्त नही करना चाहिये कि कोई आदमी आये और पैसे का लोभ देकर हमारे यहाँ के आदमियो का धर्म परिवर्तन कर दे। हमारी गवर्नमेंट को इस विषय मे सचेत होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यह बिल जो उसके सामने पेश है बहुत उचित है। उसकी बातें बहुत सीधी सी है। उसमे केवल दो तीन तो बाते ही है। एक यह कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहे वह पहले इसकी सूचना अधिकारी को दे दे, दूसरी यह कि धर्म परिवर्तन कराने वाला अधिकारी व्यक्ति हो, अर्थात् राज्य के किसी अधिकारी से उसको यह अधिकार मिला हो कि वह यह काम करा सकता है। तीसरी यह कि जिनका धर्म परिवर्तन होता है उनका एक रजिस्टर रखा जाय। यही तीन बाते इस **बिल** मे मुख्य है। मै नही समझता कि इनमे कोई ऐसी बात है जिसको अनुचित कहा जा सके। यह सब सविधान के भीतर है। सविधान उनको सुभीता देता है . .. . ..

Shri Kanavade Patil (Ahmednagar North) There is no need for conversion now-a-days in India

[**श्री कनवाडे पाटिल (अहमदनगर उत्तरी)** . आजकल भारतवर्ष में धर्म-परिवर्तन की आवश्यकता नही है।]

श्री टंडन . आप कहते है कि धर्म परिवर्तन करने की अब कोई आवश्यकता नही है। यह प्रश्न तो किसी व्यक्ति के धर्म का है, जिसका हम और आप फैसला नही कर सकते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे ईसाई बनना चाहिए, तो आपका यह कहना पर्याप्त नही होगा कि इसकी आवश्यकता नही है। मै आशा करता हूँ कि आप मेरी हिन्दी समझते है। मै तो आपकी अग्रेजी समझ गया। आपने मुझे अग्रेजी भाषा मे यह समझाया है कि अब धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नही है। लेकिन इससे कोई प्रश्न हल नही होगा। हमने इस विषय मे अपने सविधान मे छूट दे दी है। अगर आप हिन्दू से

ईसाई होना चाहे तो हो सकते है, लेकिन हम इस बात की रोक कर सकते हैं कि आपको कोई छल कपट से, धोखा देकर ईसाई न बनाये।

यह नियम सबके लिए लागू है, केवल ईसाइयो के ही लिए नही है। अगर कोई हिन्दू किसी ईसाई को हिन्दू बनाना चाहेगा तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। अगर हमारा कोई हिन्दू धर्म का प्रचार करने वाला जायगा तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। यह कोई ईसाइयो के लिए ही नही है। कोई धोखाधड़ी नही होने दी जायगी। जिसको हिन्दू होना है वह डंके की चोट हिन्दू होगा, वह कहेगा कि मुझे हिन्दू धर्म स्वीकार है इसलिए मै हिन्दू होना चाहता हूॅ। इसी प्रकार जो ईसाई होना चाहेगा वह डके की चोट ईसाई हो सकेगा। यह आवश्यकता का प्रश्न नही है। यह तो अपने अपने मत की बात है। हमारे देश मे सदा मत की स्वतत्रता रही है, लेकिन हम छल कपट नही होने देगें। छल कपट से छोटे छोटे बच्चो तक को यहाॅ ईसाई बनाया जाता रहा है। मुझे आशा है कि हमारे उपमत्री जी इस पर ध्यान देगे और गवर्नमेट इस पर ध्यान देगी।

बस मुझे इतना ही कहना है।

३२

खाद्य स्थिति—ग्राम निर्माण

१ अक्टूबर १९५५ को भारतीय लोक सभा में खाद्यमंत्री के भाषण पर बोलते हुए

सभापति जी! जो बाते अपने भाषण मे मत्री जी ने बताई उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ।

गुलाबी तस्वीर

उन्होने हमे सख्याओ द्वारा यह बताया कि हमारे देश मे अन्न पहले से बहुत अधिक हो रहा है और अन्न की समस्या जो पहले हमे डराती थी वह अब लगभग नही है तथा इस वर्ष बहुत ही थोड़ा सा अन्न बाहर से मगाना है, साथ ही यह कि हमारे पास इतना अन्न होता है कि हम उसमे से एक हिस्सा बाहर भी भेज सकते है। यह एक अच्छी तथा गुलाबी तस्वीर है, देखने मे सुहावनी मालूम होती है। इसी प्रकार चीनी की पैदावार, उन्होने कहा, इस वर्ष १९५४–५५ में १६ लाख टन हुई है। इससे पहले कभी इतनी पैदावार नही हुई। चार पाच वर्ष पहले ८ लाख टन, ९ लाख टन या १० लाख टन होती थी। एक साल १२ लाख टन हुई तब बधाई दी गयी थी। अब १६ लाख टन होती है। चीनी की पैदावार बहुत बढी। अन्न भी बढ़ा और चीनी भी बढी। गवर्नमेट ने यह भी प्रबन्ध किया, जिसकी मत्री जी ने बहुत व्योरे के साथ चर्चा की, कि किसानो के उधार लेने देने की सुविधा का बहुत सुन्दर प्रबन्ध हो रहा है। यह सब देखने मे अच्छी बाते है।

गाँवों की दरिद्रता जैसी की तैसी

परन्तु मेरे हृदय मे एक कसक और एक पुकार उठती है। जो हो रहा है उसका प्रतिबिम्ब, उसका अक्स देहात के जीवन पर क्या पडा है? जब हम देहातो मे जाते है, ग्रामो को देखते है तब वहाँ हमे आँख से यह नही दिखाई पड़ता कि वहाँ के लोगो की दरिद्रता मे कुछ अन्तर हुआ हो। वह वैसे ही दरिद्र बने हुए है, कपडे लत्ते नही, खाने के विषय मे बुरी दशा, किसी भी बात मे परिवर्तन नही हुआ है। हमारे प्रदेश मे चीनी बनाने का सबसे बड़ा सामान गोरखपुर और देवरिया मे है। यह दो जिले हमारे देश के चीनी बनाने मे प्रसिद्ध है। जब चीनी की पैदावार बढी तो स्वभावत हम

यह समझते है कि वहाँ के जो चीनी के कारखाने है उनमे वृद्धि हुई। परन्तु वहाँ की जनता की क्या दशा है। हमारे राज्य भर मे, उत्तर प्रदेश भर मे, सब से दरिद्र यही दो जिले है, गोरखपुर और देवरिया, जहाँ पर सब से अधिक चीनी बनती है। हमारे राज्य मे यह दो जिले सब से अधिक चीनी बनाने वाले है, तो अनुमान किया जा सकता है कि इन दोनो जिलो की हालत कुछ अच्छी होगी, लेकिन बात उल्टी है। जहाँ सब से अधिक चीनी बन रही है, वही जिले सब से अधिक दरिद्र है। हमको याद है गोरखपुर और देवरिया के मान्य नेता बाबा राघव दास जी जिनको हमारे मत्री जी भी बहुत अच्छी तरह जानते है, उन्होने कई बार मेरे सामने कथा कही है, अपने भाषणो मे उन्होने बताया है कि वहाँ की दरिद्रता का क्या हाल है। मैने इतनी दरिद्रता का अनुमान भी नही किया था। वहाँ के देहात के हरिजन कई महीने तक वहाँ के गाय बैलो की जो गोबरी होती है उसमे से अनाज निकालते है और धो धो कर उस से अपना गुजारा करते है। लगभग दो ढाई महीने तक उनको ऐसा करना पडता है। बहुत से गाँवो का यह हाल है। इस खाने को गोबरी कहते ही है। कितनी दर्दनाक और बुरी दशा उन देहातो की है?

क्या संख्याएं सही है?

ऐसी दशा मे यह सन्देह होता है कि जो संख्याये हमे बताई गई है क्या वह सब सही है। मेरे लिये कहना कठिन है। हमारे मंत्री जी तो जानते होगे, हमारे पुराने दोस्त श्री रफी अहमद किदवई इन सख्याओ की क्या इज्जत करते थे। कई बार उन्होने कहा था, शायद यहाँ भी कहा था, कि इन सरकारी संख्याओ के ऊपर भरोसा नही किया जा सकता। विशेषकर उन्होने उस समय यह कहा था जब राशन लगा हुआ था और बराबर यह बात आती थी कि यहाँ कितना अनाज हो रहा है। वह राशन के विरुद्ध थे। वह कहते थे कि उपज की दी हुई सख्याये गलत है।

सवाल उठता है कि यह सख्याये सही है या गलत है। जिस तरह की भी हो, मै नही कह सकता। लेकिन इतना मै जानता हूँ कि जो गाँवो की हालत है वह मुझे कही पर भी सुधरती हुई नही दिखाई देती। जहाँ भी मै गाँवो मे जाता हूँ, दरिद्रता छाई हुई दिखाई देती है। अभी बाढ आई। उस बाढ ने तो और मुसीबत कर दी, लेकिन बाढ के पहले भी इतनी बुरी हालत थी कि थोड़ी सी बाढ आई और उस बाढ के आते ही किसी के पास कोई सरो सामान नही रहा कि उसमे थोडा बहुत भी ठहर सके। बहते चले जाते है।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री टंडन : मैने समझा था कि आप मुझे १५ मिनट देगे। मेरा ऐसा अनुमान था।

मेरा कहना है कि इसमे कही न कही कोई गहरा अन्तर है, भीतर से यह स्थिति है, बुरी हालत है, बाहर पैदावार की बढी हुई सख्याएँ है। मै अनुमान करता हूँ कि आपने इन बातो की ओर ध्यान दिया होगा।

गाँवों का रहन सहन

मुझे लगता है कि दो एक और प्रश्न बहुत बड़े है जिनकी और ध्यान देने की आवश्यकता है। मै उनको मौलिक प्रश्न मानता हूँ। एक तो यह है कि देहात मे जो लोग रहते है वे कैसे रहते है, उनका रहन सहन क्या है और कैसे हम उनके रहन सहन को सुधार सकते है। आप अरबो रुपया बडी बड़ी योजनाओ मे खर्च करते है। मै निवेदन करता हूँ कि इन योजनाओ को चाहे हम उस हद तक, जिस हद तक हम चाहते है, पूरा करे या न करे, परन्तु हमारा रुपया मुख्य करके आज इसमे लगना चाहिये कि हम देहातो की सूरत बनायें। आप पॉच दस देहातो को बना कर तो दिखाये। आज तक मेरी यह शिकायत रही है लेकिन इसे दूर नही किया गया है। आपने बहुत से **कम्यूनिटी प्रोजेक्ट** चला रखे है लेकिन जब मैने इनको देखा तो इनका मेरे ऊपर तो कोई असर नही पडा। मुझे तो ऐसा नही लगा कि इनका देहाती जनता पर कोई मौलिक तौर पर बहुत अच्छा असर पडा हो। आप बहुत ऊपरी चीज बना रहे है। आप उनके रहन सहन की तरफ देखे, उनके घरो की तरफ देखे, उनकी दरिद्रता की तरफ देखे। मैने कई बार निवेदन किया है कि नये ढग से आप ग्राम बसाये लेकिन अभी तक आपने कुछ भी तो नही किया है। मुझे मालूम है कि हमारे भाई मोहनलाल सक्सेना जी ने भी यह बात सामने रखी थी, एक "निर्माण" पत्र भी उन्होने निकाला है, उसमे भी चर्चा आई। लेकिन गवर्नमेट ने कोई ध्यान नही दिया।

नमूने के गॉव

मेरा सुझाव है कि दो चार गॉव हर जिले मे आप नमूने के तौर पर बना कर सामने लाये जिनमे हर घर दूसरे घर से अलग हो, हर घर के साथ कुछ भूमि अलग हो जिस मे बाटिका बन सके ताकि रहने का कुछ सुन्दर ढंग हो। आज गंदगी से भरे हुए गॉव है और यही हालत घरो की भी है। मैने आध आध एकड जमीन की बात की थी लेकिन अगर आप आध एकड़ भूमि एक घर के साथ अलग नही रख सकते तो चौथाई एकड ही रखे। मै जानता हूँ यह एक दिन की बात नही है लेकिन कुछ नमूने तो आप दे ही सकते है, यह बात तो आपके लिये मुश्किल नही है।

ग्राम-निर्माण बोर्ड

ग्रामोद्योगो के लिये आपने एक बोर्ड बनाया, मै गवर्नमेंट को उसके लिए बधाई देता हूँ। मै यह मानता हूँ कि गवर्नमेट ने आज तक जितने

अच्छे काम किए है उनमे लगभग सब से अच्छा काम यह किया है जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया है। इसको बहुत ऊचा स्थान दिया गया है और देना भी चाहिये था। मै मत्री महोदय को सुझाव देता हूॅ कि जिस तरह से आपने यह बोर्ड बनाया है उसी तरह से आप एक और बोर्ड बनाये जिसको आप कुछ रुपया दे, उसको आप अधिकार दे कि वह नये ढग के गॉव आपको बना कर दे, हर जगह नमूने बनवा दे। आप इतना रुपया खर्च कर रहे है, तो क्या आप दो चार गॉव भी बनवा कर नही दिखा सकते। चाहे आप छोटा सा कच्चा घर ही बनवा दे लेकिन उस घर के साथ थोड़ी सी जमीन आध एकड या चौथाई एकड होनी चाहिये जिसमे बाटिका हो। इस तरह जो यह जमीन हर मकान के साथ रखेगे उसमे वह लोग खेती कर सकेगे और अपनी आमदनी भी बढा सकेगे। साथ ही साथ मुल्क की पैदावार भी बढेगी और पैदावार बढाने का यह कितना सुन्दर रास्ता है। अगर आप इस तरह घर बनवायेगे तो मेरा निवेदन है जो आपका रुपया खर्च होगा वह एक उपयोगी चीज पर खर्च होगा, वह व्यर्थ नही जायगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप एक बोर्ड बनाये जो यह सब काम करे।

क्योकि समय बहुत कम है, सक्षेप मे मेरी प्रार्थना यही है कि इस तरह से आप गॉवो की जनता को उठाने की बात सोचे। इस प्रकार से पशुधन की भी, जिसकी चर्चा भार्गव जी ने की, उन्नति होगी। आज गॉवो मे जो लोग रहते है उनके पास जगह नही होती है पशुओं को रखने की। अगर आप आध एकड भूमि देगे तो उसमें से ग्रामवासी कुछ तो बाटिका के लिये रख लेगे और थोडी सी पशुओ के लिए रख लेगे। तब उनको एक उत्तेजना होगी, एक सहारा होगा, और वह गाय को पाल सकेगे। हम गोरक्षा की बात करते है, लेकिन गौ रखने के स्थान की एक कठिन समस्या है। इस तरह से अगर आप मकान बनाये तो पशुधन की भी उन्नति हो सकती है और हमारा ग्रामीण जीवन भी ऊचा उठ सकता है। इससे गॉवो मे सफ़ाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और हर तरह से उस मकान मे रहने वाले को सुविधाये होगी। उनको अपने जीवन में अधिक सुन्दरता दिखाई पड़ेगी।

●

३२

राज्यों का पुन:संघटन

२२ दिसम्बर १९५५ को राज्यों के पुन:सघटन की समस्या पर बोलते हुए

एक भारतीय संस्कृति

सभापति महोदय! इस विषय पर मैंने भी कुछ विचार किया है कि हमारे राज्यो का पुन सघटन किस प्रकार हो। विचार करने मे कठिनाई यह होती है कि जो बात दलील और तर्क की दृष्टि से उचित दिखाई पड़ती है वह बहुत से भाइयो को अच्छी नही लगती। जैसा कि कल हमारे प्रधान मत्री ने कहा, ऐसी स्थिति मे बड़ी बात यह है कि केवल हम तर्क का ही नही बल्कि पारस्परिक मेल और प्रेम का सहारा ले। लेकिन इस पर भी कही कुछ दबाव आवश्यक सा हो जाता है।

हम सबो की ही इच्छा है कि यह सारा प्रश्न प्रेम के साथ हल हो और आपस मे कम से कम खीचातानी हो, न हो तो बहुत ही सुन्दर है। हम सब एक देश के वासी है। हमने बार बार यह घोषणा की है कि हमारी एक संस्कृति है, भारतीय सस्कृति। यह सच है कि इस एक सस्कृति मे कई अलग अलग रग है, परन्तु सब मिला कर हमारे देश की एक सुन्दर संस्कृति है। हमारा देश भारत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसलिये इसमे भाषा के आधार पर जितनी कम खीचातानी हम करे उतना ही अच्छा है।

एक राज्य एक भाषा

यह तो हम सब मानते है कि भाषा स्थानीय संस्कृति का एक अंग होती है। इससे हमारे काम मे और दैनिक व्यवहार मे सुविधा होती है। यही कारण है कि पुरानी काग्रेस ने भाषावार प्रदेशो की बात कही थी। हमें भूलना नही चाहिये कि उस समय हमारे सामने अग्रेजो से सघर्ष करने का मुख्य प्रश्न था। किस रीति से हम उस सघर्ष को तीव्र कर सकते है, आगे बढा सकते है, यह हमारा ध्येय था। उस समय हमारे पास अधिकार नही था। इसलिये मोटी रीति से हमने प्रदेशीय काग्रेस कमेटियों को भाषा के आधार पर बनाया। लेकिन साथ ही मेरा यह निवेदन है कि यह आवश्यक नही है कि अधिकार का प्रयोग करने मे भी हम उसी प्रकार से उन प्रदेशों को पकडे रहे। इसमे बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। वैसे मै स्वय भाषावार

प्रदेशो के बनाने का हामी रहा हूं। हमारे कर्नाटक के भाई जानते है कि जब मैने वहाँ, काग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते, दौरा किया तो मैने उनकी इस मांग का पक्ष किया था कि कर्नाटक एक राज्य बने। मै अपने भाई आन्ध्रों की भी इस माग का पक्षपाती था कि एक राज्य ऐसा हो जहाँ पर तेलगू भाषा-भाषी हो—इसलिये नही कि मै मद्रास का विच्छेद देखना चाहता था या वह विच्छेद मुझको अच्छा लगता था। सुन्दर तो यही था कि कुल मद्रास एक बड़ा प्रदेश रहता, परन्तु मै अपने वर्षो के अनुभव से यह देख सकता था कि वहाँ एकता चल नही रही है। तेलगू और तामिलो के आपसी सम्बन्धो को देख कर यही उचित लगा कि तेलगूभाषियो के लिये एक प्रदेश अलग कर दिया जाय। लाचारी कभी कभी हमको वाधित करती रही है, मजबूर करती रही है कि हम भाषावार प्रदेश बनाये परन्तु, जैसा कल प्रधान मत्री जी ने कहा, एक राज्य एक भाषा का सिद्धान्त सदा स्वीकार्य नही हो सकता। उसके कुछ अपवाद भी होते है। जहाँ ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार का बना है कि प्रदेशो मे कई भाषाये साथ साथ चली है, उनको सहसा अलग नहीं किया जा सकता।

कल हमारे प्रधान मत्री ने दो तीन बाते कही जिन पर मेरा विशेष ध्यान गया। एक तो उन्होने यह कहा कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धान्त सदा नही चल सकता। दूसरी बात उन्होने यह कही कि वह स्वय इसे पसन्द करते है कि एक राज्य मे कई भाषाये हो, उन्होने **बाईलिंगुवल** और **ट्राईलिंगुवल** की बात की अर्थात् यह कि अगर एक राज्य मे कई भाषाये हो तो उनको पसन्द होगा। मै इतना ही कहूँगा कि इसमे कोई बहुत पसन्द करने की बात तो नही है, परन्तु यदि ऐसा हो तो उसे प्रेम के साथ स्वीकार करना चाहिये। सुविधा तो इसी मे है कि जहाँ तक हो सके एक भाषा का राज्य बने, लेकिन अगर दो या तीन भाषाओ का बनता है तो इसमे कोई ऐसी बडी कठिनाई नही है। उनकी इस बात से मै बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दो या तीन भाषाये सीखे। जब अग्रेजी हमारे सिर से हट रही है, यह बहुत आसान बात है। हमारे देश की भाषाये तो इतनी समीप है, इतनी मिली हुई है कि उनको सीखने मे कोई कठिनाई नही होगी। मै तो इसे कोई कठिन समस्या नही मानता हूँ।

उर्दू—हिन्दी का ही रूपान्तर

उन्होने कल उर्दू भाषा की चर्चा की थी। मै उनसे बिलकुल सहमत हूँ कि उर्दू भाषा भी हमारे देश की ही भाषा है और यह किसी दूसरे देश मे नही बनी है। मैने सदा हिन्दी के एक कार्यकर्ता के नाते यह निवेदन किया है कि उर्दू हिन्दी का ही एक रूपान्तर है। एक समय आया, एक ऐतिहासिक

समय, जब हिन्दी भाषा मे ही फारसी और अरबी के शब्द मिलाये गए और एक नये रूप की भाषा बनी, प्राय वह दिल्ली के बाजारों मे बनी, पर वह फैल गई। इसमे कोई सन्देह नही है कि यह हमारे देश की ही एक भाषा है। परन्तु उसकी जो लिपि है, साधारण रीति से लिखने की, उसको हम यह नही कह सकते कि हमारे देश की है। इस लिपि की कठिनाई कही कही पर आ जाती है। मैने तो उस लिपि को पढा है और मै मानता हूँ कि उस लिपि मे कुछ सुविधा है। परन्तु उस लिपि को प्रयोग मे लाने से पहले हमे यह देखना पडेगा कि जो दूसरे लोग है उनको इससे क्या सुविधाये होगी और क्या असुविधाये होगी। अस्तु यह प्रश्न इस समय हमारे सामने व्यावहारिक रीति से नही है। काश्मीर मे उर्दू लिपि है, बहुत अच्छी तरह से यह वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर किसी को आपत्ति नही है, वहाँ के हमारे भाई इसे चाहते है, इसमें किसी को एतराज नही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश मे या दिल्ली मे जो भी इस लिपि को पढना चाहते है और इस लिपि को पढने लिखने मे प्रयोग करना चाहते है, उनको अवश्य ही सुविधाये दी जानी चाहिये, मै इसका पक्षपाती हूँ। हाँ! अगर काम करने में, अदालतो मे और कचहरियो मे और व्यवहार मे इस लिपि के प्रयोग करने का प्रश्न आता है तब तो हमे दूसरों की सुविधाओ की ओर, जनता की सुविधाओ की ओर भी देखना पडेगा और इस पर भी विचार करना पडेगा कि उनको कहाँ तक कठिनाई पडती है। मै इसका पक्षपाती हूँ कि उर्दू मे अगर कोई भाई अपनी दरख्वास्त देता है तो वह ले ली जाय परन्तु जब कार्यालयो और दफ्तरों मे उर्दू चलाने की बात आयेगी तो अवश्य ही कठिनाई पड़ेगी। जो देखने की बात है वह यह कि इसको व्यवहार मे लाने से क्या क्या सुविधाये होगी और क्या क्या असुविधाये होंगी। इस वास्ते हमे उसी बात को स्वीकार करना पड़ेगा जिसमे अधिक से अधिक सुविधा हो।

उत्तर प्रदेश की समस्या

हमारे उत्तर प्रदेश के प्रश्न को भी यहाँ पर दो एक भाइयों ने उठाया है। श्री लका सुन्दरम् जी ने जब भाषण दिया, उस समय मै यहाँ पर मौजूद था। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश को इसी तरह बनाये रखने से जो दक्षिण का सतुलन है जिसको उन्होने अग्रेजी मे **'बैलेस'** कहा, वह बिगड़ जायगा। हमारे एक बने रहने के विरुद्ध उन्होने जो दलील दी उसको मैने समझने का यत्न किया लेकिन मै बिलकुल भी समझ नही पाया। हमारे उत्तर प्रदेश के दो या तीन टुकड़े हो जाने से दक्षिण वालो के तोल मे क्या अन्तर पडेगा यह बात स्पष्ट नही हुई। मै तो यह समझता हूँ कि सिवाय इसके कि वह यह कहें कि चूंकि,हमारा एक छोटा सा प्रदेश है इस वास्ते आपका भी एक छोटा

सा प्रदेश हो जाय, और कोई बात नही है। यह तो कुछ दलील की बात नही हुई और न कोई सहृदयता की बात हुई। इसका तो मतलब यही हुआ कि आपको यह पसन्द है कि उत्तर वालो के प्रदेश को भी आप उतना ही छोटा प्रदेश देखे जितना कि आपका अपना है या आप अपने पड़ोसियो का देखते है। मै तो इस बात का पक्षपाती हूँ कि प्रदेश, जहाँ तक हो सके, बड़े बने।

कल प्रधान मत्री जी ने पाँच या छ जोन की बात कही थी। उन्होने कुछ स्पष्ट नही कहा कि इसका अर्थ क्या है। मै आज इस समय इसके बारे मे कुछ नही कह सकता हूँ। उन्होने आर्थिक पहलू की बात भी की कि वह समान होनी चाहिये। क्या इन जोनो का रूप आयेगा, यह मै नही कह सकता। साथ ही साथ उन्होने यह भी कहा कि राज्य ज्यो के त्यो रहेगे। राज्य ज्यो के त्यो रहेगे और जोन भी उनके साथ बने, यह कैसे होगा, क्या क्या इसमे सघर्ष होगे, इसकी सारी तस्वीर मेरे सामने नही है। मेरा अपना अनुमान है कि यह बात अभी व्यावहारिक नही है। परन्तु जो उन्होने कहा कि कई भाषा भाषियो को मिला कर भी प्रान्त बने, मै इसके पक्ष मे हूँ। उन्होने जो यह कहा कि देश भर के पाँच छ टुकड़े हो सकते है, यह मुझे व्यावहारिक दिखाई नही पडता। यदि ऐसा उनका मत था तो यह जो पुन सघटन आयोग बना, इसको बनाने की ही आवश्यकता नही थी। भाषावार प्रदेश बनाने की सभावनाओं को देखना इस कमीशन का एक मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ उन्होने जो दूसरी बातो का ध्यान रखा वह भी आवश्यक ही था। अपनी रिपोर्ट मे उन्होंने कहा है कि उन्होने केवल भाषा पर ही बल नही दिया बल्कि और बातो पर भी बल दिया है। इसको मै उचित मानता हूँ।

अब यह कहना कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो और इस बात की इच्छा रखना मै तो इसको न्याय-युक्त नही समझता। यदि हमारे यहाँ के भाई स्वय उत्तर प्रदेश से अलग रहना चाहे, उसके टुकडे करना चाहे, तो ठीक है, इसमे मुझे कोई आपत्ति नही है। अगर हमारे पश्चिम के भाई चाहते है कि आगरा, मेरठ इत्यादि को मिलाकर उनका भी एक राज्य बना दिया जाए, तो वह बना ले मै आपत्ति नही करता। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश मे से कोई माँग न हो और दूसरे लोग यह इच्छा करे, यह सोचें कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो, तो यह तो मुझे एक अजीब सी बात लगती है। भाषा-वार राज्यो के हमारे भाई डा० लका सुन्दरम् बडे पक्षपाती थे और चाहते थे कि एक विशाल आन्ध्र बने, इसलिए कि तेलगू भाषी प्रदेश सब एक हो जायँ। अर्थात् वह भाषा के ऊपर सब से अधिक बल देते है। यदि हम भी इसी बात को कहे कि हिन्दी बोलने वालो का भी एक विशाल प्रदेश बना दिया जाय तो यह तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जायगा। कोई तेलगू का प्रदेश

बनाते है, कोई तामिल का प्रदेश बनाते है, कोई बंगाली का प्रदेश बनाते है, कोई मराठी का प्रदेश बनाते है, तो क्या कारण है कि हिन्दी वालों का भी एक प्रदेश न बने।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य) : जरूर, ज़रूर।

श्री टंडन : इसका परिणाम यह होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान आदि को मिलाकर एक प्रदेश बन जायगा। यदि ऐसा होता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। परन्तु हमारे भाई डा० लका सुन्दरम् साहब कहते है कि उत्तर प्रदेश के इसी तरह बने रहने से दक्षिण की तोल बिगड़ जायगी, तो जब हिन्दी वालो का एक ही प्रदेश बन गया तो फिर तोल कहाँ जायगी। अगर बिहार के भाई यह कहे कि हम उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर रहना चाहते है या कोई और टुकड़ा हमारे साथ मिलना चाहे तो दूसरो को इसमे क्यो आपत्ति हो, यह मेरी समझ मे नहीं आता। उनका यही कहना है कि तोल बिगडेगी। उन्होने कुछ दूसरे देशों की मिसालें दी। शायद उन्होने या किसी दूसरे भाई ने अमरीका का हवाला दिया और कहा कि अमरीका मे जो प्रदेश है वह प्राय- बराबर बराबर है। मेरा अनुमान है कि बराबरी के हिसाब से वहाँ प्रदेश नही है। रूस मे भी बराबरी का हिसाब नही है। वहाँ भी अलग अलग प्रदेग है। जहाँ जहाँ इस प्रकार से प्रदेश मिलते है वहाँ वहाँ कुछ ऐतिहासिक कारण होते है। आप रूस को देखिये, वहाँ जो मुख्य रूस है, जो बडा प्रदेश है, जिसकी भाषा वहाँ चलती है, वह तो बहुत बड़ा प्रदेश है और वह समस्त रूससघ के आधे से कही अधिक है—करीब दो तिहाई है, अपने क्षेत्र मे और जनसंख्या मे भी आधे से अधिक है। यह तो कोई दलील नही है कि **बैलेंस** बिगड़ जायगा। हमारे यहाँ छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रदेश बने हुए है। इस विषय पर मै अधिक नही कहूँगा। मेरा निवेदन केवल यही है कि अगर उत्तर प्रदेश स्वय अपना क्रम रखना चाहता है और उसमे सब मिल कर काम कर रहे है, तो दूसरो को कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। आप इस से और बडा प्रदेश बनाइये। इससे भी बडे प्रदेश पहले थे। मेरे मस्तिष्क मे तो यह बात कभी नही आई कि कोई प्रदेश हमसे बडा है तो इस कारण हम छोटे हो गए। बगाल हमारे प्रदेश से बडा था। हमारे देश का विभाजन हुआ। उसमें उसके टुकड़े हुए। वह एक अकस्मात् बात थी। मै उसे अच्छा नही समझता हूँ। परन्तु यह तथ्य है कि बगाल हमसे भी बहुत बडा प्रदेश था, अपनी जन-सख्या मे और अपने घेरे मे भी। इस कमीशन ने जो सुझाव दिया है, उसमें भी उत्तर प्रदेश अपने घेरे के हिसाब से—क्षेत्र के हिसाब से—चौथा है। तीन प्रदेश उससे बडे है। जो सिफारिशे उसने की है, उनके अनुसार बम्बई बहुत बड़ा है और बम्बई से भी बडा मध्य प्रदेश है। बम्बई दूसरे नम्बर पर

श्री टंडन : मुझे कोई आपत्ति नही है। परन्तु प्रश्न यह है कि विन्ध्य प्रदेश छोटा पडता है। आज समय बडी इकाइयों का है। मै छोटी छोटी इकाइयो को स्वय पसन्द नही करता हूँ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग-पश्चिम) : विन्ध्य प्रदेश बम्बई शहर से तो अधिक ही होगा।

श्री टंडन : मै तो आपकी ही बात कह रहा हूँ। विन्ध्य प्रदेश ने स्वय फैसला किया है कि यदि हम अलग नही रह सकते तो हम उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहेगे। मै विशेषकर बघेलखड की बात कर रहा हूँ। आर्थिक दृष्टि से बघेलखड का उत्तर प्रदेश मे आना दोनो के लिए लाभदायक होगा।

पंजाब की समस्या

मै कुछ शब्द पजाब के ऊपर कहना चाहता हूँ। मै आज पजाबी तो नही हूँ, लेकिन किसी समय मेरी भी भूमि पजाब ही थी। हम लोग पजाब से ही उतरे हुए है। यो भी पजाब से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है। प्रयाग के बाद लाहौर को ही मै अपना घर समझा करता था।

श्री नंदलाल शर्मा (सीकर) : अब तो वह पाकिस्तान मे गया।

श्री टंडन : वह पाकिस्तान मे गया, यह हमारे कुकर्मो का फल है। हम अपनी राजनीतिक बुद्धि मे कुछ क्षीण रहे है, हममे राजनीतिक बुद्धिमत्ता की कमी थी, इसीलिए पाकिस्तान बना। आज आपने हमको उसकी याद दिलाई।

मुझको यही खेद है कि आज भी पजाब मे कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है, जो दुखित करती है और ऐसा मालूम होता है कि वे लोग राजनीतिक दूर-अदेशी से अलग है। पजाब बहादुर प्रदेश है। वह किनारे पर है, इस-लिए बड़ी आवश्यकता यह है कि वहाँ के लोग वीरता और एकता के साथ मिल कर भविष्य की बात सोचे। वहाँ पर आज जिस तरह से छोटे क्रम से विचार हो रहा है, वह मेरे हृदय मे खेद उत्पन्न करता है। कभी कभी जब मै सुनता हूँ कि इस या उस बात से धर्म कुछ ख़तरे मे पड जायगा, या कोई विशेष सस्कृति ख़तरे मे पड जायगी, तब मै सोचने लगता हूँ कि क्या किसी धर्म का बडप्पन उसके अनुयायियो की सख्या पर निर्भर करता है। पजाब मे जब गुरु नानक ने प्रचार किया था और अपने धर्म की शिक्षा दी थी, तब उनके साथ कितने आदमी हुए थे? बहुत थोडे। परन्तु उनका धर्म आज है। वह सख्या पर निर्भर नही करता है—वह अपने सिद्धातो पर निर्भर करता है, उन बड़े लोगो की जीवनियों पर निर्भर करता है, जिनको गुरु नानक ने प्रेरणा दी। जब तक भारतवर्ष है, तब तक गुरु नानक का शिक्षण और उनकी वाणी पढी जायगी। जब तक भारवासियों को अपने पूर्वजो

का गर्व है, तब तक गुरुओं का त्याग और बलिदान हमारे इतिहास का स्वर्ण प्रतीक है—गुरुओ का जीवन, उनकी वाणी, देश भर की सम्पत्ति है। किसी विशेष सम्प्रदाय की बात नही है। मेरा निवेदन है कि जो सम्प्रदाय विशेष रूप से गुरुओ को अपनाता है उसका तो यह विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वह उनकी वाणी पर चले और इस प्रकार दूसरो को अपनी ओर खीचे। केवल सख्याओं के आधार पर बात करना, यह तो कोई धर्म को चलाने की कसौटी नही है। मै हृदय से निवेदन करता हूँ। इसमे आक्षेप हो ही नही सकता। गुरुओ के प्रति मेरी जो श्रद्धा है उसका अनुमान भी हमारे पजाब के भाई सम्भवत नही कर पायेगे। उस बात को बहुत कहने की आवश्यकता नही है। मुझे एक वाणी याद आती है जो जीवन को चलाने की वस्तु है। वह इस प्रकार है—

"जो प्राणी ममता तजे, लोभ, मोह, अहकार।
कह नानक आपै तरै औरन लेइ उबार।"

यह वाणी गुरुओ की है। इस वाणी पर जिन लोगो का जीवन ढला है वे सचमुच धर्म के रक्षक है, वे ही सच्चे धर्म के रक्षक है। केवल सख्याओं से धर्म की रक्षा नही होती। मेरा निवेदन है कि राजनीति मे धर्म के प्रश्न को जोड कर सख्याओ की बाते करना कुछ लाभदायक नही है। यही कारण था जिसने मुसलमानो के लिए पाकिस्तान की रचना करवाई। इसलिए धर्म और सख्या को मिला कर हम बात करे, यह उचित नही है।

पजाबी भाषा मुझे बहुत प्रिय लगती है, अच्छी सुन्दर भाषा है। परन्तु उस भाषा के आधार पर ही बार बार सूबा बनाने की बात आती है। कल हमारे प्रधान मत्री जी ने कहा था कि चाहे हम किसी तरह से देखे, हम ऐसा सूबा बना ही नही सकते जहाँ पजाबी के साथ साथ हिन्दी न चले। जब ऐसा है तो मै यही कहूँगा कि हिन्दी और पजाबी दोनो प्रेम के साथ क्यों न चले। दोनो मे कोई इतना बडा अन्तर तो नही है। मै अपने प्रदेश की बात आपके सामने रखता हूँ और आप इस दृष्टि से उसके ऊपर विचार करे। भाषा के आधार पर हम भी अपने यहाँ तीन चार भाषावार सूबे बना सकते है।

हिन्दी और पंजाबी

जो अन्तर हिन्दी और पजाबी का है, लगभग वही अन्तर हिन्दी का और बृजभाषा का है, वही अन्तर हिन्दी का और अवधी का है, और वही अन्तर हिन्दी और भोजपुरी का है। कम से कम ये तीन तो ऊंची भाषाये है। इनके अलावा हमारे यहाँ बुदेलखडी भी है। हमारे यहाँ बृजभाषा वाले खड़े हो सकते थे कि हमारा सूबा अलग करो, अवधी वाले भी यह कह सकते थे। मेरी मातृभाषा यह नही है जो मै यहाँ बोल रहा हूँ। मेरी मातृभाषा

अवधी है। हम लोग घर पर अवधी बोलते हैं, मेल जोल मे हम अवधी बोलते है। परन्तु यदि हम अवधी के आधार पर एक अलग प्रदेश की रचना करना चाहे तो हम अपने प्रदेश को निर्बल बनायेंगे। इससे देश के ऊपर अच्छा असर नही पडेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ ऐतिहासिक समझौता सा आपस मे हो गया है कि हम राजनीति मे भाषा का यह टटा नही उठायेगे कि हमारा बृजभाषा का क्षेत्र अलग है, हमारा अवधी का क्षेत्र अलग है और हमारा भोजपुरी का क्षेत्र अलग है। मै स्वय हिन्दी का काम करता हूँ, और मैंने कभी यह भाषा का टटा नही उठाया। अगर हमने यह टटा नही उठने दिया तो मै समझता हूँ कि यह हमारे प्रदेश की बुद्धिमत्ता है। क्या हम पंजाब से इस बुद्धिमत्ता की आशा नही कर सकते ? हमारे यहाँ ये तीनो भाषाये चल रही है और हिन्दी भी चल रही है, और हमने मान लिया है कि हिन्दी चले। इसी तरह से मै समझता हूँ कि पजाब में पजाबी भी चले और हिन्दी भी चले। इसमे क्या आपत्ति हो सकती है कि जिसका जी चाहे वह हिन्दी मे काम करे और जिसका जी चाहे वह पंजाबी मे काम करे। इन दो भाषाओं के आधार पर जो पजाब मे दो जोन बनाये गये मै समझता हूँ कि वह एक गलत बात है। मै इस समय उस ब्योरे मे नही जाना चाहता। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर अम्बाले मे कोई बच्चा पजाबी पढना चाहता है, तो उसे वहाँ पजाबी पढाने का प्रबन्ध होना चाहिए, और अगर जालंधर में कोई बच्चा हिन्दी पढना चाहता है तो वहाँ पर उसे हिन्दी पढाने का प्रबन्ध होना चाहिए। हाँ! अध्यापको के लिए जरूर दोनो भाषाओ को जानना अनिवार्य होगा। मै समझता हूँ कि ऐसा आसानी से किया जा सकता है क्योकि दोनों भाषाओ मे कोई बडा अन्तर नही है। जो उन भाषाओ के पारिभाषिक शब्द होगे वे एक ही होगे। इसलिए पजाबी और हिन्दी में कोई बड़ा अन्तर होने वाला नही है। मै समझता हूँ कि इसमे कोई कठिनता का प्रश्न नही है। थोड़ी सी हममे सहनशीलता और प्रेम की आवश्यकता है।

हमारे भाई श्री टेक चन्द ने बताया था कि हिन्दू और सिखो मे बराबर विवाह होते रहे है। शायद आज इसमे कुछ कमी हो गयी हो। पर सिखो का जो प्रादुर्भाव हुआ और जो उनको गुरुओं से बल मिला वह इसीलिए कि वे समाज की रक्षा करे। समाज की रक्षा करने के लिए वे अगुआ होकर आये थे। किस समाज के लिए ? उस समय जो हिन्दू समाज था उसकी रक्षा के लिए। अगर आज वे अलग अलग खीचतान करे तो यह तो कोई हमको मज़बूत करने वाली बात नही है। मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न पजाब मे इस प्रकार हल होना चाहिए कि सब मिलकर रहे।

पेप्सू और पंजाब एक है। हिमाचल प्रदेश उनके साथ आयेगा या नही मै नही कह सकता। अगर हिमाचल प्रदेश के लोग नही आना चाहते तो

मै जबरदस्ती उनको लाने के पक्ष मे नही हूँ। मै समझता हूँ कि अगर वह भी आ जाता तो अच्छा था। लेकिन पेप्सू और पजाब तो एक ही है। वे तो एक ही प्रकार के प्रदेश है। मै समझता हूँ कि उनको आपस मे रहने में कोई कठिनता नही होनी चाहिए और इस प्रदेश मे हिन्दी और पजाबी दोनों भाषाये मिल कर के चले इसमे भी मै कोई कठिनाई नही देखता।

कहा जाता है कि नागरी अक्षरो मे पजाबी नही लिखी जा सकती। यह माग पहले नही थी। यह माग हाल की है। लेकिन और जगह तो आज यह माग है कि अन्य भाषाये भी नागरी लिपि मे लिखी जाय। बगाल के श्री शारदा चरन मित्र ने कहा था कि बगाली को नागरी लिपि मे लिखा जाय। उन्होने 'एक लिपि परिषद्' बनायी थी और बगालियो से कहा था कि तुम अपनी लिपि बन्द करो, नागरी लिपि मे अपना काम करो। सन् १९१० में श्री वी० कृष्णस्वामी अय्यर ने तामिल और तेलुगू भाषियों से कहा था कि अपनी लिपि को बन्द करो, देश की यह मांग है कि नागरी लिपि को अपनाओ। बंगाल मे जो बडे बडे मनीषी हुए उन्होंने भविष्य-वाणी की थी कि आगे आने वाली भाषा हिन्दी है। श्री बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने और श्री केशव चन्द्र सेन ने बहुत पहले ही कहा था हिन्दी भविष्य मे आने वाली भाषा है। शारदा बाबू ने नागरी लिपि पर इतना बल दिया था। मेरा निवेदन है कि आज से बहुत पहले दूसरे प्रदेश वालों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार किया था। स्वामी दयानन्द गुजराती थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा काम हिन्दी भाषा मे ही किया। महात्मा गाधी गुजराती थे, लेकिन उन्होने हिन्दी को कितना बल दिया। पजाब मे हिन्दी चलेगी ही। पजाबी और हिन्दी दोनो को मिलकर चलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इससे पजाबी युवको को लाभ होगा क्योंकि इस प्रकार उनको हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो जायगा।

लुहारूवालों की शिकायत

मै पंजाब के सम्बन्ध मे बोलते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ। जिसकी ओर कल मेरे भाई श्री अचिन्त राम जी ने ध्यान दिलाया था। मेरे पास भी लुहारू के कई भाई आये और उन्होने इस बात पर बल दिया कि लुहारू को पजाब के साथ रहना चाहिए। मै स्वय इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि श्री अचिन्त राम जी के पास लुहारू वालो की भीड आती रही है। वे स्वय वहाँ गये थे, जैसा कि उन्होंने कल बतलाया था। वहाँ उन्होंने पता लगाया। वहाँ पर एक एक पचायत की यही राय है कि वे पंजाब के साथ रहे।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेगे ?

श्री टंडन : लगभग दस मिनट और।

लुहारू वालो की यह माग है कि हमको ढकेलो मत। मै कुछ समझ नही पाया कि क्यो कमीशन ने लुहारू को अलग करने की सिफारिश की है। मालूम होता है इस विषय मे उन्होने लुहारू वालो से बात नही की, किन्ही दूसरो से इसके बारे मे बात की थी। जयपुर मे किसी ने शायद ऐसी बात कह दी कि राजस्थान के भाई लुहारू को अपने मे रक्खेगे। लुहारू के लोगों से इस बारे मे नही पूछा गया। लुहारू की जो ३० हजार की आबादी है उसमे से मै समझता हूँ २९ हजार और साढे २९ हजार ऐसे मिलेगे जो कहेगे कि हमको पजाब से मत अलग करो और इसको सिद्ध करने के लिए सारे वोटरो के दस्तखत लाकर रख देगे . . .

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : जी हॉ, दस्तखत आ सकते है और वह पेश कर दिये जायँगे।

श्री टंडन : मालूम पड़ता है कि उन्होने लुहारू के लोगों से इस बारे मे नही पूछा, हालॉकि आयोग के सदस्यों ने स्वय यह सिद्धान्त रक्खा है कि जहॉ तक सम्भव होगा, हम जनता की इच्छाओ का आदर करेगे। इसके अतिरिक्त एक और बडा सिद्धान्त है जिसके ऊपर मै सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि उन्होने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि हमने, जहॉ तक सम्भव हुआ है, जिलो के स्तर पर बटवारा किया है। "**डिस्ट्रिक्टवाइज**" यह शब्द उसमे आया है। उससे उतर कर साधारणत हमने बटवारा नही किया है। बहुत लाचार हुए है तब किया है। अब आप देखिये कि लुहारू आखिर है क्या! लुहारू हिसार जिले का एक अंग है, वह तहसील भी नही है। लुहारू भिवानी तहसील का एक टुकडा है। आप ज़िला हिसार को राजस्थान मे नही ले जा रहे है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि हिसार जिले को आप राजस्थान मे ले जायँ तो यह जो लुहारू के भाई है इनको कुछ सन्तोष होगा। सब पुराने अपने साथियो को अपने साथ पाकर सन्तोष होगा। हमारे भार्गव जी को सन्तोष नही होगा, लुहारू वालो को सन्तोष होगा। लुहारू वालो ने मुझसे कहा कि अगर हमे उधर जाना भी हो तो भिवानी को भी साथ मे ले चलिये। उन्होने कहा कि भिवानी उनकी तहसील है। वे बेचारे यह समझते है कि हम अपनी तहसील से कट कटा कर कहॉ जायँगे। अगर भिवानी तहसील भी पूरी की पूरी उधर जाती तो भी उनको कुछ सन्तोष होता। लेकिन आपने जो सिद्धान्त रिपोर्ट मे दिया है कि हम ज़िले के स्तर पर काम करेगे, उस सिद्धान्त को लुहारू के सम्बन्ध में छोड़ दिया . .

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन-दक्षिण) : बहुत जगह छोड दिया है।

श्री टंडन : एक छोटे से टुकड़े लुहारू को पकड़ना मेरी समझ मे नही

आता। अलबत्ता अगर उसके पीछे बडा आर्थिक कारण होता, जनता की माग होती तो वह समझ मे आ सकता था। इसके पीछे कोई आर्थिक कारण तो है नही। एक छोटी सी ३० हजार गरीब लोगो की बस्ती है, भिवानी तहसील का एक टुकडा है, उसको इस प्रकार से अलग करना जब उसकी अधिकाश जनसख्या पजाब मे बने रहने के पक्ष मे है, उचित कार्य नही जान पडता। अब मै इस प्रश्न को यही छोडता हूँ।

बम्बई की समस्या

कुछ शब्द मुझे बम्बई के सम्बन्ध मे एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते निवेदन करने है। पजाब और बम्बई यह दो मुख्य विषय हमारे यहाँ शास्त्रार्थ के हो गये है और यहाँ पर जो शास्त्रार्थ हुआ है उसमे भी विशेष तौर पर इन दोनो प्रान्तो की चर्चा आयी है। मै इस विषय मे प्रधान मत्री जी से सहमत हूँ कि, जहाँ तक सम्भव हो, वह रिपोर्ट जो आयी है उसको हम मान ले। बहुत ठीक बात है। मै इतना और जोडना चाहता हूँ कि यदि हमारे महाराष्ट्री भाई यह चाहते है कि मराठी भाषी लोग सब एक जगह हो जायँ, अर्थात् विदर्भ को भी अपने साथ मे रखना चाहते है तो मै अपने गुजराती भाइयो से यह सोचने के लिए कहूँगा कि क्या ऐसी दशा मे यह सम्भव नही है कि वे उसके साथ रहे? मराठी भाइयो ने कहा है कि वे यह स्वीकार करेगे कि विदर्भ भी साथ रहे और समस्त गुजरात भी साथ रहे और बम्बई उसका मुख्य स्थान हो। वह द्विभाषी प्रदेश होगा। पुन सघटन आयोग ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार भी वह द्विभाषी प्रदेश होगा। हमारे मराठी भाषी भाई विदर्भ को साथ लेना चाहते है। यह स्पष्ट है कि वह अपनी सख्या को बढाना चाहते है और यह स्पष्ट है कि उसमे गुजराती भाइयो की सख्या घट जायगी। उनका जो अनुपात है वह कम हो जायगा। परन्तु फिर भी मै यही कहूँगा कि यह विचार की बात है कि क्या इस प्रकार से, इस भरोसे पर कि आगे सब ठीक रहेगा, मिल जाना असम्भव है। आखिर गुजराती मे और मराठी मे भाषा का बहुत अधिक अन्तर नही है। वह मिल कर रहे क्या यह असम्भव बात है? यह चेतना कि हम मराठी है, हम गुजराती है—मै ऐसा मानता हूँ कि कुछ दिनों यह अधिक चलती है, फिर जब बहुत आपस मे हिल मिल जाते है तो वह बात समाप्त हो जाती है। एक रास्ता मुझे और इस सम्बन्ध मे सुझाई देता है, कहाँ तक व्यावहारिक होगा यह मै नही कह सकता, लेकिन वह असम्भव नही है। वह यह है कि गुजराती भाइयो और मराठी भाइयो को एक करने के लिए यह हो सकता है कि कुछ भाग बडे मध्यभारत का उधर मिला दिया जाय, जैसे इदौर की ओर का भाग इसी प्रदेश मे आ जाय।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड सोरठ) : मालवा का कुछ भाग इधर आ जाय।

श्री टंडन : ठीक है, अगर यह भाग उसमे आ जाय तो कोई हर्ज की बात नही है। मै समझता हूँ कि इसको हमारे मराठी भाई भी स्वीकार करेगें और गुजराती भाई भी पसन्द करेंगे, अनुपात वाली बला बली की दृष्टि से। वह **बैलेंस** और वह बला बली बन जाय तो ठीक बात होगी। सम्भवत. इदौर के भाई बम्बई के साथ मिलना पसन्द करेंगे।

अगर मध्य प्रदेश मे कुछ कमी पडे तो कुछ भाग मै अपने सूबे मे से देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपत्ति नही यदि ललितपुर का टुकडा ले लिया जाय, अगर उससे आपका झगडा तय होता है। ललितपुर के देने से हमारा सूबा थोड़ा कम हो जायगा। उधर बघेलखड का कुछ टुकड़ा आप दे दीजिये। उसको मागने का कारण दूसरा है, वह अनुपात के लिए नही है।

अगर आर्थिक दृष्टि से बघेलखड वाले लोग उत्तर प्रदेश मे आना चाहते है तो उनको इधर आने दीजिये और हमसे ललितपुर का कुछ भाग ले लीलिये।

एक माननीय सदस्य : वह भी बला बली हो गई।

श्री टंडन : वह उनके लिए है। मेरे सामने यह बला बली का प्रश्न नही है। वह आना चाहते है, इसलिए मैने कहा कि बघेलखड यदि इधर आना चाहता है और वह अधिक बलवान होता है तो मै कहूँगा कि उनको आने दो। मै इस बात को उचित समझता हूँ कि यह बम्बई का प्रश्न प्रेम के साथ और मेल के साथ तय हो और अगर हमारे प्रदेश का कुछ हिस्सा देने से वह प्रश्न तय हो जाय तो मै उसके लिए तैयार हूँ। मै तो इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि अगर हमारे पश्चिमी प्रदेश का कुछ हिस्सा उधर पजाब मे चले जाने से पजाब का प्रश्न हल हो तो ले लो, मुझे उसमे कोई आपत्ति नही है। हरियाना, पजाब, पेप्सू को मिलाकर अगर एक सूबा बनाने के लिए आपको मेरठ चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

कुछ माननीय सदस्य . मुझे आपत्ति है।

श्री टंडन मगर मुझको आपत्ति नही है, किन्तु अगर हमारे भाई उधर नही जाना चाहते तो इसके लिए उनको कोई मजबूर नही कर सकता।

और अधिक नही कहूँगा। मेरा मुख्य कहना यही है कि भारतवर्ष की एकता को बनाये रखने को मै बहुत महत्व देता हूँ। कल हमारे प्रधान मत्री जी ने ४-५ जोन की बात कही और कहा कि हम केन्द्रीय सरकार को दृढ करना चाहते है। मै उनसे इस बात मे सहमत हूँ। राजा जी ने इस सम्बन्ध मे जो सुझाव दिया था वह मुझे बुरा नही लगा। राजा जी ने कहा कि हमारे यहाँ जिलेवार प्रबन्ध हो और कमिश्नरियाँ हो और कुछ कमिश्नरो

के जरिए से हमारे देश का प्रबन्ध हो, मुझे तो उनका यह सुझाव बुरा नही लगा और मै समझता हूँ कि उस पर विचार किया जाना चाहिए। राज्य सभा मे भी एक सदस्य ने कहा कि देश के केवल ४० भाग होने चाहिये। वहॉ पर यह बात शायद मेरे मित्र काका कालेलकर ने कही जो बडे विचार-वान व्यक्ति है। अवश्य ही यह बात उन्होने सोच विचार के बाद कही होगी। परन्तु मेरा निवेदन है कि यह मुख्य बात हमे ध्यान मे रखनी है कि हमारा केन्द्र दृढ रहे और वह कमजोर न होने पाये। पुराने समय मे हमारा केन्द्र निर्बल रहा है और यह बडी कमी हमारी व्यवस्था मे थी। किसी समय बहुत से हमारे प्रदेश थे परन्तु केन्द्र अच्छा नही रहा। अब हम केन्द्र को दृढ रक्खे और अपने छोटे छोटे स्थानो की रक्षा करने मे केन्द्र को निर्बल न होने दे, इसकी मुख्य आवश्यकता है।

३४

राष्ट्रपति का अभिभाषण

२३ फरवरी १९५६ को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए

महाराष्ट्र–गुजरात–बम्बई

सभापति महोदय! मै भी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए रक्खा गया है। उन्होने, राज्यों के पुनसंघटन के कारण जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई है, उन पर खेद प्रकट किया है। इस लोकसभा मे बराबर हमारे सदस्यो ने भी पुन सघटन समिति की रिपोर्ट की चर्चा की है। हमारे इन चार दिनो के विवाद मे उस प्रतिवेदन का बडा स्थान रहा है। वह विषय हमारी वर्तमान समस्याओ से सम्बन्ध रखता है और यह स्वाभाविक ही था कि हम उस पर समय दे। मै भी दो एक बाते इस विषय मे सबसे पहले कहना चाहता हू।

एक तो यह कि पुन सघटन के विषय को हमे इस समय निराशा मे छोड़ नही देना है। हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया है कि आज यह समय है कि जो टटा हमे दिखाई दे रहा है उसको शान्त करने के लिये इस सारे मामले को ही समाप्त कर दिया जाय। न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी! बांसुरी जो बेसुरी बज रही है उसको बन्द करने के लिये बास को ही समाप्त कर दो! मेरी राय है कि यह निराशा की सम्मति है। मै इससे बिल्कुल ही सहमत नही हू। मै तो अपनी सरकार को यही सलाह दूगा कि अब जो कुछ सामने आया है, जो समस्या उपस्थित है उसके लिये हमे उचित कार्य करना है। जो विषय उठा लिया उससे हमे हटना नही है। अब उस पुन सघटन की रिपोर्ट पर विचार करना ही है। जितने भी प्रश्न है उनमे सबसे बड़ा प्रश्न महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई का है। उसका हल निकालना है। आज उसको इस तरह से छोड देने मे हमारा लाभ नही है और साथ ही यह गवर्नमेंट की मर्यादा के भी विरुद्ध है। इसलिये इस विषय को जो उठा है हल करना ही है।

हमारे भाई श्री अशोक मेहता जी ने कहा कि गुजरातियों और महाराष्ट्र निवासियों को साथ रहना है और उन्हे मिलकर के ही इस विषय को हल करना है तथा यह उचित है कि यह राज्य द्विभाषी राज्य हो। उन्होने इस मत पर

बल दिया। कुछ समय हुआ जब पुन सघटन के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा था, मैंने निवेदन किया था कि इस राज्य को द्विभाषी बनना चाहिये। इसको गुजराती स्वीकार करे और मराठी बोलने वाले भी स्वीकार करे। मैंने नम्रता के साथ दोनो से निवेदन किया था कि जब मिल कर साथ रहना है तब सख्याओ का प्रश्न नही उठना चाहिये। अभाग्य से सख्याओ के इस प्रश्न का आरम्भ हमारे मराठीभाषी भाइयो ने इस हिसाब से किया था कि वह कुल मराठीभाषी जनता को एक मे रखना चाहते थे, नही तो जो रिपोर्ट समिति ने दी थी उसके ऊपर गुजराती तो राजी थे ही, उन्होने स्वीकार किया था कि यह राज्य द्विभाषी हो। मराठीभाषियो ने भी यह बात मानी थी कि द्विभाषी प्रदेश हो, किन्तु वे चाहते थे कि विदर्भ भी साथ मिलाया जाय। विदर्भ के आ जाने से मराठीभाषियो की एकता हो जाती है, उनकी संख्या बढ जाती है, पर द्विभाषी प्रदेश वह फिर भी रहता है। आज श्री अशोक मेहता जी ने जो कहा कि द्विभाषी राज्य हो, वह प्रतिवेदन मे भी था। यह बात गुजरातियों को भी स्वीकार थी और मराठीभाषियो को भी स्वीकार थी। इस विदर्भ ने आकर कुछ अन्तर किया। विदर्भ के मिलाने से आज कठिनाई उपस्थित हो गयी, परन्तु इस कठिनाई को हल करना है। अब तो यह एक प्रकार से निश्चित हो गया है कि विदर्भ मराठी प्रदेश के साथ रहेगा। अब बम्बई प्रदेश पहले की अपेक्षा बहुत बडा बन गया। मैने एक सुझाव दिया था। आज फिर मैं उसकी ओर ध्यान दिलाता हूँ। द्विभाषी राज्य हो इसमे न मराठीभाषियो को आपत्ति है और न गुजरातियो को। ऐसा जान पडता है कि कुछ संख्याओ की बलाबली है जिसके कारण इतना उधम मचा। यह समस्या कोई इतनी कठिन नही है। जो आज सामने है उसको दोनो मान लें तो विवाद समाप्त हो जाता है। यदि न माने तो मै सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसमे थोडा अन्तर कर दे। इन दोनो प्रदेशो को मिलाने के बाद उनमें कुछ भाग मालवे का मिला दे। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था कि इसमे इदौर के आस पास का भाग मिला दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : वह मिलना नही चाहते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : नही, वह चाहते हैं।

श्री टंडन : मेरा निश्चय है कि इदौर के आस पास के भाई बम्बई के साथ रहना बहुत अच्छा समझेगे। अगर इदौर के आस पास जो मालवा का प्रदेश है उसको इसमे मिलाया जाय तो इसमे कोई कठिनाई नही होगी। हा ! यह सम्भव है कि वह द्विभाषी की जगह त्रिभाषी प्रदेश हो जाय, क्योंकि कुछ हिन्दी का भाग भी आ जायगा। परन्तु जो तीसरी भाषा हिन्दी है उससे तो दोनो को ही प्रेम है। मै जानता हू कि मराठी भाई और गुजराती भाई दोनो ही हिन्दी के पक्षपाती है और राष्ट्रभाषा के रूप मे दोनों ही हिन्दी को

मानते रहे है। साधारण रूप से यदि यह प्रदेश द्विभाषी होगा तो भी कुछ तो हिन्दी चलेगी ही। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि इस तरह से यह प्रदेश बनाया जाय तो वहां के लोगो मे बिल्कुल मेल रहेगा। जब साथ रहना है तो मिल कर काम भी करना है। मै इस बात को मानने वाला हू कि दुनिया मे देश को मुख्यता और छोटे छोटे राज्यो को गौणता दी जाती है। मै समझता हू कि देश मुख्य है और छोटे राज्य इधर से उधर गये या उधर से इधर आये, बम्बई इधर आये या उधर जाये, यह एक गौण प्रश्न है। मेरे कहने का यह मतलब नही है कि इधर से उधर हटाने मे किसी को कष्ट नही होता, अवश्य कष्ट होता है, कई स्थानो मे मैने देखा कि अगर आप एक छोटे से टुकडे को इधर से उधर कर दे तो टुकड़े वालो को कठिनाई आ जाती है, किन्तु हमारे सामने जो देश की एकता का प्रश्न है उसकी तुलना मे यह सब प्रश्न छोटे है। महाराष्ट्र के संबध मे मेरा यह सुझाव है।

पंजाब मे हिन्दुओं और सिखों की एकता

पजाब के सबध मे भी मैने उस समय कुछ कहा था। अब मुझे आशा हो रही है कि उसका रूप कुछ अच्छा बन रहा है। अभी अमृतसर मे सिखों का एक समारोह हुआ था। उसमें मास्टर तारासिह ने एक भाषण दिया था। उस भाषण मे उन्होने हिन्दुओ से अपील की थी। मुझको उनका भाषण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़े मार्मिक ढग से अपील की थी और पुरानी बातों का स्मरण दिलाया था कि सिखो को किस लिए बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक बात है कि समाज को उठाने के लिये ही सिख पैदा किये गये थे। इस प्रकार से उन्होने एकता की अपील की। मै उनकी अपील के एक एक अक्षर का समर्थन करता हूं। साथ ही आज मै हिन्दुओ और सिखो दोनो से निवेदन करता हू कि वे इस प्रश्न पर बड़ी उदारता से विचार करे तथा जो देश के हित मे हो उसको अधिक आगे रक्खे।

हमारे भाई सरदार हुकुमसिह जी ने यह कहा कि छोटे राज्यो के बनने से बड़े राज्य बनने की अपेक्षा ज्यादा लाभ होगा, अर्थात् छोटे राज्यो से अधिक एकता स्थापित होगी। यह ऐसी बात है जो किसी ओर भी मुड सकती है। उनका कहना है कि बड़े राज्यो की प्रवृत्ति लडने की, उखड़ने की और केन्द्र से अलग होने की अधिक होगी। आखिर ऐसा क्यो माना जाय कि जो बड़े टुकडे होगे उनमे अलग होने की प्रवृत्ति अधिक होगी? साथ ही हम देख रहे है कि छोटे छोटे राज्यो के बनाने मे कितनी असुविधा है। स्वयम् पजाब के छोटे छोटे टुकडे बनाने मे हम विशेष असुविधा देख रहे है। फिर विदेशो के पड़ोस के कारण वहां हमें बडी शक्ति और दृढता का प्रवेश चाहिये।

बड़े राज्यों द्वारा अधिक लाभ

छोटे राज्यो के होने से केन्द्र को अधिक मदद मिलेगी, यह दलील तो मुझे नही जचती। मै तो यह समझता हू कि यदि देश मे बड़े बडे टुकडे रहे तो एकता अधिक होगी। कुछ हमारे उत्तर प्रदेश की भी उन्होने चर्चा की। उन्होने कहा कि यू० पी० को इसी तरह से बना देने रहने के पक्ष मे हमारी केन्द्रीय गवर्नमेट है और शायद हमारे प्रधान मत्री भी बडे प्रदेश खडे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार की दलील उन्होने ढूढी है। यह मुझे कुछ ठीक बात नही लगी। मै समझता हू कि यदि इस प्रकार का मत किसी का है, तो वह ठीक नही है। उसके साथ यह कहना कि वह उलझन से भाग रहे है जिसको कि उन्होने अग्रेजी मे **इस्केपिज्म** कहा, यह बात भी मुझे दिखलाई नही देती है। यह जो कहा गया है कि बगाल और बिहार इसलिए एक हो रहे है कि उनकी भावना है कि चूकि यू० पी० बडा है इसलिए हमे भी चाहिये कि हम बडे बने यह भी मुझे कोई सही बात नही दिखलाई देती।

बंगाल और बिहार की समस्या

पजाब के बारे मे बात करते हुए जो उन्होने बगाल और बिहार की चर्चा की, उसके विषय मे मै उनसे तथा दूसरे भाइयो से यह निवेदन करना चाहता हू कि यह प्रश्न एक अलग रूप से आया है। इन दोनों प्रदेशों की अपनी कठिनाइया है। बगाल की अपनी कठिनाइया है और बिहार की अपनी कठिनाइया है। बगाल की कठिनाई तो यह है कि बहुत भारी सख्या मे लोग पूर्वी बगाल से आ रहे है जिनके लिए स्थान की बहुत कमी है। डा० राय के दिल मे यह बात आई हो कि हम यू० पी० के बराबर हो जायें यह बहुत दूर की कौडी है। उनके सामने तो समस्या यह थी कि उनको भूमि कहा मिले। बिहार के साथ उनका पुराना सम्बन्ध रहा है और यदि अब बिहार और बगाल मिलते है तो इसमे कोई अस्वाभाविक बात नही है।

हमारे जो प्रजा समाजवादी भाई है उन्होने इस विषय मे अपने दल का कुछ रास्ता निकाल लिया है और उन्होने सोचा है कि जब बिहार और बगाल का सवाल आए तो वह इसका विरोध करे। उन्होने इसका विरोध किया भी है। श्री अशोक मेहता से मै यह आशा करता था कि वह कुछ कहेगे। उन्होने अपने भाषण मे इस विषय पर कुछ नही कहा। उन्होने जो दलील गुजरात और महाराष्ट्र को एक करने की दी वह मुझे अच्छी लगी। मै बगाल और बिहार को भी मिलाने मे कोई बुराई नही देखता हू। इसमे मुझे हर तरह से भलाई नजर आती है। यह बात होगी ही, यह मै नही कह सकता हू,

क्योकि मै मानता हू कि अगर गहरा विरोध हो और जनता न माने तो जनता की खोपडी पर यह लादना नही चाहिये। परन्तु यदि यह हो सके तो मुझे इसमे कोई सदेह नही है कि यह एक बहुत सुन्दर बात होगी और आगे के लिए हमारा मार्ग प्रदर्शित करने वाली सिद्ध होगी।

शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी की अवहेलना

इतना कहने के पश्चात अब मुझे कुछ बाते ऐसे प्रश्नो पर कहनी है जिनके बारे मे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे कुछ नही कहा। इनमे से सबसे पहले मै हिन्दी के प्रश्न को लेता हू। इस विषय मे उन्होने कुछ नही कहा है। मै समझता हू कि सम्भवत उन्होने यह आवश्यक नही समझा कि वे कुछ कहे। मैने कई बार पहले कहा है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है उसका कार्य बहुत असन्तोषजनक है। पिछले पाच वर्षो मे जो कुछ भी शिक्षा विभाग को कर लेना था उसका सवा भाग भी उसने नही किया है। मै बिल्कुल नापतोल करके यह बात कह रहा हू। परन्तु जो कुछ भी हो चुका है उसपर हमे अब रोना नही है, हमे चाहिये कि हम आगे के लिए चेते।

हिन्दी टाइपराइटर का वर्ण-पट्ट

इधर शिक्षा विभाग की ओर से एक बात ऐसी की गई है जो सहायता देने वाली नही बल्कि बिगाड पैदा करने वाली है। मै इस समय हिन्दी **टाइपराइटर** का हवाला दे रहा हू। इसके बारे मे अभी गवर्नमेंट ने अपना अन्तिम मत प्रकट नही किया है और मै आशा करता हू कि अगर इस विषय पर विचार करके इसको सम्हालने की चेष्टा की गई तो भूल ठीक हो जायगी। शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी **टाइपराइटर** का जो **कीबोर्ड** (वर्ण-पट्ट) तैयार किया गया है उसमे अक्षर तो हिन्दी के रखे गए है, परन्तु अक अग्रेजी के रखे गये है। यह चीज मुझे कुछ अजीब सी लगी है कि . . .

श्री रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : यह **कांस्टीटयूशन** मे है।

श्री टंडन : मै इसके बारे मे निवेदन करता हू। आपने तो वही बात दुहरा दी है जो शिक्षा विभाग दुहराता आया है। मै आपसे कहता हू कि **कांस्टीटयूशन**, सविधान, मे ऐसा नही है। **कांस्टीटयूशन** मे जिन शब्दो का प्रयोग किया गया है वह आपके सामने है। उनको कुछ ध्यान से देखले तो अच्छा हो। मै इसको एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हू, इसलिए मुझे इसपर पाच सात मिनट लेने पडेगे। **टाइपराइटर** जो बनता है वह देश भर के लिए बनता है। यदि उसे देश भर के लिए बनाना है तो हमे चाहिये कि हम यह भी देखे कि क्या लिखावट देश मे चल रही है, हमारे देश मे हिन्दी बोलने वाले कितने है और इन नागरी अको को काम मे लाने वाले कितने है। मेरा

निवेदन है कि जो लोग हिन्दी बोलने वाले हैं, उनकी सख्या लगभग १५ करोड है। यह सख्या उन प्रदेशो की है जहा आज हिन्दी चल रही है। परन्तु यही अक गुजरातियो के है जिनकी सख्या लगभग ढाई करोड है। यही अक मराठीभाषियो के है जिनकी सख्या लगभग तीन करोड की होगी। यही अक हमारे भाई सरदार हुक्मसिह और उनके सहयोगी भी काम मे लाते है, पजाबी भाषा मे, गुरुमुखी मे, यही अक है। इनकी सख्या भी लगभग डेढ करोड तो है ही। इस तरह से इन अको का प्रयोग करने वाले लगभग २२ करोड आपको मिलेगे। लगभग ६-७ करोड लोग आप ऐसे पायेगे जो बिल्कुल यही अक तो नही किन्तु इससे मिलते जुलते अको का प्रयोग करते है जैसे बगाल, आसाम और उडीसा मे। इनके अको का जो क्रम है यह कुछ भिन्न है इसलिए मै उनको छोडे देता हू। प्रश्न यह है कि आप जो **टाइपराइटर** बना रहे है यह किसके लिए बना रहे है। जनता के लिये ही तो यह बनेगे।

यहां पर **कांस्टीटचूशन** का हवाला दिया गया है। अगर **कांस्टीटचूशन** मे होता कि आगे के लिए नागरी अको का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है और उनके स्थान पर अग्रेजी अको का प्रयोग होगा, जिनको **इन्टरनैशनल फार्म आफ इंडियन न्यूमरल्स** कहा गया है तब वह ठीक होता जो शिक्षा विभाग चाहता है। लेकिन ऐसा नही है। **कांस्टीट्यूशन** मे इस सम्बन्ध मे ये शब्द है—

'The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script'

'सघ की राजभाषा देवनागरी लिपि मे लिखी हुई हिन्दी होगी।' उसमे देवनागरी लिपि रखी गई है और लिपि मे अक्षर और अक दोनो सम्मिलित होते है। लिपि के दो अग होते है और आपको ऐसा कही नही मिलेगा कि उनमे अन्तर किया जाय। **स्क्रिप्ट** के भीतर दोनो है। आपने देवनागरी लिपि को माना—उसकी लिखावट को माना।

फिर लिखा है—

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals

सघ के राज-कार्य मे प्रयुक्त होने वाले अको का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

इसके तुरन्त बाद लिखा है—एक पैरा मैने छोड दिया है।

Provided that the President may, during the said

period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

'निर्धारित अवधि के भीतर सघ के राज-कार्य के लिए राष्ट्रपति अपनी आज्ञा से अग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा और भारतीय अको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी अको का रूप चालू कर सकते है।' यानी हिन्दी लिखने मे अग्रेजी अको का भी प्रयोग हो सकता है और देवनागरी अको का भी—दोनो का प्रयोग हो सकता है। आज वस्तुस्थिति क्या है ? मैने अभी कहा है कि इतने करोडो आदमियो के लिए आप **टाइपराइटर** बना रहे है। कैसा **टाईपराइटर** आप हमको देगे ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ये सब राज्य किस **टाइपराइटर** पर काम करेगे ? जिस **टाइपराइटर** पर इनको काम करना है, उसका **की-बोर्ड**, वर्ण-पट्ट, आपको देना चाहिए। अगर आपको अपने कामो मे हिन्दी के साथ अग्रेजी अको का इस्तेमाल करना है—मै इस प्रश्न मे नही जाता कि वह कहा होगा—तो उसके लिए आपको बहुत थोडे **टाइपराइटर** चाहिए। अगर आप यह तय करते है कि **आफ़िशियल परपज़ेज आफ दि यूनियन** के लिए आपको झख मार कर अग्रेजी अको का ही प्रयोग करना है—अगर गवर्नमेट की नीति यह हो जायगी, तो आप देखिए कि कितने **टाइप-राइटर** आपको चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि गवर्नमेट की यह नीति नही है और इस पर मै उसको बधाई देता हू। इस विषय मे उन्होने बराबर बुद्धिमानी से काम किया है। जहां जहा उन्होने हिन्दी का प्रयोग किया है, वहा वहा उन्होने नागरी अकों का प्रयोग किया है।

श्री त्यागी : अभी **टाइपराइटर** ऐसे ही है।

श्री टंडन : यह केवल **टाइपराइटर** का ही प्रश्न नही है। आप रेल विभाग की समय-सारणी को देखिए। वह तो केवल **टाइपराइटर** की बदौलत नही बनी होगी। उसमे नागरी अको का प्रयोग बराबर होता है। अगर आप नया **टाइपराइटर** बना कर इन नागरी अको को बदलना चाहे, अगर आप चाहे कि **गवर्नमेंट आफ इंडिया** जनता से जितना भी सम्पर्क करे, उसमे अग्रेजी अको का प्रयोग हो, तो वह कदापि उचित नही है। मगर मै समझता हू कि गवर्नमेट की यह मशा नही है।

कांस्टीटयूशन के बाद, नई **मिनिस्ट्री** बनने के बाद जब **गवर्नमेंट आफ इंडिया** ने रेलवे का **टाइम टेबल** बनाया था, तब पहले उसमे नागरी अक्षरों के साथ अग्रेज़ी अकों का प्रयोग किया गया था। उसका नाम रखा गया था

समय-सूचक या समय-दर्शक। वह टाइम-टेबल किसके काम का था ? जो अंग्रेजी पढे लिखे लोग थे, वह प्राय अग्रेजी का **टाइम-टेबल** खरीदते थे और जो आदमी हिन्दी का **टाइम-टेबल** चाहते थे---देहात के आदमी, साधारण आदमी---उनको हिन्दी अक चाहिए था। इस कारण वह कदाचित् बिका भी कम। **रेलवे मिनिस्ट्री** से कहा भी गया कि आपने यह क्या निकाला है, यह हमारे किस काम का है। परिणाम यह हुआ कि जो समय-सारणी कई बरसो से निकल रही है, उसमे नागरी अको का प्रयोग किया गया है। उसके लिए मै गवर्नमेंट को बधाई देता हू। इसलिए वह दलील सही नही है, जिसकी त्यागी जी कल्पना कर रहे है। पहले उसमे अग्रेजी अको का प्रयोग किया गया था, लेकिन वह बन्द कर दिया गया। समय-सारणी को नागरी अको के साथ निकालना पडा।

हमारे सामने जितने भी **गवर्नमेंट आफ इंडिया** के हिन्दी **पब्लिकेशन्स** है---**पब्लिकेशन्स डिविजन** के और **इन्फ़ार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री** के---उन सब मे नागरी अको का ही प्रयोग किया गया है। वे बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे है। वे देख रहे है कि उन्हे उन **पब्लिकेशन्स**, प्रकाशनों, को २१-२२ करोड़ आदमियो के सामने भेजना है। यह क्रम सही है और इसी को जारी रखना है। जहा कही कोई ऐसी विशेष जरूरत पड़ती है, वहा आप इस नीति मे परिवर्तन कर सकते है। आप भूलिए नही---मुझे याद है कि अग्रेज़ी अको की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि ख्याल था कि शायद एकाउटिग मे, आडिटिग मे, एकाउटेट जेनरल के कार्यालय में शीघ्र हिन्दी भाषा आ जाने से कुछ कठिनाई होगी। लेकिन जन-सम्पर्क के कार्यो मे आप को इन्ही नागरी अकों का प्रयोग करना पडेगा। **टाइपराइटर** के **की-बोर्ड**, वर्ण-पट्ट मे आप उन अंको को न रखे यह मुझे बहुत गलत लगता है। इतना ही मेरा निवेदन है। **कांस्टीटयूशन** के हिसाब से आप मजबूर नही है कि आप अग्रेजी अको का प्रयोग करे। उसमे दोनो बाते है। आप जो चाहे कर सकते है। अगर आपने---मिनिस्टरो ने---नागरी को चुना, तो सही किया, बुद्धिमानी की।

अधिक समय तक अंग्रेजी का रखना हानिकर

एक आध बात और मै आप से कुछ समय ले कर कहना चाहता हू। मेरे सामने यह बहुत बडा प्रश्न है। अग्रेजी को अधिक समय तक चलाने की बात की गयी है और इस विषय मे हमारे मान्य नेता श्री राजाजी ने विशेषकर अपना मत प्रकट किया है। मुझे हाल मे एक पुस्तक मिली है---श्री प्यारेलाल की 'महात्मा गांधी---दि लास्ट फेज'। इस पुस्तक में राजाजी और गाधीजी के हिन्दी सम्बन्धी कुछ विचार है। मुहब्बत के साथ उन्होंने

आपस मे बात की है। वह बड़ी रुचिकर है और उसको मैं आपके सामने रख देना चाहता हू।

उसका उल्लेख १६५ पन्ने पर है, आप उसको पढ लीजिए। उसमे किसी **फंकशन** का जिक्र है और जहाँ तक मालूम होता है, वह सन् १९४५ की बात है।

"The function itself which had taken Gandhiji to Madras occupied only a small part of his time. But its follow-up took some of his colleagues by surprise. He wrote letters to Srinivas Sastry, and Drs Jayakar and Sapru, asking whether in future he might not correspond with them in the national language. Their cry of independence for the masses would be an insincere and hollow cry, he told all concerned, if they failed to cultivate the habit of speaking and thinking in the language of the people. It had to be now or never Rajaji with his incorrigible love of paradox unwittingly made a *faux pas* when on receiving a scrawl in Devanagari in the Master's own hand, he let the following escape from his pen : "Your Nagari is so illegible that I have only with great difficulty gathered what you wished to tell me... It won't do to discard what we both know well and handle as medium and adopt deliberately a difficult medium except occasionally as a joke ! I shall begin replying in Tamil if you write to me in illegible Nagari !"

This brought the following from the Master : "If we discover a mistake, must we continue it ? We began making love in English ..a mistake Must it express itself only by repeating the initial mistake ? You have the cake and eat it also Love is love under a variety of garb—even when the lovers are dumb. Probably it is fullest when it is speechless. I had thought under its gentle, unfelt compulsion, you would easily glide into Hindustani and thus put the necessary finishing touch to

your service of Hindustani But let it be as you will, not I"

Wrote the repentant sinner: "Regarding Hindustani I plead guilty and ask for mitigation Old age (not youth) being the excuse But don't argue further. Your very sweetness makes me feel so guilty"

"उस कृत्य मे जिसके लिए गाधीजी मद्रास गये थे उनका बहुत थोडा समय लगा। किन्तु उसके पिछले भाग मे जो हुआ उससे उनके बहुत से साथी आश्चर्यचकित हो गये। उन्होने श्रीनिवास शास्त्री, डा० सप्रू एव जयकर को पत्र लिखकर पूछा कि क्या भविष्य मे वह उनके साथ राष्ट्र भाषा मे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं? उन्होने सब साथियो से कहा कि यदि वे जनता की भाषा मे बोलने और सोचने का अभ्यास नही डालेंगे तो जनता की आजादी का उनका नारा असत्य और खोखला सिद्ध होगा। करना है तो यह कार्य अभी करना चाहिए अन्यथा यह कभी नही हो सकता।" राजा जी, जो सदा से पहेलियो मे बाते करने के आदी है, अनजान मे एक गलती कर गए। गाधीजी का देवनागरी घसीट मे पत्र पाने पर उन्होने लिखा "आपकी नागरी इतनी अस्पष्ट है कि बडी कठिनाई के बाद ही मै आपकी बात समझने मे समर्थ हो सका हू। जिसे हम दोनो भलीभांति जानते है, उसे छोड कर एक कठिन माध्यम अपनाना उचित नही होगा, सिवाय कभी कभी हसी के लिये। यदि आप मुझे अस्पष्ट नागरी मे लिखेंगे तो मै तामिल मे जवाब देना शुरू कर दूगा।" इसके उत्तर मे गाधी जी ने लिखा "अपनी गलती समझ लेने के बाद भी क्या उसका जारी रखना आवश्यक है? हम लोगों ने प्रेमालाप अग्रेजी मे आरम्भ किया यह हमारी भूल थी। क्या हमारा प्रेम अपनी प्रथम भूल को दुहरा कर ही सम्पन्न हो सकता है? आप दो विरोधी कार्य कर रहे है। प्रेम प्रेम है चाहे उसका वस्त्र भिन्न हो। प्रणयी गूगे भी हों तो भी प्रेम प्रेम ही है। पूर्णता पाकर तो प्रेम मूक हो जाता है। मैने इसके मृदु और स्वाभाविक प्रभाव मे सोचा था कि आप सरलता से हिन्दुस्तानी को ग्रहण कर लेगे। तथा हिन्दुस्तानी के प्रति अपनी सेवा को पूर्ण करेगे। परन्तु आपको अपनी इच्छा के अनुकूल काम करना है, मेरी इच्छा के नही।"

अपनी ग़लती पर पश्चात्ताप करते हुए राजाजी ने लिखा "हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध मे मैने जो शब्द लिखे थे उस भूल का अनुभव करता हू और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी भूल का कारण वृद्धावस्था (जवानी नही) थी। अब इस पर आगे तर्क न करे। आपकी मधुरता और सज्जनता से ही मै अपने को ऐसा अपराधी अनुभव करता हूँ।"

राजा जी ने अपने बुढापे की बात कही थी। लेकिन जब उन्होंने यह बात कही थी तब से वे और अधिक बूढे हो गये है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश मे राजा जी जैसे महापुरुष है। मै कह सकता हू कि मै हृदय से राजा जी का पुजारी हू। परन्तु उनकी कई बाते ऐसी होती है जिनमे वे गहरी भूल कर जाते है और मुझको ऐसा लगता है कि आज जो वह कह रहे है उसमें वे गहरी भूल कर रहे है। मेरा निवेदन यह है कि हिन्दी के विषय मे विचार करते समय हमे इस प्रकार की बातों से चौकन्ने रहना है।

मुझे एक बात और कहनी है, और मुझे बडी प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी इस समय यहा मौजूद है। इस बात का थोडा सा सम्बन्ध पर-राष्ट्र नीति से है।

नागरी लिपि की वैज्ञानिकता

ससार मे जितनी लिपिया है उनको जानने वाले बडे बडे लोगो का यह मत है कि नागरी लिपि सबसे अधिक सुन्दर, पूर्ण और वैज्ञानिक है।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : यह पेचीदा है।

श्री टंडन : मै समझा नही कि इस पेचीदापन पर आप नाक भौ क्यो सिकोडते है। अगर पेचीदा है तो उसे समझिये, वह आपकी अक्ल के बाहर नही होनी चाहिए। देखिये इसमे क्या पेच आता है। अभी मैने कहा कि इसका कुछ परराष्ट्र नीति से सम्बन्ध है। आप उस पेच को समझने की कोशिश कीजिये। मै कहता हू कि यह सारे ससार का प्रश्न है, केवल भारत का ही नही है। ससार मे जो लिपियो के जानने वाले हुए है उनमे से कुछ की राय मै आपके सामने रखना चाहता हू। सर आइजक पिटमैन, जिन्होने **फ़ोनोग्राफी**, अर्थात **शार्टहैंड** शीघ्रलिपि निकाली, उन्होने देवनागरी लिपि को देखकर ही उसके आधार पर उसको निकाला था। लेकिन मै आज उस विषय मे नही जाना चाहता। मै केवल आपके सामने वह रखना चाहता हू जो उन्होने देवनागरी लिपि के बारे मे कहा है। वे कहते है—

"If in the world we have any alphabets the most perfect, it is those Hindi ones"

"ससार मे यदि कोई सबसे पूर्ण लिपि है तो वह हिन्दी की है।" यह सर आइजक पिटमैन के शब्द है।

मै एक राय और आपके सामने रखता हू। फिर मै परराष्ट्र नीति वाली बात पर आता हू। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स सस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और अग्रेजी और हिन्दी के भी पंडित थे। उन्होने पुराने समय मे एक पत्र "टाइम्स" मे लिखा था जिसमे नागरी लिपि के बारे मे उन्होने कहा है—

"This, although deficient in two important symbols

(represented in the Roman by z and f), is on the whole, the most perfect and symmetrical of all known alphabets. ... The Hindus hold that it came directly from the gods (whence its name), and truly its wonderful adaptation to the symmetry of the sacred Sanskrit seems almost to raise it above the level of human inventions"

"यद्यपि इस लिपि मे दो महत्वपूर्ण ध्वनियो की कमी है जो रोमन लिपि में Z और F द्वारा व्यक्त होती है किन्तु अपने सम्पूर्ण रूप मे ससार भर की सभी ज्ञात लिपियो मे यह सबसे अधिक पूर्ण और सतुलित है। हिन्दुओ का यह विश्वास है कि यह सीधे देवताओ से आई है और इसीलिए इसका नाम देवनागरी है। और सत्यता तो यह है कि जिस आश्चर्यजनक सतुलन के साथ यह पवित्र संस्कृत भाषा को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकी है उसने इसे साधारण मानव के आविष्कार के ऊपर उठा दिया है।" यह उनकी राय है नागरी लिपि के बारे मे। इस लिपि मे अक्षर और अक दोनो ही सम्मिलित है।

परराष्ट्र नीति में हिन्दी और नागरी

अब मै आपसे परराष्ट्र नीति के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। कभी कभी हमारे सामने अको को बदलने की बात आती है। मेरा इस सम्बन्ध मे यह कहना है कि यदि हमने यह परिवर्तन किया तो परराष्ट्र के क्षेत्र में हम अपने को कुछ छोटा कर देगे। इस विचार से मेरे हृदय मे दर्द होता है। मै कहना चाहता हू कि हमारी हजारो वर्ष पुरानी सस्कृत भाषा ने हमको संसार के सामने ऊचा किया है। यह ठीक है कि आज हम और आप सस्कृत भाषा बोलते नही और बहुत थोडे पढते है। लेकिन यह वास्तविकता है कि उस समय जब दूसरी जगहो पर बहुत कम ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ था सस्कृत साहित्य बहुत विकसित हो चुका था, और उसी सस्कृत साहित्य ने यूरोप मे हमारा सिर ऊचा किया जब हम और आप राजनीतिक दृष्टि से दास थे। मुझे इस विषय मे अधिक नही कहना है। जो विद्वान है वे सस्कृत साहित्य की और देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते है। यह सर्व विदित है कि श्री मैक्समूलर तो सस्कृत पर आशिक थे। वे अनेक भाषाओ के ज्ञाता थे। मेरा कहना यह है कि सस्कृत भाषा के साहित्य के कारण हमारा चारो ओर नाम हुआ है। लेकिन आज जब हम अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को ला रहे है तब अक्षर तो हम देवनागरी के रखते है पर अक अंग्रेजी के लें यह मेरा निवेदन है, सही नही है। मुझे इस विषय में कोई जिद नही है। मै तो बहुत चीजों को बदल देने के पक्ष मे हूं। लेकिन

मेरा नम्र निवेदन यह है कि जब हम संस्कृत के अक्षर लिखेंगे परन्तु अक अग्रेजी के लिखेगे तब हमारी ऊचाई में कुछ कमी आ जायगी।

चीन को नागरी लिपि अपनाने की सलाह

आज मंने पढा है कि चीनी लोग अपनी लिपि को, जो चित्रो द्वारा लिखी जाती है, बदलना चाहते है और अपनी भाषा के लिए कोई लिपि चाहते हैं। अग्रेजी मे इस प्रकार कहा गया है—

"They desire to alphabetise their language."

(वे अपनी भाषा को लिपि मे बाधना चाहते है।)

मै अपने प्रधान मत्री जी से कहना चाहता हू कि यह उनके लिए एक अवसर है। इस समय अपनी **एमबेसी** द्वारा इस लिपि को वे चीनी लोगो के सामने रखें। इसमे कोई दबाव की तो बात नही है, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि हमारी सस्कृत भाषा और उसकी लिपि कितनी ऊची है और हमारा उनका कितने प्राचीन समय से सम्बन्ध रहा है। केवल सस्कृत ही नही हमारे देश की प्राचीन भाषाओ प्राकृत और पाली द्वारा भी हमारे दोनो देशो मे ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। हम उनके सामने पाली लिपि रखे। हम अपनी हिन्दी लिपि उनके सामने रखें। जब वे लोग अपने वर्तमान क्रम को छोड कर किसी दूसरी लिपि को अपनाना चाहते है तो उनका इस ओर ध्यान दिलाइये कि हमारे देश की लिपि पूर्ण है और इसको स्वीकार किया जा सकता है। सम्भव है कि उनको यह लिपि अगीकार हो। आज स्याम मे यही वर्णमाला चल रही है यह आप भूलियेगा नही। बर्मा मे यही वर्णमाला है, लिखने मे थोडा अन्तर है। तिब्बत में भी यही वर्णमाला है। अभी तिब्बत का बहुत सा साहित्य हिन्दुस्तान मे आया है और हम उस लिपि को देख सकते है। यदि ये सब बाते उनके सामने रखी जायँ तो सम्भव है कि चीनी लोग इस लिपि को स्वीकार करे। मैं यह कहता हूं कि अपनी सस्कृति को आगे पहुंचाने का यह एक रास्ता है।

हम अपने यहाँ जरा सचेत हो। यह जो हजारो वर्ष पुरानी और इतनी पूर्ण लिपि हमारे देश मे है यह हमारे लिए एक गौरव की बात है। अक्षर के रूप बदलते रहे है और उनको आप फिर भी आवश्यकता देख कर बदल सकते है। नागरी लिपि को बदलने के मै कुछ रास्ते बतला सकता हू। लेकिन आज मेरा कहना यही है कि यदि आप अक्षर रखते है तो अक भी रखे। ऐसा करने मे हमारा गौरव है। आप अपने शिक्षा विभाग की सारगी की खूटी को जरा कसिये, जरा सम्हालिये, खूटी को सम्हालकर स्वर मिलाइये ताकि सब तारों के स्वर आपस मे मिले। आज तमाशा यह है कि अन्य सब केन्द्रीय विभाग तो नागरी अंकों का प्रयोग कर रहे है परन्तु हमारा शिक्षा-विभाग जब हिन्दी अक्षर

लिखता है तब अक अग्रेजी के प्रयोग करता है। मै अभी वर्धा गया तो मालूम हुआ कि वहा इस विभाग ने यह लिख कर भेजा है कि तुम अग्रेजी अको का प्रयोग करो। यह कोई **कांस्टीटच्यूशन** की बात नही है। यदि केन्द्र चाहे तो अपने **आफ़िशियल परपजेज** के लिए अग्रेजी अको का प्रयोग कर सकता है। मेरा विश्वास है कि इस विभाग को इस विषय मे एक दुराग्रह सा हो गया है। इतना दुराग्रह इस बात मे करके वे हिन्दी की सहायता नही कर रहे है। मेरा निवेदन है कि हम अपने घर को सम्हाले, अपने शिक्षा-विभाग को सम्हाले।

हमारा यह यत्न हो कि यह जो हमारी प्राचीन लिपि और अक है, उनको हम दूसरो के सामने रखे। चीन मे आज इसका अवसर है और मै इसपर जोर देना चाहता हू। मैने सोचा था कि इसके सम्बन्ध मे मै कभी प्रधान मत्री से अलग बात करूगा, मगर आज अवसर मिल गया और प्रधान मत्री जी यहा इस समय मौजूद है, तो मैने मुनासिब समझा कि यही पर उनसे अपनी बात कह दू। अगर और अधिक विस्तार मे इस विषय मे वे जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझे तो मै फिर उनसे इस सम्बन्ध मे विस्तार से निवेदन कर सकता हू।

संयुक्तराष्ट्र संघ में हिन्दी

मै चाहता हू कि आज परराष्ट्रो मे जो हमारे दूत मौजूद है, उनके सामने अपनी राष्ट्रभाषा और लिपि के गौरव की बात रखी जाय, मेरा तो विश्वास है कि भले ही आज यह चीज सम्भव न हो लेकिन कुछ वर्षो बाद सयुक्तराष्ट्र सघ मे हिन्दी को एक भाषा के रूप मे मान्यता प्राप्त होगी। आज वहा पर ५ भाषाओ को मान्यता दी गई है लेकिन वह दिन दूर नही है जब हिन्दी को वहा पर माना जायगा और वह दिन हमारे लिए गौरव का दिन होगा। हिन्दी को वहां पर मनवाना होगा। अगर आज हम अपनी लिपि चीन को भेट करे और इस भेट को वे स्वीकार कर उसपर अमल करे तो मै समझता हूं कि एशिया भर के लिए यह अच्छा मार्गप्रदर्शन का काम होगा।

३५

पैसे की उपयोगिता—काश्मीर का प्रश्न

१६ मार्च १९५६ को भारतीय लोकसभा में सामान्य वित्त आयव्ययक पर बोलते हुए

हिन्दी के लिए वित्त मंत्री को बधाई

सभापति जी! सबसे पहले मै अपने वित्त मत्री जी को बधाई देता हू। उस रीति की बधाई नही जैसी हमारे बहुत से सहयोगियो ने दी है, परन्तु एक विशेष बात के लिये, और वह यह है कि उन्होने पिछले वर्ष जो आश्वासन दिया था कि बजट के कुछ अगो को वह हिन्दी मे रक्खेगे उसको उन्होने अशत पूरा किया। परन्तु फिर भी कसर है। उनकी अपेक्षा रेलवे मत्री ने हिन्दी के अक और हिन्दी के बजट मे अधिक स्फूर्ति दिखाई। मै जानता हू कि हमारे वित्त मत्री जी के सामने कठिनाई है, उनके पास बहुत बडी बडी पुस्तके है अगरेजी मे, जिनको हिन्दी मे करन की मेरी माग थी। वह सब तो नही कर सके, परन्तु उन्होने अशत किया, इसके लिये उनको मै बधाई देता हू। मेरा सुझाव यही है कि अगले वर्ष जब वे आये अपना बजट लेकर, तब उनका पूरा बजट हिन्दी मे होना उचित है। यह कोई कठिन समस्या नही है। उत्तर प्रदेश का तो मुझे अनुभव है। वहा पूरा बजट अर्थात् बड़ी-बडी पुस्तके भी जो अगरेजी मे पहले होती थी अब हिन्दी मे ही आती हैं। वहा हिन्दी मे उनका होना आवश्यक है, बाद मे उनका अनुवाद अगरेजी मे आता है। हमारे वित्त मत्री जी भी वही क्रम यहा रक्खे, यह मेरा सुझाव है।

देहातों की उपेक्षा

बजट के सम्बन्ध मे मै बहुत आनन्द और उल्लास के साथ कुछ नही कह सकता। यदि मै यह कहू कि वह बहुत उन्नतिशील है, तो वह मेरे हृदय की बात नही होगी। कारण यह है कि उन्नति की दिशाओ के देखने मे भेद है। व्यय तो बहुत है, उन्होने देश के लिये बहुत सी नई-नई सस्थाओ के बनाने के लिये ३१६ करोड रु० का पूजीगत व्यय दिखाया है। परन्तु मेरे हृदय मे तो टीस यह उठती है कि यह जो व्यय है, जिसके लाने मे हमारे देश के ऊपर के स्तर के आदमियो से तो रुपया लिया ही जाता है, दीनो का भी इस भार में बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमे हमारे दीन लोगो के लिये, देहातो के लिये क्या

व्यय निकाला गया है। मेरे हृदय मे यह प्रश्न उठता है। व्यय तो है, परन्तु उसे किस दृष्टिकोण से देखा जाय, इसका सवाल है। आँख वही है पर चितवन मे भेद है।

इस बजट मे व्यय बहुत करने की बात है परन्तु इसकी चितवन शहरी है, देहात की ओर नही है। देहातो मे मकान बनाने के लिये थोडा बहुत रुपया दिखाया गया है। जहाँ इतने करोडो की चर्चा हो वहा कुछ थोडी सी रकम—

सरदार इकबाल सिंह (फ़ाजिल्का-सिरसा) : सिर्फ पाच करोड दो सौ रुपया है।

श्री टंडन : जी हा ! मुझे मालूम है। यह पांच करोड रुपया सिन्धु में बिन्दु के समान है। इस बिन्दु से इतने बडे और इतने अधिक देहातो का क्या भला होने वाला है, यह आप ही अदाजा लगा सकते है। मै बार बार कह चुका हू, मै बार बार निवेदन कर चुका हू कि आप देहातों की ओर ध्यान दीजिये। आप देखिये कि क्या रहन सहन उनका है। यहा वहुत सी नई-नई योजनाओ की चर्चा हुई। **कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स** की बात भी आई। उसके सम्बन्ध मे, उसके लाभ की गाथा भी हमारे भाई ने सुनाई है। मुझको तो वह बहुत प्रिय लगी। कहानी और गाथा सदा प्रिय लगती है। परन्तु मुझे वह केवल कहानी ही लगी। इसका कारण यह है कि जब मै देहातो मे स्वय जाता हू तब मुझको नही दिखाई पडता कि उनका स्तर कुछ ऊचा हो गया है। जो पत्रिकाये हमारी गवर्नमेंट के विभागो की ओर से बाटी गई है उनसे भी पता लगता है कि हमारे देश मे, इसके बहुत से भागों मे लाखो परिवार ऐसे है जिनकी आय १५ रुपये से लेकर ५० रुपये मासिक तक है। याद रखिये यह परिवार की आय है। ऐसे लाखो करोडों परिवार है जिनकी इतनी आय है। आप खुद ही अनुमान कर सकते है कि उनकी दशा कैसी हो सकती है। जिस परिवार मे चार या पाच प्राणी हो और उसकी १५ रुपये मासिक आय हो तो कैसे वह परिवार रह सकता है इसका अदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मै जानता हू कि हमारे प्रदेश के कुछ भागो मे तो ऐसे दरिद्र लोग है जो गोवर के भीतर से अनाज निकाल कर और उसको धोकर खाते है। यह कहानी नही है, यह सही बात है। गोरखपुर और देवरिया के जिले मे इस खाने का नाम गोबरी है। जहा इतनी दरिद्रता है वहा पर यह आशा की जाती है कि उनके पास पहुंच-कर हम उन्हे उठाने का कुछ यत्न करे। वह यत्न तो मै इस बजट मे कही भी नही देखता हू। उसका नितांत अभाव है।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) **फाइव इयर प्लान** मे है।

श्री टंडन : उसी की चर्चा मै कर रहा हू। उसके अनुसार ही तो पूजी-व्यय इस वर्ष ३१६ ७ दिखाया गया है। यह तो उसी व्यवस्था के भीतर

है। हा ! एक बहुत बडी रकम कारखानो के ऊपर खर्च करने के लिए रखी गई है। यह औद्योगिक कारखानो के लिए रखी गई रकम हमारी इस दरिद्रता को, जिसकी मैने अभी चर्चा की है, हटाने वाली नही है। मै यह निवेदन करना चाहता हू इस गवर्नमेट से कि आप समाजवादी रूप की बात करते है। अच्छे सामाजिक रूप की कुजी यह है कि अधिक से अधिक सुख हम पहुचाये।

तट-उपयोगिता

मै इधर ध्यान दिलाता हू कि जब व्यय हम करे तब हमे चाहिये कि हम यह देखे कि एक एक रुपये से अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, यह अच्छे सामाजिक क्रम की कुजी है। मै अर्थशास्त्र के शब्दो में कहता हू, क्योकि यहा पर अर्थशास्त्र के पंडित तो बहुत है,—'पडितमानिन.', पाडित्य उनका अको मे ही न रहे, कि यहां इतना हुआ, वहा उतना हुआ, वहा से यह निकलता है और यहा से यह निकलता है। उसी अर्थशास्त्र का एक बडा सिद्धान्त यह है कि हर एक पैसे की तट-उपयोगिता, जिसको अग्रेजी मे आप **मार्जिनल यूटिलिटी,** (Marginal Utility) कहते है, घटती जाती है, जैसे जैसे किसी के पास अधिक पैसा होता जाता है। यह स्पष्ट नियम है अर्थशास्त्र का। एक रुपये की उपयोगिता हमारे देहात के गोबरी खाने वाले के लिए क्या है और आप अनुमान कीजिये कि हमारे यहा जो एक लक्ष्मीपति है उसके लिए क्या है ? आकाश पाताल का अन्तर आप पायेगे। अगर १०–२० हजार रुपया किसी लक्ष्मीपति के पास बढ गया तो उसकी क्या उपयोगिता है और यदि वह रुपया कुछ देहाती जनो को मिल जाय तो उसकी क्या उपयोगिता है। मै इसीलिए कह रहा हू कि समाज का सुख बढाने की कुंजी यह है कि जितना हमारे बजट का व्यय है, उसकी तट-उपयोगिता, **मार्जिनल यूटिलिटी,** अधिक से अधिक हो। क्या मै आज यह कह सकता हू कि जितने का आपने बजट बनाया है इसमें **मार्जिनल यूटिलिटी** अधिक से अधिक है ? यह मै कहने मे असमर्थ हू। यदि **मार्जिनल यूटिलिटी** आपके पैसे की उचित होती तो सुख और समृद्धि देश मे फैल जाती। परन्तु वह नही है। यहा दिल्ली मे मेरे सामने एक बात आई है। शिक्षण विभाग मकान बनवा रहा है जिसमे कुछ नट-नागर नाच करेंगे। नट-नागरो के लिए १०–१० लाख तक रुपया खर्च करना तो मामूली बात है, इनके लिए बजट आप देखिये। इतने रुपयो की लागत के कितने मकान बनाये जा रहे है। मुझे पता चला है कि यहा एक भूमि के ऊपर एक करोड़ रुपया एक कला-भवन के बनाने मे ख़र्च होने वाला है जिसमे से लगभग ५० लाख रुपया तो इमारत बनाने मे ख़र्च होगा और बाकी ५० लाख रुपया

सामग्री के जुटाने मे। जो गोबरी खाने वाले लोग इस देश मे है उनकी दृष्टि से इस पैसे की तट-उपयोगिता, **मार्जिनल यूटिलिटी** कितनी है, इस बात का अन्दाजा आप लगाइये यह मेरा आप से कहना है। मुझको कभी कभी लगता है कि यह समाज को उठाने की बात जो हम करते है बात ही रह जाती है। क्या यह सब काम इस समय करने का है ?

श्री अलगूराय शास्त्री (जिला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया पश्चिम) : नही।

श्री टंडन : इस समय तो कौडी कौडी इस काम मे लगनी चाहिए कि किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके हम गाव के भाइयो को सम्हाले, उनके लिए घर और भोजन का इन्तिजाम करे। पाच करोड आपने मकानो के लिए दिया है। इससे क्या बनने वाला है। क्या इससे देहातो का उत्थान होने वाला है ? मैने यहा कितनी बार निवेदन किया है कि आप देहातो मे हर परिवार के लिए घर बनाने को आध एकड भूमि दे। हमारे वित्त मत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि "आप जो बात कह रहे है वह मै ऊपर पहुचा दूगा।"

गाँवों के लिए आदर्श गृह योजना

मैने यहा आदर्श घरो की योजना कई बार रखी है। मैने निवेदन किया है कि एक एक घर को आध आध एकड भूमि देनी चाहिए, चाहे वह किसी दरिद्र का घर हो या किसी धन्नासेठ का। उस भूमि मे वह अपना वाटिका गृह बनाये। मै तो कहता हू कि आप कम से कम दो एक आदर्श ग्राम बनाकर दे। वित्त मत्री यहा मौजूद नही है। परन्तु मै पूछता हू कि क्या उन्होने देश मे एक भी आदर्श ग्राम बनाया ? मै आशा करता था कि हर जिले मे अधिक नही तो एक एक दो दो आदर्श ग्राम तो बन जायगे। इसके लिए बराबर यत्न होना चाहिए। भूदान यज्ञ मे भी इसके लिए यत्न हो रहा है। मैं स्वय उसमे लगा हू। परन्तु हमको तो बहुत कम भूमि मिलती है और कठिनाई से मिलती है जो हम इन बेचारे ग्रामवासियो को घर बनाने के लिए दे सके। लेकिन इधर हमारी गवर्नमेंट नृत्यकला के लिए करोडो रुपये खर्च कर रही है। अगर आप देश मे दस बीस करोड रुपया आदर्श घरो को बनाने मे लगा देते तो कुछ सूरत दिखायी देती। लेकिन यह नही हुआ।

मेरा यह निवेदन है कि हमारा जो यह बजट है वह बहुत त्रुटिपूर्ण है। मेरे हृदय मे पीडा है कि हमारे देश का रुपया बरबाद हो रहा है। मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने सहयोगियो से, अपने साथियो से कहता हूं कि आज आपके यहां रुपये की **मार्जिनल यूटिलिटी** (Marginal Utility) खोई सी

है। आप अपने अर्थशास्त्रियो से पूछे कि आज रुपये की **मार्जिनल यूटिलिटी** क्या है और क्या हो सकती है। जो आपके पैसो की **मार्जिनल यूटिलिटी** हो सकती है वह उससे आज बहुत ही नीचे है। यदि आपके पैसो मे पूरी **मार्जिनल यूटिलिटी** होती तो आज देश सुखी और समृद्ध होता।

शिक्षा विभाग से निवेदन

मुझे कुछ शब्द शिक्षण विभाग से कहने है। हमारे भाई डिप्टी मिनिस्टर, डा० श्रीमाली ने इस सम्बन्ध मे यह इच्छा प्रकट की थी कि शिक्षा विभाग को अधिक अधिकार दिया जाय, आज उस विभाग के पास इतना अधिकार नही है कि वह उन कामो को करा सके जिनको वह कराना चाहता है क्योकि शिक्षा का विषय हमारे राज्यो के अधिकार मे अधिक है। यदि वे यहा हो तो मै उनसे पूछना चाहता हू कि जो अधिकार उनके पास है क्या उनका ठीक उपयोग हुआ है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जितने विभाग है उन सब मे इस शिक्षा-विभाग का काम सबसे रद्दी है।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल रद्दी। इस विभाग को खत्म किया जाय।

श्री टंडन : किसी ने कहा कि इस विभाग को समाप्त करो। मेरा निवेदन यह है कि वह अधिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उसकी तो अजीब बुद्धि है। अजीब तरह से वह प्रश्नो को देखता है। उस विभाग ने हिन्दी **टाइपराइटर**—टकणयत्र के लिए एक **की-बोर्ड**, वर्णपट्ट, बनाया है जिसमे अक्षर तो हिन्दी के है परन्तु अक अग्रेजी के है। यह **की-बोर्ड**, वर्णपट्ट, वह देश भर मे पहुचाना चाहते है। यह क्या अक्ल की बात है ? इसको कौन हिन्दी भाषी राज्य स्वीकार करेगा ? और इसके लिए हवाला दिया जाता है **कांस्टीटयूशन** का। क्या इस विभाग मे कोई ऐसा आदमी नही है जो सविधान समझ सके ? **कांस्टीटयूशन** मे यह स्पष्ट लिखा है कि केन्द्रीय कार्यो के लिये हिन्दी मे अक नागरी का भी हो सकता है और अग्रेजी का भी। **कांस्टीटयूशन** मे यह बात नही है कि हमारे देश भर मे जितने हिन्दी **टाइपराइटर** बरते जाय उनमे अक्षर तो हिन्दी के हो और अक अग्रेजी के। क्या उन्होने यह **टाइपराइटर** केवल अपने शिक्षा विभाग के लिए ही बनाया है ? नही। वह **टाइपराइटर** का वर्णपट्ट या **की-बोर्ड** सारे देश के लिए बनाना चाहते है। मैने उस रोज कहा था कि इस देश मे लगभग २२ करोड आदमी ऐसे है जिनकी भाषा मे नागरी अको का प्रयोग होता है · ·

एक माननीय सदस्य : श्रीमाली जी आ गये।

श्री टंडन : मै आपकी ही चर्चा कर रहा था। डा० श्रीमाली ने शिक्षा

विभाग के अधिकार बढाने की बात कही थी। मै निवेदन कर रहा था कि शिक्षा विभाग के पास जो अधिकार है उनका वह दुरुपयोग कर रहा है। शिक्षा विभाग के काम से रद्दी काम करनेवाला हमारे यहा कोई दूसरा विभाग नही है। मुझे यह कहते हुए लज्जा होती है। अभी डा० श्रीमाली का इस विभाग से सम्बन्ध थोडे दिनो का ही है। मै आशा करता हू कि आप यत्न करेगे कि यह विभाग अपने अधिकारो का सदुपयोग करे, यदि ऐसा करना आपके अधिकार मे हो। मै जो चर्चा कर रहा था उसे आपके कानो के लिए दुहराये देता हू। आपके विभाग ने यह अजीब काम किया है कि **टाइपराइटर** का जो वर्ण पट्ट बनाया है उसमे अक्षर तो हिन्दी के रखे है पर अक अग्रेजी के। यह क्या बात है? ऐसा मालूम होता है कि यह विभाग दुराग्रह से भरा हुआ है। इस विभाग से राज्यो के मत्रियो को पत्र भेजे जाते है कि तुम लोग जहा हिन्दी का प्रयोग करो वहां उसके साथ अग्रेजी के अको का प्रयोग करो। मै यह बात अपने मन से नही कह रहा हू। मुझे यह बात एक राज्य के मुख्य मत्री से मालूम हुई है। यह क्या है? आप अपने अधिकार का यह सदुपयोग कर रहे है या दुरुपयोग कर रहे है? मै कहता हू कि आपके विभाग का अच्छा काम नही है और उसका कोई अधिकार नही बढ़ना चाहिए। यह मेरा निवेदन है शिक्षण विभाग के लिए।

मै आशा करता था कि हमारा शिक्षण विभाग शिक्षण को कोई नया रूप दगा। राष्ट्रपति ने और जो हमारे देश के शिक्षण से सम्बन्ध रखने वाले अनुभवी लोग है उन्होने बार-बार यह कहा है कि हमारा शिक्षण का क्रम बदलना चाहिए। हमारे शिक्षण मे दो बातो की मुख्य रूप से आवश्यकता है। एक तो चारित्रिक निर्माण की और दूसरी शिक्षित लोगो मे आत्म निर्भरता की, अर्थात् उनको इस प्रकार से पढाया जाय कि वे आत्म निर्भर हो सके। यहा यह दोनो बाते नही है। जहा एक ओर हमारे देश मे शिक्षण क्रम को बदलने की इतनी आवश्यकता है वहा ऐसा मालूम होता है कि हमारे शिक्षण विभाग मे कल्पना का अभाव है। आज मै और अधिक नही कहना चाहता। लेकिन मै यह तो कहना ही चाहता हूं कि शिक्षण विभाग ने जो अकादमिया बनायी है उन पर वह लाखो रुपया बरबाद कर रहा है। अब मै उस बात को दुहराता नही।

काश्मीर का प्रश्न

एक और विषय है जिस पर मै कुछ शब्द कहना चाहता हू। वह विषय है काश्मीर का। काश्मीर के सम्बन्ध मे हमारे भाई फोतेदार जी ने कुछ चर्चा की थी। मेरा भी यह निवेदन है कि काश्मीर का प्रश्न बहुत लटका हुआ है। आये दिन उसके सम्बन्ध मे कही न कही से कुछ बात हो जाती है।

यह विषय कि वहां का जनमत लिया जाय, किसी जमाने मे **सिक्योरिटी काउंसिल** गया था परन्तु इतने दिन उसको लटकते हुए हो गये। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक निश्चित बात हमारी गवर्नमेंट को काश्मीर के सम्बन्ध मे अब कर देनी चाहिए। यह बात तो स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, और जहा तक मुझे स्मरण है हमारे प्रधान मत्री जी ने भी माना है कि काश्मीर हमारे देश का अग है इसमे कोई सन्देह नही है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने कुछ आपत्ति भी उठायी थी। परन्तु वह तो कई बातो पर अनुचित आपत्ति उठाया करता है।

उसकी आपत्ति पर ध्यान न देकर मेरा निवेदन है कि आज हमको अपना चलन इस प्रकार का बनाना चाहिए कि काश्मीर हमारा एक अग है, अर्थात् जब हम यहा कोई अधिनियम, **ऐक्ट** बनाये तो बारबार हम यह न कहे कि काश्मीर मे यह लागू नही होगा। आपके यहा जितने अधिनियम बनते हैं उनमे साधारण रीति से दिखलाई पड़ता है कि काश्मीर को आप अपवाद करते चले जा रहे है। इस तरह के अपवाद करने की आवश्यकता नही है। काश्मीर को अब, जैसा हमारे फोतेदार जी की माग थी, हम अपना एक निश्चित अग माने। कई बातो के लिए अग बन भी गया है और मै चाहता हू कि जितने कानून आप यहां बनाये, उनमे काश्मीर भारत का पूरी तरह एक अंग समझा जाय।

काश्मीर की बात करते हुए मुझको एक टीस सी उठती है उन भाइयों के बारे मे जो हाल ही मे मुझसे मिलने आये और जिनकी दशा सुन करके मेरा हृदय रो पडा। काश्मीर के उस भाग से जिस भाग को काश्मीर से छीन कर पाकिस्तान मे मिला लिया गया है, जैसे मीरपुर और पूछ, उन इलाकों के बहुत से हमारे भाई भाग कर इधर हमारी शरण मे आये है। मै तो आज तक समझ नही पाया कि जब हमारी फौजे वहा तक पहुच गई थी तब मीरपुर और पूछ के इलाकों पर उन्होंने कब्जा क्यो नही किया और उसके पहले ही युद्धविराम रेखा बना दी गई .

श्री कामत (होशंगाबाद) : उनको हटा दिया था।

श्री टंडन : मै आपकी बात नही समझा। आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिये। मै यह कह रहा हू कि पूछ और मीरपुर के करीब हमारी फौजें पहुच गई थी, वहा की पाकिस्तानी फौजे भाग चुकी थी, या वहा से भाग निकली थी परन्तु फिर भी हमारी ओर से उन इलाको पर कब्जा नही किया गया. . . .

श्री कामत : मै भी यही कह रहा था कि हमने उनको हटा दिया था।

श्री टंडन : मै आपकी बात नही समझा था। ख़ैर, 'गत न शोचामि',

मै उसको छोडता हू। जो कुछ भी हुआ उसमे बुद्धिमानी हुई या भूल हुई, मै तो उसको भूल ही मानता हू. . .

श्री अलगूराय शास्त्री (जिला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया पश्चिम) भूल होती जा रही है।

श्री टंडन : वे हमारे मुसीबतजदा भाई जब मीरपुर और पूछ से भाग भाग कर काश्मीर मे आते है वहा पर उनको जगह नही मिलती है और वे यहा हमारे पास आते है। उन्ही भाइयो के मुह से उनकी कथा मैने सुनी। किसी ने कहा कि मेरा बाप मारा गया, किसी ने कहा कि मेरा भाई वहा पर मारा गया और किसी भाई ने मुझे बतलाया कि मेरी स्त्री ने कुए मे छलाग लगा कर अपनी जान दे दी और उन्होने यह बतलाया कि कुए के कुए लाशो से भर गये थे क्योकि हमारी मा बहनो ने सोचा कि पाकिस्तानी फौज के आते ही हमारी दुर्गति होगी और उन्होने कुओ के अन्दर छलांग लगा कर अपनी जाने दे दी। मुझे तो यहा तक उन भाइयो ने बतलाया कि हमारी स्त्रियो ने हमसे कहा कि हमको तुम खुद अपने हाथ से मार डालो और हमको उनके लिए मत छोडो और उन्होने बतलाया कि अपने घर की स्त्रियों को अपने हाथो से मार कर हममे कुछ आये है। आप अदाज लगा सकते है कि यह भाई अपना सब कुछ लुटा कर यहा पर आये है और उनको बडी मुश्किल से यहा रहने को घर मिले है और हमारा पुनर्वास मत्रालय उन दु खी और मुसीबतजदा भाइयो से यह मांग करता है कि या तो उन घरो का मूल्य हमे दे दो और या उनका किराया दो। चूकि उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है और ठीक नही है इसलिए मै चाहता हू कि पुनर्वास विभाग उन काश्मीरी भाइयो के प्रति थोडा करुणामय व्यवहार करे। हमारे यह काश्मीरी भाई शरणार्थियो की गिनती मे नही आते क्योकि आपने जो नियम बनाया है उसके अनुसार वे लोग जो जायदाद छोड कर पाकिस्तान से आये है, उनको आप शरणार्थी गिनते है और यह भाई पुराने पाकिस्तान के हिस्से के तो है नही, इसलिए शरणार्थियों की आपकी परिभाषा मे **डेफ़िनिशन** मे यह नही आते। इनका बुरा हाल है। मै यह चाहता हू कि जहा आपने शरणार्थियो की इतनी श्रेणिया बनाई है वहा इन भाइयो के लिए भी आप कोई एक नई श्रेणी बना लीजिये और तुरन्त उनकी दशा के ऊपर ध्यान दीजिये।

मै आपसे यह आशा करता हू कि जो कुछ मैने कहा है उसके ऊपर आप ध्यान देगे। समाप्त करते हुए फिर मै उस विशेष बात के लिए कहना चाहता हू, क्योकि जब मै उसके बारे मे कह रहा था उस समय वित्त मत्री जी उपस्थित नही थे, और वह बात यह थी कि मेरा बल इस बात पर है कि आपका बजट हमारे देहातो की दशा को उबारने वाला नही है। आपसे

पहले भी इस सम्बन्ध मे मैने निवेदन किया था और आपने वायदा किया था कि मेरी ग्राम योजना को आप अपनायेगे। मै जानता हूँ कि वित्त मत्री जी ने उसके लिए योजना विभाग को कहला भी दिया था परन्तु आज तक कही पर इस प्रकार से ग्रामो की दशा सुधारने का कोई मार्ग, कोई प्रयत्न दिखाई नही देता। इस ओर सच्चा प्रयत्न हो और चरित्र उठाने के लिए प्रयत्न हो, यह इस समय आवश्यक है। इसकी आवश्यकता शिक्षण मे है, इसकी आवश्यकता **हाउसिंग स्कीम्स** घर बनाने की योजनाओ मे है और इसकी आवश्यकता हमारे देश को उठाने की सब कल्पनाओ मे है।

३६

चिकित्सा मे नयी दृष्टि

४ अप्रैल ५६ को आय व्ययक के विवाद में स्वास्थ्य विभाग पर बोलते हुए

घोंसला न जलायें

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद, पश्चिम) : मुझे कुछ थोडे ही से शब्द स्वास्थ्य मन्त्रिणी जी से निवेदन करने है।

अभी मेरी बहिन दिल्ली के घरो के सम्बन्ध मे जो बाते कह रही थी उनमे मै उनसे सहमत हू। मै प्रधान मत्री जी के इस वाक्य से सहमत हू, उसका आदर करता हू, कि दिल्ली मे जो गन्दी वस्तिया है वे जला देने के योग्य है। लेकिन जला देने के योग्य होना तो एक बात है, वास्तव मे जला देना दूसरी बात है। इसके पहले कि दियासलाई लेकर प्रधान मत्री जी या उनके आदमी वहा पहुचे, यह तो उचित ही है कि वहां रहने वालो के लिये दूसरी जगह रहने का प्रबन्ध कर दिया जाय। इस प्रकार की भूल कुछ हमारे दूसरे विभागों ने, विशेषकर पुनर्वास विभाग ने, पहले भी की है कि लोगो को हटा दिया बिना इस बात का यत्न किये हुए कि उनके लिये अलग स्थान दिया जाय। बहुत जगहो पर उन्होने स्थान दिया मगर कई जगह पर इसमे कमी पड गयी। जो चेतावनी हमारी स्वास्थ्य मन्त्रिणी जी को दी गयी है वह बहुत सामयिक है। यह जलाने की बात सुन कर मेरे कान भी खडे हुए। यह मै जानता हू कि प्रधान मत्री जी ने जो जलाने की बात कही वह उन्होंने नाप तोल कर ही कही होगी। परन्तु यह दीन लोग जो वहां बसे है वे प्रसन्नता से अपने घर मे आग न लगने देगे। वे बैरागी नही है। यह घर जलाने की बात हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। एक फकीर ने कहा था .

"कबिरा खडा बजार मे लिए लुआठी हाथ,
जो घर जारै आपनो चलै हमारे साथ।"

मै जानता हूँ कि हमारी मंत्रिणी जी और हमारे प्रधान मंत्री जी भी कबीर जी के साथ अपने घर मे आग लगाने के लिये तैयार नही है लेकिन फकीर खडा बुला रहा है "लिये लुआठी हाथ।" आप जानते है कि यह लुआठी आपकी दियासलाई की तीली से ज्यादा मजबूत होती है। उसमे आग जल रही है। उसको लेकर बाजार मे खड़ा होकर वह चिल्ला रहा है। प्रधान

मत्री जी से भी उसकी करीं आवाज है। वह बुला रहा है कि मेरे साथ वह आये जो अपना घर जलाने को तैयार हो। अपना अपना घर जलाने के बाद यदि हम औरो के घर जलाने की चिन्ता करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मै जानता हू कि गदी बस्तियां जलाने की बात प्रधान मत्री जी के हृदय से निकली है और उसमे उनका दर्द छिपा हुआ है। उसके सम्बन्ध मे हमे इतना ध्यान रखना है कि हम गदी बस्तियो को तो जलाये लेकिन किसी के रहने का जो घोसला हो उसको न जलाये।

निहित स्वार्थ

मै स्वास्थ्य के विषय मे भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मै जानता हू कि इस विषय मे हमारी मंत्रिणीजी मुझसे पूर्णतया सहमत नही हो सकती। वह ऐसे स्थान पर है और गंवर्नमेंट के ऐसे चक्कर में है कि यदि वह हमसे सहमत नही है तो मुझे कोई ताज्जुब नही है क्योकि वह चक्कर सब गवर्नमेंटो का होता है। उनके पास नीचे से ऊपर तक एक विशेष वायुमंडल बना हुआ है। उनके नीचे उनके सचिव है और सचिव के नीचे और सचिवगण है फिर उनके नीचे अस्पताल है और डाक्टरगण है जिनके निहित स्वार्थ हो गये है, **वेस्टेड इंटरेस्ट्स** है।

डाक्टरी का जो पेशा है, उसके अन्दर वह शुद्ध भावना जो हमारे देश मे आयुर्वेद के विषय मे किसी समय समझी जाती थी, आज नही है। इस तरह की कोई शुद्ध भावना आज आयुर्वेद के वैद्यो मे हो, ऐसी बात भी नही है। सब ओर पैसा ही पैसा, इसकी ही महत्ता दिखाई देती है। आज जिस **ऐलोपैथिक** क्रम को अधिकारी लोग सहारा दे रहे है, वह इस प्रकार से हमारे देश मे सहारा देने योग्य नही है। कुछ भाइयो ने जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा है मै भी उनकी ध्वनि मे अपनी ध्वनि मिलाता हू। मै तो बहुत पुराना इस बात का मानने वाला हूँ कि इस विषय मे महात्मा गाधी के जो विचार थे वे बहुत वैज्ञानिक थे। वह केवल आकर्षक भावना के कारण नही थे परन्तु वे वैज्ञानिक विचार थे। मै तो ऐसा समझता था कि हमारी मत्रिणी जी, जिनको गाधी जी के निकट सम्पर्क मे रहने का सौभाग्य मिला था, जिन्होंने गाधी जी का इतना गहरा साथ किया था, उन पर गाधी जी के विचारो की गहरी छाप पडी होगी .

एक माननोय सदस्य : असर नही पड़ा।

श्री टंडन : इस बात मे वे भाग्यशालिनी थी कि बहुत पास से गाधी जी को उन्होने देखा और बहुत दिन तक उनका काम किया। उन्होंने देखा होगा कि गांधी जी किस प्रकार से रोगियो को अपने यहा बैठाते थे, खुद उनकी

सुश्रूषा करते थे, डाक्टरो की दवाई नही देना चाहते थे और स्वय उनकी अपने ढग पर चिकित्सा करते थे। उनकी चिकित्सा का क्रम पानी, भाप और मिट्टी होता था। यह उनकी दवाइयो का रास्ता था। गाधी जी का इन तत्वो मे कितना विश्वास था, यह भी मत्रिणी जी को पता है। मै उन आदमियो मे से नही हू जो यह कहने वाले है कि गाधी जी ने जो भी बात कही वह सोलहो आने सही है, और चाहे वह गलत हो या सही हो, वह मान ही ली जाय। यदि हमारी मत्रिणी जी ने गाधी जी के विचारो के सम्बन्ध मे नाप तोल की हो और वह इस नतीजे पर पहुची हो कि गाधी जी के विचार इस विषय मे ग्राह्य नही है, तब मै उनके क्रम को समझ सकता हू मगर मेरा निवेदन है कि गाधी जी के विचार वैज्ञानिक है और आज के युग मे भी आधुनिक विचार करने वाले बहुतेरे उनके साथ है।

प्राकृतिक चिकित्सा का क्रम

मै चाहता हू कि हमारी मत्रिणी जी इग्लैड मे कुछ वर्षों से जो एक **विगैन सोसाइटी** है, उसके समाचार पत्र और साहित्य मगा कर पढा करे, **विगैन सोसाइटी** की जो मुख्य पत्रिका निकलती है वह बहुत अधिक मूल्य की नही है, थोडा उसको देखे और जो बडा साहित्य प्राकृतिक चिकित्सा (**नैचुरोपैथी**) का है उसको भी देखे। यह **नैचुरोपैथी** महज एक इलाज का ही ढग नही है, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ जीवन के रहने का एक क्रम है। हमारी मत्रिणी जी के ऊपर **ऐलौपैथी** क्रम का इतना गहरा असर पडा है कि उस विषयुक्त असर को हटाने के लिये उन्हे थोडा दूसरा साहित्य भी पढना चाहिये। कुछ बडे बडे **ऐलोपैथिक** डाक्टरो ने कहा भी है कि यह तीव्र दवाइयो का क्रम अच्छा नही है। मुझको याद है कि इग्लैड के एक **रायल फिजिशियन** ने कहा था कि आज तक जितनी दवाइयाँ बनी है, जितनी दवाइयाँ आलमारियों मे मौजूद है, अगर यह सब की सब उठा करके समुद्र मे फेक दी जायँ तो मनुष्य मात्र का इसमे भला ही होगा, अलबत्ता समुद्र की मछलियो को हानि हो जायगी। यह किसी **नैचुरोपैथ** का कहा हुआ वाक्य नही है, आर्युर्वेद वालो का नहीं है बल्कि एक बहुत अनुभवी **ऐलौपैथिक** डाक्टर ने बुढापे मे अपने स्वय के अनुभव से यह बात कही है। इस तरह की यह कोई एक अकेली राय नही है बल्कि अगर आप कहे तो मै आपको सैकडो **ऐलौपैथिक** डाक्टरो के वाक्य दिखला सकता हू जिन्होने अपने अनुभव के बाद यह कहा है और यह घोषणा की है कि हमारा जो क्रम है, दवाई देने का, वह ठीक नही है और इसमे बहुत त्रुटियाँ है। मैने स्वय भी थोडी बहुत किताबे पढी है और मैने उनमे डाक्टरों को अधिक दवा देने के इस क्रम के विरुद्ध लिखते देखा है।

कीटाणु मारने का क्रम हानिकर

कलकत्ते का जो **ट्रापिकल इंस्टीट्यूट आफ़ मेडिसिन** है,उसके एक प्रिसिपल द्वारा लिखी हुई डाक्टरी की एक किताब मैंने पढी जिसमे उन्होने शरीर के अन्दर जो **जर्म्स** (कीटाणु) विद्यमान होते है उनके मारने के जो साधन चले हुए है, उनका विरोध किया है और उन्होने लिखा है कि यह **जर्म्स** को मारने का बडा **हिरोइक**,तीव्र,तरीक़ा है और **जर्म्स** को इस तरह मारने मे हमें नुकसान पहुंचने की सम्भावना बनी रहती है क्योकि जब हम **जंर्म्स** को मारते है तो कुछ न कुछ जहर तो हमारे शरीर मे जाता ही है और उससे और दूसरे किस्म के नुकसान भी हमे पहुच सकते है। **जर्म्स** मारने के लिये **ऐलौपैथिक** क्रम मे संखिया, **आर्सनिक**, का प्रयोग किया जाता है और बहुत सी दवाइया बनती हैं जिनमे सखिया होती है। सखिया के आधार पर कितनी ही दवाइयॉ बन चुकी है और उनको प्रयोग मे लाया जाता है। लेकिन मैंने एक **हार्ट स्पेशलिस्ट** (हृदय विशेषज्ञ) की लिखी हुई किताब पढ़ी है जिसमे लिखा हुआ है कि सखिया की दवाई न देनी चाहिये क्योकि उससे नुकसान हो जाने का डर है। और उन्होने **आयोडीन** से बनी दवाइयो की सिफारिश की है। इंग्लैड के एक बडे भारी **हार्ट स्पेशलिस्ट** (हृदय विशेषज्ञ) थे। उन्होने अपनी पुस्तक में ऐसी राय दी थी परन्तु मै पूछना चाहता हू कि **आयोडीन** की दवाइयों मे क्या जहर नहीं होता ? मै एक दफा बीमार पडा तो एक डाक्टर ने सखिया **आर्सनिक** की प्रसिद्ध दवाई **कारबोरेसान** का सुझाव दिया, दूसरे डाक्टर ने जो उन हृदय विशेषज्ञ के चेले थे जिनकी मैंने अभी चर्चा की **कारबोरेसान** लेने को मना किया और **आयोडीन** से बनी दवा, जिसका नाम भूल रहा हूं, लेने के लिये कहा।

मगर मैंने सोचा कि यह दोनो विष है A plague on both your Houses. वाली बात ठीक है। मै न यह दवाई लूगा और न वह दवाई लूगा। हृदय का मुझको कष्ट था। एक आइरिश सिविल सर्जन थे, जो बहुत भले पुरुष थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम सार्वजनिक भाषण देना बन्द कर दो तो तुम पॉच बरस तक जीवित रह सकते हो। यह १९३९ की बात है। इस प्रकार की चेतावनी उन्होंने मुझे दी। आज मै उनका कृतज्ञ हूँ। मै मानता हूं कि बहुत से ऐलोपैथिक डाक्टर बडे सज्जन होते है, उनके हृदय मे करुणा भाव होता है। परन्तु वे बेचारे क्या करे, उनको तो उसी एक प्रकार से पाला गया है, और उस क्रम के वे गुलाम है। मेरा निवेदन है कि हमारी मत्रिणी जी देश को इस गुलामी से बचावे ? आयुर्वेद के हमारे देश मे कई क्रम है, उनको आप देखिए। हमारे देश में प्राकृतिक क्रम है उसको कुछ रास्ता दीजिये। मूल कर्त्तव्य यह है कि बीमार पड़ने से ही बचाइये। एक पुराने यूनानी डाक्टर ने कहा था कि जब किसी बीमार को देखो

तो समझ लो कि वह लुच्चा है Whenever you see a sick man put him down for a knave. असल बात यह है कि हम सब प्राकृतिक नियमो को तोड़ा करते है। जननेंद्रिय और जिह्वा इद्रिय, इन दो के द्वारा हम अपने शरीर का नाश करते है। फिर जो कुछ हम बचाते हैं, उसको तीव्र दवाइयों से भी हम नाश करते है।

बी० सी० जी० का टीका हानिकर

यह जो **बी० सी० जी० वैक्सीनेशन** आपने शुरू किया है, यह भी नाश का एक कारण है। हमारे भाई श्री राजगोपालाचारी जी ने इस विषय में कुछ लिखा और आपने उनको जवाब दे दिया। आपको अधिकार प्राप्त है और आपकी बात मानी ही जायगी। आपका ठेगा सब के सिर पर चलेगा। परन्तु मै कहता हू कि आपने जो दलील दी, वह मेरे हृदय को लगी नही। उस दलील का मेरे हृदय पर कोई असर नही हुआ। यह **बी० सी० जी०** का वैक्सीनेशन एक अजीब चीज है....

Mr. Speaker : In controversial matters like this, the hon. Member will address the chair.

श्री टंडन : हमारी मत्रिणी जी मेरे वाक्यो को कोई कड़ुवाहट के वाक्य न समझे। जो मैं निवेदन कर रहा हूं यह प्रेमपूर्वक कर रहा हू। परन्तु मैं यह जानता हू कि उनका मत एक प्रकार का है और मेरा मत दूसरी प्रकार का है। मै तो अपना मत ही इस सदन के सम्मुख रख रहा हू। यह जो मेरा मत है, कोई नया मत नही है, यह पुराना है। मै केवल **बी० सी० जी०** के ही विरुद्ध नही हू। मैं यह भी देखता हू कि हर बीमारी मे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी सुई लगाने का क्रम चल रहा है। यह क्रम गलत है। इस चीज को मैं डाक्टरों से भी कहना चाहता हू। जब बीमारी आती है, तो उसके **जर्म्स** को मारने के लिये जो कुछ किया जाता है, वह गलत है। इस सिद्धान्त को ही मै ग़लत मानता हूं। यह सिद्धान्त जिसको **पासचूर** ने निकाला मै गलत मानता हूं। **जर्म्स** रोग का कारण है, या **जर्म्स** स्वय रोग के परिणाम हैं, यह कार्य कारण समझने का भेद है। कारण **जर्म्स** है या कारण कही और है, यह हमे देखना है। आज जो हम **जर्म्स** के पीछे पड़े है, तो हमे हर जगह **जर्म्स** ही **जर्म्स** दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल मे **जर्म्स** है, शरीर के भीतर **जर्म्स** है और हम समझते है कि किसी तरह से इन हनिकर **जर्म्स** को मारना ही हमारा कर्त्तव्य है। मुझे यह लगता है कि आप ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। इसी कारण से आप ऐसी ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते है जो हमारी आयु को घटाने वाली हैं। परिणाम यह हुआ है कि **मेटीरिया मेडिका** मे जो दवाइयाँ लिखी हुई है वह बहुत बढ़ गई है। अगर आप देखे तो आपको पता चलेगा कि बीमारियों की गिनती बढ़ती

ही जा रही है। ५० बरस पहले जो पुस्तके लिखी गई थी, उनको अगर आप उठाकर दखे तो आपको जो नई नई बीमारिया अब चली है, वह नही मिलेगी। मनुष्य की आयु बढी नही है। आज इन बहुत सी दवाइयो के कारण हमने उसके शरीर को कमजोर ही किया है। जो शक्ति उसमे बरदाश्त की होनी चाहिये, वह कम होती जा रही है। मेरा सुझाव यह है कि मन्त्रिणी जी दवाइयों पर व्यय करने की अपेक्षा लोगो को स्वस्थ बनाबे की ओर अधिक ध्यान दे।

गाँवों मे रहने का ढंग ठीक करें

मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हू कि आप गॉव की तरफ देखिये। उनको दवाइया न भेजिये। उनको रहने का ढंग बताइये। आप यह देखिये कि उनकी गलिया स्वस्थ है उनके आसपास गदगी तो नही है। मैंने कई बार उनके घरों के लिये आध आध एकड़ भूमि देने की बात कही है लेकिन उस दिशा मे कुछ भी नही किया गया है। आप कुछ थोड़ी ही जमीन उनको दें ताकि एक घर दूसरे घर के साथ मिलने न पाये, **इनफ़ेक्शन** फैलने न पाये, स्वस्थ वायु हो, ईश्वर का तेज पहुंचे और ताजी हवा और रोशनी उनको मिले। यह सब चीजें विष को मारने वाली है, और स्वास्थ्यकर है। आप करोडो रुपया इन किसानों पर खर्च कीजिये, अभी आप करोड़ो रुपया इन दवाइयों पर खर्च कर रही है। मेरा सुझाव है कि आप इन दवाइयो पर रुपया खर्च न करें।

एक पहलू इस विषय का और है। आप जितना रुपया इन दवाइयो पर खर्च करती है उसका बड़ा हिस्सा देश के बाहर जाता है। इस कारण से भी मै इसका विरोध करता हूं। इस प्रकार विलायत से दवाइयां मंगाना मुझे उचित दिखाई नही पड़ता। इस आर्थिक पहलू को भी आपको ध्यान मे रखना है। लेकिन मै इस आर्थिक पहलू को गौण मानता हूं। मुख्य पहलू स्वास्थ्य का है।

रोटी छीनना आसान, देना कठिन

आपने हाल ही मे एक बयान रिक्शा वालों के बारे मे दिया था। मेरा अनुमान है कि शायद श्रम विभाग का इससे सम्बन्ध है। लेकिन आपने स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा था कि कुछ आज्ञाये गयी है राज्य सरकारों को। मैं आपसे इस बात मे सहमत नही हू। इतना कह सकता हू. कि उनके प्रति मेरी करुणा स्वाभाविक है। मैंने कुछ अन्दर घुस कर उनके जीवन को देखा है और जब श्रम विभाग की बारी आएगी, उस समय मै कुछ कहूगा। लेकिन आपसे मै इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी की रोटी छीनने से पहले

उसको रोटी देने की तैयारी आपको करनी है। हमारे देश मे रोटी छीनना तो बहुत आसान है, लेकिन रोटी सुलभ करना मुश्किल है। छोटो की तो रोटी छीनी जाती है लेकिन बड़े बडे लोगो को रोटी पहुचाई जाती है। यह गरीब रिक्शावाला लोगो को ले जाता है और अपना पेट भरता है। सम्भवत आपने यह इसलिये किया है कि वह मनुष्य को खीच कर ले जाता है, और आपकी दृष्टि मे यह उचित- नही है। मैने एक अखबार मे पढा था कि लखनऊ में एक आदमी जो कि रिक्शा मे जाया करता था, उसके हृदय मे करुणा आई और उसने रिक्शा छोड दी और इक्के में बैठकर गया। रिक्शा वाले ने देखा और वह उसके पास आया और कहने लगा कि साहब, क्या मुझसे कुछ कसूर हो गया है कि आपने रिक्शा मे बैठना छोड दिया है। उन साहब ने कहा कि नही भाई यह बात नही है और आप लोगो का दिया हुआ कारण उसने उसे बता दिया। उस पर उस रिक्शा वाले ने कहा कि पहले हमे जहर देकर मार दो और फिर इक्के पर बैठो। जब श्रम विभाग की डिमांड्स यहां पर प्रस्तुत होंगी उस समय मै उनसे बात करूगा। आज मै आपने जो आज्ञा स्वास्थ्य को दृष्टि मे रखकर भेजी है, उसके बारे मे ही कह रहा हू। जब यह कहा जाता है कि रिक्शा खीचना स्वास्थ्यकर नही है तो मुझे उस मिल का ध्यान आता है जहाँ पर रुई की धुनकाई होती है और चारो तरफ रुई ही के अंश उडते फिरते है। वहा काम करना किसी हालत मे स्वास्थ्यप्रद नही कहा जा सकता। यही हालत खानो की है। यही हालत भगियों की है। वे लोग गदगी उठाते फिरते है। मैने तो कई भगियो को इस काम को छोड देने की भी सलाह दी थी। परन्तु मै कहता हू कि किसी का रोजगार छीनने से पहले, उसकी रोजी का कुछ प्रबन्ध कीजिये। अगर यह देखना है कि कोई काम स्वास्थ्यकर है या नही तो फिर आपको एक सूची बनानी पडेगी। तब स्वास्थ्य विभाग को बहुत से काम बन्द करने होंगे। लेकिन यह काम उतना अस्वास्थ्यकर नही है जितना कि उसका तमाशा किया गया। इस विषय पर मै श्रम विभाग के सम्बन्ध मे बोलूगा। मत्रिणी जी से तो मेरा निवेदन यही है कि जो आपका विषय है, अर्थात् दवाइयो और बी० सी० जी० के **इनजेक्शन** आदि का उस पर आप नये दृष्टिकोण से विचार करे।

३७

श्रमिकों का बढ़ना अवश्यंभावी

१० अप्रैल १९५६ को भारतीय लोकसभा में श्रम आयव्ययक पर बोलते हुए

अध्यक्ष महोदय! मै कुछ थोड़े से शब्द इस श्रम विभाग के कार्य के सम्बन्ध मे निवेदन करना चाहता हू। मै श्रम प्रश्नों के सम्बन्ध मे आन्दोलक नही रहा हू। मैं इन प्रश्नो को देश की दृष्टि से ही देखता हूं न कि श्रमिक सघटनो की दृष्टि से अथवा मालिको की दृष्टि से जो श्रमिको से काम लिया करते है। जैसे जैसे हमारी समाजवादी व्यवस्था बढेगी वैसे वैसे इस श्रम विभाग का काम अधिक दायित्वपूर्ण होता चला जायगा क्योकि समाजवादी रूप देने मे यह आवश्यक है कि हम दिन-पर-दिन श्रमिकों का अधिक ध्यान रखे। श्रमिकों की ही देश मे बहुतायत है। जैसे जैसे हम श्रमिक बढ़ायेगे वैसे वैसे समाजवादी व्यवस्था समीप आती जायगी। अर्थात् जैसे जैसे हम बेकारी हटायेंगे, हर एक को काम दिलायेगे वैसे वैसे हममे से बहुत अधिक लोग श्रमिक होते चले जायँगे। वही सामाजिक व्यवस्था उचित है।

श्रमिकों से धनपतियों का व्यवहार

अभी अन्तिम वक्ता ने जो बाते कही है, उनके सम्बन्ध मे अधिक तो मै नही कहना चाहता परन्तु उनसे मै केवल एक निवेदन करना चाहता हू। वह स्वय सहृदय पुरुष है। परन्तु मेरे ऊपर कुछ असर हुआ है और कुछ मेरा यह अनुभव है कि श्रमिको से काम लेने वाले प्राय उतने सहृदय नही रहे है। मैने एक बार इस भवन में अपना एक अनुभव आपके सामने रखा था। मै बम्बई मे एक मिल देखने के लिए गया तो मैने क्या पाया कि श्रमिको को धोखा दिया जा रहा है। श्रमिको ने जो काम किया, जो सूत काता उसको जब तराजू मे तोला जाता था तो हर बार कम तोला जाता था। यह बहुत पुरानी बात है। परन्तु मेरे हृदय को इससे भारी धक्का लगा। यह कह सकता हू कि इस जीवन मे मेरे ऊपर एक शका चढ गयी कि है! ऐसा भी मिल मालिक करते है! मैने सुना था कि उस मिल के मालिक एक धर्मात्मा पुरुष है। मै उनका नाम नही लेना चाहता। परन्तु ऐसी मिल मे मजदूरो और मजदूरनियो को धोखा देना और उनके काते हुये सूत मे, जितना उसका पाउडेज है या आउसेज है, उसमे हर बार जब वे उसे लाकर तोल कराते है कमी करते जाना, क्या यह ठीक है। इससे मुझे बडा धक्का लगा था।

मुझे जमीदारो का अनुभव है कि किस प्रकार का व्यवहार वे काश्तकारों क साथ करते थे। यह बात मुझे अपनी छोटी उम्र मे देखने को मिली जब मै अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। मैने देखा कि एक गरीब आदमी धूप मे खडा है। मै नही समझ पाया कि इस आदमी को क्यों धूप में खडा किया गया था। मैंने उनसे पूछा तो वे हसने लगे। फिर पीछे मुझे पता लगा कि वह बेचारा एक गरीब काश्तकार था जो अपना लगान नही दे सक रहा था और इसलिये उसे यह सजा दी जा रही थी। ये दो बाते मेरे सामने आयी जिन्होने मेरी राजनीतिक भावना को बदल दिया। वह जमीदारी का नक्शा था कि किस तरह से जमीदार काश्तकारो से व्यवहार करते है। वे जमीदार मेरे करीब के रिश्तेदार थे। इस घटना ने मेरे हृदय पर बडा असर डाला। बाद में मैने इस विषय का अध्ययन किया और मै इस नतीजे पर पहुचा कि जब तक यह जमीदारी प्रथा है किसानो का भला नही हो सकता और सन् १९३० में मैने यह आन्दोलन चलाया कि जमीदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। कॉग्रेस से अलग मैने इस आन्दोलन को उठाया कि जमीदारी प्रथा समाप्त हो। फिर वह कॉंग्रेस का अंग बन गया। लेकिन उसमे मेरा हाथ तो बराबर था ही।

इसी प्रकार जो मैने मिल मे धोखाधडी देखी थी उससे भी मेरे हृदय पर यह भावना रह गयी कि कारखानो के मालिक किस प्रकार का व्यवहार गरीब श्रमिको के साथ करते है। मै वैयक्तिक रूप से किसी के लिए नही कहता। मै जानता हू कि बहुत से जमीदार बड़े सज्जन थे। उन्होने बडे बड़े कामों मे सहायता की थी और सचमुच वे अपने काश्तकारो के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। मै यह भी जानता हू कि बहुत से मिल मालिक भी बहुत सज्जन है। परन्तु मैने देखा कि जमीदारी एक क्रम है। उस क्रम में दो चार जमीदारों के अच्छे होने से किसान बच नही पाता था। उस क्रम मे उसकी बडी मुसीबत थी। आज जो क्रम है उसके अनुसार श्रमिक काम करते है और बहुत से लोग उनको नौकर रखते है। इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। मै समझता हू कि हमे इस क्रम को बदलना होगा।

मै यह नही कहता कि सरकार ही सब कामो की मालिक होती चली जाये। सरकार जैसे जैसे मालिक होती है, जैसे जैसे **नैशनलाइजेशन** बढता है उसमें भी मुझको बडे गहरे दोष दिखायी देते है। **नैशनलाइजेशन** को बढाने के मानी है **ब्यूरोक्रैट्स** नौकरशाही को बढाना। जितना ज्यादा सरकार का अधिकार बढता है उतने ही ज्यादा वे लोग बढ़ते है जो जनता से बरताव करने मे सरकारी क्रम से काम लेते है, और उस सरकारी क्रम के बारे में हम जानते है कि ऊपर के स्तर को छोडकर नीचे का स्तर कितना गिरा हुआ है—और कितना उसमे भ्रष्टाचार है। मै इसका अनुभव करता हूं कि जैसे जैसे सरकारी क्रम बढता है वैसे ही वैसे भ्रष्टाचार भी बढता है। इसी तरह से और प्रश्न

भी आ जाते है। दूसरी ओर मिल मालिको का जो क्रम है उसका मैंने एक उदाहरण दिया है। वहां भी वैयक्तिक लाभ का अधिक ध्यान है और मजदूरों के सुखदुख की ओर बहुत कम ध्यान है। मेरा तो आज यह निवेदन है कि हमारे जो श्रमिकों को मजदूरी पर रखने वाले लोग है वे दिन पर दिन एक बात की ओर ध्यान करें। मै यहां केवल उनके हृदय से एक आकर्षक अपील नही कर रहा हूं। किन्तु मै उनके मस्तिष्क की ओर भी जाना चाहता हू। मैं चाहता हूं कि वे लोग सोचे कि आज ससार और हमारा देश भी बदल रहा है। यह पुराना ढंग था कि कुछ थोडे से बड़े बडे जमीदारों और पैसे वालों के हाथ में समाज की बागडोर थी और बाकी नीचे के लोग थे जिनको दबा दबा कर उनसे काम लिया जाता था।

घोड़े और घास की यारी

जब मै किसानो के लिए काम करता था तब किसी जमीदार की एक बात मेरे कान तक पहुचायी गयी कि घोडे की और घास की यारी नही हुआ करती। अर्थात् घोडे तो थे जमीदार और घास था किसान। आज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमारे मिलमालिक भी अपने को उसी ढग का घोडा बनाये हुए हैं और ये श्रमिक घास बने हुए है।

श्री फ़ीरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व): आधुनिक घोड़े है।

श्री टंडन : मेरे हृदय मे तो कोई हसी की बात नही है और न है व्यग की बात। मेरा तो यह निवेदन है कि अब समाज की स्थिति को देखकर हमारे भाइयों को अपना क्रम बदलना चाहिये। हमारे बहुत से बुद्धिमान भाई हैं जिनमें से प्रमाणस्वरूप एक तो हमारे सामने बैठे है जिन्होने अभी अन्तिम भाषण दिया है। उनमें हृदय है। परन्तु ऐसा लगता है कि जो क्रम चला आता है उसके हम सभी दास बन जाते है। कोई मै अपने को इसका अपवाद नहीं मानता। जो हमारा पुराना ढंग चला आता है उसमे हम सब ही दोषी बन जाते है।

अधिक धन रखना बुद्धिमानी नहीं

हम देखते है कि एक गरीब परिवार १५ या २० रुपये महीने मे अपनी गुज़र करता है। आप सोचें कि किस प्रकार एक कुटुम्ब १५ या २० रुपये में रह सकता है। आपके पास अक रखे हुए है कि कितने कुटुम्ब की आमदनी १५ या २० रुपये है। लेकिन क्या हम और आप १५, २० रुपये मे गुजर करने वाले है। हमको तो पचास, सौ और दो सौ रुपये भी कम दिखायी पडते हैं। और हमारे भाई मिल मालिकों को तो लाख रुपये भी कम दिखायी पडते हैं।

एक तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार करने मे हम भविष्य की ओर भी देखे, कुछ अपने को भी बनाये, अपना उदाहरण ठीक करे। यदि हमको कम पैसा भी मिले तो हम सतोष करे। हमारे यहा तो इस विषय मे धर्म की भावना सब के सामने बहुत स्पष्ट रखी गयी है। आप सोचे कि यह जो हमारा वैभव है यह तो बहुत ठहराऊ नही है। तो क्यो न हम अपने जीवन में ही इस वैभव को थोड़ा अलग करके, अपने ठाटबाट को कम करके, इससे कुछ मानसिक अलहदगी पाये ? यदि हमारे मिलमालिक यह आदत डाल ले तो मेरा विश्वास है कि श्रमिको के साथ उनका बरताव दूसरा ही होगा। श्रमिक उनके साथी हो जायँगे, उनके भाई हो जायगे। क्या यह वैभव कभी एक कुटुम्ब मे रहा है ? बहुत से लोग सोचते है कि हम अपने बच्चो के लिए लाखो करोड़ों रुपया छोड जाये। मुझे इससे बडी मूर्खता दिखायी नही देती। कुछ कमाना तो आदमी को अच्छा लगता है। लेकिन जो यह सोचते है कि हमे अपने बच्चों के लिए भी बहुत धन छोड जाना चाहिए वह मै समझता हू कि कुछ बुद्धिमानी की बात नही है। लडके कैसे निकलेगे ? लायक होगे या नालायक निकलेगे ? शायद आपका पैसा ही इनको नालायक बना देगा। पैसे मे लोगो को भोग-विलास की ओर खीचने की प्रवृत्ति रहती है और स्पष्ट है कि जहा वह भोग-विलास की ओर गया, वह नालायक बना। अपने मरने के बाद पैसा छोड़ कर जाना अपनी संतति के साथ बहुत मित्रता नही है, इसलिए हमारे जो बड़े बड़े धनिक लोग है उनको अपने जीवन मे ही उसको बाट देना उचित है। मै समझता हू कि क्या ही आनन्द आये अगर अपने जीवन मे वे उसको बाटें और ऐसे सगठित ढग से बाटे कि श्रमिको की वह चीज हो जाय, मिल एक धनिक व्यक्ति की चीज न होकर उन हजारो श्रमिको की बन जाय जो उसमें काम करते है। इसी तरह जो धन उस धनी व्यक्ति के पास पडा है अगर वह उन हजारो श्रमिको मे बट जाय तो आप देखेगे कि आपके समाज का रूप ही बदल जायगा।

सहयोगी व्यवस्था

यह जो हमारे भाई ने कहा कि कोई योजना ऐसी बनी है जिसमें मिलमालिक और श्रमिक मिल करके उद्योग धधो को चलायेगे उनकी वह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मै उनकी उस योजना का स्वागत करता हूं। मै तो यह भी कहने वाला था कि मिलमालिको को छोड कर गवर्नमेंट स्वयं इस विषय में यत्न करे और श्रमिकों को आधार बनाकर कुछ काम शुरू करे जिस पर श्रमिको का अधिकार हो और जो केवल श्रमिकों की वस्तु हो। मै नही जानता कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रयोग कही पर किया है या नही लेकिन मै समझता हू कि गवर्नमेंट को ऐसा प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

श्री फ़ीरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व): शुगर इडस्ट्री मे २० कोआपरेटिव मिलें बनी है।

श्री टंडन : मै उनका स्वागत करूगा मगर अभी महज कागज पर ही होंगी। जो समाजवादी क्रम हम चाहते है उसमे मुख्य बात यह है कि हम अधिक से अधिक धन हर एक पुरुष को पहुचा सके। जिसको मै पैसे की तट-उपयोगिता (**मार्जिनल यूटिलिटी**) कहता हू जब वह हमारे देश मे बढेगी तब अधिक सुख होगा। अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते मै कह रहा हू कि जिस देश में पैसे की तट-उपयोगिता अधिक होती है, वही देश सुखी होता है। मै पूछता हू कि हमारे भाई श्री सोमानी के पास १०० रुपये की तट उपयोगिता क्या है? बहुत कम है और २, ४ रुपये की तो उनके लिए कुछ है ही नही, लेकिन उतने ही रुपये की एक गरीब देहाती आदमी के लिये बहुत अधिक उपयोगिता है। जब हम इस प्रकार से अपनी समृद्धि का बटवारा करे कि अधिक से अधिक उसकी **मार्जिनल यूटिलिटी** हो तो मेरा निवेदन है कि हमारा समाज बहुत सुखी होगा। हम अपने देश की सामाजिक व्यवस्था इसी **मार्जिनल यूटिलिटी** के आधार पर करना चाहते है और जो धनिक लोग है, उनके हृदयों को हम इस बात के लिये तैयार करना चाहते है कि वे उसी ओर बढने का प्रयत्न करे, अर्थात् अपने पैसे को अपने पास ही न रक्खे बल्कि उन लोगो को दे जहा उसकी सचमुच **मार्जिनल यूटिलिटी** उपयोगिता बढ सके।

सुखी बनाना उद्देश्य

यह जो हमारे भाई ने माल पैदा करने के सम्बन्ध में मूल्य की चर्चा की और बताया कि कितने मूल्य पर माल पैदा होता है, उसके बारे मे मेरा निवेदन है कि वह वास्तव में बहुत विचारणीय बात नही है। मै जानता हूं कि आपकी निगाह मे दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता है, परन्तु वह वास्तव मे बहुत बडी बात नही है। मै तो अपने देश के सुख की ओर जा रहा हू। मूल्य उतनी महत्व-पूर्ण वस्तु नही है जितना गरीबो को सहारा देने और गरीबो की जीविका चलाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है और आज यही मुख्य प्रश्न हमारे सामने है।

अध्यक्ष महोदय! और आगे कहने से पहले मै यह जानना चाहता हू कि कितने मिनट आप मुझे बोलने के लिए और देगे?

Mr. Speaker : As long as he wants

(**श्री अध्यक्ष :** जितनी देर आप चाहे।)

श्री टंडन : मै बहुत ज्यादा समय नही लूगा, थोड़ा ही लूगा। मै यह निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाये तो हम यह देखे कि हम इसमे सुख कहा तक बढा सकते है, किसी चीज का मूल्य क्या हो, महगी पडे या सस्ती पड़े, इसको हमे विशेष नही देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगो को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज का रुपये पैसे मे क्या है यह

कोई महत्व की बात नही है। आप जानते होगे एक वस्तु जो हमारे देश मे बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश मे महगी मिलती है। उदाहरणार्थ, रूस देश मे एक जोड़ी जूता ७०, ८० रुपये का मिलता है, इसी तरह खीरा जिसको यहा आम लोग खाते है और जो मुझे बहुत प्रिय है और जो यहा पर केवल दो या तीन पैसे मे मिल जाता है वही खीरा रूस मे छै आने और सात आने मे मिलता है लेकिन इस पर भी रूस हमारे देश की अपेक्षा अधिक सुखी और समृद्धिशाली है। हमारे सामने न तो मूल्य का प्रश्न होना चाहिए और न ही महगे सस्ते का प्रश्न। हमे तो यह देखना चाहिए कि गरीबो को हम किस रीति से सहायता पहुचाते है। हर एक काम में हमारा दृष्टिकोण यह हो कि अधिक से अधिक लोग काम मे लगे और ग़रीबी हटे।

ग्रामों के मज़दूर—बेकारी

इतना निवेदन करने के वाद अब मै श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है, उसकी एक मद की ओर तुरन्त आ जाता हू। जैसा पहले मैने कहा मै यह समझता हू कि हमारे श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढेगा। बहुत से प्रश्न है जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नही है, उन प्रश्नो को आपको लेना पडेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर **इंडस्ट्रियल लेबर** औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे भाई श्री विद्यालकार ने खेतिहर मजदूरो की दशा सुधारने की ओर आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हू। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिको की ओर नही गया है। उनकी बडी दयनीय दशा है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है?

मै पूछना चाहता हूं कि जो लाखो और करोड़ो आदमी देहातो मे बेकार बैठे हुए है उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे है? बेकारी के सम्बन्ध मे रिपोर्ट मे दिए हुए, **एम्प्लायमेंट एक्सचेंज** के अक्तूबर सन् १९५५ के अकों को मैने देखा। करीब ७ लाख व्यक्ति नौकरियों के लिए प्रार्थी थे लेकिन इनके अलावा कितने ही लाखों और करोडो व्यक्ति देहातो मे बेकार बैठे हुए है और कितने ही अर्ध-बेकारी की अवस्था मे है और श्रम विभाग उन बेकारों और अर्ध-बेकारो की सख्या का पता लगाने में असमर्थ है, उनकी सख्या हमको कही नही मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश मे बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सके उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनायेगे। इस कार्य मे आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जहां भी हम सोचते है कि हम नये काम आरम्भ करे वही श्रम विभाग का लगाव हो जाता है। जहा कही कुछ काम हो रहा है और जहां कुछ लोगों ने कोई काम उठाया है, उनसे

आपका यह लगाव रहता है कि उनमे कितने श्रमिक लगे हुए है और उन कामों से कितने लोगो को जीविका मिल रही है। आपने बेकारों की संख्या करीब ७ लाख के **एम्पलायमेंट एक्सचेंज** मे दी है मगर वह पर्याप्त नही है।

आपको तो यह सोचना है कि यह जो बेकारों की जनसख्या पडी है उनको कैसे आप जीविका देगे कैसे आप उनको ऐसा श्रमदान देगे कि वह सब लोग काम में लग जायें।

रिक्शा बन्द करने की बात

इधर यह प्रश्न तो है ही। इतने कम समय में उस योजना की तस्वीर तो मै नही खीच सकता जो मेरे मस्तिष्क मे है कि किस प्रकार से उनको श्रम दिया जाय, परन्तु आपकी रिपोर्ट मे मुझे एक बात खटकी। मैंने उसमें देखा कि रिक्शा की चर्चा है और आपने जो रिक्शा-वाले आज है उनके खिलाफ एक जिहाद उठाया है। मै घबरा गया। जब शुरू शुरू मे अंग्रेज़ यहां आये थे तो उन्होंने रेलगाड़ी यहा चलाई और इस तरह से उन्होने लाखों आदमियों की रोजी छीनी थी, लाखो आदमियो की रोजी छीन कर रेलगाड़ियां चली। हा ! यह अवश्य है कि अब तो वह आधुनिक क्रम है। मुझको वह कथा याद है कि जैसे जैसे मिले यहा खडी हुई, कितने ही जुलाहों की रोज़ी छीनी गई। उनकी रोजी छीन कर मिले यहा खड़ी हुई। एक समय था जब हमारे यहा हाथ से काम करने वाले बहुत लोग थे। मैने रेल के आरम्भ की चर्चा की, उस समय भी आना जाना होता था। लाखो आदमी लगे थे इस काम मे। दिल्ली से कलकत्ते तक घोड़े गाडियां दौडती थीं। लाखों आदमी गाडिया बनाने में लगे हुए थे, घोड़ो की देखरेख में लाखो आदमी लगे हुए थे। बहुत से गरीब लोग चिट्ठियां लेकर दौडते थे, डाक इधर उधर जाया करती थी। सरकार ने इन सब चीजों के लिये दूसरे रास्ते बनाये। आज आप कहेंगे कि गरीबों को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ता था। यह हमारी करुणा के विरुद्ध था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ। आप उस आदमी के मित्र बने जो कि मेहनत करता है, लेकिन आपने क्या किया ? अगर आप उसका काम ले ले और उसकी जगह पर **मिकैनिकल** यांत्रिक क्रम पर काम करने लगे तो मै कहता हूं कि आपने अपने हृदय की करुणा को उसकी मित्रता मे नही लगाया। देखने मे तो वह बात करुणा से प्रेरित मालूम होती है परन्तु मै इस विभाग से निवेदन करता हूं कि यह गहरे विचार की बात है। हर चीज में जहां मनुष्यो का परिश्रम लगता है अगर उसमे आप ऐसी तरकीब लगा दें जिससे वह काम जल्दी और आसानी से हो जाय तो आदमी बेरोजगार हो जायंगे। बचपन मे मै देखता था कि जब पानी का नल नही लगा था, उस समय लाखों आदमी कुए से पानी खीचने मे लगे हुए थे। यह एक रोजगार था और

लाखो करोडो आदमियो के घरो मे पानी कुओ से खीच कर आता था। यह सोचकर कि जो पानी खीचता है उसको मेहनत पड़ती है, अग्रेजो ने नल लगवा दिये। उस समय इसके विरुद्ध बलवे भी हुए, बहुत आदमी बेरोजगार हो गये। जब हम कोई सामाजिक व्यवस्था करते है तब हमे सोचना पडेगा कि हम किसी मनुष्य से उसका काम क्या छीन रहे है। यह आवश्यक है कि ऐसे प्रश्न को हम **प्लैण्ड** दृष्टि से देखे। क्या आपके विभाग ने सोचा कि आप किसको कौन सा काम करने देगे और किसको कौन सा नही करने देगे ?

मै स्वयम् सोचा करता हू कि जो गदा काम है उसको हम बन्द करे। परन्तु क्या कभी आपने इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखा कि कौन सा गन्दा काम है और कौन सा ऐसा काम है जो हमे रोकना नही चाहिये ? मेरा निवेदन है कि सबसे गन्दा काम जो आज आप और हम मनुष्य से ले रहे है वह मलमूत्र उठवाना है। हम मलमूत्र की सफाई के लिये लाखो आदमियो को लगाये हुए है। यह गन्दा से गन्दा काम है और यह भी सही है कि बहुत से आदमी इसमे लगे हुए है। मै तो समझाया करता हू भगियो को कि बन्द करो यह काम। आपको समाज की व्यवस्था ऐसे क्रम के अनुसार बनानी होगी कि यह काम मनुष्यो द्वारा न हो। मैंने आज इस प्रश्न को इसलिये लिया कि आपका ध्यान खीचू कि अगर आप देखते है कि कौन काम हम ले और कौन न ले तो आपको दूसरी ओर जाना पडेगा।

आपने रिक्शा खीचने के काम को समझा है कि यह इतना बुरा काम है कि इसको रोकना चाहिये। मनुष्य को मनुष्य पर सवारी न करनी चाहिये। एक मनुष्य गाड़ी पर बैठता है और दूसरा खीचता है इसको आपने बुरा समझा है। यह आपेक्षिक दृष्टि का सवाल है। मेरा निवेदन यह है कि इस काम मे लाखो आदमी लगे हुए है। मै अपने सूबे की बात जानता हू। हमारे सूबे मे इस काम मे लगभग ३ लाख आदमी लगे हुए होगे। कितने ही आदमी रिक्शा के बनाने मे लगे हुए है, मिस्त्री लगे हुए है। जो आपने रिक्शा के लिये लिखा कि **लाइसेन्स** बन्द किया जाय उसका अर्थ देखिए . . . . . .

Mr. Speaker : I have already given half an hour to the hon. Member. I have to distribute the five hours. I cannot ask the hon. Member. . . .

[**श्री अध्यक्ष :** मै माननीय सदस्य को आध घटा दे चुका हू। मुझे पाच घटो का विभाजन करना है। मै माननीय सदस्य से अनुरोध नही कर सकता कि. ...]

Shri Tandon : I shall just bring my remarks to a close and finish in two minutes

श्री टंडन : मै अभी दो मिनट मे अपना कथन समाप्त कर रहा हूँ। जब आपने इस रिक्शा की व्यवस्था को हाथ मे लिया तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। अगर आप यह देखते है कि कौन सा गन्दा काम है तो दूसरे काम को उठाना था, रिक्शा इतना गन्दा काम नही है, और अगर आप यह समझते है कि रिक्शा खीचने वाले के ऊपर कोई बडा जुल्म होता है तो यह भी सही नही है। मै जानता हू कि **एंट्रेंस** पास कालेज के विद्यार्थी कुछ जगहो पर रात को रिक्शा चला कर अपना गुजारा चलाते है। मै इलाहाबाद को जानता हू। वहा कितने ही विद्यार्थी है जिनको कालेज मे पढ़ने के लिए सुविधाएँ नही है, रात को रिक्शा चलाते है और उससे अपनी पढाई और गुजारा चलाते है। यह कोई ऐसी बडी बात नही है। अरे ! पालकी मे तो भूषण कवि को बिठला कर हमारे एक बडे प्रसिद्ध राजा ने हाथ लगाया था और अपने कन्धे पर पालकी को रक्खा था। अगर एक एक आदमी को चार चार और पाच-पांच आदमी ले जाते रहे तो यह कोई बडी भारी बुरी बात नही थी। आज जो हमारा **बाइसिकिल** का रिक्शा है अगर उस पर एक या दो आदमी हो तो हर्ज नही है। हा इस प्रकार से न चलाये कि तीन तीन और चार चार आदमी उस पर बैठायें। मेरे विचार से अगर बाइसिकिल रिक्शा पर एक आदमी बैठे और साथ मे कोई बच्चा बैठ जाता है तो उसके खीचने मे कोई बडी कठिनता नही है।

यह जो उद्योग है जिसमे देश के लाखों आदमी लगे हुए है, अगर हम इस उद्योग को बन्द करते है तो उनको बेकार करते है। जब उस दिन स्वास्थ्य विवाद में मैने इसकी चर्चा की थी तो हमारी मंत्रिणी जी ने कहा था, कि हा, हमने यह लिख दिया है कि उनके रोजगार का इन्तजाम किया जाय तभी रिक्शा को बन्द किया जाय। मै आपसे पूछता हूं कि आपके पास रोजगार कहॉ है। आप कहते है कि सात लाख आदमी आपके यहॉ भर्ती के लिये बैठे है, तो यह सोचिये कि इतने अधिक आदमियो को बेकार करने से लाभ क्या होगा ? जो आपके पास बेरोजगार लोग बैठे हुए है पहले उनको आप काम तो दीजिये। सबसे पहले आपका कर्त्तव्य उनके प्रति है। गरीब सब जगह हैं। उनके प्रति जिस तरह से आप करुणा दिखला रहे है कि हम धीरे धीरे उनके रोजगार छीन ले, अपने गरीब भाइयों को रोजगार से वचित कर दे यह उचित नही है। मेरा तो यह निवेदन है कि अगर आप देश में मोटरकार का आना बन्द कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। मै तो इस बात का पक्षपाती हू कि हमारे देश मे मोटरकार का आना बन्द हो जाय और हम एक एक आदमी को किसी न किसी तरह के काम मे लगा ले, एक एक को रोजगार दे दे, तब हम **मिके-**

निकल डिवाइसेज यंत्रो की बात सोचे। सरकारी ओर से जो यह लिखा गया है कि रिक्शा को बन्द कर दिया जाय, गरीब का रोजगार हम छीने, इसके सम्बन्ध में तो मुझे वही अंग्रेजी की कहावत याद आती है कि भगवान हमे हमारे मित्रों से बचाये। आपका विभाग उनका मित्र बन कर आ रहा है लेकिन वास्तव मे वह उनका रास्ता बन्द कर रहा है, उससे उनके रोज़गार की हानि हो रही है। आप इस प्रश्न को हर विस्तृत दृष्टिकोण से देखिये कि कौन से ऐसे रोज़गार है जिनको बन्द करना है परन्तु साथ ही साथ आपका यह कर्तव्य है कि आप दिन पर दिन सबको रोजगार देने के रास्ते बनाये, रोजगार मिलने के जो मार्ग है उनको बन्द न करे।

बस, अध्यक्ष महोदय, मैं और अधिक नही कहना चाहता। आपको धन्यवाद।

३८

हिन्दी की बाधाएं

१६ अप्रैल १९५६ को शिक्षा मन्त्रालय के अनुदान पर बोलते हुए

नयी शिक्षा प्रणाली अपनायी जाय

उपाध्यक्ष महोदय ! सबसे पहले मेरा निवेदन शिक्षा विभाग से यह है कि उनको हमारे देश मे एक नई शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कुछ पग बढाने थे। उसमे बहुत देर हो चुकी है और अब भी अगर वह पग बढाये तो उचित होगा। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है। यह बात बार बार और बडे बडे विचारको की ओर से और राष्ट्रपति जी की ओर से भी कही गई है कि हमारे यहा जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, क्या स्कूलो मे और क्या विश्वविद्यालयो मे, इसमे बहुत दोष है। हमारे देश की आवश्यकतायें उसी प्रकार की नही है जैसी यूरोप के देशों की हो सकती है या है। हमारे यहां की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की बनाई हुई है और मै इस बात को मानता हूं कि किसी प्रणाली को बदलने मे समय लगता है। परन्तु मेरे विचार मे बहुत ही अधिक समय शिक्षा विभाग ने लिया है। अब तक तो नए विचारों के आधार पर इस प्रणाली मे परिवर्तन हो जाना चाहिए था। बडी आवश्यकता तो इस बात की है कि बच्चों में चारित्रिक प्रौढता, बल, पुरुषार्थ और नियत्रण उत्पन्न किया जाय। यह मुख्य बात है और इस ओर जाने का जो मार्ग है, हमें उस पर चलना चाहिए। जो आज की प्रणाली है वह उस ओर ले जाने वाली तो बिल्कुल भी नही है। मेरे पास बहुत थोड़ा समय है और मै इस अकेले विषय पर बहुत अधिक बोलना नही चाहता, नही तो व्यौरेवार मै इस विषय मे जा सकता था।

दूसरी बात यह है कि हमारे विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकले उन्हे आज की तरह से जीविका के लिए मारे मारे नही फिरना चाहिए। उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुरन्त ही किसी न किसी काम मे लगाये जा सके। जीविका के योग्य बनाना और उनके चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा के यह दो मुख्य तथा आवश्यक अग है लेकिन खेद है कि इन दोनो अगों की ओर से हमारी आज की शिक्षा प्रणाली उदासीन है। बस और अधिक इस बारे मे मै नही कहूंगा।

हिन्दी टाइपराइटर की योजना

अब मुझे कुछ थोडे से शब्द इस विभाग के प्रतिवेदन अर्थात् रिपोर्ट के विषय मे निवेदन करने है। विभाग ने एक टकण यत्र यानी **टाइपराइटर** की योजना अपने सामने रखी है। अपनी रिपोर्ट मे उसने लिखा है कि सन् १९५६ के आरम्भ तक उसको आशा है कि वह अपनी योजना पूरी कर देगा। सन् १९५६ के कुछ महीने तो बीत चुके है। सम्भव है कि एक दो महीनो मे वह अपना काम पूरा कर ले। मै आशा लगाये बैठा हू कि कब टकण यत्र का वर्णपट्ट अर्थात् **की-बोर्ड** हमारे सामने लाया जाता है। उन्होने जो नमूना प्रकाशित किया था पिछले साल, उस नमूने के विरुद्ध बहुत सी शिकायते उनके सामने आ चुकी होगी। एक तो बनावट के बारे मे जो उन्होने उस यत्र के रूप की रखी थी यत्र बनाने वालो ही की आपत्ति है। सम्भवत हमारे जो उपमत्री जी है, उनके सामने वह आई होगी। रिमिगटन के प्रतिनिधियों ने मुझसे कहा कि जो क्रम शिक्षा विभाग ने यत्र प्रणाली का रखा है वह उचित नही है, उसमे परिवर्तन की आवश्यकता है। उसमे आपने जो इधर उधर खिसकाने की विधि बनायी है वह त्रुटिपूर्ण है। परन्तु मुझे उसके विषय मे अधिक नही कहना है। मुझे तो उस सिद्धान्त के ऊपर कहना है जिसे आपने वर्णपट्ट बनाने के लिए माना है। आपके विभाग ने यह कहा है कि लखनऊ में जो निश्चय हुए थे आपने उनका ही अनुसरण किया है। यह बात शिक्षा विभाग की ओर से घोषित की गई है। मै आपको याद दिलाना चाहता हू कि अक्षर और अक इन दोनो के विषय मे यह निश्चय हुआ था कि अक्षरो मे कुछ परिवर्तन किया जाय और अक जो नागरी लिपि के है वे ही रखे जाय।

आपके विभाग के प्रतिनिधि, श्री हुमायू कबीर, ने लखनऊ की सभा मे यह प्रश्न उठाया था कि जो नये टकण यत्र बने उनमे अक अग्रेजी के दिये जायं। मै नही जानता क्यो शिक्षा विभाग को अग्रेजी के अको से विशेष प्रेम है। श्री हुमायू कबीर साहब ने वहा पर यह प्रश्न उठाया था, मगर वह स्वीकार नही हुआ और उनका प्रस्ताव गिरा दिया गया। लखनऊ की सभा ने जो अपने निश्चय प्रकाशित किये है उनमे अपने अक्षरो के साथ नागरी अको को माना है। आपने जो बात कही उसमे यह कहा है कि लखनऊ की नीति के अनुसार आप काम कर रहे है, परन्तु यह बात अर्ध सत्य है, अर्थात् अक्षर तो आपने अवश्य उनके लिये परन्तु उनकी निर्धारित नीति जो अको के विषय मे थी आपने उसकी अवहेलना की, उसे बिल्कुल छोड दिया, और आपने अग्रेजी के अंको को हमारे सामने रखा है। आपने जो वर्णपट्ट **की-बोर्ड** बनाया है उसमे अग्रेजी के अक दिये है। इसको देखकर मुझे आश्चर्य तो होता ही है, साथ ही इससे हमारा मस्तक भी नीचा हो जाता है कि हमारे यहां का शिक्षा विभाग, जिसके सुपुर्द हमारे देश भर के लिए मार्ग प्रदर्शन का

कार्य है, वह हमारे नागरी अकों को अग्रेजी अंकों से बदलना चाहे और यह यत्न करे कि हमारी प्राचीन लिपि मे से नागरी अक निकल जायं। मै कुछ समझ नही पाया। मुझे आशा है कि आज शिक्षा विभाग की ओर से मुझे यह बात समझायी जायगी कि ऐसा क्यो किया गया।

कुछ हवाला सविधान का भी दिया गया है। सविधान मेरे सामने रखा हुआ है। उसके बनाने मे मेरा भी कुछ हाथ था। सविधान यह तो नही कहता कि हमारे देश मे जो नागरी लिखने की प्रणाली है उसमे अन्तर किया जाना है। उसमे यह अवश्य है कि केन्द्रीय सरकार के कामो के लिए हिन्दी लिखने मे अग्रेज़ी अंको का भी प्रयोग हो सकता है और नागरी अको का भी प्रयोग हो सकता है। दोनों को छूट है। जब **'आफ़िशियल परपजेज आफ दी यूनियन'** के लिए हिन्दी लिखी जाय तब इस सीमित काम के लिए आप हिन्दी की लिखावट मे अंग्रेजी अकों का प्रयोग कर सकते है और हिन्दी के अको का भी प्रयोग कर सकते है। धारा ३४३ की जो उपधाराये है उन सबको मिलाकर वह अर्थ है जो मैने बतलाया है। उन सबका यही निचोड है। लेकिन जो आप टंकणयत्र मे अग्रेजी के अक रखते है इसका तो यह अर्थ होगा कि आप देश भर मे अग्रेजी के अको का प्रचलन करना चाहते है। यह कहा तक ठीक है? आप अधिक से अधिक यह कर सकते है कि अपने काम के लिए दस, बीस, पचास, सौ टकणयंत्र विशेष प्रकार के बनवा ले, यदि आप चाहते है कि आपके सरकारी काग़जो मे हिन्दी अक्षरो के साथ अग्रेजी अक लिखे जाये। परन्तु आप उत्तर प्रदेश के लिए या राजस्थान के लिये या दूसरे राज्यो के लिये ऐसा टंकण यत्र बनाये जिसमे अग्रेजी के अक हो, यह तो कही नही लिखा है। अको के बारे मे मेरा यह निवेदन है, पहले भी मैने कहा था, कि जहा जहां हिन्दी प्रचलित है वहां यही नागरी अक चल रहे है, जहा मराठी प्रचलित है वहां यही अक चल रहे है। स्मरण रखिये कि मराठी भाषा मे यही अक्षर है और यही अंक है। और भी भाषाये है, जैसे पंजाबी, उसमे भी यही अक है। पजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि मे लिखी जाय या देवनागरी लिपि मे, अंक यही लिखे जाते है। गुरुमुखी लिपि मे नागरी अक्षरो से कुछ थोड़ा सा भेद है परन्तु अंक वही है। गुजराती में यही अक है। अगर आप हिसाब लगायेंगे तो देखेगे कि लगभग २२, २३ करोड भिन्न भाषा-भाषियो की जनसख्या में इन पुराने नागरी अकों का ही प्रचलन है। यह मराठी वाले, हिन्दी वाले, गुजराती वाले, पजाबी वाले जब **टाइपराइटर** का प्रयोग करेंगे तब इनके लिए नागरी अक लिखना ही आवश्यक होगा। वही अक वह समझते है।

अंग्रेज़ी अंकों का मोह क्यों ?

आखिर हमारे शिक्षा विभाग को अंग्रेज़ी अको से इतना मोह क्यों है? इस विषय में शिक्षा विभाग का मोह यहां तक है कि उसने प्रदेशीय सरकारों

को लिखा है कि वे हिन्दी लिखने मे अग्रेजी अको का प्रयोग करे। जब मै मध्य प्रदेश मे भाषण कर रहा था तब उस समय यह बात मुझे वहा के मुख्य मत्री ने बतलायी। उन्होने मुझ से कहा कि हमारे पास केन्द्र से हिदायत आयी है कि हिन्दी लिखने मे अग्रेजी अको का प्रयोग किया जाय। उन्होने उस हिदायत को माना नही और न कोई और राज्य मानेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश को यह हिदायत भेजेगे तो यह हिदायत वहा भी ठुकरा दी जायगी। यह जो यत्न किया जाता है कि हिन्दी लिखने मे हिन्दी अको का प्रयोग नही किया जाय इससे मै चकित हो जाता हू। आप सारे देश के लिये यह निश्चय कर रहे है। मैने उस दिन भी कहा था कि मुझे शिक्षा विभाग का यह काम अच्छा नही लगता। आज भी मुझे यह कहने मे सकोच होता है। हृदय नही चाहता कि अपने सहयोगियो की किसी बात की इतनी कटु टिप्पणी की जाय। परन्तु क्या कहू ?

देश एक ओर, शिक्षा विभाग दूसरी ओर

देश एक ओर है और आपका विभाग एक ओर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका विभाग देश की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। या तो इस विभाग मे ऐसे आदमी रखे गये है जो देश की भावना को नही जानते या उनकी मनोवृत्ति ऐसी है कि वे देश की भावना को जानते हुए भी उसके विरुद्ध जाना चाहते है। अच्छा होता कि एक हिन्दी मत्रालय अलग बनाया जाता। मैं यह बात बार बार कह चुका हू क्योंकि आज जो शिक्षा विभाग है वह हिन्दी के काम को ठीक नही कर रहा है। इसलिए या तो इस काम के लिए एक अलग विभाग बनाया जाय या इस विभाग मे ऊपर से लेकर नीचे तक परिवर्तन किया जाय। इस विभाग के सचालन मे एक श्रीमाली जी हिन्दी के ज्ञाता है जिनका मै स्वागत करता हू। यह ऐसा विभाग से जिसमें अफसर हिन्दी जानने वाले होने चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि वहा ऊपर से नीचे तक यह हाल है कि **"ईं ख़ानः तमाम आफ़ताब अस्त"** यह हालत है वहा की। जहा तक हिन्दी का विषय है उसमें सब के सब नगण्य हैं। यह क्या ढंग है शिक्षा विभाग चलाने का।

आप रिपोर्ट मे कहते है कि आप हिन्दी के ग्रन्थ लिखवा रहे है। लेकिन लेखको का मार्ग प्रदर्शन करने की योग्यता तो विभाग मे होनी चाहिए ताकि विभाग की तरफ़ से लेखकों को सुझाव दिये जा सके कि इस प्रकार के ग्रन्थ लिखे।

अभी एक भाई ने कहा कि इस विभाग को नाच गाने पर अधिक खर्च नही करना चाहिए। मेरा भी यही कहना है। मै चाहता हू कि इस पर जो रुपया खर्च किया जाता है उससे आप ग्रन्थ लिखवाते। कम से कम आप

पांच साल मे ५० ग्रन्थ तो लिखवाते। यदि आप इस ओर १५ या २० लाख रुपया खर्च करते और एक एक लेखक को १५ या २० हजार रुपया देते तो दो साल मे हिन्दी के ऐसे अनेक ग्रन्थ तैयार हो सकते थे जो बी० ए०, एम० ए० और **पोस्ट ग्रेजुएट** अध्ययन के योग्य होते।

हिन्दी चलाने मे समय निर्धारण

हमारे भाई श्री अविनाशलिगम चेट्टियार ने जो कहा है उसके बारे मे अब मै कुछ कहना चाहता हू। वह यहा इस समय नही है। होते तो मै उनके लिए कुछ अग्रेजी मे भी कह देता। लेकिन चूकि वह यहा नही है मै अनावश्यक रूप से अग्रेजी मे नही बोलना चाहता।

वह चाहते है कि हिन्दी के चलाने मे कितने दिन लगे, इसका निश्चय वह करे। क्या मतलब इसका ? वह तो सविधान **कांस्टीटयूशन** ने निश्चय कर दिया है। उन्होने यह कहा कि मैने कभी यह कहा है कि स्थानीय भाषाओ के लिए अधिक पैसा नही देना चाहिए। मैने उसी समय टोक दिया था कि यह अशुद्ध बात है। मै जानता हूं कि हिन्दी के अतिरिक्त हमारे देश मे ऊची स्थानीय भाषाएं है, और दक्षिण की तामिल और तेलगू भाषाओ का बडा ऊचा साहित्य है। तामिल भाषा के जो प्राचीन भक्त कवि है उनको मै सदा सिर नवाता हू। सत साहित्य हमारे देश का ऊचा साहित्य है वह हिन्दी मे भरा पडा है और मराठी मे भी है और तामिल मे भी वह ऊचा साहित्य है। मै तो उस साहित्य का सदा स्वागत करता हू। हिन्दी चलाने के सम्बन्ध मे समय निश्चय करने की बात वह चाहते है कि उन पर छोड़ दी जाय। यह अजीब बात है और समझ मे न आने वाली बात है क्योकि हिन्दी को देश मे चलाने की अवधि तो पहले से ही संविधान मे तय हो चुकी है।

अंग्रेजी भाषण लज्जाजनक

उपाध्यक्ष महोदय, मै आपसे कहता हूं कि मुझे तो लज्जा आती है जब यहां पर बैठ करके लोगों को अग्रेजी मे भाषण करते सुनता हू। क्या ५, ६ वर्ष के अन्दर हम इस योग्य अपने को नही बना सके कि हम यहा पर टूटी फूटी हिन्दी मे अपनी बात कह ले। मै तो समझता हूं कि अगर यहां पर मेरे मित्र लोग हिन्दी मे बोले तो शायद वह उस अग्रेजी से बुरी नही होगी जिसमे अधिकतर लोग यहा पर बोलते है. . .

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : अच्छी होगी।

श्री टंडन : यहा लोग अग्रेज़ी के ऊपर बडा अभिमान करते है लेकिन मै निवेदन करना चाहता हू कि मै भी और जो मेरे यहा और मित्र लोग बैठे हुए है, वे जब अंग्रेजी बोलते है तब थोड़े से गिने चुने लोगो को छोड़ कर हम

सब अधिकतर टूटी फूटी अग्रेज़ी बोलते है और मै समझता हू कि शायद कोई अग्रेज यहा आये तो वह जल्द समझ भी नही पायेगा कि हम अग्रेजी बोल रहे है या दूसरी भाषा बोल रहे है। हमे अग्रेजी पर अभिमान करना उचित नही है। मै तो चाहता हू कि यहां पर लोग हिन्दी मे बोले और अग्रेजी का मोह त्यागे, अगर अभी हिन्दी मे न बोल सके तो मै तो कहूगा कि बजाय अग्रेजी मे बोलने के वे अपनी प्रादेशिक भाषा जैसे बगला या तामिल आदि में बोले, अपनी भाषा मे बोलना अधिक अच्छा है इसकी अपेक्षा कि हम यहा बैठ करके अग्रेजी मे बोले और ससार के सामने अपनी हंसी उड़वाये।

मै बस और अधिक नही कहना चाहता। अन्त मे शिक्षा उपमत्री अपने भाई से यही निवेदन करना चाहता हू कि वह इस अंक के विषय पर विशेष ध्यान दे और जो हिन्दी **टाइपराइटर** बहुत शीघ्र बनने वाला है उसमे नागरी अक्षरो के साथ नागरी अको का प्रवेश करा के उसको जनता के सामने लाये।

३९

बेकारी हटे तब उत्पादन बढ़े

२० अप्रैल १९५६ को वित्त विधेयक पर बोलते हुए :

गाँवों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय ! मै इस बधे हुए समय मे कुछ गिनी हुई बाते ही निवेदन करूगा।

सबसे पहले मुझे यह कहना है कि हमारा जितना आर्थिक क्रम चल रहा है जिसके लिए यह विधेयक यहां उपस्थित किया गया है उस सब मे जो समाज सामने रखा गया है वह अधिकतर शहर का है। हम जितनी बाते करते है सम्पत्ति बनाने की और प्रबन्ध की और शिक्षा की, पठन पाठन की, उद्योग सम्बन्धी शिक्षा की, अर्थात् जिस पर भी हम विचार करते है, उसमे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देहात के लोगो की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता है। देहात की आर्थिक समस्या हम हल करे इसकी ओर, मुझे ऐसा लगता है, हमारी गवर्नमेंट का ध्यान बहुत ही कम रहा है। कहने को तो कहा जाता है कि फलां फ़लां **प्रोजैक्टस** बनाये गए है और इन सबका सम्बन्ध गॉवो से है। लेकिन मैं आपसे कहता हू कि आप गॉव मे जाकर घूमिये, गॉव मे जाइये और देखिए, आपको चारो ओर दरिद्रता और बेकारी ही नजर आयेगी जो बढ गई है और बढती जा रही है। मै पहले भी निवेदन कर चुका हू कि हमारा ध्यान उधर होना चाहिए, हमारे रुपये का एक अच्छा भाग, उस रुपये का जो हम व्यय कर रहे है, गॉवो की दशा सुधारने मे लगना चाहिए। गॉवों मे जो कुटुम्ब है, उनको हम भूमि दे, यह बहुत आवश्यक है। हमे चाहिये कि उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए तथा उनकी उन्नति करने के लिए हम प्रत्येक परिवार के लिए कुछ न कुछ भूमि अलग रखे और उनको घर बनाने मे मदद दे। आपने कुछ करोड रुपये घर बनाने के लिए रखे है लेकिन मै समझता हू कि वह बहुत थोडे है। आपको चाहिये था कि आप बहुत अधिक रुपया इस काम के लिये रखते। आपको यह भी चाहिये था कि आप देहातियो को घर बनाने मे सुविधा देते।

अम्बर चर्खे का महत्त्व

अभी हमारे एक भाई ने चर्खे की चर्चा की। उन्होने अम्बर चर्खे की चर्चा भी इस सम्बन्ध मे की और कुछ उसका मखौल भी उड़ाया। मुझको उनकी

यह बात सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि कौन पढा लिखा आदमी चर्खा चला कर अपनी जीविका कमायेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पढे लिखे आदमियो की अधिक चिन्ता है और जो बेपढा आदमी देहात में रहता है वह किस तरह से अपनी जीविका चलाता है, इसकी ओर उनका ध्यान नही गया। उन्होने कहा कि मै भी खद्दर पहने हुए हू। उन्होने इस तरह की बात भी कही कि चर्खे से क्या लाभ होगा और क्या पैसा उनको मिलेगा। मै तो समझता हू कि उनके खद्दर पहनने से क्या लाभ हुआ. . . .

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : डिसिप्लिन मे रहकर पहनते है।

श्री टंडन : उससे तो ऐसा मालूम होता है कि उनका खद्दर मे कोई विश्वास नही है, खद्दर के आर्थिक शास्त्र मे विश्वास नही है। हम लोगो को उसके शास्त्र मे विश्वास है, गाधी जी को भी उस शास्त्र मे बहुत विश्वास था। मै यह कभी नही कहता कि जिसमे गाधी जी का विश्वास था उसमे हमारा विश्वास भी होना चाहिए। मै इस विषय मे अधिक नही कहना चाहता क्योकि समय बहुत कम है। लेकिन यह मै निश्चय के साथ कहता हू कि **एजुकेटिड अनएम्प्लायड** की समस्या जो आपने लाकर धरी और आप जिसे अपने ढग से हल करना चाहते है वह उस तरह नहीं हल होगी। मेरा विश्वास है कि चर्खे के द्वारा चर्खे के प्रबन्ध के द्वारा और अम्बर चखे के द्वारा यह समस्या बहुत हद तक हल हो जायगी। यदि आपका मतलब **एजुकेटिड अनएम्प्लायड** से यह है कि सौ सौ, डेढ डेढ सौ, तीन तीन सौ और चार चार सौ की नौकरिया उनको देना है तो मै समझता हू चर्खा उसको हल नही कर सकता। परन्तु करोडो की सख्या मे हमारे यहा जो लोग है, उनका ध्यान करके ही गाधी जी ने ठीक बात कही थी, मै इसे उनकी प्रतिभा कहता हूं, उनकी बड़ी अच्छी सूझ कहता हू। जो हमारे यहां गिरी अवस्था में थे, उनके लिए उन्होंने चर्खा लाकर रख दिया और आज उसमें जो उन्नति हो रही है, उस उन्नति को देखते हुए हम लोगो को आशा है कि इस चर्खे द्वारा हम गाँवों की समस्याये बहुत कुछ हल कर लेगे। जो एक बोर्ड है उसने यह दावा किया है कि वह ७०-८० लाख आदमियो को इसके द्वारा जीविका दे सकेगा। मैं इसे कोई छोटी सी बात नही मानता हूं। मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे वैसे वैसे इससे भी अधिक आदमियों को इसके द्वारा जीविका देने में हम सफल हो सकेगे।

बेकारी पहले हटे—उत्पादन पीछे बढ़े

अब मै एक दूसरी चीज की ओर बढ़ता हूं। कुछ दिन हुए मैने यहां पर रिक्शाचालकों के बारे मे चर्चा की थी। मेरा निवेदन यह है कि हमे ऐसी बातों को देखना चाहिए कि कहां कहां हम लोगों को काम पर लगा सकते

है। कहा कहा से अलग किया जा सकता है, इसे तो अग्रेजो ने बहुत किया। अलग करना आज भी आसान है। आप जितना भी यांत्रिक क्रम बढायेगे, जहा जहा बढायेगे वहां वहां यत्र मनुष्य को अलग कर देगा। अगर आप अमरीका और यूरोप की नकल करना चाहते है तो ठीक है, आप कर सकते है। परन्तु हमारे यहां प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार से आदमियो को काम पर लगाये, तथा किस प्रकार से बेकारी को दूर करे। मेरा निवेदन है कि उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा यह ज्यादा बडी समस्या है। अगर बेकारी दूर होगी तो उत्पादन आप से आप बढेगा। परन्तु हमारे भाई उत्पादन पर ज्यादा जोर देते है। **प्रोडकशन प्रोडकशन** चिल्लाते है और जब वे इस तरह से चिल्लाते है तो मिलें उनके सामने होती है क्योकि वे तेजी से **प्रोडकशन** कर सकती है। यह बहुत छोटी बात है, एक गौण बात है। **प्रोडकशन** हो या न हो, लेकिन बेकारी अवश्य दूर होनी चाहिये। हर एक आदमी को खाना तथा कपड़ा मिले यह मुख्य बात है। आपने कहा है कि आप २० गज हर आदमी को देना चाहते है। लेकिन जब आप २० गज की बात करते है तब आपका ध्यान गाँवों की तरफ नही होता है जहां लोग बेकार है। आप अपने लिए चाहते है। आप यह चाहते है कि आपको ५०, १००, २०० और ४०० गज मिले और फिर औसत जाकर २० गज का पडे। आप यह चाहते है कि आपके पास तह की तह कपड़ो की हो, आपकी बीवियो के पास बहुत सी साड़िया हो। गाँव वाला फिर भी नगा ही रहेगा। मै इसे गलत, अशुद्ध और असत्य बात मानता हू। हमारे सामने अर्थशास्त्र रखा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि **प्रोडकशन बढ़े या न बढ़े**, लेकिन बेकारी दूर हो। जब बेकारी दूर होगी तब **प्रोडकशन** आप से आप पीछे पीछे चलेगा। **प्रोडकशन** पीछे चले, यह मुख्य बात है। उत्पत्ति पीछे हो, बेकारी की समस्या पहले हल हो।

रिक्शाचालक वृत्ति

इसी तरह से उस रोज यहां रिक्शा का प्रश्न छिडा मै तो चकित हो गया। मेरे उस विषय पर भाषण के बाद श्रम मत्रालय ने मेरे पास कुछ काग़ज़ भेजे है और मै देखता हूं कि उन कागजो मे एक खास दलील दी गयी है। वह इस प्रकार है

"The Fundamental fact should not be overlooked that this type of labour is a degradation of human pursonality"

बस यह दलील है, और उसके अन्त मे सुझाया गया है

"The rickshaw-puller of today may be enabled to become a motor rickshaw driver of to-morrow."

उस रिपोर्ट मे यह सुझाव दिया गया है कि हाथ से चलाने वाला रिक्शा समाप्त किया जाय ताकि **मोटर रिक्शा** का प्रयोग हो सके। मुझे यह बिल्कुल उल्टी अक्ल दिखायी देती है। मै इसको बिगडी हुई अक्ल कहता हू। मै कहता हू कि बन्द करो मोटर को और अरबो रुपया जो मोटर पर व्यय होता है उसके आदमी को दो ताकि उनको ज्यादा रोजगार मिल सके। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से चरखा ८० या ९० लाख आदमियों को रोजगार दे सकता है उसी तरह यह हाथ से चलने वाला रिक्शा ५० या ६० लाख आदमियों को रोजगार दे सकता है।

Shri R Volayudhan

There is no need of rickshaw then. why cannot you walk ? Let us remove all our vehicles.

श्री टंडन . कुछ लोग चल सकते है लेकिन बहुत से ऐसे है, जैसे कि बच्चे है, स्त्रिया है, वृद्ध है, जिनको सवारी की आवश्यकता पड़ती है। आज जापान मे कितने रिक्शा चल रहे है ? मतलब यह कि यह **'डिप्रेडेशन आफ ह्यूमन परसोनैलिटी'** की दलील बिल्कुल वाहियात है। हम देखते है ऊची दृष्टि से, शहरो की दृष्टि से, बडे बडे लोगों की दृष्टि से, यह ध्यान नही है कि यदि यह काम नही होगा तो वह आदमी क्या करेगा। मैंने उस रोज बतलाया था कि जब एक आदमी ने **'डिप्रेडेशन आफ ह्यूमन परसोनैलिटी'** की दलील देकर रिक्शा पर बैठने से इन्कार किया तो उससे रिक्शा वाले ने कहा कि पहले आप हमको जहर दे दीजिये। वे ऐसी बात करते है जो व्यावहारिक नही है।

हिन्दी में अंग्रेजी अंक नहीं—नागरी अंक रहें

अभी तक हमारे डा० श्रीमाली यहा बैठे थे। अब मुझे दिखलायी नहीं देते।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस, मध्य) : आपको देखकर भाग गये।

श्री टंडन : मै उनसे कुछ निवेदन करना चाहता था। उन्होने उस रोज अको के बारे मे कुछ दलील दी थी। उनकी दलील इस प्रकार थी कि जो आज का सविधान है उसमें यह है कि जब तक प्रेसीडेट आज्ञा नही देते तब तक हिन्दी लिखने मे हमे अग्रेजी **न्यूमरल्स** का इस्तैमाल करना चाहिए। यह उन्होने इस प्रश्न का वैधानिक क्रम दिखलाया। मेरे सामने उनका भाषण है। उनकी दलील इस प्रकार है :

Keeping in view the clear provisions of the Constitution and the interpretation given by the Law ministry in 1952, the use of the Devanagari form of numerals for

any official purpose either in the Centre or in the States is unconstitutional so long as the President does not issue a special order to this effect ''

बहुत अजीब सी बात है। उत्तर प्रदेश मे जितना स्टेट का काम होता है सब नागरी अंको में होता है। वहा कोई अग्रेजी अकों को छूता तक नही। इस दलील के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का सारा काम **अनकांस्टीटयूशनल** है क्योकि वहां हिन्दी नागरी अकों के साथ लिखी जाती है।

अभी हमारे वित्त मत्री जी ने पोथे के पोथे हमारे सामने रखे जो हिन्दी मे है और उनमे अक नागरी के है। यह भूलना नही चाहिए। रेलवे मत्री ने भी पहले बड़े बड़े पोथे हमारे सामने रखे जो हिन्दी मे थे और उनमें अक भी नागरी के थे। अभी हाल मे रेलवे मत्री ने एक हजार डेढ हजार पन्नो की पुस्तक हमारे सामने रखी है। उसमे भी नागरी अक है। श्रीमाली जी की दलील के अनुसार और सन् १९५२ में ला मिनिस्ट्री ने जो राय दी थी उसके अनुसार यह सब का सब **अनकांस्टीटयूशनल** है। **फाइनेन्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री** और **एक्सटर्नलएफेअर्स मिनिस्ट्री** की रिपोर्टों मे नागरी अंको का प्रयोग होता है। सिवाय **ऐजूकेशन मिनिस्ट्री** और **होम मिनिस्ट्री** के और मिनिस्ट्रियों की रिपोर्टों मे नागरी अको का प्रयोग होता है। तो ये सब के सब या तो मूर्ख है या जानबूझ कर कास्टीट्यूशन की अवहेलना कर रहे है।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर, पूर्व व जिला बलिया, दक्षिण, पश्चिम) पहली ही बात सही है।

श्री टंडन · यह दोनो बाते गलत है। वे सब बुद्धिमान हैं और समझ वाले है। कोई कास्टीट्यूशन की अवहेलना नही कर रहा है। लेकिन अगर हमारे डा० श्रीमाली यह कहते है कि इन्होने सविधान की अवहेलना की है तो वे प्रेसीडेट से लिख कर पूछ ले कि यह उनकी इजाजत से काम किया गया है या उनकी इजाजत के बिना किया गया है। ऐसा करना बहुत आसान है। मै तो समझता हूं कि **मिनिस्ट्री** प्रेसीडेट और गवर्नर के नाम पर काम करती है। लेकिन अगर डा० श्रीमाली समझते है कि इस काम के लिए प्रेसीडेट को खुद कहना चाहिए था तो वह उनसे लिख कर पूछ सकते है। केन्द्रीय सरकार में जो इस प्रकार का काम हो रहा है मै उसको ठीक मानता हू। ला मिनिस्ट्री ने सन् १९५२ मे एक राय दी थी, लेकिन जैसा उन्होने बतलाया वह अब अपनी राय बदल रही है, और कैबीनेट ने इस मामले मे यह तय कर दिया है कि दोनों मे से चाहे कोई अक इस्तैमाल किये जा सकते है। परन्तु यदि प्रेसीडेट की आज्ञा की आवश्यकता है तो मेरा सुझाव है कि तत्परता के साथ उस आज्ञा

को मगवा लिया जाय क्योंकि **टाइपराइटर** का प्रश्न हमारे सामने है। उनको चाहिए वे पूछ ले कि **टाइपराइटरों** मे उनको कौनसे अक प्रयोग मे लाने चाहिए। मेरा कहना है कि नागरी अक होने चाहिए। लेकिन अगर उनको इसमे सन्देह है तो वे प्रेसीडेट को इस बात का हवाला भेज कर निश्चय कर ले।

पुनः संघटन—बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब

२७ अप्रैल १९५६ को भारतीय लोक सभा में राज्य पुनः संघटन विधेयक पर बोलते हुए :

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद-पश्चिम) : उपाध्याक्ष महोदय ! यह जानकर कि हम लोगों का समय बहुत सीमित है, मै इस विधेयक के सम्बन्ध मे तीन राज्यों के सगठन के बारे मे ही कुछ निवेदन करूगा, एक महाराष्ट्र, दूसरा पजाब और तीसरा उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा अभी तक नही के बराबर हुई है।

बम्बई द्विभाषी प्रदेश हो

महाराष्ट्र के सम्बन्ध मे मुझे अपने मराठी और गुजराती भाइयो से यह कहना है कि जो दृश्य मैंने यहां लोक सभा मे उनकी भावनाओं का देखा उससे मुझे पीड़ा हुई। आवश्यकता इस बात की है कि हम देश को दृढता, मेल और सहयोगिता से चलाये। उसको इस तरह चलाने के लिए ऊची भावनाओ की आवश्यकता है। बम्बई के प्रश्न ने इन दोनों मे खटपट पैदा कर दी है। मैंने एक सुझाव दिया था और उसको मै फिर दोहराता हूं कि कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे जहां तक सम्भव हो ये मिलकर रहे।

हमारे मराठी भाषी-भाइयों ने एक समय माना भी था कि विदर्भ के मिलाने के बाद इसमे सौराष्ट्र रहे, गुजराती भाई भी रहें और सबका मिल करके एक द्विभाषी प्रदेश बने। मेरा सुझाव है कि आज भी यह आवश्यकता है कि हम उस ओर ध्यान दें। मैंने सुना है कि मराठी भाई अभी प्रधान मत्री जी से मिलने वाले हैं। मेरा तो सुझाव है कि अब भी देर नही है। फिर हम उस तरह से विचार करे, और जहा तक सम्भव हो हम इस प्रदेश को द्विभाषी या अधिक भाषा भाषी बनाने में न हिचके। मै जानता हू कि इस पर दो मत हैं। हमारे भाई जो इधर विरोध में बैठते है वे एक भाषा राज्य पर बहुत बल देते हैं। कल भी हमारे भाई, श्री साधन गुप्त, ने कहा कि हमे इसी बात पर अड़े रहना चाहिए कि एक भाषी प्रदेश हों। बिहार और बंगाल के मिलाने का भी उन्होने विरोध किया। वह भी एक मत है। मै मानता हू कि इसमें कई दृष्टियां है। पर यह भी तो हमे देखना चाहिए कि और दृष्टिकोण भी हो सकते है और सब को एक ही लाठी से हांकने की आवश्यकता नहीं। सब

धान बाईस पसेरी नही होते। सब प्रदेशो को एक ही लाठी से नही हाका जा सकता। गुजराती और मराठी भाइयो का इतने समय से मेल चला आता है। यह कोई नया प्रयोग नही है। बिहार और बगाल भी किसी समय एक थे लेकिन इधर बहुत दिनों से नही है। इसलिए यह जो बगाल और बिहार को मिलाने का सुझाव आया है यह एक प्रकार से नया प्रयोग है। मगर गुज-राती और मराठी भाइयो के लिए यह कोई नया प्रयोग नही है। मेरा तो यही सुझाव है कि वे फिर यह सोचे कि मिल कर रह सकते है। यह क्यो असम्भव है? हम थोड़ा हिस्सा इन्दौर के पास का इसमे और मिला कर इसको एक अधिक बड़ा प्रदेश बना सकते है। मै तो इसके पक्ष मे हू कि हम इस प्रदेश को कुछ और बड़ा बना दें और इन्दौर के पास का कुछ हिस्सा इसमे मिला दे। फिर इसका नाम चाहे बम्बई रहे या महाराष्ट्र रहे, जिन जिन प्रदेशो के लोग इसमें आये उन सबको मिल कर काम करने का अवसर मिले, और जैसा कि पाटिल भाई ने कहा इस प्रकार ससार के आगे बम्बई एक वृहद् राजधानी के रूप में रहे और उसकी स्थिति अधिक ऊची हो।

बघेलखंड उत्तर प्रदेश में हो

दूसरी बात मै उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध मे निवेदन करना चाहता हू। पहले जो बहुत बडी घबराहट थी कि बडे बडे राज्य न रहे वह घबराहट तो अब नही रही है। कम से कम केन्द्रीय गवर्नमेंट के मस्तिष्क मे अब यह घबराहट नही है। अब तो उन्होने बडे बडे जोन बनाने की बात सोची है और हमारे भाई गिरी जी ने भी यहा से एक आवाज उठायी है कि वह तो यह देख रहे है कि बड़े बडे प्रदेश बनेगे। जितने प्रदेश एक जोन में रखे गये है वे सब एक राज्य बन जायँगे, इसकी चर्चा उन्होने यहा की। यह जान पडता है कि अब यह घबराहट नही है कि कोई प्रदेश बहुत बडा न हो जाय। मै तो बम्बई को और बडा बना देना चाहता हू। मध्य प्रदेश आज आबादी मे नही परन्तु अपने डील डौल मे उत्तर प्रदेश से बडा है। मै पूछता हू कि आज जो बघेलखड के लोग या विन्ध्य प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश मे आना चाहते है उनको आप रोकते क्यो है? बघेलखंड के लिए यह बात बार बार कही गयी है। एक भाई बघेलखड के यहा है। उन्होंने जोरो के साथ कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहते है। बघेलखड की विधान सभा मे भी इस पर बहस हुई थी। वहां उस समय २० सदस्य उपस्थित थे। उनमे से अधिकतर ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहते है। केवल दो सदस्य थे जिन्होने कहा कि हम मध्य प्रदेश के साथ जाना चाहते है। इस विषय पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा मे भी चर्चा हुई और वहा पर लगभग सबो ने मिल कर कहा कि पूरा विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ मिलया जाय, अगर ऐसा करने में

कोई कठिनाइया है तो कम से कम बघेलखड को तो अवश्य उत्तर प्रदेश मे मिला दिया जाय। वहा के जो मुख्य मत्री है, डा० सम्पूर्णानन्द, उन्होने भी उस दिन भाषण दिया था। मै चाहता हू कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे गृह विभाग के मत्री जी उधर ध्यान दे। मेरा विश्वास है कि वह प्रवर समिति मे रहेगे। यह सच है कि वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। लेकिन मै इसको उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय समझता हू कि आपने जो **सिलेक्ट कमेटी** बनायी है उसमे प्रदेश उत्तर का केवल एक मेम्बर इस भवन से रखा। उस मेम्बर ने भी नाराजगी से उसमे काम करने से इन्कार कर दिया क्योकि आपने इतने बड़े सूबे का केवल एक ही सदस्य रखा । उस मेम्बर की जगह आपने दूसरा मेम्बर रखा है, मै नही जानता कि वह काम करेगे या नही। मुझे मालूम है कि उनसे पूछा नही गया है। क्या आप दो सदस्य नही रख सकते थे, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी और श्री अलगूराय शास्त्री ? अगर ये दो आदमी बने रहते तो क्या बिगड़ जाता ? मुझको ऐसा लगा है कि हमारे गृह मत्री जी और हमारे प्रधान मत्री जी उत्तर प्रदेश के है—इसलिए वे ऐसा करने मे सकोच कर रहे है और इस सकोचवश जो अन्याय उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है उसको वे सहन कर रहे है। मै कहना चाहता हू कि यह ठीक नही है। उनको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले क्या चाहते है। यहा बघेलखड के लोग है। अगर आप उनको प्रवर समिति मे आने का अवसर देते तो वे अपनी राय आपके सामने रखते। पर आप उनको नही रख रहे है। न आप बघेलखड के आदमी रख रहे है और न उत्तर प्रदेश को उचित अवसर दे रहे है। फिर कौन आपसे कहने आयेगा ? इसीलिए मै आज खडा हुआ हू कि स्पष्ट रूप से कह सकू कि इस प्रकार आप विन्ध्य प्रदेश के साथ, बघेलखड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय न होने दे। उत्तर प्रदेश और बघेलखड का चोली दामन का साथ बहुत पुराना है। हम लोग इस बात को जानते है कि वे हमारे कितने समीप है। मै याद दिलाना चाहता हू, और मै समझता हू कि जो मंत्रिगण इधर बैठे हैं शायद उनको याद भी होगा क्योकि वे काग्रेसी है, कि एक समय बघेल-खंड की काग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की काग्रेस कमेटी की एक अग थी। यह कुछ बरस पहले की बात है। किसी काल मे वे मध्य प्रदेश के साथ थे लेकिन उनसे वे नाराज होकर उत्तर प्रदेश के साथ आ मिले। हमारी उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी का एक जिला था बघेलखंड। मेरा उत्तर प्रदेश की काग्रेस कमेटी के संचालन मे हाथ था, इसलिए मुझको यह बात याद है। मेरा यह कहना है कि वे हमारे बहुत पास है। अगर वे आना नही चाहते तो हम कुछ नही कहते, लेकिन जब वह आना चाहते है और उत्तर प्रदेश वाले उनको लेना चाहते है तो क्यो रुकावट डाली जाय। अभी हाल मे उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री

ने अपनी विधान सभा मे कहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि मे बड़ा है लेकिन खनिज पदार्थो मे छोटा है। उसके पास खनिज पदार्थ नही है। मध्य प्रदेश के पास खनिज पदार्थ बहुत है। ऐसी स्थिति मे विन्ध्य प्रदेश का टुकडा, जो खनिज पदार्थो की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश मे मिला दिया जाय तो दोनो का लाभ है। बुदेलखड के अधिकतर लोगो की भी यह इच्छा जान पडती है कि वह उत्तर प्रदेश मे आये।

श्री रायचन्द भाई शाह (छिंदवाड़ा) : यह गलत है।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : मै कहता हू कि यह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय ! आप इसी तक रहने दें। हमने समझ लिया कि कुछ कि राय है कि आ जाये और कुछ की राय है कि न आये। माननीय सदस्य अपनी तकरीर जारी रखे।

श्री टंडन . मै तो समझता हू कि बुदेलखड के लोग भी आना चाहते है। लेकिन अगर सारा विन्ध्य प्रदेश नही आना चाहता तो कम से कम बघेल-खड को तो आने दीजिये। मुझे आशा है कि हमारे मध्य प्रदेश के भाई इसके औचित्य को समझेगे।

पंजाब की समस्या

अब मै थोडे से मिनटो मे पजाब के बारे मे निवेदन करना चाहता हू।

श्री टंडन : उस दिन यहा पर सरदार हुक्म सिह ने जो भाषण किया, उसका मैंने अपने मन में स्वागत किया। उस दिन मुझे उस सम्बन्ध मे बोलने का अवसर नही मिला था, सो आज कुछ निवेदन करना चाहता हू। मैंने स्वागत उसका इसलिए किया कि उनके भाषण मे और मास्टर तारासिह के भाषण मे भी मुझको एक नया दृष्टिकोण दिखाई दिया, अर्थात् यह कि आज जो जालधर **डिवीजन** के बिगडे हुए लोग है और जो सहमत नही हो रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके उनको मिलाने का यत्न किया जाय। सरदार हुकमसिह के भाषण मे वह बात मुझे विशेष अच्छी लगी जो उन्होने यह कहा कि हम बैठ कर आपस मे समझौता करे। यही बात लाला अचित राम ने भी अपने भाषण मे कही थी। इसमे तो कोई सन्देह नही और हम सब देख रहे है कि यह कहना कि पजाब मे सब लोग संतुष्ट है, यह अर्ध सत्य है, यह बिलकुल सच नही है और जो प्रबन्ध किया गया है उससे जालधर के लोग असन्तुष्ट है।

सरदार इक़बाल सिह (फ़ाजिल्का सिरसा) : अक्सरियत तो सतुष्ट है।

श्री टंडन : हरियाना के लोग मै मानता हू सतुष्ट हैं, लेकिन जालधर **डिवीजन** के तमाम हिन्दू इस प्रबन्ध के ख़िलाफ़ है। साथ ही मै इसको स्वीकार करता हूं कि आपस में मेल पैदा किया जाय और सरदार हुक्मसिह का वह

सुझाव स्वागत के योग्य है जिसमें उन्होने कहा है कि उनको बैठ कर कोई रास्ता निकालने का यत्न करना चाहिए।

यह जो क्षेत्रीय परिषदो की स्थापना करने की बात है, यह एक नया प्रयोग है जो हम करने जा रहे है और इसके सम्बन्ध मे मै यही सुझाव दे सकता हू कि बहुत समझ बूझकर हमे इसको चलाना है। एक तरफ़ **रीजनल** (प्रादेशिक) **कमेटी** का सिद्धान्त, अर्थात् यह कि जो एक सूबा है उसको बांट दिया जाय, दूसरी तरफ **जोनल कौंसिल** (क्षैत्रिय परिषद्) का सिद्धान्त जो उससे भिन्न है, एक तरफ बढाने की बात और दूसरी ओर छोटे स्थानों मे कमेटी बनाने की बात, देखने मे ऐसा लगता है कि उनमे दो अलग अलग सिद्धान्त काम कर रहे है और उन दोनो को ही पंजाब मे स्थान दिया गया है। अभी जैसा पडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे यह स्थिति स्पष्ट नही है, मुझको भी यही लगा कि अभी गवर्नमेंट का दिमाग कुछ इसके बारे मे स्पष्ट नही है और वह कुछ टटोल रही है। मै इस टटोलने को बुरा नही कहता, टटोलना कुछ बुरी बात नही है, समझ बूझकर आगे बढने की बात है। हम **रीजनल कमेटी** को क्या अधिकार दे, किस तरह से उसको चलाये, इस सम्बन्ध मे बहुत समझ बूझकर के और अनुभव करके आगे काम करना है। अब चूंकि आपने घटी बजा दी है, इसलिए मै अधिक न कह कर अपनी बात समाप्त करता हू।

४१

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक बदलिये

१ मई १९५६ को हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बोलते हुए

श्री अध्यक्ष महोदय ! इस विषय पर मुझे बहुत नयी बाते नही कहनी है परन्तु मै आज इसलिए खडा हुआ हू कि कुछ शब्द कह कर अपना कर्तव्य निभा दू ।

क्रान्ति का क्रम पुराना

आज सरकार इतने क्रान्तिकारी प्रस्ताव को लेकर खड़ी हुई है। जब प्रवर समिति में इस विधान को भेजने का प्रस्ताव पहले आया था उस समय भी मैने अपना मत सामने रखा था। मुझको आशा थी कि हमारे मंत्री महोदय श्री पाटस्कर जी, जिन्होने अपने पूर्व भाषण मे भारतीय सस्कृति का आधार लिया था, वे उस सस्कृति को बिसारेगे नहीं। मै उनसे इस बात मे सहमत था कि भारत मे परिवर्तन होते चले आये है। भारत ने अपने को किसी तालाब मे बाध दिया हो ऐसा कभी नही रहा है। पिछले अवसर पर भी मैंने यही बताने का यत्न किया था कि हमारा देश परिवर्तनशील रहा है। क्रान्ति से वह घबराया नही है। क्रान्ति हमारे यहां का ही शब्द है। इसके लिए हमारे यहा स्मृतियो मे स्पष्ट वाक्य हैं। हमने अपने को शास्त्रो के शब्दो से भी बांधा नहीं है, यह भी मैंने आपसे उस समय कहा था।

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णय ।

केवल शास्त्र का सहारा लेकर कर्त्तव्य का निर्णय नही होता। यह बृहस्पति स्मृति का वाक्य है। यहां तक हमारी स्मृतिया गयी है। भारतीय समाज ने कभी अपने को कूप मंडूक नही बनाया। परन्तु उसकी कुछ मौलिक धारणाये रही हैं।

पश्चिम का अनुकरण हानिकर

आज मै देखता हू कि हमारे पाटस्कर जी भी पश्चिमी क्रम को इतना ऊचा समझते है कि वे भारतीय क्रम को छोड कर उधर जाने की चिन्ता कर रहे है। हमारे एक भाई ने यह भी कहा कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़े हुए देश में रहना उचित नही, इसलिये उसे आगे बढाना चाहिए और आगे बढाने का अर्थ है पश्चिमी क्रम पर चलना। मै उनसे बहुत अधिक नही कहना चाहता। पर मै समझता हू कि पश्चिमी क्रम पर चलना तो बहुत

उन्नति का लक्षण नही है। यह मै बहुत स्पष्ट कहना चाहता हू। हर बात मे पश्चिमीयता, विशेषकर जहा चारित्रिक और सामाजिक क्रम का सम्बन्ध है वहां उनके पीछे चलना, हमारे लिए हानिकर ही होगा। जो हमारा भारतीय क्रम है उसको हमे सदा अपनी आख के सामने रखना चाहिए, उसे कभी आख से ओझल नही होने देना चाहिए। मै पाटस्कर जी से यह पूछता हू कि हमारे देश मे लड़कियो का सम्मान और आदर किसी देश से क्या उन्होने कम देखा है? हमारे यहा अपनी बच्चियो से क्या किसी दूसरे देश की अपेक्षा प्रेम कम है? हमारे यहां के पिता अपनी लडकियो के लिए, हमारे यहा के भाई अपनी बहनो के लिए, हमारे यहा के चाचा अपनी भतीजियो के लिए जितना करते रहे है और आज भी कर रहे है क्या ससार मे कोई और देश है जहां उससे अधिक किया जाता हो? लडकियो के आदर का प्रश्न इस प्रकार का है जिसके सम्बन्ध मे ऐसी आवाज लगाना, जैसी हमारी एक बहिन ने पीछे से आवाज लगायी थी कि यहां उनका आदर नही है, नितान्त अशुद्ध है। कही अपवाद हो सकता है, भूले भी होती है। उन्होने उदाहरण दे दिया कि घरो मे लड़कियों को दूध भी नही मिलता और लडकों को मिलता है। भला यह क्या बात है? हमारे यहां माताये अपने लडको और लडकियो के लिए क्या करने को तैयार नही होती?

लड़कियों और लड़कों मे अन्तर

लेकिन यह छिपाने की बात नही है कि लडकियो और लडको मे एक अन्तर है। प्रेम खीचने वाले वे दोनो है, पर वे सब दृष्टि से बराबर है यह कौन कह सकता है। यह क्या सही है? क्या यह प्रकृति का क्रम है कि दोनो बराबर है? मै पूछता हूं कि आप बारबार यह जो **इक्वैलिटी** शब्द इस्तेमाल करते है, उससे आपका तात्पर्य क्या है? बे समझे हुए **इक्वैलिटी** शब्द यहा पर प्रयुक्त किया जाता है। किस बात मे **इक्वैलिटी**? बिलकुल दोनों का ढग दूसरा है, और रहन सहन दोनो का अलग अलग है, प्रकृति ने दोनो को जुदा जुदा कामो के लिए बनाया है और यह स्पष्ट है कि एक ही काम दोनो नही कर सकते, दोनों के मुख्य कर्त्तव्य अलग है। हमारे भारतीय समाज ने उस कर्त्तव्य को समझने का यत्न किया है और उसके अनुसार दोनो को अलग अलग स्थान दिया है। मै पूछता हू कि गृहस्थी का भार क्या कही किसी ने लडकी के ऊपर डाला है। कोई व्यक्ति यह आशा नही करता कि बुढापे मे मुझको मेरी लडकी खिलायेगी या गृहस्थी का भार बुरे दिनों मे सम्हालेगी। यह तो कोई आशा नहीं करता और इस कारण से जायदाद के बटवारे के क्रम मे अन्तर रहा है। यदि उसमें हमको कुछ दोष लगे तो हम सम्हालने का यत्न करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नही है परन्तु आज जो आप लडके और लडकी को बराबर करने

का क्रम कर रहे है, उससे तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि हमारे समाज का जो क्रम है, उसकी ओर से आपने अपनी आखो मे पट्टी बांध ली है। हमारे समाज का क्रम बिलकुल दूसरा है। आप प्राचीन काल के उस सिद्धान्त को न मानें जो पुराने लोग मानते थे कि हमको पुत्र नरक से बचायेगा, उसको छोड दीजिये, जिस कारण से पुत्र का समाज मे एक विशेष स्थान था, आप उस सिद्धान्त को न मानें और उसको छोड दीजिये परन्तु यह तो आपके सामने है ही कि गृहस्थी का भार पुत्र उठाता है लडकी नही उठाती। आपको पिड-दान मे या तर्पणो मे विश्वास हो या न हो परन्तु यह क्रियाये लडका करता है, लडकियो से यह काम नही लिया जाता. . .

संसद् कार्यमंत्री : श्री सत्यनारायण सिंह : लोग आजकल तर्पण ही नही करते।

तर्पण आज भी जारी

श्री टंडन : सभव है कि कैनाट प्लेस से तर्पण उठ गया हो और शायद पार्लियामेटरी जगहों से भी तर्पण उठ गया हो परन्तु हमारे देश से अभी तक तर्पण उठ नही गया है और आज भी वह जारी है। हमारे समाज मे तर्पण का अधिकार पुरुषो को दिया गया है लेकिन इसका यह अर्थ नही है कि पिता लडकी से प्रेम नही करता है, वह लडकी से भी लडके के समान ही प्रेम करता है लेकिन यह जानता है कि लडकी दूसरे घर मे जाने वाली है, उसका जो अधिकार है वह दूसरे ढग का है और उसको दूसरे घर मे अधिकार प्राप्त है। इसमे कोई लडकी या लडके मे अन्तर का प्रश्न नही है। एक नर है और एक मादा है, इसका प्रश्न नहीं है।

पिता की सम्पत्ति में लड़कियों को अधिकार देना अनुचित

मैंने उस समय भी कहा था और आज भी दुहराता हू कि आप लडकियों को जो पिता की सम्पत्ति मे अधिकार देते है, यह अनुचित है, ऐसा नही होना चाहिए। जहा तक पिता की सम्पत्ति मे लड़कियो के अधिकार का सम्बन्ध है, इसमे कोई सन्देह नही है कि जब तक वह घर में रहती है और विवाहित नही हो जाती, उसको अधिकार प्राप्त होना चाहिए और किसी ने यह सुझाया भी था कि अविवाहिता लडकियों को पिता की सम्पत्ति मे अधिकार मिलना चाहिए, आप उसको उस अवस्था मे अधिकार दे सकते है लेकिन अगर न भी दे तो भी कुछ बिगड़ता नही है। अधिकार न भी हो तो भी हम जानते है कि माता, पिता, भाई सम्पत्ति को बेचकर भी पुत्री और बहिन का ब्याह करते है। अभी अभी जब मै घर से इधर आ रहा था तब मैंने एक मित्र के सम्बन्ध मे जो लोकसभा के सदस्य है अपने घर मे सुना कि उनकी लड़की का ब्याह होने वाला है और तीन हजार रुपये उन्होने

कहीं से बटोर करके हाल मे तिलक मे दिये है। मै उनकी स्थिति जानता हू। उनके घर मे तीन हजार रुपये नही रहे होगे। वे भाई कनौजिया ब्राह्मण है और बेचारे प्रथा के चक्कर मे दाबे गये है। यह एक साधारण बात है कि हमारे यहा लोग लड़की के ब्याह के लिए बहुत मुसीबते उठाते है। अब आप इस विधेयक के द्वारा पिता के चले जाने के बाद उसके परिवार मे झगड़ा मचाना चाहते हैं। लडकी तो स्वयं झगडा नही करेगी लेकिन जिस घर मे लड़की जायगी वहां वालो का और उसके पति का उस पर दबाव पडेगा कि वह अपने भाइयों से झगडेबाजी करे। मेरी तो समझ मे नही आता कि आप इस तरह का क़ानून बना कर करने क्या जा रहे है। मै बुद्धिवादी हूं, मै रूढिवादी नही हू। मै बुद्धि के काटे पर शास्त्रों को तोलता हू, वेदो को भी तोलता हू परन्तु आपको भी तो तोलता हूं। जब मै वेदों को तोलने को तैयार हूं तो आपको और आपके मन्त्रिमडल को और जो ऊपर के नेतागण है उनको भी तो अपनी बुद्धि पर तोलता हू।

पाश्चात्य ढंग के विचार

आपके नेतागण और वे सब लोग जिनके भरोसे पर आप यह विधेयक लाये है बिलकुल पाश्चात्य ढग से सोच रहे है। आज आवश्यकता यह है कि आप भारतीय सस्कृति की रक्षा करे और इस समस्या पर भारतीय ढग से सोचे और कुम्टुबो का नाश न होने दे। मै तो युक्ति की बात कहता हूं। क्या आपकी बात युक्तिसगत है ? मै युक्ति के विरुद्ध नही जाता।

युक्ति युक्त वचो ग्राह्यम।
युक्ति हीनं वच: त्याज्यम्॥

मै तो इसका मानने वाला हूं। मै इस सम्बन्ध मे आपको एक पुराना श्लोक सुनाता हू जो इस प्रकार है :

युक्ति युक्त वचो ग्राह्यम् बालादपि शुकादपि।
युक्ति हीनं वचस्त्याज्यम् वृद्धादपि शुकादपि॥

यदि कोई वृद्ध भी और यदि कोई मिनिस्टर भी बैठ करके कोई युक्तिहीन बात कहता है तो वह बात त्याज्य है। हमारे देश की यह परम्परा रही है कि कोई वृद्ध या स्वय सुखदेव जी भी अगर आपसे कोई युक्तिहीन बात कहें तो वह त्याज्य है लेकिन अगर युक्तिसगत वाणी कोई बच्चा या तोता भी कहे—'शुक' शब्द में श्लेष है—बच्चा या तोता भी अगर युक्तिसगत बात कहे तो ग्राह्य होनी चाहिए। हमारे देश की यह परम्परा रही है।

श्री पाटस्कर : शास्त्र हम भी जानते है और मानते है।

श्री टंडन : मै शास्त्र की बात नही कह रहा हू, मै तो इस समय बुद्धि की बात कह रहा हूं और युक्तिसगत और युक्तिहीन बात के बारे मे बतला रहा हूँ। मै आपको यह बतला रहा हूं कि लड़की को आप धन देकर गृहस्थी का

विघटन करा दे, यह युक्ति नही है। हर कोई जानता है कि लडकी शादी के बाद दूसरे घर की हो जाती है और कहा से कहा पहुचती है। वह लड़की अपने मायके के स्थान मे आकर वहां की भूमि अथवा सम्पत्ति मे हिस्सा बंटाये, इसमे क्या बुद्धि की बात है ?

माता का उत्तराधिकारिणी होना उचित

प्रवर समिति नें माता को प्रथम उत्तराधिकारियो मे स्थान देने का निश्चय किया था, मै उसका स्वागत करता हू लेकिन न मालूम क्यो राज्य सभा ने उसे हटा दिया ! मै स्वय इसका स्वागत करता हू कि माता भी हो, पिता भी हो.

श्री गिडवानी (थाना) : राज्य सभा वाले ज्यादा अकलमद है।

मै इसके पक्ष मे हू कि आप इसमे विधवा स्त्री को रक्खे, माता को रक्खे और पिता को रक्खे। अगर इसमे आप लडकी को रखते है तो इसी तरह से रखना चाहिये कि जो कुमारी है उसका अधिकार है लेकिन विवाह के समय वह अपने साथ उस अधिकार को ले कर नही जा सकेगी। जो मुख्य बात मेरे मन मे है वह यह है कि हमारे समाज का, हमारी गृहस्थी का इस तरह से विघटन न किया जाय। हमारे भाई श्री ठाकुरदास जी ने जो कहा उससे मै सहमत हू। इस तरह से आप समाज मे बुराई पैदा कर देगे।

पुराने आदर्शों का मजाक

यहा पर रामायण की कुछ चर्चा आ गई। रामायण की चर्चा तो आदर्शो की बात है। वह आदर्श आपके इस बिल मे देखने को नही मिलते। इसका आदर्श सीता जी थी। वह अब नही है परन्तु वह आदर्श उड नही गया। आज भी वह हमारे देश के गावो मे मौजूद है। आप हमारे पुराने आदर्शों की हंसी न उड़ाये। पश्चिमी क्रम मे जो अच्छी बाते है मै उनको लेने के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु जो हमारे यहा समाज को ऊचा उठाने वाले आदर्श है, मनुष्य मात्र को ऊचा उठाने वाले आदर्श है, वह पूजनीय हैं और सदा हमारी आखों के सामने रखने के योग्य है। हमारे यहां स्त्री का स्थान बहुत ऊचा रहा है। जैसा ऊचा स्थान माता का, और बडी भावज का होता है उसकी चर्चा रामायण मे आती है। यह भी आता है कि पति और पत्नी का क्या कर्त्तव्य है। जब सीता जी ने रामचन्द्र जी से वन चलने के लिये इच्छा प्रकट की तब रामचन्द्र जी नें कहा कि वे उनके साथ बन में न जायँ। परन्तु सीता जी की आकाक्षा थी कि मै चलू।

"मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिन छिन चरन सरोज निहारी।"

यह आदर्श था कि क्षण क्षण आपके चरणों को देखने का मुझे अवसर मिलेगा,

उनको देख कर मुझे थकावट आने वाली ही नही है। हो सकता है कि आज की आधुनिक स्त्रिया इसमे विश्वास न करती हो, परन्तु हमे यह भूलना नही चाहिये कि यह आज भी हमारे देश की करोडो स्त्रियों की परम्परा है। इसी कारण मै अपनी भाभी उमा जी से सहमत हू कि हमारे देश की स्त्रियो ने हमारे देश की रक्षा की है। रक्षा की है धर्म के प्रति अपने दृढ नियम से। जहा तक मुझे पता है, और यह बात अग्रेजो की कही हुई बताता हू, भारत की अपेक्षा पातिव्रत धर्म को निभाने वाली स्त्रिया ससार मे और कही भी देखने मे नही आती।

बूढ़ी स्त्रियों से सलाह लें

मै पाटस्कर जी से एक कुजी की बात कहता हू। वह मर्दो से सलाह न ले, घरो मे जो बडी बूढी स्त्रिया है उनसे पूछे कि क्या वह लड़कियो को अपना धन देगी। मै कहता हू कि स्त्रिया, शिक्षित स्त्रिया भी, इस बात की विरोधिनी है कि लडकियो को उनके घर की जायदाद मे हिस्सा दिया जाय क्योकि उनके सामने प्रश्न यह है कि हमारा घर कैसे चलेगा। जो कुछ उन्हें मरने से पहले देना होता है, लडको को देती है, बहुओ को देती है, पुत्रियो को देती है परन्तु आपने यह कभी नही देखा होगा कि जो घर की सम्पत्ति है, उसके बारे मे उनकी इच्छा हो कि पुरुषो के मरने पर जब जायदाद का बट-वारा हो तब वह लडकियो को दी जाय। इसलिये आप यह देखेंगे कि जैसा हमारी भाभी जी ने कहा ...

Shri B. S. Murthy: I do not think she is a free agent.
(**श्री बी० एस० मूर्ती :** मै नही समझता कि वह स्वतत्र कर्त्री है।)

Shri Tandon: You may not think so At the time of death, she is not in the custody of any particular individual, her husband or her son.

(**श्री टंडन :** आप ऐसा न समझे। मृत्यु के समय वह किसी विशेष व्यक्ति, अपने पति या पुत्र के अधिकार मे नही होती।)

आप यह कह सकते है कि उसका कुल दृष्टिकोण एक प्रकार का है, परन्तु जो दृष्टिकोण अर्थात् **आउटलुक** है, वह समाज का बनाया हुआ है। जिस समाज से उसका मन उसका विचार बना हुआ है, वह समाज हमारे सामने है। मै आज आप से कहता हू कि आप राय ले लीजिये स्त्रियों से, हमारी कनाट सर्कस की तितलियो से नही, हमारे घर की स्त्रियो से। हमारी भाभी, उमाजी को अनुभव है, उन्होने समाज को देखा है और उन्होने दबे शब्दो मे आपसे अपनी राय भी बता दी कि आज हमारे कुटुम्बो के लिये जो क्रम आप बनाने जा रहे है वह हमारे अनुकूल नही

है। यह दृष्टिकोण पुरुष और स्त्री मे भेद करने के लिये नही है, बल्कि यह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक बात है कि गृहस्थी बनती है लड़को के द्वारा, लडकियो के द्वारा नहीं। पत्नियों के द्वारा बनती है, उनको अधिकार दिया जाय। माता को अधिकार दिया जाय। परन्तु लड़की जहा जायगी वहा वह पत्नी होगी, बडी बूढी होगी, उसको वहा पर अधिकार मिलेगा।

मै और अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता। मै अन्त मे यही कहना चाहता हू कि जो यह बिल विधि मत्रालय ने बनाया है, उसको बदलिये। इसमे देश का हित नही है। इसमे तो उसकी बहुत हानि ही होगी और कांग्रेस बदनाम होगी। इस तरह से काग्रेस चौपट होगी और इस चट्टान पर टूट जायगी।

४२

उत्तराधिकार मे माता, पत्नी, पुत्री

४ मई १९५६ को हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक की धाराओं पर विचार के बीच बोलते हुए

माता और पिता उत्तराधिकारियों की पहली श्रेणी मे रखे जायँ

श्री उपाध्यक्ष जी ! अभी जो दलीले इस सम्बन्ध मे दी गई है, उनको सुनकर, और पहले भी जो कुछ बाते कही गई, उनका ध्यान कर मैंने उचित समझा कि मै अपना मत निवेदन कर दू । आज मै इसलिये भी खडा हो गया हूँ कि सम्भव है कि जिस दिन शेड्यूल (अनुसूची) पर विचार हो, उस दिन मै इस भवन मे न रह सकू । इस कारण से मैं अभी अपना मत प्रकट कर देना चाहता हू ।

हमारे इधर एक भाई ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि माता और पिता की चर्चा शेड्यूल की पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियो मे नही आनी चाहिये । मै उन लोगो से सहमत हू जिनका मत है कि माता और पिता को इसमे रखा जाय । मै इसके पक्ष मे हू । जो प्रवर समिति बनी थी, उसने माता का भाग रखा भी था, परन्तु राज्य सभा मे वह हटा दिया गया । मै तो इसका कोई कारण नँही देखता । आप कर्तव्य की चर्चा करते है क्या पुत्र का कर्तव्य माता-पिता की ओर अपने लडके की अपेक्षा कम है ? अवश्य, लडके के प्रति पिता का कर्तव्य है ही, परन्तु हमारे समाज मे कभी कभी यह होता है—कम होता है, बहुत नही होता है—कि बूढे माता-पिता रह जाते हैं । तो मेरा यह निवेदन है कि माता को भी रखना चाहिये और पिता को भी रखना चाहिये । प्रवर समिति के निर्णय में माता को रखा गया था और पिता को छोड दिया गया था । हमारे यहा प्राचीन वाक्य है—मातृदेवो भव और उसके बाद आता है—पितृदेवो भव । यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वाक्य है । स्मृति मे माता को पहला स्थान दिया गया है । माता को देवता के समान माना गया है । कहा गया है कि देवता के समान माता का पूजन करो । माता का ऊंचा स्थान माना गया है पिता की अपेक्षा । यह स्पष्ट है । माता का रखना ठीक ही था, परन्तु पिता को भी इस श्रेणी मे स्थान मिले, ऐसा मेरा कहना है ।

अविवाहिता कन्याओं को हिस्सा मिले

मै इस प्रस्ताव से भी सहमत हू, जो अभी मेरे भाई ने रखा, कि इसमे जहा लडकी की चर्चा है, वहा "अविवाहिता" शब्द जोड़ दिया जाय—**'अन-**

मैरिड' शब्द जोड दिया जाय। मै इसको बिल्कुल उचित समझता हू। यह मै पहले भी निवेदन कर चुका हू। इधर से हमारे एक भाई ने कहा कि यदि विवाहिता लडकी को आप अपने कुटुम्ब मे से देते है, तो यह भी तो सम्भव है कि जो बहू आपके घर मे आये वह दूसरे कुटुम्ब से ले आये। यह दलील दी गयी कि आर्थिक दृष्टि से कुटुम्ब मे बराबरी हो जायगी। यह क्या दलील है? मेरे सामने पैसा आने जाने का प्रश्न नही है। लडकी को आदमी प्रेम से पैसा देगा। यहा पैसे का प्रश्न नही है, प्रश्न है कुटुम्ब के विच्छेदन का। यह कौन सी दलील है कि अगर हमारे कुटुम्ब का पैसा जायगा तो दूसरे कुटुम्ब का पैसा हमारे यहा आ जायगा। बात यह है कि जहा से यह पैसा आयेगा वहा विघटन होगा और हमारे कुटुम्ब से जाने मे भी विघटन होगा। लडकी तो प्रेम की वस्तु है, विवाहिता हो या अविवाहिता। मै तो एक क्रम की बात कर रहा हू। विवाहिता पुत्री जब दूसरे के घर मे जाती है, तब यह एक स्पष्ट सत्य है, वह अपने पति के साथ अकेले रहे, ऐसी बात नही होती। कुछ आधुनिक क्रम की लडकिया ऐसी है जिनके विषय मे यह पुराना क्रम लागू नही होता; नही तो साधारणतया इस देश मे जो लडकी विवाहित होकर जाती है वह पति के कुटुम्ब का अग होती है और वहा बहुत वर्षो तक, जब तक उसकी उम्र बहुत नही हो जाती, उसे बहुत दबाव मे रहना पडता है, पति के दबाव में, सास ससुर के दबाव में। अगर ऐसी लडकी को पिता की सम्पत्ति मे अधिकार होगा तो उसके कारण पिता के कुटुम्व मे विच्छेद होगा। इससे दूसरे कुटुम्ब को अवसर मिलता है कि वह लड़की के पिता के कुटुम्ब मे आकर हस्तक्षेप करे। यह उस प्रश्न का व्यावहारिक पहलू है। यहा कई दफ़ा यह दलील दुहरायी गयी है कि ऐसा करने से देहातो मे भूमिखडो के बटवारे में कठिनाई पड़ेगी, घरो मे कठिनाई पडेगी, अगर लडकी के पिता और भाई व्यापार कर रहे है तो उसमे कठिनाई पडेगी। उस व्यापार मे लडकी के घरवाले लड़की के नाम पर आकर हस्तक्षेप करेंगे, हिस्सा मागेंगे। यह केवल पैसे के आने जाने का प्रश्न नही है। प्रश्न यह है कि जिस कुटुम्ब से पैसा जायगा वहां विच्छेद होगा। यह कोई उचित बात नही है कि हमारी बहू भी दूसरे घर से पैसा ले आयेगी। प्रश्न यह है कि इस क्रम के कारण कुटुम्बों मे वैमनस्य उत्पन्न होगा। यह क्रम विच्छिन्न करता है। इसलिये यह कहा जाता है कि विवाहिता लडकी को अधिकार न दीजिये। अविवाहिता को अधिकार दिया जाय, इसलिये कि जो कुछ उसको मिलेगा उसके द्वारा उसका विवाह किया जा सकेगा और भरणपोषण होगा। अगर ऐसी जायदाद हो जो रुपये पैसे के रूप में हो या साथ जा सके तो उसको लडकी ले जा सकती है। लेकिन जो जायदाद खिसकाई नहीं जा सकती, उसके बटवारे को मै उचित नही मानता।

थोडा बहुत काम किया है और जो उस सीढी पर अभी चढे ही है। ये दलीले छोटी दलीले है। इसका यह अर्थ नही है कि जो पुराने लोग है या जिन्होने देश के लिये काम किया है जो वह कहे उसको आप मान लीजिये।

कुटुम्ब विच्छेद न करें

मै तो कहता हू कि जो कुछ वह कहते है उस पर आप विचार कीजिए। मैने यह बार बार कहा है कि मै पुराने शास्त्रो के ऊपर अपनी बात नही कह रहा हू। हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने उस दिन कहा कि मै मिताक्षरा मे धर्म का बहुत विशेष गुण देखता हू। वे कुछ भूल गयी। मेरा भाषण तो उनके सामने है। जहा तक मुझे याद है मैने मिताक्षरा की चर्चा भी नही की थी। मिताक्षरा, दायभाग या दक्षिणी क्रम इनसे मेरा प्रयोजन नही। मेरे सामने प्रश्न दायभाग और मिताक्षरा का नही था। मेरा तो कहना है कि ऐसा न कीजिये जिससे कुटुम्ब मे विच्छेद हो, झगडा हो। मै तो समाज में झगड़े को बचाना चाहता हू। मेरे विचार मे लडकियो को इस प्रकार पिता की सम्पत्ति मे अधिकार देना स्त्रियो का आदर करने का रास्ता नही है। मै इसका पक्षपाती हूं कि आप अकेली विधवा पत्नी को सम्पत्ति पर अधिकार दीजिए, चाहे लडको को हटा दीजिए। हम इसको स्वीकार करेंगे कि विधवा को आप आधा दीजिए और आधे मे आप सतान को रखिये। माता पिता को कम दीजिये, यह मुझे स्वीकार है। मै माता पिता दोनों को रखने के पक्ष मे हू, अगर आप अकेले माता को ही रक्खे तब भी मै उसे अच्छा समझूगा। इसमे कोई स्त्री और पुरुष की होड नही है, प्रश्न यह है कि समाज का क्रम कैसे बधे। प्रस्तावित क्रम के द्वारा आप एक नई बात यह करने जा रहे है कि एक दूसरे कुटुम्ब को एक चलते हुए कुटम्ब मे हस्तक्षेप करने का अवसर दे रहे है। मै पूछना चाहता हू कि यह कौन सी बुद्धिमानी की बात आप करने जा रहे है। मुझको तो यह दिखाई पडता है कि कुछ थोडे से पुरुषों और स्त्रियों के दिल में एक इतने पुराने जमे हुए समाज की उन्नति के नाम पर उसको नष्ट करने की बात घर कर गई है और ऐसा करते समय उनके दिल में यह भाव रहता है कि इस तरह वह समाज की अधिक दूरदर्शी उन्नति करने वाले है परन्तु मुझे तो इसमे कोई युक्ति अथवा बुद्धि की बात दिखलाई नही देती। मेरा तो यह दावा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि अगर आपको साहस हो तो किसी प्रकार से इसके विषय मे राय ले लीजिये। इसके लिये हमारे पाटस्कर साहब ने, मेरे उस सुझाव के बारे मे जो मैंने किया था कि आप इसके बारे मे बूढी औरतो से सलाह लीजिये, यह दलील दी कि जब सती की प्रथा इस देश से हटाई गई थी तो उस समय अगर स्त्रियो से पूछा जाता तो वे कभी स्वीकार नही करती कि सती की प्रथा को हटा दिया जाय। मै पाटस्कर साहब से

पूछना चाहता हू कि यह आपने कैसे जाना। मै तो समझता हूं कि स्त्रियो से सती प्रथा की बाबत अगर उस समय पूछा जाता तो वे भी यही कहती कि स्त्रियो को पुरुषों के शव के साथ जलना उचित नही है। याद रखिये कि जिस समय सती प्रथा बद की गई थी उस समय और उसके बहुत पहले से ही शव के साथ विधवा स्त्री नहीं जलाई जाती थी। कभी बिरली कोई एक सती हो जाती थी लेकिन ऐसा तो नही था कि सती रास्ते मे मारी मारी फिरती थी। इतिहास आपके सामने है कि जिस समय वह सती का कानून बना उसके १००-२०० वर्ष पहले से साधारणतया स्त्रिया सती प्रथा को पसन्द नही करती थी। मै पाटस्कर जी से पूछना चाहता हू कि क्या उनको पता है कि कितनी स्त्रिया कितनी विधवाये अपने पति के शव के साथ जल गई? उस समय भी सती प्रथा का साधारण रीति से प्रचलन नही था। हा! किसी का सती हो जाना असम्भव नही था और कभी कभी कोई विशेष भावना युक्त देवी सती हो जाती थी। अब भी नगरो मे और बड़े बडे शहरो मे सती के चौरे प्रसिद्ध है। अब भी कई वर्षो मे सती का कोई दृश्य सामने आ जाता है। उसको कानून से बद कर दिया तो आपने कहा कि हमने एक बडी भारी कुप्रथा जो समाज के अन्दर विद्यमान थी, उसको मिटा दिया लेकिन जैसा मैने अभी बतलाया वह बुराई बहुत कुछ पहले ही बन्द हो चुकी थी। साधारण रीति से लोग अपने यहा की स्त्रियो को जलाने के विरुद्ध थे और इसको पसन्द नही करते थे और न स्त्रिया ही पसन्द करती थी। कभी कोई स्त्री अपवाद हो जाया करती थी जो धर्म और प्रेम के उन्मादवश पति के शव के साथ सती हो जाती थी। मुझे तो श्री पाटस्कर जी के मुख से सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि स्त्रियो के ऊपर इस सवाल को छोड़ दिया जाता तो वे सती प्रथा के बद किये जाने का विरोध करती। मेरा कहना यह है कि आपका ऐसी कल्पना करना बिल्कुल अशुद्ध है। मै ऐसा मानता हू कि हमारे यहां की स्त्रियो को बुद्धि है और वे साधारण रीति से ठीक काम करती है।

मूढ़ग्राह हटाइए, स्वतंत्र विचार कीजिए

आप अगर स्त्रियो के सामने पर्दे का सवाल रखिये तो वे कहेगी कि स्त्रियों के लिये पर्दा हटना चाहिये। आज कुछ स्त्रियो मे पर्दे की प्रथा विद्यमान है लेकिन मै समझता हू कि बडी सख्या आपको ऐसी स्त्रियों की मिलेगी जो यह कहेगी कि पर्दा नही रखना चाहिए। आप ऐसा क्यो मान लेते है कि स्त्रिया बुद्धि के विरुद्ध बात कहेगी। जहा तक मूढग्राह अथवा अन्ध प्रचलन की बात है तो वह अकेले हमारे देश मे ही नही बल्कि ससार के अन्य देशो मे और पश्चिमी देशो मे भी मिलता है। लोग नाना प्रकार के मूढग्राहो से बधे हुए है, बहुत से ऐसे बुद्धि रहित क्रम है जिनके अदर वे जकडे हुए है। मूढ-

ग्राह को अंग्रेजी मे **सुपरस्टिशन** कहते है। वह पश्चिमी देशो मे भी है। कुछ ऐसे चलन और क्रम होते है जो आज की परिस्थितियो मे व्यर्थ है लेकिन वे चले आते है। हमारे पाटस्कर जी को शायद मालूम होगा कि ब्रिटिश **हाउस आफ कामन्स** मे आज भी यह प्रथा है कि जब नयी लोक सभा इकट्ठी होती है तब **स्पीकर** पहले पहल नियुक्त होकर भवन के नीचे के भाग मे जाता है उसके साथ लालटेन जाती है जो आज बिलकुल आवश्यक नही है। यह उस समय की चाल है और उस समय का रास्ता है जब गाई फाक्स ने **गन पाउडर प्लाट** से **हाउस आफ कामन्स** को उडा देने का प्रयत्न किया था और वह पकडा गया था। उसके बाद यह होने लगा कि **हाउस आफ कामन्स** की बैठक होने पर **स्पीकर** स्वय नीचे जाकर देखता था और चूकि उस समय (सेलर्स) नीचे के भाग मे अंधेरा रहता था इसलिये साथ मे उसके लालटेन चलती थी जो अब आवश्यक नही है, परन्तु उस पुराने क्रम को वह आज तक निबाहते चले जा रहे है। इसी तरह हम देखते है कि आज के दिन भी **स्पीकर** के सामने वह **मेस** (गदा) रक्खा जाता है, जो पुराने समय का अवशेष चला आ रहा है। ससार मे अन्यत्र भी हम देखते है कुछ पुराने रास्तो पर लोग जकडे रहते है और उन पर चलते रहते है। वही बात हिन्दुओ मे भी पाई जाती है परन्तु यदि कही उनके सामने एक बौद्धिक प्रश्न आयेगा तो आप ऐसा क्यों समझते है कि सारी स्त्रिया और पुरुष गलत रास्ते पर चलने के लिये अपनी राय देगे ? इस तरह की दलील देकर आप यह स्वीकार करते हैं कि आप जो काम कर रहे है वह जन मत के विरुद्ध है परन्तु चूकि आप उस रास्ते को ठीक समझते है इसलिये आप उनको सुधारने की बात कर रहे है। प्रजातत्र में यह रास्ता सुधारने का होता भी नही है, आप उनसे सलाह लीजिये और अगर आपका यह विश्वास है कि स्त्री और पुरुष सब आपकी यह बात मानेगे कि लड़की को अधिकार दिया जाय तो उनकी राय लेने के बाद आप ईमानदारी से इसको ला सकते है लेकिन आपको तो इसमे सदेह है कि स्त्री और पुरुष अगर आप उनके सामने इस बात को लेकर जायेगे तो वह इसको नही मानेगे। ऐसी अवस्था मे इस तरह का कानून बना कर प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के प्रतिकूल आप अन्याय कर रहे है।

मुझे विशेष नही कहना है। इस विषय मे मेरी वाणी में जितना बल है उसके द्वारा मै आपसे यह कहना चाहता हू कि लडकी को हिस्सा न देकर स्त्री को हिस्सा दीजिये, माता को हिस्सा दीजिये। लडकी को उस सम्पत्ति में हिस्सा दिलवा कर आप विघटन कर रहे है और ऐसा करके आप देश मे एक अशुद्ध मार्ग स्थापित कर रहे है। यह कोई उन्नति का मार्ग नही है। आपका जो रास्ता है वह आगे बढ़ने का नही है, यह समाज के विघटन करने का रास्ता है। मै आपसे यह कहना चाहता हू कि इस विषय पर पूर्ण स्वत-

न्त्रता से विचार करने की आवश्यकता है। मै अपनी बहनो और भाइयों से यह कहना चाहता हू कि वह इस विषय मे किसी के पिछलग्गू होकर न दौडे।

स्वतन्त्र विचार कीजिये। स्त्री के मान अपमान का प्रश्न सामने अवश्य रखिये। जहा तक स्त्री के मान अपमान का प्रश्न है, उसके मान को हमे ऊचा उठाना है, परन्तु समाज को भी ठीक रखना है। समाज को स्थायी रूप देना है। इस प्रकार से इस प्रश्न को देखिये। इसमे केवल हिस्सा देने का ही सवाल नही आता है अन्य प्रश्न आते है। मुख्य प्रश्न आता है एक कुटुम्ब के दूसरे कुटुम्ब मे हस्तक्षेप करने का इस दृष्टि से जो अभी कहा गया कि 'पुत्री' शब्द के पहले इसमे 'अविवाहिता' (unmarried) शब्द रख दिया जाय, उसका मै समर्थन करता हू।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक का विरोध

८ मई १९५६ को भारतीय लोक सभा में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के पारण के प्रस्ताव पर बोलते हुए

अशुद्ध बात स्वीकार्य नहीं हो सकती

अध्यक्ष महोदय ! इस विधेयक के सम्बन्ध में पहले भी मैंने अपने कुछ विचार निवेदन किये हैं। अब इसके ऊपर अन्तिम बात कहनी है। जिस रूप मे यह अब स्वीकार हुआ है मुझे वह ठीक नही लगता। मै न श्री पाटस्करजी को बधाई दे सकता हूँ और न उनका साथ दे सकता हूँ। जिस रूप मे यह बिल है उसका विरोध करता हूँ। मुझको यह काम बहुत अशुद्ध लगता है। अशुद्ध बात कहीं से आये, किसी अपने सहयोगी की ओर से आये, अपने दल की ओर से आये, तो भी वह स्वीकार्य नही हो सकती। मैंने पहले भी अपने भाइयो से कहा था कि कुछ स्वतत्र रूप से इस विधेयक पर विचार करने की आवश्यकता है।

उन्नति की सीढ़ी कैसे ?

कुछ बहनो, विशेषकर हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जी, ने इसके सम्बन्ध मे कहा है कि यह आगे बढने की, उन्नति की, एक सीढी है। मैं नही जानता कि कैसे यह उन्नति की सीढी उनको दिखलाई पड़ी। हमारी देवियां चर्चा करती है औरतो और पुरुषो की बराबरी की। उनको यह अच्छा लगा कि इसमे कोई बराबरी की निशानी आई। क्या बराबरी की निशानी आई ? उन्होंने नही देखा कि हमारे समाज मे बराबरी की निशानी पहले से क्या है, स्त्रियो का क्या क्या अधिकार है। जिस बराबरी के अधिकार की उन्होने पश्चिम से कुछ चर्चा सीखी उसमे जनमत मे वोट देने का अधिकार है। उस अधिकार के लिये पश्चिम मे स्त्रियो को कितना लड़ना पड़ा है ? और आज भी मुझको सन्देह है कि किसी किसी देश मे यह अधिकार नही है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : स्विटजरलैंड में भी नही है।

श्री टंडन : क्या किसी ने भी उसका विरोध यहाँ पर किया ? जब हमारे देश में उसकी पहले पहल चर्चा हुई, किसी के कान पर जूँ नही रेंगी, सब पुरुषो ने उसको एक स्वर से स्वीकार किया। पुरुष और स्त्री के अन्तर की जितनी चेतना आज कुछ विशेष स्त्रियों मे है, हर समय एक एक बात में यह कहना

कि पुरुष और स्त्री बराबर बराबर है, यह चेतना हमारे यहां नही रही है परन्तु हमारे यहा स्त्रियों का सम्मान बहुत ऊँचे स्तर पर आधारित रहा है।

श्रीमती बहिन जी ने कहा कि मै भी अपने देश की जो प्राचीन मर्यादा है, जो प्राचीन क्रम है, उसको मानने वाली हूँ। परन्तु इस बात को स्वीकार करते हुए भी उन्होने यह बडी आवश्यक बात मानी कि लडकी को मृत पिता की जायदाद में अधिकार हो। इसको उन्होने एक आगे की सीढ़ी बतलाई। क्या वह सब अधिकार इससे ऊची सीढी नही है जो हमने स्त्रियो के लिये अपने तंत्र मे माना है ? क्या कभी आपने देखा कि हमारे यहा उनको तत्र मे क्या अधिकार है ? वे कितने ऊचे से ऊचे पद लेती है, कितने प्रेम के साथ हम उनको बराबरी मे रखते है। लडकियो का जो प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में लडकी को पिता की जायदाद में क्या मिलता है, इसको कुजी या कसौटी बता देना इस बात की कि स्त्रियो का क्या आदर है, क्या अनादर है, यह मुझको उचित नही लगता।

विधवा पत्नी की उपेक्षा

यह एक छोटी सी बात थी। उसका जो विरोध हुआ उसमे कोई आदर और अनादर का प्रश्न नही, फिर आपने उसमे जीता क्या ? विधवा पत्नी भी तो स्त्री थी। उसकी जायदाद मे से छीन कर एक हिस्सा लडकी को दिया। विधवा पत्नी को सब से अधिक रक्षा की आवश्यकता होती है। पति के मरने के पश्चात् पहली आवश्यकता होती है विधवा पत्नी की। आज हिन्दुओ में सब बिरादरियो मे यह क्रम है कि जो नारी विधवा हो जाती है उसके चरणों पर कुछ भेट रक्खी जाती है, इसीलिये कि सब को उसकी रक्षा का ध्यान रहता है। हिन्दू मात्र के यहा यह प्रथा है। उद्देश्य इसका यही होता है कि विधवा के पास कुछ धन इकट्ठा हो जाय। पति की जायदाद मे जितना उसका अश था वह रखने के योग्य था, बल्कि और बढाने के योग्य था। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप उसको अधिकार दीजिये, रक्षा की आवश्यकता लड़की को नही है, स्त्रियो मे से अधिक आवश्यकता विधवा को होती है। मै पूछता हूं कि आपने उस विधवा की क्या रक्षा की ? विधवा को जितना भाग अपने पति की सम्पत्ति मे मिलना था उसको भी आपने घटा दिया। वह बहुत घट गया, फिर उसमे से कुछ आपने लडकी को दे दिया।

कुटुम्बों का विच्छेद

मै इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो विरोध है वह इस बारे मे है कि इस प्रकार से कुटुम्ब का विच्छेदन होगा। एक कुटुम्ब का अधिकार दूसरे कुटुम्ब मे आकर ठहरता है। लड़किया प्यार की वस्तु है। परन्तु साथ ही साथ यह भी है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो कभी कभी दो दो तीन

तीन और चार चार वर्ष तक भेट नही होती है, अपने माइके नही आ सकती है, यह एक साधारण सी बात है। शादी हो जाने के बाद वे उस कुटुम्ब का अग नही रह जाती है।

मैंने पहले भी कहा था कि इस विधि का परिणाम यह होगा कि गाव गाव मे तथा छोटी से छोटी जमीन के लिए झगडे बढेगे और जिन कुटुम्बो मे व्यापार चलता है उन कुटुम्बो मे भी कठिनाइया उत्पन्न हो जायँगी। इन सब बातों को देखकर मेरे ऊपर यह असर होता है कि स्त्रियो का जो मान है इससे न तो उसमें वृद्धि होती है और न जो उनके अधिकार है उनमे कोई वृद्धि होती है और न ही उनकी आत्मनिर्भरता की चेतना मे कोई अन्तर पडता है। जो आपने माता को ऊचा दर्जा दे दिया है, इसका मै स्वागत करता हूँ और यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। परन्तु विधवा स्त्री के अधिकारो मे कमी कर लडकियो को अधिकार दिया गया इसमे स्त्रियो को कोई जीत प्राप्त हुई है, यह मै नही मानता हू। लडकी को देना लेना आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। परन्तु दूसरे कुटुम्ब का हस्तक्षेप जहा पर कि लड़की की शादी हुई है यह मुझे अच्छा नही लगता है। इस वास्ते मै इस बिल का स्वागत नही करता हू। जैसा मैने पहले कहा, मुझ पर इसका कोई अच्छा असर नही हुआ है। मै नही समझता कि श्री पाटसकर जी ने हमारे समाज के लिए कोई अच्छा काम किया है और इस वास्ते मै मत्री महोदय को तनिक भी बधाई नही देता हूँ। इसके विपरीत मेरी यह निश्चित धारणा है कि उन्होने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारे समाज को हानि होने वाली है, समाज की अवनति होने वाली है। इस कारण मै इस बिल का निश्चित रीति पर तथा बलपूर्वक विरोध करता हूँ।

४४

गुजरात-महाराष्ट्र का एक राज्य

२ अगस्त १९५६ को महाराष्ट्र से बम्बई को पृथक् कर महाराष्ट्र प्रदेश बनाने के सम्बन्ध में श्री गाडगील की अपील पर बोलते हुए

श्री गाडगील से निवेदन

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय ! मुझे थोड़े से शब्दो मे अपने पुराने प्रकट किये हुए विचार फिर उपस्थित करने है।

अभी गाडगील जी ने जो अपील की उसने मेरे हृदय को छुआ। श्री गाडगील जी हमारे देश के एक पुराने मान्य जन सेवक है तथा मेरे वैयक्तिक मित्र है। इसलिए उनकी अपील का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ना ही था। यह बहुत ही स्पष्ट है कि उनके हृदय के ऊपर बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने का गहरा प्रभाव पडा है। साथ ही उनके भाषण से मुझे यह पता लगा है कि उन्होने श्री अशोक मेहता जी के भाषण की भी सराहना की है और उसको भी सामने रखा है। श्री अशोक मेहता जी का यह कहना था कि एक बडा राज्य बनाया जाय जिसमे गुजरात,सौराष्ट्र, कच्छ और आज जो महाराष्ट्र प्रदेश बनने को है वे मिल जायें और उसमे बम्बई भी शामिल कर लिया जाय। यह प्रस्ताव मैंने भी पहले इस सदन के सामने रखा था। मैंने तो उस समय यहा तक कहा था कि अगर सन्देह हो इस बात का कि इसमे गुजराती और महाराष्ट्रीय तत्वो को समानता नही मिलती तो कुछ भाग मालवा का भी इसमे जोड़ दिया जाय। उस समय से अब हम बहुत आगे इस विषय मे आ गये है। जो अधिनियम आज हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए मैं मालवा के अंश मिलाने की बात को सामने नही रख रहा हूँ। परन्तु जो विषम अवस्था देश मे उपस्थित है उसमे मुझको यह अवश्य जान पडता है कि जो बात श्री अशोक मेहता जी ने कही उसमे बल है। मुझको यह बताया गया है कि श्री देशमुख ने भी यह स्वीकार किया है, अपने उस भाषण मे जो उन्होने इस सदन मे दिया है, कि गुजरातीभाषियो और मराठीभाषियो का एक ही राज्य बनाये जाने मे उन्हे कोई आपत्ति नही है और वह इसके पक्षपाती है। जब महा-राष्ट्र के एक उच्च प्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करते है तो मै यह आशा कर सकता हू कि गाडगील जी भी और अधिक विचार करके इसके पक्ष मे हो जायँगे। मै भी ऐसे ही प्रदेश के बनाये जाने के पक्ष मे हूं और उसी का सम-र्थन करने वाला हू। मै चाहता हूं कि गवर्नमेंट, मराठीभाषी तथा गुजराती-

भाषी अपने अपने आग्रह को थोडा कम करे और तीनो ही कुछ और अधिक निकट आयें।

मान अपमान का प्रश्न न बनायें

गाडगील जी ने कहा कि अभी बम्बई को महाराष्ट्र के साथ मिला दो और फिर जब हम साथ रहने लगेंगे तब इस प्रश्न पर विचार हो सकता है। उनका कहना है कि इस समय गहरी चोट मराठीभाषियों को लगी है और उनका मान यह सहन नही कर सकता कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रहने दिया जाय। उन्होने मान और अपमान का प्रश्न सामने रखा है और उनको इसमे अपमान दिखाई पडा है। जो विचारवान पुरुष होते है वे जब अपने मान अपमान को देखते है तो उनको इस पर भी विचार करना होता है कि मान अपमान का प्रश्न दूसरो के हृदय मे भी उठ सकता है। अपने मान अपमान का तो ध्यान उनको रहा परन्तु थोडा सोचने पर उनको तथा आपको पता लग जायगा कि हमारे प्रधानमत्री और गवर्नमेंट के सामने भी यह मान और अपमान का प्रश्न आ सकता है और आ जाता है। प्रधानमत्री जी ने महाराष्ट्र के सम्बन्ध मे बहुत सहानुभूतिपूर्वक अपने विचार प्रकट किये है। परन्तु साथ ही साथ उन्होने यह भी दुहराया है कि यह प्रश्न कि बम्बई को महाराष्ट्र मे तुरन्त मिलाया जाय, उठाया नही जा सकता। गवर्नमेंट भी इतने दिनो से उस विचार को मथ रही है और उसने समुद्र मंथन से औषधि निकाली है। उस औषधि को हमारे महाराष्ट्रीय भाई विष मानते है। समुद्र मथन में जहा औषधि निकलती है वहा विष भी निकला करता है। इस मंथन मे बहुत विष उत्पन्न हुआ है। यह हम देख सकते है। बहुत ही गहरा धक्का हमारे देश की एकता को लगा है। इस वास्ते मै गाडगील जी से यह निवेदन करना चाहता हू कि वह इस प्रकार के मान अपमान का प्रश्न न उठाये। मै गवर्नमेंट से भी यह कहना चाहता हूं कि वह भी अपने मान अपमान का प्रश्न न उठाये और उसको अलग रख दें। प्रधान मंत्री जी ने कई बार कहा है कि बम्बई के भविष्य का फैसला ससद को ही करना है। जब उन्होने यह बात कह दी है तो मेरा उनसे तथा उनके सहयोगियों से यह कहना है कि आप इस प्रश्न को अपने मान अपमान का प्रश्न बिल्कुल न बनाये। आप कोई चेतक न निकालें।

इस प्रश्न के फैसला करने की बात को आप हर एक मेम्बर पर छोड़ दीजिये, और उनसे कह दीजिये कि हमें बताओ आपका क्या मत है और यह भी आप कह दीजिये कि वे ईमानदारी से अपनी राय दे। लेकिन अगर आपका चेतक उनके ऊपर लगा रहता है तब तो उनका मत आपको मिलेगा नही और जो प्रधान मत्री जी का मत है वही मत वे दुहरा देगे। मै चाहता हूं कि आप

आज मान अपमान के प्रश्न को छोड़ दीजिये। जब आपने यह कह दिया है कि इस प्रश्न को आप पार्लियामेंट के ऊपर छोडते है तो सचमुच पार्लियामेंट के ऊपर ही छोड दीजिये और हर एक सदस्य को अवसर दीजिये कि वह अपना मत प्रकट करे। इसी तरह से मेरा गाडगील जी से कहना है कि आप इसको मान अपमान का प्रश्न न बनाये ।

हमारे भाई श्री तुलसीदास कीलाचन्द जी ने कहा है कि उन्होने बहुत से सदस्यो से बात की है और उनको ऐसा लगता है कि अधिक सदस्यगण इसके पक्ष मे है कि गुजरातियो और महाराष्ट्रियो का मिला जुला एक बडा राज्य बने। यदि यह बात सही है तो गवर्नमेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह माननीय सदस्यो को अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर दे और यदि पार्लियामेंट के अधिक सदस्य इस बात को चाहते है तब तुरन्त ही आवश्यक परिवर्तन इस बिल मे कर दे। मेरा विश्वास है कि वह सच्चा न्याय होगा और जो झगडे उत्पन्न हो गये है उनको समाप्त कर यह मराठी और गुजराती भाइयो को प्रेम के बन्धन मे बांधने वाला काम बन जायगा।

गुजराती और महाराष्ट्रीय मिलकर रहे

इसीलिए श्री अशोक मेहता ने जो सुझाव दिया है मै उसका समर्थन करता हू। मै गवर्नमेंट से भी और गाडगील जी से तथा गाडगील जी का नाम लेकर अन्य महाराष्ट्रीय भाइयो से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसमे अधिक आग्रह न बढे। सबका मान इसमे रख लिया जाता है और आगे के लिए प्रेम की नीव पडती है। हम लोगो को यह बात अपने सामने रखनी चाहिए कि अगर आज बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करने पर कडआ-पन उत्पन्न होता है, तो महाराष्ट्र मे बम्बई को मिला कर भी कड़आपन उत्पन्न होता है—दोनों तरह से कडआपन उत्पन्न होता है। इस विवाद को तय करने का रास्ता यह है कि उन सबँ क्षेत्रो को मिला दिया जाय और उस नये राज्य की राजधानी बम्बई हो। तब वह पुराने प्रेम का रिश्ता, जिसकी चर्चा गाडगील जी ने बडे प्रेम के शब्दो मे की है, फिर से स्थापित हो जायगा। मैने गाडगील जी का पूरा विश्वास किया जब उन्होने कहा कि मै तो अपने को बिल्कुल अयोग्य मान लूगा अगर मेरे हृदय मे गुजरातियो के प्रति घृणा होगी। मेरा विश्वास है कि गुजराती भाइयो पर इस बात का असर पडेगा। गाडगील जी ने सच्चे हृदय से एक मर्मभेदी वाक्य कहा है। गुजरातियो को उसे स्वीकार करना चाहिए। गुजराती और महाराष्ट्रीय मिल कर रहे यही मेरा निवेदन है। गवर्नमेंट अपने आग्रह से उतर कर इनको एक करने का यत्न करे यह भी मेरा निवेदन है। बस मुझे अधिक नही कहना है।

●

दूसरी पंचवर्षीय योजना

१३ सितबर १९५६ को द्वितीय पचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में बोलते हुए

प्रथम योजना के बाद भी गरीबी ज्यों की त्यों

उपाध्यक्ष महोदय ! हमारे सामने आज जो विषय है, वह बहुत रोचक है। हमारे देश के भविष्य से उसका गहरा सम्बन्ध है, इसलिए हमारे सहयोगियो ने जो अपने हृदय की भावनाये सामने रक्खी हैं, वह बहुत गहरी दृष्टि से विचार के योग्य है। मैंने जो बाते यहा सुनी है, उनमे से बहुतो में मुझे गहरा तथ्य और सत्य दिखाई देता है। जो बाते कही गई है, मैं उनको दुहराना नही चाहता, सम्भव है उनमें से एक आध पर एक विशेष दृष्टिकोण से थोडा ध्यान दिला दू, परन्तु कुछ दूसरी बातो के ऊपर मत्री जी का ध्यान खीचना चाहूंगा।

इस आयोजन मे अपने देश की आय बढाने पर अवश्य ही विशेष ध्यान दिया गया है। आयोजको को यह सन्तोष है कि पहली योजना मे उनको इतनी सफलता मिली कि हमारे देश की आय बढ़ गई, देश की आय में १८ प्रतिशत और प्रत्येक मनुष्य की आय मे ११ प्रतिशत की औसत वृद्धि हो गई। परन्तु जैसा बहुतो ने कहा इस वृद्धि से यह परिणाम तो नही निकलता कि एक एक आदमी की आय में वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि गरीबी ज्यो की त्यो रह सकती है और कुछ लोगो की आय बढ़ सकती है।

मैं आपके कार्यक्रम मे मुख्यत. यह देखता हू कि आय की ओर तो ध्यान है, पर देश के देहातो की दरिद्रता दूर हो, यह प्रश्न बहुत गौण है, मुख्य नही है। सीधे देहातो की दरिद्रता के ऊपर, आपका आक्रमण नही है। आपका विश्वास है कि जब हम बहुत से औद्योगिक धन्धे खडे कर देगे, अंग्रेजी शब्द मे जिसको आपने **इंडस्ट्रियलाइजेशन** कहा है, तब आप से आप गांवो की बस्तियों के लोग खिच कर के औद्योगिक धन्धों की ओर आयेगे और इस रीति से गावों मे जो पृथ्वी पर बोझ है वह घट जायगा और कुछ हालत अच्छी होगी। आपका अधिक से अधिक ध्यान बस इस ओर है कि आय बढे और **इंडस्ट्रियलाइजेशन** हो।

सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान नहीं

आपने नाम तो कुछ सुधारो का लिया है परन्तु योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना से यह नही लगता कि आपका विशेष ध्यान सामाजिक

सुधारो के ऊपर है। समाज कुछ ऊचा हो, समाज मे जो गहरी बुराइया व्याप्त है उनको हम पकडे और कस कर पकडे और उनको दूर करे, इधर मुझे लगता है आपका ध्यान नही के बराबर गया है। मुझे बहुत लम्बा भाषण तो नही करना है। मै दो एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हू। आज जगह जगह हमारे देश मे खुली रीति से वेश्यावृत्ति चल रही है। इस भवन मे उसके सम्बन्ध मे पहले भी चर्चा हो चुकी है। आपने इस सारी योजना मे कही वेश्यावृत्ति को दूर करने के लिए कुछ नही सोचा है। कम से कम मुझे तो कही भी कोई दो चार शब्द भी इस सम्बन्ध मे देखने को नही मिले। मैने बहुत उत्सुकता से देखा कि आयोजको का ध्यान इधर गया है या नही। **सोशल वेलफ़ेयर** का जो अध्याय है उसको भी जब मैने पढा तो भी ऐसा ही लगा कि उधर ध्यान ही नही गया है। आपने इस योजना मे बहुत सी अच्छी अच्छी बाते लिखी है परन्तु मुझे तो यह देखना है कि आप क्या कर पाते है। कागदो के ऊपर मानचित्र खीचना, आकर्षक शब्दो मे आगे का चित्र बनाना यह तो अच्छा है, परन्तु उस चित्र को व्यवहार मे बदलना, यह मुख्य काम हमारे सामने है। केवल कह देने से कोई काम नही हो जाता है।

वेश्यावृत्ति

यह वेश्यावृत्ति जो इतनी फैली हुई है उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया है और क्या योजना बनाई है? जब मै काग्रेस का सभापति था तब उस समय अपने भाषण मे मैने इस बात पर बल दिया था कि यह वेश्यावृत्ति हमारे पुरुषत्व के ऊपर कलक है। हर एक पुरुष जानता है और देखता है कि नारिया अपने शरीर को कुछ कौडियो के लिये बेचती है। इससे अधिक हमारे लिए क्या कालिख हो सकती है। मै आशा करता हू कि आपका ध्यान जल्दी से जल्दी उधर जायगा और कुछ करोड रुपये इस वेश्यावृत्ति को समाप्त करने मे आप लगा देगे। चीन की बात बार बार कई प्रसगो मे हमारे सामने आई है। हमारे कुछ भाई वहा गए और उन्होने दो एक पुस्तके भी लिखी है। मेरे सामने यह बात आई है कि चीन मे उन्होने उद्योग कर इस वेश्यावृत्ति को लगभग बिल्कुल उडा दिया है। क्या हमारे लिए ऐसा करना सम्भव नही है? यह ऐसा विषय है कि इसमे यदि आप सफलता प्राप्त करे तो बडा ठहराऊ लाभ देश को होगा। चारो ओर से हमारा नैतिक स्तर ऊचा होगा क्योकि उसका और बातो पर भी गहरा असर पडेगा।

मदिरापान

इसी तरह से मदिरापान का विषय है जिसके बारे मे भी इस भवन मे बार बार चर्चा हुई है। दृढता के साथ इसको समाप्त करने की आवश्यकता

है। देश भर मे जब हम सब जानते है कि इससे हानि ही हानि होती है और आज तक किसी ने नही कहा कि मदिरापान से किसी प्रकार का लाभ होता है, उससे पैसे की बरबादी और स्वास्थ्य की हानि होती है तो कोई कारण नही है कि क्यो न आप कस करके इसको बन्द करे और जो पीने वाले है उनकी ओर कोमलता प्रदर्शित न करे।

भिखमंगो

सामाजिक सुधारो के सम्बन्ध मे एक तीसरी बात जो मेरे सामने आती है वह भिखमगो की समस्या है। यह प्रश्न बार बार विचारको के सामने आया है परन्तु इसको बन्द करने का अभी हमने कोई गहन प्रयत्न नही किया है। कही कही कुछ प्रदेशो मे यह प्रश्न उठाया गया है पर कर्रेपन के साथ हम इसके पीछे नही पडे है। इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार

इनसे मिला हुआ प्रश्न समाज सुधार के विषय में भ्रष्टाचार का है। हम सब स्वीकार करते है कि यह रोग व्यापारियों मे घुसा हुआ है, वकीलो मे घुसा हुआ है, इंजीनियरो मे घुसा हुआ है, ओवरसीयरो में घुसा हुआ है, पठित समाज मे घुसा हुआ है, चारो ओर जिधर भी हम देखते है भ्रष्टाचार देखते है। परन्तु ऐसा जान पडता है कि आप कस कर अपनी शक्ति इस ओर लगा नही रहे है। मै जानता हू इन प्रश्नों को हल करने मे समय लगता है और वे पुरुपार्थ की माग करते है। काम तो तभी होगा जब आप कुछ लगन के साथ, धुन के साथ, इनके पीछे पडेगे।

आयवृद्धि का लाभ नगरों को, ग्रामों को नहीं

मै माननीय मत्री जी से अब ग्रामो के सम्बन्ध में कुछ विशेप रीति से कहना चाहता हू। आप और हम सब जानते है कि हमारा देश मुख्य करके ग्रामों मे बसता है। ७० प्रतिशत से अधिक जनसख्या ग्रामो मे ही रहती है। परन्तु इस योजना में, मेरा निवेदन है, आपने उनकी ओर कितना ध्यान दिया है यह विचार की बात है। मेरा कहना है कि आंशिक रूप से ही और बहुत ही कम आपका ध्यान उधर गया है। इस योजना मे जितना पुरुपार्थ है, जितना सामर्थ्य है, उसका बहुत अधिक लाभ नगरो को, नगरवासियों को और नगरो मे पढे लिखे लोगों को ही मिलेगा। इसको देखकर आश्चर्य होता है। १८ प्रतिशत आय की जो बढती दिखायी गयी है उसका बडा हिस्सा तो इन्ही लोगों मे रह गया है। ग्रामो की दरिद्र जनता के पास उसका जो अश पहुचता है वह नही के बराबर है।

एक माननीय सदस्य : कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे है।

श्री टंडन : पीछे से **कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स** की आवाज आई है। उसके बारे मे मेरा कहना यह है कि ग्रामवासियो की जेब मे उसका पैसा नही के बराबर पहुँचता है। ये सब काल्पनिक बाते है—कागद के घोडे दौडते है। जरा गावो मे जाइये और वहाँ के स्त्री-पुरुषो को देखिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ-मध्य) : चाय पीनी बन्द होनी चाहिए।

श्री टंडन : हमारी देवीजी चाय की विरोधिनी है—वह चाय पीना बन्द कर देना चाहती है। अच्छा हो, कि वह आपस मे इस बात को चलाये। इस समय मै सुधार की एक एक बात को कहा तक ले सकता हूँ?

गाँवों मे गृह-निर्माण योजना

इस समय मेरा निवेदन गावो के बारे मे है। इस योजना के अन्तर्गत आपने ४८ अरब रुपयो के व्यय करने का रास्ता बनाया है। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि कितना गावो पर व्यय किया जा रहा है और कितना नगरो पर? इस योजना से गाव वालो को कितना लाभ होगा? मै कहता हू कि बहुत थोडा।

चौ० रणवीरसिंह (रोहतक) : १७०० करोड रुपए।

श्री टंडन : मै नही जानता कि माननीय सदस्य ने कहाँ से यह सख्या निकाली है। मेरे लिए तो यह असम्भव था कि मै इसमे से इसका हिसाब कर सकू और मेरा अनुमान है कि शायद हमारे मत्रीगण ने भी नही किया है और शायद वे मुझको कुछ बता नही सकेगे। लेकिन एक अध्याय मेरे सामने है—जो उदाहरण के रूप मे है—और मैने उसका थोडा सा अश छाटा है। मेरे सामने अध्याय २६ है, जिसका शीर्षक है "हाउसिग"। इसका अर्थ है गृह-निर्माण। इसमे कुल १२० करोड रुपया व्यय के लिये रखा गया है। माननीय मत्री जी इसको सामने रख ले और देखे। उनको तो एक एक बात याद होगी। इसमे दस करोड रुपया गाँवो मे मकान बनाने के लिए रखा गया है, इससे मुझे थोडा सा सतोष है। जब मै पहले एक बार इस विषय मे बोला था, तब केवल पाच करोड ही था। अब दस करोड रुपया रख दिया गया है।

योजना तथा सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नंदा) : चालीस करोड।

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : और **मिनिस्ट्रीज** मे है, **कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स** मे है।

श्री टंडन मेरे सामने १२० करोड रुपये का व्यय है और उसमे से दस करोड गावो मे घर बनाने के लिए है। नगरो से सम्बन्ध रखने वाले **सब्सीडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग** के लिए ४५ करोड, **लो इनकम ग्रुप हाउसिंग** के लिए

४० करोड, **स्लम-क्लीयरेंस** और **स्वीपर्स हाउसिग** के लिए २० करोड और **मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग** के लिए ३ करोड रखे गए है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री टंडन : आप मुझे बता दे कि आप कितने मिनट मुझे देगे, ताकि मै उसी हिसाब से अपनी बात कहू।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत दुख है कि मुझे ऐसा कहना पडा है। माननीय सदस्य दो तीन मिनट और ले ले।

श्री टंडन : बहुत अच्छा।

अन्त में **प्लान्टेशन हाउसिंग** के लिए दो करोड रखा गया है। वे प्राय देहात मे होते है। मै अनुमान कर सकता हू कि यह व्यय देहात का होगा। इसका मतलब है कि दस करोड और दो करोड—बारह करोड देहात के लिए है। १२० करोड रुपए मे से १२ करोड रुपए अर्थात् कुल राशि का दस प्रतिशत गांवो के लिए रखा गया है। ७० प्रतिशत लोग गावो मे रहते है, लेकिन मकान बनाने के व्यय मे आप केवल दस प्रतिशत उनको दे रहे है। यह मै उदाहरण दे रहा हू। लगभग यही हिसाब बहुत कुछ इस योजना भर मे है। कई जगह शायद इससे भी कम पडेगा। मेरा कथन यह है कि गावो की ओर आपका अधिक ध्यान होना चाहिए। आपको नए गावो का निर्माण करना उचित है। वे गांव कैसे हो ? मेरे एक भाई ने मुझसे कहा कि गाव का जीवन नारकिक है। ये उनके शब्द थे। जहाँ जाइये, गन्दगी दिखाई पड़ती है। रहने के योग्य घर बहुत कम है। अभी एक भाई ने उस **रिपोर्ट** का हवाला दिया जो खाद्य सचिवालय के सचिव ने चीन से लौट कर दी है। उन्होने बहुत ब्योरे के साथ अपनी **रिपोर्ट** दी है। वह रोचक लगी। उसकी बहुत सी बातो मे मै इस समय नही जा सकता। उन्होने कहा है कि चीन मे सबसे बडी बात यह है कि वहा मनुष्य के मल-मूत्र का प्रयोग बड़ी अच्छी तरह किया जाता है, जिसके कारण वहा पैदावार हमारे यहा से अधिक है। हमारे देश मे एकड के पीछे जितनी पैदावार होती है, उससे कही अधिक पैदावार वहा होती है। मैने इस सम्बन्ध मे पहले भी कई बार कहा है और एक तरकीब भी प्रस्तुत की है कि गांव मे हर एक घर के साथ आध आध एकड़ भूमि रखी जाय। एक घर मे चार पाच मनुष्यो का एक कुटुम्ब होता है। वह घर एक वाटिका की तरह से हो। उसका नाम मैने वाटिका गृह योजना रखा है। अगर इस प्रकार भूमि दी जाय, तो मेरा विश्वास है कि पैदावार आज की पैदावार से बहुत बढ सकती है। इस बात का यत्न करना चाहिए कि सब मल-मूत्र उसी भूमि मे डाला जाय। **रिपोर्ट** के लेखक ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि हमारे देश मे आज जो मल-मूत्र सम्बन्धी समस्या है, उसका हल करना इसलिए जटिल है कि हमारे यहाँ लोग मल-मूत्र छूने से बहुत घबराते है, चीनी, जापानी और

बर्मी लोग उससे घबराते नही है, हमारे यहाँ वह सम्भव नही है। परन्तु अगर आप यहाँ पर हर एक घर के साथ आध आध एकड़ भूमि दे और सब मल-मूत्र वहाँ पर डाला जाय—गड्ढे के नीचे रखा जाय, वह काम मे आये और बरबाद न हो, तो पैदावार बहुत बढ सकती है। आज वह बरबाद हो रहा है। उसकी रक्षा की जानी चाहिए।

शिक्षा मे अंग्रेजी माध्यम नहीं चाहिए

अब मै शिक्षा के सम्बन्ध मे कुछ कहना चाहता हू। इस योजना मे शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया है मगर बहुत थोडा। हाल मे हमारे शिक्षा मत्री ने कुछ बातो पर बहुत बल दिया है। प्रधानमत्री जी ने भी यह कहा कि हम अग्रेजी के माध्यम द्वारा ही वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षण दे सकते है। यह बात मुझे बहुत खटकी। मै उससे सहमत नही हू। मैं इसे बिल्कुल गलत समझता हू। प्रधानमत्री जी ने कहा कि चीन मे २० हजार इजिनियर तैयार हो रहे है, रूस मे ८० हजार इजिनियर तैयार हो रहे है, हमारे यहा भी इजिनियर तैयार होने चाहिए। मै उनसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हू कि ये इजिनियर बड़ी सख्या मे इसलिए नही तैयार हो रहे है कि उनको अग्रेजी द्वारा शिक्षण दिया जाता है। मुझे खेद है कि इस समय हमारे प्रधानमत्री जी भवन से चले गये है। मै कहना चाहता हू कि उन देशो मे इतनी तीव्रता से इजिनियर इसलिए तैयार हो रहे है कि उनको उनकी अपनी भाषा मे शिक्षण दिया जाता है। आप भी अपनी भाषा मे प्रशिक्षण दीजिये फिर देखिये कि किस तीव्रता से यहां भी इजिनियर तैयार होते है।

यहाँ पर जो उस रोज शिक्षा मत्रियो का सम्मेलन या तमाशा हुआ था उसमे हमारे शिक्षामत्री जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। मै उसे तमाशा इसलिए कहता हूं कि वहां पर कोई गहरा विचार नही किया गया, वहां पर कोई गहरा विचारक नही था। गहरा विचार किया था **यूनीवर्सिटी कमीशन** ने, गहरा विचार किया था **सेकिंडरी इजूकेशन कमीशन** ने। लेकिन उन्होने जो विचार किया था उसको तो आज हमारा शिक्षा विभाग काम मे नही ला रहा है, पर कुछ शिक्षा मत्रियो को बुलाकर उन पर दबाव डालकर यह कहला लिया गया कि अग्रेजी पढाना आवश्यक है। हमारे शिक्षा मत्री ने खुद कहा है कि हमारी **यूनीवर्सिटीज** मे शिक्षा का माध्यम अग्रेजी होना चाहिए। ये उनके शब्द है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी उस सम्मेलन मे बयान दिया था लेकिन उन्होने जो पत्र दिनकरजी को लिखा है उसमे स्पष्ट कर दिया है कि उन्होने यह नही कहा था कि अग्रेजी माध्यम हो। उन्होने यह सफाई करके ठीक ही किया। लेकिन हमारे शिक्षा मत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने शिक्षामत्री सम्मेलन मे कहा है, और यह उस रिपोर्ट में दर्ज है जो

उनके विभाग ने छपवाई है,कि विश्वविद्यालयो मे माध्यम अग्रेजी होनी चाहिए। यह क्या है ? यह कोई अक्लमन्दी की बात है ? क्या उनको मालूम है कि आज महाराष्ट्र मे, गुजरात मे, और हिन्दी बोलने वाले, प्रदेशो मे मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है। हमारे यहा उत्तर प्रदेश मे लखनऊ यूनीवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी है, आगरा यूनीवर्सिटी है। इन तीनो को मै जानता हू। पूना यूनीवर्सिटी के बारे मे मै पढ चुका हूं, गुजरात यूनीवर्सिटी के बारे मे पढ चुका हू। यहा पर लोगो ने अपनी अपनी भाषा रखी है। और मै अपने यहा इलाहाबाद और लखनऊ मे बराबर देख रहा हू कि चार पांच वर्ष से विश्वविद्यालयो मे माध्यम हिन्दी है। बी० ए०, बी० एस-सी० मे हिन्दी माध्यम से तडातड लडके निकल रहे है। हमारे शिक्षामंत्री ने कहा कि अग्रेजी को एकबारगी बदल देना तो अनुचित होगा। उनके भाषण की रिपोर्ट मे शब्द **'सडन'** आया है। मुझे यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ। मालूम होता है कि उन्हे मालूम नही कि क्या हो रहा है। यूनीवर्सिटियों मे चार पांच वर्षों से हिन्दी चल रही है और वह आज **'सडन'** शब्द का प्रयोग करते है। यह **'सडन'** कैसे होगा। हमे नया माध्यम आज नही करना है, कई यूनीवर्सिटियों मे तो आज माध्यम हिन्दी ही है। क्या आप हिन्दी हटाकर फिर अग्रेजी माध्यम बनाना चाहते है ? यह हमारे शिक्षा मत्री जी का ध्यान है।

(इस समय प्रधानमत्री जी भवन में आये।)

प्रधानमत्री जी आ गये। मै इसका स्वागत करता हूं। मै उनकी ही बात कह रहा था। मै आपकी आज्ञा से फिर उन शब्दो को दुहरा देना चाहता हू ताकि वे सुन ले। हमारे प्रधानमत्री जी ने शिक्षा मंत्रियो के सम्मेलन में एक बयान दिया था लेकिन उसके बारे में उन्होने जो पत्र दिनकरजी को लिखा है उसमे साफ कर दिया है कि उन्होने यह नही कहा कि माध्यम अंग्रेजी हो। मै इसको स्वीकार करता हू। लेकिन उस सम्मेलन में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि माध्यम अग्रेजी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि यहां अग्रेजी को माध्यम बनाना बहुत अनुचित होगा। चार पाच वर्षों से माध्यम हिन्दी हो चुका है। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में, लखनऊ यूनीवर्सिटी में, आगरा यूनीवर्सिटी में बी० ए० तक के लिए हिन्दी माध्यम है। हा **पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं** के लिए अवश्य अभी हिन्दी माध्यम निश्चित नही हुआ है। परन्तु **ग्रेजुएट** होने के लिए हिन्दी माध्यम निश्चित है। तो क्या यह जो बात चल चुकी है इसको आप पलट देगे। मेरा कहना यह है कि हमारी अपनी भाषा के माध्यम द्वारा ही हमारा शिक्षण हो यह आवश्यक सिद्धान्त है।

ग्रामो को मुख्यता दीजिए

अब मै अधिक समय नही लेना चाहता। मै अपने मत्री जी से यही

निवेदन करना चाहता हू कि आज जो ग्राम और नगरो का सम्बन्ध है उसकी ओर उनका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। उनको ग्रामो की दशा सुधारने का मुख्य रूप से निश्चय करना चाहिए। मै इसको मुख्य बात मानता हू। ग्रामो की दशा बहुत ही बुरी है। आप नये नये कुछ ग्राम बसाइये। हर जिले में एक एक, दो दो, चार चार नमूने के गाव हो। आज आप देश मे एक गॉव भी नही बतला सकते कि जिसको आपने नमूने के तौर पर बसाया हो। आप हर जिले में दो दो, चार चार गॉव नमूने के बसाइये। इसमे बहुत रुपयो का व्यय नही है। इस प्रकार आप देश मे एक नई शक्ति पैदा करेंगे, एक नई रूह फूकेंगे। आप देहातो के लिए केवल कागजी घोड़े न दौड़ाइये। यहॉ चीन का अक्सर उदाहरण दिया जाता है। मैंने चीन की रिपोर्ट पढी है। चीन मे कार्यकर्ताओं का देहात वालो से गहरा सम्पर्क है। यहां सम्पर्क नही है। हम यहा बैठकर जो **रिपोर्टें** आती है उनसे देहात की उन्नति का अनुमान लगाते है। ऐसा न करके हमको देहातो की जनता से गहरा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। जो अच्छे आदमी हमको मिले उनका हम उपयोग करे ताकि वे ग्रामो की दशा सुधारे, और हम उनके साथ मिलकर स्वयं भी काम करे। मेरा यही निवेदन है।

४६
हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन

लोक सभा के अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति के परामर्श से पांच मई सन् १९५६ को एक संसदीय समिति नियुक्त की थी जिसके अधीन यह कार्य किया गया कि वह संसदीय, विधि सम्बन्धी तथा प्रशासकीय शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करे। इस समिति के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन नियुक्त हुए थे। इस संसदीय समिति की ओर से जो कार्य हुआ उसका प्रतिवेदन लोक सभा में २८ मार्च सन् १९५७ को श्री टण्डन ने रखा। प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखते हुए उन्होंने जो एक छोटा सा भाषण दिया वह अंगरेजी में था। उसका हिन्दी रूपांतर नीचे दिया जाता है। लोक सभा में श्री टण्डन का यह अन्तिम भाषण था। श्री टण्डन नवम्बर सन् ५६ में बीमार हो गये थे। यह भाषण उन्होंने रोगावस्था में अपने स्थान पर बैठे हुए दिया था। प्रथम लोक सभा का कार्यकाल भी उसी दिन समाप्त हुआ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद-पश्चिम) : मै ससदीय, विधि-संबंधी, तथा प्रशासनिक शब्दावलि के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने वाली ससदीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति शब्दावलि के साथ सभा-पटल पर रखता हूं।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मै सभा-पटल पर प्रतिवेदन रखते हुए, सभा को समिति के कार्य के बारे मे कुछ बताना चाहता हूं। गत मई मास मे राज्य सभा के सभापति के परामर्श से आपने समिति नियुक्त की थी, जिसने उसी महीने काम शुरू कर दिया था। इसकी कुल ११३ बैठकें हुईं जिसमें ३६४½ घटे लगे।

समिति को विधान-सभाओ, उसके सचिवालयो तथा अन्य सस्थाओ के लिये जो इन शब्दो को अपनाना चाहें, ससदीय, विधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दावलि के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने का काम सौंपा गया था। १९५४ मे लोक-सभासचिवालय द्वारा सकलित विधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दावलि जो (अग्रेजी के) **'डी'** अक्षर से प्रारम्भ होकर **'जेड'** तक थी, इसके कार्य का आधार थी। इसमे लगभग २१,००० शब्द थे। **'ए'** से **'सी'** तक की शब्दावली आपके पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित कर दी थी।

हमारा काम दो प्रकार का था। पहले हमें हिन्दी, सस्कृत, अथवा देश की किसी अन्य भाषा में पर्याय ढूढ़ने थे और यदि ऐसे शब्द नहीं मिलते थे तो दूसरे नये शब्द बनाने थे। समिति ने यह आवश्यक समझा कि विधि,

संसद तथा प्रशासन से सबधित शब्द जहा तक सभव हो संविधान के आठवे अनुच्छेद मे दी गई भाषाओ मे से हो, इसीलिए समिति ने देश की समस्त भाषाओ मे प्रचलित शब्दों को ढूढने का प्रयत्न किया। सामान्यत: समिति ने हिन्दी मे प्रचलित पर्यायो को निर्धारित करने का यत्न किया है। परन्तु साथ ही साथ उसने प्रादेशिक भाषाओ से भी कुछ उपयुक्त शब्द लिये है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, गुप्तकालीन शिलालेखो तथा बौद्ध साहित्य से ऐसे शब्द लिये गये है जो युगो से प्रयुक्त हो रहे है। कुछ हिन्दी मे प्रचलित अग्रेजी शब्द भी ले लिये गये है। सविधान के अनुच्छेद ३५१ के निर्देशो के अनुसार हमने नये शब्दो के निर्धारण मे सस्कृत का सहारा लिया है।

समिति की सिपारिश है कि यह शब्द लोक-सभा तथा राज्य-सभा और राज्य विधान सभाओ मे प्रयोग मे लाये जायॅ।

समिति के सभापति के रूप में मै आशा करता हू कि जो काम हमने किया है उससे भविष्य मे लाभ होगा।